

ANNUAL REPORT

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2017-18



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के अनुसार 30 जून 2018 को
समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के कामकाज के संबंध में
केंद्र सरकार को प्रस्तुत केंद्रीय निदेशक मंडल की रिपोर्ट



भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट
2017-18



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

गवर्नर
Governor

प्रेषण-पत्र

संदर्भ सं. सवि.307/02.16.001/2018-19

24 अगस्त 2018
2 भाद्रपद 1940 (शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली -110 001

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के अनुसार, मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज सहर्ष प्रेषित कर रहा हूँ:

- (i) 30 जून 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की एक प्रति जो रिज़र्व बैंक के लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित है और जिस पर प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक ने, उप गवर्नरों ने और मैंने हस्ताक्षर किए हैं; और
- (ii) 30 जून 2018 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के कामकाज पर केन्द्रीय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट की दो प्रतियाँ।

भवदीय,

उर्जित आर. पटेल

उर्जित आर. पटेल

केन्द्रीय कार्यालय भवन, 18वीं मंजिल, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुम्बई - 400 001. भारत
फोन : +91 22 2266 0868 फैक्स : +91 22 2266 1784 ई-मेल : urjitpatel@rbi.org.in

Central Office Building, 18th Floor, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400 001. INDIA
Tel : +91 22 2266 0868 Fax : +91 22 2266 1784 E-mail : urjitpatel@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

केंद्रीय बोर्ड / स्थानीय बोर्ड

गवर्नर

उर्जित आर पटेल

उप गवर्नर

एन. एस. विश्वनाथन

विरल वि. आचार्य

बी. पी. कानुनगो

महेश कुमार जैन

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

की धारा 8(1) (ख) के अंतर्गत नामित निदेशक

नचिकेत एम. मोर

प्रसन्ना कुमार मोहंती

दिलीप एस. संघवी

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

की धारा 8(1) (ग) के अंतर्गत नामित निदेशक

नटराजन चंद्रसेकरन

भरत नरोत्तम दोशी

सुधीर मांकड

अशोक गुलाटी

मनीष सभरवाल

सतीश काशीनाथ मराठे

स्वामीनाथन गुरुमूर्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

की धारा 8(1) (घ) के अंतर्गत नामित निदेशक

सुभाष चंद्र गर्ग

राजीव कुमार

स्थानीय बोर्ड के सदस्य

पश्चिमी क्षेत्र

दिलीप एस. संघवी

वल्लभ रूपचंद भंसाली

पूर्वी क्षेत्र

नचिकेत एम. मोर

सुनील मित्रा

उत्तरी क्षेत्र

दक्षिणी क्षेत्र

प्रसन्ना कुमार मोहंती

प्रधान अधिकारी

(16 अगस्त 2018 की स्थिति के अनुसार)

कार्यपालक निदेशक

.....	दीपक कुमार मोहंती
.....	माइकल डी. पात्रा
.....	दीपक सिंघल
.....	सुदर्शन सेन
.....	एम. राजेश्वर राव
.....	सुरेखा मरांडी
.....	मालविका सिन्हा
.....	एस. गणेशकुमार
.....	उमा शंकर
.....	आर. सेबस्टाइन
.....	पार्वती वी सुंदरम
.....	सुधा बालकृष्णन, मुख्य वित्तीय अधिकारी

केंद्रीय कार्यालय

केन्द्रीय सतर्कता कक्ष
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग
कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग
बैंकिंग विनियमन विभाग
बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
संचार विभाग
सहकारी बैंक विनियमन विभाग
सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग
कॉर्पोरेट सेवा विभाग
मुद्रा प्रबंध विभाग
आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग
बाह्य निवेश और परिचालन विभाग
सरकारी और बैंक लेखा विभाग
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
गैर बैंकिंग विनियमन विभाग
गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग
प्रवर्तन विभाग
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
विदेशी मुद्रा विभाग
वित्तीय स्थिरता इकाई
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
निरीक्षण विभाग
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
अंतरराष्ट्रीय विभाग
विधि विभाग
मौद्रिक नीति विभाग
परिसर विभाग
राजभाषा विभाग
जोखिम निगरानी विभाग
सचिव विभाग
महाविद्यालय
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे
रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै
कार्यालय
चेन्नै
कोलकाता
मुंबई
नई दिल्ली
शाखाएं
अहमदाबाद
बंगलुरु
भोपाल
भुवनेश्वर
चंडीगढ़
देहरादून
गुवाहाटी
हैदराबाद
जयपुर
जम्मू
कानपुर
लखनऊ
नागपुर
पटना
रायपुर
शिमला
तिरुवनंतपुरम
अगरतला
आइजोल
बेलापुर
गंगटोक
इंफाल
कोच्चि
पणजी
रांची
शिलांग
श्रीनगर

लिली वडेरा, मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य सतर्कता अधिकारी
 अशोक नारायण, मुख्य महाप्रबंधक
 साधना वर्मा, मुख्य महाप्रबंधक
 सौरव सिन्हा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

-
 अल्पना किल्लावाला, प्रधान परामर्शदाता - संचार
 नीरज निगम, मुख्य महाप्रबंधक
 आर.एल. शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक
 परेश जी. चौहान, महाप्रबंधक
 अजय मिच्यारी, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
 राजीव रंजन, परामर्शदाता एवं प्रभारी अधिकारी
 उषा जानकीरामन, मुख्य महाप्रबंधक
 निर्मल चंद, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
 दीपक कुमार, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
 मनोरंजन मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक
 पी. विजयकुमार, मुख्य महाप्रबंधक
 नन्दा एस. दवे, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
 गौतम चटर्जी, प्रधान परामर्शदाता
 अनिल के. शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक
 जी.पी. बोरा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
 आर. एस. राठो, मुख्य महाप्रबंधक
 टी. रवि शंकर, मुख्य महाप्रबंधक
 अजय के मिश्र, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
 आर. गुरुमूर्ती, मुख्य महाप्रबंधक
 ए.के. षडंगी, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

-
 अर्चना मंगलगिरि, मुख्य महाप्रबंधक
 एम. के. सागर, प्रभारी परामर्शदाता
 मोना आनंद, प्रधान विधि परामर्शदाता
 जनक राज, प्रधान परामर्शदाता
 अरविंद के. शर्मा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
 लिली वडेरा, मुख्य महाप्रबंधक
 रवि एन. मिश्र, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
 सुशोभन सिन्हा, मुख्य महाप्रबंधक और सचिव
प्रधानाचार्य
 एम. सरकार देब
 आर. केसवन

क्षेत्रीय निदेशक

अरुंधति मेच
 एस. सी. मुर्मू
 एस. राजगोपाल
 ई.ई. कार्थक

जे.के. दाश
 पी. जे. थॉमस
 प्रदीप्ता के. जेना
 एम. के. मल्ल
 रचना दीक्षित
 सुब्रत दास,
 बी.के. मिश्रा
 आर. सुब्रमणियन
 जी. श्रीकुमार
 थॉमस मैथ्यू
 विवेक दीप
 अजय कुमार
 इंद्राणी बैनर्जी
 एन. पी. टोपनो
 सरस्वती श्यामप्रसाद
 अमर नाथ
 एस.एम. नरसिंह स्वामी

प्रभारी अधिकारी

तमल बिश्वास, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
 मैरी लैलुकिम डेग, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
 एच.एन. पांडा, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
 आर. वी. संघवी, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
 तगपुआ एम एल एन सी ग्वाइट, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
 के.पी. पटनाइक, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
 एस. टी. कन्नन, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
 संजीव दयाल, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
 अनुराग अस्थाना, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
 आर. एल. कोरोटानिया, प्रबंधक

	पृष्ठ संख्या
भाग एक: अर्थव्यवस्था: समीक्षा और संभावनाएं.....	1
I. आकलन और संभावनाएं.....	1
आकलन: 2017-18	2
संभावनाएं : 2018-19	5
II. आर्थिक समीक्षा	10
वास्तविक अर्थव्यवस्था	10
कीमतों की स्थिति.....	28
मुद्रा एवं ऋण.....	43
वित्तीय बाजार	53
सरकारी वित्त	64
बाह्य क्षेत्र	71
भाग दो: भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यप्रणाली और परिचालन	85
III. मौद्रिक नीति परिचालन.....	85
मौद्रिक नीति	85
परिचालनात्मक ढांचा	88
मौद्रिक नीति का संचरण.....	93
क्षेत्रवार उधार दरें.....	94
IV. ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेशन.....	97
ऋण सुपुर्दगी	98
वित्तीय समावेशन.....	102
वित्तीय साक्षरता	104
V. वित्तीय बाजार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन	107
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग.....	107
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग.....	109
विदेशी मुद्रा विभाग	111

	पृष्ठ संख्या
VI. विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता	115
वित्तीय स्थिरता इकाई	115
वित्तीय मध्यस्थों का विनियमन	116
वाणिज्यिक बैंक: बैंकिंग विनियमन विभाग	116
सहकारी बैंक: सहकारी बैंक विनियमन विभाग.....	124
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी: गैर बैंकिंग विनियमन विभाग	125
वित्तीय मध्यस्थता करने वाली संस्थाओं का पर्यवेक्षण.....	127
वाणिज्यिक बैंक: बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग	127
सहकारी बैंक: सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग	129
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी: गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग.....	131
प्रवर्तन विभाग	132
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग.....	132
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम.....	134
राष्ट्रीय आवास बैंक	134
VII. लोक ऋण प्रबंधन	137
केन्द्र सरकार का ऋण प्रबंधन	138
राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन	142
VIII. मुद्रा प्रबंधन.....	147
मुद्रा की प्रवृत्तियां	147
मुद्रा प्रबंधन के लिए आधारभूत ढांचा.....	148
नई सुरक्षा विशेषताओं का समावेश	151
भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड	154
IX. भुगतान और निपटान प्रणालियां तथा सूचना प्रौद्योगिकी	155
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग.....	155
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग.....	161

	पृष्ठ संख्या
X. संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अनुसंधान एवं सांख्यिकी	164
संचार प्रक्रियाएं.....	164
कार्यनीतिक अनुसंधान इकाई.....	168
अंतरराष्ट्रीय संबंध	169
सरकारी एवं बैंक लेखा.....	175
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का प्रबंधन.....	177
आर्थिक और नीति अनुसंधान	177
सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन.....	178
विधिक मुद्दे.....	181
XI. गवर्नेन्स, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन	183
गवर्नेन्स ढांचा.....	184
मानव संसाधन संबंधी पहलें.....	185
उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन	189
आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण	191
कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन.....	191
कॉर्पोरेट सेवाएं.....	193
राजभाषा	193
परिसर विभाग	194
क्षेत्रीय कार्यालय.....	195
XII. 2017-18 के लिए रिजर्व बैंक का लेखा.....	202
तुलन-पत्र	204
30 जून 2018 को समाप्त वर्ष के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण	210
आय	223
व्यय	226
अनुबंध: प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: जुलाई 2017 से जून 2018.....	229
परिशिष्ट सारणी.....	236

बॉक्स	
II.1.1	संवृद्धि के लिए निवेश माहौल: प्रमुख समर्थक कारक क्या हैं?..... 13
II.2.1	वैश्विक वित्तीय संकट के बाद एशिया में महंगाई दर – यह बाकी दुनिया से कैसे भिन्न है? 31
II.2.2	न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) – क्या ये भारत में महंगाई दर के विक्षेप पथ को प्रभावित करते हैं? 38
II.2.3	ग्रामीण श्रम बाजार पर मनरेगा का प्रभाव: सर्वे डाटा का उपयोग करते हुए आकलन..... 41
II.3.1	स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) 46
II.3.2	क्रिप्टोकॉरेंसी: उभरती चुनौतियां 48
II.4.1	इक्विटी सूचियाँ और अंतर्निहित उतार-चढ़ाव 60
II.5.1	राजकोषीय नीति और मुद्रास्फीति के बीच संबंध : तिमाही अनुमान मॉडल के परिणाम 69
II.6.1	कार्यशील पूंजी का अवरोध और निर्यात..... 73
II.6.2	भारत की बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता का मापन 75
II.6.3	आयात के प्रतिगामी प्रतिस्थापन का कौतूहलपूर्ण मामला: भारतीय अनुभव 78
III.1	पूंजी प्रवाहों का निष्प्रभावीकरण..... 91
IV.1	एमएसएमई की औपचारिक वित्त तक पहुँच: कतिपय मूल्यांकन 101
IV.2	वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) पर प्रायोगिक परियोजना 105
VI.1	दबाव-ग्रस्त आस्तियों का समाधान – संशोधित फ्रेमवर्क 117
VI.2	अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करने संबंधी फ्रेमवर्क 119
VI.3	फिनटेक रेग्युलेटरी सैंड बॉक्स – उद्देश्य, सिद्धान्त, लाभ और जोखिम..... 122
VI.4	सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी के संबंध में विनियामक फ्रेमवर्क 126
VI.5	बैंकों में लेखापरीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाना..... 130
VI.6	बैंक के ग्राहकों के लिए लोकपाल योजना – एक दृष्टिकोण..... 133
VI.7	वित्तीय संस्थाओं के समाधान के उपाय के रूप में उन्हें उबारा जाना (बेल-इन) : सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाएं..... 135

	पृष्ठ संख्या
VII.1 राज्य सरकारों की उधारियां और बढ़े हुए नकद अधिशेष	145
VIII.1 मुद्रा आवाजाही पर समितियां.....	152
IX.1 आरटीजीएस में एंड पॉइंट सुरक्षा.....	159
IX.2 जीएसटी भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका	162
X.1 मिंट स्ट्रीट मेमो (एमएसएम).....	166
X.2 एसएमएस के माध्यम से आम जनता तक पहुंचना	167
X.3 भारतीय वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (एफएसएपी), 2017	171
X.4 सात क्षेत्रीय कार्यालयों में सरकारी बैंकिंग प्रभागों का खोला जाना.....	176
XI.1 केंद्रीय बैंकों में अधिशेष संवितरण नीति: एक विहंगावलोकन	190
XI.2 बैंक में महत्वपूर्ण आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की संवेदनशीलता आकलन एवं भेद्यता परीक्षण (वीए-पीटी).....	192
 परिशिष्ट सारणी	
1. समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक.....	236
2. वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें और संरचना (2011-12 के मूल्यों पर)	238
3. सकल बचत.....	239
4. मुद्रास्फीति, मुद्रा और ऋण.....	240
5. पूंजी बाज़ार - प्राथमिक एवं द्वितीयक.....	241
6. मुख्य राजकोषीय संकेतक	242
7. केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियाँ और संवितरण	243
8. भारत का समग्र भुगतान संतुलन	244
9. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह : देश-वार और उद्योग-वार	245

संक्षेपाक्षर सूची

एबीसीआई	- भारतीय कारोबारी संग्रहक संघ	बीएचआईएम (भीम)	- भारत इंटरफेस फॉर मनी
एसीबी	- लेखापरीक्षा समिति बोर्ड	बीआईएस	- अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक
एडी	- प्राधिकृत व्यापारी	बीएनपीएमआईपीएल	- बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
एडीईपीटी	- स्वचालित डेटा निष्कर्षण परियोजना	बीओएस	- बैंकिंग लोकपाल योजना
ईई	- उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	बीपीएसएस	- भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड
एएफसी	- आस्ति वित्त कंपनियां	बीआरबीएनएमपीएल	- भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड
एएचआईडीएफ	- पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि	बीआरआरडी	- बैंक बहाली और समाधान दिशानिदेश
एआईएफआई	- अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं	बीएसबीडीए	- बुनियादी बचत बैंक जमा खाते
एएमएल	- धन-शोधन निवारण	बीएसआर	- मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी
एएमआरएमएस	- लेखापरीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली	सीएसीपी	- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
एएनबीसी	- समायोजित निवल बैंक ऋण	सीबीएलओ	- संपार्श्विकीकृत उधार लेन-देन संबंधी दायित्व
एएनओवीए	- भिन्नता विश्लेषण	सीबीओई	- चिकागो बोर्ड ऑफ़शन्स एक्सचेंज
एपीएमसी	- कृषि उपज बाजार समितियां	सीबीआर	- प्रतिनिधि बैंकिंग संबंध
एआरसी	- आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां	सीसीबी	- पूंजी संरक्षण बफर
एआरएमएस	- लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति	सीसीबी	- केंद्रीय बोर्ड की समिति
एटीबी	- नीलामी खजाना बिल	सीसीसी	- प्रमाणित ऋण सलाहकार
एयूएम	- प्रबंधनाधीन आस्तियां	सीसीपी	- केंद्रीय प्रतिपक्षकार
बीए	- कारोबारी क्षेत्र	सीसीएस	- उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण
बीबीएफ	- ब्रिक्स बॉन्ड कोष	सीडीईएस	- करेंसी वितरण और विनिमय योजना
बीबीपीओयू	- भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई	सीडीआर	- कॉर्पोरेट कर्ज पुनर्चना
बीबीपीएस	- भारत बिल भुगतान प्रणाली	सीडीएस	- क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप
बीसी	- कारोबारी प्रतिनिधि	सीईओबीई	- तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर की ऋण समतुल्य राशि
बीसीबीएस	- बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति	सीईओ	- मुख्य कार्यपालक अधिकारी
बीसीएम	- कारोबार निरंतरता प्रबंधन		
बीसीपी	- बासेल मूल सिद्धान्त		
बीसीपी	- कारोबार निरंतरता योजना		
बीएफएस	- वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड		

संक्षेपाक्षर सूची

सीईपीडी	- उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	सीएसएफ	- समेकित ऋण-शोधन निधि
सीएफएल	- वित्तीय साक्षरता केंद्र	सीएसआईटीई	- साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जांच
सीएफआर	- केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री	सीटीएस	- चेक ट्रंक्शन प्रणाली
सीएफटी	- आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला करना	सीयू	- क्षमता उपयोग
सीएफटीसी	- कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन	सीवीपीएस	- मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली
सीजीएफएस	- वैश्विक वित्तीय प्रणाली समिति	सीडब्ल्यूबीएन	- बेलनाकर वॉटरमार्कयुक्त बैंक नोट
सीआईएमएस	- केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली	डीबीटी	- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
सीआईआर	- ऋण सूचना रिपोर्ट	डीडीओएस	- सेवाओं की वितरित अनुपलब्धता
सीआई	- ऋण संस्थाएं	डीजीएफटी	- विदेश व्यापार महानिदेशालय
सीआईएसबीआई	- बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली	डीजीएस	- डेटा गवर्नेन्स सब ग्रुप
सीएल	- आकस्मिक देयताएं	डीआईए	- निक्षेप बीमा एजेंसियां
सीएलएसएस	- ऋण सहबद्ध आर्थिक सहायता योजना	डीआईएफ	- निक्षेप बीमा निधि
सीएमएस	- शिकायत प्रबंधन प्रणाली	डीएलटी	- डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलोजी
सीपी	- वाणिज्यिक पत्र	डीएसजीई	- डाइनैमिक स्टोकेस्टिक जनरल ईक्विलिब्रीअम
सीपीसी	- केंद्रीय वेतन आयोग	ईबीआईटीडीए	- ब्याज, कर, मूल्यहास और ऋण परिशोधन पूर्व अर्जन
सीपीएमआई- आईओएससीओ	- भुगतान और बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर समिति-अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन	ईडीसी	- कार्यपालक निदेशकों की समिति
सीआरए	- आकस्मिक आरक्षित निधि व्यवस्था	ईडीएफ	- निर्यात घोषणा फॉर्म
सीआरएआर	- जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात	ईडीएमएस	- इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली
सीआरआईएलसी	- बड़े ऋणों के संबंध में केंद्रीय सूचना भंडार	ईडीपीएमएस	- निर्यात डेटा प्रक्रमण और निगरानी प्रणाली
सीआरआर	- आरक्षित नकदी निधि अनुपात	ईएफडी	- प्रवर्तन विभाग
सीएसएए	- स्व-नियंत्रण मूल्यांकन लेखापरीक्षा	ईकेपी	- उद्यम ज्ञान पोर्टल
सीएसबीडी	- कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग	ईएमई	- उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं
		ईआरएम	- उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन
		ईटीसीडी	- एक्सचेंज ट्रेड करेन्सी डेरिवेटिव
		एफएआईडीएफ	- मत्स्य-पालन और जलीय-कृषि हेतु ढांचागत विकास निधि

संक्षेपाक्षर सूची

एफएटीएफ	- वित्तीय कार्रवाई कार्यबल	जीएफसीई	- सरकारी अंतिम उपभोग व्यय
एफबीआईएल	- फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	जीएफएक्ससी	- वैश्विक विदेशी मुद्रा समिति
एफसी	- वित्त आयोग	जीएमएम	- जेनेरलाइज्ड मेथड ऑफ मोमेन्ट्स
एफसीए	- विदेशी मुद्रा आस्तियां	जीएनडीआई	- सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय
एफसीसीबी	- विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड	जीआरएफ	- गारंटी उन्मोचन निधि
एफसीएनआर(बी)	- विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता जमाराशियां	जीआरक्यू	- कोटे की सामान्य समीक्षा
फेमा	- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम	जी-सेक	- सरकारी प्रतिभूतियां
एफईआर	- विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि	जीएसटीएन	- माल और सेवा कर नेटवर्क
एफआईएसी	- वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति	जीवीए	- योजित सकल मूल्य
एफआईसीएन	- जाली भारतीय करेन्सी नोट	एचएपी	- हैम्बर्ग कार्य योजना
एफआईपी	- वित्तीय समावेशन योजना	एचएफसी	- आवास वित्त कंपनी
एफएलसी	- वित्तीय साक्षरता केंद्र	एचएलसीसीएसएम	- मुद्रा भंडारण और संचलन पर उच्च स्तरीय समिति
एफएमसीबीजी	- वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर	एचक्यूएलए	- उच्च गुणवत्तावाली तरल आस्तियां
एफएमआई	- वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर	एचआरआईडीएवाई (हृदय)	- राष्ट्रीय विरासत शहर का विकास और संवर्धन योजना
एफपीआई	- विदेशी संविभाग निवेश/ निवेशक	एचआरएमएससी	- मानव संसाधन प्रबंधन उप-समिति
एफपीओ	- कृषक उत्पादक संगठन	एचटीएफ	- उच्च स्तरीय कार्यबल
एफआरबी	- अस्थायी दर बॉन्ड	एचटीएम	- परिपक्वता तक धारित
एफएसएपी	- वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम	आईएसी	- आंतरिक सलाहकार समिति
एफएसबी	- वित्तीय स्थिरता बोर्ड	आईएडीआई	- जमा बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ
एफएसडीसी	- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद	आईबीबीआई	- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
एफएसआर	- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	आईबीसी	- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता
एफएसएसए	- वित्तीय प्रणाली स्थिरता मूल्यांकन	आईसीसीओएमएस (आइकोम्स)	- एकीकृत कम्प्यूटरीकृत मुद्रा परिचालन प्रबंधन प्रणाली
एफडब्ल्यूजी	- फ्रेमवर्क कार्यदल	आईडीआरबीटी	- बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान
जीएआरसीएच	- जेनेरलाइज्ड ऑटोरिग्रेसिव कंडीश्रल हेटरोस्केडस्टिसिटी	आईईपीएफ	- निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि
जीसीसी	- सामान्य क्रेडिट कार्ड	आईईएसएच	- हाउसहोल्ड का मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण

संक्षेपाक्षर सूची

आईएफए	- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना	आईडब्ल्यूजी	- इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यदल
आईएफआरएस	- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक	जेएलएफ	- संयुक्त उधारदाताओं का मंच
आईएफटीएस	- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं	जेटीसीसी	- संयुक्त तकनीकी समन्वय समिति
आईआईबी	- मुद्रास्फीति सूचीबद्ध बॉन्ड	एलएएफ	- चलनिधि समायोजन सुविधा
आईएमडी	- भारतीय मौसम विभाग	एलबीएस	- अग्रणी बैंक योजना
आईएमएफसी	- अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति	एलसीआर	- चलनिधि कवरेज अनुपात
आईएनवीआईटी	- इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश न्यास	एलईआई	- विधिक संस्था पहचान संख्या
आईओएस	- औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण	एलएफएक्ससी	- स्थानीय विदेशी मुद्रा समिति
आईपीसीसीटीवी	- इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित सीसीटीवी	एलआईबीओआर - (लाइबोर)	- लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर
आईपीओ	- प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव	एलआईसी	- कम-आय वाले देश
आईआरएसी	- आय मान्यता और आस्ति वर्गीकरण	एलपीए	- दीर्घावधि औसत
आईआरएफ	- ब्याज दर फ्यूचर्स	एलएसई	- लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स
आईआरओ	- ब्याज दर ऑप्शन्स	एलटीसीजी	- दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ
आईआरटीजी	- अंतर-नियामक तकनीकी समूह	एलटीवी	- दीर्घावधि बीजा
आईएस	- सूचना प्रणाली	एमडीआर	- व्यापारी बट्टा दर
आईएसआईएन	- अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या	एमईपी	- न्यूनतम निर्यात मूल्य
आईएसओ	- अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन	एमजीएनआरईजीएस (मनरेगा)	- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
आईएसओसी	- सूचना सुरक्षा परिचालन केंद्र	एमआईएफओआर	- मुंबई अंतर-बैंक वायदा प्रस्ताव दर
आईएसएस	- एकीकृत सुरक्षा प्रणाली	एमआईओआईएस	- मुंबई अंतर-बैंक एक दिवसीय सूचीबद्ध स्वैप
आईटी	- मुद्रास्फीति लक्ष्य	एमएलआई	- सदस्य उधार संस्थाएं
आईटी	- सूचना प्रौद्योगिकी	एमओयू	- सहमति ज्ञापन
आईटी-एससी	- सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति	एमपीसी	- मौद्रिक नीति समिति
आईयू	- सूचना उपयोगिता	एमआरओआर	- बाजार रिपो एक दिवसीय दर
आईवीआरएस	- संवादात्मक आवाज पहचान प्रणाली	एमएसएफ	- सीमांत स्थायी सुविधा
		एमएसएमई	- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
		एमएसएस	- बाजार स्थिरीकरण योजना
		एमटीडीएस	- मध्यावधि कर्ज कार्यनीति

संक्षेपाक्षर सूची

एमयूएनएफआई	- गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता जगत की निगरानी	पीओएस	- बिक्री केंद्र
एनएसीएच	- राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह	पीपीएसी	- पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण कक्ष
एनबीएफसी-एए	- एनबीएफसी-लेखा समूहक	पीपीए	- विद्युत क्रय करार
एनबीएफसी-डी	- जमाराशि लेनेवाले एनबीएफसी	पीपीआई	- प्रीपेड भुगतान लिखत
एनबीएफसी-एनडी	- जमाराशि न लेनेवाले एनबीएफसी	पीक्यूबीएन	- पूर्व-योग्यता बोली नोटिस
एनबीएफसी-एनडी-एसआई	- जमाराशि न लेनेवाले प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी	पीएसएलसी	- प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र
एनबीएफसी-पी2पी	- एनबीएफसी समकक्षीय उधार प्लेटफॉर्म	पीएसओ	- भुगतान प्रणाली परिचारक
एनसीएफई	- राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र	क्यूआईपी	- अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन
एनआईसी	- राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण	आरएम-ओआर	- जोखिम मूल्यांकन कार्यप्रणाली-परिचालनात्मक जोखिम
एनओएफ	- निवल स्वाधिकृत निधि	आरबीआईए	- जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा
एनपीसीआई	- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम	आरबीएससी	- रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय
एनएसएसएफ	- राष्ट्रीय लघु बचत निधि	आरसीए	- प्रकट तुलनात्मक लाभ
ओबीआईसीयूएस	- क्रयादेश पुस्तक, स्टॉक और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण	आरईआईआर (रीर)	- वास्तविक प्रभावी विनिमय दर
ओसीआई	- भारत के समुद्रपारिय नागरिक	आरजीजी	- प्रतिलाभ अभिशासन समूह
ओएमओ	- खुले बाजार के परिचालन	आरएचएफ	- ग्रामीण आवास निधि
ओटीसी	- ओवर द काउंटर	आरएमपी	- अभिलेख प्रबंधन नीति
ओवीडी	- आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज	आरआर	- जोखिम रजिस्टर
पीएडीओ	- लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	आरटीएफ	- जोखिम सहनशीलता फ्रेमवर्क
पीसीए	- त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई	एस4ए	- दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय संरचना योजना
पीसीआर	- पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री	एसएएनकेएएलपी (संकल्प)	- आजीविका उन्नयन हेतु कौशल अधिग्रहण एवं ज्ञान जागरूकता
पीएफएमई	- वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर सिद्धान्त	एसएआरएफईएसआई (सरफेसी)	- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन
पीएलएफ	- प्लान्ट लोड फैक्टर	एसएआरटीटीएसी	- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र
पीएलआई	- प्राथमिक उधारदात्री संस्थाएं	एसएयूबीएचएजीवाईए (सौभाग्य)	- प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना
पीएमएल	- धन शोधन निवारण	एसबीएलए	- प्रतिभूति लेन-देन व्यवस्था
पीओपी	- प्वाइंट ऑफ प्रेजेन्स	एसबीएन	- विनिर्दिष्ट बैंक नोट

संक्षेपाक्षर सूची

एससी	- अनुसूचित जाति	एसएसडीपी	- सान्तर अधिशेष वितरण नीति
एसडीएफ	- विशेष आहरण सुविधा	एसटीआरआईपीएस	- प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग
एसडीएफ	- स्थायी जमा सुविधा	एसटीआरआईवीई	- औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढीकरण
एसडीआर	- कार्यनीतिक कर्ज पुनर्रचना योजना	एसयूटी	- आपूर्ति उपयोग सारणी
एसडीआरएफ	- राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	टीएसएस	- सर्वेक्षण पर तकनीकी सलाहकार समिति
एसईबीआई (सेबी)	- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड	टीएफसीयूबी	- शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल
एसईसी	- प्रतिभूति और विनियम आयोग	टीएजी	- तकनीकी परामर्श समूह
एसएफ	- स्थायी सुविधाएं	टीआर	- व्यापार रिपोर्टिग
एसजीबी	- सरकारी स्वर्ण बॉन्ड	टीआरआईडीसी	- प्राप्य व्यापार राशि बट्टा प्रणाली
एसएचजी	- स्वयं सहायता समूह	यूआरसी	- बैंक रहित ग्रामीण केंद्र
एसआईएफआई	- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं	वीए-पीटी	- संवेदनशीलता आकलन एवं भेद्यता परीक्षण
एसएलबीसी	- राज्य स्तरीय बैंकर समिति	वीसी	- आभासी मुद्राएं
एसएलसीसी	- राज्य स्तरीय समन्वयन समिति	डब्ल्यूएसीआर	- भारत औसत काल रेट
एसएमई	- लघु और मध्यम उद्यम	डब्ल्यूएडीआर	- भारत औसत बट्टा दर
एसपीएआरसी	- जोखिम और पूंजी के आकलन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम	डब्ल्यूईआईआर	- भारत औसत प्रभावी ब्याज दर
एसपीएमसीआईएल	- सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	डब्ल्यूएलए	- व्हाइट लेबल एटीएम
एसआरएमआर	- एकल समाधान तंत्र विनियमन	डब्ल्यूएलएओ	- व्हाइट लेबल एटीएम परिचारक
एसएससीआई	- सेवा क्षेत्र का संयुक्त सूचकांक	एक्सबीआरएल	- एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज

यह रिपोर्ट इंटरनेट URL: www.rbi.org.in
पर देखी जा सकती है

भाग एक : अर्थव्यवस्था – समीक्षा और संभावनाएं

I

आकलन और संभावनाएँ

1.1 वर्ष 2017-18 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में जारी संवृद्धि, वैश्विक व्यापार में चक्रीय उछाल और सामान्यतः कारोबारी उत्साह से भरे वित्तीय बाजारों वाले वातावरण में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी रही और व्यापक रूप से आर्थिक स्थिरता बनी रही। यद्यपि वास्तविक जीडीपी संवृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कुछ धीमी रही, किंतु पूंजी निर्माण तथा निर्माण गतिविधियों में बहाली के साथ ही रिकॉर्ड कृषि उत्पादन के कारण निकट भविष्य का परिदृश्य काफी उत्साहवर्धक लगता है। कुल मिलाकर (1) लगातार पांचवें साल मुद्रास्फीति नियमित रूप से कम होकर 2017-18 में लक्ष्य से कम रहने (ii) चालू खाता घाटे के जीडीपी के 1.9 प्रतिशत के संतुलित स्तर पर बने रहने, और (iii) लोक वित्त में एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार - वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को दृढ़तापूर्वक लागू करने से वर्ष 2018-19 संभावनाशील बना हुआ है। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक वस्तुओं - विशेषतः कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती आना, वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों में सख्ती आने के प्रभाव, भू-राजनैतिक तनावों, सीमाओं पर तेज़ होते व्यापारिक संघर्ष की सरगर्मी, वित्तीय अव्यवस्था तथा घरेलू बैंकिंग और कॉर्पोरेट तुलनपत्रों में हानि की स्थिति जारी रहना प्रमुख नकारात्मक जोखिमों के रूप में उभरे हैं।

1.2 इनमें से अनेक जोखिमों के पैदा हो जाने के कारण वर्ष 2018-19 की शुरुआत में काफी उथल-पुथल रही। लगातार

हो रहे विदेशी पोर्टफोलियो बहिर्वाहों से जुड़े वित्तीय बाजारों में आयी अनिश्चितता ने एक आस्तित्व श्रेणी के रूप में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को अस्थिर कर दिया और भारत भी इन वैश्विक घटनाओं से अछूता नहीं रहा। फिर भी, कुछ ऐसे देश-विशिष्ट कारक हैं, जिनके कारण भारत पर इनका प्रभाव वैसा नहीं पड़ा है। वास्तविक क्षेत्र में लगातार तीसरे वर्ष सामान्य मानसून के कारण कृषि उत्पादन बढ़ने के आसार हैं। नए व्यवसायों, घरेलू और निर्यात दोनों प्रकार के आर्डरों, क्षमता के बढ़ते उपयोग तथा मालसूचियों में कमी आने से विनिर्माण गतिविधियों को बल मिला है। सेवा क्षेत्र में संवृद्धि के संवेग व्यापक हो रहे हैं तथा रोजगार स्थितियां बढ़ने से मांग की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद जगी है। आरंभिक संकेतक उपभोक्ता मांग के मजबूत रहने का संकेत करते हैं। कैपेक्स चक्र के पुनः प्रारंभ होने तथा पहली तिमाही में निर्यातों में मजबूत बढ़ोतरी के साथ ही निवेशों में हो रही निरंतर वृद्धि से सकल घरेलू मांग भी बढ़ रही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए भारत एक पसंदीदा देश बना हुआ है।

1.3 समय आ गया है जब संरचनागत सुधारों को गति दी जाए, जिससे संवृद्धि को नयी ऊर्जा मिलेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था को धारणीय उच्चतर संवृद्धि के पथ पर ले जाया जा सकेगा। बैंकिंग प्रणाली में व्याप्त भीषण दबाव को दूर करने और उसका समाधान करते हुए कॉर्पोरेट कर्ज को सहारा प्रदान करने के लिए दृढ़संकल्प प्रगति से ही वित्तीय प्रवाह पुनः प्रारंभ किए जा सकेंगे और उसका उपयोग उत्पादक प्रयोजनों के लिए

* भारतीय रिज़र्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई-जून है, लेकिन कई चरों से संबंधित आंकड़े वित्तीय वर्ष, अर्थात् अप्रैल-मार्च के आधार पर उपलब्ध होते हैं। अतः आंकड़ों का विश्लेषण वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया है। जहाँ उपलब्ध हो सके, वहाँ मार्च 2018 के बाद के आंकड़े शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की गयी है। विश्लेषण के प्रयोजन से तथा नीतियों का उचित परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए इस रिपोर्ट में आवश्यकतानुसार पिछले वर्षों के तथा भावी अवधि के संदर्भ भी दिए गए हैं।

किया जा सकेगा। यह समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता कायम रखने के साथ संवृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।

1.4 इसी पृष्ठभूमि में, इस अध्याय के शेष भाग में विगत वर्ष की विशिष्ट ध्यान देने योग्य गतिविधियों पर चर्चा की गई है। उनको ध्यान में रखते हुए वर्ष 2018-19 और निकटवर्ती अवधि में कार्यान्वित होने योग्य परिदृश्य को उकेरा गया है।

आकलन : 2017-18

1.5 विमुद्रीकरण तथा जीएसटी क्रियान्वयन के विलंबित परिणामों के बावजूद वर्ष 2017-18 में भारतीय अर्थव्यवस्था के संवृद्धि पथ में कई उतार-चढ़ाव आए। दूसरी तिमाही से ही सुधार के संकेत मिलने लगे थे, जो वास्तविक जीडीपी की परिणामी वृद्धि में दिखाई दिए। पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 13 तिमाहियों के न्यूनतम स्तर 5.6 प्रतिशत पर थी लेकिन दूसरी तिमाही में बहाली के अंकुर प्रस्फुटित हुए जिसे क्रमिक रूप बढ़ती जीडीपी में देखा जा सकता है जो चौथी तिमाही में 7.7 प्रतिशत हो गई। इसमें सकल नियत पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक रहा, जिसमें चार तिमाहियों की नरमी के बाद दूसरी तिमाही से लेकर चौथी तिमाही तक वृद्धि दर्ज की गई। भरपूर फसल के बल पर बढ़ी ग्रामीण माँग तथा ग्रामीण आवास और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकार द्वारा जोर देने के कारण निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीएफ) में सुधार हुआ। इसके विपरीत, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय से मिलने वाला सहारा पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ तथा निवल निर्यात के माध्यम से घरेलू माँग का रिसाव हुआ, जो एक वर्ष पूर्व के कम योगदान के विपरीत है। अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर को संभाले रखने वाले इन विविध कारकों को देखते हुए, यह तथ्य कि वास्तविक जीडीपी संवृद्धि की गति में आयी मंदी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर केवल 0.4 प्रतिशतता बिंदुओं तक रोक कर रख पाना यह दर्शाता है कि आघातों से उबरने की क्षमता हमारी अर्थव्यवस्था की चारित्रिक विशेषता है और यह संभवतः हमारी अर्थव्यवस्था के जीवन में एक नये युग के शुभारंभ का द्योतक है।

1.6 आपूर्ति पक्ष की बात करें तो, कृषि में खाद्यान्न और बागवानी में अब तक का सर्वाधिक उत्पादन दर्ज किया गया।

आपूर्ति की इस अनुकूल स्थिति के साथ ही, आयातों के परिणामस्वरूप प्रमुख फसलों, जैसे चावल, गेहूँ, दालों और तिलहनों में अतिरिक्त आपूर्ति की स्थितियां बनीं, जिससे दालों और तिलहनों की कीमतों में अपस्फीति लंबे समय तक बनी रही तथा चावल और गेहूँ का बफर स्टॉक रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया- जो पाँच वर्ष में सर्वाधिक था। तथापि, इस आपूर्ति भरमार के भार तले कृषि क्षेत्र की व्यापारिक परिस्थितियों में हुआ अत्यधिक क्षरण चिंता का विषय बना। वर्ष की दूसरी छमाही में विनिर्माण क्षेत्र में मंदी के बाद सुधार होना शुरू हुआ, जो पूंजीगत वस्तुओं, इन्फ्रास्ट्रक्चर / निर्माण वस्तुओं तथा अर्धनिर्मित वस्तुओं द्वारा प्रेरित था। लगातार दो वर्षों तक रही गिरावट का क्रम टूटा और सेवा क्षेत्र गतिविधि में व्यापक सुधार दर्ज किया गया। इस संदर्भ में, एक लंबी अवधि के ठहराव के बाद निर्माण क्षेत्र में आयी बहाली, विशेष रूप से रोजगार-निर्माण जैसे सकारात्मक बदलावों और निचले स्तरों पर उसके प्रभावों को देखते हुए उत्साहवर्धक है।

1.7 इन्फ्रास्ट्रक्चर गतिविधियां, जो भारत को मध्यम आय वाले देशों के समूह में ले जाने के लिए प्रेरक बल हो सकती हैं उनके संबंध में वर्तमान में जारी परियोजनाओं में तो गति आयी है किंतु सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में नयी परियोजनाओं की घोषणाएं सुस्त रहीं। हालांकि कतिपय उल्लेखनीय उपलब्धियां रही हैं। सड़क निर्माण क्षेत्र में, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण तथा पहले से मंजूर सड़कों की लंबाई में निरंतर वृद्धि ने उम्मीद की किरण कायम रखी। मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की नींव रखी गई तथा पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल-यातायात गलियारों के कार्य में प्रगति हुई। वायु यातायात के क्षेत्र में, कम सेवा प्राप्त तथा सेवा-रहित विभिन्न हवाई-अड्डों के लिए व्यवहार्यता अंतराल निधीयन के साथ फ्लाइट रूट प्रदान किए गए। स्मार्ट शहरों में स्मार्ट आदेश और नियंत्रण केंद्र (कमांड और कंट्रोल), स्मार्ट मीटर, स्मार्ट भवन, इंटेलिजेंट परिवहन प्रणालियां और स्मार्ट पार्कों जैसी विभिन्न परियोजनाएं शुरू कर दी गयी हैं। इसके अतिरिक्त, मार्च 2019 तक देश के हरेक परिवार तक बिजली पहुंचाने के मिशन के साथ प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आरंभ की गयी।

1.8 मूल्य स्थिति के संबंध में, खाद्यान्न कीमतों में अपस्फीति आने से नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) शृंखला में मुद्रास्फीति घटकर जून 2017 में अपने न्यूनतम स्तर पर आ गयी। उसके बाद घरेलू और वैश्विक गतिविधियों, जैसे अक्तूबर-नवंबर 2017 के दौरान सब्जियों की कीमतों में आयी गैर मौसमी तेजी; सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते (एचआरए) के संवितरण और वैश्विक पण्य मूल्यों में आयी मजबूती ने मिलकर मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया। चौथी तिमाही में खाद्यान्न कीमतों में देर से आयी, परंतु लंबे समय तक बनी रही नरमी से राहत मिली और वर्ष के अंत में न्यूनतम औसत वार्षिक मुद्रास्फीति घटकर 3.6 प्रतिशत रह गयी जो 2012-13 से लेकर अब तक का न्यूनतम स्तर था।

1.9 मौद्रिक नीति के निर्धारण की बात करें तो, वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही के दौरान खाद्यान्न और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति में आयी भारी गिरावट तथा उत्पादन अंतराल गतिशीलता ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को यह गुंजाइश प्रदान की कि अगस्त 2017 में नीतिगत रिपो दर में 25 आधार अंकों (बीपीएस) की कमी की जाए। तथापि, आगामी महीनों में मुद्रास्फीति के ऊंचे होते प्रक्षेप-पथ ने संवृद्धि और मुद्रास्फीति के संतुलन की दुविधा बढ़ा दी। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप एमपीसी ने तटस्थता का रुख बनाए रखते हुए शेष वर्ष के लिए नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा।

1.10 मौद्रिक नीति रुख के अनुरूप ही चलनिधि प्रबंधन परिचालनों द्वारा प्रणाली में मौजूद चलनिधि को इस प्रकार नियंत्रित करने का प्रयास किया गया कि लगातार बनी हुई अधिशेष की स्थिति समाप्त हो और तटस्थता की स्थिति के करीब पहुंचा जा सके। इसके लिए चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत विभिन्न अवधियों के लिए रिपो/ रिवर्स रिपो परिचालनों तथा एकमुश्त खुले बाजार परिचालनों सहित विभिन्न साधनों का प्रयोग किया गया। अंततः फरवरी-मार्च 2018 के दौरान सरकारी व्यय में कमी आने तथा बड़ी मात्रा

में हुए कर संग्रह से चलनिधि में कमी की स्थिति आयी, परिणामस्वरूप, रिजर्व बैंक को कुछ समय के लिए चलनिधि अंतर्वेशन की प्रक्रिया अपनानी पड़ी।

1.11 वर्ष 2017-18 के दौरान नीतिगत दरों के माध्यम से बैंकों की जमा और उधार दरों तक मौद्रिक संचरण में सुधार हुआ, जिसे विमुद्रीकरण की वजह से चलनिधि में आयी कमी से बल मिला, किंतु यह विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न बैंक समूहों में एकसमान नहीं रही। आस्ति-गुणवत्ता संबंधी चिंताओं और ऋण देने की गतिविधियों में आयी जोखिम-विमुखता के कारण, विशेष रूप से रुपये में अंकित नये ऋणों की उधार दरों में होने वाली कमी की गति को प्रभावित किया।

1.12 राजकोषीय नीति की बात करें तो, राजस्व में कम वृद्धि और बढ़े हुए राजस्व व्यय के कारण केंद्र और राज्यों की संयुक्त राजकोषीय स्थिति बजट में किए गए प्रावधानों को देखते हुए कुछ खराब रही। केंद्र के संबंध में, जीएसटी के विलंब से क्रियान्वित होने के कारण अप्रत्यक्ष करों की कम वसूली; स्पेक्ट्रम नीलामी आस्थगित किए जाने के कारण गैर-कर राजस्व में गिरावट; तथा कम लाभांश प्राप्ति के कारण राजस्व प्रभावित हुआ। इसके चलते राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पूंजीगत व्यय में कटौती करना बाध्यकारी हो गया। हालांकि 2017-18 के बजट के अनुसार राज्य-वित्त में सुधार होना था, तथापि संशोधित अनुमान मुख्यतः राज्यों के अपने कर राजस्व में कमी होने और किसानों की कर्ज माफी तथा वेतन आयोग की वेतन और पेंशन संबंधी सिफारिशें लागू करने के कारण राजस्व व्यय में हुई बढ़ोतरी से प्रभावित हुए। इन गतिविधियों के साथ-साथ वैश्विक बांडों की बिक्री से सरकारी प्रतिभूति बाजार में 10 वर्षीय बांड प्रतिफल 30 जनवरी 2018 के 7.40 प्रतिशत से बढ़कर 5 मार्च 2018 को 7.78 प्रतिशत हो गये जिसने कॉर्पोरेट बांड बाजार को भी प्रभावित किया।

1.13 चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण के बावजूद 2017-18 में भारत का विदेशी कारोबार क्षेत्र उत्थानशील रहा। गैर-तेल आयातों के तुलनात्मक रूप से बढ़ने के साथ ही व्यापार की स्थिति बिगड़ने, विशेषतः कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण व्यापार घाटा बढ़कर पाँच साल के सर्वाधिक स्तर पर पहुँच गया। सेवाओं के निर्यातों और विप्रेषणों ने इस वृद्धि की भरपाई की तथा चालू खाता घाटे (सीएडी) को वहनीय सीमाओं में रखा। निवल पूंजी अंतर्वाह-मुख्यतः विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और पोर्टफोलियो निवेश के रूप में - सीएडी से अधिक रहा और इससे वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में वृद्धि हुई। इन गतिविधियों को अंतर्निहित आधारभूत विशेषताओं के रूप में प्रतिबिंबित करते हुए भारतीय रुपये (आईएनआर) की विनिमय दर सांकेतिक प्रभावी दर पर वर्ष के दौरान 3.1 प्रतिशत बढ़ी। आईएनआर में वास्तविक वृद्धि 4.5 प्रतिशत रही।

1.14 मुद्रा, विदेशी मुद्रा और नियत आय बाजारों की गतिविधियों के विपरीत, भारतीय इक्विटी बाजार में जो तेजी विगत वर्ष शुरू हुई थी, उसके कारण 2017-18 के दौरान बेंचमार्क इक्विटी सूचकांकों में 10 प्रतिशत से भी अधिक उछाल आया। जनवरी 2018 में शीर्ष पर पहुंचने के बाद फरवरी- मार्च 2018 के दौरान यूएस द्वारा रोजगार और मुद्रास्फीति संबंधी डेटा के प्रकाशन के परिणामस्वरूप यूएस बाडों के प्रतिफल में आयी बढ़ोतरी और व्यापार-संघर्ष जनित चिंताओं से बाजार में उल्लेखनीय गिरावट आयी।

1.15 वित्तीय क्षेत्र में रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र में जल्दी-जल्दी परिवर्तन किए गए जिसने वर्ष के दौरान मौद्रिक और वित्तीय स्थितियों को प्रभावित किया। इसके पीछे कारण यह था कि पुनर्मुद्रीकरण की गति तीव्र होने के साथ ही प्रथमतया संचलन में करेंसी (सीआईसी) का विस्तार होने के कारण आरक्षित मुद्रा संवृद्धि प्रेरित हुई और अंततः, मार्च 2018 में संचलन में करेंसी विमुद्रीकरण पूर्व के स्तर से भी अधिक हो गयी। इसके परिणामस्वरूप, संचलनगत मुद्रा की गतिशीलता क्रमिक रूप से मंद हुई और वह अपनी स्थायी प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हुई।

मुख्यतः निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा चालित ऋण संवृद्धि, जो वर्ष 2016-17 में ऐतिहासिक रूप से कम स्तर पर पहुंच गयी थी, उसमें पुनः बहाली हुई और नवंबर 2017 से यह द्विअंकीय वृद्धि दर को पार कर गयी और यह एक बार फिर से वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीयन के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरी। ऋणों में वृद्धि उल्लेखनीय रही; यहाँ तक कि उद्योगों को देय ऋण में भी वृद्धि हुई तथा वैयक्तिक ऋणों और सेवा क्षेत्र को ऋण में वृद्धि, बैंक ऋणों की समग्र वृद्धि से भी अधिक रही। ऋण चूक के स्तर के साथ ही पूंजी अपेक्षाओं के कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ऋण प्रवाह बाधित हुए।

1.16 बैंकिंग प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियां [सकल अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) तथा पुनर्चित मानक अग्रिम] मार्च 2018 के अंत में सकल अग्रिमों के 12.1 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी रहीं। एनपीए के कारण प्रावधानीकरण में हुई वृद्धि तथा प्रतिफल घटने के कारण मार्क टु मार्केट (एमटीएम) खजाना हानि के संयुक्त प्रभाव से बैंकों की लाभप्रदता में क्षरण हुआ जिसके परिणामस्वरूप निवल हानि हुई। इस पर रिज़र्व बैंक ने अग्र-सक्रियता दिखाते हुए बैंकों को अपनी एमटीएम हानि को तीसरी तिमाही से प्रारंभ करते हुए चार तिमाहियों में बांटकर दर्शाने की अनुमति दी। आगे चल कर, रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए दबाव परीक्षण यह बताते हैं कि मौजूदा आर्थिक स्थिति के आधाररेखीय अनुमानों के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का जीएनपीए अनुपात 2018-19 में और अधिक बढ़ सकता है।

1.17 आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आने और बासेल III के प्रगामी क्रियान्वयन के कारण अधिक बफर की आवश्यकता के चलते संकटग्रस्त पीएसबी को पुनर्पूजीकरण बांडों के निर्गमन तथा बजटीय सहायता के माध्यम से पूंजी प्राप्त हुई। आरबीआई का संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क अप्रैल 2017 में प्रभावी हुआ। अब तक इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत रखे गये ग्यारह पीएसबी के परिचालनों को सीमित किया गया है तथा आगे पूंजी के और अधिक क्षरण को रोकने की दृष्टि से उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई योजना के अंतर्गत रखा गया है। वर्ष के

दौरान रिज़र्व बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय संरचना योजना (एस4ए), कार्यनीतिक ऋण पुनर्रचना योजना (एसडीआर), कॉर्पोरेट ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) और संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) जैसी पहले से चल रही योजनाओं के स्थान पर संशोधित/सुसंगत दिशानिर्देश भी बनाए हैं। निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) संबंधी अंतिम दिशानिर्देश भी मई 2018 में जारी किए गए ताकि बैंकों को संभावित चलनिधि संबंधी बाधाओं से बचाव के लिए टिकाऊ बफर बनाने की तैयारी के लिए आधार दिया जा सके। बैंकों को उनके बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं, जिसमें उनकी मूल संस्थाएं, अनुषंगियां और सहयोगी कंपनियाँ शामिल हैं, के लिए चरणबद्ध रूप से विधिक संस्था पहचान संख्या (एलईआई) प्राप्त करने के निदेश भी दिए गए। इससे बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डेटा की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार होने की आशा है। वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंताएं सामने आने से विनियमित संस्थाओं को अप्रैल 2018 से आभासी मुद्राओं (वर्चुअल करेंसी) के सौदे करने तथा ऐसे सौदे करने वालों को सेवा उपलब्ध कराने या किसी भी व्यक्ति या संस्था के साथ आभासी मुद्राओं में सौदे या निपटान करने से प्रतिबंधित कर दिया गया।

1.18 बैंकिंग क्षेत्र से बाहर की बात करें तो, 01 अप्रैल 2017 से एनबीएफसी - एनडी-एसआई (जमाराशियां स्वीकार न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी) तथा जमाराशियां स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी से विनियामक द्वारा निर्धारित 15 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत न्यूनतम टियर 1 पूंजी बनाए रखना अपेक्षित है। इसकी तुलना में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने 2017-18 में लाभप्रदता संकेतकों, आस्तित्व गुणवत्ता में सुधार को बनाए रखते हुए दोहरे अंकों में संवृद्धि जारी रखी। रिज़र्व बैंक ने सरकार के स्वामित्व वाली एनबीएफसी को विनियामक और सांविधिक प्रावधानों से प्रदत्त छूट को वापस लेने का निर्णय भी लिया जिससे वे अन्य एनबीएफसी के समकक्ष हो गयीं। इससे इस क्षेत्र में एक समान अवसर स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

संभावनाएं : 2018-19

1.19 वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2018 की पहली छमाही में तीव्र गति से विस्तार हुआ। विकसित अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में कारोबारी गतिविधियां, श्रम बाजारों में श्रमिकों की निरंतर बढ़ती कमी, मजबूत पण्य कीमतों तथा सुदृढ़ व्यापार गतिशीलता से संचालित रहीं। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई) पहली तिमाही में ईई से आगे थीं किंतु व्यापार संघर्षों, यूएस में बढ़ती हुई ब्याज दरों, भू-राजनैतिक तनावों तथा कच्चे तेल की कीमतों में न थमने वाली तेजी के सम्मिलित प्रभाव से उत्पन्न जोखिम-विमुखता से पूंजी प्रवाह के बहिर्गमन के कारण दूसरी तिमाही में वे कुछ पीछे रह गयीं। वर्ष 2018 में वैश्विक संवृद्धि वर्ष-दर-वर्ष 0.2 प्रतिशतता अंकों से बढ़ कर 3.9 प्रतिशत होने और 2019 में उसी स्तर पर बने रहने की उम्मीद है। ऐसा अनुमान है कि यूएस में विस्तारवादी राजकोषीय नीति के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव तथा पण्य निर्यातकों के लिए निर्धारित व्यापार की शर्तों के कारण होने वाले लाभ जैसे कारक प्रमुख प्रेरक रहे हैं। हालांकि वित्तीय जगत के क्रमशः मुश्किल होते हालात, बढ़ते व्यापारिक तनावों और गहराते भू-राजनैतिक जोखिमों से विपरीत स्थितियों में इजाफा हो सकता है। वित्तीय बाजार उभरती बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं, जिनमें भारत भी शामिल है, के वित्त जगत और समष्टि आर्थिक जगत में इन वैश्विक प्रभावों का प्रसार करने के प्रमुख माध्यम के रूप में तेजी से उभर रहे हैं।

1.20 इस अस्थिर अंतरराष्ट्रीय परिवेश में, प्राप्त आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां दर्शाते हैं। आरंभ में दक्षिण-पश्चिमी मानसून धीमा रहा परंतु बाद में स्थितियां उलट गयीं और बड़े भूभाग पर भारी मात्रा में वर्षा होने की प्रतिक्रिया स्वरूप फसल-अंतराल कम हो रहे हैं। कुल मिलाकर, कृषि उत्पादन लगातार तीसरे वर्ष भी बढ़िया रहने की संभावना है। इस बीच, विनिर्माण और खनन, विशेषतः कोयला खनन, गतिविधियों में उछाल बने रहने से उद्योग में संवृद्धि के लक्षण मजबूत हो रहे हैं। कॉर्पोरेट्स से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, मूल्य-निर्धारण की शक्तियां वापस आ जाने के कारण उनकी बिक्री में भारी वृद्धि और लाभप्रदता में सुधार हो रहा

है। सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में भी तेजी आने के सभी कारण मौजूद हैं, जैसा कि अधिक बारंबारता वाले संकेतकों से स्पष्ट है। कोयला, खाद और सीमेंट में कारोबारी गतिविधियां बढ़ने के कारण रेलवे के राजस्व अर्जक मालवाहक परिवहन में तेजी आई है। इन्फ्रास्ट्रक्चर - सस्ते मकान; सड़कें तथा बंदरगाह बनाने के लिए सरकार द्वारा जोर लगाने – और सीमेंट के उत्पादन में जबरदस्त विस्तार को देखते हुए निर्माण में उछाल की प्रवृत्ति आगे चल कर भी बनी रहने की आशा है। उपभोग (शहरी और ग्रामीण, दोनों), निवेश तथा निर्यातों से बल मिलने के कारण समग्र मांग में निरंतर वृद्धि में अंतर्निहित जीवंतता बनी रहने की आशा है। वर्ष 2017 -18 की दूसरी छमाही में शुरू हुई संवृद्धि में तेजी के वर्ष 2018-19 की शेष अवधि में समेकित होने और मजबूत होने की आशा है। विकासशील आर्थिक स्थितियों को देखते हुए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि 2018-19 के लिए पिछले साल के 6.7 प्रतिशत की तुलना में एक-समान संतुलित जोखिमों के साथ बढ़कर 7.4 प्रतिशत होने की आशा है।

1.21 आगे चल कर, ऋण संवृद्धि में तेजी को दीवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के तत्वावधान में कॉर्पोरेट और बैंक, दोनों के तुलनपत्र पर दबाव का समाधान करने, पीएसबी के पुनर्पूजीकरण में हुई प्रगति तथा अर्थव्यवस्था के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से भी समर्थन मिलने की आशा है। वर्तमान में ऋण-से-जीडीपी का ऋणात्मक अंतराल यह दर्शाता है कि ऋण के अवशोषण तथा संधारणीय आधार पर बैंक ऋण देने के लिए काफी गुंजाइश है।

1.22 हेडलाइन मुद्रास्फीति, जो 2018-19 की पहली तिमाही में औसतन 4.8 प्रतिशत थी, में शेष वर्ष में अनेक स्रोतों से ऊर्ध्वगामी जोखिम का सामना किए जाने की संभावना है, जिसमें सतर्कता तथा उन दबावों को फैलने न देने की तैयारी निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता है। बढ़ती हुई वैश्विक पण्य कीमतें, विशेषतः कच्चे तेल की, तथा हाल की वैश्विक वित्तीय बाजार गतिविधियों के कारण इनपुट लागत पर दबाव बढ़ रहे हैं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा एचआरए में संशोधन किए जाने

के सान्तर प्रभाव के परिणामस्वरूप पड़ने वाले दूसरे चरण के प्रभावों द्वारा कीमतें बढ़ने का जोखिम हो सकता है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि खाद्यान्न कीमतें कैसे चलती हैं, और खाद्यान्न प्रबंधन कार्यनीतियां कितनी प्रभावकारी हैं।

1.23 रिजर्व बैंक द्वारा जून 2018 के सर्वेक्षण दौर में हाउसहोल्ड की मुद्रास्फीति प्रत्याशा में फिर से हुई वृद्धि को सावधानीपूर्वक देखने की आवश्यकता है – विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि मजदूरी-लागत चक्र न विकसित होने पाए। कुल मिलाकर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एचआरए प्रभाव को शामिल करते हुए मुख्य मुद्रास्फीति 2018-19 की दूसरी तिमाही में 4.6 प्रतिशत; दूसरी छमाही में 4.8 प्रतिशत और 2019-20 की पहली तिमाही में 5.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें जोखिम का एकसमान संतुलन किया गया है। एचआरए में संशोधन के प्रभाव को छोड़कर देखा जाए तो, मुख्य मुद्रास्फीति 2018-19 की दूसरी तिमाही में 4.4 प्रतिशत; दूसरी छमाही में 4.7-4.8 प्रतिशत और 2019-20 की पहली तिमाही में 5.0 प्रतिशत रही। मौद्रिक नीति समिति ने तटस्थता का रुख जारी रखते हुए मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं में वृद्धि के मद्देनजर नीतिगत रिपो दर में वर्ष 2018 के जून माह में और पुनः अगस्त में 25 आधार-अंकों की वृद्धि की। मौद्रिक नीति का परिचालन विकास-दर को बनाए रखते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत से +/- 2 प्रतिशत की सीमा में रखने के मध्यावधि लक्ष्य के साथ किया जाना जारी रहेगा।

1.24 वर्ष 2018-19 के संघीय बजट के समक्ष ओकैम्स रेजर वाली परिस्थितियाँ हैं। कर-निर्धारितियों विशेषतः नए करदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी से कर-जीडीपी अनुपात बढ़कर कम से कम समकक्ष स्तर पर आ सकता है। हालांकि जैसे-जैसे जीएसटी स्थिर होगा और गति पकड़ेगा, यह क्रमिक रूप से राजस्व बढ़ाएगा, किंतु कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि से संबद्ध व्यापार हानियों के कारण राजकोषीय स्थिति की सीमाएं बढ़ सकती हैं। इस बीच, कृषि और इन्फ्रास्ट्रक्चर

पर अधिक खर्च करने से वित्तीय बाधाएं आ सकती हैं। ऐसे परिवेश में, बाजार की स्थितियों तथा निवेशक की इच्छा पर निर्भर विनिवेश के लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने की नीति से राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) लक्ष्यों के अनुरूप राजकोषीय मीट्रिक्स की गुंजाइश है।

1.25 राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में, 2018-19 के बजट अनुमानों में राजस्व अधिशेष तथा कम राजकोषीय घाटे की परिकल्पना की गई है। तथापि, वर्ष के दौरान अनेक राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनजर बजट-प्रावधान से बाहर घोषित कृषि-कर्ज माफी का अतिरिक्त बोझ तथा वेतन/पेंशन/भत्तों में हुए संशोधन लागू होने के कारण राजकोषीय स्थिति के समक्ष जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। राजस्व जुटाना ही बजट-लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी है। जीएसटी राजस्व में अंतरिम कमी के लिए केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए क्षतिपूर्ति उपकर राज्य वित्त में राजस्व की दृष्टि से सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र और राज्यों का संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा वर्ष 2017-18 के 6.6 प्रतिशत के संशोधित अनुमानों से घटाकर 2018-19 में जीडीपी के 5.9 प्रतिशत तक लाने हेतु बजट प्रावधान किया गया है।

1.26 प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियां 2018-19 में भारत के बाह्य क्षेत्र को प्रभावित कर सकती हैं। वर्ष 2018-19 पहली तिमाही में निर्यातों में गति आने के बावजूद संरक्षणवादी नीतियों के फलस्वरूप बिगड़ते जा रहे वैश्विक व्यापार वातावरण के कारण बाहरी मांग प्रभावित हो सकती है। कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों और मजबूत हो रही घरेलू मांग के कारण आयात बिल बढ़ सकता है। भारत के निवल ऊर्जा आयातक होने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग आपूर्ति की बदलती हुई गतिकी भारत के व्यापार घाटे को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों के वैश्विक कारोबार परिवेश के अनुसार चलने के कारण सॉफ्टवेयर निर्यात मजबूत रहने की संभावना है। सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्ड, दोनों में विदेशी संविभाग निवेश सीमाओं में वृद्धि के कारण हानि-जोखिमों समायोजित बाह्य वित्तीय प्रवाह में वृद्धि की संभावना

बढ़ गई है। चालू खाता घाटे का वित्तीय मुख्यतः एफडीआई के प्रवाहों से किए जाने की संभावना है।

1.27 बैंकिंग प्रणाली की सेहत को बनाए रखने के लिए की गई कतिपय पहलें 2018-19 के दौरान अपने चरम पर पहुंचने की उम्मीद है। पहला, आईबीसी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए तथा दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए सुसंगत और सरलीकृत जेनेरिक फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता को देखते हुए दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए बना रिजर्व बैंक का नया फ्रेमवर्क परिणाम-उन्मुख है तथा पुनर्चना प्रक्रिया के निर्धारण में बैंकों को काफी लचीलापन देता है। अपेक्षा की जा रही है कि आईबीसी में हाल ही में किए गए संशोधनों के कारण उसके अंतर्गत निर्णय-लेने की क्षमता में सुधार होगा। समाधान-योजनाओं के अनुमोदन तथा कॉर्पोरेट शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अंतर्गत अवधि को बढ़ाने की सिफारिश सहित सभी प्रमुख निर्णयों के लिए ऋणदाता-समितियों की वोटिंग सीमा को 75 प्रतिशत से घटाकर 66 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा, रोजगार निर्माण तथा निर्यातों में उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए माइक्रो, छोटे तथा मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक विशेष व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है।

1.28 दूसरा, भारत की वित्तीय प्रणाली में संस्थागत सुधार तथा ऋण-सूचना उपलब्धता का कार्याकल्प किया जाना आवश्यक हो गया है। एक कार्यदल (अध्यक्ष: श्री यशवंत एम. देवस्थली) की सिफारिशों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि एक सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) बनायी जाएगी जिसकी कार्यप्रणाली निर्धारित करने का कार्य एक क्रियान्वयन कार्यदल (आईटीएफ) को सौंपा जाएगा।

1.29 तीसरा, रिजर्व बैंक ने विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री वाय. एच. मालेगाम) के मार्गदर्शन में बैंकों की सांविधिक लेखापरीक्षा के संचालन में पाई गई कमियों के लिए एक श्रेणीबद्ध प्रवर्तन कार्रवाई फ्रेमवर्क बनाया है, जो बैंकों के ऋण संविभाग में आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण में बड़ी भिन्नताओं के समाधान के साथ ही भारतीय बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी

की बढ़ती हुई घटनाओं का समाधान करेगा। जैसा कि वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष-विश्व बैंक की विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट में बताया गया है, बैंकिंग प्रणाली में स्वामित्व-निरपेक्ष विनियमन एवं पर्यवेक्षण में सहायता प्रदान करने वाले विधिक सुधारों के कारण रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी प्रवर्तन को और अधिक बल मिलेगा।

1.30 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के निकट भविष्य में होने वाले कार्यान्वयन के मद्देनजर बैंकों द्वारा की जाने वाली मात्रात्मक और गुणात्मक रिपोर्टिंग पर उनके प्रभाव की समीक्षा करते हुए पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क के साथ उनका संरेखण तथा एकीकरण किया जाएगा। रिजर्व बैंक में साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जांच कक्ष के विभिन्न पर्यवेक्षी कार्यों को करने के लिए और विवरणियों की निगरानी को पूर्णतः स्वचालित बनाने के लिए एक लेखापरीक्षा प्रबंधन एप्लीकेशन पोर्टल बनाने का विचार किया गया है, ताकि ऑफसाइट निगरानी प्रणाली की निरंतरता और कुशलता बनाये रखी जा सके।

1.31 भुगतान और निपटान प्रणाली की निगरानी करने के बैंक के अधिदेश को देखते हुए प्रणाली की कुशलता और सुरक्षा रिजर्व बैंक के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। डिजिटल भुगतानों को अपनाने पर बढ़ते हुए फोकस, अखिल भारतीय स्तर पर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता और उस तक पहुंच आज भी ऐसे महत्वपूर्ण कारक बने हुए हैं जो इस प्रणाली के निरंतर उपयोग को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसे देखते हुए, रिजर्व बैंक वर्ष 2018-19 में भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत, सुरक्षित तथा निरापद बनाने पर और अधिक ध्यान देगा। बैंक का एक मुख्य लक्ष्य यह होगा कि भुगतान प्रणाली में ऐसे सुरक्षित और निरापद नवोन्मेषों का प्रबंध करना जो उपयोगकर्ताओं को व्यापक भुगतान माध्यम उपलब्ध करा सकें। एक सुदृढ़ ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली का विकास करना जारी रखा जाएगा, ताकि भुगतान प्रणालियों पर भरोसा और विश्वास बढ़ सके।

1.32 अर्थव्यवस्था में फिनटेक के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में रिजर्व बैंक एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा

है, जो इसके भुगतान और निपटान प्रणाली विजन-2018 से प्रेरित है। फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर रिजर्व बैंक के कार्य-दल की रिपोर्ट में अत्यंत बारीक पहलुओं को शामिल किया गया है तथा विनियामकीय फ्रेमवर्क के पुनर्विन्यास पर विचार किया गया है, ताकि यह तेजी से उभरते परिदृश्य की गति के अनुसार प्रतिसाद दे सके। ये मामले वर्ष 2018-19 के दौरान नीतिनिर्माताओं का ध्यान आकर्षित करेंगे।

1.33 इस वर्ष में वित्तीय लेनदेन, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी का लाभ लेते हुए किए गए वित्तीय लेनदेन के क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में भी प्रगति दिखाई देगी। उनमें एनबीएफसी से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल योजना का उद्देश्य एक बिना लागत की और शीघ्र शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध कराना है। वर्ष के दौरान एनबीएफसी के लिए बनी लोकपाल योजना की समीक्षा की जाएगी तथा इसके दायरे को बढ़ाते हुए अन्य पात्र एनबीएफसी को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सुरक्षित बैंकिंग आदतें विकसित करने और शिकायत निवारण प्रणाली तक पहुंच के संबंध में उपभोक्ताओं को और अधिक जागरूक बनाने के प्रयास किए जाएंगे। डिजिटल माध्यमों से किए जाने वाले लेन-देन के संबंध में बढ़ती हुई शिकायतों की संख्या को देखते हुए रिजर्व बैंक डिजिटल लेनदेन के लिए भी एक लोकपाल योजना बनाएगा।

1.34 भविष्य की ओर देखें तो, भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि का प्रक्षेप-पथ नई ऊंचाइयों छूने को तैयार है। यदि इस आकांक्षा को प्रतिफलित होते देखना है और इसे संधारणीय बनाए रखना है, तो दो पहलुओं पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना होगा। पहला, इन्फ्रास्ट्रक्चर ही संवृद्धि की गति को प्रबल संवेग दे सकता है। विशेष रूप से, परिवहन के क्षेत्र में हासिल की गयी समुचित सफलता अन्य क्षेत्रों में भी अनुकरणीय है। वर्ष 2018-19 के दौरान इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार का यह मिशन गति पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। सड़क निर्माण क्षेत्र में मुख्य लक्ष्य हैं पिछले वर्ष के 27 किलोमीटर प्रतिदिन की तुलना में 45 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से निर्माण करते हुए लगभग 20,000 किलोमीटर लंबाई का

राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार करना; तथा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 28 प्रमुख शहरों में रिंग रोड बनाना। रेल परिवहन के क्षेत्र में, बेंगलुरु तथा मुंबई उपनगरीय प्रणालियों का अपग्रेडेशन करना; मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलपथ का निर्माण, स्टेशन पुनर्विकास योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं स्थापित करना तथा वड़ोदरा में भारत का पहला रेल और परिवहन विश्वविद्यालय खोलना प्राथमिकताएं होंगी। बंदरगाह क्षेत्र में, ₹8700 बिलियन की अनुमानित लागत वाली 576 से भी अधिक परियोजनाओं को सागरमाला परियोजना के अंतर्गत क्रियान्वयन के लिए चुना गया है।

1.35 दूसरा, यह सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से संवृद्धि को बल मिलता है, लेकिन संवृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इस विकास की प्रकृति समावेशी हो, और इसमें रोजगार सृजन की क्षमता हो। सरकार रोजगार को विकासोन्मुख कार्यनीति के केंद्र में लाने की व्यापक योजना बना रही है : (i) मेक इन इंडिया अभियान के माध्यम से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना; (ii) स्किल इंडिया के

माध्यम से आजीविका उन्नयन हेतु कौशल अधिग्रहण एवं ज्ञान जागरूकता (संकल्प) और औद्योगिक मूल्य-संवर्धन हेतु कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव) द्वारा रोजगार को बढ़ावा देना; तथा (iii) स्टार्ट अप इंडिया के माध्यम से नवोन्मेष और उद्यमिता को बढ़ावा देना। श्रम कानूनों में सुधार के संबंध में, संहिता-निर्माण प्रगति पर है तथा मजदूरी विधेयक पर संहिता को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।

1.36 मध्यावधि में, समृद्धि की गति और गुणवत्ता, बैंकिंग और कॉर्पोरेट वित्तीय दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान करने; कराधान; कृषि; अर्थव्यवस्था के बाह्य रूप, मुख्यतः एफडीआई के उदारीकरण; और कारोबारी माहौल को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ युक्तिसंगत संरचनात्मक सुधारों की अधूरी कार्ययोजना की पूर्ति की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से निर्धारित होगी। इस प्रयास के साथ-साथ समष्टि आर्थिक स्थिरता के मुश्किल से अर्जित लाभ, जो हाल की अवधि की प्रमुख विशेषता और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रहे हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से बनाए रखना है।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने निवेश और निर्माण में बेहतरी के साथ 2017- 18 में आघात-सहनीयता का प्रदर्शन किया। अत्यंत अस्थिरता से युक्त वातावरण में महंगाई दर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कम हुई। मौद्रिक समुच्चय का विकास करते हुए संचलन में मुद्रा ने विमुद्रीकरण पूर्व की स्थिति को पार कर लिया, जबकि ऋण संवृद्धि पिछले साल ऐतिहासिक कम स्तर पर फिसलने के बाद दोहरे अंकों में पुनः प्रवर्तित हुई। इक्विटी बाजारों में उछाल आने तथा कुछ अंतरालों पर गिरावट होने, बॉन्ड प्रतिफलों के कठोर होने, केवल वर्ष की समाप्ति को छोड़कर रुपया व्यापार में सामान्यतः मूल्यवृद्धि की प्रवृत्ति होने तथा मुद्रा बाजारों में प्रचुर चलनिधि के साथ घरेलू वित्तीय बाजार व्यापक रूप से स्थिर रहे। जीएसटी का क्रियान्वयन करके कारगर अप्रत्यक्ष कर संरचना में एक और उपलब्धि हासिल की गई। बाह्य क्षेत्र में, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में बढ़ोतरी के कारण चालू खाता घाटा का वित्तपोषण सुचारु रूप से किया गया।

II.1 वास्तविक अर्थव्यवस्था

II.1.1 ऐसे परिवेश में, जिसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी हुई है, और सभी भौगोलिक क्षेत्रों में व्याप्त वैश्विक संवृद्धि गतिमान हुई है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में क्रांतिकारी परिवर्तन / नया मोड़ आया, और यह पाँच तिमाहियों की मंदी से बाहर आ गई। उपभोक्ता-जनित गतिविधि के चार तिमाही के चरणों की बदौलत निवेश में बहु प्रतिक्षित उछाल आने से सकल मांग में तेजी आई। सरकार के अंतिम उपभोग व्यय के रूप में मांग की तरफ तथा लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं (पीएडीओ) ने आपूर्ति के पक्ष में राजकोषीय सहायता की, जिससे सकल मांग को समर्थन मिलना जारी रहा, किंतु तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 में यह कुछ मंद हो गयी।

II.1.2 वर्ष की दूसरी छमाही में ये प्रवृत्तियां प्रबल हो गईं, क्योंकि लंबे समय की निष्क्रियता के बाद मजबूत कॉर्पोरेट बिक्री संवृद्धि के साथ क्षमता उपयोग बढ़ने के कारण विनिर्माण में सुधार शुरू हुआ, तथा निर्मित वस्तु का स्टॉक कम हुआ, पूंजीगत व्यय (कैपैक्स) चक्र की शुरुआत हुई तथा मूल्य निर्धारण शक्तियों ने धीरे से वापसी की। सेवा क्षेत्र में, हाल के वर्षों में अपनी गति को तीव्रतम करके निर्माण ने उल्लेखनीय सुधार दर्शाया। कृषि और उससे संबंधित

क्रियाकलापों के कार्य निष्पादन की स्थिति जो अभी स्पष्ट नहीं हुई है, ने इस परिदृश्य को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया। हालांकि अपने उच्च आधार के कारण 2017-18 में संवृद्धि दरें अनिवार्य रूप से अस्पष्ट होंगी, फिर भी, अग्रिम अनुमान 2017- 18 में एक बार और रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन तथा बफर स्टॉक की ओर संकेत कर रहे हैं जो मानदंडों से कहीं ऊपर होगा।

II.1.3 इन गतिविधियों में जोखिम भी निहित हैं। पहला, प्रमुख वस्तुओं के मूल्य में मजबूती आने के फलस्वरूप भारत जैसे निवल आयातकों के लिए व्यापार की शर्तें और बिगड़ रही हैं तथा इनपुट लागतें बढ़ रही हैं। इसके परिणामस्वरूप, अर्थव्यवस्था को एक ही समय में निर्यातों की सकल मांग में मंदी के साथ ही लागत बढ़ने के कारण महंगाई दर के बढ़ने के जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में यह ध्यान में रखना उचित होगा कि मुख्यतः घरेलू आपूर्ति और उत्पादकता में बाधाओं के कारण भारत अपने निर्यातों में समानुपातिक वृद्धि करके बढ़ते हुए वैश्विक व्यापार के स्वास्थ्यकर प्रभावों का लाभ नहीं उठा पा रहा है। दूसरा, समष्टि आर्थिक स्थिरता के लिए जोखिम बढ़ गए हैं, चाहे इस वक्त वे दबे हुए हों। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के अतिरिक्त, अनेक मदों में घरेलू उत्पादन के बदले में बढ़ते आयातों के कारण चालू खाता घाटा बढ़ रहा है। इस संदर्भ में, सामान्य सरकार द्वारा बजटीय


राजकोषीय घाटे से विचलन किए जाने के कारण उत्पन्न समग्र मांग दबाव फैल कर बाहरी असंतुलन को अत्यंत उच्चतर बना सकते हैं, जिससे “दोहरे घाटे” का संकट बढ़ जाएगा। सर्दी के मौसम में सब्जियों की कीमतें विलंब से घटने के छद्म आवरण में हाल की महंगाई के परिणामस्वरूप उभरने वाली हिस्टेरिटिक दबाव पैटर्न, जो मई से बदलना शुरू हुआ है, इसी के समान चिंता का विषय है। तीसरा, अब, जबकि संवृद्धि के अवसर अपनी जड़ें जमा रहे हैं, वित्तीय स्थितियाँ तंग होती जा रही हैं। चलनिधि धीरे-धीरे पुनः संतुलित हो रही है, जबकि गिल्ट और कॉर्पोरेट बॉण्ड प्रतिलाभ कठोर हो रहे हैं, तथा बैंकों ने अपनी ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दिया है। संवृद्धि में अल्पकालिक उछाल, जिसमें क्रमशः खरीद हो रही है, के संबंध में सचेत रहना आवश्यक है। चौथा, प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण से बाजारों में पुनर्मूल्यन वैश्विक प्लवन प्रभाव तथा भू-राजनैतिक एवं विशिष्ट (आइडियोसिंक्रेटिक) जोखिम, समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता और संवृद्धि की संभावनाओं के लिए संक्रामक खतरा बने हुए हैं।

II.1.4 समग्र मांग, जिसके बारे में इसके तुरंत बाद वाले उप-खंड में बताया गया है, निजी और सरकारी दोनों उपभोग में मंदी के कारण कम हुई, तथा निवल निर्यातों में भी मांग कम हुई, क्योंकि आयातों में वृद्धि निर्यातों से आगे बढ़ गई। सकल पूंजी निर्माण से सहायता मिली जिसने निवेश दर को वर्ष 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 33.2 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में बढ़ा कर 34.1 प्रतिशत कर दिया। समग्र आपूर्ति पर उप-भाग, जो बाद में आएगा, में इसकी कम गति और इसके घटकों के अंतर्निहित उतार-चढ़ाव - ऊंचे आधार पर कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलापों में मजबूत कार्य- निष्पादन के अतिरिक्त औद्योगिक गतिविधियों में पुनः उछाल तथा सेवाओं में आघात-सहनीयता को दर्शाया गया है।

समग्र मांग


II.1.5 समग्र मांग के विकास का अपघटन करते हुए - जीडीपी की वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि के द्वारा मापन करने से - पता चलता है कि वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में इसके 13 तिमाहियों के सबसे कम स्तर 5.6 प्रतिशत तक लुढ़कने का कारण नियत निवेशों में मंदी और निवल निर्यातों में कमी थी। दूसरी तिमाही में जैसे ही जीडीपी वृद्धि बढ़कर 6.3 प्रतिशत हुई, इसकी गति में मजबूत वृद्धि से शक्ति पाकर इसमें बहाली हुई जो कि वर्ष की दूसरी छमाही में जारी रही। अनुकूल आधार प्रभाव के कारण जीडीपी संवृद्धि ने प्रत्येक तिमाही में 0.7 प्रतिशतता बिंदुओं की सुसंगत वृद्धि दर्शायी है। तीन तिमाहियों की मौसमिकता के अनुसार समायोजित चल औसत वार्षिक संवृद्धि दरें, समग्र मांग स्थितियों में गति का पारस्परिक प्रभाव तथा आधार प्रभावों का साक्षात्कन करती हैं (चार्ट II.1.1)। हालांकि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अनंतिम अनुमानों (पीई) में बताया गया है कि पूरे वर्ष के लिए समग्र मांग काफी बढ़ने की गुंजाइश है - 6.7 प्रतिशत की दर पर जीडीपी संवृद्धि, पिछले वर्ष की दर से 0.4 प्रतिशत बिंदुओं से कम रही।

चार्ट II.1.1: जीडीपी संवृद्धि वर्ष-दर-वर्ष तथा 3-तिमाही एमए-एसएएआर



स्रोत: सीएसओ तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।
एमए-एसएएआर: मौसम के अनुसार समायोजित चल औसत वार्षिक संवृद्धि दर।

चार्ट II.1.2: वास्तविक जीवीए तथा जीडीपी की संवृद्धि



पीएफसीई: निजी अंतिम उपभोग व्यय; जीएफसीई: सरकारी अंतिम उपभोग व्यय;
जीएफसीई: सकल नियत पूंजी निर्माण; जीवीए: योजित सकल मूल्य; जीडीपी: सकल घरेलू उत्पाद।
टिप्पणी: घटकवार अंशदान का योग जीडीपी के बराबर नहीं होता क्योंकि इनमें स्टॉक, मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तन तथा विसंगतियां शामिल नहीं की जाती।
स्रोत: सीएसओ तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

II.1.6 वर्ष 2017-18 में समग्र मांग स्थितियों के परिवर्तनों के मूल में घटकों के बीच संरचनात्मक बदलाव रहे। निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई), जो वर्ष 2016-17 में वास्तविक जीडीपी संवृद्धि के तकरीबन 57 प्रतिशत था, ने अपना हिस्सा अंतरित किया तथा वर्ष 2017-18 में इसका भारत अंशदान घट कर लगभग 55 प्रतिशत रहा (चार्ट II.1.2)। हालांकि सरकार के अंतिम उपभोग से सहायता पिछले वर्ष के स्तर पर बनी रही, निवल निर्यातों ने एक वर्ष पहले व्यापक शेष में रहने के बाद घरेलू मांग को क्षीण कर दिया। सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) ने वर्ष 2017 में जीडीपी संवृद्धि में अपने 43.2 प्रतिशत के भारत अंशदान में से वर्ष 2017-18 में 7.6 प्रतिशतता बिंदु कम किए हैं। इसके बावजूद, वर्ष 2013-14 में 8.4 प्रतिशत के निम्न स्तर पर रहने के बाद संवृद्धि की गति बढ़ाने में इसकी ऐतिहासिक उत्प्रेरक भूमिका को देखते हुए तथा अन्य घटकों की तुलना में अर्थव्यवस्था की समग्र गतिविधियों, रोजगार तथा कल्याणकारी सहायता में इसके अधिक देर तक टिकने वाले गुणक प्रभावों को देखते हुए जीडीपी संवृद्धि के हिस्से में सतत वृद्धि उल्लेखनीय है।

निवेश और बचत

II.1.7 वर्ष 2017-18 के दौरान जीएफसीएफ में मजबूती आना हाल के अनुभव के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जिसमें

नियत निवेश की दर, जिसका मापन जीएफसीएफ / जीडीपी अनुपात के द्वारा किया गया, वर्ष 2011-12 में 34.3 प्रतिशत से लगातार बिगड़ कर वर्ष 2015-16 में 30.3 प्रतिशत हो गई। तथापि, निजी गैर-वित्तीय निगम और सामान्य सरकार की अगुवाई में जीएफसीएफ अपनी चिरकालिक अवनति से बाहर आया और उसमें पुनरुत्थान के नए अंकुर दिखाई देने लगे। निजी गैर वित्तीय क्षेत्र में नियत निवेश में वृद्धि मुख्यतः मशीनरी और उपकरणों में, और उसके बाद बौद्धिक संपदा उत्पादों में हुई। 2017-18 की पहली तिमाही में विमुद्रीकरण के जारी रहे प्रभावों तथा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन संबंधी अनिश्चितताओं के कारण पहली तिमाही में अस्थायी मंदी के बाद दूसरी तिमाही में नियत निवेश में उछाल आया तथा शेष वर्ष में यह गति बनी रही। जीडीपी तथा जीएफसीएफ में समकालीन वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के पथ के घुमावों में जीएफसीएफ की बदलती हुई भूमिका की आनुभविक विधिमान्यता की पुष्टि करता है (बॉक्स II.1.1)।

II.1.8 सीएसओ द्वारा नियोजित निर्धारकों के अनुसार, ऐसा लगता है कि जीएफसीएफ की गतिविधियों को मंदी के दौर में पूंजीगत वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के व्यवहार के साथ-साथ, वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही से आई तेजी के कारण सहारा मिला है। अन्य प्रेरकों के संबंध में, उदा., पूर्ववर्ती तिमाही में निर्माण में वर्धित मूल्य ऊपर उठा, किंतु पूंजीगत वस्तुओं के

बॉक्स II.1.1:

संवृद्धि के लिए निवेश माहौल: प्रमुख समर्थक कारक क्या हैं?

सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में लगातार कई तिमाहियों से मौजूद दबावग्रस्तता के बाद वर्ष 2017-18 की दूसरी छमाही में हुई वृद्धि ने उल्लेखनीय रूप से ध्यान आकर्षित किया है, इस संबंध में जो प्रश्न सामने आते हैं वो इस वृद्धि के मुख्य परिवर्तक और इसके स्थायित्व से संबंधित हैं; क्योंकि कई प्रमुख/ सहायक संकेतक – बिक्री संवृद्धि, क्षमता उपयोग, मालसूची गिरावट, कीमत निर्धारण क्षमता निवेश चक्र में बहु प्रतीक्षित तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं।

जीएफसीएफ में संवृद्धि वर्ष 2009-10 की चौथी तिमाही में 23.8 प्रतिशत के अपने शिखर पर थी। इसके पूर्व एक लंबी अवधि तक यह उल्लेखनीय रूप से शिथिल रही। वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक इसकी औसत दर 11.7 प्रतिशत थी, और 2010-11 से 2017-18 तक यह 7.0 प्रतिशत थी जबकि बीच की कुछ तिमाहियों में इसमें गिरावट दर्ज की गई थी। तथापि, 2017-18 की दूसरी तिमाही से जीएफसीएफ की संवृद्धि में तेजी आई जो तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में औसतन 11.7 प्रतिशत बनी रही। इस गतिविधि से यह जरूरत उत्पन्न होती है कि निवेश माहौल को प्रभावित करने वाले कारकों का एक अनुभवाश्रित मूल्यांकन किया जाए।

निवेश माहौल कई कारकों के मिश्रित प्रभाव को निरूपित करता है। इसमें समष्टिआर्थिक और राजनीतिक स्थिरता, भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय पूंजी एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता, और संस्थागत, नीतिगत तथा विनियामकीय बनावट शामिल होती है। संवृद्धि के लिए एक पारदर्शी, स्थिर और पूर्वानुमेय निवेश माहौल आवश्यक होता है और यह अपेक्षित है कि “..... स्वस्थ समष्टि-आर्थिक नीतियों और संस्थाओं, पारदर्शी और स्थिर नियमों तथा मुक्त और उचित प्रतिस्पर्धा में करार का समुचित प्रवर्तन और संपदा अधिकारों के लिए आदर निहित हो (आईएफसी, 2016)।” परिणामस्वरूप, कारोबारी विनियामकीय वातावरण, कराधान कानून और अभिशासन/ संस्थागत क्षमता किसी कारोबार को शुरू करने की सहजता और लागत के साथ ही दिन-प्रति-दिन के परिचालनों को अक्सर प्रभावित करते हैं। निवेश

माहौल के गुणात्मक और मात्रात्मक अवधारकों को एकल सूचकांक के रूप में चिह्नित किया गया है जो किसी देश की संगत रैंक को पहचानने में मदद करता है, जैसे कि विश्व बैंक का कारोबारी सहजता सूचकांक, प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक (डब्ल्यूईएफ, 2017), नीति अनिश्चितता सूचकांक (बेकर एवं अन्य, 2016), भ्रष्टाचार सूचकांक (ट्रान्सपेरन्सी इंटरनेशनल, 2018) और इसी प्रकार के अन्य।

अनुभवाश्रित मूल्यांकन के लिए जीएफसीएफ में वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि और जीडीपी अनुपात की तुलना में जीएफसीएफ को आश्रित चरों के रूप में लिया गया जो प्राप्त निवेश माहौल को निरूपित करता है, जबकि आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक, भारतीय रिजर्व बैंक के औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण में कारोबारी संभावना सूचकांक में वर्ष-दर-वर्ष हुए परिवर्तन और रुकी हुई परियोजनाओं की संख्या में हुए तिमाही परिवर्तन निवेश माहौल के मापन-योग्य उच्च बारंबारता संकेतकों को चिह्नित करते हैं। अनुभवाश्रित साहित्य से संदर्भ लेते हुए, निवेश माहौल के जिन अन्य अवधारकों को विचार में लिया गया है उनमें वित्त की लागत को निरूपित करने वाली वास्तविक नीतिगत ब्याज दर, प्रतिस्पर्द्धा हेतु प्रॉक्सी के रूप में वास्तविक प्रभावी विनिमय दर और निवेश पर प्रतिलाभ को दर्शाने वाली वर्तमान कारोबारी लाभप्रदता शामिल है (सारणी 1)। अनुभवाश्रित अनुमान वर्ष 2001-02 की पहली तिमाही से 2017-18 की चौथी तिमाही तक की अवधि के लिए ऑर्डिनेरी लीस्ट स्क्वायर विधि पर आधारित है, जिसमें विषमविसारिता (हेट्रोस्कैडिस्टी) और स्वतः-सह-संबंध संगत गुणक (आटो कोरिलेशन कनसिस्टेंट-एचएसी) समायोजित मानक त्रुटियां शामिल हैं।

पूर्वानुभवों, पर अवस्थित है कि (क) कारोबारी आशावाद जितना अधिक होगा और नीति अनिश्चितता का स्तर जितना कम होगा, नये निवेश के लिए प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी; (ख) उच्चतर वास्तविक ब्याज दरें और विनिमय दर का वास्तविक प्रभावी अभिमूल्यन निवेश को निरुत्साहित कर सकता है, या फिर निवेश पर प्रत्याशित प्रतिफल इतना अधिक हो कि वह आय परिदृश्य में सुधार ला सके; (ग) उच्चतर कार्पोरेट लाभप्रदता उच्चतर निवेश को बढ़ावा दे सकती है; और (घ) रुकी हुई परियोजनाओं की घटनाओं में बढ़ोतरी नयी निवेश गतिविधि को अवनत कर सकती है।

अनुभवजन्य परिणाम निवेश गतिविधि के क्रमिक विकास में जड़ता और अंतराल (गेस्टेशन) की उपस्थिति का संकेत करते हैं जैसा कि सांख्यिकीय रूप से उल्लेखनीय विलंबित (लैगड) आश्रित चर में स्पष्ट होता है। यह बताता है कि निवेश माहौल धीमी गति से चल रहा है और मौजूद निवेश निर्णयों को प्रभावित कर रहा है। अपेक्षाओं के अनुरूप ही नीतिगत अनिश्चितताएं और ढांचागत रुकावटों (रुकी हुई परियोजनाओं द्वारा निरूपित) ने निवेश



सारणी 1: निवेश माहौल को प्रभावित करने वाले कारक

1	निवेश (आईएनवी)		4
	वास्तविक जीएफसीएफ में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)	जीडीपी अनुपात की तुलना में जीएफसीएफ	
अचर	-3.70 (-1.72)'	0.47 (0.22)	5.07 (4.66)***
आईएनवी _{t-1}	0.51 (4.80)***	0.39 (6.71)***	0.77 (18.59)***
एनएजी_जीआर _{t-1}	0.98 (3.06)***		
एनएजी_जीआर _t		0.50 (1.82)'	
वास्तविक_ब्याज _{t-2}	-1.55 (-3.03)***		
वास्तविक_ब्याज _{t-4}		-0.65 (-1.99)**	
वास्तविक_डब्लूएलआर _{t-2}			-0.09 (-2.81)***
डीआरईआईआर _{t-4}	-0.23 (-2.04)**		
डीबीआईआई _{t-1}	0.44 (6.30)***	0.33 (8.37)***	
क्यूबीआईआई _{t-1}			0.07 (5.14)***
डीयूएनसीआरटी _{t-4}	-0.02 (-1.92)**		
ईबीआईटीडीए _{t-1}		0.14 (3.88)***	
लाभ _{t-1}			0.18 (3.44)***
डी रुके हुए _{t-5}			-0.01 (-2.24)**
आर ²	0.67	0.76	0.94
एलबी-क्यू (पी-कीमत)	0.10	0.33	0.27

टिप्पणियाँ: 1. ***,**,*: यह क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पर सांख्यिकीय महत्व दर्शाता है।

- कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े टी-सांख्यिकी हैं।
- एलबी-क्यू अक्रमिक सह-संबंध की अमूर्त अवधारणा के परीक्षण के लिए एलजुंग-बाक्स क्यू सांख्यिकी है। (5 अंतरालों तक)
- कॉलम (2) और (3) में अचर वास्तविक जीएफसीएफ में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि है जबकि कॉलम (4) में यह जीडीपी अनुपात की तुलना में जीएफसीएफ है।

एनएजी_जीआर : गैर-कृषि वास्तविक जीडीपी वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष);
 वास्तविक_ब्याज : वास्तविक नीति दर में परिवर्तन
 वास्तविक_डब्लूएलआर : वास्तविक भारत औसत उधारी दर
 डीआरईआईआर : वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में (वर्ष-दर-वर्ष) परिवर्तन
 डीबीआईआई : कारोबारी संभावना सूचकांक में (वर्ष-दर-वर्ष) परिवर्तन (भारतीय रिजर्व बैंक के औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण से)
 क्यूबीआईआई : कारोबारी संभावना सूचकांक का 100 के स्तर से विचलन (भारतीय रिजर्व बैंक के औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण से)
 डीयूएनसीआरटी : आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक में (वर्ष-दर-वर्ष) परिवर्तन (स्रोत: WWW.POLICYUNCERTAINTY.COM)
 ईबीआईटीडीए : ब्याज, कर, अवमूल्यन और मुद्रास्फीति के लिए समायोजित परिशोधन के पूर्व आय में (वर्ष-दर-वर्ष) परिवर्तन
 लाभ : बिक्री अनुपात के प्रति निवल लाभ (कर पश्चात लाभ)
 डी रुके हुए : रुकी हुई परियोजनाओं में तिमाही परिवर्तन (संख्या)
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ अनुमान

माहौल को शिथिल करने में योगदान दिया। कार्पोरेट लाभप्रदता नये निवेश के लिए एक अग्र-सक्रिय चालक के रूप में सामने आती है किंतु यह इनपुट लागतों और मांग स्थितियों से प्रभावित होती है-जो कीमत निर्धारण शक्ति निश्चित करती है। चूंकि मौजूदा लाभों से कमाई के परिदृश्य अथवा नये निवेश पर अपेक्षित प्रतिफल में परीवर्तन की संभावना है इसलिए, निम्नतर इनपुट लागतों से उत्पन्न होने वाली उच्चतर लाभप्रदता, उच्चतर आउटपुट कीमतें या उत्पादकता में सुधार निवेश माहौल को उज्ज्वल कर सकता है। गैर-कृषि आय, मंद कारोबारी विश्वास और उच्चतर वास्तविक ब्याज दरों (अर्थात् नीतिगत दर और वास्तविक भारत औसत उधारी दर) द्वारा निरूपित मांग में धीमी वृद्धि से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों को निवेश बाधित करने वाले कारकों के रूप में देखा गया है। वास्तविक विनिमय दर -उच्चतर उत्पादकता द्वारा निष्प्रभावी न किये जाने तक- बाह्य प्रतिस्पर्द्धा में संभावित कमी का संकेतक होती है; इसमें होने वाली किसी बढ़ोतरी को भविष्य की निवेश मांग पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए देखा गया है (सारणी 1)।

ये अनुभववाश्रित परिणाम दर्शाते हैं कि निवेश माहौल में एक स्थायी सुधार सुनिश्चित करने के लिए कई कारक संयुक्त रूप से कार्य करते हैं और परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में निवेश दर प्रभावित होती है।

संदर्भ:


- बेकर, एस. आर., एन. ब्लूम और एस. जे. डेविस (2016), "मेजरिंग इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी", दि क्वाटर्ली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, खंड 131 सं. 4, पृष्ठ सं. 1593-1636।
- इंटरनेशनल फाइनेंस कार्पोरेशन (आईएफसी) (2016), "दि इनवेस्टमेंट क्लाइमेट" इश्यू ब्रीफ सीरीज, जुलाई, आईएफसी।
- ट्रांसपरेन्सी इंटरनेशनल (2018), "करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2017", https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017 पर उपलब्ध
- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (2017), "दि ग्लोबल कांफिडेंस रिपोर्ट 2017-18", सितंबर, जिनेवा

आयात में एक वर्ष पहले जो तेजी शुरू हुई थी, उसने तीसरी तिमाही से अपनी शक्ति खो दी (चार्ट II.1.3)।


II.1.9 वर्ष 2016 -17 की चौथी तिमाही में संकुचन दर्ज करने के साथ ही निर्माण गतिविधि 2016-17 में नरमी रही। इस क्षेत्र में हाल ही के संरचनात्मक सुधार, जैसे स्थावर संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के लाभदायक प्रभाव शुरू होने से पहले कुछ आरंभिक गतिरोध उत्पन्न किए होंगे। तथापि इस क्षेत्र में वर्ष 2017-18 की तीसरी

तिमाही में बहाली के संकेत देखे गए और 2017-18 की चौथी तिमाही में इसमें 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि 2011- 12 के आधार वर्ष श्रेणी में उच्चतम है। यह संभावित कोइंसिडेंट इंडिकेटर-स्टील उपभोग तथा सीमेंट उत्पादन में भी परिलक्षित हुए। सीमेंट उत्पादन, जिसमें दिसंबर 2016 से शुरू होकर लगातार 7 महीनों तक संकुचन बना रहा, ने नवंबर 2017 से दोहरे अंकों में संवृद्धि दर्शाना शुरू किया। सीमेंट की लगभग दो तिहाई मांग आवास तथा भू-संपदा क्षेत्र से उत्पन्न हुई।

चार्ट II.1.3: निवेश मांग के संकेतक



चार्ट II.1.4: सकल नियत पूंजी निर्माण की क्षेत्रवार संरचना




II.1.10 मकानों, भवनों तथा अन्य संरचनाओं, मुख्यतः हाउसहोल्ड क्षेत्र में और उसके बाद सार्वजनिक गैर-वित्तीय कॉर्पोरेशन में नियत निवेश का हिस्सा 2015-16 में जीडीपी के 16.3 प्रतिशत से घट कर 2016-17 में 15.7 प्रतिशत रह गया (चार्ट II.1.4)। तथापि, मशीनरी और उपकरणों में नियत निवेश से इसकी क्षतिपूर्ति की गई, जिसका हिस्सा 2015-16 में जीडीपी के 10.6 प्रतिशत से बढ़ कर 2016-17 में 11.9 प्रतिशत हो गया। ऊपर उद्धृत पूंजीगत वस्तुओं की घरेलू आपूर्ति में आनेवाली कठिनाइयों का सामना करने के बाद घरेलू मांग लगातार बढ़ते हुए आयातों में फैल गई, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादन को आयातों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने वाली विपरीत घटना घटी।

II.1.11 रिजर्व बैंक के आर्डर बुक इन्वेंटरी तथा क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) ने 2017-18 की दूसरी तिमाही में निर्मित वस्तु इन्वेंटरी में कमी के साथ ही विनिर्माण में क्षमता उपयोग में उछाल की ओर संकेत किया है। औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण (आईओएस) में बताया गया है कि कारोबारी आशावाद में पिछली तिमाहियों की तुलना में हुई बढ़ोतरी में मुख्यतः उत्पादन, आदेश बहियों, क्षमता उपयोग, रोजगार, आयात और निर्यातों के सकारात्मक मूल्यांकन का अंशदान रहा। विनिर्माण

उद्योगों में भी वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही से क्रमिक रूप से मूल्यनिर्धारण शक्ति वापस लौट रही है। वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में वृद्धि के बाद रुकी हुई परियोजनाओं की संख्या और मूल्य, दोनों में गिरावट आई है; तथापि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में नए निवेशों में एक समान निरुत्साह की स्थिति बनी रही (चार्ट II.1.5)। थर्मल पावर प्लांट में प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) पिछले वर्ष के लगभग 60 प्रतिशत के समान स्तर पर बना रहा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में वर्धित प्रतिस्पर्धा का प्रकट होना बढ़ रहा है।

II.1.12 इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र, जो कि निवेश के माहौल का प्रमुख मापक (बैरोमीटर) है , एक अंतराल के बाद अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण में मजबूती के लक्षण दर्शा रहा है। पहला, राजमार्ग परियोजनाओं में निर्माण ने पिछले वर्ष 8,232 किलोमीटर से 2017-18 में 9,829 किलोमीटर तक बढ़ कर अपनी वृद्धि की गति को बनाए रखा है। प्रदान की गई राजमार्ग परियोजनाओं की लंबाई पिछले वर्ष की 15,949 किलोमीटर से बढ़ कर 2017-18 में 17,055 किलोमीटर हो गई है। दूसरा, रेलवे के पूंजीगत व्यय (केपेक्स) का बड़ा हिस्सा वर्ष 2017-18 में लाइनों को दोहरा या तिहरा बनाने, अंतर (गेज़) बदलने और विद्युतीकरण पर खर्च किया गया। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना

चार्ट II.1.5: परियोजनाओं की स्थिति



स्रोत: सीएमआई।

की नींव रखना एक प्रमुख गतिविधि रही। तीसरा, बढ़ते हुए घरेलू हवाई ट्रैफिक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनेक कम सेवा प्राप्त तथा सेवा रहित विमानतलों के लिए व्यवहार्यता अंतराल निधीयन के साथ फ्लाइट रूट प्रदान किए हैं। चौथा, भारत में प्रमुख बंदरगाहों की क्षमताओं की पुनः रेटिंग करने पर प्रतिवर्ष 1,066 की तुलना में 1,359 मिलियन टन की रेटेड क्षमता दिखाई दी। पाँचवाँ, सरकार ने मार्च 2019 तक व्यापक हाउसहोल्ड विद्युतीकरण के अत्यंत महत्वाकंक्षी लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) की शुरुआत की है।

उपभोग

II.1.13 पूर्व की भाँति, वर्ष 2017-18 में जीडीपी के 66.6 प्रतिशत रहने के कारण उपभोग समग्र माँग का एक प्रमुख घटक रहा। हाल ही की मंदी के दौरान उपभोग व्यय ने विमुद्रीकरण तथा जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न आघातों में सहारा देने सहित समग्र माँग को अत्यंत मूल्यवान सहायता दी है। वास्तव में, वर्ष 2013-17 की अवधि को उपभोग-जनित संवृद्धि की विशेषताओं से युक्त (आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट, 2016-17) कहा जा सकता है, क्योंकि इन वर्षों के दौरान इसने जीडीपी के परिवर्तन में 64.4 प्रतिशत का अंशदान किया है। विशेषतः जीएफसीई, जिसमें सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रदत्त बढ़े हुए वेतन, पेंशन और भत्तों तथा रक्षा कर्मियों के लिए वन रैंक वन पेंशन प्रदान करने

से उछाल आया, ने अर्थव्यवस्था में मंद माँग की अवधि में राजस्व को बढ़ाने का काम किया है। यदि जीएफसीआई को छोड़ दिया जाए, तो वर्ष 2016-18 के दौरान जीडीपी में औसत वृद्धि 6.9 प्रतिशत की जगह 6.4 प्रतिशत रह जाएगी। भाग II.5 में सार्वजनिक वित्त के पूर्ण विश्लेषण के अंतर्गत जीएफसीई के विकास का चित्रण किया गया है।

II.1.14 पीएफसीई, जो भारत में समग्र माँग का मुख्य आधार है, की गति 2017-18 में कुछ धीमी हुई, और यह घटौती वर्ष की पहली छमाही में अधिक स्पष्ट थी। पीएफसीई की गति में आई यह कमी अनेक कारकों - विमुद्रीकरण का प्रभाव बने रहना, विशेषतया असंगठित क्षेत्र के संबंध में; जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित आरंभिक गतिरोध; तथा ग्रामीण मजदूरी संवृद्धि में आई कुछ कमी, में संयुक्त रूप से दिखाई दी।

II.1.15 घरेलू बचत वर्ष 2015-16 में सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) के 30.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016-17 में 29.6 प्रतिशत रह गई (परिशिष्ट सारणी 3)। घरेलू वित्तीय बचत -अर्थव्यवस्था में निवेश के निधीयन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, वर्ष 2015-16 के 8.1 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में जीडीपी का 6.7 प्रतिशत रह गया (सारणी II.1.1)। निजी गैर वित्तीय कॉर्पोरेशन की बचत सीमांत रूप से कम होकर 2016-17 में जीएनडीआई का 11.1 प्रतिशत रही। उसी समय, सामान्य सरकार का अधिव्यय 2016-17 में गिर कर 0.7 प्रतिशत रह गया, जो राजकोषीय समेकन लाने के सतत

सारणी II.1.1: हाउसहोल्ड सेक्टर की वित्तीय बचत

(जीएनडीआई का प्रतिशत)

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 #
1	2	3	4	5	6	7	8
ए. सकल वित्तीय बचत	10.4	10.5	10.4	9.9	10.8	9.1	11.1
जिसमें से:							
1. करेंसी	1.2	1.1	0.9	1.0	1.4	-2.0	2.8
2. जमाराशियां	6.0	6.0	5.8	4.8	4.6	6.3	2.9
3. शेयर और डिबेंचर	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.9
4. सरकार पर दावे	-0.2	-0.1	0.2	0.0	0.5	0.4	0.0
5. बीमा निधियां	2.2	1.8	1.8	2.4	1.9	2.3	1.9
6. भविष्य निधि और पेंशन निधियां	1.1	1.5	1.5	1.5	2.1	2.0	2.1
बी. वित्तीय देयताएं	3.2	3.2	3.1	3.0	2.8	2.4	4.0
सी. निवल वित्तीय बचत (ए-बी)	7.2	7.2	7.2	6.9	8.1	6.7	7.1

जीएनडीआई : सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय

#: रिजर्व बैंक के प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार। सीएसओ 31 जनवरी 2019 को नवीनतम सूचना पर आधारित हाउसहोल्ड सेक्टर की वित्तीय बचतों को जारी करेगा जो कि वर्ष '2017-18 के लिए राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण' का एक भाग होगा।

टिप्पणी: आंकड़े पूर्णांकित किए जाने के कारण योग के बराबर नहीं होंगे।

स्रोत: सीएसओ और भारिबैं।

प्रयासों को दर्शाता है। बैंक के प्राथमिक अनुमानों के अनुसार, हाउसहोल्ड की देयताओं में वृद्धि होने के बावजूद जनता के पास मुद्रा के रूप में हाउसहोल्ड आस्तियों में हुई वृद्धि वर्ष के कारण वर्ष 2017-18 में हाउसहोल्ड क्षेत्र की निवल वित्तीय आस्तियों में जीएनडीपी के 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

समग्र आपूर्ति

II.1.16 समग्र आपूर्ति, जिसे मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) से मापा गया है, 2017-18 में अधिक धीमी वर्ष-दर-वर्ष गति से बढ़ी, जो पिछले वर्ष के 7.1 प्रतिशत से 0.6 प्रतिशतता बिंदु कम रही, तथा 7.4 प्रतिशत की दशकीय की प्रवृत्ति दर से 0.9 प्रतिशतता बिंदु नीचे रही। आधार प्रभावों से गति को अलग करते हुए, यह देखना रोचक है कि दूसरी तिमाही में जबकि संवृद्धि के लिए बेहद जरूरी बल प्रदान कराते हुए गति में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, साथ ही, दूसरी छमाही में आधार प्रभाव भी क्रियाशील हुए हैं। हालांकि वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक संवृद्धि दरों ने उस महत्वपूर्ण घुमाव बिंदु को धुंधला कर दिया है, जो तिमाही परिवर्तनों में उभरा है। वर्ष-दर-वर्ष की तिमाही संवृद्धि दरों के अनुसार, वर्ष 2016-17 की प्रथम तिमाही से गति में आई कमी साफ दिखाई देती है, जो वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में तेरह तिमाहियों के सबसे कम स्तर पर बनी

रही। तथापि, दूसरी तिमाही में मुख्यतः औद्योगिक गतिविधियों में आए उछाल से परिवर्तन को शक्ति-मिली, और जैसे ही कृषि और सेवा क्षेत्र साथ हुए, तीसरी तिमाही से जीवीए में वृद्धि शुरू हो गई। तिमाही-दर-तिमाही मौसमिकता के अनुसार समायोजित वार्षिक संवृद्धि दर (एसएएआर) के अनुसार मापी गई जीवीए गति में वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही से उल्लेखनीय सुधार दिखाई दिया। सेवाएं, जिनमें जीवीए का लगभग 3/5 फ़ीसदी भाग समाहित है, में वर्ष 2017-18 में उछाल आया, तथा सभी उप- क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रभाव था (सारणी II.1.2)।

II.1.17 वर्ष 2017-18 में जीवीए में बदलाव संबंधी आंकड़े प्राप्त करते समय वार्षिक और तिमाही संवृद्धि दरों में प्रत्येक घटक में अलगाव स्पष्ट है। कृषि और संबंधित क्रियाकलापों के संबंध में फसलों और बागबानी में रिकॉर्ड स्तर उत्पादन प्राप्त करने के कारण 2017-18 में जीवीए में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि होने से एक वर्ष पूर्व 6.3 प्रतिशत की संवृद्धि प्राप्त हुयी। तथापि, तिमाही संवृद्धि दरों के अनुसार वर्ष 2017-18 की दूसरी छमाही में उछाल स्पष्ट है। रबी फसल के काफी संतोषजनक परिणामों के कारण हाल ही में उत्पन्न आशावाद ने कृषि जीवीए वृद्धि को वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में 4.5 प्रतिशत बनाए रखा।

सारणी II.1.2 : वास्तविक जीवीए वृद्धि (2011- 12 कीमतें)

(प्रतिशत)

	2016-17				2017-18			
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. कृषि, वन उद्योग तथा मत्स्य- पालन	4.3	5.5	7.5	7.1	3.0	2.6	3.1	4.5
II. उद्योग	10.2	7.8	8.8	8.1	-0.4	7.1	7.3	8.0
i. खनन और उत्खनन	10.5	9.1	12.1	18.8	1.7	6.9	1.4	2.7
ii. विनिर्माण	9.9	7.7	8.1	6.1	-1.8	7.1	8.5	9.1
iii. बिजली, गैस, जल आपूर्ति तथा अन्य उपयोगी सेवाएं	12.4	7.1	9.5	8.1	7.1	7.7	6.1	7.7
III. सेवाएं	8.5	7.4	6.0	4.9	8.5	6.4	7.5	8.2
i. निर्माण	3.0	3.8	2.8	-3.9	1.8	3.1	6.6	11.5
ii. व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएं	8.9	7.2	7.5	5.5	8.4	8.5	8.5	6.8
iii. वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएं	10.5	8.3	2.8	1.0	8.4	6.1	6.9	5.0
iv. लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं	7.7	8.0	10.6	16.4	13.5	6.1	7.7	13.3
IV. मूल कीमतों पर जीवीए	8.3	7.2	6.9	6.0	5.6	6.1	6.6	7.6

स्रोत: सीएसओ।

इसके बावजूद, वास्तविक जीवीए वृद्धि में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों का योगदान 2016-17 के 13.6 प्रतिशत की तुलना में घटकर 7.9 प्रतिशत रह गया।

II.1.18 इस आकलन को उचित परिप्रेक्ष्य में रखते हुए, वर्ष 2017-18 में दक्षिण-पश्चिमी मानसून अपनी निर्धारित तिथि से दो दिन, और पिछले साल की तुलना में 10 दिन पहले आया। लेकिन जुलाई-अगस्त के मध्य में इसने अपनी गति खो दी और इसके कारण पूरे मौसम में प्रति एकड़ बुआई पर बुरा असर हुआ। अंततः, पूरे मौसम के लिए इसकी समग्र रूपेण गति दीर्घावधि औसत (एलपीए) से केवल 5 प्रतिशत कम रही। किंतु सीजन के मध्य में आए सूखे मौसम/ अकाल के कारण खरीफ अनाज उत्पादन में पिछले साल की तुलना में केवल 0.3 प्रतिशत वृद्धि हुई। फिर भी यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि 2016 -17 में प्राप्त उत्पादन का स्तर एक सर्वकालीन रिकॉर्ड था। यदि इस पृष्ठभूमि में वर्ष 2017-18 में खरीफ का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन किया जाए, तो सभी फसलों में पिछले 10 वर्ष के औसत उत्पादन से 10 प्रतिशतता बिंदु अधिक वृद्धि हुई है। नकदी फसलों में, गन्ना और कपास उत्पादन ने पिछले साल के स्तर को पार किया, किंतु जूट और मेस्ता उत्पादन में सीमांत रूप से कमी आई।

II.1.19 रबी फसल के मौसम की ओर आते हुए, दक्षिण-पश्चिमी मानसून के विलंब से वापसी के कारण बुआई देर से की गई। इसके अतिरिक्त, ठूँठे जलाने से उत्पन्न अनिश्चितता और जनवरी 2018 के दौरान अचानक ठंड बढ़ने की स्थितियों के कारण रबी की बुआई में कठिनाई आई। दलहन, तिलहन और अन्य नाशवान वस्तुओं की कीमतों में गहन अवस्फीति के कारण भी इन फसलों का प्रति एकड़ विस्तार बाधित हुआ। अंततः, एलपीए से 11 प्रतिशत कम वर्षा के साथ उत्तर- पूर्वी मानसून सीजन समाप्त हुआ, किंतु प्रमुख जलाशयों में जल-स्तर आश्वासक होने के कारण मौसम में परिवर्तनों के बावजूद भी बुवाई बची रही, और पिछले साल के स्तर से केवल 0.8 प्रतिशतता बिंदु कम रही।

II.1.20 समग्र रूप से भारत जून 2018 को समाप्त फसल-वर्ष में अनाज उत्पादन का रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है, जो वर्ष -दर- वर्ष 1.6 प्रतिशत से बढ़ते हुए 279.5 मिलियन टन के स्तर पर आ गया (सारणी II.1.3)। यह अपेक्षा की जाती है कि वर्ष 2017-18 में चावल, गेहूं, दालों और मोटे अनाज का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर होगा, जबकि सोयाबीन के कम उत्पादन के कारण तिलहन के उत्पादन में कमी आई।

II.1.21 मौजूदा दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन में अब तक (17 अगस्त 2018 तक), वर्षा एलपीए से 8 प्रतिशत कम रही तथा

सारणी II.1.3 : कृषि उत्पादन – 2017-18

(मिलियन टन)

फसल	2016-17		2017-18			2017-18 के 3 ^ए ई में अंतर (प्रतिशत)		
	3 ^ए ई	अंतिम अनुमान	लक्ष्य	2 ^ए ई	3 ^ए ई	2 ^ए ई की तुलना में 2017-18	3 ^ए ई की तुलना में 2016-17	अंतिम की तुलना में 2016-17
1	2	3	4	5	6	8	7	9
खाद्यान्न	273.4	275.1	274.6	277.5	279.5	0.7	2.2	1.6
चावल	109.2	109.7	108.5	111.0	111.5	0.5	2.1	1.6
गेहूँ	97.4	98.5	97.5	97.1	98.6	1.5	1.2	0.1
मोटा अनाज	44.4	43.8	45.7	45.4	44.9	-1.1	1.1	2.5
दालें	22.4	23.1	22.9	24.0	24.5	2.1	9.4	6.1
तूर	4.6	4.9	4.3	4.0	4.2	5.0	-8.7	-14.3
मूंग	2.1	2.2	2.3	1.7	1.9	11.8	-9.5	-13.6
उड़द	2.9	2.8	2.6	3.2	3.3	3.1	13.8	17.9
तिलहन	32.5	31.3	35.5	29.9	30.6	2.3	-5.8	-2.2
कपास #	32.6	32.6	35.5	33.9	34.9	2.9	7.1	7.1
जूट एवं मेस्ता ##	10.3	11.0	11.7	10.5	10.6	1.0	2.9	-3.6
गन्ना (सरकंडा)	306.0	306.1	355.0	353.2	355.1	0.5	16.0	16.0

#: 170 किलोग्राम की मिलियन गांठें ##: 180 किलोग्राम की मिलियन गांठें। ईई: अग्रिम अनुमान
स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

26 उप-प्रभाग, जो 78 प्रतिशत क्षेत्र कवर करते हैं, में अधिक या सामान्य वर्षा हुई। इसके परिणामस्वरूप, देश के 91 प्रमुख जलाशयों में जलापूर्ति हुई और इसका स्तर पिछले वर्ष के स्तर से भी अधिक रहा। तथापि, खरीफ की बुआई पिछले वर्ष की प्रति एकड़ औसत बुआई की तुलना में अब तक 1.5 प्रतिशत कम रही।

बागबानी

II.1.22 पिछले कुछ वर्षों में बागबानी उत्पादन काफी अधिक बढ़ गया है। फसलों से प्राप्त उपज के मूल्य का 34 प्रतिशत हिस्सा (वर्ष 2011-2016 का औसत) होने के कारण बागबानी ने कृषि उत्पादन को स्थिरता प्रदान की है। वर्ष 2017-18 में बागबानी उत्पादन 307.2 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया जो वर्ष 2016-17 के स्तर से 2.2 प्रतिशत अधिक है। फलों और सब्जियों का उत्पादन वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमशः 1.6 प्रतिशत तथा 2.2 प्रतिशत से बढ़ा। वर्ष के दौरान तीन प्रमुख सब्जियों में आलू और टमाटर का उत्पादन बढ़ा, जबकि प्याज का उत्पादन बुआई क्षेत्र में कमी के कारण कम हुआ। बागबानी के उत्पादन में हुई वृद्धि वर्ष 2017-18 में बनी

नहीं रह पाई और प्रति एकड़ उत्पादन में 0.06 प्रतिशत की सीमांत कमी आई।

संबंधित गतिविधियां

II.1.23 संबंधित गतिविधियां, जिसमें वन विज्ञान, मत्स्य ग्रहण और पशु पालन शामिल हैं, कृषि तथा संबंधित गतिविधियों के कुल समग्र उत्पादन में लगभग 39 प्रतिशत का योगदान देते हैं। डेयरी, पशु पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बागबानी और मत्स्य पालन, जैसी संबन्धित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने पशुपालन क्षेत्र की आधारभूत संरचनागत आवश्यकताओं को वित्त पोषित करने हेतु पशुपालन और संरचनागत विकास निधि (एएचआईडीएफ) स्थापित किया है। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मत्स्य पालन और पशुपालन करने वाले किसानों तक भी विस्तारित की गयी है। गोजातीय उत्पादकता पर राष्ट्रीय मिशन पशु पालन के लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाने में सहायता करती है। संबंधित गतिविधियों की पांच साल की औसत वृद्धि (2012-13 से 2016-17 तक) 5.6 प्रतिशत तक पहुंच गई है जो कि 2.7 प्रतिशत की संपूर्ण कृषि और संबंधित गतिविधि क्षेत्र की पंचवार्षिक औसत वृद्धि की तुलना में काफी ऊपर है।

ई- नाम

II.1.24 कृषि वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए, अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाजार हेतु ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म 'ई-नाम' की शुरुआत की गई थी और पिछले दो वर्षों में इसकी पहुंच व्यापक रूप में बढ़ी है। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार यह प्लेटफॉर्म अब तक 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) की 585 मंडियों को शामिल कर रहा है (चार्ट II.1.6)। अपनी शुरुआत से लेकर अब तक ई-नाम के अंतर्गत व्यापार का कुल संचयी मूल्य ₹482.15 बिलियन तक पहुंच गया है, और 10.7 मिलियन किसानों, 63,059 कमीशन एजेंटों और 0.1 मिलियन से अधिक व्यापारियों ने अब तक ई-नाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया है।

II.1.25 इस योजना में माल का अंतर-राज्यीय आवागमन सुलभ करने, अधिक प्रभावी कीमतों की तलाश करने और मध्यस्थों को हटाने के माध्यम से कृषि विपणन संरचना को बदलने की अत्यधिक सामर्थ्य है। हालांकि, इसे अपनाने की प्रक्रिया अभी भी धीमी और क्रमिक है, क्योंकि बहुसंख्य व्यापारियों / किसानों के द्वारा अभी भी कृषि उपज को बेचने हेतु नीलामी के परंपरागत तौर-तरीके (मैन्युअल ऑक्शन)


अपनाए जा रहे हैं। ई-नाम प्रणाली को बढ़ावा देने संबंधी हाल ही में शुरू की गई कुछ पहलों में:- (क) पोर्टल पर किसानों के पंजीकरण को सरल बनाना, (ख) भुगतान विकल्पों का विस्तार (एकीकृत भुगतान इंटरफेस को जोड़ना) और (ग) छः भाषाओं में ई-नाम व्यापार का विस्तार करना, आदि शामिल हैं। किसी तीसरे पक्ष द्वारा जाँच, गुणवत्ता प्रमाणन तंत्र, विवाद निपटान तंत्र और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विभिन्न उपायों से ई-नाम को अपनाए जाने में बड़े पैमाने पर वृद्धि होगी।

केन्द्रीय बजट 2018-19 के प्रस्ताव

II.1.26 वर्ष 2018-19 के केन्द्रीय बजट में ग्रामीण आय को बढ़ाने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों का प्रस्ताव है, जैसे- (i) फसलों के लिए उत्पादन लागत के 1.5 गुना तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करना; (ii) 22,000 ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम) और 585 कृषि उत्पाद बाजार समितियों (एपीएमसी) में कृषि विपणन ढांचे के विकास और उन्नयन के लिए ₹20 बिलियन के निधि कोश के साथ कृषि-बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना; (iii) मत्स्य-पालन और जलीय-कृषि हेतु ढांचागत विकास निधि (एफएडीएफ) और ए.एच.आई.डी.एफ. का निर्माण; (iv) बांस-फसल क्षेत्र को समग्र रूप से बढ़ावा देने के लिए ₹12.9 बिलियन के व्यय के साथ पुनर्चित राष्ट्रीय बांस मिशन प्रारंभ करना; (v) किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि-लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए "ऑपरेशन फ्लड" के अनुरूप "ऑपरेशन ग्रीन्स" प्रारंभ करना; (vi) 'प्रधान मंत्री कृषि सिंचायी योजना- हर खेत को पानी' के अंतर्गत भूमिगत-जल सिंचाई योजना का अधिक विस्तार; तथा (vii) 100 मिलियन गरीब और कमजोर तबकों के परिवारों के लिए 0.5 मिलियन प्रति व्यक्ति का स्वास्थ्य संरक्षण कवर प्रदान करना।

II.1.27 वर्तमान में सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर खरीफ और रबी फसली मौसमों के 23 कृषि-जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन

चार्ट II.1.6: ई-नाम कवरेज: मूल्य, मंडी और राज्य



टिप्पणी: इसमें मार्च 2018 के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है।
 स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मूल्य (एमएसपी) घोषित किया गया है। हालांकि, एमएसपी पर खरीद चावल (खरीफ सीज़न) और गेहूं (रबी सीज़न) तक सीमित है। नतीजतन, कई फसलें, जैसे उड़द, तूर, चना, मसूर दाल, मक्का, मूँगफली, सोयाबीन, बाजरा, सफ़ेद सरसों एवं सरसों के लिए भारत औसत मंडी कीमतें एमएसपी की निचली दर पर बेची जाती हैं, जिससे किसानों को नुकसान होता है। केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार, सरकार ने हाल ही में वर्ष 2018-19 के बुआई के मौसम हेतु कई खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय किया है, जो उत्पादन की लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक का प्रतिफल सुनिश्चित करता है (जैसा कि ए 2 प्लस एफएल¹ द्वारा आकलन किया गया है)। कुछ राज्य सरकारों ने किसानों के लिए अपनी खुद की मूल्य सहायता योजनाएं / वित्तीय सहायता भी शुरू की है।

कृषि ऋण माफी

II.1.28 किसानों के बढ़ते संकट को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक जैसी कई राज्य सरकारों ने कृषि ऋण माफी की घोषणा की है। एक ओर जहां कर्ज-माफी अल्पकालिक अवधि में बैंकों के तुलनपत्र को शुद्ध कर सकती हैं, वहीं दूसरी ओर वे भविष्य में बैंकों को


कृषि-ऋण देने से हतोत्साहित कर सकती है (ईपीडब्ल्यू रिसर्च फाउंडेशन 2008; रथ 2008)²।

औद्योगिक क्षेत्र

II.1.29 उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2017-18 में जीवीए की वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर एक वर्ष पहले शुरू हुई एक शृंखला के तहत 5.5 प्रतिशत तक घट गई थी, जब यह वर्ष 2015-16 में 12.1 प्रतिशत की हालिया ऊंचाई से नीचे आ गई। इसके परिणामस्वरूप, जीवीए की समग्र वृद्धि में उद्योग क्षेत्र का भारत योगदान वर्ष 2015-16 के 33.5 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2017-18 में 20.0 प्रतिशत हो गया। साथ ही, विकास का चक्रीय घटक (होड्रिक-प्रेसकॉट फ़िल्टर का उपयोग कर के एक अपरिवर्तित दृष्टिकोण के माध्यम से अनुमानित) वर्ष 2017-18 में नकारात्मक हो गया और विनिर्माण उप-क्षेत्र में क्षमता का उपयोग 10 वर्ष के औसत के निचले स्तर (चार्ट II.1.7 क और ख) पर ही रहा।

II.1.30 वार्षिक आधार पर तीन तिमाहियों की मौसमिकता के अनुसार समायोजित परिवर्तनशील औसत के अनुसार दूसरी तिमाही में औद्योगिक जीवीए में तेजी से सुधार हुआ है और उसके पश्चात उसने ऊर्ध्वमुखी दिशा बनाए रखी है। इसी प्रकार, मौसमिकता के अनुसार समायोजित उद्योग जीवीए

चार्ट II.1.7: औद्योगिक जीवीए और विनिर्माण क्षमता उपयोग



स्रोत: सीएसओ, आरबीआई ओबीआईसीयूएस सर्वेक्षण, भारिबै स्टाफ गणना।

¹ ए2+एफएल लागत में भुगतान किए जा चुके खर्च जैसे - मजदूर लागत, मशीन, पट्टे पर ली गई ज़मीन का किराया, बीज, खाद, सिंचाई प्रभार, मूल्यहास और साथ ही परिवार के सदस्यों की मेहनत के लिए लगाया गया मूल्य शामिल है।

² रथ, एन (2008), "ग्रामीण ऋण संस्थानों के लिए ऋण माफी का प्रभाव", आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिकी, जून 14.2; और ईपीडब्ल्यू रिसर्च फाउंडेशन (2008), "द लोन वेवर स्कीम", आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिकी, 15 मार्च

से यह पता चलता है कि वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही से चौथी तिमाही में औद्योगिक गतिविधि में हुआ पुनरुत्थान मुख्यतः संवेग से प्रेरित था।

II.1.31 जैसा कि पूर्व में बताया गया है, वर्ष के दौरान यह वार्षिक परिवर्तन औद्योगिक उत्पादन के विकास संबंधी परिवर्तन के बिन्दुओं को छिपा देता है। तिमाही वृद्धि दर वर्ष 2016-17 की दूसरी तिमाही के दौरान शुरू हुई एक लंबी मंदी को दर्शाती है और वह वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में संकुचित हो गई है। हालांकि, दूसरी तिमाही में, विनिर्माण तथा बिजली उत्पादन के कारण उछाल था, जिसने खनन संबंधी बाधाओं को अनदेखा करते हुए समग्र मूल्य संवर्धन में मदद की। वर्ष 2017-18 की दूसरी छमाही में औद्योगिक जीवीए में विस्तार की गति बनी रही जो, विद्युत उप-क्षेत्र द्वारा सहयोग में कमी और खनन के आउटपुट में गिरावट के बावजूद भी विनिर्माण में तेज़ी पर निर्भर रही।

II.1.32 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 में उद्योग के जीवीए के विकास में हुई गिरावट औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में भी दिखाई देती है, हालांकि, औद्योगिक उत्पादन में अन्तःवार्षिक गतिविधियों में अंतर्निहित सुधार दिखाई देता है (तालिका II.1.4)। क्षेत्रीय स्तर पर विनिर्माण

क्षेत्र में सुधार दिखाई दिया, जबकि खनन और बिजली क्षेत्रों में मंदी थी। वर्ष 2018-19 में अब तक (अप्रैल-जून) औद्योगिक गतिविधि में सुधार विनिर्माण और खनन के बल पर हुआ है, भले ही बिजली उत्पादन धीमी गति (तालिका II.1.4) से विस्तारित हुआ है। उपयोग आधारित गतिविधि के मामले में, प्राथमिक वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुओं और संरचनागत/निर्माण वस्तुओं ने आईआईपी विकास की तेज़ी में योगदान दिया।

II.1.33 जहां पिछले कुछ वर्षों में वस्तु-विशिष्ट बाधाओं के कारण खनन और उत्खनन का प्रतिफल काफी अस्थिर रहा था, अनुकूल आधार प्रभाव के कारण पिछली तिमाही के समान परिणाम की तुलना में दूसरी तिमाही में वृद्धि हुई है। हालांकि, कोयला तथा प्राकृतिक गैस उत्पादन में हुई गिरावट और कच्चे तेल के आउटपुट में कमी के कारण वृद्धि अल्पकालिक रही। कोयला उत्पाद लगातार तीन वर्षों (वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18) में कम रहा। इसके परिणामस्वरूप, ताप विद्युत संयंत्रों के लिए आयातित कोयले पर निर्भरता सिर्फ मामूली रूप से कम हुई। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा योजनाबद्ध रूप से की गयी उत्पादन बढ़ोत्तरी उत्तरोत्तर बढ़ते स्ट्रिप अनुपात³ के साथ पुरानी खदानों, घटते संसाधनों और बढ़ती उत्पादन लागत से प्रभावित हुई। कोयले की अतिरिक्त

सारणी II.1.4: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार 2011-12)

(प्रतिशत)

उद्योग समूह	आईआईपी में भार	वृद्धि दर						
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	अप्रैल-जून 2017-18	अप्रैल-जून 2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9
समग्र आईआईपी	100.0	3.4	4.0	3.4	4.6	4.3	1.9	5.2
खनन	14.4	-0.1	-1.4	4.3	5.3	2.3	1.1	5.4
विनिर्माण	77.6	3.6	3.9	3.0	4.4	4.5	1.6	5.2
बिजली	8.0	6.1	14.8	5.7	5.8	5.4	5.3	4.9
प्रयोग आधारित								
प्राथमिक वस्तुएं	34.0	2.3	3.8	5.0	4.9	3.7	2.2	5.9
पूंजीगत वस्तुएं	8.2	-3.6	-0.8	2.1	3.2	4.4	-4.2	9.5
मध्यवर्ती वस्तुएं	17.2	4.5	6.2	1.5	3.3	2.2	1.0	1.6
इंफ्रास्ट्रक्चर / निर्माण सामग्रियां	12.3	5.7	5.0	2.8	3.9	5.5	1.7	7.7
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	12.8	5.7	4.0	4.2	2.9	0.6	-1.2	7.3
उपभोक्ता गैर-टिकाऊ	15.3	3.7	4.1	2.7	7.9	10.3	7.8	1.8

स्रोत: सीएसओ।

खदानों को आवंटित करने और कोल-बेड मीथेन के निःसारण संबंधी नियमों को आसान बनाने की कुछ हालिया पहलों से सीआईएल के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस जैसे: जीवाश्म ईंधन का उत्पादन, पुराने होते ऑइल फील्ड्स से तेल निकालने में आई प्राकृतिक गिरावट और अनिश्चित मूल्य नीति, बिजली आपूर्ति में हुई बाधाएँ, जल आपूर्ति में हुई कटौती, तथा श्रमिकों के टकराव जैसे कारकों से बाधित हैं। हाल ही के वर्षों में खनन वस्तुओं में लौह अयस्क का स्पष्ट और महत्वपूर्ण स्थान रहा है और ओडिशा तथा गोवा जैसे प्रमुख खनन राज्यों में आए व्यवधान के बावजूद वर्ष 2017-18 में उत्पादन वृद्धि मजबूत रही। लौह अयस्क खनन में वृद्धि इस्पात की घरेलू और वैश्विक मांग में वृद्धि, वस्तुओं की अनुकूल कीमतों और व्यापार नीति हस्तक्षेप के कारण बनी रही।


II.1.34 वर्ष 2017-18 की दूसरी छमाही के दौरान विस्तारशील 23 उद्योग-समूहों में से 15 उद्योग-समूहों में व्यापक आधार पर विनिर्माण में सुधार था, जबकि प्रथम छमाही के दौरान यह केवल 10 उद्योगों में था। तीसरी तिमाही तक विस्तार दर्ज करने वाली मदों के संयुक्त योगदान से पिछली पांच तिमाहियों में हुई गिरावट को निर्णायक रूप से बदल दिया था।

II.1.35 प्रमुख उद्योग समूहों में से - कोक और रिफाइन किया गया पेट्रोलियम, रसायन और रासायनिक उत्पाद, खाद्य

उत्पाद, मशीनरी और उपकरण तथा अन्य गैर-धातुजन्य खनिज उत्पाद मिलकर आईआईपी का 33.8 प्रतिशत हुए, जिससे उसके कार्यनिष्पादन में कायापलट देखा गया। फार्मास्यूटिकल्स ने पाचन एंजाइम और एंटासिड्स (डीईए) में उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की। वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही और चौथी तिमाही के दौरान विद्युत उपकरण के क्षेत्र में संकुचन बना रहा।

II.1.36 सूचीबद्ध विनिर्माण फर्मों के वित्तीय प्रदर्शन के संकेतकों से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में बिक्रीगत वृद्धि में गिरावट - संभवतः निचले तबके के वितरण चैनलों द्वारा जीएसटी प्रेरित डी-स्टॉकिंग के कारण हुई- जिसमें दूसरी से चौथी तिमाही में दोबारा सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त, बढ़ती उत्पादन लागत के दबाव के बावजूद मूल्य निर्धारण शक्ति की धीमी वापसी भी हो रही है; इसके फलस्वरूप, लाभ मार्जिन में सुधार हो रहा है (चार्ट II.1.8ए)। आरबीआई का ओबीआईसीयूएस सर्वेक्षण विनिर्माण फर्मों की माल सूची स्तर में वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही के दौरान कमी की ओर इशारा करता है। इसके अलावा, वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही (चार्ट II.18बी) में क्षमता उपयोग स्तर में सीमांत रूप से कमी आने के बाद वर्ष 2017-18 की दूसरी से चौथी तिमाही के दौरान सुधार हुआ है।

चार्ट II.1.8: विनिर्माण क्षेत्र कॉर्पोरेट कार्यनिष्पादन



स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (आरबीआई), आरबीआई ओबीआईसीयूएस सर्वेक्षण, भारिबे स्टाफ गणना।

³ खनन में, स्ट्रिपिंग अनुपात या स्ट्रिप अनुपात से तात्पर्य है, अयस्क के कुछ टन को निकालने के लिए साथ में निकली अन्य वस्तुओं (अथवा अपशिष्ट सामग्री) की मात्रा के अनुपात से है।

II.1.37 अपेक्षाओं के संबंध में, आरबीआई के इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वेक्षण में शामिल की गई विनिर्माण फर्म वर्ष 2017-18 की तीसरी और चौथी तिमाही में आशावादी हुई हैं, हालांकि 2018-19 की पहली से दूसरी तिमाही के लिए उम्मीदें उत्पादन ऑर्डर बुकों, क्षमता उपयोग, लाभ मार्जिन की कमजोर संभावनाओं तथा समग्र वित्तीय स्थिति के कारण घट गईं।


II.1.38 वितरण कंपनियों (डिस्कोम) से मांग में पुनरुत्थान के कारण वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही में क्रमिक रूप से तेजी के साथ विद्युत उत्पादन की शुरुआत मजबूत रही। विनिर्माण में बड़े उछाल के कारण तीसरी तिमाही में मांग में तेजी आई, साथ ही आपूर्ति के कम पड़ जाने की स्थिति भी आई, जिससे विद्युत घाटा और बढ़ गया। हालांकि, चौथी तिमाही में आपूर्ति में तेजी आने के कारण मांग में वृद्धि मंद हुई और बिजली की कमी कम हुई (चार्ट II.1.9)। जब बिजली घाटा उच्चतम था तब भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज पर वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही में स्पॉट कीमतों में बढ़ोतरी से मांग-आपूर्ति में गतिशीलता दिखाई दी।

II.1.39 स्रोतों के अनुसार, ताप ऊर्जा, जिसका उच्चतम योगदान है, मांग और आपूर्ति दोनों को प्रभावित करने वाली चुनौतियों से घिरा हुआ था। मांग पक्ष पर, डिस्कोम की

वित्तीय संवेदनशीलता ने कुल खरीद में बाधा डाली है और नए दीर्घकालिक बिजली खरीद करारों (पीपीए) में प्रवेश हेतु विमुखता का कारण बना है। कुछ डिस्कॉम ऐसे मौजूदा करार की शर्तों को पूरा करने से चूक गए हैं और उन्हें कम लागत वाले स्पॉट-मार्केट खरीद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) द्वारा आपूर्ति की समग्र लागत और राजस्व की समग्र वसूली के बीच के अंतर को कम करने में कुछ परिणाम प्राप्त हुए हैं, जो वित्त लागत को कम करने, समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे को कम करने और घरेलू क्षेत्र में कीमतों को बढ़ाने हेतु हस्तक्षेप के द्वारा किया गया है। तथापि, राज्यों में प्रगति असमान रही, जिससे बिजली उत्पादन कंपनियों, विशेष रूप से उच्च लागत पीपीए वाले ताप विद्युत संयंत्र पर स्लिपओवर प्रभाव हुआ है। अपनी अधिकतम क्षमता से कम प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) द्वारा संचालित संयंत्रों के साथ थर्मल पावर क्षेत्र (विशेष रूप से निजी क्षेत्र में) में अतिरिक्त क्षमता जारी है, जिससे आगे चलकर उनकी वित्तीय व्यवहार्यता कम हो सकती है।

II.1.40 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष के दौरान सतत उच्चतर वृद्धि देखी गई। पिछले 10 वर्षों में, संस्थापित क्षमता लगभग 6 गुना बढ़ी है – वर्ष 2007-08 की तत्कालीन क्षमता 11.1 गीगावॉट से वर्ष 2017-18 में 65.5 गीगावॉट तक-और विद्युत उत्पादन में इसका हिस्सा वर्ष 2007-08 के 3.0 प्रतिशत से बढ़ कर वर्ष 2017-18 में 7.1 प्रतिशत हो गया है। नवीकरणीय ऊर्जा का क्षेत्र भी अपने संरचनात्मक परिवर्तन से गुजर रहा है, इसमें सौर-ऊर्जा का हिस्सा वर्ष 2007-08 में नगण्य स्तर पर था, जो तेजी से बढ़ते हुए वर्ष 2017-18 में लगभग 24 प्रतिशत हो गया है। पेरिस जलवायु समझौते के तहत दिए गए उत्सर्जन लक्ष्य का अनुपालन नवीकरणीय ऊर्जा में उच्चतर वृद्धि का एक कारण रहा है। प्रौद्योगिकी परिपक्वता और उत्पादन में वृद्धि के कारण फोटो-वोल्टिक (पीवी) सेल की उत्पादन लागत में आई तेजी से कमी आई है। सरकार द्वारा निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य (2022 तक 175 गीगावॉट स्थापित क्षमता) में सौर-ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता (100 गीगावॉट

चार्ट II.1.9: विद्युत क्षेत्र: मांग, आपूर्ति और घाटा



स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा सीएसओ।

स्थापित क्षमता) दी गई है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), जो सदस्य राष्ट्रों के बीच सस्ती प्रौद्योगिकी साझा करने और कम लागत वाले वित्तपोषण जुटाने के लिए एक मंच है, की स्थापना हेतु नेतृत्व कर सौर-ऊर्जा के विकास में अंतरराष्ट्रीय सहयोग में अग्रणी भूमिका निभाई है। आईएसए ने 2030 तक 1 टेरावॉट (टीडबल्यू) सौर-ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। आईएसए के सचिव और मेजबान के रूप में, भारत आईएसए के सदस्य देशों के लिए 500 प्रशिक्षण स्लॉट उपलब्ध कराएगा और अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) के नेतृत्व हेतु सौर - तकनीकी अभियान शुरू करेगा।

II.1.41 उपयोग-आधारित वर्गीकरण पर, वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में आईआईपी वृद्धि, मुख्य रूप से प्राथमिक वस्तुओं और गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर आधारित थी। इसके विपरीत, दूसरी छमाही में देखी गई तेजी पूंजीगत वस्तुओं, इन्फ्रास्ट्रक्चर / निर्माण वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं से प्रेरित थी।

II.1.42 पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन -जिसे पूंजी निर्माण / निवेश का संकेतक माना जाता है – सितंबर 2016 से संकुचन की अवस्था से उबरा है, (नवंबर 2016 और मार्च 2017 में बढ़त को छोड़कर) और अगस्त 2017 के पश्चात सात महीनों तक लगातार बढ़ता रहा। परिवहन और विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी निवेश वस्तुएँ जैसे - वाणिज्यिक वाहन और वाहन के पुर्जे, टायर, जहाज निर्माण, सेपरेटर और चीनी मिलों की मशीनरी, आदि इसकी परिचालक थीं। पहली छमाही में इन्फ्रास्ट्रक्चर / विनिर्माण वस्तुओं का विस्तार हुआ, जिसमें लोहा एवं इस्पात संबंधी उत्पादों में हुई मजबूत वृद्धि सीमेंट उत्पादन में कमी की तुलना में अधिक है। सीमेंट उत्पादन में आई तेजी और किफायती आवास सहित सरकार द्वारा संचालित इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में प्रगति के कारण लोहा एवं इस्पात में लगातार दृढ़ वृद्धि के कारण दूसरी छमाही में यह श्रेणी फिर से मजबूत हुई और इसने तेजी दर्शाई।

II.1.43 उपयोग-आधारित दृष्टिकोण से गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर फार्मास्यूटिकल्स, विशेष रूप से, डीईए का

गहरा प्रभाव पड़ा। डीईए को छोड़ दें, तो यह श्रेणी दूसरी छमाही में संकुचित हो जाती, हालांकि खाद्य और पेय पदार्थ उद्योग समूह के घटकों जैसे - चीनी, दूध, पोल्ट्री मांस और झींगे ने दूसरी छमाही में इस श्रेणी में गतिविधि फिर से बढ़ाई। पिछले 11 महीनों में से 09 महीनों तक के संकुचन के बाद नवंबर 2017 से टिकाऊ उपभोक्ता-वस्तुओं के उत्पादन में फिर से वृद्धि शुरू हुई। मध्यवर्ती वस्तुओं के मामले में उत्पादन की वृद्धि, विनिर्माण क्षेत्र में हुई वृद्धि के अनुरूप बनी रही।


सेवा क्षेत्र

II.1.44 औद्योगिक क्षेत्र के विपरीत, सेवा क्षेत्र की वृद्धि वर्ष 2017-18 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 7.6 प्रतिशत हो गई, जिससे लगातार दो साल की मंदी का क्रम टूटा है। इसके अलावा, सरकार द्वारा संचालित पीएडीओ घटक को छोड़कर, सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2016-17 में 5.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 7.0 प्रतिशत हो गई। फिर भी यह वृद्धि दर हाल ही के 9.3 प्रतिशत की दर (2014-16) के मुकाबले काफी कम है।

II.1.45 वार्षिक आधार पर तीन तिमाहियों के लिए मौसमी रूप से समायोजित परिवर्तनशील औसत के आधार पर, पहली तिमाही में सेवाओं में जीवीए वृद्धि (पीएडीओ को छोड़कर) में तेजी से सुधार हुआ, जो जीएसटी लागू होने से पूर्व तेजी से किए गए माल के क्लियरेंस के कारण व्यापार और रियल इस्टेट खंड में आई तेजी के कारण संभव हुआ। मौसम के आधार पर समायोजित और गति एवं आधार प्रभाव में विघटित (तिमाही-दर-तिमाही परिवर्तन), पहली तिमाही में प्राप्त की गई गति बाद की तिमाहियों में कमजोर पड़ गई।

II.1.46 सेवाओं के जीवीए में व्यापक-आधार पर सुधार था और यह सभी घटक उप-क्षेत्रों (चार्ट II.1.10 ए) में दिखाई दिया। विकास में भारित योगदान के मामले में, पीएडीओ में वर्ष 2017-18 में मामूली गिरावट आई, जबकि अन्य सभी उप-क्षेत्रों में सुधार हुआ (चार्ट II.1.10 बी) है।

चार्ट II.1.10: सेवाओं की जीवीए वृद्धि – उप क्षेत्र



स्रोत: सीएसओ, भा. रि. बैंक स्टाफ गणना।


II.1.47 सीएसओ द्वारा सेवा क्षेत्र के प्रारंभिक जीवीए अनुमान बेंचमार्क-संकेतक विधि पर आधारित हैं। वर्ष 2017-18 में निर्माण जीवीए पहली तिमाही से चौथी तिमाही तक गतिमय रहा, साथ ही इस पूरी अवधि में इस्पात की खपत स्थायी गति से बढ़ती रही, दूसरी तथा तीसरी तिमाही से लेकर चौथी तिमाही तक सीमेंट उत्पादन में तेजी आई। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं इसकी मुख्य परिचालक थीं।

II.1.48 व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं ने भारी वृद्धि दर्ज की, जो पूरे वर्ष के दौरान लगातार बनी रही और यह सांयोगिक संकेतकों⁴ के कार्यनिष्पादन में भी दिखाई देता है। व्यापार और परिवहन क्रमशः 59 प्रतिशत और 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ इस उप-क्षेत्र के सबसे बड़े घटक रहे हैं। परिवहन क्षेत्र में रेलवे, सड़क और परिवहन से सम्बद्ध सेवाएं क्रमशः 15 प्रतिशत, 66 प्रतिशत और 16 प्रतिशत के हिस्से के साथ इस क्षेत्र के सबसे बड़े उप-घटक रहे हैं। रेल परिवहन के तहत, दूसरी छमाही में निवल टन किलोमीटर (70 प्रतिशत भार) में महत्वपूर्ण तेजी दर्ज की गई जबकि यात्री परिवहन (30 प्रतिशत भार) में वृद्धि पूरे वर्ष के दौरान धीमी रही। सड़क परिवहन क्षेत्र में, नए वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में भारी वृद्धि दर्शाने के

साथ सड़क पर वाणिज्यिक वाहनों की संख्या में वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2017-18 के दौरान परिवहन क्षेत्र संकेतकों में देखी गई बढ़त वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही तक जारी रही, जो रेल माल ढुलाई और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री दोनों में दिखाई दी है।

II.1.49 वित्तीय, रियल इस्टेट तथा पेशेवर सेवाओं के उप-क्षेत्रों के प्रमुख घटक – आवासों का स्वामित्व (29 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं (28 प्रतिशत शेयर) और आईटी सेवाएं (21 प्रतिशत) हैं। वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत, बैंक ऋणों में पहली छमाही के दौरान धीमे प्रदर्शन के बाद दूसरी तिमाही में काफी तेजी आई। इसके विपरीत, समग्र जमाराशियों के मामले में वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में मजबूती दर्ज करने के पश्चात दूसरी छमाही में वृद्धि दर में तेजी से गिरावट आई। सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के मामले में, वर्ष 2017-18 में आघातसह्य ईबीआईटीडीए में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कर्मचारियों पर हुई लागत में वृद्धि सामान्यतः सकारात्मक थी। सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में सुधार हुआ, हालांकि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में वीजा नीतियों के कारण अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। पीएडीओ से इस क्षेत्र को ऊपरी बढ़त मिलना जारी रहा।

⁴ सीएसओ के व्यापार के लिए बेंचमार्क संकेतक के संबंध में, यह संकेतक जीएसटी लागू होने के साथ परिवर्तित हो गया है – वास्तविक बिक्री कर-संग्रह से तीन दृष्टिकोणों का प्रयोग कर एक अनुमानित मूल्य की ओर: (क) जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए उत्पादों का बिक्री कर-संग्रह (जैसे पेट्रोलियम उत्पाद); (ख) उपभोक्ता वस्तुएं उत्पादक क्षेत्रों के आउटपुट के मूल्य पर बिक्री कर में कमी; और (ग) उपभोक्ता वस्तुएं उत्पादक क्षेत्रों, जिन पर कर लगाया गया है, के उत्पादन में नाममात्र वृद्धि, इन अनुमानों से संबंधित सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है।



II.1.50 रिजर्व बैंक का सेवा क्षेत्र समेकित सूचकांक (एसएससीआई), जो उच्च बारंबारता संकेतकों से सूचनाएं जुटाता एवं समेकित करता है और जो सेवा क्षेत्र में जीविए संवृद्धि को सांख्यिकीय तौर पर आगे ले जाता है, वह वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही में ऊपर उठा (चार्ट II.1.11) है। वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही के लिए एसएससीआई में गिरावट की प्रवृत्ति सेवा क्षेत्र में मंद गतिविधि का संकेत हो सकती है।

रोजगार

II.1.51 औपचारिक क्षेत्र रोजगार के मामले में पे-रोल डेटा (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के आधार पर संकलित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 में सृजित रोजगार इस क्षेत्र में बढ़ोतरी ओर संकेत करते हैं। प्रति माह जोड़े गए कुल नए अभिदाताओं की संख्या (उपर्युक्त तीन योजनाओं को मिलाकर) वर्ष 2016-17 में 1.6 मिलियन थी, जो वर्ष 2017-18 में बढ़ कर 1.8 मिलियन हो गई है। इसके अलावा, लेबर ब्यूरो के तिमाही रोजगार सर्वेक्षण में, जो संगठित क्षेत्र में रोजगार की बढ़त को आठ क्षेत्रों में मापता है, वर्ष 2017-18 में 0.2 मिलियन रोजगार की वृद्धि दर्शाई गई है (सितंबर

तक), जो वर्ष 2016-17 की पहली और दूसरी तिमाही से 0.9 लाख से अधिक है।

II.1.52 वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट में शिक्षा, कौशल और नौकरियों के माध्यम से युवाओं को सक्रिय करने पर जोर दिया गया था। विशाल जनसांख्यिकीय लाभ का अधिकतम फायदा उठाने के लिए जुलाई 2015 में शुरू किया गया कुशल भारत अभियान (स्किल इंडिया मिशन), वर्ष 2017-18 में ₹40 मिलियन की लागत से शुरू किए गए 'आजीविका संवर्धन के लिए दक्षता हासिल करने तथा ज्ञान बढ़ाने के लिए कार्यक्रम (संकल्प)' के साथ और भी गहन हो गया। इस कार्यक्रम से 35 मिलियन युवाओं को बाजार की दृष्टि से आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, वर्ष 2017-18 में ₹22 बिलियन की लागत से शुरू किए गए 'औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढीकरण (एसटीआरआईवीई)' का अगला चरण, इसमें दी गई व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता और बाजार प्रासंगिकता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने से, औद्योगिक क्लस्टर दृष्टिकोण द्वारा अप्रेन्टिसशिप प्रोग्राम को मजबूती देगा। वस्त्र-उद्योग क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए एक विशेष योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है और इसी तरह की एक योजना वर्ष 2017-18 में चमड़ा-उद्योग तथा फूटवेयर उद्योग के लिए कार्यान्वित की जानी थी।

II.1.53 आगे देखें तो, वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट द्वारा कुछ विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कृषि, इन्फ्रास्ट्रक्चर, छोटे और मंझौले उद्यमों (एसएमई) तथा सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किए जाने से उपभोक्ता मांग को और बल मिल सकता है। 2018 में अपेक्षित सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून भी ग्रामीण माँग को उच्च स्तर पर रखने में मदद कर सकता है।

II.1.54 संक्षेप में, भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि ने वर्ष के दौरान कई झटकों के बावजूद आघात सहनीयता दिखाई है - जैसे कि, विमुद्रीकरण के प्रभाव; जीएसटी कार्यान्वयन; बॉन्ड और इक्विटी में वैश्विक बिकवाली का प्रभाव-प्रसार; पूंजी बहिर्गमन के दौर; ऋण अपराधों और

पूँजीगत बाधाओं की बढ़ती संख्या के बीच घरेलू बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी; और व्यापार क्षरण की मौजूदा अवधि। इस परिप्रेक्ष्य में, पिछले वर्ष की तुलना में जीडीपी वृद्धि में 0.4 प्रतिशत बिन्दुओं की कमी के बावजूद, भारत की 6.7 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि विश्व की प्रमुख महाद्वीपीय आकार की अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे ज्यादा थी। वर्ष की दूसरी छमाही में, इन बाधाकारी कारकों का प्रभाव धीरे-धीरे कम हुआ और वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो वर्ष 2016-17 में वृद्धि की वार्षिक गति से अधिक थी। भविष्य के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण यह रहा कि वर्ष के दौरान विभिन्न तिमाहियों में कई महत्वपूर्ण मोड़ आए - विशेष रूप से, मांग पक्ष में सकल सावधि निवेश, और आपूर्ति पक्ष में, औद्योगिक गतिविधियों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में भवन-निर्माण। यदि ये घुमाव इसी प्रकार सुदृढ़ बने रहते हैं, तो अर्थव्यवस्था में स्थायी गति लाने में सहायक हो सकते हैं और इनसे सभी ओर रोजगार में विस्तार और आय में वृद्धि हो सकती है।

1.55 कृषि और संबद्ध गतिविधियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया है, खास तौर से एक ऐसे वर्ष में, जिसमें कई झटकों (जैसा कि पहले भी कहा गया है) का सामना करना पड़ा है। हालांकि, अच्छे

मानसून के कारण खाद्यान्न और बागबानी के जोरदार उत्पादन के लगातार दूसरे वर्ष का पर्याप्त प्रभाव कृषि और ग्रामीण आय में वृद्धि पर नहीं पड़ा। व्यापार की प्रतिकूल और खराब होती शर्तें और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच में अत्यधिक परिवर्तनशीलता से उत्पादन से हुए भारी लाभ कम हो गए हैं।

II.2 कीमतों की स्थिति

II.2.1 वर्ष 2017-18 के दौरान मुख्य महंगाई दर⁵ के क्रमिक विकास की एक खास बात यह रही कि इसमें तीव्र उतार-चढ़ाव देखा गया; हालांकि जब से नई सीरीज के अनुसार इसका निर्धारण प्रारंभ किया गया है, तब से लेकर आज तक औसत महंगाई दर अपेक्षाकृत कम रही है (सारणी II.2.1)। इसी पृष्ठभूमि में खंड 1 के अंतर्गत इस वर्ष के दौरान मुख्य महंगाई दर में हुए परिवर्तनों का अध्ययन तीन चरणों में बांटकर किया गया है जिनमें अवस्फीति की अवधि में तथा अपस्फीति निवारक उपायों को लागू किए जाने की अवधि में खाद्य मुद्रास्फीति की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। खण्ड 2 में वैश्विक स्तर पर महंगाई दर में हुए उतार-चढ़ाव पर चर्चा की गई है और इसके बाद खंड 3 में महंगाई दर के प्रमुख घटकों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है जिसमें खाद्य और ईंधन सहित तथा खाद्य और ईंधन को छोड़कर महंगाई दर के वाहकों पर

सारणी II.2.1: मुख्य महंगाई दर – प्रमुख संक्षिप्त सांख्यिकी

(प्रतिशत)

सांख्यिकी	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2017-18 (एचआरए को छोड़कर)*
1	2	3	4	5	6	7	8
माध्य	10.0	9.4	5.8	4.9	4.5	3.6	3.4
मानक विचलन	0.5	1.3	1.5	0.7	1.0	1.2	1.1
स्क्यूनेस	0.2	-0.2	-0.1	-0.9	0.2	-0.2	-0.2
कर्टोसिस	-0.2	-0.5	-1.0	-0.1	-1.6	-1.0	-0.8
माध्यिका	10.1	9.5	5.5	5.0	4.3	3.4	3.3
अधिकतम	10.9	11.5	7.9	5.7	6.1	5.2	4.9
न्यूनतम	9.3	7.3	3.3	3.7	3.2	1.5	1.5

*: 7वां वेतन आयोग लागू किए जाने के फलस्वरूप केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले आवास किराया भत्ते के कारण पड़ने वाले प्रभाव को छोड़कर।

नोट: स्क्यूनेस और कर्टोसिस की कोई इकाई नहीं होती।

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) और भारिबैंक स्टाफ अनुमान।

⁵ मुख्य महंगाई दर की गणना आधार वर्ष: 2012=100 मानते हुए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- संयुक्त (सीपीआई-सी) (ग्रामीण+शहरी) में वर्ष-दर-वर्ष होने वाले परिवर्तनों के आधार पर की जाती है।


विशेष बल दिया गया है। खंड 4 में महंगाई के अन्य संकेतकों जैसे- क्षेत्रवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई), जीडीपी – डिफ्लेटर के साथ-साथ मजदूरी - ग्रामीण मजदूरी और कॉर्पोरेट स्टाफ लागत दोनों - में आए उतार-चढ़ाव पर चर्चा की गई है। खंड 5 में निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

1. मुख्य सीपीआई महंगाई दर

II.2.2 स्फीति-संवेदी खाद्य वस्तुओं, विशेष रूप से दालों और तिलहन की भरपूर आपूर्ति लम्बे समय तक बनी रहने और आलू तथा प्याज जैसी कुछ सब्जियों के अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में मंडी में आ जाने के चलते बने दबाव के कारण पहली तिमाही में महंगाई दर में तीव्र गिरावट देखी गयी हालांकि यह इस संबंध में की गयी प्रत्याशाओं और आम सहमति से व्यक्त किए गए पूर्वानुमानों को देखते हुए आश्चर्यजनक था। ऐसे में, मानसून के ठीक पहले महंगाई में सामान्यतया होने वाली वृद्धि के विपरीत खाद्य कीमतों में इतनी गिरावट आयी कि अपस्फीति वाली स्थिति उत्पन्न हो गयी जिसके कारण मुख्य महंगाई दर में होने वाली गिरावट थोड़े समय के लिए महंगाई दर की लक्षित सीमा के सहनीय स्तर से भी नीचे आ गयी। नई सीपीआई सीरीज लागू होने के बाद से यह जून 2017 में 1.5 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर थी। इसके अलावा दालों और मसालों की कीमतों में लगतार जारी अपस्फीति (जून –मार्च 2017-18 के दौरान) के साथ-साथ समग्र खाद्य वस्तुओं और विविध घटकों की कीमतों में कमी के कारण मुख्य महंगाई दर में एक नकारात्मक रुझान देखने को मिला, हालांकि 2016-17 के दौरान यह रुझान सकारात्मक था।

II.2.3 जुलाई माह से घरेलू और वैश्विक गतिविधियों के मिले-जुले प्रभाव के चलते मुख्य महंगाई दर में 375 आधार अंकों (बीपीएस) का उछाल आया और यह दिसंबर 2017 में 5.2 प्रतिशत तक पहुंच गयी जो 17 महीनों में सर्वोच्च थी (चार्ट II.2.1)। अवस्फीति की अवधि के समान ही अपस्फीति निवारक उपायों को लागू किए जाने की अवधि में भी सब्जियों, विशेष रूप से टमाटर और प्याज, की कीमतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आवास किराया भत्ता संवितरित किए जाने के

चार्ट II.2.1: मुख्य मुद्रास्फीति में होने वाले परिवर्तन



स्रोत: सीएसओ, और भारिबैंक स्टाफ अनुमान।

कारण इसमें गति आयी। खास तौर पर सब्जियों की कीमतों में अक्टूबर-नवंबर के दौरान बेमौसम जबरदस्त उछाल देखने को मिला और ऐसा दक्षिण-पश्चिम मानसून के देर तक बने रहने के चलते कुछ फसलों को हुए नुकसान की वजह से हुआ। दिसंबर महीने में, जाड़े की फसलों के तैयार होने के साथ ही, थोड़ी देरी से सही, परंतु खाद्य वस्तुओं की महंगाई में थोड़ी नरमी आयी। साथ ही, सरकार की ओर से किए गए आपूर्ति प्रबंधन उपाय यथा - प्याज का आयात करने और न्यूनतम निर्यात कीमत (एमईपी) लागू करने - से भी कीमतों पर दबाव कम करने में सहायता मिली और मुख्य महंगाई दर गिरकर मार्च 2018 में 4.3 प्रतिशत तक आ गयी। अगर एचआरए के प्रभाव को छोड़ कर देखें तो यह और कम 3.9% हो गई थी। आश्चर्यजनक रूप से, मुख्य महंगाई दर की तुलना में खाद्य और ईंधन से इतर महंगाई दर का योगदान 2017-18 की तीसरी तिमाही में तेजी से बढ़ा और यह पूरे मार्च 2018 माह के दौरान बढ़े हुए स्तर पर ही बनी रही जिससे कम होते उत्पादन अंतराल तथा बढ़ते क्षमता उपयोग के संकेत मिले।

II.2.4 पूरे वर्ष की बात करें, तो 2017-18 के दौरान महंगाई में 3.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से कमी आयी जो कि एक वर्ष पूर्व के स्तर से 90 आधार अंक कम थी। एचआरए के प्रभाव को छोड़कर देखने पर 2017-18 के दौरान वार्षिक औसत महंगाई दर 3.4 प्रतिशत रही (सारणी II.2.1)। यह वृद्धि

हालांकि व्यापक नहीं थी, तथापि 2017-18 में आवास और ईंधन की महंगाई बढ़ी (परिशिष्ट सारणी 4)। वर्ष के दौरान कई मौकों पर हाउसहोल्ड्स ने अपनी महंगाई दर प्रत्याशाओं में अल्पकालिक गिरावटों को नजरअंदाज किया जिससे यह संकेत मिलता है कि अब अनुकूलन की प्रवृत्ति धीरे-धीरे समाप्त हो रही है और एक आशावादी सोच इसका स्थान लेती जा रही है और मोटे तौर पर यही आज के एकेडमिक जगत^० की भी सोच है।

11.2.5 रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण के मार्च 2018 चरण के अनुसार महंगाई दर संबंधी प्रत्याशाएं तीन माह बाद के एवं एक वर्ष बाद के दोनों ही परिदृश्यों में बढ़े हुए स्तर पर रहीं। इसकी पुष्टि पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के माध्यम से रिज़र्व बैंक द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के मार्च 2018 चरण में आशावादी पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं द्वारा भी की गयी है।

11.2.6 वर्ष 2018-19 की शुरुआत से ही मुख्य महंगाई दर में 2018-19 की पहली तिमाही के दौरान वृद्धि का रुख देखा गया जिसका प्रमुख कारण खाद्य, ईंधन और विविध उपसमूह के भीतर कीमतों में हुई वृद्धि थी। विविध घटकों के मामले में व्यापक स्तर पर कीमतों का दबाव दिखा, वहीं खाद्य समूह के भीतर कीमतें सब्जियों और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों जैसे - मांस एवं मछली - के दामों में हुई वृद्धि के कारण बढ़ीं।

2. महंगाई दर में वैश्विक उतार-चढ़ाव


11.2.7 महंगाई दर में हो रहे घरेलू उतार-चढ़ाव जब वैश्विक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखे जाते हैं, तो प्रसंगानुकूल अर्थ देने लगते हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो इस वर्ष के दौरान कृषि से प्राप्त वस्तुओं, विशेष रूप से दाल, चीनी और सोयाबीन जैसे खाद्य तेलों की कीमतें सामान्यतया कम रहीं जिससे इन चीजों की भरपूर आपूर्ति के संकेत मिलते हैं। खाद्येतर श्रेणी में धातुओं की कीमतें चीन, जो कि कुल वैश्विक उत्पादन के आधे से अधिक का उपयोग करता है, द्वारा की जा रही अत्यधिक मांग के चलते बढ़ीं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) और गैर-ओपेक उत्पादनकर्ताओं द्वारा रूस की अगुवाई में नवंबर 2017 में लिए उस निर्णय के बल पर वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों को सहारा मिला जिसके तहत तेल उत्पादन में प्रतिदिन

1.8 मिलियन बैरल की कटौती करने के फैसले को 2018 के अंत तक के लिए बढ़ा दिया गया। कच्चे तेल की भारतीय बास्केट की कीमतों में भी इसी के अनुसार इजाफा हुआ और मार्च 2018 तक ये 64 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई जबकि मार्च 2017 माह के दौरान इसकी कीमत 51 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी।

11.2.8 ऐसे परिदृश्य में, एक रोचक बात यह देखने को मिली कि यद्यपि वर्ष 2017 के दौरान विकसित अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई दर में तेजी आई, तथापि उभरती और विकासशील एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई दर कम हुई, बावजूद इसके कि आर्थिक समृद्धि बनी रही और वैश्विक स्तर पर माल की कीमतें बढ़ती रहीं। इसके मायने हैं कि अनेक एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क के तहत महंगाई दर की लक्षित सीमा (आईटी) की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाना और वर्ष-दर-वर्ष इसे और परिष्कृत करना आवश्यक हो गया है (बॉक्स 11.2.1)।

3. भारत में सीपीआई महंगाई दर के घटक

11.2.9 जब पीछे मुड़कर घरेलू कीमतों पर नज़र दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि वर्ष के दौरान उप समूह स्तर पर छः उल्लेखनीय परिवर्तनों के कारण मुख्य महंगाई दर में उतार-चढ़ाव हुए (चार्ट 11.2.2)।




^० पात्रा और अन्य (2014) इंडिया पॉलिसी फोरम 2013-14 में प्रस्तुत "पोस्ट ग्लोबल क्राइसिस इन्फ्लेशन डायनामिक्स इन इंडिया : व्हाट हैज चेंजड?" इस प्रकार के साहित्य की समीक्षा की गई है।

बॉक्स II.2.1

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद एशिया में महंगाई दर - यह बाकी दुनिया से भिन्न कैसे है?

आर्थिक संवृद्धि की पुनः बहाली के साथ-साथ जहाँ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई दर में तेजी देखी जा रही है, वहीं अवस्फीतिजनित जोखिमों से भरे लंबे अंतराल के बाद भी एक समूह के तौर पर उभरती बाजार विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से उभरते और विकासशील एशिया⁷ में महंगाई दर में नरमी का रुख जारी है (चार्ट 1ए तथा 1बी)। विभिन्न देशों के सीपीआई में ईंधन और खाद्य की भारिता का तुलनात्मक अध्ययन यह दर्शाता है कि कुछ चुनिंदा एशियाई देशों में ये भारिताएं विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक हैं (चार्ट 2)। इसीलिए वर्ष 2015 से वैश्विक स्तर पर ईंधन और खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के परिणामस्वरूप भी एशिया में महंगाई में वृद्धि (कमी के बजाए) होनी चाहिए थी।




इस पृष्ठभूमि में, एशिया में महंगाई दर के मूलभूत वाहकों की जांच एक पैल फ्रेमवर्क के तहत की गयी। इस डेटा सेट में ग्यारह एशियाई अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं जिनमें से छह ऐसी हैं जो महंगाई दर की लक्षित सीमा⁸ लेकर चलती हैं और पाँच विकसित अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं जिनमें से कनाडा, यूके, जर्मनी और फ्रांस (यूरो क्षेत्र के एक हिस्सेदार के रूप में) ऐसी हैं जहाँ महंगाई दर की लक्षित सीमा तय की गयी है। इस प्रकार के साहित्य (फ्रेगा एट अल, 2003; मिशिकन एण्ड हेबेल, 2001) से निष्कर्ष निकालते हुए अरेलेनो-बोवर/ब्लण्डेल-बॉण्ड सिस्टम के आधार पर समीकरण (1) में डायनामिक पैल डेटा मॉडल द्वारा जेनेरलाइज मेथड ऑफ मोमेंट्स (जीएमएम) का अनुमान एक पैल द्वारा लगाया गया था जिसमें 1990 से 2017 तक की अवधि के लिए 16 अर्थव्यवस्थाओं के वार्षिक आंकड़ों को शामिल किया गया था।⁹

उक्त बेस मॉडल (1) का उद्देश्य है कि उत्पादन अंतराल और इसके परिणामी प्रभावों, राजकोषीय घाटा, विनिमय-दर (स्थानीय मुद्रा इकाई प्रति अमेरिकी डॉलर के रूप में व्यक्त), ऊर्जा की वैश्विक कीमत और जीडीपी में आयात की हिस्सेदारी जैसे कारकों को नियंत्रण में रखते हुए इस बात का विश्लेषण करना कि लक्षित महंगाई दर (आईटी) प्रणाली (एक कल्पित चर के रूप में प्रतिरूपित जिसका मान आईटी को अपनाने के वर्ष में 1 और आईटी अपनाने के पहले के वर्षों में 0 होगा) अपनाने से देशों के पूरे समूह में विद्यमान महंगाई दर पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस मॉडल में, जहाँ आईटी कल्पित चर, आयात हिस्सेदारी और ऊर्जा की कीमतों में वैश्विक महंगाई दर को बहिर्जात चर माना गया है, वहीं उत्पादन अंतराल, राजकोषीय घाटा और विनिमय दर अंतर्जात चर हैं¹⁰:

$$inflation_{it} = \beta_1 + \rho inflation_{it-1} + \beta_2 ITdummy_{it} + \beta_3 exchange\ rate_{it} + \beta_4 fiscal\ deficit_{it} + \beta_5 output\ gap_{it} + \beta_6 output\ gap_{it-1} + \beta_7 global\ energy\ inflation_{it} + \beta_8 import\ share\ in\ GDP_{it} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots(1)$$

(जारी...)



⁷ उभरते और विकासशील एशिया के अंतर्गत 30 देश आते हैं जिनमें से प्रमुख हैं – चीन, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैण्ड, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, फिलीपीन्स, म्यांमार और नेपाल।
⁸ 11 एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में से 6 में महंगाई दर की लक्षित सीमा निर्धारित की गई है- भारत, इंडोनेशिया, फिलीपीन्स, दक्षिण कोरिया, थाईलैण्ड और जापान तथा शेष अर्थव्यवस्थाओं – चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया और सिंगापुर - में कोई लक्षित महंगाई दर सीमा नहीं है।
⁹ जब स्वतंत्र चर पूरी तरह बहिर्जात नहीं होते और बीते हुए समय से इनका सहसंबंध होता है, तब डायनामिक पैल मॉडल को उपयुक्त समझा जाता है। पश्चगामी चरों (रिग्रैसर्स) के प्रथम अंतर में जीएमएम का इस्तेमाल करते हुए अरेलेनो- बांड डायनामिक पैल अंतर्जातीयता स्वतः सहसंबंध और नियत प्रभाव पैल प्रतिगमन की कमियों में सुधार करता है। अरेलेनो बोवर/ ब्लण्डेल बांड, जो कि अरेलेनो बाण्ड का संवर्धित वर्शन है, कुछ अन्य अधिक महत्वपूर्ण चरों को भी शामिल करता है जिसके कारण यह मॉडल अधिक प्रभावी बन जाता है।
¹⁰ आंकड़े आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी (आईएफएस), विश्व बैंक सीईआईसी और ब्लूमबर्ग से लिए जाते हैं। एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए उत्पादन अंतराल की गणना – हॉड्रिक प्रेस्कॉट (एचपी) फिल्टर लगाते हुए की जाती है जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए वे डब्ल्यू ई ओ से लिए जाते हैं।

सारणी 1: गतिशील पैरल डाटा मॉडलों के परिणाम¹¹

व्याख्याकारी चर	16 देश : 1990-2017 आश्रित चर : महंगाई दर		11 एशियाई देश : 2001-2017 आश्रित चर : महंगाई दर	
	गुणांक	जेड-वैल्यू	गुणांक	जेड-वैल्यू
	2	3	4	5
1				
महंगाई _{t,t-1}	0.36	2.73**	0.45	4.25***
आईटी डमी _{it}	-1.36	-1.76*	-2.17	-1.79*
वनिमय दर _{it}	0.32	1.30	0.71	2.35**
राजकोषीय घाटा _{it}	0.11	2.24**	0.03	0.27
आउटपुट गैप _{it}	-0.36	-0.90	0.10	1.31
आउटपुट गैप _{it-1}	0.68	1.54	0.21	2.69**
वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र महंगाई दर _{it}	0.02	2.72**	0.02	3.06**
जीडीपी में आयात हिस्सेदारी _{it}	0.004	0.64	0.02	1.72*
अचर	1.94	3.15**	-0.20	-0.31
प्रेक्षणों की संख्या	406		172	
वालड चाई(8)	835.18***		687.09***	

टिप्पणी: *, ** और *** क्रमशः 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 1 प्रतिशत महत्व के स्तरों को दर्शाते हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

जहाँ, i देश को, t वर्ष को और ϵ_{it} त्रुटि को निरूपित करते हैं।

प्राप्त परिणाम यह दर्शाता है कि ऋणात्मक चिह्न वाले कल्पित आईटी चर आशानुरूप सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इससे महंगाई दर को कम करने में महंगाई दर की लक्षित सीमा का महत्व स्पष्ट है (सारणी 1)। यह अत्यंत रोचक है कि ऊर्जा की कीमतों में वैश्विक महंगाई और राजकोषीय घाटे जैसे बहिर्जात आघातों के साथ-साथ बीते समय के महंगाई दर के गुणांक (ρ) भी सांख्यिकीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ

एक ओर महंगाई दर को लक्षित सीमा में रखने की नीति को थोड़ी सफलता मिली है, वहीं महंगाई दर गतिकी को आकार देने में आपूर्ति आघात (जैसे- वैश्विक तेल कीमत आघात) और महंगाई दर में जड़त्व अथवा पुराने अनुभवों (जो कि महंगाई दर प्रत्याशाओं को प्रभावित कर सकता है) की भूमिका अभी भी बनी हुई है।

यह बेस मॉडल अलग-अलग देशों के सेट और समयावधि (11 एशियाई अर्थव्यवस्थाओं और 2001-2017 की समयावधि) के आधार पर तैयार किया गया था। इस बार आईटी कल्पित चर को लक्षित महंगाई दर वाले देशों के लिए 1 तथा अन्य के लिए 0 मान दिया गया। इसके अलावा, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में चीन के प्रवेश और क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर महंगाई दर गतिकी को प्रभावित करने में इसकी महती भूमिका के वर्ष को आधार मानते हुए ट्रेंकेटेड सैंपल पीरियड के लिए आधार वर्ष 2001 को माना गया। आईटी कल्पित चर संबंधी गुणांक अपने अपेक्षाकृत अधिक ऋणात्मक मान के कारण जहाँ सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध हुए, वहीं इन परिणामों ने यह भी प्रदर्शित किया कि ऊर्जा की कीमतों में वैश्विक महंगाई विनिमय-दर में गिरावट और जीडीपी में आयात की हिस्सेदारी जैसे आपूर्ति आघातों के साथ-साथ लंबे समय तक बनी हुई महंगाई दर (विलंबित महंगाई दर) की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इसके अलावा, एक रोचक बात और रही कि धनात्मक चिह्न के साथ विलंबित उत्पादन अंतराल गुणांक सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया जबकि पूर्ण प्रतिदर्श मॉडल में ऐसा नहीं था। इससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि यद्यपि महंगाई दर को लक्षित सीमा में रखने की नीति महंगाई को कम करने की एक महत्वपूर्ण कारक बनी और आज भी है तथापि इसमें अन्य कारकों जैसे विनिमय दर और ऊर्जा की कीमतें तथा साथ ही, घरेलू माँग की स्थितियों की भी अपनी भूमिका है।

सारणी 2: चुनिंदा एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति नियंत्रण का क्रमिक विकास

देश	अपनाने का वर्ष	नियंत्रक उपाय	बारंबारता	प्रारंभिक लक्ष्य	2018 में नियंत्रक उपाय	नियंत्रक बारंबारता (परिवर्तन का वर्ष)	2018 के लिए लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
दक्षिण कोरिया	1998	मुख्य सीपीआई	वार्षिक	9%±1% (दायरा)	मुख्य सीपीआई**	मध्यावधि - 3 वर्ष (2004)	2.0% (प्वाइंट)
थाईलैण्ड	2000	मूल सीपीआई	तिमाही	0 - 3.5% (दायरा)	मुख्य सीपीआई (2015 से)	वार्षिक और मध्यावधि	2.5%±1.5% (प्वाइंट + टॉलरेन्स)
फिलीपीन्स	2002	मुख्य सीपीआई	वार्षिक	4.5%-5.5% (दायरा)	मुख्य सीपीआई	मध्यावधि - 3 वर्ष (2010)	3%±1% (प्वाइंट + टॉलरेन्स)
इण्डोनेशिया	2005	मुख्य सीपीआई	3 वर्षों के लिए वार्षिक लक्ष्य एकबारगी घोषित	6%±1%	मुख्य सीपीआई	मध्यावधि - 3 वर्ष (2014)	3.5%±1%
जापान	2013	मुख्य सीपीआई	वार्षिक	2%	मुख्य सीपीआई	वार्षिक	2%
भारत	2016*	मुख्य सीपीआई	पांच वर्ष (2016-21)	4%±2%	मुख्य सीपीआई	5 वर्ष	4%±2%

*: मई 2016 से पहले यह लचीले आईटी फ्रेमवर्क 20 फरवरी 2015 के मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क पर करार द्वारा अभिशासित होता था।

** : 2000-मूल सीपीआई में बदल गया, 2007 - वापसर मुख्य सीपीआई में बदला गया।

स्रोत: संबंधित केंद्रीय बैंकों की वेबसाइटें।

(जारी...)

¹¹ गुणांक और जेड मूल्य एवं बड़ी मानक त्रुटियों के बीच अंतः संबंध होता है। प्रथम अंतर जनित त्रुटियों में शून्य स्वतः सह संबंध का पता लगाने के लिए किए गए अरेलेनो-बॉण्ड परीक्षणों से इन मॉडलों की क्षमता की पुष्टि हुई।

इस संदर्भ में, यह ध्यान देने योग्य है कि कुछ देशों के आईटी फ्रेमवर्क में समय के साथ परिवर्तन आए हैं (सारणी 2)। उदाहरण के लिए, जबसे 2015 में बैंक ऑफ थाईलैण्ड ने मुख्य महंगाई दर को अपनी सांकेतिक दर के रूप में अपनाया है, तब से एशिया के सभी छह देश अब मुख्य मुद्रास्फीति को ही लक्षित सीमा में रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा, कीमतों में स्थायित्व को बनाए रखने हेतु मौद्रिक नीति की प्रतिबद्धता का अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट संकेत जनता को देने के उद्देश्य से बैंक ऑफ थाईलैण्ड ने महंगाई दर को लक्षित सीमा में रखने की पहले से चली आ रही अपनी नीति को छोड़कर महंगाई की एक सहनीय सीमा के साथ-साथ एक निश्चित लक्ष्य रखकर चलने की नीति अपनायी है। दक्षिण कोरिया, इण्डोनेशिया और फिलीपीन्स महंगाई दर नियंत्रण

के वार्षिक लक्ष्यों को छोड़कर मध्यावधि लक्ष्य निर्धारण की ओर बढ़े हैं जबकि थाईलैण्ड तिमाही औसत लक्ष्य को छोड़कर प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक लक्ष्यों सहित मध्यावधि लक्ष्य निर्धारण की व्यवस्था की ओर बढ़ा है।

संदर्भ :

1. फ्रेगा ए., आई. गोल्डफेजिन एण्ड ए. मिनेला, (2003), "इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इमर्जिंग मार्केट एकाॅनॉमीज़," एनबीईआर मैक्रोइकाॅनॉमिक्स एनुअल.
2. मिशिकन, एफ.एस., एंड क्लॉस शिमिट हेबल (2001), "वन डेकेड ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन द वर्ल्ड : ह्याट डू वी नो एण्ड ह्याट डू वी नीड टु नो?", एनबीईआर वकिंग पेपर्स, नं.8397.


आगे के पैराग्राफों में इस बात का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष की पहली छमाही में खाद्य महंगाई दर में तीव्र गिरावट और और दूसरी तिमाही में इसके फिर से तेजी से बढ़ने के क्या कारण रहे; तेल की कीमतें चौथी तिमाही में यद्यपि कुछ गिरीं, तथापि दूसरी तिमाही से इनमें लगातार वृद्धि क्यों होती रही और वर्ष की दूसरी छमाही में खाद्य और ईंधन से इतर वस्तुओं की महंगाई दर में इतना उछाल क्यों आया कि दिसंबर 2017 में यह 5 प्रतिशत की सीमा पार कर गयी और पूरे मार्च 2018 माह के दौरान यह मुख्य महंगाई दर से उच्च स्तर पर बनी रही।

खाद्य वस्तुएं

II.2.10 पूरे 2017-18 वर्ष की बात करें तो खाद्य और पेय पदार्थों (भारिता : सीपीआई में 45.9 प्रतिशत) की महंगाई दर में तीव्र गिरावट आयी और समग्र महंगाई दर में इसके योगदान में वर्ष के दौरान उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला और यह एक वर्ष पूर्व के 46 प्रतिशत से गिरकर 29 प्रतिशत हो गयी। जबरदस्त फसली सीजन रहने और विमुद्रीकरण पश्चात उत्पन्न हुई औने-पौने दामों पर बिक्री की स्थितियों के दबाव में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में जो नरमी वर्ष 2016-17 की दूसरी छमाही में ही प्रारंभ हो चुकी थी, उसका प्रभाव वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही तक बना रहा और इसके चलते मई-जून 2017 में अपस्फीति की स्थितियां उत्पन्न हो गयीं (चार्ट II.2.3)। खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर में भारी गिरावट के दो प्रमुख कारक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं : पहला, मानसून के पूर्व सब्जियों की कीमतों में असामान्य रूप से धीमा और देरी से आया मौसमी उछाल; दूसरा, मार्च 2017 से दालों की कीमतों में आयी अपस्फीति का बढ़ते जाना।

II.2.11 देर से सही, पर सब्जियों की कीमतों में वृद्धि के लिए दबाव की स्थितियाँ उत्पन्न हुईं , परंतु इसके बावजूद दूसरी तिमाही में महंगाई दर जून-जुलाई 2017 में समय से आए और सभी क्षेत्रों में फैले दक्षिण पश्चिम मानसून तथा पर्याप्त खाद्य भण्डार के चलते कुल मिलाकर अपरिवर्तित रही। हालांकि, अगस्त में मानसून फिर से सुस्त पड़ गया जिसके कारण अल्पकालिक और स्थानिक विभिन्नताएं उत्पन्न हुईं तथा अक्टूबर माह में समाप्त होने के पूर्व मानसून देर तक बना रहा। इससे प्याज और टमाटर जैसी खराब हो जाने वाली वस्तुओं की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई और इसके परिणामस्वरूप सब्जियों के दामों में तेजी से हुई वृद्धि तीसरी तिमाही में चिंता का प्रमुख कारण बनी, विशेष रूप से नवंबर में हुई भारी वृद्धि जिसने जाड़ों में

चार्ट II.2.3: खाद्य वस्तुओं में महंगाई के वाहक (वर्ष-दर-वर्ष)



*: इसमें अंडे, दूध और उससे बनी चीजें, मांस और मछली शामिल हैं।
#: इसमें चीनी एवं मिष्ठान, मसाले, अल्कोहल मुक्त पेय पदार्थ और पका हुआ खाना शामिल हैं।
स्रोत: सीएसओ और भा.रि.बैं. स्टाफ अनुमान।

सामान्य रूप से इनकी कीमतें गिरने की संभावना को समाप्त कर दिया। मौसमी गिरावट अंततः दिसंबर 2017 में देखने को मिली जिससे 2017-18 की चौथी तिमाही में खाद्य महंगाई दर घटकर 3.7 प्रतिशत हो गयी।

II.2.12 विगत वर्षों में भारत में खाद्य महंगाई दर भिन्न-भिन्न तरीकों से गतिशील रही है परंतु दिसंबर 2013 में इसमें एक प्रमुख संरचनात्मक क्रमभंग देखा गया जब लगभग 20 महीनों तक कमोबेश दो अंकों में बनी रहने के उपरांत यह एक अंकीय हो गयी। जनवरी 2011 से मार्च 2018 के दौरान सीपीआई आधारित अनाज महंगाई दर और सीपीआई आधारित दाल महंगाई दर दोनों में दो संरचनात्मक क्रमभंग देखे गए और क्रमभंग के पीछे निहित प्रमुख कारक था मानसून आने का समय और इसका क्षेत्र-विस्तार। इसके आलावा, हाल के वर्षों में अनाज और दालों की कीमतें सामान्य रहने के मूल में चक्रीय घटक हैं जो कि अच्छे मानसून, पर्याप्त आपूर्ति और वैश्विक स्तर पर खाद्य वस्तुओं की अनुकूल कीमतों के परिचायक रहे हैं।


II.2.13 खराब हो जाने वाली वस्तुओं – विशेष रूप से सब्जियों – जो खाद्य समूह का 13 प्रतिशत और सीपीआई का 6 प्रतिशत होती हैं - की कीमतें वर्ष के दौरान खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर में उतार-चढ़ाव की प्रमुख वाहक थीं। सब्जियों की भारिता अनाजों और उनसे बने उत्पादों की तुलना में कम होने के बावजूद वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान उनकी कीमतों में उतार-चढ़ाव ने खाद्य वस्तु तरंगों के घुमाव बिंदुओं और उनके आयाम को निर्धारित करने में केंद्रीय भूमिका निभायी है। यह ध्यान देने योग्य है कि विमुद्रीकरण उपरांत आई भारी गिरावट के बाद सीपीआई – सब्जियों की कीमतों के रुझान और चक्रीय घटक विपरीत दिशा में चलने लगे हैं।

II.2.14 ऐसा प्रतीत होता है कि नवंबर 2017 से लागू की गयी सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन कार्यनीतियों ने सब्जियों के दामों पर बन रहे दबाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है जिसका परिणाम यह हुआ है कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर भी दबाव कम हुआ है। स्फीति-संवेदी सब्जियों यथा टमाटर, प्याज और आलू की उपलब्धता के अनुसार देखें तो, वर्ष के भीतर कीमतों में उतार-चढ़ाव इनके मंडी में पहुंचने में हो रही देर-सबेर से प्रभावित रहा।

II.2.15 प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों और महाराष्ट्र तथा मध्यप्रदेश के कुछ क्षेत्रों में किसानों के विरोध प्रदर्शनों के चलते आपूर्ति में आयी बाधा के कारण टमाटर के मामले में महंगाई दर जून 2017 के (-)41 प्रतिशत से बढ़कर नवंबर 2017 में 119 प्रतिशत हो गयी। अगस्त-अक्टूबर के बीच टमाटर की कीमतों में हुई गिरावट से कुछ राहत मिली हालांकि इसके बाद ही, मानसून के देरी तक बने रहने के कारण अक्टूबर माह में हुई वर्षा के कारण प्रमुख टमाटर उत्पादक राज्यों जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्यप्रदेश और उड़ीसा में टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा। दिसंबर में जाड़े की फसल की नई खेप आने के साथ ही कीमतें गिरने लगीं जिसके बाद टमाटर की महंगाई दर गिरकर मार्च 2018 में (-)6.6 प्रतिशत हो गयी।

II.2.16 वर्ष 2017-18 के दौरान खाद्य वस्तुओं की कीमतों को दूसरा झटका लगा प्याज की कीमतें बढ़ने से। अप्रैल 2017 के (-)14 प्रतिशत से बढ़ते हुए प्याज की महंगाई दर बढ़कर दिसंबर में 159 प्रतिशत हो गयी। पुनः, इसका एक कारण जहां प्रतिकूल मौसम था, वहीं कुछ राज्यों की सरकारों द्वारा बड़ी मात्रा में प्याज की खरीद किया जाना इसका दूसरा प्रमुख कारण था। दिसंबर 2017 के उपरांत, जाड़े के मौसम की नयी फसल आने के साथ ही, प्याज के दामों में अचानक भारी गिरावट आयी और सरकार द्वारा किए गए आपूर्ति पक्ष के उपायों के कारण भी इसे बल मिला। न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी), जो कि प्याज की कीमतों में होने वाली बड़ी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किया जाने वाला प्रमुख आपूर्ति प्रबंधन उपाय है, को वर्ष के दौरान पुनः लागू किया गया और इसे और अधिक कारगर रूप दिया गया। इससे प्याज की कीमतों में वृद्धि की दर को कम करके मार्च 2018 में 66.8 प्रतिशत तक लाने में सहायता मिली। आलू के मामले में पश्चिम बंगाल - जो कि देश में प्याज का प्रमुख उत्पादक राज्य है, में मानसून के देर तक बने रहने के चलते अक्टूबर महीने में भी वर्षा होने के कारण देर से बुवाई के कारण कीमतों पर दबाव रहा, हालांकि पिछले वर्ष बचे हुए स्टॉक के प्रभाव के कारण इस पर कुछ नियंत्रण बना रहा। वर्ष 2017-18 के दौरान सब्जियों की कीमतों में हुए उतार-चढ़ाव की एक चारित्रिक विशेषता यह रही कि यद्यपि कीमतों में सामान्यतया नवंबर में प्रारंभ हो जाने वाली मौसमी नरमी देर

चार्ट II.2.4: सब्जियों की कीमतों में मौसमी प्रभाव (मार्च की तुलना में घट-बढ़)



स्रोत: सीएसओ, और भा.रि.बैं. स्टाफ अनुमान।

से आयी, परंतु दिसंबर से हुए संचयी सुधार काफी प्रभावी रहे (चार्ट II.2.4)।

II.2.17 अगर सब्जियों को छोड़ दिया जाता, तो जुलाई 2017 से मार्च 2018 के बीच खाद्य वस्तुओं में महंगाई दर का औसत वर्ष 2016-17 की उसी अवधि के 5.3% की तुलना में 1.5 प्रतिशत होता (3% की वास्तविक खाद्य महंगाई दर की तुलना में)।

II.2.18 दालें, जिनकी हिस्सेदारी खाद्य समूह में लगभग 5 प्रतिशत है, पूरे वर्ष महंगाई दर को लगातार नीचे रखने का दबाव बनाए रखने में सफल रहीं। इसे समग्र महंगाई दर की तुलना में दालों की कीमतों में हुए उतार-चढ़ाव में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों से स्पष्ट देखा जा सकता है- 2016-17 के (+) 6.0 प्रतिशत से 2017-18 में (-) 17.9%। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान दालों के उत्पादन बढ़कर 24.51 मिलियन टन रहा (वर्ष 2016-17 में 23.13 मिलियन टन) और इससे द्विअंकीय अपस्फीति दर का असर पिछले वर्ष की तुलना में अधिक दिखाई पड़ा। दालों के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में अरहर और उड़द की मंडी कीमतें उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से काफी कम रहीं जिससे आपूर्ति की तुलना में कम

खरीद दिखाई पड़ती है। हालांकि, बाजार की कीमतें ए2 लागत (अर्थात् लगाई गई श्रम लागत को छोड़कर उत्पादन लागत) से ऊपर बनी हुई हैं परंतु इसका परिणाम यह हुआ है कि आपूर्ति संबंधी प्रतिकूल प्रतिसाद अभी स्पष्ट नहीं है परंतु भविष्य में शायद यह अवश्यभावी हो। हालांकि इस वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इसे कम करने के उपाय किए गए हैं जैसे- सभी दालों पर निर्यात प्रतिबंध हटाना, चने पर 60 प्रतिशत आयात शुल्क लगाना और मसूर पर 30 प्रतिशत आयात शुल्क लगाना।


II.2.19 तिलहन, विशेष रूप से सोयाबीन, सरसों और मूंगफली की कीमतें भी अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे आ गयीं क्योंकि लगातार दो सूखा प्रभावित वर्षों के उपरांत 2016-17 में इनकी फसल जबरदस्त (31.28 मिलियन टन) रही और उसके बाद 2017-18 के दौरान भी एक बार पुनः तिलहन की अच्छी फसल (30.64 मिलियन टन) रही। इसका परिणाम यह हुआ कि खाद्य तेल (सरसों और मूंगफली) की कीमतें भी नीचे आयीं और वर्ष 2017-18 की अधिकांश अवधि में महंगाई दर ऋणात्मक क्षेत्र में ही बनी रही। वैश्विक स्तर पर भी उत्पादन अच्छा रहने के कारण खाद्य तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी कम हुईं जिनका असर आयात के माध्यम से घरेलू कीमतों पर भी पड़ा। सरकार ने अगस्त 2017, नवंबर 2017 और मार्च 2018 में विभिन्न खाद्य तेलों पर मूलभूत सीमाशुल्क में बढ़ोत्तरी की ताकि सस्ते आयात पर लगाम लग सके और घरेलू कीमतों में हास को रोका जा सके।

II.2.20 खाद्य वस्तुओं में रही समग्र मंदी में चीनी और मसालों की भी भूमिका रही क्योंकि आयातित माल की आपूर्ति में सुधार हुआ और साथ ही, घरेलू उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक रहा (2017-18 के दौरान गन्ने का उत्पादन वर्ष 2016-17 के 30.61 मिलियन टन से बढ़कर 35.51 मिलियन टन हो गया)। अनाजों की महंगाई दर वर्ष के दौरान सामान्यतया हल्की ही रही जो कि पर्याप्त मात्रा में किए गए भण्डारण की वजह से दूसरी छमाही में कम हो गयी।

ईंधन

II.2.21 वर्ष के दौरान ईंधन समूह (सीपीआई में जिसकी भारिता 6.8 प्रतिशत है) का योगदान 11.3 प्रतिशत रहा जो कि एक

चार्ट II.2.5: एलपीजी और केरोसीन की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव




स्रोत: पेट्रोलियम आयोगना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) और ब्लूमबर्ग।

वर्ष पहले 4.8% की तुलना में अधिक था। ईंधन महंगाई दर कम होते-होते मार्च 2018 में 5.7 प्रतिशत तक पहुंच जाने के पहले जुलाई 2017 से बढ़ने लगी और नवंबर 2017 में अपने उच्चतम स्तर 8.2 प्रतिशत तक पहुंच गई जबकि जून 2017 में यह वर्ष के दौरान अपने न्यूनतम स्तर 4.5 प्रतिशत पर थी। इस तीव्र बढ़ोतरी में मुख्य भूमिका एलपीजी और केरोसीन की रही जिससे यह प्रदर्शित होता है कि सरकार द्वारा जुलाई 2016 से नियंत्रित कीमतों में नपे-तुले अंदाज में वृद्धि की गयी ताकि इन पर दी जा रही सब्सिडी को कम करते हुए घरेलू कीमतों को क्रमशः अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप ढाला जा सके। दूसरी ओर, घरेलू गैर-सब्सिडी प्राप्त एलपीजी की कीमतों में बदलाव कमोवेश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में हुए उतार-चढ़ाव के अनुरूप ही हुआ (चार्ट II.2.5)। चारों महानगरों में गैर-सब्सिडी प्राप्त एलपीजी सिलेंडर की औसत कीमत दिसंबर 2017 की तुलना में मार्च 2018 में 57 रुपये गिर गयी जो कि 2017-18 की चौथी तिमाही के दौरान ईंधन और प्रकाश की महंगाई दर में आयी कमी के रूप में परिलक्षित हुई। केरोसीन तेल के दामों में प्रति पखवाड़ा 25 पैसे की वृद्धि तब तक करने जब तक कि इस पर सब्सिडी पूरी तरह समाप्त न हो जाए संबंधी सरकार के इस निर्णय के बाद केरोसीन की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में अंतर कम हुआ है। वर्ष के दौरान ईंधन और प्रकाश की महंगाई दर में जलावन और छीलन का प्रमुख योगदान रहा।

खाद्य और ईंधन से इतर महंगाई दर

II.2.22 खाद्य और ईंधन से इतर सीपीआई महंगाई दर 2016-17 के दौरान स्थिर बने रहने के बाद, जून 2017 में कम होकर (नई सीपीआई सीरीज में) 3.8 प्रतिशत तक पहुंच गयी जिससे कीमतों पर दबाव कम होने और बेस प्रभाव अनुकूल होने के संकेत मिलते हैं। तब से लेकर दिसंबर 2017 तक इसमें लगातार वृद्धि हुई और 2017-18 की चौथी तिमाही तक 5.2 प्रतिशत के इर्द-गिर्द बनी रही जिसमें प्रमुख योगदान विविध वस्तुओं और सेवाओं, तथा आवासन का रहा जिसके अंतर्गत एचआरए में हुई वृद्धियों के सांख्यिकीय प्रभाव शामिल हैं। एचआरए के कारण

चार्ट II.2.6: खाद्य और ईंधन महंगाई दर को छोड़कर सीपीआई के वाहक




*: इसमें मनोरंजन एवं विलासिता की चीजें और निजी देखभाल एवं सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं शामिल हैं।

स्रोत: सीएसओ, और भा.रि.बैं. स्टाफ अनुमान।

पड़ने वाले प्रभाव को यदि समायोजित करके देखा जाए तो खाद्य एवं ईंधन समूह को छोड़कर वार्षिक औसत महंगाई दर में अपेक्षाकृत कमी आयी और यह 2017-18 के दौरान लगभग 40 आधार अंक गिरकर 4.2 प्रतिशत के आस-पास रही।

II.2.23 आवासन को घटाकर खाद्य और ईंधन से इतर महंगाई दर का औसत 2017-18 में 4.1 प्रतिशत रहा जो कि पिछले वर्ष 4.7 प्रतिशत की तुलना में कम था। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एचआरए में हुई वृद्धि जुलाई 2017 से लागू की गयी और आवासन क्षेत्र की महंगाई दर पर इसका सर्वाधिक प्रभाव दिसंबर 2017 में देखा गया। यह प्रभाव जुलाई 2018 से धीरे-धीरे समाप्त होने लगा है और दिसंबर 2018 आते-आते पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। नीति-निर्माण के उद्देश्य से एचआरए में हुई वृद्धि के सीधे प्रभाव, जिसका एक प्रमुख हिस्सा सांख्यिकीय प्रकृति का है, की तुलना में महंगाई दर प्रत्याशाओं के माध्यम से संबंधित दूसरे चरण के प्रभावों की सावधानीपूर्वक निगरानी करना अधिक आवश्यक होगा। इसके अलावा, 2018-19 के दौरान यदि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा एचआरए वृद्धि को लागू कर दिया जाता है, तो महंगाई दर का ग्राफ ऊपर चढ़ने का जोखिम बना हुआ है।

II.2.24 विविध समूह के अंतर्गत यातायात और संचार की कीमतों में महंगाई दर पहली छमाही के 3.1 प्रतिशत से घट कर दूसरी छमाही में 2.3 प्रतिशत हो गई जिसका प्रमुख कारण था अक्टूबर 2017 में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में ₹2 प्रति लीटर की कमी किया जाना, और कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में नवंबर-दिसंबर में हुई वृद्धि का असर देर से पहुंचना। वर्ष 2017-18 के दौरान कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुसरण में ही कच्चे तेल की भारतीय बास्केट की कीमतें भी घटकर जून 2017 में वर्ष के सबसे निचले स्तर 46.6 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पहुंच गईं। तब से लेकर अभी तक केवल फरवरी 2018 माह को छोड़ दें तो कच्चे तेल की कीमतें माह-दर-माह बढ़ती ही गई हैं और वर्ष के दौरान जनवरी 2018 में ये अपने उच्चतम स्तर 67.1 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पहुंच गयी थीं (चार्ट II.2.7)। वार्षिक औसत के आधार पर देखें तो कच्चे तेल की भारतीय बास्केट की कीमतों में 2017-18 के दौरान 18.5 प्रतिशत का इजाफा हुआ (47.6 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 2017-18 में 56.4 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल)। पेट्रोल और डीजल जैसे



पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर कच्चे तेल की कीमतों का असर अक्टूबर-दिसंबर 2017 के दौरान मंद रहने के उपरांत 2017-18 की चौथी तिमाही में अधिक दिखा।

II.2.25 संचार सेवाओं - टेलीफोन और इंटरनेट प्रभार - की कीमतों में आयी मंदी से स्पष्ट तौर पर यह देखा गया कि इस क्षेत्र के सेवाप्रदाताओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ गयी है। विविध समूह के अन्य घटकों में, शिक्षा पर आने वाली लागत में वर्ष की दूसरी छमाही में मंदी दिखी, जबकि शेष घटकों – स्वास्थ्य, मनोरंजन और विलासिता, घरेलू सामान और सेवाएं तथा व्यक्तिगत देखभाल एवं सौंदर्य प्रसाधन – में वर्ष की दूसरी छमाही में तेजी दिखी जिससे टीवी, एलईडी पैनलों, मोबाइल हैंडसेटों, जूते-चप्पल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में हुई बढ़ोत्तरी का आंशिक असर दिखता है और साथ ही, सोने की कीमतों में हुई वृद्धि का असर भी दिखता है।

4. महंगाई दर के अन्य संकेतक

II.2.26 पूरे वर्ष की बात करें तो, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-ए एल) और ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आर एल) जिनमें आवासन घटक शामिल नहीं होता, उनमें समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महंगाई दर के अनुरूप ही गिरावट आयी जबकि औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आई डब्लू) और संयुक्त

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-सी) की महंगाई दरें जनवरी 2018 में और करीब आर्यीं। सीपीआई-आईडब्लू के अंतर्गत आने वाले आवासन सूचकांक को वर्ष के दौरान दो बार जनवरी और जुलाई में समायोजित किया जाता है (जो कि सीपीआई-सी के तहत निरंतरता के आधार पर किए जाने वाले समायोजन के विपरीत क्योंकि नमूने का छठा भाग प्रत्येक माह कवर कर लिया जाता है)। इसीलिए एचआरए के क्रियान्वयन का असर सीपीआई-आईडब्लू में जनवरी 2018 में दिखाई पड़ा।

II.2.27 डब्लूपीआई के आधार पर मापने पर महंगाई में वृद्धि हुई जबकि जीडीपी डिफ्लेटर के आधार पर मापने पर महंगाई दर में 2017-18 के दौरान कमी आयी। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोत्तरी, प्रदूषण फैला रही कंपनियों के विरुद्ध चीन द्वारा कठोर कार्रवाई किए जाने के कारण धातुओं की कीमतों में हुई वृद्धि और वैश्विक स्तर पर मजबूत होती संवृद्धि-दर के कारण

इनपुट लागत बढ़ने लगी और इसने वर्ष 2017-18 के दौरान घरेलू क्षेत्र में कृषि और गैर कृषि इनपुट लागत में आए भारी बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

II.2.28 अनाजों के एमएसपी में आंशिक बढ़ोतरी की घोषणाएं 2017-18 के दौरान की गयीं। कपास और बाजरा तथा रागी जैसे मोटे अनाजों वाली फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में बड़ी वृद्धि हुई और सरकार ने दालों और तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की नीति जारी रखते हुए उनके एमएसपी भी बढ़ा दिए। लागत पक्ष से महंगाई उत्पन्न करने में एमएसपी की भूमिका समुचित खरीद पर टिकी होती है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाजार कीमतें घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर या उससे ऊपर बनी रहें और यह आने वाले वर्ष में महंगाई दर के लिए एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता बनी रहती है (बॉक्स II.2.2)।

बॉक्स II.2.2:

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) – क्या ये भारत में महंगाई दर के विक्षेप पथ को प्रभावित करते हैं ?

भारत में महंगाई दर को प्रभावित करने में एमएसपी की भूमिका पर अकादमिक और लोक नीति निर्माण के क्षेत्रों में जोरदार बहस होती रही है। जहाँ कुछ अध्ययनों में जहाँ एमएसपी को महंगाई दर को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख कारक माना जाता है (कपूर और बेहरा, 2012), वहीं दूसरे ऐसा मानते हैं कि इसका सीमित प्रभाव (सोन्ना और अन्य, 2014) पड़ता है। एक अभिमत यह भी है कि एमएसपी का महंगाई दर पर स्वतंत्र रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता (लाहिडी, 2014)। एक अन्य प्रकार के प्रभाव को भी रेखांकित किया जाता है कि आपूर्ति पक्ष की ओर से मिलने वाले अपेक्षाकृत अधिक प्रतिसाद से भी एमएसपी का महंगाई दर पर पड़ने वाला प्रभाव निराशाजनक रहता है (गुलाटी और सैनी, 2014)।

अनुभव आश्रित इन मिले-जुले निष्कर्षों के बीच केंद्रीय बजट 2018-19¹² में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य को कुल फसली लागत के 1.5 गुने पर नियत कर देने संबंधी घोषणा, जो कि 2018 की खरीफ की फसल से लागू होगी, के बाद यह औचित्यपूर्ण हो गया है कि महंगाई दर के विक्षेप पथ पर एमएसपी के प्रभाव का पुनः आकलन किया जाए। सरकार 23 फसलों की बुवाई के मौसम से पूर्व उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को उनकी फसल की गारंटीशुदा कीमतें मिल सकें और उन्हें कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव और बाजार की कमियों से सुरक्षा मिल सके। इन 23 में से 16 सीपीआई बास्केट में भी मौजूद हैं।

इसी पृष्ठभूमि में, वर्ष 2011-12 से 2017-18 की अवधि के दौरान नई

सीपीआई-सी सीरीज के अंतर्गत उक्त 16 मर्दों की महंगाई दर पर पड़ने वाले एमएसपी के समग्र प्रभाव का आकलन करने में अंतर्जातीयता (अर्थात्, एमएसपी पर सकारात्मक उत्पादन प्रतिसाद के असर, और अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन ताकि एमएसपी में तुलनात्मक रूप से कम वृद्धि करनी पड़े) की संभाव्य समस्या आ जाने के मद्देनजर जेनेरलाइज्ड मेथड ऑफ मोमेंट्स (जीएमएम) का इस्तेमाल करते हुए एक डायनॉमिक पैनल रिग्रेशन मॉडल का अनुमान किया जाता है :

$$\Delta Y_{14,16;t} = \rho \Delta Y_{(14,16;t-1)} + \beta_2 \Delta X_{i,t} + \beta_3 \Delta Z_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

जहाँ, $Y_{14,16;t}$ समयावधि t में एमएसपी की 14 या 16 मर्दों की भारित सीपीआई है, जैसा मामला हो; $Y_{(14,16;t-1)}$ एक समयावधि अंतराल के साथ भारित सीपीआई, $X_{i,t}$ समयावधि t में 14 अथवा 16 फसलों के अलग-अलग एमएसपी हैं; और $Z_{i,t}$ समयावधि t में 14 अथवा 16 फसलों के अलग-अलग उत्पादन हैं। इस आकलन में अनेक सहायक चर हैं, यथा- कृषि मजदूरी, प्रतिफल, विलंबित एमएसपी, विलंबित उत्पादन, खरीद (चावल और गेहूँ की) तथा एक वर्षा छद्म चर जिसे सामान्य दक्षिण पश्चिम मानसून से +/-5% तथा उत्तर-पूर्व मानसून से +/-15% के विचलन के रूप में पारिभाषित किया जाता है।

इस मॉडल का आकलन तीन प्रकार की स्थितियों में किया जाता है : (i) खरीद को एक प्रमुख चर के रूप में लेते हुए सभी 16 सीपीआई मर्दों के लिए (पहली स्थिति), (ii) खरीद को प्रमुख चर के रूप में लिए बिना सभी 16 सीपीआई मर्दों (जारी...)

¹² बजट प्रस्ताव के मुताबिक ही, सरकार ने 4 जुलाई 2018 को खरीफ फसलों के लिए एमएसपी तय कर दिया जो कि ए2+एफएल लागत का कम से कम 1.5 गुना थे।

के लिए (दूसरी स्थिति), और (iii) 14 सीपीआई मर्दों के लिए, अर्थात् पैनल से चावल और गेहूँ (जिनमें सर्वाधिक खरीद, उत्पादन का लगभग 35 प्रतिशत, होती है) को छोड़ते हुए (तीसरी स्थिति)¹³।

ये निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि सीपीआई फूड बास्केट में शामिल 16 वस्तुओं पर एमएसपी का प्रभाव सर्वाधिक होता है। जब खरीद को एक प्रमुख चर के रूप में लिया जाता है (पहली स्थिति) बजाय उस स्थिति के जब खरीद को प्रमुख चर के रूप में नहीं लिए (दूसरी स्थिति)। इसके विपरीत, पैनल से चावल और गेहूँ (अर्थात्, सीपीआई 14 वाले मामले में) को छोड़ते हुए देखा जाता है तो महंगाई दर पर एमएसपी का प्रभाव सांख्यिकीय दृष्टि से नगण्य हो जाता है (तीसरी स्थिति)। इससे यह संकेत मिलता है कि एमएसपी को बढ़ाकर यदि

सारणी 1: डायनॉमिक पैनल डाटा मॉडल के अनुभवाश्रित परिणाम (एमएसपी वाली 16 फसलें; 2011-12 से 2017-18)

व्याख्यात्मक चर	पहली स्थिति (खरीद सहित IV)	दूसरी स्थिति (बिना खरीद के IV)	तीसरी स्थिति (बिना खरीद के IV)
1	2	3	4
log (खाद्य.सीपीआई16) _(t-1)	0.52 (23.33)***	0.54 (54.28)***	---
log (खाद्य.सीपीआई14) _(t-1)	---	---	0.83 (10.99)***
log (एमएसपी16)	0.16 (6.61)***	0.13 (16.50)***	---
log (एमएसपी14)	---	---	-0.06 (-0.49)#
log (उत्पादन16)	-0.04 (-5.01)***	-0.02 (-6.55)***	---
Log (एमएसपी14)	---	---	-0.17 (-4.59)***
परीक्षण			
जे-सांख्यिकी / प्रायि. (जे-स्टैट्स)	11.46; 0.12	13.19; 0.15	6.32; 0.38
प्रथम अंतर जेड / प्रायि. (जे-स्टैट्स)	-2.88; 0.001	-3.33; 0.00	-2.08; 0.04
प्रथम अंतर जेड / प्रायि. (जेड) में एआर (2) के लिए अरेलेनो-बॉण्ड परीक्षण	-0.38; 0.701	1.21; 0.23	-0.26; 0.79

- नोट:** 1 चावल और गेहूँ को छोड़कर एमएसपी 14 और सीपीआई
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े टी-सांख्यिकी हैं।
3. ***: उल्लेखनीय 1% पर; #: नगण्य।

सहायक चर:

Log(कृषि मजदूरी)₍₀₎; log(पी. प्रतिफल)₍₀₎; log(एमएसपी)_(-1,2,3); वर्षा छद्म चर;
log(क्षेत्रफल); log(खरीद); log(उत्पादन)_(-1,2,3)

स्रोत: भा.रि.बैं. स्टाफ अनुमान।

खाद्य स्फीति के विक्षेप पथ को ऊपर ले जाना है तो वह पर्याप्त मात्रा में खरीद के माध्यम से ही संभव है (सारणी 1)।

इस संकल्पना की जाँच एक पैनल फ्रेमवर्क के तहत 2008-09 से 2017-18 की अवधि के लिए अलग-अलग फसलों के उत्पादन तथा उनकी खरीद में अलग-अलग राज्यों में पायी जाने वाली विविधता का अध्ययन करते हुए की गयी है। तदनुसार, किसी राज्य में किसी फसल की खुदरा कीमत एमएसपी, उत्पादन, खरीद और अंतरराष्ट्रीय कीमतों के फलन के रूप में निर्धारित की जाती है, अर्थात् वे सभी सूचनाएँ जिनका इस्तेमाल एमएसपी के निर्धारण हेतु कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय कीमतें और लैंग्ड खुदरा कीमतें नियंत्रक चरों के रूप में प्रयोग में लायी जाती हैं। समकालिकता पूर्वाग्रह (एमएसपी एवं खुदरा कीमतों के बीच) की समस्या का समाधान एमएसपी की पूर्व घोषणा कर दिए जाने से ही हो जाता है जबकि लैंग्ड खुदरा कीमतों और अंतरराष्ट्रीय कीमतों को शामिल कर लेने से छोड़ दिए गए चरों संबंधी पूर्वाग्रह (क्योंकि इन कीमतों का एमएसपी पर असर पड़ता है) की समस्या से निपटने में सहायता मिलती है।

इस प्रकार अलग-अलग फसलों की खुदरा कीमतों की आधाररेखीय विशेषताएँ निम्नानुसार दर्शाई जा सकती हैं :

$$p_{st} = \beta_0 + \beta_1 msp_t + \beta_2 iprice_t + \beta_3 prod_{st} + \beta_4 proc_{st} + \beta_5 p_{s(t-1)} + \delta_s + \epsilon_{st}$$

जहाँ, p_{st} खुदरा कीमत, msp_t एमएसपी, $iprice_t$ अंतरराष्ट्रीय कीमत, उत्पादन, $proc_{st}$ खरीद, और δ_s राज्य आधारित नियत प्रभाव है। अधोलिखित 's' राज्य को दर्शाता है और 't' फसली वर्ष को (वार्षिक डेटा फसली वर्ष अर्थात् जुलाई से जून के आधार पर व्यवस्थित किए जाते हैं)। रबी की फसलों के लिए एमएसपी, उत्पादन और खरीद के विलंब लॉग्स का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि विपणन वर्ष की समय सीमा बढ़ते-बढ़ते अगले फसली वर्ष तक पहुँच जाती है। लैंग्ड चर का इस्तेमाल व्याख्यात्मक चरों के रूप में किए जाने के मद्देनजर अरेलेनो-बॉण्ड अनुमान प्रणाली का उपयोग किया जाता है जिससे प्राप्त अनुमान सुसंगत होते हैं।

आधाररेखीय मॉडल के परिणाम सारणी 2 में प्रस्तुत किए गए हैं। वे दर्शाते हैं कि एमएसपी सभी फसलों की खुदरा कीमतों पर सकारात्मक और सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, हालांकि अलग-अलग फसलों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव में उल्लेखनीय अंतर देखा जाता है। सामान्यतया, उन फसलों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है जिनकी खरीद ज्यादा होती है जैसे कि धान और गेहूँ। इसके अतिरिक्त, उक्त नियंत्रक चर कुछ अन्य रोचक परिणाम भी दर्शाते हैं : अंतरराष्ट्रीय कीमतें खाद्य तेलों के मामले में जहाँ कीमतों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वहीं दालों की बात करें तो इनकी कीमतों में सर्वाधिक गिरावट उत्पादन के बढ़ जाने के कारण होती

(जारी...)

¹³ जहाँ गेहूँ और धान के मामले में खरीद की मात्रा अधिक होती है, वहीं थोड़ी खरीद दालों और तिलहन के मामले में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (एनएफईडी) और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा; और कॉटन और जूट के मामले में भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय जूट निगम (जेसीआई) द्वारा की जाती है; जबकि कई राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से जनता में बांटने हेतु कई चीजों की खरीद करते हैं जैसे मध्यप्रदेश में सोयाबीन, कर्नाटक में मक्का और रागी, महाराष्ट्र में ज्वार और तमिलनाडु में दालों की।

सारणी 2: वार्षिक डेटा पैनल रिग्रेशन

आश्रित चर	log खुदरा कीमतें										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	धान	गेहूँ	अरहर	उड़द	मूंग	चना	मसूर	मूंगफली	सोयाबीन	सफेद सरसो	सूरजमुखी
log (एमएसपी)	0.91*** (0.10)	1.27*** (0.08)	0.44*** (0.10)	0.15*** (0.04)	0.14*** (0.03)	1.13*** (0.06)	0.64*** (0.06)	0.57*** (0.13)	0.60*** (0.08)	0.83*** (0.08)	0.61*** (0.06)
log (अंतरराष्ट्रीय कीमत)	0.07 (0.09)	0.03 (0.02)						0.40*** (0.05)	0.44*** (0.02)	0.48*** (0.04)	0.63*** (0.07)
log (उत्पादन)	-0.02 (0.07)	-0.20* (0.08)	-0.29 (0.16)			-0.30*** (0.05)	-0.08 (0.07)	-0.07* (0.03)	-0.01 (0.03)	-0.07 (0.10)	-0.05** (0.01)
log (खरीद)	-0.10** (0.03)	0.002 (0.01)									
log (खुदरा मूल्य) ₍₋₁₎	0.20 (0.12)	0.06 (0.07)	0.60*** (0.05)	0.45*** (0.03)	0.31*** (0.04)	0.01 (0.07)	0.90*** (0.05)	-0.02 (0.15)	0.004 (0.13)	-0.06 (0.10)	0.16*** (0.04)
अचर	-4.31*** (0.80)	-6.29*** (0.43)	-2.25* (0.97)	1.19*** (0.22)	1.91*** (0.22)	-5.39*** (0.26)	-4.73*** (0.64)	-2.84*** (0.75)	-3.31*** (0.31)	-5.11*** (0.39)	-5.58*** (0.71)
अवलोकन	57	48	60	207	209	82	36	48	27	61	40

टिप्पणियां: 1. *: p<0.05 **: p<0.01 ***: p<0.001.

2. स्टैण्डर्ड त्रुटियां कोष्ठक में।

स्रोत: भा.रि.बैं. स्टाफ अनुमान।

है; साथ ही, सभी फसलों में दालें ही ऐसी हैं जिनकी कीमतें सर्वाधिक लंबे समय तक स्थिर बनी रहती हैं; धान की कीमतों में गिरावट उसकी अधिक खरीद से जुड़ी हुई है जो कि शायद मांग से अधिक आपूर्ति की ओर संकेत करती हैं।

इस प्रकार ये दोनों पैनल (ऐतिहासिक दृष्टिकोण से) अध्ययन करते हुए बताते हैं कि यदि खरीद पर्याप्त मात्रा में की जाती है तो सांख्यिकीय दृष्टि से महंगाई दर पर एमएसपी का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। हालांकि 2018-19 की खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों में की गयी वृद्धि का वास्तविक प्रभाव सरकारी खरीद की नीतियों पर तथा इस बात पर निर्भर करेगा कि बाजार में विभिन्न फसलों की मौजूदा कीमतें उनके संशोधित एमएसपी की तुलना में कितनी हैं।

II.2.29 कृषि और गैर-कृषि श्रमिकों की सांकेतिक ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि अगस्त 2017 से सामान्यतया कम हुई, जिससे महंगाई दर के कम रहने का विलंबित प्रभाव आंशिक रूप से प्रदर्शित होता है। अगस्त-सितंबर 2016 में भारतीय राज्यों यथा - गुजरात, केरल, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किया गया सर्वेक्षण यह दिखाता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत दिहाड़ी घरेलू श्रमिकों को काम मिलने की संभावना अधिक है जिससे बाजार में श्रम की उपलब्धता कम हो जाने का खतरा बढ़ सकता है और इससे मजदूरी बढ़ने का दबाव भी बनेगा।

संदर्भ:

1. गुलाटी, ए. और एस. सैनी (2014), " फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया – डायनामिक्स एंड रेमिडीज", (संपा.) उमा कपिला (इंडियन इकॉनॉमी सिन्स इंडिपेंडेंस: एकेडमिक फाउंडेशन, 2014).
2. कपूर, एम. और एच. बेहरा (2012), "मॉनिटरी ट्रांसमिशन मेकेनिज्म इन इंडिया : अ क्वार्टरली मॉडल", आरबीआई वर्किंग पेपर सीरीज, डब्ल्यूपीएस(डीईपीआर): 09 / 2012.
3. लाहिरी, ए. (2014), "डॉट ब्लेम एमएसपी फॉर इन्फ्लेशन", दी इंडियन एक्सप्रेस, अक्टूबर.
4. सोन्ना टी, एच. जोशी, ए सेबेस्टियन और उ. शर्मा (2014), "एनैलिटिक्स ऑफ फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया", आरबीआई वर्किंग पेपर सीरीज, डब्ल्यूपीएस(डीईपीआर): 10/2014.

कॉर्पोरेट सेक्टर के मामले में स्टाफ लागतें हाउसहोल्ड की महंगाई दर प्रत्याशा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील दिखी हैं जिससे यह संकेत मिलता है कि वेतन-महंगाई चक्र के जोखिम को कम करने के लिए महंगाई दर प्रत्याशाओं को नियंत्रित रखने की आवश्यकता है।

5. निष्कर्ष

II.2.30 कुल मिलाकर, 2017-18 के दौरान महंगाई विक्षेप पथ में नाटकीय रूप से तीन चरणों में परिवर्तन देखने को मिले जिन्होंने स्पष्ट रूप से दर्शाया कि कैसे महंगाई दर पर बन रहा दबाव व्यापक हो जाता है और परिणामस्वरूप कैसे नीतिगत

बॉक्स II.2.3

ग्रामीण श्रम बाजार पर मनरेगा का प्रभाव : सर्वे डेटा का उपयोग करते हुए आकलन

सामाजिक सुरक्षा नेटवर्कों को मजबूत करने की आवश्यकता दुनिया भर में बनायी जा रही सार्वजनिक नीतियों की एक प्रमुख विशेषता रही है। इस संदर्भ में, मनरेगा अधिनियम, 2005 के तहत शुरू की गई भारत की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) को सार्वजनिक कार्य के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम के रूप में स्थान दिया गया है, जो देश की लगभग 15 प्रतिशत आबादी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है (विश्व बैंक, 2015)। इसका बुनियादी, जन केंद्रित, मांग-संचालित, स्वतः चुनाव, अधिकार-आधारित डिजाइन अभिनव और अभूतपूर्व है। हालांकि, इस योजना का उद्देश्य 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है, तथापि अखिल भारतीय स्तर पर इसके द्वारा प्रदान किए जा रहे कुल रोजगार का औसत 50 दिनों से भी कम है जिसमें विभिन्न राज्यों के आंकड़ों में काफी भिन्नता है (चार्ट 1)।

इसके अलावा, इस योजना के कार्यान्वयन में अलग-अलग राज्यों में स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। मनरेगा के माध्यम से उपलब्ध कराए गए कुल रोजगार का एक चौथाई हिस्सा दो राज्यों अर्थात्, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल द्वारा प्रदान किया गया जो कि कुल ग्रामीण परिवारों में उनकी हिस्सेदारी से अधिक था। महाराष्ट्र और बिहार, जिनकी कुल ग्रामीण परिवारों में हिस्सेदारी अपेक्षाकृत अधिक है, ने मनरेगा (चार्ट 2) के माध्यम से रोजगार सृजन अपेक्षाकृत कम किया (चार्ट 2)।



इसी पृष्ठभूमि में, मजदूरी के स्तर और श्रम बाजार भागीदारी पर मनरेगा के प्रभाव का समग्र आकलन करने के उद्देश्य से देश के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को कवर करने वाले तथा भिन्न-भिन्न आर्थिक और श्रम बाजार स्थितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले चुनिंदा छह भारतीय राज्यों के मनरेगा श्रमिकों के 1798 नमूने लेते हुए अगस्त-सितंबर 2016 के दौरान एक प्राथमिक सर्वेक्षण कराया गया था और ये राज्य थे - गुजरात, केरल, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

सर्वेक्षण से पता चला कि केरल, गुजरात और पंजाब में प्रतिक्रिया देने वालों में आधे से अधिक ऐसे थे जो पहले बेरोजगार थे, जबकि उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में वे खेतिहर मजदूर थे। सर्वेक्षण के नतीजों ने यह भी दर्शाया कि (i) सर्वेक्षण में शामिल किए गए सभी राज्यों में, केवल कुछ ऐसे थे जिन्होंने मनरेगा के बदले किसी अन्य वैकल्पिक रोजगार को तरजीह दी, और (ii) मनरेगा के लिए पारंपरिक श्रम को छोड़ देने वालों की संख्या अलग-अलग राज्यों एवं भिन्न-भिन्न श्रम-समूहों में अलग-अलग थी। पारंपरिक रोजगार छोड़कर मनरेगा की ओर झुकाव दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवारों के मामले में अधिक है और यह पंजाब (29.6 प्रतिशत), केरल (24.1 प्रतिशत) और गुजरात (8.3 प्रतिशत) की तुलना में उड़ीसा (75 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (66 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (42.5 प्रतिशत) में अधिक स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है।

विश्लेषण के उद्देश्य से, मनरेगा के लिए पारंपरिक रोजगार छोड़ने को एक निर्भर चर के रूप में लिया गया था। द्विशाखीय आश्रित चर होने के कारण अरेखीय रिग्रेशन मॉडल का उपयोग किया गया था। इस मॉडल में संभावित विनिर्देश पूर्वाग्रह से निपटने के लिए हेकमैन का नमूना चयन मॉडल लागू किया गया था। हेकमैन मॉडल में ρ मूल्य और वाल्ड आंकड़े महत्वहीन साबित हुए, जिनसे चयन और परिणाम समीकरणों की त्रुटि शर्तों के बीच सहसंबंध की अनुपस्थिति का संकेत मिलता है। तदनुसार, एक प्रोबिट मॉडल का इस्तेमाल रिग्रेशन का आकलन करने के लिए किया गया था जिनमें उन्हीं प्रतिक्रियादाताओं को शामिल किया गया था जिनके पास मनरेगा से भिन्न कोई रोजगार है। इसमें आश्रित चर का मान 1 होता है जब प्रतिक्रिया देने वाला श्रमिक पारंपरिक रोजगार छोड़कर मनरेगा के अंतर्गत रोजगार चुनता है, अन्यथा उसका मान शून्य रहता है;

$$y_i = \beta_1 CL_A + \beta_2 CL_{NA} + \beta_3 G + \beta_4 P + \beta_5 W + \beta_6 M + \beta_7 C + \varepsilon_i,$$

जहां, y_i - क्या मनरेगा के लिए पारंपरिक रोजगार छोड़ा है: हाँ= 1 और नहीं = 0; CL_A - दिहाड़ी कृषि मजदूर: हाँ = 1 और नहीं = 2; CL_{NA} -



(जारी...)

सारणी 1: प्रोबिट मॉडल के परिणाम - औसत सीमांत प्रभाव

चर	dy/dx	मानक त्रुटि	z	प्रेक्षणों की संख्या = 968 मॉडल वीसीई: रोबस्ट		
				प्रायिकता	[95% Conf. Interval]	
दिहाड़ी कृषि मजदूर	0.19	0.03	6.23	0.001	0.13	0.25
दिहाड़ी और कृषि मजदूर	0.11	0.04	2.89	0.004	0.04	0.19
मजदूरी में अंतर	-0.000003	0.000001	-3.36	0.001	-0.000005	-0.000001
जाति	0.03	0.03	0.93	0.351	-0.03	0.09
लिंग	-0.01	0.03	-0.23	0.818	-0.07	0.06
गरीबी	0.03	0.04	0.73	0.463	-0.04	0.09
कमाई करनेवालों की संख्या	0.002	0.01	0.12	0.906	-0.03	0.03

नोट: वाल्ड ची²(7) = 62.77; प्रायि > ची² = 0.0000.

Log छद्मसंभाव्यता = -614.31906; छद्म आर² = 0.0500.

स्रोत: भा.रि.बैं. स्टाफ अनुभव।

दिहाड़ी गैर कृषि मजदूर: हाँ = 1 और नहीं = 2; G – लिंग: महिला = 1 और पुरुष = 0; P – राशन कार्ड की स्थिति के अनुसार मापित गरीबी: बीपीएल / अंत्योदय / अन्नपूर्णा = 1 और एपीएल = 0; W = अन्य रोजगार से प्राप्त मजदूरी और मनरेगा मजदूरी के बीच के अंतर का वर्ग, एम = परिवार में कमाई करने वाले सदस्यों की संख्या और C=जाति: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति=1 और अन्य=0।

प्रोबिट मॉडल के गुणांक संबंध की दिशा प्रदर्शित करते हैं जबकि सीमांत प्रभाव (सारणी 1 में डीवाई / डीएक्स कॉलम) प्रत्येक व्याख्यात्मक चर के आंशिक प्रभाव को दर्शाता है इस संभावना के साथ कि प्रेक्षित आश्रित चर $Y_i = 1$, जो इस मामले में मनरेगा के लिए पारंपरिक रोजगार छोड़ने की संभावना। नतीजे बताते हैं कि कृषि कार्य में लगे एक दिहाड़ी मजदूर के लिए, पारंपरिक काम छोड़ने की प्रायिकता 19 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि गैर-कृषि क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूर के मामले में यह 11 प्रतिशत बढ़ी है। मजदूरी में अंतर (वास्तविक में से मनरेगा को घटाकर) उल्लेखनीय था और इनके बीच नकारात्मक संबंध था (इसका प्रायिकता प्रभाव अत्यल्प 0.0003 प्रतिशत है)। इससे पता चलता है कि परंपरागत और मनरेगा रोजगार के बीच मजदूरी में अंतर जितना अधिक होगा, मनरेगा के तहत रोजगार पाने के लिए परंपरागत रोजगार छोड़ने की संभावना उतनी ही

कम होगी। इस प्रकार, दिहाड़ी मजदूर अपना पारंपरिक काम छोड़कर मनरेगा के तहत रोजगार के लिए ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और उनके इस निर्णय के पीछे मजदूरी में मौजूद अंतर एक महत्वपूर्ण कारक है (सारणी 1)।

बहरहाल, इस योजना के तहत प्रदान किए गए सीमित दिनों के रोजगार ने श्रम बाजार पर इसके समग्र प्रभाव को कम कर दिया है। अगर यह योजना कभी पूरी तरह कार्यान्वित की जा सकी, तो इसमें दिहाड़ी मजदूरों की संख्या कम करने का सामर्थ्य है जिससे इस क्षेत्र में मजदूरी बढ़ेगी। हालांकि, अगर योजना को तर्कसंगत तरीके से डिजाइन किया गया जिससे कि यह ऑफ सीजन के दौरान रोजगार मुहैया करा सके, तो यह एक भरोसेमंद विकल्प पेश करते हुए पारंपरिक रोजगार की पूरक सिद्ध हो सकती है। इस तरह की पूरकता पश्चिम बंगाल में इस हद तक महत्वपूर्ण हो गयी थी कि कार्यसूची को पारंपरिक रोजगार की मौसमी प्रकृति के अनुसार समायोजित कर दिया गया था।

संदर्भ :

1. <http://www.nrega.nic.in>.
2. विश्व बैंक (2015), स्टेट ऑफ दि सोशल सेफ्टी नेट्स 2015.

चुनौतियां उत्पन्न हो जाती हैं। वर्तमान महंगाई दर परिदृश्य पर कई प्रकार की अनिश्चितताओं के बादल मंडरा रहे हैं। पहला यह कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा एचआरए में की जाने वाली बढ़ोत्तरी के सांतर प्रभाव के कारण वर्ष 2018-19 के दौरान मुख्य महंगाई दर और बढ़ सकती है और यह दूसरे चरण के प्रभावों की प्रेरक साबित हो सकती है। दूसरे, वैश्विक संवृद्धि में तेजी और/अथवा भूराजनीतिक जोखिमों से कच्चे तेल और

पण्यों की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है जिसके कारण घरेलू महंगाई दर बढ़ने की संभावना है। तीसरे, वर्तमान स्थिति में, खरीफ की फसलों के एमएसपी के महंगाई दर पर पड़ने वाले पूर्ण प्रभाव को लेकर काफी अनिश्चितता है। चौथे, वैश्विक वित्तीय बाजार में जारी उतार चढ़ाव के कारण भी महंगाई दर परिदृश्य लगातार अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। आखिरी, यदि आपूर्ति पक्ष की ओर से समय पर और समानुपातिक

प्रतिसाद नहीं मिला तो जैसे-जैसे आर्थिक संवृद्धि जोर पकड़ेगी, वैसे-वैसे मांग-प्रेरित दबाव भी बढ़ सकता है। इसके अलावा, शुरुआत में सुस्त रहने के बाद मानसून में हाल के दोनों में आयी तेजी के साथ-साथ वर्तमान वर्ष में खाद्यान्नों के रिकॉर्ड उत्पादन के बल पर पर्याप्त मात्रा में बफर स्टॉक उपलब्ध होने से खाद्य महंगाई दर पर दबाव को नियंत्रित किया जा सकेगा। व्यापार/टैरिफ से जुड़े झगड़े, समग्र माँग को कम करके देते हैं और महंगाई दर को संतुलित बनाए रखने एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के प्रयासों में बाधक बन सकते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि वर्ष के आने वाले महीनों में उत्पन्न होने वाले महंगाई दर परिवर्तन पर सतर्कतापूर्वक नज़र रखी जाए।

II.3 मुद्रा एवं ऋण

II.3.1 2017-18 की दूसरी छमाही के दौरान मौद्रिक और ऋण संकेतकों में विमुद्रीकरण के प्रभावों से वापसी हुई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि होने से मुद्रा आपूर्ति (एम3) में तेजी आई जिसमें मार्च 2017 की ऐतिहासिक गिरावट से बहाली आई और यह वाणिज्य क्षेत्र में वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत के रूप में पुनः उभरी।

II.3.2 इस पृष्ठभूमि में, इसके तत्काल बाद वाला उप-खंड आरक्षित मुद्रा (आरएम) की अहमियत बताता है जिसके अनुसार वर्ष के दौरान आरक्षित मुद्रा के दूसरे सबसे बड़े स्रोत में विदेशी मुद्रा आस्तियों का प्रभाव बना रहा। इसके बाद वाला खंड विमुद्रीकरण के प्रभावों के घटने पर 2017-18 की पहली और दूसरी छमाही के बीच एम3 में विरोधाभासी अंतरों का उल्लेख करता है; इसके साथ ही यह वैश्विक और भारतीय संदर्भ में क्रिप्टोकॉरेंसी गतिविधियों को भी रेखांकित करता है। उप-खंड 3 में 2017-18 में हुई ऋण बहाली की जांच मैक्रो और क्षेत्रगत दोनों स्तरों पर की गई है ताकि वाणिज्य क्षेत्र को हुए समग्र स्रोत प्रवाह हेतु इसके प्रभाव की गणना की जा सके।


1. आरक्षित मुद्रा

II.3.3 वर्ष 2017-18 के दौरान आरक्षित मुद्रा- जो 'मुद्रापूर्ति'¹⁴ (मनीनेस) को केन्द्र में रखते हुए रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र की शैली में किया गया विन्यास है- के क्रमिक फैलाव को प्राथमिक रूप से परिचालन-गत मुद्रा में आए ₹10, ₹50, ₹200, ₹500 और ₹2000 मूल्य वर्ग के नए डिज़ाइन वाले नोटों द्वारा हुए पुनःमुद्रीकरण से सहारा मिला। विमुद्रीकरण के प्रभाव से उत्पन्न गिरावट ने 10 नवंबर 2017 तक आरक्षित मुद्रा की वृद्धि को सिकोड़ दिया था। 9 नवंबर 2016- विमुद्रीकरण की प्रभावी तारीख- से 31 दिसंबर 2016 के बीच रिज़र्व बैंक ने 23.8 बिलियन बैंक नोट संचलन में उतारे जिसकी कीमत कुल मिलाकर ₹5,540 बिलियन थी। कम-से-कम समय में देश के सभी भागों में पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराने की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक एवं मुद्रण प्रेस द्वारा सम्मिलित प्रयास किए गए ताकि बैंक नोटों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाया जा सके। 2017-18 की पहली तिमाही में पुनर्मुद्रीकरण के प्रयास विमुद्रीकरण के आघातों से त्वरित बहाली करने के उपायों में बदल गए। आगामी महीनों में अनुकूल आधार प्रभाव नज़र आया और आरक्षित मुद्रा की वृद्धि 5 जनवरी 2018 को अपने अब तक के उच्चतम स्तर 60.6 प्रतिशत पर पहुंच गई, हालांकि बाद में 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार यह कम होकर लगभग 27 प्रतिशत थी। 29 जून 2018 को आरक्षित मुद्रा की वृद्धि 21.1 प्रतिशत थी।


II.3.4 संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) जो आरक्षित मुद्रा की मुख्य चालक होती है, में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लगभग ₹4.9 ट्रिलियन की वृद्धि हुई। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार सीआईसी जहां विमुद्रीकरण पूर्व के अपने स्तर का 101.8 प्रतिशत थी, वहीं विमुद्रीकरण न होने की स्थिति में यह अपने 3 वर्ष के अंतर्निहित रुझान के संदर्भ में लगभग 88 प्रतिशत के स्तर पर थी (चार्ट II.3.1)। परिणामस्वरूप, जीडीपी की

¹⁴ 'मुद्रापूर्ति' (मनीनेस) किसी आस्ति का सरलता से कम अथवा शून्य लेनदेन लागत पर चलनिधि में बदलने का गुण होता है।

चार्ट II.3.1: विमुद्रीकरण-पूर्व स्तर के प्रतिशत रूप में सीआईसी : वास्तविक बनाम कल्पित



चार्ट II.3.2: बैंकों द्वारा नकदी शेष बनाए रखना (सीआरआर के प्रतिशत के अनुसार)




तुलना में भारत का करेंसी अनुपात में 2017-18 में बढ़कर 10.9 प्रतिशत हो गया और करेंसी उपयोग के संदर्भ में यह समकक्ष उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं(ईएमई) और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में भी अपने उच्चतम स्तरों पर पहुंच गया (परिशिष्ट सारणी संख्या 4)। इसी के अनुरूप, डिजिटल भुगतान¹⁵, जो दिसंबर 2016 में विमुद्रीकरण के कारण अपने शीर्ष पर पहुंच गए थे, वे विमुद्रीकरण के बाद बढ़े हुए रुझान से नीचे हो गए हालांकि हाल के महीनों में इनमें कुछ बढ़त नज़र आई है।

II.3.5 आरक्षित मुद्रा के अन्य घटकों में रिज़र्व बैंक के पास मौजूद बैंकों की शेष जमा राशियों में वृद्धि दर सामान्य रही जो वर्ष के दौरान बैंकों की जमा राशियों में कमी होना प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद, 2017-18 की चौथी तिमाही में चलनिधि की कमी होने के कुछेक प्रसंगों को छोड़ते हुए, वर्ष भर अधिशेष चलनिधि स्थितियां बनी रहने से अधिक आरक्षित राशि हेतु मांग में कमी आई और बैंकों का औसत दैनिक नकदी शेष निर्धारित आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का 101.1 प्रतिशत रहा (चार्ट II.3.2)।

II.3.6 स्रोतों की ओर देखें तो, 31 मार्च 2018 को रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां बढ़कर आरक्षित मुद्रा का 114.1 प्रतिशत हो गईं जो पिछले 5 वर्ष के लगभग 110 प्रतिशत के औसत से अधिक है (चार्ट II.3.3)। इसके


चार्ट II.3.3: आरक्षित मुद्रा के घटक (आरएम) - मुख्य स्रोत



¹⁵ इसमें तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस), इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण/ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (ईएफटी/एनईएफटी), चेक टुंकेशन प्रणाली (सीटीएस), इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (ईसीएस), तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), बिक्री बिंदु पर प्रयुक्त कार्ड (पीओएस), प्री-पेड भुगतान लिखतें (पीपीआई), मोबाइल बैंकिंग लेनदेनों और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) की संख्याएं शामिल हैं।

परिणामस्वरूप ₹2.2 ट्रिलियन की चलनिधि प्रणाली में शामिल हुई जो कि पिछले वर्ष के स्तर की तिगुनी है। अन्य स्रोतों में, रिज़र्व बैंक द्वारा खुला बाजार बिक्री करने और केन्द्र सरकार की जमाराशियों के उच्चतर बने रहने से सरकारी क्षेत्र के निवल ऋण में लगभग 23.3 प्रतिशत की कमी आई। इसके अतिरिक्त, औसत चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) रिवर्स रेपो (प्रत्येक शुक्रवार को बकाया का औसत) एक वर्ष पूर्व के ₹1.5 ट्रिलियन से बढ़कर 2017-18 में ₹2.2 ट्रिलियन हो गई जो वस्तुतः 2016-17 में विमुद्रीकरण के बाद जमाराशियों में आई तेजी से उत्पन्न अधिशेष आरक्षी और 2017-18 की पहली छमाही में ऋण की कम उठान को प्रदर्शित करता है। सीआईसी में क्रमिक वृद्धि होने, जुलाई 2017 से खुला बाजार परिचालन बिक्री के जरिए चलनिधि अवशोषण होने और नवंबर 2017 से ऋण उठान में सुधार होने से चलनिधि स्थिति बदल गई और एलएएफ अवशोषण से 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार निवल रेपो ₹575 बिलियन हो गया (एक वर्ष पूर्व की निवल रिवर्स रेपो ₹3.1 ट्रिलियन)।

11.3.7 केंद्र द्वारा किए गए उच्चतर खर्च और 2017-18 की पहली छमाही में बजट अनुमानों की तुलना में कम राजस्व के कारण रिज़र्व बैंक से अक्सर अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) का सहारा लिया गया जिससे बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि एकत्रित हुई। परिणामस्वरूप, बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस), खजाना बिलों, ओएमओ बिक्री के जरिए अवशोषण करने के बावजूद रिवर्स रेपो के तहत बड़ी राशियां जमा हुईं और सीआईसी में बढ़ोतरी ने मौद्रिक समुच्चयों को प्रभावित किया। सितंबर 2017 में अग्रिम कर का अंतर्वाह होने के बाद, सरकारी खर्च धीमा हुआ जो निवल रिवर्स रेपो में हुई क्रमिक गिरावट में परिलक्षित होता है (चार्ट 11.3.4)। स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) लागू करने से संपार्श्विक बाधाओं के बिना चलनिधि अवशोषित करने हेतु रिज़र्व बैंक के पास एक नया उपकरण होगा (बॉक्स 11.3.1)।



2. मुद्रा आपूर्ति

11.3.8 वर्ष 2017-18 के दौरान मुद्रा आपूर्ति (एम3) में हुआ संचलन रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र में परिलक्षित होता है जिसे पिछले खंड में आरक्षित मुद्रा में हुए परिवर्तनों और अर्थव्यवस्था में हुई व्यापक गतिविधियों के तहत दर्शाया गया है जिसने बैंकों के तुलन-पत्रों को प्रभावित किया। पहली छमाही में विमुद्रीकरण के विलंबित प्रभावों ने जनता के बीच मौजूद करेंसी (सीडब्लूपी) को काफी प्रभावित किया जो संकुचित ही बनी रही। इसके अलावा, पिछली छमाही में विमुद्रीकरण के बाद आए उभार के कारण जमाराशि की वृद्धि में तीव्र धीमापन आया और यह 2017-18 की पहली तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में आई घोषित कमी को भी परिलक्षित करता है। फलस्वरूप, एम3 की वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 29 सितंबर 2017 को 5.6 प्रतिशत के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गई। तथापि, दूसरी छमाही में समय ने करवट ली और पुनर्मुद्रीकरण की तेज गति ने जनता के बीच मौजूद करेंसी (सीडब्लूपी) में होने वाली वृद्धि को सकारात्मक बना दिया। एम3 की वृद्धि में बहाली आई और इसने ऊर्ध्वगामी रूख अख्तियार कर लिया और 22 दिसंबर 2017 को यह दोहरे अंकों में ऊपर चली गई। 31 मार्च

बॉक्स II.3.1 स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ)

वर्ष 2018-19 के संघीय बजट ने नई स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) को लागू करने का रास्ता सुगम कर दिया है, यह सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक के लिए चलनिधि को अवशोषित करने हेतु एक अतिरिक्त उपकरण का कार्य करेगी। तदनुसार, संपार्श्विक रहित जमा योजना को लागू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 को संशोधित किया गया है। एसडीएफ सामान्यतया किसी केन्द्रीय बैंक द्वारा एक असीमित, स्थायी दर और आवश्यकतानुसार जमा सुविधा की पेशकश करती है। इसे लागू करने से रिजर्व बैंक संपार्श्विक की पेशकश किए बिना चलनिधि को शोषित करने में सक्षम बन जाएगा। बैंकिंग प्रणाली में बड़ी मात्रा में चलनिधि अधिशेष उत्पन्न हो जाने की स्थिति में अभी तक रिजर्व बैंक को अक्सर अपने पोर्टफोलियो में जी-सेक के रूप में संपार्श्विक की कमी का सामना करना पड़ता था जिससे रिवर्स रेपो परिचालनों में बाधा पड़ती थी और उसे बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत जी-सेक की आपूर्ति के लिए सरकार पर निर्भर रहने आवश्यकता उत्पन्न हो जाती थी।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में, एसडीएफ को प्रारंभ में एलएएफ संबंधी बैंक के आंतरिक समूह (2003) द्वारा प्रस्तावित किया गया था और मौद्रिक नीति संबंधी परिचालन प्रक्रियाओं पर कार्यदल (2011) द्वारा इसका दोहराव किया गया था। मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित और मजबूत बनाने संबंधी विशेषज्ञ समिति, 2014 (अध्यक्ष: डॉ. ऊर्जित पटेल) ने अधिशेष चलनिधि को अवशोषित करने के लिए एसडीएफ को एक उपकरण के रूप में लागू करने की सिफारिश की थी।

स्थायी सुविधा के संबंध में विभिन्न देशों की व्यवस्थाएं

विभिन्न देशों के अनुभव यह बताते हैं कि स्थायी सुविधा (एसएफ) – जमा और उधार-पारदर्शी, विवेकाधीन बाधाओं के बिना बैंकों और अन्य प्रतिपक्षियों को उपलब्ध है और उसे सामान्यतया चलनिधि प्रबंधन प्रणाली के एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखा जाता है। एसडीएफ बाजार प्रतिभागियों को अपने बचे हुए अधिशेष, जिसे वो बाजार में नहीं लगा पाए हैं, को जमा करने का अवसर प्रदान करता है हालांकि उस पर नीतिगत दरों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम दर प्राप्त होती है।

एसएफ का मुख्य फायदा यह है कि यह आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय बैंक को दोनों दिशाओं में हस्तक्षेप करने की सुविधा प्रदान करता है ताकि परिचालनात्मक ब्याज-दर-लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, जिससे अंतर-बैंक दरों में उतार-चढ़ाव को लक्षित-दर के करीब दायरे में सीमित रखा जा सके। ब्याज-दर-लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ-साथ अंतर-बैंक मुद्रा बाजार दर में उतार-चढ़ाव को कम करना, दोनों ही इसके उद्देश्य हैं और कुशल चलनिधि प्रबंधन के लिए एक चुनौती भी है। एसडीएफ, का उपयोग यद्यपि उधारी

सुविधा की तुलना में कम किया जाता है परंतु कुछ देशों द्वारा इसका उपयोग अंतर-बैंक बाजार में न्यूनतम-दर (फ्लोर रेट) परिभाषित करने के लिए भी किया जाता है, विशेष रूप से चलनिधि अधिशेष होने की स्थिति में।

एसडीएफ और मौद्रिक सांख्यिकी

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की अद्यतन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टैटिक्स मैनुअल एंड कंपाइलेशन गाइड (2016) के अनुसार आरक्षित मुद्रा (आरएम) में केन्द्रीय बैंक की देयताएं शामिल होती हैं जो ऋण और व्यापक मुद्रा (ब्रॉड मनी) के विस्तार में सहायक होती हैं। यदि एसडीएफ का उद्देश्य चलनिधि प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है तो इस प्रकार बैंकों के प्रति केन्द्रीय बैंक की देयताओं को आरक्षित अपेक्षाओं के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा और इस प्रकार उसे आरएम से बाहर रखा जाएगा। तथापि, यदि बैंकों की निधियों को आरक्षित अपेक्षाओं (किसी अतिरिक्त आरक्षित सहित) के तहत रखा (पार्क किया) जाता है तो उन्हें आरएम के एक भाग के रूप में निरूपित किया जाएगा। इसके अलावा, यदि बैंकों को केन्द्रीय बैंक में ब्याज-अर्जन-रहित आरक्षी के स्थान पर ब्याज-अर्जित करने का विकल्प प्रदान करने का उद्देश्य है तो उन्हें आरएम में शामिल किया जाएगा चाहे वह बैंकों की आरक्षित आस्तियों के लिए पात्र हो अथवा अपात्र हो। फिर भी, आईएमएफ के मैनुअल में इसे चिह्नित किया गया है कि अपनी नीति और विश्लेषणात्मक आवश्यकताओं के अनुसार आरएम के संबंध में देशों की अपनी विभिन्न परिभाषाएं हो सकती हैं। चूंकि भारत में एसडीएफ को चलनिधि प्रबंधन के एक उपकरण के रूप में घोषित किया गया है अतः यह आरएम के एक घटक के रूप में पात्र नहीं होगा।

चुनिंदा केन्द्रीय बैंकों के बीच आरएम संकलन के लिए देश-विदेश में कराया गया सर्वेक्षण यह बताता है कि एसडीएफ को आरएम/नकद आरक्षित अपेक्षाओं में शामिल करने के संबंध में केन्द्रीय बैंक विभिन्न व्यवस्थाओं को अपनाते हैं। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम में एसडीएफ आरक्षी अपेक्षाओं और आरएम का एक भाग है। यूरो क्षेत्र में यह आरएम का एक भाग है परंतु यह आरक्षी अपेक्षाओं के लिए पात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त, आस्ट्रेलिया और स्वीडन में एसडीएफ आरएम का एक हिस्सा है। तथापि, फिलीपीन्स में एसडीएफ आरएम अथवा आरक्षी अपेक्षाओं का हिस्सा नहीं है।

जो संस्थाएं रिजर्व बैंक के एलएएफ रिवर्स रेपो परिचालनों में वर्तमान में भाग ले रही हैं वे जब कभी पेशकश होने पर एसडीएफ के लिए संभवतः पात्र होंगी। यद्यपि, एसडीएफ की अवधि सामान्यतया एक दिवसीय (ओवरनाइट) होती है लेकिन कुछ न्यायक्षेत्रों में नियमित आधार पर सावधि एसडीएफ भी जारी की जाती है। सीआरआर शेष के विपरीत, एसडीएफ शेष अर्जन कर सकते हैं और इसलिए ही, उन्हें समुचित तौर पर अलग रखा जाना आवश्यक होगा।

2018 की स्थिति के अनुसार यह एक वर्ष पूर्व के 6.9 प्रतिशत की तुलना में 9.2 प्रतिशत थी। 22 जून 2018 की स्थिति के अनुसार एम3 की वृद्धि 9.8 प्रतिशत थी (सारणी II.3.1)।

II.3.9 एम3 के व्यवहार ने निश्चित रूप से हाल ही में उतार-चढ़ाव भरे सीडब्लूपी के घटकों को प्रतिबिंबित किया जो 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार एम3 का 12.6 प्रतिशत है।

सारणी II.3.1: मौद्रिक कुल राशियां

मद	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया (₹ बिलियन)	वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि दर (प्रतिशत)		
		2016-17*	2017-18	2018-19 (22 जून की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
I. आरक्षित मुद्रा	24,188	-12.9	27.3	21.1
II. एम3	139,626	6.9	9.2	9.8
III. एम3 के प्रमुख घटक				
1. जनता के पास करेंसी	17,597	-20.8	39.2	29.2
2. कुल जमाराशियां	121,790	11.1	5.8	7.3
IV. एम3 के प्रमुख स्रोत				
1. सरकार को निवल बैंक ऋण	40,014	20.6	3.8	3.1
2. वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	92,137	4.2	9.5	12.2
3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	29,223	1.1	14.2	13.2
V. एफसीएनआर(बी)** जमाराशियों का निवल एम3 एम3 गुणक	138,193	8.5	9.2	9.7
	5.8			

*: आरएम को छोड़कर 01 अप्रैल 2016 की तुलना में 31 मार्च 2017 **: विदेशी करेंसी अनिवासी (बैंक)।

टिप्पणी: आरएम से संबंधित अद्यतन आंकड़े 29 जून 2018 के हैं।

स्रोत: भारिबैं।

जैसा कि पूर्व में बताया गया है 2017-18 की पहली छमाही में सीडब्लूपी की वृद्धि नकारात्मक रही थी परंतु लगभग एक वर्ष के अंतराल के बाद 10 नवंबर 2017 को यह पहली बार सकारात्मक हो गई और 31 मार्च 2018 तक यह बढ़कर 39.2 प्रतिशत तक पहुंच गई जो कि एक वर्ष पूर्व हुए 20.8 प्रतिशत के संकुचन के पूर्ण विपरीत था। 22 जून 2018 की स्थिति के अनुसार सीडब्लूपी की वृद्धि 29.2 प्रतिशत थी (पिछले वर्ष के तदनुसूची पक्ष के दौरान 12.6 प्रतिशत की गिरावट आई थी)।

II.3.10 विमुद्रीकरण के बाद के चरण में जमाराशियों के सीडब्लूपी से परिवर्तित होने के कारण 2016-17 की तीसरी तिमाही में तीव्र वृद्धि होने के बाद समग्र जमाराशियां एम3 का लगभग 93 प्रतिशत रहीं। नकदी आहरणों पर लगे बंधनों के चरण-बद्ध रूप से हटने और करेंसी की मांग में क्रमिक तेजी आने से जमाराशियों की वृद्धि में गिरावट आनी प्रारंभ हुई और 8 दिसंबर 2017 को यह 2.6 प्रतिशत के अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई। शेष संपूर्ण वर्ष जमाराशियों में होने वाली वृद्धि स्थिर बनी रही परंतु 31 मार्च 2018 को यह 5.8 प्रतिशत थी जो एक वर्ष पूर्व के 11.1 प्रतिशत की तुलना में काफी कम थी।

जमाराशियों पर मिलने वाले ब्याज दर में आई गिरावट से मांग जमाराशियों और आवधिक जमाराशियों दोनों के हिस्से में यह गिरावट आई क्योंकि बैंकों ने रिज़र्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में की गई 200 आधार अंकों की कुल कटौती को लगभग पूर्णतया अंतरित करते हुए इसे सावधि जमा दरों पर पूर्णतया लागू कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, जमाराशियों के प्रतिफल प्रतिस्पद्धी वित्तीय लिखतों, विशेषतया म्यूचुअल फंडों, की तुलना में अपेक्षाकृत कम आकर्षक हो गये। मध्यस्थता की इस अनुपस्थिति ने जमाराशियों के व्यवहार को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया। विमुद्रीकरण के कारण अधिशेष चलनिधि स्थितियों और मंद आर्थिक गतिविधियों के कारण ऋण के परिणामी कम उठान के सम्मिश्रण ने जमाराशियों के विस्तार को पहली छमाही में थाम दिया।

II.3.11 बैंक जमाराशियों से प्राप्त न्यूनतर प्रतिलाभों से उत्पन्न क्षोभ के साथ ही अन्य आस्तियों से मिलने वाले लाभों में भी कमी आने से एक रोचक गतिविधि सामने आई। उच्च जोखिम घटक निहित होने के बावजूद उच्च प्रतिलाभों के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में क्रिप्टोकॉर्सेसी ने विश्वभर में ध्यान आकर्षित किया (बॉक्स II.3.2)।

बॉक्स II.3.2

क्रिप्टोकॉरेंसी: उभरती चुनौतियां

क्रिप्टोकॉरेंसी निजी रूप से जारी भुगतान करने के डिजिटल माध्यम की एक श्रेणी है जो मुख्यतः कूट-लेखन (क्रिप्टोग्राफी) और वितरित बहीखाता प्रौद्योगिकी (डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी - डीएलटी) जैसे कि ब्लॉकचेन पर आधारित है। ब्लॉकचेन निरंतर चलने वाला एक बहीखाता होता है जिसमें लेन-देनों को ब्लॉक (खंडों) में संचित किया जाता है और उसे कूट-लेखन द्वारा जोड़ा जाता है। क्रिप्टोकॉरेंसी को अक्सर सिक्कों की आरंभिक पेशकशों (आईसीओ) के जरिए आवांठित किया जाता है, जिसका उपयोग क्राउडफंडिंग के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए किया जाता है। क्रिप्टोकॉरेंसी में औसतन कुछ मौद्रिक विशेषताएं होती हैं परंतु किसी निकाय की इसके प्रति कोई देयता नहीं होती है और किसी प्राधिकरण का इसे आश्वासन प्राप्त नहीं है। इसका मूल्यांकन इसमें उपभोक्ता के विश्वास पर निर्भर होता है। यह और सीमित आपूर्ति इसकी कीमत को अत्यधिक उतार-चढ़ाव युक्त बना देती है अतः, यह विनिमय अथवा मूल्य संचय का एक विश्वसनीय माध्यम नहीं है (चार्ट 1)।

भले ही क्रिप्टोकॉरेंसी इस समय कोई प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न न कर रही हो, लेकिन इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता मूल्य बुलबुले की ओर जा रही है जो उपभोक्ता और निवेशक संरक्षण तथा बाजार अखंडता के लिए गंभीर चिंता का सबब उत्पन्न कर रही है। उल्लेखनीय है कि बिटकॉइन ने दिसंबर 2017 में अपने शीर्ष मूल्यांकन से लगभग दो महीनों में बाजार पूंजीकरण में लगभग 200 यूएस बिलियन डॉलर गंवा दिए। ब्लूमबर्ग के अनुसार समग्र क्रिप्टो करेंसी बाजार जनवरी 2018 में लगभग 800 यूएस बिलियन डॉलर पर पहुंच गया।

क्रिप्टोकॉरेंसी परितंत्र मौजूदा भुगतान और निपटान प्रणाली पर असर डाल सकता है जिससे मौद्रिक नीति अंतरण प्रभावित हो सकता है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल/ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम-इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में संचित

होने के कारण- यह हैकिंग और परिचालन जोखिम का शिकार हो सकता है, इसकी कुछ घटनाएं वैश्विक रूप में पहले ही देखी जा चुकी हैं। ग्राहक समस्याओं/ विवाद निपटान के किसी साधन के लिए कोई स्थापित फ्रेमवर्क नहीं हैं क्योंकि क्रिप्टोकॉरेंसी द्वारा भुगतान समकक्ष (पियर-टु-पियर) आधार पर किया जाता है इसमें कोई प्राधिकृत केन्द्रीय एजेंसी शामिल नहीं होती है जो इस प्रकार के भुगतानों को विनियमित कर सके। इस बात की अत्यधिक संभावना है कि इसका उपयोग कर वंचना सहित अवैध गतिविधियों के लिए किया जाए। इस प्रकार की समकक्ष अनाम/ छद्मनामी प्रणालियां जिसमें प्रतिपक्षियों से संबंधित सूचना का अभाव होता है, उनमें उपयोगकर्ता गैर-इरादतन धन-शोधन निवारण (एएमएल) कानूनों के साथ ही आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) (भुगतान और निपटान इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी समिति-सीपीएमआई, 2015) का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) ने हाल ही में चेतावनी दी है कि क्रिप्टो करेंसी का प्रादुर्भाव एक बुलबुले, पॉजी स्कीम और वातावरणीय आपदा का एक मिश्रण सा बन गया है और इसके लिए नीतिगत प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता है (बीआईएस, 2018)। वित्तीय कार्रवाई दल (एफएटीएफ) ने भी यह टिप्पणी की है कि क्रिप्टोआस्तियों का उपयोग धन शोधन और आतंकियों के वित्तपोषण के लिए किया जा रहा है। इसके लिए एक वैश्विक समन्वित प्रयास की आवश्यकता है ताकि दुरुपयोगों को रोका जा सके और विनियमित वित्तीय संस्थाओं के साथ अंतर-संबद्धताओं को कड़ाई से सीमित किया जा सके।

वैश्विक स्तर पर, क्रिप्टोकॉरेंसी के प्रति विनियामकीय प्रतिक्रिया कई प्रकार की रही। कुछ न्यायक्षेत्रों में तो इस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है और कुछ में तुलनात्मक रूप से 'हल्का विनियामकीय रुख' अख्तियार किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां ये आस्तियां अधिकतर न्यायक्षेत्रों के समान ही विधिमान्य मुद्रा की मान्यता प्राप्त नहीं करती हैं, में सिक्डोरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) और कर्मांडो फ्यूचर्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (सीएफटीसी) क्रिप्टोकॉरेंसी के प्राथमिक विनियामक के रूप में सामने आये हैं। एशियाई देशों में क्रिप्टोकॉरेंसी के खिलाड़ियों का काफी बड़ा संकेन्द्रण देखने को मिला है- जापान और दक्षिण कोरिया विश्व में क्रिप्टो आस्ति बाजारों के वृहत्तम हिस्सेदारों के रूप में कायम हैं। बिटकॉइन्स के मामले में विश्वभर के आधे लेनदेन जापान में किए गए। सितंबर 2017 में जापान ने अपनी एक्सचेंजों में क्रिप्टो करेंसी में लेनदेनों की अनुमति प्रदान की। चीन द्वारा हाल ही में इस पर रोक लगाए जाने तक चीन के एक्सचेंजों ने तारतम्यहीन/ असंगत रूप से बड़े वैश्विक बिटकॉइन सौदों को होस्ट किया। भारत में सरकार और रिज़र्व बैंक क्रिप्टोकॉरेंसी पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और प्रथम सजग चेतावनी जारी कर दी गई है। अप्रैल 2018 के पूर्वार्ध में रिज़र्व

(जारी...)



II.3.12 स्रोतों की ओर देखें तो 2017-18 में एम3 का मुख्य चालक बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया ऋण रहा जो वर्ष के दौरान एम3 में हुए परिवर्तन का 68.5 प्रतिशत बैठता है, इसके बाद

बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां रहीं (चार्ट II.3.5)।

II.3.13 वर्ष 2017-18 की दूसरी छमाही में वाणिज्य क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण का विस्तार अधिक मुखर रहा।

बैंक ने अपने विनियमित निकायों को किसी व्यक्ति अथवा कारोबारी निकाय को किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने अथवा उनके साथ आभासी मुद्रा में किसी प्रकार के संव्यवहार को या निपटान करने से निषेध कर दिया है। विनियमित निकाय जो पहले से ही इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं उन्हें सूचित किया गया कि तीन महीनों के भीतर इस प्रकार के संबंधों से बाहर निकल जाएं।

इस ओर होने वाली गतिविधियों पर निगरानी रखने की आवश्यकता है क्योंकि इनका व्यापार एक्सचेंजों से निकलकर समकक्ष तरीकों (पियर-टु-पियर) पर अंतरित हो सकता है जिसमें नकदी का अधिक उपयोग होना शामिल हो सकता है। क्रिप्टो एक्सचेंजों के अंधे कुंए/नकदी में अंतरित होने और अपतटीय स्थलों (विदेशों) पर अंतरित हो जाने की संभावनाएं हैं और इस प्रकार एएमएल/सीएफटी तथा कराधान मुद्दों संबंधी चिंताएं उत्पन्न होंगी जिन पर कड़ी नजर रखना अपेक्षित होगा। निजी रूप से निर्गत क्रिप्टोकॉरेंसी से संबंधित चिंताओं के विपरीत, भुगतान, समाशोधन और निपटान समाधान

के क्षेत्र में डीएलटी को अपना भाविष्य में उल्लेखनीय आर्थिक लाभों का भरोसा दिलाता है।

भुगतान उद्योग के परिदृश्य में होने वाले तीव्र परिवर्तनों के साथ ही निजी डिजिटल टोकनों का प्रादुर्भाव और वैध कागजी/धात्विक मुद्रा के प्रबंधन की बढ़ती लागतों ने विश्व भर में केन्द्रीय बैंकों को वैध डिजिटल करेंसी लागू करने का विकल्प तलाशने में लगा दिया है। भारत में, रिजर्व बैंक द्वारा एक अंतर-विभागीय समूह का गठन किया गया है ताकि केन्द्रीय बैंक द्वारा डिजिटल करेंसी लागू करने की वांछनीयता और व्यवहार्यता के संबंध में अध्ययन किया जा सके और दिशानिर्देश प्रदान किए जा सकें।

संदर्भ:

1. बीआईएस (2018), 'एनुअल इकोनॉमिक रिपोर्ट', जून, बासेल
2. सीपीएमआई (2015), 'डिजिटल करेंसी', नवंबर

इसे इस दृष्टिकोण के साथ भी देखने की जरूरत है कि सरकार को दिए गए निवल बैंक ऋण का विस्तार धीमी गति से हुआ।


11.3.14 वर्ष के दौरान, करेंसी-जमा (सी/डी) अनुपात और मुद्रा गुणक (एमएम) जैसे मौद्रिक अनुपातों ने पिछले वर्ष देखे गए रुझानों के विपरीत व्यवहार प्रदर्शित किया। सीडब्लूपी में विस्तार होने और समग्र जमाराशियों में गिरावट आने से सी/डी अनुपात में तीव्र तेजी का अनुभव किया गया। एएमएम जो 6

जनवरी 2017 को 8.8 के शीर्ष पर पहुंच गया था, पुनर्मुद्रीकरण की प्रक्रिया के साथ क्रमिक रूप से गिरावट आने लगी। 22 जून 2018 की स्थिति के अनुसार, एएमएम एक वर्ष पूर्व के 6.3 की तुलना में 5.6 था। बैंकों के पास मौजूद रिजर्व रेपो (निवल)- जो विश्लेषणात्मक रूप से केन्द्रीय बैंक के पास मौजूद बैंकों की जमा राशि के सदृश होती है- को समायोजित करने पर एएमएम 22 जून 2018 की स्थिति के अनुसार पिछले वर्ष के 5.5 की तुलना में 5.8 पर कुछ उच्चतर रहा है। तथापि, आरक्षित निधि-जमाराशि अनुपात (आर/डी) मोटे तौर पर स्थिर रहा जो वर्ष के दौरान अपरिवर्तित सीआरआर दर्शाता है (चार्ट 11.3.6)।

3. ऋण


11.3.15 एससीबी की ऋण संवृद्धि में नवंबर 2016 से गिरावट प्रारंभ हो गई और 3 मार्च 2017 को यह अब तक के न्यूनतम स्तर 3.7 प्रतिशत पर पहुंच गई। यद्यपि आगामी पखवाड़ों में ऋण संवृद्धि में बहाली आई फिर भी अप्रैल-अक्टूबर 2017 के दौरान यह पिछले वर्ष के अपने प्रक्षेप पथ से काफी नीचे बनी रही। विमुद्रीकरण के पश्चातवर्ती आघातों के अतिरिक्त, बैंक वित्त की नयी मांग के कमजोर रहने और बढ़ती हुए ऋण चूक के लिए प्रावधानों के साथ संघर्षरत बैंकों द्वारा की जाने वाली डीलीवरेजिंग ने भी अपना असर दिखाया। इस चरण के

चार्ट 11.3.5: व्यापक मुद्रा (एम3) : मुख्य घटक और स्रोत




स्रोत: भारिबैं।

चार्ट II.3.6: मौद्रिक अनुपात



चार्ट II.3.7: एससीबी की ऋण संवृद्धि




दौरान गैर-बैंकों ने वाणिज्य क्षेत्र के लिए निधि के स्रोतों के रूप में बैंक ऋण का स्थान ले लिया। 10 नवंबर 2017, से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने से ऋण संवृद्धि में बढ़ोतरी हुई जिसने डांवांडोल बहाली को एड़ लगाई और गैर-निष्पादक आस्तियों का स्तर ऊँचा होने के बावजूद सपाट होने लगा। 22 दिसंबर 2017 तक ऋण संवृद्धि ने दोहरे अंकों को प्राप्त कर लिया और 30 सितंबर 2016 के बाद पहली बार 10.3 प्रतिशत हो गई। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार, ऋण संवृद्धि 10.0 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष के 4.5 प्रतिशत की तुलना में काफी उच्चतर थी। 22 जून 2018 की स्थिति के अनुसार एससीबी की ऋण संवृद्धि दर 12.8 प्रतिशत है (पिछले वर्ष के तदनुसारी पखवाड़े के दौरान 5.6 प्रतिशत)।

II.3.16 अनुकूल आधार प्रभाव (बेस इफेक्ट) का लाभ मिलने से नवंबर 2017 के बाद से ऋण संवृद्धि में बहाली आयी, क्योंकि एक वर्ष पूर्व का ऋण स्तर विमुद्रीकरण के प्रभावों से ग्रसित था। फिर भी, इस आवेग ने अनुकूल स्थितियां बनायीं जो ऋण में तेजी दर्शाती हैं और यह क्रमिक रूप से सुधार की ओर अग्रसर घरेलू मांग स्थितियों के अनुरूप ही है (चार्ट II.3.7)। तथापि, 2017-18 के दौरान जीडीपी की

तुलना में ऋण का अंतर नकारात्मक ही बना रहा, तात्पर्य यह है कि वास्तविक ऋण मांग अपनी क्षमता से कम ही बनी रही।

II.3.17 मार्च 2018 तक खाद्येतर ऋण संवृद्धि बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गई जो कि एक वर्ष पूर्व 5.2 प्रतिशत थी। आशावादी परिदृश्य के चलते उद्योग जगत को दिए जाने वाले बैंक ऋण की मांग में धीमी गति से बढ़ोतरी हुयी। अक्टूबर 2017 के बाद से बॉन्ड प्रतिफलों के मजबूत होने से निधियों के गैर-बैंक ऋण स्रोतों के संबंध में वित्तीय स्थितियां कठोर हुईं जिससे बैंक ऋण में आये परिवर्तनों को और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। ऋण में सुधार के मुख्य वाहक निजी क्षेत्र के बैंक रहे जो दुर्दम्य बदलावों के दौर में भी आघात- सह बने रहे, वर्ष के दौरान इनका ऋण पोर्टफोलियो 18.7 प्रतिशत की दर से बढ़ा जबकि इसकी तुलना में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में वृद्धि दर 5.3 और विदेशी बैंकों में 3.8 प्रतिशत रही। जो पीएसबी त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के तहत थे वे सुस्त रहे यद्यपि इस श्रेणी के तहत भी 2018-19 में के दौरान अब तक बहाली के संकेत सामने आए (चार्ट II.3.8) हैं। 2018-19 की पहली तिमाही के दौरान खाद्येतर ऋण में आवेग बना रहा



और 22 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ऋण संवृद्धि तेज होकर 12.9 प्रतिशत हो गई जबकि एक वर्ष पूर्व यह मात्र 6.3 प्रतिशत थी।

बैंकों द्वारा क्षेत्रवार ऋण देना

II.3.18 वर्ष 2017-18 के दौरान कृषि क्षेत्र की ऋण संवृद्धि में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आयी। यह कृषि क्षेत्र में दबाव का संकेतक हो सकता है, कुछ राज्यों में घोषित कृषि कर्ज माफी द्वारा इसकी पुष्टि होती है। उद्योगों को दिए गए ऋण में मार्च 2017 में आई 1.9 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में मार्च 2018 में 0.7 प्रतिशत की सकारात्मक वापसी हुई (सारणी II.3.2)। औद्योगिक ऋण जो 2017-18 की अधिकतर अवधि में सिकुड़ा हुआ था, उसमें नवंबर 2017 के बाद से बहाली आयी। समस्त क्षेत्रों जैसे कि वस्त्र; वाहन; वाहन पुर्जे और परिवहन उपकरण; अभियांत्रिकी; खाद्य प्रसंस्करण; और रबड़, प्लास्टिक और उसके उत्पादों में तेजी दिखाई दी। इसके विपरीत, इन्फ्रास्ट्रक्चर को दिए गए ऋण जो कि उद्योगों को दिए गए ऋण का लगभग एक तिहाई हैं, में व्यापक आधार पर (मार्च 2018 में 1.7 प्रतिशत का) संकुचन देखा

गया जिसे ऊर्जा; दूरसंचार और सड़क निर्माण ने पीछे घसीटा। इन्फ्रास्ट्रक्चर में साधारण बहाली यह संकेत देती है कि कोयले की बेहतर उपलब्धता से विद्युत आपूर्ति में हुआ सुधार ऊर्जा क्षेत्र को लाभान्वित कर सकता है। वैश्विक धातु मूल्यों में बहाली आने के बावजूद मूल धातु क्षेत्र दबाव में बना रहा। विनिर्माण गतिविधि में हाल में आए पुनरुज्जीवन ने मूल धातु मूल्यों को कुछ सहारा प्रदान किया है। मजबूत निर्यात मांग और घरेलू गतिविधि के फिर से प्रारंभ होने से स्टील क्षेत्र में कुछ सुधार हुआ है।

II.3.19 सेवा क्षेत्र की ऋण वृद्धि में गिरावट आयी जिसमें व्यापार और पेशेवर सेवाएं अग्रणी रहीं। वैयक्तिक ऋण खंड में तेजी दर्ज की गई और यह रुझान से ऊपर चला गया जिसके मुख्य चालक आवास और वाहन ऋण रहे। क्रेडिट कार्ड बकायों- समग्र ऋणों में एक छोटा घटक- में गिरावट दर्ज की गई और इसका मुख्य कारण उच्च आधार एवं उपभोक्ता टिकाऊ सामग्रियों की मांग में मंदी भी रही। शिक्षा ऋणों में संकुचन रहा जो बैंकों द्वारा जोखिम-परक क्षेत्रों में ऋण देने से बचने का भी संकेत करता है।

II.3.20 जून 2018 में कृषि को छोड़कर सभी प्रमुख क्षेत्रों में तेजी देखी गई। प्रमुख उप-क्षेत्रों जैसे वस्त्र, समस्त अभियांत्रिकी, खाद्य- प्रसंस्करण, 'रसायन और रासायनिक उत्पाद और सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद को दिए जाने वाले ऋण में तेजी आई। तथापि, मूल धातु और धात्विक उत्पाद, विनिर्माण, रत्न एवं आभूषण को दिए जाने वाले ऋण में कमी/ गिरावट दर्ज की गई। व्यापार और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का सहारा मिलने से सेवा क्षेत्र में तीव्र इजाफा देखने को मिला (सारणी II.3.2)।

वाणिज्य क्षेत्र को संसाधनों का प्रवाह

II.3.21 वर्ष 2017-18 के दौरान वाणिज्य क्षेत्र को होने वाले संसाधनों का कुल प्रवाह बढ़कर 27.1 प्रतिशत हो गया जबकि

सारणी II.3.2: चुनिंदा क्षेत्रों को ऋण देना

क्षेत्र	30 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया (₹ बिलियन)	वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि (प्रतिशत)		
		2016-17*	2017-18#	2018-19##
1	2	3	4	5
खाद्येतर क्रेडिट (1 से 4)	76,884	8.4	8.4	11.1
1 कृषि और अनुषंगी गतिविधियां	10,302	12.4	3.8	6.5
2 उद्योग (माइक्रो और लघु, मध्यम और बड़े)	26,993	-1.9	0.7	0.9
(i) इंफ्रास्ट्रक्चर	8,909	-6.1	-1.7	0.0
जिसमें से:				
(क) ऊर्जा	5,196	-9.4	-1.1	-1.2
(ख) दूरसंचार	846	-6.8	-0.6	6.8
(ग) सड़क	1,665	1.4	-7.5	-5.7
(ii) मूल धातु और धातु उत्पाद	4,160	1.2	-1.2	-5.5
(iii) खाद्य प्रसंस्करण	1,554	-3.0	6.8	3.3
3 सेवाएं	20,505	16.9	13.8	23.3
4 वैयक्तिक ऋण	19,085	16.4	17.8	17.9
5 प्राथमिक क्षेत्र	25,532	9.4	4.8	6.3

*: 18 मार्च 2016 की तुलना में 31 मार्च 2017 #: 31 मार्च 2017 की तुलना में 30 मार्च 2018 ##: 23 जून 2017 की तुलना में 22 जून 2018
टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं और चुनिंदा बैंकों से संबंधित हैं जो सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए जा रहे खाद्येतर ऋण के लगभग 90 प्रतिशत को कवर करता है।
स्रोत: भारिबैं

इसकी तुलना में पिछले वर्ष 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। जहां खाद्येतर बैंक ऋण प्रवाह दोगुने से अधिक होकर ₹ 7,959 बिलियन हो गया वहीं गैर-बैंक से संसाधनों के प्रवाह में 2.8 प्रतिशत की गिरावट आई और इसका मुख्य कारण गैर-वित्तीय निकायों द्वारा सकल निजी स्थानन में कमी होना, वाणिज्यिक दस्तावेजों (सीपी) को जारी करने में तीव्र गिरावट आना और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि ग्रहण न करने वाली एनबीएफसी द्वारा ऋण का कम वितरण करना रहा। 2017-18 की दूसरी छमाही में कॉर्पोरेट बॉडों के प्रतिफलों के कठोर होने से कॉर्पोरेट बॉड कम जारी हुए जिससे इसके माध्यम से निधियों के एकत्रण में गिरावट आई। तथापि, गैर-वित्तीय निकायों द्वारा सार्वजनिक ईक्विटी निर्गमों, आवास वित्त कंपनियों द्वारा ऋण वितरण और रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) द्वारा समायोजन में उल्लेखनीय तेजी आई। विदेशी स्रोतों में, बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबी)/ विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉडों (एफसीसीबी) में लगातार तीसरे वर्ष निवल बहिर्वाह दर्ज किया

गया हालांकि वर्ष के दौरान इसका प्रवाह कमतर रहा। वर्ष की दूसरी छमाही में हुए उच्चतर प्रत्यावर्तन के कारण वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में 10.3 प्रतिशत की कमी आई (सारणी II.3.3)। तथापि, आयात संवृद्धि बढ़ने से वर्ष के दौरान विदेशों से अल्पावधि ऋण में दोगुने से अधिक इजाफा हुआ और यह ₹896 बिलियन हो गया।

II.3.22 सारांशतः वर्ष 2017-18 की दूसरी छमाही में मजबूत आर्थिक गतिविधि के संकेत मिलने से मुख्य मौद्रिक और ऋण समग्रों में तेजी आई, यद्यपि ऐतिहासिक रिकार्डों के संदर्भ में वे मंद रहे। रिज़र्व बैंक के चलनिधि परिचालनों से अधिशेष चलनिधि के निरंतर बाहर निकल जाने और सरकारी पत्रों की उच्चतर आपूर्ति की संभावना से बॉड प्रतिफलों के कठोर होने, बजट से अधिक राजकोषीय घाटे की संभावना और मुद्रास्फीतिक परिदृश्य के चारों ओर कुछ अस्थिरता होने से वर्ष के अधिकतर भाग में ऋण स्थितियां कठिन बनी रहीं। यद्यपि, उद्योगों को दिए जाने वाले ऋणों, विशेषरूप से इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र, में नरमी बनी रही। लेकिन वर्ष की दूसरी छमाही में बहाली के क्रमिक संकेत मिलने से मध्यावधि परिदृश्य आशापूर्ण

सारणी II.3.3: वाणिज्य क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों का प्रवाह

(₹ बिलियन में)

स्रोत	अप्रैल-जून				
	2015-16	2016-17	2017-18	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6
ए. समायोजित खाद्येतर बैंक ऋण	7,754	4,952	9161	-1629	104
i) खाद्येतर ऋण	7,024	3882	7959	-1610	175*
जिसमें से: पेट्रोलियम और उर्वरक क्रेडिट	-18	133	27	-132	-46
ii) एससीबी द्वारा गैर-एसएललआर निवेश	731	1070	1202	-19	-71*
बी. गैर-बैंक से निधि प्रवाह (बी1+बी2)	6,241	9,578	9,308	304	2,764
बी1. घरेलू स्रोत	3,782	6,820	5,924	-318	1,880
1. गैर-वित्तीय निकायों द्वारा सार्वजनिक निर्गम	378	155	438	52	39
2. गैर-वित्तीय निकायों द्वारा सकल निजी स्थानन	1,135	2,004	1,462	247	300
3. वाणिज्य दस्तावेज का निवल निर्गमन गैर-बैंकों द्वारा खरीदा गया	517	1,002	-254	-729	1233
4. आवास वित्त कंपनियों द्वारा निवल क्रेडिट	1,188	1,374	1986	-	-
5. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित 4 एआईएफआई- नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एक्जिम बैंक द्वारा कुल समायोजन	472	469	951	71	201^
6. जमा राशि ग्रहण न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (निवल बैंक ऋण)	-277	1,539	963	-	-
7. कारपोरेट कर्ज, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक क्षेत्र में एलआईसी का निवल निवेश	369	277	378	40	108^
बी2. विदेशी स्रोत	2,459	2,758	3,385	622	884
1. बाह्य वाणिज्यिक उधारियां /एफसीसीबी	-388	-509	-51	-32	11
2. एडीआर/ जीडीआर निर्गम बैंक और वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर	0	0	0	0	0
3. विदेश से अल्पावधि ऋण	-96	435	896	-	-
4. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	2,943	2,833	2,540	654	873
सी. संसाधनों का कुल प्रवाह (ए+बी)	13,995	14,530	18,469	-1,325	2,868
मेमो: कर्ज (गैर-गिल्ट) योजना के जरिए म्यूचुअल फंडों द्वारा निवल संसाधन जुटाना	147	1,206	-59	191	-383

^: मई 2018 तक।

*: आंकड़े अप्रैल-जुलाई 6, 2018 से संबंधित हैं।

टिप्पणी: (i) 2015-16 में एनबीएफसी-एनडीएसआई से निवल ऋण प्रवाह ऋणात्मक रहा क्योंकि मुख्यतः एनबीएफसी-एनडीएसआई के वर्गीकरण मानदंडों में परिवर्तन हुआ था, जिसके अनुसार जमाराशि ग्रहण न करने वाली एनबीएफसी जिनका आस्तित्व आकार ₹500 करोड़ और या उससे अधिक था उसे एनबीएफसी-एनडीएसआई के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया जबकि इसके पहले इनके लिए आस्तित्व आकार ₹100 करोड़ और या उससे अधिक था। इसके अतिरिक्त, दो बड़ी एनबीएफसी नामतः बंधन और आईडीएफसी के बैंकों में परिवर्तित हो जाने से वर्ष के दौरान वाणिज्य क्षेत्र को हुए ऋण प्रवाह में कमी आई।

स्रोत: भारिबैं, सेबी, बीएसई, एनएसई, मर्चेन्ट बैंक, एलआईसी और एनएचबी।

बना रहा। सेवा क्षेत्र और वैयक्तिक ऋण वर्ष के दौरान आघातसह बने रहे। ऋण के गैर-बैंक स्रोतों, विशेष रूप से घरेलू स्रोतों, ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया।

II.4 वित्तीय बाजार

II.4.1 भारत सहित दुनिया भर में अपना असर डालने वाली फरवरी और मार्च 2018 में इक्विटी और बॉन्डों की बिकवाली को छोड़ दिया जाए तो 2017-18 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा संवृद्धि की संभावनाओं में सुधार किए जाने और परिस्थितियां सामान्य होने की क्रमिक गति के चलते वैश्विक वित्तीय बाजारों में सामान्यतः उत्साह का माहौल रहा। वर्ष के अधिकांश समय के दौरान अल्पकालिक उछाल के अलावा, घट-बढ़ में कमी के बीच

मूल्यन में वृद्धि हुई। रोजगार/मजदूरी संबंधी मजबूत आंकड़े प्राप्त होने से अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा फरवरी 2018 में नीति को सामान्य बनाए जाने की अपेक्षाकृत तीव्र गति के कारण उत्पन्न भय और अमेरिकी व्यापार नीतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप मार्च 2018 में पुनः उत्पन्न हुए भय से आस्तित्व की कीमतों में काफी उछाल होने और उभरते बाजारों पर असर डालने वाले पूंजीगत प्रवाहों के कारण घट-बढ़ में वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय बाजार की संभावनाएं क्षीण हुईं। वर्ष में अधिकांश समय के दौरान अमेरिकी डॉलर के आमतौर पर कमजोर रहने से मुद्राएं मजबूत हुईं। यह प्रक्रिया विशेष प्रवृत्ति वाले किंतु अल्पजीवी सुरक्षित निवेश (सेफ हैवन) प्रभावों की वापसी के कारण बाधित हुई।

11.4.2 भारत पर वैश्विक प्रभावों का सर्वाधिक असर इक्विटी और मुद्रा बाजारों पर पड़ा। इसके कारण ठीक फरवरी तक इक्विटी खंड में तेजी बनाए रखने वाले मजबूत उछाल में मंदी आई और वर्ष के अधिकांश समय के दौरान भारतीय रुपया का प्रमुख मुद्राओं की तुलना तेजी के साथ हो रहे कारोबार का रुख उलट गया। इसके विपरीत, बाजार के अन्य खंडों पर मुख्यतः घरेलू कारकों का असर बना रहा। जैसे कि उप-खंड 1 में चर्चा की गई है, रिज़र्व बैंक द्वारा सक्रियतापूर्वक चलनिधि प्रबंध किए जाने के कारण मुद्रा बाजार की दरें नीतिगत दरों पर आश्रित रहीं। उप-खंड 2 में घरेलू बॉन्ड बाजार की गतिविधियों को दर्शाया गया है। मुद्रास्फीति की संभावनाओं, समाहित करने की क्षमता की तुलना में बहुत अधिक पेपर निर्गम किए जाने के भय, राजकोषीय घाटे में कमी लाने संबंधी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाने (फिस्कल स्लिपेज), तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफलों में तीव्र वृद्धि होने के कारण घरेलू बॉन्ड बाजार के प्रतिफलों में कमी आई। उप-खंड 3 में कॉर्पोरेट कर्ज बाजार की गतिविधियों की चर्चा की गई है, जहां पर प्रतिफलों में पहली छमाही में प्रारंभिक वृद्धि के उपरांत दूसरी छमाही में काफी कमी आई। उप-खंड 4 में घरेलू शेयर बाजार की गतिविधियां दर्शाई गई हैं, जहां पर सकारात्मक घरेलू कारकों और वैश्विक बाजारों के संकेतों के कारण तेजी व्याप्त रही। उप-खंड 5 में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया की विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव की चर्चा की गई है, जिसमें पहली छमाही में काफी मात्रा में विदेशी संविभाग निवेश (एफपीआई) के अंतर्वाह के कारण सामान्यरूप से तेजी रही, किंतु दूसरी छमाही में अमेरिकी डॉलर में सामान्यरूप से मजबूती आने और विदेशी संविभाग निवेश (एफपीआई) के बहिर्वाह के कारण गिरावट आई।

1. मुद्रा बाजार

11.4.3 2017-18 के दौरान मुद्रा बाजार सामान्य रूप से स्थिर बना रहा। इसमें रिज़र्व बैंक द्वारा विमुद्रीकरण के बाद उपलब्ध अधिशेष चलनिधि को सक्रिय रूप से नियंत्रित किए जाने की भूमिका महत्वपूर्ण रही। बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत ट्रेजरी बिलों (टी-बिल) की सीधी नीलामी किए जाने से भी चलनिधि नियंत्रण में मदद मिली। आमतौर पर प्रत्येक

वर्ष मार्च में चलनिधि की पाई जाने वाली अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने परिवर्तनशील दर वाली रिपो नीलामियों का आयोजन किया। 2018-19 की पहली तिमाही के दौरान चलनिधि परिस्थिति सामान्य रूप से अतिरेकपूर्ण रही, जिससे बढ़े हुए सरकारी व्ययों का पता चलता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने मीयादी रिपो/ रिवर्स रिपो और खुले बाजार परिचालनों (ओएमओ) के माध्यम से प्रतिरोधात्मक और संरचनात्मक चलनिधि परिस्थितियों का सक्रियतापूर्वक प्रबंधन किया।

11.4.4 असंपार्श्विकृत अंतर-बैंक मांग मुद्रा बाजार में पूरे वर्ष भारत औसत मांग दर (डब्लूएसीआर) पर आधारित कारोबार नीतिगत दर की तुलना में कमी के रुझान के साथ होता रहा, यद्यपि ऋणात्मक स्प्रेड में कमी आई। अप्रैल 2017 में यह स्प्रेड 32 आधार अंकों के स्तर पर था जो मार्च 2018 में घटकर औसतन 5 आधार अंक के स्तर पर रह गया (चार्ट 11.4.1)। यह उल्लेखनीय है कि नीतिगत दर की तुलना में इस ऋणात्मक स्प्रेड में कमी से दोनों 'ट्रेडेड डील्स' के संबंध में कमी का पता चलता है। ट्रेडेड डील्स से तात्पर्य ट्रेडिंग के इलेक्ट्रॉनिक, तयशुदा और कोटा आधारित प्लेटफॉर्म (एनडीएस-सीएलएल) तथा 'रिपोर्टेड डील्स', जो ओवर द काउंटर (ओटीसी) कॉल डील्स, जिनकी रिपोर्टिंग (एनडीएस-सीएलएल) को बाद में की जाती है, से होता है। हालांकि, ट्रेडेड डील्स की तुलना में रिपोर्टेड



डील्स का ऋणात्मक स्प्रेड अधिक विस्तृत रहा। 2018-19 की पहली तिमाही के दौरान नीतिगत की तुलना में डब्ल्यूएसीआर के ऋणात्मक स्प्रेड में सामान्य रूप से वृद्धि हुई और इसका औसत लगभग 10 आधार अंक रहा।

11.4.5 स्प्रेड में कमी होने के बाद भी मुद्रा मांग बाजार के हिस्से में घट-बढ़, जिसे प्रतिबंधित चरों के माध्यम से मापा गया, में कमी आई और कारोबार आमतौर पर अपरिवर्तित रहा। 2017-18 में, बाजार में हुए कुल कारोबार में मांग आधारित लेन देन का हिस्सा 10 प्रतिशत से भी कम रहा।

11.4.6 संपार्श्विकृत उधार लेनदेन संबंधी दायित्व (सीबीएलओ) और बाजार रिपो संपार्श्विकृत मुद्रा बाजार के लिखत होते हैं। सीबीएलओ खंड में सामान्यतः बैंक प्रमुख उधारकर्ता होते हैं, जबकि म्यूच्यूल फंड्स (एमएफ) प्रमुख उधारदाता होते हैं। हालांकि, बाजार रिपो खंड में उधार लेने और देने दोनों ही खंडों में बैंक प्रमुख भागीदार हैं। इस खंड में, अन्य भागीदार प्राथमिक डीलर (पीडी) जो मुख्य रूप से उधारकर्ता (28 प्रतिशत हिस्सेदारी) और म्यूच्यूल फंड्स जो उधारदाता (30 प्रतिशत हिस्सेदारी) होते हैं। सीबीएलओ खंड की कारोबारी मात्रा और दरों में रिपोर्टिंग शुक्रवार को तीव्र गिरावट देखी गई और मार्केट रिपो खंड में तदनु रूप तीव्रता देखी गई। ऐसा होने कारण बाजार रिपो खंड में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की अपेक्षाओं से छूट होना रहा जबकि सीबीएलओ बाजार में यह छूट उपलब्ध नहीं है।

11.4.7 वर्ष 2017-18 में, मुद्रा बाजार (मांग मुद्रा, सीबीएलओ एवं बाजार रिपो) में औसत दैनिक कारोबार की मात्रा 17 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹1,687 बिलियन हो गई, जो 2016-17 में ₹1,441 बिलियन थी। सीबीएलओ एवं बाजार रिपो खंडों में कारोबारी मात्रा में क्रमशः 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मांग मुद्रा खंड में इनमें वर्ष के दौरान 8 प्रतिशत की गिरावट आई। 2017-18 के दौरान, कारोबार की मात्रा में मांग मुद्रा, सीबीएलओ और बाजार रिपो खंडों की हिस्सेदारी क्रमशः 8 प्रतिशत, 63 प्रतिशत और 29 प्रतिशत रही, जबकि 2016-17 में यह हिस्सेदारी क्रमशः 11 प्रतिशत, 59 प्रतिशत और 30

प्रतिशत थी। इसके अलावा मांग मुद्रा, सीबीएलओ एवं बाजार रिपो खंडों में होने वाला कारोबार मुख्यतः एक दिवसीय उधार देने/लेने का रहा है, जिसकी 2017-18 के दौरान हिस्सेदारी कारोबार की कुल मात्रा की क्रमशः 97 प्रतिशत, 91 प्रतिशत और 88 प्रतिशत रही। वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही के दौरान मुद्रा बाजार का औसत दैनिक कारोबार घटकर ₹1,649 बिलियन रह गया।

11.4.8 जमा प्रमाण-पत्र (सीडी) बाजार में बैंकों द्वारा जमा प्रमाण पत्रों के प्राथमिक निर्गमन में वर्ष के पूर्वार्द्ध में गिरावट आई, जो विमुद्रीकरण के बाद की अवधि में बैंकिंग प्रणाली में व्याप्त अधिशेष चलनिधि को दर्शाता है। हालांकि, अधिशेष चलनिधि में निरंतर गिरावट के कारण अक्टूबर 2017 से इनके निर्गमन में तेजी आई। जमा प्रमाणपत्रों का औसत पाक्षिक निर्गमन 2017-18 की पहली छमाही में ₹122 बिलियन था जो दूसरी छमाही में बढ़कर ₹216 बिलियन हो गया। 30 मार्च 2018 को जमा प्रमाण-पत्रों के संबंध में भारत औसत प्रभावी ब्याज दर (डब्ल्यूईआईआर) बढ़कर 7.04 प्रतिशत हो गई जो 31 मार्च 2017 को 6.30 प्रतिशत थी। यह वृद्धि मांग में तेजी को दर्शाती है। वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में, जमा प्रमाण-पत्रों के औसत निर्गमन में गिरावट आई और यह ₹159 बिलियन रह गया। तिमाही के दौरान जमा प्रमाण-पत्रों से संबंधित डब्ल्यूईआईआर में सामान्यतः कमी आई।

11.4.9 वर्ष 2017-18 के दौरान, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) बाजार में वाणिज्यिक पत्रों का औसत पाक्षिक निर्गम बढ़कर ₹955 बिलियन हो गया, जो विगत वर्ष ₹867 बिलियन था। यह वृद्धि बैंक ऋणों की तुलना में अपेक्षाकृत कम निधीयन लागत के कारण ऊंची रेटिंग वाले कॉर्पोरेटों की ओर से बाजार आधारित निधीयन से अल्पावधि बैंक ऋण के प्रतिस्थापन को दर्शाता है। प्राथमिक बाजार में वाणिज्यिक पत्रों के निर्गम-कर्ताओं की श्रेणियों के मध्य पट्टेदारी और वित्तीयन कंपनियों आमतौर पर प्रमुख निर्गम-कर्ता नहीं, जिनकी कुल निर्गम में आधी से अधिक हिस्सेदारी रही। इन कंपनियों के बाद निर्माण और अन्य कंपनियों के निर्गम की बारी रही, जिनकी निर्गम में एक तिहाई हिस्सेदारी रही। निर्गम का शेष हिस्सा वित्तीय संस्थानों के नाम रहा। अधिशेष चलनिधि की


परिस्थितियों और नीतिगत दरों में कमी होने से पूरे बाजार में मुद्रा बाजार दरों की गिरावट होने के कारण वाणिज्यिक पत्रों की भारत औसत छूट दर (डब्ल्यूडीआर) में, चौथी तिमाही के दौरान मामूली सुधार को छोड़ दिया जाए तो, वर्ष के दौरान गिरावट का रुख रहा। 2018-19 की पहली तिमाही में वाणिज्यिक पत्रों का प्राथमिक औसत पाक्षिक निर्गमन ₹939 बिलियन के स्तर पर रहा। वाणिज्यिक पत्रों के डब्ल्यूडीआर में अधिकांशतः वृद्धि हुई।

2. सरकारी प्रतिभूति बाजार

11.4.10 वर्ष 2017-18 के दौरान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों की दिनांकित प्रतिभूतियों (जी-सेक एवं एसडीएल) तथा खजाना बिलों (सीधी नीलामी के साथ ही रिपो लेनदेन सहित) के लेनदेन की मासिक औसत मात्रा में 15.7 प्रतिशत की गिरावट आई। यह गिरावट मुख्य रूप से प्रतिफलों में अगस्त 2017 से लगभग निरंतर वृद्धि होने से मूल्यन में कमी होने के कारण आई। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, जून 2018 के अंत तक, लेनदेन की मासिक औसत मात्रा में 10.2 प्रतिशत की कमी हुई।

11.4.11 उत्कृष्ट प्रतिभूतियों में पहली तिमाही के दौरान जारी गिरावट का क्रम दूसरी तिमाही में थम गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) द्वारा काफी खरीद किए जाने, माल और सेवा कर (जीएसटी) बिल पारित होने तथा मुद्रास्फीति में कमी होने से कारण यह संभव हो पाया (चार्ट 11.4.2)।

11.4.12 प्रतिफलों में कमी की शुरुआत विभिन्न कारकों, नामतः - बढ़ती मुद्रास्फीति, अमेरिका में मौद्रिक नीति के प्रभावों की घोषणा किए जाने और भारत सरकार द्वारा राजकोषीय घाटा में कमी लाने संबंधी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाने (फिस्कल स्लिपेज) के भय, से प्रारंभ हुई। वस्तुतः, अगस्त 2017 में आयोजित हुई बैठक में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा नीतिगत दर में कमी किए जाने से बाजार में उत्साह का माहौल उत्पन्न नहीं किया जा सका। अमेरिकी फेडरल खुला बाजार समिति (एफओएमसी) द्वारा परिपक्व हो रहे बॉन्डों के पुनर्निवेश में मात्रात्मक सुगमता समाप्त करने (टैपरिंग ऑफ) के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने से सितंबर में प्रतिलाभों में और अधिक वृद्धि हुई।



11.4.13 बढ़ती मुद्रास्फीति, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, माल और सेवा कर (जीएसटी) के माध्यम से राजस्व एकत्रण कमजोर होने के कारण भारत सरकार द्वारा ₹500 बिलियन के उधार लिए जाने के मंतव्य की घोषणा से जुड़े असर के माहौल में तीसरी तिमाही में भी प्रतिलाभों में उत्साही माहौल का लाभकारी असर जारी रहा। सरकारी बैंकों के पुनर्पूजीकरण बॉन्डों का प्रमुखता से निर्गम किए जाने और बाजार में पेपरों की आपूर्ति के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए निराशावाद से भी बॉन्ड मूल्यों में कमी आई। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेस द्वारा भारत की सॉवरिन रेटिंग में सुधार किए जाने और रिजर्व बैंक द्वारा नवंबर 2017 में खुले बाजार परिचालनों (ओएमओ) के माध्यम से निर्धारित बिक्री रद्द किए जाने से इस रुख में थोड़ी स्थिरता आई। हालांकि, भारत सरकार द्वारा ₹500 बिलियन के अतिरिक्त उधार लिए जाने की घोषणा किए जाने, कच्चे तेल के बढ़ते दामों और मुद्रास्फीति के अपेक्षाकृत अधिक रहने के संकेतों के कारण सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिलाभ में दिसंबर 2017 में फिर से वृद्धि प्रारंभ हो गई।

11.4.14 चौथी तिमाही के दौरान, जनवरी 2018 में नई दस वर्षीय बेंचमार्क प्रतिभूतियों की नीलामी किए जाने से बाजार में उमंग का माहौल लौट आया। भारत सरकार द्वारा 2017-18 के लिए उधार की जरूरत को घटाकर ₹200 बिलियन किए जाने से भी इसमें मदद मिली। हालांकि, फरवरी एवं मार्च में वैश्विक स्तर पर बॉन्डों की बिकवाली की घटना के प्रभाव के रूप में

इस मध्यांतर उमंग में कमी आई। 2017-18 और 2018-19 के दौरान राजकोषीय घाटा में कमी लाने संबंधी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाने (फिस्कल स्लिपेज) के कारण संघ के बजट में भी बॉन्डों के बहुत अधिक निर्गम के कारण चिंता व्यक्त की गई। बीच-बीच में कच्चे तेल के मूल्य में कमी आने और फरवरी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के कम रहने से प्रतिलाभों की वृद्धि को सीमित करने में मदद मिली। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के अंत में चलनिधि की मांग पूरी करने के लिए परिवर्तनशील दर वाले दीर्घावधि रिपो निर्गम करने की भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणा से बाजार के रुख में सुधार हुआ। मार्च 2018 के दौरान, घरेलू निवेशों के प्रतिलाभ में थोड़ी वृद्धि का रुझान प्रारंभ हुआ। इसमें माह के दौरान पेपर्स की नई आपूर्ति की अनुपलब्धता, 2018-19 की पहली छमाही में भारत सरकार द्वारा अपेक्षाकृत कम उधार लिए जाने की घोषणा और ₹1 ट्रिलियन मूल्य के एमएसएस ट्रेजरी बिलों की परिपक्वता से मदद मिली। इन घटनाओं से चलनिधि की कमी से संबंधित चिंताओं का निवारण किया जा सका।

11.4.15 वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही के दौरान, अप्रैल की शुरुआत में प्रतिलाभों में कमी आई। यह कमी बाजार भाव पर (एमटीएम) हानियों को चार तिमाहियों में संवितरित करने के रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दिए गए निर्देशों और मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा पहली छमाही के लिए मुद्रास्फीति के अनुमानों में कमी किए जाने की प्रतिक्रिया स्वरूप आई। बाद में, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के अपेक्षाकृत अधिक रहने और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) की अधिक आपूर्ति होने के कारण प्रतिलाभों में वृद्धि प्रारंभ हुई। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर बॉन्ड प्रतिलाभ बढ़ने, व्यापार से संबंधित बढ़ते तनाव, अमेरिकी फेडरल रिजर्व और रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरें बढ़ाए जाने से बाजार के रुझान प्रभावित हुए। बीच-बीच में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी होने और रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार परिचालनों (ओएमओ) के माध्यम से खरीद किए जाने के कारण प्रतिकूल प्रभावों से निपटने में काफी हद तक मदद मिली और इसके कारण प्रतिलाभों में वृद्धि नियंत्रित की जा सकी। 29 जून 2018 को घरेलू 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिलाभ 7.90 प्रतिशत के स्तर पर समाप्त हुआ।

11.4.16 मध्यावधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) की दृष्टि से देखा जाए तो सरकारी प्रतिभूतियों (एसडीएल सहित) में विदेशी संविभाग निवेश (एफपीआई) की सीमा को चरणबद्ध ढंग से बढ़ाया गया। 03 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार, यह निवेश ₹2,580 बिलियन था, जो 06 अप्रैल 2018 को बढ़कर ₹3,279 बिलियन हो गया। इस निवेश में 27 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई। 03 अप्रैल 2017 को कुल उपलब्ध सीमा (एसडीएल प्रतिभूतियों में निवेश सहित) के अंतर्गत एफपीआई का 68.4 प्रतिशत उपयोग हुआ। उपयोग का प्रतिशत जून 2018 के अंत में 65.2 प्रतिशत तक घटने से पूर्व 28 मार्च 2018 को बढ़कर 79.3 प्रतिशत हो गया था। 2018-19 की पहली तिमाही के दौरान ₹225 बिलियन तक एफपीआई निवेश का बहिर्वाह देखा गया। यह बहिर्वाह मुख्य रूप से फेडरल रिजर्व द्वारा अनुमान से अधिक तीव्र गति से मौद्रिक नीति को सामान्य बनाए जाने और भारतीय रुपया के कमजोर होने के कारण हुआ। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका तथा चीन के बीच व्यापार से संबंधित तनावों के बढ़ने के कारण यह स्थिति और खराब हुई। बहुत-सी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) से एफपीआई वापस लिए जाने से कर्ज का बहिर्वाह देखा गया। इस प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं रहा।

3. कॉर्पोरेट कर्ज बाजार

11.4.17 हाल के वर्षों में, बाजार का विकास किए जाने के बहुत से उपाय किए जाने के कारण कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में तेजी आई। निवल बकाया कॉर्पोरेट बॉन्ड में 14 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई और यह मार्च 2018 के अंत में बढ़कर ₹27.4 ट्रिलियन हो गया, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 16.3 प्रतिशत होता है। 2017-18 के दौरान बॉन्ड बाजार का औसत दैनिक कारोबार भी तीव्र वृद्धि के साथ ₹74.6 बिलियन हो गया, जो एक वर्ष पहले ₹61.0 बिलियन के स्तर पर था। निर्गमकर्ताओं के लिए बाजार चलनिधि की स्थिति में सुधार लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्याओं (आईएसआईएन) में कमी करने के माध्यम से कर्ज प्रतिभूतियों को मजबूती प्रदान करने और पुनर्निर्गमन के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जून 2017 से नई व्यवस्था की शुरुआत की गई। इसके अलावा, संघीय बजट : 2018-19 में शामिल किए गए प्रस्तावों, यथा - कॉर्पोरेटों को अपनी निधीयन संबंधी आवश्यकताओं के लिए बॉन्ड बाजार से कम से कम एक चौथाई वित्तीयन को अनिवार्य किया जाना, विनियामकीय निवेश की ग्रेड

को 'ए' से घटाकर 'एए' किया जाना, और देशभर में बॉन्ड निर्गमन के संबंध में मुद्रांक शुल्क को एक समय एक समान किए जाने की शुरुआत किए जाने से कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ।

11.4.18 सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ की तर्ज पर, 2017-18 की पहली छमाही के अधिकांश समय में कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिलाभों में भी कमी आई। इस कमी में, मुद्रास्फीति में गिरावट होना, मानसून के सामान्य होने और अगस्त में रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत रिपो दर में 25 आधार अंको की कमी किए जाने का प्रमुख योगदान रहा। हालांकि, 2017-18 की दूसरी छमाही में यह स्थिति उलट गई और कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिलाभों में वृद्धि हुई जो सरकारी प्रतिभूति प्रतिलाभों में हुई वृद्धि और विश्व-भर में बॉन्ड प्रतिलाभों में देखी गई वृद्धि की घटनाओं के अनुरूप थी। 2017-18 के दौरान एएए रेटिंग वाले 5-वर्षीय कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिलाभ में समग्र रूप से हुई वृद्धि 39 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 7.96 प्रतिशत रही। हालांकि, सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिलाभ स्प्रेड में वर्ष के दौरान काफी गिरावट आई। इस दौरान एएए रेटिंग वाले 5-वर्षीय और 10-वर्षीय कॉर्पोरेट बॉन्डों में क्रमशः 57 और 31 आधार अंको की गिरावट आई। यह गिरावट विशेष रूप से दूसरी छमाही में देखी गई, जिससे उच्चतर कॉर्पोरेट आय की ऋण गुणवत्ता में सुधार, बेहतर आर्थिक संभावनाओं तथा

कॉर्पोरेट ऋण शोधन अक्षमता के तीव्र निपटान की प्रत्याशाओं का पता चलता है (चार्ट 11.4.3)।


11.4.19 कॉर्पोरेट बॉन्ड का प्राथमिक निर्गमन 2016-17 में ₹6,700 बिलियन के शीर्ष स्तर से 9.8 की गिरावट के साथ 2017-18 के दौरान ₹6,043 बिलियन रह गया। यह निर्गमन वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण से भी अधिक था। दूसरी छमाही में प्रतिलाभों में हुई तीव्र वृद्धि से वित्तीय परिस्थितियों में सुधार आया, जिसके परिणामस्वरूप कॉर्पोरेटों ने अपनी निधीयन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक-ऋण का रुख करने लगे। 2017-18 के दौरान हुआ ₹51.9 बिलियन का सार्वजनिक कर्ज निर्गमन पिछले 8 वर्षों में होने वाला सबसे कम निर्गमन था, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार से जुटाए जाने वाले 99.1 प्रतिशत संसाधन प्राइवेट प्लेसमेंट रूट के माध्यम से हुए। मार्च 2018 के अंत में, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में एफपीआई की मात्रा बढ़कर ₹2.2 ट्रिलियन हो गई, जो मार्च 2017 के अंत में ₹1.9 ट्रिलियन हुआ करती थी। परिणामस्वरूप, मार्च 2018 के अंत में अनुमोदित सीमा का अनुप्रयोग बढ़कर 91.9 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2017 के अंत में 76.0 प्रतिशत था।

11.4.20 वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही के दौरान, सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ बढ़ने और ऋण चूक जोखिम में इजाफा होने से, जैसा कि क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप (सीडीएस) स्प्रेड के अपेक्षाकृत अधिक होने से पता चलता है, एएए रेटिंग वाले 5-वर्षीय कॉर्पोरेट बॉन्ड का प्रतिलाभ 81 आधार अंको की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 8.78 प्रतिशत हो गया। 5-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में एएए रेटिंग वाले 5-वर्षीय कॉर्पोरेट बॉन्ड के प्रतिलाभ स्प्रेड में 24 आधार अंको की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, 2018-19 की पहली तिमाही में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार से प्राथमिक निर्गमन विगत वर्ष की समरूप अवधि की तुलना में 33.6 प्रतिशत की कमी के साथ ₹1,161 बिलियन रह गया। 2018-19 की पहली तिमाही में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार का दैनिक कारोबार बढ़कर ₹75.0 बिलियन हो गया, जो 2017-18 की पहली तिमाही में ₹72.4 बिलियन था।


4. इक्विटी बाजार

11.4.21 वर्ष 2017-18 के दौरान, बीच-बीच में होने वाले सुधारों के साथ बेंचमार्क सूचियों के नए उच्च शिखर पर चले जाने के

चार्ट 11.4.3 : कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार टर्नओवर एवं प्रतिफल स्प्रेड



चार्ट II.4.4 : बीएसई सूचकांक एवं निफ्टी 50 में घट-बढ़



कारण इक्विटी बाजार में बहुत तेजी का माहौल रहा। बेहतर घरेलू समष्टिगत आर्थिक अधोसंरचना और वैश्विक बाजारों में तेजी जैसे सकारात्मक कारकों के संयोग की पृष्ठभूमि के साथ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में सूचकांक और निफ्टी-50 में क्रमशः 11.3 प्रतिशत और 10.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट II.4.4)। घरेलू म्यूचुअल फंडों की खरीद के माध्यम से घरेलू इक्विटी बाजार में आई तेजी सामान्यतः बनी रही। हालांकि इसमें एफपीआई से भी मदद मिली।

II.4.22 वर्ष की शुरुआत सकारात्मक संकेतों के साथ होने, मानसून के सामान्य रहने की संभावनाओं, दबाव पूर्ण आस्तियों से निपटने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन किए जाने, खुदरा मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट आने और जीएसटी दरों को निर्धारित किए जाने के कारण अप्रैल-मई 2017 के दौरान इक्विटी बाजारों में अच्छे परिणाम देखे गए। हालांकि, इसके तुरंत बाद कुछ राज्य सरकारों द्वारा कृषि ऋण माफ किए जाने की घोषणा करने, रिजर्व बैंक द्वारा ऋण शोधन अक्षमता प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत किए गए बैंक ऋणों के लिए अधिक प्रावधान करने की व्यवस्था किए जाने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा 2017 में दूसरी बार ब्याज दर बढ़ाए जाने के कारण जून 2017 के दौरान इक्विटी सूचियों में गिरावट होने के कारण बाजार में अस्थिरता आई।

II.4.23 माल और सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत किए जाने और जून 2017 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की उस बैठक के कार्यवृत्त जारी किए जाने के बाद जिसमें भविष्य में दर बढ़ाए जाने के बारे में सर्वसम्मति नहीं होने की बात कही गई, जुलाई 2017 में इक्विटी बाजार में तेजी बहाल हुई। हालांकि, 2017-18 की पहली तिमाही से संबंधित कॉर्पोरेट आय के अनुमान से कम रहने के कारण अगस्त 2017 में बाजार के रुख पर प्रतिकूल असर पड़ा। राजकोषीय घाटा में कमी लाने संबंधी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाने (फिस्कल स्लिपेज), विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवल बिक्री किए जाने, कोरियाई प्रायद्वीप में भौगोलिक तनाव व्याप्त होने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा परिपक्व हो रही प्रतिभूतियों में अक्टूबर 2017 से पुनर्निवेश में कमी किए जाने/तुलन पत्र को संकुचित करने से संबंधित चिंताओं के कारण सितंबर 2017 में बाजार में तेजी का रुख जारी रहा। हालांकि, सरकारी बैंकों का पुनर्पूजीकरण करने के उपायों की घोषणा किए जाने, समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों में सुधार होने, 2017-18 की दूसरी तिमाही में कॉर्पोरेट परिणामों के बेहतरीन होने और विदेशी संविभाग निवेश का पुनरुज्जीवन होने के कारण अक्टूबर में बाजार में फिर से तेजी आई। इसके बाद, कारोबार करने की सुगमता के संबंध में विश्व बैंक द्वारा भारत की श्रेणी में तेजी से सुधार होने और मूडीज द्वारा रेटिंग में सुधार किए जाने के बावजूद नवंबर में बाजार में मंदी आई। किंतु, दिसंबर 2017 में गुजरात विधान सभा चुनावों के परिणामों और वैश्विक संकेतों के सकारात्मक होने के कारण बाजार में फिर से तेजी बहाल हुई।

II.4.24 वैश्विक बाजारों के सकारात्मक संकेतों, समष्टिगत आर्थिक संभावनाओं के बेहतर होने 2017-18 की तीसरी तिमाही में कॉर्पोरेट कमाई के परिणाम उत्साहजनक होने और संघीय बजट के पहले व्याप्त सकारात्मक माहौल के कारण जनवरी में तेजी को और संबल प्राप्त हुआ। संवेदी सूचकांक 36,000 के आंकड़े को पार कर गया और 29 जनवरी को 36,283 के ऐतिहासिक शीर्ष-स्तर पर पहुंच गया। हालांकि इस तेजी के साथ ही बहुत अधिक उतार-चढ़ाव, विशेष रूप से जनवरी 2018 के उत्तरार्ध में, भी देखा गया (बॉक्स-II.4.1)। फरवरी 2018 में, रोजगार की स्थिति के अनुमान से बेहतर होने और अमेरिका में मुद्रास्फीति के आंकड़े तथा बॉन्ड प्रतिलाभों में तेजी होने के कारण वैश्विक बिकवाली से बाजार में तीव्र गिरावट आई। संघीय

बॉक्स II.4.1

इक्विटी सूचियां और अंतर्निहित उतार-चढ़ाव

एक निश्चित समय अवधि के दौरान वित्तीय आस्तियों की कीमतें बारंबारता और मात्रा -दोनों ही दृष्टि से उतार-चढ़ाव के भंवर में पड़ीं। फर्मों द्वारा अपने निवेश संबंधी निर्णय को मुलतवी किए जाने और उपभोक्ताओं द्वारा खरीद रोक दिए जाने के कारण बाजार में तीव्र उतार-चढ़ाव की घटनाओं से अनिश्चितता बढ़ी। आस्तियों की कीमत में उतार-चढ़ाव की माप उनकी कीमतों की घट-बढ़ के संबंध में बाजार की प्रत्याशाओं पर आधारित ऐतिहासिक विवरणियों के आधार पर ऐतिहासिक/संपादित कीमतों या अंतर्निहित/ संभावित कीमतों से किया जा सकता है। समय के दौरान होने वाली घट-बढ़ संपादित वित्तीय आस्तियों के प्रतिफल में उतार-चढ़ाव की माप का एक सरल उपाय है। किंतु, इसमें उन उतार-चढ़ावों के समूहन (क्लस्टरिंग) की माप नहीं की जा सकती जिनके संबंध में सामान्यीकृत स्वसमाश्रयी प्रतिबंधी विषमविसारिता (जीएआरसीएच) का प्रयोग किया गया हो। जीएआरसीएच आस्तियों के प्रतिफल में उतार-चढ़ाव की माप करने की मानक प्रणाली है, जिसमें प्रतिबंधी घट-बढ़ की माप के माध्यम से उतार-चढ़ाव का समूहन (क्लस्टरिंग), अर्थात् शांतता की अवधि के बाद के उथल-पुथल वाले समय की घटनाओं को समाहित किया जाता है। इसमें विवरणियों के अतीत के लेखा-जोखा को ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शनस और फ्यूचर्स कारोबार की बढ़ती मात्रा के साथ ही, अंतर्निहित उतार-चढ़ाव सूचियों को उनके प्रगतिशील होने से संबंधित लाभ, अर्थात् बाजार की संभावनाओं पर आधारित होने के कारण काफी महत्व प्राप्त हुआ है। अंतर्निहित उतार-चढ़ाव में घट-बढ़ से बाजार में अनिश्चितता की लगभग उसी क्षण माप का पता चलता है।

उतार-चढ़ाव की सूची (VIX), जिसे भय सूची भी कहा जाता है, की शुरुआत 1993 में शिकागो बोर्ड ऑप्शनस एक्सचेंज (सीबीओई) ने किया था। एस एंड पी 500 सूची पर आधारित VIX अगले 30 दिनों के दौरान अमेरिकी शेयर बाजार बोर्ड में भावी उतार-चढ़ाव से संबंधित बाजार की संभावनाओं की माप करता है। भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) ने मार्च 2009 में VIX की शुरुआत सीबीआई की गणना प्रणाली में उपयुक्त संशोधन करते हुए किया। इंडिया VIX, निफ्टी 50 के अल्पावधिक उतार-चढ़ावों को समाहित करता है, जिसकी गणना अंतर्निहित निफ्टी के आउट ऑफ द मनी ऑप्शनस संबंधी आदेश बही के आधार पर की जाती है। इंडिया VIX की गणना करने के लिए एनएसई के फ्यूचर्स और ऑप्शनस खंड में कारोबार की जाने वाली नजदीकी और अगले महीने के निफ्टी ऑप्शन करार की सबसे बेहतर बिड-आस्क बोलियों का प्रयोग किया जाता है। इससे उतार-चढ़ाव के बारे में न सिर्फ निवेशकों की संभावनाओं का पता चलता है बल्कि, उतार-चढ़ाव के जोखिम का वहन करने के लिए उचित प्रीमियम का भी पता चलता है। गणना में प्रयोग किया जाने वाला सूत्र निम्नानुसार है -

$$\sigma^2 = \frac{2}{T} \sum \frac{\Delta K_i}{K_i^2} e^{RT} Q(K_i) - \frac{1}{T} \left[\frac{F}{K_0} - 1 \right]^2$$


जिसमें : σ इंडिया VIX/100 है, जो इंडिया VIX = $\sigma \times 100$ को दर्शाता है; T समाप्ति का समय है; K_i , मुद्रा ऑप्शन के i वें आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सौदे

की कीमत है; जो $K_i > F$ होने पर काल ऑप्शन होता है और $K_i < F$ होने पर पुट ऑप्शन होता है; ΔK_i सौदे की कीमतों का अंतराल है - K_i के दोनों ओर सौदे के बीच का आधा अंतराल है; R समाप्ति (एक्सपाइरेशन) की तुलना में जोखिम-मुक्त ब्याज दर है; $Q(K_i)$, K_i सौदे के साथ प्रत्येक ऑप्शन करार से संबंधित बिड-आस्क का मध्य बिंदु है; F फॉरवर्ड सूचकांक है जिसे अनुरूप समाप्ति वाले निफ्टी फ्यूचर करार के उपलब्ध नवीनतम मूल्य के रूप में लिया गया है, और K_0 फॉरवर्ड सूचकांक स्तर F के बाद का प्रथम सौदा है।

शेयर विवरणों और अंतर्निहित उतार-चढ़ाव के बीच महत्वपूर्ण नकारात्मक और सममित संबंध होता है (स्वर्ट, 1989)। अंतर्निहित उतार-चढ़ावों पर विवरणों के ऋणात्मक आघात का प्रभाव विवरणों के धनात्मक प्रभावों की तुलना में अधिक होता है। अंतर्निहित उतार-चढ़ावों और शेयर विवरणों के बीच धनात्मक सह-संबंध दो मूल सिद्धांतों पर आधारित होता है : उतार चढ़ाव फीडबैक प्रभाव और लिवरेज प्रभाव। उतार-चढ़ाव फीडबैक के सिद्धांत (फ्रेंच एवं अन्य, 1987) में माना जाता है कि शेयर मूल्य में तीव्र गिरावट होने से उतार-चढ़ाव का पूर्वानुमान हो जाने के कारण जोखिम प्रीमियम बढ़ता है, जो VIX में वृद्धि की दिशा में बढ़ता है। दूसरी तरफ, लिवरेज प्रभाव (ब्लैक, 1976) सूचित करता है कि कंपनी के शेयर मूल्य में गिरावट होने से वह और अधिक लिवरेज-युक्त हो जाता है क्योंकि इससे इसके कर्ज के अंकित मूल्य में वृद्धि होती है तथा इसके कारण शेयर के अधिक जोखिमपूर्ण होने की मान्यता उत्पन्न होती है और इसलिए अधिक उतार-चढ़ाव देखा जाता है।

भारत में, जनवरी 2018 के उत्तरार्ध में दोनों सूचकांकों में अग्रानुक्रमिक वृद्धि होने से इंडिया VIX और निफ्टी 50 के बीच दीर्घावधिक प्रतिलोम संबंध धनात्मक हो गया (जनवरी 2018 के लिए सहसंबंध गुणांक = 0.88)। इससे बाजार में व्याप्त इस आशंका का पता चलता है कि सूचकांक में अत्यधिक वृद्धि हुई और इस में तीव्र गिरावट अवश्यभावी थी। इस अवधि के दौरान एस एंड पी 500 तथा VIX में सहगामी हलचल होने से वैश्विक बाजारों में भी इसी प्रकार घटनाएं देखी गईं (जनवरी 2018 के लिए सहसंबंध गुणांक = 0.70)। हालांकि, फरवरी 2018 के दूसरे सप्ताह में इक्विटी बाजार में तीव्र गिरावट तथा अधिक उतार-चढ़ावों के कारण दोनों के बीच दीर्घावधिक प्रतिलोम संबंध बहाल हुए। इंडिया VIX, 25 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि के साथ 06 फरवरी 2018 को 20.02 प्रतिशत हो गया, जो नवंबर 2016 के बाद का इसका सर्वोच्च स्तर था। इस वृद्धि की शुरुआत मुख्य रूप से अमेरिकी बॉन्डों के बढ़ते हुए प्रतिलाभों से प्रारंभ वैश्विक उतार-चढ़ावों के अलक्षित प्रभावों (स्पिलओवर) के कारण हुई। उतार-चढ़ावों से संबंधित बहुत से जटिल फंडों के ढह जाने और बाजार में उतार-चढ़ाव से जुड़ी बीजगणितीय करोबारी रणनीतियों से वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव और बढ़ा। बाजार के प्रतिभागियों से संकेत मिला कि ऑप्शनस उत्पादों के तकनीकी कारकों और बाजार में उतार-चढ़ाव से जुड़ी रणनीतियों ने बाजार की चाल को और

(जारी...)



सारणी 1: शेयर बाजार की घट-बढ़ और VIX के बीच सहसंबंध गुणांक

शेयर बाजार/VIX	जन. 2009 – अप्रैल 2018	जन. 18	फर. 18
निफ्टी 50 एवं इंडिया VIX	-0.72	0.88	-0.31
एस एंड पी 500 एवं VIX	-0.68	0.70	-0.86

स्रोत: भा.रि.बैं. स्टाफ की गणना।

बढ़ा दिया। पुट-काल अनुपात, जो कारोबार में प्रयोग किए गए कॉल ऑप्शनस की तुलना में पुट ऑप्शनस का अनुपात होता है, निवेशक के रुख का संकेतक होता है। जनवरी 2017 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान भारत के संबंध में यह अनुपात सामान्यतः स्थिर बना रहा और इसका स्तर एक से नीचे रहा।

अपेक्षाकृत लंबी अवधि, अर्थात् जनवरी 2009 से अप्रैल 2018 के दौरान निफ्टी 50 और इंडिया VIX के बीच संबंधों के अनुमान से दोनों के बीच काफी ऋणात्मक सहसंबंध $[(-) 0.72]$ होने का पता चलता है (सारणी 1 और चार्ट 1)। निफ्टी 50 सूचकांक और इंडिया VIX, धनात्मक और ऋणात्मक -दोनों दिशाओं में एक साथ अग्रसर हुए। विश्लेषण की अवधि के दौरान यह सहसंबंध समय का 32 प्रतिशत रहा।

जनवरी 2010 से जनवरी 2018 की अवधि के संबंध में निफ्टी 50 सूचकांक और इंडिया VIX के बीच असममित संबंधों की प्रकृति के आकलन के लिए नीचे-वेस्ट इस्टिमेटर पर आधारित समाश्रयण का प्रयोग किया गया, ताकि विषमविचारिता और स्व-सहसंबंध की त्रुटियों से बचा जा सके। धनात्मक और ऋणात्मक प्रतिफलों के लिए प्रतिरूपी चरों का इस्तेमाल किया गया है (जिओट, 2005)। समाश्रयण का सूत्र नीचे दिया गया है -

$$R_{vix,t} = \beta_0^- D_t^- + \beta_0^+ D_t^+ + \beta_1^- (r_{nifty,t} D_t^-) + \beta_1^+ (r_{nifty,t} D_t^+) + e_t$$

जहां, $R_{vix,t}$ समय t में इंडिया VIX से संबंधित प्रतिफलों को दर्शाता है, D_t^- प्रतिरूपी चर है जिसका मान निफ्टी में गिरावट होने पर 1 होता है, अन्यथा इसका मान 0 होता है; $D_t^+ = 1 - D_t^-$ और $r_{nifty,t}$ समय t पर निफ्टी के प्रतिफलों को दर्शाता है।

परिणाम नीचे दी जा रही सारणी 2 में दर्शाए गए हैं :

सारणी 2 : समाश्रयण के अनुमानित गुणांक

β_0^-	β_0^+	β_1^-	β_1^+	R^2
-0.003 (0.17)	-0.011 (0.00)	-2.27 (0.00)	-4.36 (0.00)	0.36



टिप्पणी : पी – मान कोष्ठकों में दिए गए हैं।

स्रोत : भा.रि.बैं. स्टाफ की गणना।

यह स्पष्ट है कि इंडिया VIX और निफ्टी 50 के बीच महत्वपूर्ण ऋणात्मक और असममित संबंध विद्यमान है, क्योंकि β_1^- गुणांक का निरपेक्ष मान β_1^+ से अधिक है। यह दर्शाता है कि अंतर्निहित उतार-चढ़ावों में ऋणात्मक प्रतिफलों से संबंधित आघात का असर धनात्मक प्रतिफलों से संबंधित असर की तुलना में अधिक रहा।

इसके अलावा, जीएआरसीएच के माध्यम से अनुमानित प्रतिबंधी घट-बढ़ द्वारा निरूपित शेयर प्रतिफलों में संपादित उतार-चढ़ावों, और निफ्टी 50 तथा एस एंड पी 500 -दोनों के मामलों में VIX द्वारा दर्शाए जाने वाले अंतर्निहित उतार-चढ़ावों में सामान्य रूप से तारतम्य देखा गया। आमतौर पर, संभावित उतार-चढ़ावों की तुलना में संपादित उतार-चढ़ावों में कमी बनी रही। हालांकि, बहुत अधिक उतार-चढ़ाव की अवधि

चार्ट 1: इक्विटी सूचियों (जन 2010-अप्रैल 2018) की सशर्त घट-बढ़ (जीएआरसीएच) की तुलना में अंतर्निहित घट-बढ़ (VIX)



स्रोत: ब्लूमबर्ग एवं भा.रि.बैं. स्टाफ की गणना।

(जारी...)

के दौरान जीएआरसीएच के माध्यम से अनुमानित संपादित उतार-चढ़ाव, अंतर्निहित उतार-चढ़ावों की तुलना में अधिक रहे (चार्ट 2)। इस प्रकार से, VIX द्वारा दर्शाए गए अल्पकालिक संभावित उतार-चढ़ाव संपादित उतार-चढ़ाव को कैप्चर करने में सफल रहे। यह बात दोनों के सहगामी परिवर्तनों से भी पता चलती है, किंतु कीमतों की घट-बढ़ को समझने के लिए संपादित उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखना भी महत्वपूर्ण है।

संदर्भ :

1. ब्लैक, एफ. (1976) – “स्टडीज ऑफ स्टॉक प्राइस वॉलेटिलिटी चेंजेज”। अमेरिकी सांख्यिकीय संघ, कारोबारी और आर्थिक सांख्यिकी की 1976 बैठकों की कार्यवाहियां।

2. फ्रेंच के.आर. , स्वेट जीडब्लू, स्टांबाघ आरएफ (1987), “एक्सपैक्टेड स्टॉक रिटर्नस एंड वॉलेटिलिटी”, वित्तीय अर्थशास्त्र का जर्नल 19(1), पृष्ठ सं. 3-29.
3. जिओट पी. (2005), “रिलेशनशिप बिटवीन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इन्डैक्सेज एंड रिटर्नस”, संविभाग प्रबंध का जर्नल, 26, पृष्ठ सं. 12-17.
4. स्वेट जीडब्लू (1989), “व्हाई डज स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी चेंज ओवर टाइम ?”, वित्तीय अर्थशास्त्र का जर्नल 44(5), पृष्ठ सं. 1115-1153.

बजट प्रस्तावों पर प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं और भारत सरकार द्वारा 2017-18 के राजकोषीय घाटा में कमी लाने संबंधी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाने से उत्पन्न हुई चिंताओं से बाजार में हालात और खराब हुए। संवेदी सूचकांक में लगभग 5 प्रतिशत की गिरावट के साथ माह का अंत सूचकांक के 34,184 के स्तर पर हुआ। इक्विटी बाजार के रुझान में गिरावट मार्च में भी जारी रही। मुंबई शेयर बाजार के सूचकांक में 3.6 प्रतिशत की गिरावट आई और वर्ष की समाप्ति सूचकांक के 32,969 स्तर के पर हुई। इस गिरावट की शुरुआत मुख्य रूप से अमेरिका और चीन के बीच व्यापार टकराव से उत्पन्न होने वाली चिंताओं और उसके बाद अमेरिका द्वारा इस्पात और एल्युमिनियम के आयात पर सीमा-शुल्क लगाने तथा चीनी सामानों पर आयात शुल्क लगाए जाने और घरेलू समष्टिगत आर्थिक आंकड़ों के मिले-जुले होने की घोषणाओं से हुई।

11.4.25 वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही के दौरान मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांक और निफ्टी 50 में क्रमशः 7.4 प्रतिशत और 5.9 की वृद्धि होने से इक्विटी बाजार में तेजी बहाल हुई। इस तेजी जी का मुख्य कारण निम्नलिखित थे - भारत सरकार द्वारा 2018-19 की पहली छमाही में उम्मीद से कम उधार उधार लिए जाने के कार्यक्रम की घोषणा किया जाना, 2017-18 की चौथी तिमाही में कॉर्पोरेट कमाई के परिणाम उम्मीद से बेहतर रहना, 2017-18 की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) के अपेक्षाकृत अधिक रहना, आर्थिक गतिविधियों के आंकड़े सकारात्मक रहना, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा 2018 में मानसून के सामान्य


रहने की घोषणा किया जाना। अप्रैल 2018 में तीव्र वृद्धि होने बाद बाजार में मई-जून 2018 के दौरान बीच-बीच में मंदी देखी गई। इस मंदी का मुख्य कारण अमेरिका और चीन के बीच व्यापार से संबंधित तनावों की आशंका, कर्नाटक राज्य में राजनैतिक अस्थिरता, कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि तथा रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि किए जाने संबंधी चिंताएं रहीं।

11.4.26 वर्ष के दौरान विदेशी संविभाग निवेश का प्रवाह अस्थिर रहने के बावजूद संस्थागत निवेशकों द्वारा निरंतर निवेश किए जाने के कारण बाजार में तेजी का रुख देखा गया (चार्ट 11.4.5)। वर्ष के दौरान इक्विटी में म्यूचुअल फंडों का निवल निवेश ₹1,418 बिलियन था, जो विदेशी संविभाग निवेशकों द्वारा किए गए ₹223 बिलियन के निवेश से काफी अधिक था। 2018-19 की पहली तिमाही के दौरान म्यूचुअल फंडों ने ₹335 बिलियन की निवल खरीद की जबकि विदेशी संविभाग निवेशकों ने ₹204 बिलियन की निवल बिक्री की।

प्राथमिक बाजार से संसाधन जुटाया जाना

11.4.27 संसाधन जुटाने में इक्विटी बाजार के प्राथमिक खंड की मुख्य भूमिका जारी रही। 2017 18 के दौरान अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) सहित इक्विटी के निवल निर्गम में काफी में वृद्धि हुई। द्वितीयक बाजार में तेजी होने से इस वृद्धि को प्रोत्साहन मिला। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) और राइट्स इश्यूज पिछले वर्ष के ₹325 बिलियन के स्तर से तीन गुना से भी अधिक वृद्धि के साथ ₹1052 बिलियन के स्तर पर पहुंच गए। कंपनियों ने 200 आईपीओ निर्गमों के जरिए ₹838 बिलियन जुटाया, जिनमें से ₹23 बिलियन मूल्य के 155 निर्गम

चार्ट II.4.5 : संस्थागत निवेशकों द्वारा किया गया शुद्ध निवेश



टिप्पणी : फेडरल फंड दरों के महीनों को धेराबद्ध किया गया है।
स्रोत: सेबी और एनएसडीएल।

मुंबई शेयर बाजार (बीएसई) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) में लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के प्लेटफॉर्म में सूचीबद्ध हुए। सितंबर से नवंबर 2017 के दौरान बीमा कंपनियों के नेतृत्व में आईपीओ संबंधी गतिविधियों में तीव्र वृद्धि हुई। वर्ष 2017-18 के दौरान इक्विटी के सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों में इनकी 52 प्रतिशत हिस्सेदारी रही। अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के माध्यम से संसाधन जुटाए जाने में भी कई गुना वृद्धि हुई। इस माध्यम से 2016-17 में ₹85 बिलियन जुटाए गए जो 2017-18 में बढ़कर ₹673 बिलियन हो गए। इस वृद्धि का मुख्य कारण बासेल III मानदंडों के तहत बैंकों के लिए पूंजीगत अपेक्षाओं का बढ़ा हुआ स्तर रहा।


II.4.28 वर्ष 2017-18 में म्यूचुअल फंडों द्वारा जुटाए गए निवल संसाधन में 20.8 प्रतिशत की गिरावट हुई और यह ₹2,718 बिलियन के स्तर पर रहा। हालांकि, इक्विटी और इक्विटी की प्रधानता वाली योजनाओं के माध्यम से संसाधन जुटाए जाने में दोगुनी से ज्यादा की वृद्धि हुई। इस माध्यम से, 2016-17 के दौरान ₹704 बिलियन मूल्य के संसाधन जुटाए गए थे, जबकि 2017-18 में ₹1,711 बिलियन के संसाधन जुटाए गए। यह वृद्धि, कर्ज के स्थान पर इक्विटी को तरजीह देने वाले खुदरा निवेशकों और उच्च निवल मालियत वाले व्यक्तियों (एचएनआई) के इस प्रक्रिया में शामिल होने के कारण हुई। तदनुसार, इक्विटी की प्रधानता वाले म्यूचुअल फंडों की प्रबंधनाधीन आस्तियां मार्च 2017 के अंत में रहे ₹5.4 ट्रिलियन के स्तर में 37.9 प्रतिशत वृद्धि के साथ मार्च 2018 के अंत में ₹7.5 ट्रिलियन के स्तर पर पहुंच गई।

II.4.29 वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही के दौरान इक्विटी के सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से प्राथमिक बाजारों द्वारा संसाधन जुटाए जाने में 31.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई। 2018-19 की पहली तिमाही के दौरान अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) निर्गमन में भी 85.2 प्रतिशत की महत्वपूर्ण गिरावट हुई। जबकि, इक्विटी योजनाओं के अधीन म्यूचुअल फंडों द्वारा संसाधन जुटाए जाने में वृद्धि जारी रही। 2018-19 की पहली तिमाही के दौरान, म्यूचुअल फंडों के माध्यम से जुटाए जाने वाले निवल संसाधनों में समग्र रूप से 43.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

5. विदेशी मुद्रा बाजार

II.4.30 वर्ष 2017-18 के दौरान सामान्यतः स्थिर परिस्थितियों के बीच विदेशी मुद्रा बाजार के कुल कारोबार में तेजी आई। सितंबर 2017 में अवमूल्यन होने के पहले 2017-18 की पहली छमाही में भारतीय रुपया के कारोबार में अमेरिकी डॉलर की तुलना में तेजी का रुझान रहा। संविभाग खरीद बेहतर होने से, विशेष रूप से कर्ज बाजारों में, भारतीय रुपया को बल मिला। जुलाई और अगस्त में मशाला बॉन्डों और विदेशी संस्थागत निवेश (एफडीआई) से होने वाले अंतर्वाह के कारण रुपया को सहारा मिला। हालांकि, भू-राजनैतिक तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक नीति को सामान्य बनाए जाने की घोषणा किए जाने से सितंबर 2017 में रुपया का अवमूल्यन हुआ।

II.4.31 मध्य पूर्व के देशों में राजनीतिक अस्थिरता और कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का बाजार के रुझान पर आरंभिक प्रभाव पड़ने के कारण नवंबर में अमेरिकी डॉलर की तुलना में



भारतीय रुपया के कमजोर होने से पहले, 2016-17 की दूसरी छमाही के प्रारंभिक समय में अक्टूबर के दौरान भारतीय रुपया का कारोबार तेजी के रुझान के साथ हुआ (चार्ट II.4.6)। विदेशी संस्थागत निवेश (एफपीआई) के अंतर्गत भारतीय कर्ज बाजार में खरीद किए जाने और अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से दिसंबर और जनवरी की शुरुआत में बाजार को सहारा मिला। हालांकि, भारत के चालू खाता घाटे पर ऊर्जा के बढ़े हुए मूल्यों के प्रभाव, वेतन और रोजगार के संबंध में बेहतर आंकड़े प्राप्त होने से अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा नीति को सख्त बनाए जाने की गति के पुनर्निर्धारण से जुड़ी अनिश्चितताओं तथा दीर्घावधिक पूंजी लाभ (एलटीजीसी) कर से जुड़ी चिंताओं के पुनः प्रकट होने के जनवरी और फरवरी के उत्तरार्द्ध में भारतीय रुपया पर गिरावट का घरेलू दबाव रहा। अमेरिकी डॉलर की कीमत में सुधार होने, भारत में इक्विटी और कर्ज बाजार में एफपीआई द्वारा बिक्री किए जाने और भारत सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे में वृद्धि किए जाने संबंधी संशोधन किए जाने से भारतीय रुपया पर गिरावट का दबाव और अधिक बढ़ा। समग्र रूप से, रुपया के मूल्य में मार्च 2018 के अंत में, एक वर्ष पहले की तुलना में 0.3 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि, 2017-18 में रुपया के औसत मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई।

II.4.32 वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही के दौरान, डॉलर की कीमत में व्यापक सुधार होने, कच्चे तेल की कीमत में निरंतर वृद्धि होने और भारतीय कर्ज वाले हिस्से से एफपीआई के अंतर्गत निरंतर बहिर्वाह होने से रुपया आमतौर पर कमजोर बना रहा। अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने की प्रत्याशाओं और चौथी तिमाही में उम्मीद से बेहतर उत्पाद होने के संभावनाओं के कारण कच्चे तेल की कीमतों में कमी होने से, विशेष रूप से मई 2018 के अंतिम समय में, रुपया की कीमत में बीच-बीच में थोड़ा सुधार हुआ, परन्तु, कच्चे तेल की कीमत में काफी वृद्धि होने, 2017-18 की चौथी तिमाही से संबंधित चालू खाता घाटे (सीएडी) में वृद्धि होने, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरें बढ़ाए जाने तथा अमेरिका और चीन के बीच व्यापार-तनाव बढ़ने के कारण जून में रुपया के मूल्य में वृद्धि जारी नहीं रह सकी।

II.4.33 फॉरवर्ड प्रीमिया में, विमुद्रीकरण के बाद 2017-18 के दौरान गिरावट के बाद सुधार आने के बावजूद बाजार में सहज कारोबार होता रहा, जो हाजिर बाजार में स्थिरता का परिचायक है। हाजिर बाजार, स्वैप के खंड में व्यापार और अंतर बाजार-दोनों से जुड़े कारोबार में बेहतरी आई, जबकि फार्वर्ड खंड की गतिविधियों में थोड़ी कमी देखी गई।

II.4.34 आगे चलकर, मध्य पूर्व के देशों में जारी भू-राजनैतिक गतिविधियों के कारण कच्चे तेल की कीमत में तेजी से वृद्धि होने, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अनुमान से अधिक गति से दर बढ़ाए जाने और व्यापार-तनावों में परिणत होने वाले संरक्षणवाद में वृद्धि होने जैसे वैश्विक जोखिम के कारण घरेलू बाजार में स्थिरता बढ़ सकती है। हालांकि, घरेलू समष्टिगत आर्थिक मूलभूत कारकों के मजबूत होने से अस्थिरता से उत्पन्न करने वाले किसी भी प्रकार के विदेशी अलक्षित प्रसार-प्रभावों (स्पिल ओवर) से दृढ़तापूर्वक निपटने में मदद मिलेगी।

II.5 सरकारी वित्त¹⁶

II.5.1 वर्ष 2017-18 में, लोक वित्त में, केंद्रीय एवं उप-राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बजट में निर्धारित घाटे के लक्ष्यों से विचलन देखने को मिला और इसका मुख्य कारण राजस्व रहा। केंद्र सरकार के लिए अप्रत्यक्ष कर संग्रह, गैर-कर राजस्व एवं राजस्व

¹⁶ वर्ष 2017-18 हेतु केंद्र सरकार के वित्त के संबंध में किया गया विचार-विमर्श अनंतिम लेखा (पीए) और 2018-19 के लिए बजट अनुमान (बीई) पर आधारित है।

व्यय परेशानी की वजहें बनीं। जीएसटी को विलंब से लागू करने (जुलाई 2017 में) और उसके बाद की शुरुआती समस्याओं की वजह से अप्रत्यक्ष कर संग्रह में गत वर्ष के स्तर से अधिक होने में रुकावट नहीं पैदा होती लेकिन गत दो वर्षों में बारम्बार जो उछाल आया उसमें बाधा उत्पन्न हुई और इस प्रकार जीडीपी की तुलना में अप्रत्यक्ष कर का अनुपात घट गया। बजट अनुमानों (बीई) के संदर्भ में गैर-कर राजस्व में हुई कमी को स्पेक्ट्रम की नीलामियों के स्थगन, बैंकों और कॉर्पोरेट्स के तुलन-पत्रों में गंभीर दबाव की वजह से लाभप्रदता में गिरावट और रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र पर विमुद्रीकरण की लागत का नकारात्मक प्रभाव होने के संदर्भ में देखने की जरूरत है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रक्षा कार्मिकों के वेतन, पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी से राजस्व व्यय अधिक हो गया, फलस्वरूप बजट में निर्धारित राशि से पूंजीगत व्यय को कम करना पड़ा। ऐसी स्थिति में, 2017-18 के अनंतिम लेखा (पीए) दर्शाते हैं कि केंद्र का सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) जीडीपी का 3.5 प्रतिशत रहा जबकि बजट में इसे जीडीपी का 3.2 प्रतिशत निर्धारित किया गया था।

II.5.2 राज्यों का समेकित जीएफडी 2017-18 के संशोधित अनुमान (आरई) के अनुसार जीडीपी के 3.1 प्रतिशत पर बजट में निर्धारित लक्ष्य (जीडीपी का 2.7 प्रतिशत) से अधिक हुआ। इसके मुख्य अंतर्निहित कारक हैं, निजी कर राजस्वों में कमी होना और वेतन आयोग लागू करने एवं कृषि ऋण माफी की वजह से उच्चतर राजस्व व्यय।

II.5.3 वर्ष 2018-19 के लिए, बजट में केंद्र का जीएफडी जीडीपी का 3.3 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जो 2017-18 के स्तर से 0.2 प्रतिशतता अंक कम है। 3.0 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 2020-21 के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यों के मामले में, 2.6 प्रतिशत पर समेकित राजकोषीय घाटे के बजट अनुमान को हालिया ऐतिहासिक अभिलेख और संस्थागत संरचना में कमियों के आलोक में देखे जाने की जरूरत है, जिसमें कृषि ऋण माफी एवं वेतन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में संस्थागत संरचना की नई संवीक्षा की जानी अपेक्षित है। संकटोत्तर काल में कुछ कमी आने के बावजूद,

वर्ष 2012-13 से सामान्य सरकार का जीएफडी जीडीपी के 6.5 प्रतिशत से अधिक बना रहा। फिर भी, 2017-18 (संशोधित अनुमान) में इसके 6.6 प्रतिशत बने रहने का अनुमान है और 2018-19 में इसके 5.9 प्रतिशत बने रहने का अनुमान लगाया गया है।

1. वर्ष 2017-18 में केंद्र सरकार का वित्त

II.5.4 वर्ष 2017-18 की राजकोषीय कार्यनीति में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित किया गया इसके साथ ही 1 फरवरी को बजट पेश करने की व्यवस्था को अग्रचालित करना, संघीय बजट में रेल बजट का विलय और योजना-गत एवं गैर-योजना-गत रूप में व्यय का वर्गीकरण समाप्त करना जैसी बजटीय प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए संरचनात्मक सुधार को संरक्षित किया गया। वास्तविक नतीजों के संदर्भ में, केंद्र द्वारा राज्यों को अंतरण करने के पश्चात कर राजस्व, बजट में निर्धारित राशि से 1.3 प्रतिशत अधिक रहा, जो 2016-17 में प्रारंभ हुई कर/ जीडीपी अनुपात में बढ़त को बनाए रखने की पुष्टि करता है। इस बेहतरी में आय और कॉर्पोरेट करों के अंतर्गत क्रमशः 12.0 प्रतिशत और 17.8 प्रतिशत की वृद्धि दरों के साथ अत्यधिक संग्रहण अंतर्निहित है, जिसकी बढौलत सकल प्रत्यक्ष कर राजस्वों में अधिक उछाल आया। कॉर्पोरेट कर में उछाल 2016-17 की बनिस्बत अधिक होने की वजह से कॉर्पोरेट कर संग्रहण भी 2017-18 के बजट अनुमान से अधिक हुआ। वर्ष 2017-18 में जीडीपी की तुलना में प्रत्यक्ष कर अनुपात के विपरीत, जीडीपी की तुलना में अप्रत्यक्ष कर का अनुपात मामूली रूप से घटा, यद्यपि संग्रहण में गत वर्ष की प्राप्ति की अपेक्षा 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

II.5.5 गैर-कर राजस्वों में बजट में निर्धारित लक्ष्यों से 33.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो मुख्य रूप से ब्याज, लाभांश और लाभ से हुई प्राप्ति में कमी की वजह से हुई। रिजर्व बैंक ने सरकार को 2016 में ₹658.8 बिलियन के मुकाबले 2017 में ₹306.6 बिलियन का कुल अधिशेष अंतरित किया, जो 53.5 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। वर्ष 2017-18 में, कुल लाभांश प्राप्ति बजट अनुमान की अपेक्षा 35.8 प्रतिशत और 2016-

17 के स्तर से 25.7 प्रतिशत कम थीं। विशेषतः, संचार सेवाओं से निवल प्राप्तियां बजट अनुमान से कम हुईं क्योंकि मुख्य रूप से स्पेक्ट्रम नीलामियाँ स्थगित हो गईं। दूसरी तरफ, रणनीतिक बिक्रियों की बढ़ती विनिवेश से ₹1 ट्रिलियन राशि प्राप्त हुई जो अब तक के किसी वित्त वर्ष में सर्वाधिक थी और बजट अनुमान से 38.2 प्रतिशत अधिक थी। इन संघटकों का संचलन दर्शाता है कि कुल गैर-कर्ज पूंजी प्राप्तियों ने गत वर्ष के 3.8 प्रतिशत की तुलना में 77.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

11.5.6 राजस्व व्यय, बजट के लक्ष्य से 2.3 प्रतिशत बढ़ा जो पेंशन और ब्याज संबंधी भुगतान में वृद्धि की वजह से हुआ, जिसके चलते गैर-कर्ज पूंजी प्राप्तियों से हुई समग्र वृद्धि खप गई। परिणामस्वरूप, पूंजीगत व्यय को बजट अनुमान से 14.9 प्रतिशत कम करना पड़ा जबकि 2016-17 में इसमें अच्छा सुधार हुआ था क्योंकि तब पूंजीगत व्यय को सुरक्षित रखा गया था और समायोजन का बोझ राजस्व व्यय पर आन पड़ा था।

11.5.7 ये गतिविधियां दर्शाती हैं कि 2017-18 में 3.2 प्रतिशत पर जीएफडी-जीडीपी अनुपात का बजट में निर्धारित लक्ष्य से 0.3 प्रतिशतता अंक अधिक हुआ। 2.6 प्रतिशत का राजस्व घाटा (आरडी)-जीडीपी अनुपात बजट अनुमान से 0.7

प्रतिशतता अंकों का विचलन दर्शाता है, जो जीएफडी-जीडीपी अनुपात के विचलन का लगभग दोगुना है (सारणी 11.5.1)।

2. वर्ष 2018-19 में केंद्र सरकार का वित्त

11.5.8 वर्ष 2018-19 के संघीय बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण मांग के पुनरुत्थान पर पुनः जोर दिया गया। 2017-18 के विपरीत, राजकोषीय कार्यनीति के दायरे को बढ़ाते हुए उसमें सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण) को लाया गया और इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं वित्तीय क्षेत्र पर बल देना जारी रखा गया, जिसके लिए बैंक पुनर्पूजीकरण एवं स्थायी जमा सुविधा की शुरुआत के रूप में महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की गई। यद्यपि, बैंक पुनर्पूजीकरण बॉन्ड की राजकोषीय लागत अभी भी अनिश्चित है, लेकिन इस उपाय से बैंक ऋण में हालिया सुधार और तत्पश्चात संपूर्ण वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है, जो इस बीच सरकार पर किसी अतिरिक्त ब्याज के बोझ की क्षतिपूर्ति करता है। आवंटनों में हुई बढ़त का वित्तपोषण, प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि करने और विनिवेश के प्रयासों को जारी रखने के जरिए किया गया है।

11.5.9 केंद्र सरकार ने मध्यावधि राजकोषीय लक्ष्यों के संबंध में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (एफआरबीएम) समीक्षा

सारणी 11.5.1: केंद्र सरकार का राजकोषीय कार्यनिष्पादन

(जीडीपी की तुलना में प्रतिशत)

मद	2004-08	2008-10	2010-15	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (आरई)	2017-18 (पीए)	2018-19 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गैर कर्ज प्राप्तियां	10.4	9.5	9.5	9.3	9.1	9.4	9.7	9.2	9.7
कर राजस्व (सकल) (ए+बी)	10.6	10.2	10.2	10.0	10.6	11.2	11.6	11.4	12.1
कर राजस्व (निवल)*	7.8	7.5	7.3	7.3	6.9	7.2	7.6	7.4	7.9
ए) प्रत्यक्ष कर	5.0	5.9	5.7	5.6	5.4	5.6	6.0	5.8	6.1
बी) अप्रत्यक्ष कर	5.5	4.3	4.5	4.4	5.2	5.7	5.6	5.5	6.0
गैर-कर राजस्व	2.1	1.8	1.8	1.6	1.8	1.8	1.4	1.1	1.3
गैर कर्ज पूंजीगत प्राप्तियां	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.7	0.5
कुल व्यय	13.8	15.8	14.3	13.4	13.0	12.9	13.2	12.8	13.0
राजस्व व्यय	11.9	14.1	12.6	11.8	11.2	11.1	11.6	11.2	11.4
पूंजीगत व्यय	1.9	1.7	1.8	1.6	1.8	1.9	1.6	1.6	1.6
राजस्व घाटा	2.0	4.9	3.5	2.9	2.5	2.1	2.6	2.6	2.2
सकल राजकोषीय घाटा	3.4	6.2	4.8	4.1	3.9	3.5	3.5	3.5	3.3

बीई : बजट अनुमान; आरई : संशोधित अनुमान; पीए : अनंतिम लेखा।

*: निवल कर राजस्व राज्य सरकारों को कर अंतरण के पश्चात का सकल कर राजस्व दर्शाता है।

स्रोत : संघीय बजट दस्तावेज।

समिति (अध्यक्ष: श्री एन.के. सिंह) द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार किया, परंतु विलंबित समय-सारणी के साथ। एफआरबीएम समीक्षा समिति ने केंद्र के लिए 2022-23 तक 2.5 प्रतिशत के मध्यावधि जीएफडी-जीडीपी लक्ष्य की संस्तुति दी है। इसके साथ ही, समिति ने संस्तुति दी है कि समेकित जीएफडी को घटाकर जीडीपी का 5 प्रतिशत किया जाना चाहिए और यह केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से विभाजित होगा। इसके विपरीत, केंद्र के लिए 3.0 प्रतिशत के जीएफडी लक्ष्य को 2018-19 से स्थगित कर 2020-21 कर दिया गया है, इसके साथ ही केंद्र सरकार के कर्ज को घटाते हुए की गई संस्तुति से दो वर्ष आगे अर्थात् 2024-25 तक इसे जीडीपी का 40 प्रतिशत कर दिया जाएगा। सरकार ने ब्येन्सी और एस्केप क्लॉज (उछाल और छूट खंड) को स्पष्ट करने की सहमति भी दी है। वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध छिड़ने, राष्ट्रीय आपदा, खेती के विनाश का कृषि उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ने, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार से पड़ने वाले अप्रत्याशित वित्तीय प्रभाव, किसी तिमाही की वास्तविक उत्पादन वृद्धि में उसकी पिछली चार तिमाहियों के औसत से कम से कम 3 प्रतिशत अंकों की गिरावट के कारण या कारणों से बढ़ाया/ स्थगित किया जा सकता है। तथापि, राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में कोई विचलन, वर्ष में जीडीपी के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार, किसी तिमाही में वास्तविक उत्पादन वृद्धि में उसकी पिछली चार तिमाहियों की औसत से कम से कम 3 प्रतिशत अंकों की वृद्धि होने की स्थिति में राजकोषीय घाटे में जीडीपी के कम से कम एक चौथाई प्रतिशत की कटौती वर्ष में एक बार कर सकेगी। जीडीपी वृद्धि में बढ़ोत्तरी के बावजूद राजकोषीय घाटे को निर्धारित लक्ष्य में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में सरकार, संसद के दोनों सदनों के समक्ष इसका कारण स्पष्ट करते हुए बयान देगी और साथ ही निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों को हासिल करने की कार्यप्रणाली प्रस्तुत करेगी।

II.5.10 वर्ष 2018-19 के लिए, बजट में जीएफडी को जीडीपी का 3.3 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जबकि 2017-18 में

आउटकम 3.5 प्रतिशत था। राजकोषीय कार्यनीति की व्यय प्राथमिकताओं को देखते हुए, बजट में निर्धारित जीएफडी की प्राप्ति केंद्र के राजस्व प्रयासों पर निर्भर करती है, जैसे, सकल कर राजस्वों में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि; जीएसटी संग्रहण में 70.5 प्रतिशत की बढ़त के साथ अप्रत्यक्ष करों में 22.3 प्रतिशत की वृद्धि। सकल कर राजस्व के अनुमानों को मजबूती प्रदान करने वाले अंतर्निहित कारक हैं 2018-19 (बीई) में 1.45 प्रतिशत का कर उछाल, जो 2017-18 में 1.19 प्रतिशत के उछाल से अधिक है। व्यक्तिगत आय कर में 2016-17 एवं 2017-18 में क्रमशः 2.5 प्रतिशत और 1.2 प्रतिशत का औसत उछाल आया, जो 2009-10 से 2015-16 तक के सात वर्षों में 1.0 प्रतिशत की तुलना में अधिक था। इसका श्रेय वर्तमान कर आधार में विस्तार और प्रवर्तनकारी उपायों को जाता है। बजट के अनुसार 2018-19 में गैर-कर राजस्वों से प्राप्तियां 27.3 प्रतिशत तक बढ़ेंगी, जिसमें संघ शासित प्रदेशों की ब्याज प्राप्तियों और उसके बाद गैर-कर प्राप्तियों का बड़ा योगदान होगा। वर्ष 2017-18 में विनिवेश के नतीजों से मिले हौसले की बदौलत 2018-19 (बीई) में विनिवेश हेतु ₹800 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है।

II.5.11 वर्ष 2018-19 के बजट में कुल व्यय में 14.0 प्रतिशत की वृद्धि होना बताया गया है (2017-18 में 8.5 प्रतिशत)। पूंजीगत परिव्यय (अर्थात्, पूंजीगत व्यय, ऋणों और अग्रिमों को छोड़कर) में 13.9 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है (2017-18 में 1.3 प्रतिशत की गिरावट)। बजट में पूंजीगत व्यय में 13.9 प्रतिशत की वृद्धि होना बताया गया है, जिसमें परिवहन और सामाजिक कल्याण पर जोर दिया जाएगा (चार्ट II.5.1)। बजट के अनुसार खाद्य, ईंधन और उर्वरक जैसे प्रमुख सब्सिडी पर व्यय 2017-18 में जीडीपी के 1.1 प्रतिशत से 2018-19 में 38.3 प्रतिशत बढ़कर जीडीपी का 1.4 प्रतिशत हो जाएगा।

II.5.12 नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राजस्व घाटा (आरडी) और सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी), दोनों निरपेक्ष दृष्टि से और साथ ही बीई के प्रतिशत के रूप में, अप्रैल-जून 2018 के दौरान पिछले वर्ष की तदनुसारी अवधि की तुलना

* वित्त अधिनियम, 2018 के अनुसार।

चार्ट II.5.1: व्यय की वृद्धि दर



में कम था, क्योंकि राजस्व प्राप्तियों में हुई वृद्धि कुल व्यय में हुई वृद्धि से अधिक थी। तिमाही के दौरान गैर-कर राजस्व भी काफी बढ़ा। कुल व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण पूंजीगत व्यय था।

3. वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त


II.5.13 बीई की तुलना में 2017-18 (आरई) में 29 राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति का समेकन करने पर पता चलता है कि प्रमुख घाटा संकेतक स्थिति में गिरावट का संकेत कर रहे हैं। उदय योजना के अंतर्गत कोई बॉन्ड जारी नहीं किए जाने के बावजूद यह हास हुआ, जिसके परिणामस्वरूप गत दो वर्षों में उच्चतर घाटा हुआ। वर्ष 2017-18 के संशोधित अनुमान के अनुसार राज्यों के समेकित राजस्व घाटे में बजट अनुमान से जीडीपी की तुलना में 0.40 प्रतिशतता अंकों का और जीएफडी में 0.35 प्रतिशतता अंकों का विचलन आया है। विचलन के कारणों में, कृषि ऋण माफी की वजह से राजस्व व्यय का 13 बेसिस पॉइन्ट्स (बीपीएस) से बढ़ना एवं अन्य कारक दोनों शामिल हैं, जिसमें वेतन संशोधन और राजस्व प्राप्तियों में 27 बीपीएस की कमी सम्मिलित हैं, जो मुख्यतः राज्यों के अपने करों में जीडीपी की तुलना में 0.33 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती

है। इस कमी को केंद्र द्वारा किए गए अंतरणों से आंशिक रूप से पूरा किया गया था, जो बजट अनुमान से जीडीपी का 0.09 प्रतिशत अधिक हुआ। राजकोषीय समेकन एवं तत्पश्चात उससे किसी विचलन का समष्टिआर्थिक स्थिरता और विशेष रूप से मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ सकता है। (बॉक्स II.5.1)

4. वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त

II.5.14 वर्ष 2018-19 हेतु राज्यों द्वारा समेकित जीएफडी को जीडीपी के 2.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। मुख्य रूप से सुधार राजस्व खाते में देखने को मिलता है, जो अनुमान के मुताबिक जीडीपी का 0.2 प्रतिशत अधिशेष दर्ज हो सकता है [2017-18 के (संशोधित अनुमान) के अनुसार 0.4 प्रतिशत का घाटा] (चार्ट II.5.2)। यह उम्मीद की जाती है कि राजस्व प्राप्तियों में केंद्र के अंतरणों एवं राज्यों के अपने करों की वजह से वृद्धि होगी, जिसमें राज्यों के जीएसटी एवं अन्य पण्य कर सम्मिलित हैं। वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित बजट में जीएफडी-जीडीपी अनुपात में समेकन करने के बावजूद, ग्यारह राज्यों का राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत की सीमा से अधिक होने की संभावना दिखती है। राजकोषीय लक्ष्य को हासिल करने में राज्यों की कमजोरी (आरबीआई, 2018)¹⁷ की वजह से, राजस्व

चार्ट II.5.2: राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक



¹⁷ राज्य वित्त: 2017-18 और 2018-19 के बजटों का अध्ययन, भारतीय रिजर्व बैंक, जुलाई 2018.


बॉक्स II.5.1

राजकोषीय नीति और मुद्रास्फीति के बीच संबंध : तिमाही अनुमान मॉडल के परिणाम

भारत ने मुद्रास्फीति लक्ष्य के संबंध में लचीला फ्रेमवर्क अपनाया है जिसमें उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति को मौद्रिक नीति का सांकेतिक आधार माना गया है। पूर्वानुमान एवं नीति विश्लेषण प्रणाली (एफपीएएस) के अंतर्गत तिमाही अनुमान मॉडल (क्यूपीएम) (बेनेस और अन्य, 2016) सदृश नीतिगत मॉडल जोखिमों का मध्यावधि में आधारभूत पथ (बेसलाइन पाथ) के अनुसार एकसार प्रगतिशील आकलन एवं मूल्यांकन सुनिश्चित करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। अभी हाल में, स्थायी अवस्फीति और लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर राजकोषीय घाटे का केंद्रीय और राज्य स्तरों पर बुरा प्रभाव पड़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। हाल की अवधि के प्रयोगसिद्ध परिणाम बताते हैं कि भारत में राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति के बीच लंबे समय से सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध रहा है, जिसका स्वरूप अरैखिक है, अर्थात्, राजकोषीय घाटा और मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर होने से मुद्रास्फीति पर राजकोषीय घाटे का प्रभाव अधिक होगा (मित्रा और अन्य, 2017)।


इस बॉक्स में क्यूपीएम में फिस्कल ब्लॉक शुरू करने के नतीजों को पेश किया गया है ताकि समग्र मांग और संपूर्ण मुद्रास्फीति के संबंध में राजकोषीय नीतियों की भूमिका की पुष्टि की जा सके (राज और अन्य, 2018)। क्यूपीएम फॉरवर्ड-लुकिंग ओपन-इकानमी कैलीब्रेटेड गैप मॉडल है जो न्यू-कीनेसियन फ्रेमवर्क पर आधारित है और इसमें मुद्रास्फीति प्रक्रिया की कई भारत-विशिष्ट विशेषताओं एवं मौद्रिक नीति अंतरण को शामिल किया गया है। क्यूपीएम में, राजकोषीय रुख मुद्रास्फीति के नतीजों को समग्र मांग और विनिमय दर पर असर डालते हुए प्रभावित करता है।


आईएमएफ और ओईसीडी की पद्धति के आधार पर संपूर्ण राजकोषीय घाटे का वियोजन संरचनात्मक एवं चक्रिय घाटे के रूप में किया जाता है ताकि चक्रिय या स्वचालित संचरण समाप्त होने पर संरचनात्मक या अंतर्निहित राजकोषीय स्थिति का पता लगाया जा सके। चक्रिय घाटा, आर्थिक गतिविधि में वृद्धि और गिरावट के अनुसार सरकारी राजस्व और व्यय में होने वाले संचरण का पता लगाता है और इस प्रकार उत्पादन अंतर के एक प्रकार्य के रूप में चक्रिय घाटे का मॉडल तैयार किया जाता है। चक्रिय रूप से समायोजित राजकोषीय घाटा या संरचनात्मक घाटा तब राजकोषीय संतुलन के अंतर्निहित या संरचनात्मक घटकों को दर्शाता है जो आर्थिक चक्र में परिवर्तन के अनुरूप स्वयं को नहीं बदलता। सरकारी उपभोग आघात को निजी उपभोग और वास्तविक मांग को प्रवृत्त करने वाला माना जाता है। संरचनात्मक घाटे में अप्रत्याशित परिवर्तनों एवं कर्ज के लक्ष्य से विचलनों का आंतरिक आर्थिक चक्रों पर प्रभाव दिखाई देता है। साथ ही, दीर्घावधि कर्ज से विचलन का देश के जोखिम प्रीमियम पर और इस प्रकार अनावृत ब्याज समतुल्यता (यूआईपी) के जरिए विनिमय दर पर



प्रभाव पड़ेगा। चार्ट 1 में, क्यूपीएम में फिस्कल ब्लॉक को बढ़ावा देने के लिए संकल्पनात्मक फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया है।

जीएफसी (अर्थात्, वैश्विक वित्तीय संकट) के बाद की अवधि में जब एफआरबीएम नियम आधारित राजकोषीय समेकन को 'विराम' दिया गया था, क्यूपीएम में फिस्कल ब्लॉक को बढ़ावा देने एवं उत्पादन अंतर के ऐतिहासिक वियोजन का विश्लेषण बड़े राजकोषीय घाटे की भूमिका को स्पष्ट करता है। तत्पश्चात, 2012 से राजकोषीय नियमों को पुनः लागू करने की बदौलत मांग पक्ष के दबावों को कम किया जा सका और नतीजतन मुद्रास्फीति को भी। साथ ही, मुद्रास्फीति पर राजकोषीय घाटे के अरैखिक प्रभाव पर विचार करने के बाद क्यूपीएम का अनुरूपी, जो चार्ट 3 में प्रस्तुत किया गया है, दर्शाता है कि जीडीपी की तुलना में मुद्रास्फीति और संयुक्त राजकोषीय घाटे का अनुपात क्रमशः 4 प्रतिशत और 6 प्रतिशत के स्तर पर होने एवं जीडीपी की तुलना में संरचनात्मक राजकोषीय घाटे के अनुपात पर 1 प्रतिशतता अंक का आघात पड़ने पर मुद्रास्फीति में तीन वर्षों की अवधि में लगभग 40 आधार अंकों की वृद्धि होगी। फिर भी, यदि मुद्रास्फीति और संयुक्त राजकोषीय घाटा अधिक उच्चतर स्तर पर विद्यमान होता तो इसका असर और बड़ा होता। इस संदर्भ में, हाल के मौद्रिक नीति वक्तव्यों ने केंद्र और राज्यों द्वारा 4 प्रतिशत के हेडलाइन





मुद्रास्फीति के मध्यावधि लक्ष्य को स्थायी आधार पर हासिल करने के लिए बजट में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के महत्व को विशेष रूप से स्पष्ट किया है।

खाते में कोई कमी होने की स्थिति में, इसका असर पूंजीगत व्यय में कटौती के रूप में सामने आयेगा जैसा पिछले दो वर्षों से होता आ रहा है। खर्च संबंधी दबाव के कारण जोखिम और बढ़ सकता है, जिसमें कृषि ऋण माफी और वेतन आयोग की सिफारिशों का मौजूदा कार्यान्वयन शामिल हैं।

5. सामान्य सरकार वित्त

II.5.15 सामान्य सरकार का जीएफडी जिसमें 2012-13 से समेकन चल रहा था उसमें 2015-16 से अवनति होने लगी और 2016-17 में यह जीडीपी का 7.0 प्रतिशत पर पहुंच गया। केंद्र ने इस अवधि के दौरान समेकन की प्रक्रिया जारी रखी, जबकि राज्यों ने केंद्र द्वारा छोड़ी गई रोजकोषीय गुंजाइश से ज्यादा उपयोग कर डाला जिस वजह से संयुक्त जीएफडी-जीडीपी अनुपात का स्तर ऊंचा बना रहा। तथापि, बजट के मुताबिक सामान्य सरकार का जीएफडी 2017-18 के संशोधित अनुमान के 6.6 प्रतिशत के मुकाबले 2018-19 में जीडीपी का 5.9 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

II.5.16 विश्व व्यापी रूप से, जी-20 देशों में सामान्य सरकार के शेष एक मिला-जुला चित्र प्रस्तुत करते हैं (सारणी II.5.2)। रूस एवं मेक्सिको जैसे देशों ने 2017 में राजकोषीय समेकन में दृढ़ता लाई, जबकि अर्जेंटीना, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ-साथ यूएस एवं जापान में स्थिति बिगड़ी। ब्राजील और भारत में, सामान्य सरकार के घाटों का स्तर ऊंचा बना रहा।

संदर्भ :

1. बेनेस, एम.जे.,के. किलन्टन, ए.टी. जॉर्ज, पी. गुप्ता, जे. जॉन, ओ. केमनिक, डी. लैक्सटन, पी. मित्रा, जी. वी. नधानिअल, आर.पोर्टिल्लो, एच. वैन्ग एंड एफ. झान्ग (2016). "क्वॉर्टर्ली प्रोजेक्शन मॉडल फॉर इंडिया: की एलीमेन्ट्स एंड प्रोपर्टीज"। आरबीआई वर्किंग पेपर, नवंबर
2. मित्रा, पी., आई. भट्टाचार्य, जे.जॉन, आई. मन्ना एंड ए.डी.जॉर्ज (2017), "फार्म लोन वैवर्स, फिस्कल डेफिसिट एंड इन्फ्लेशन", मिन्ट स्ट्रीट मेमो नं. 5, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
3. राज जनक, पी. मित्रा, ए.टी. जॉर्ज एंड जे.जॉन (2018), "मॉनिटरिंग फिस्कल इन्टरैक्शन इन ऐन इन्फ्लेशन टार्गेटिंग फ्रेमवर्क – रीसेन्ट एवीडन्स फ्रम इंडिया", रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिमो।

II.5.17 सामान्य सरकार की बकाया देयताएं मार्च 2018 के अंत (आरई) के 68.9 प्रतिशत से घटकर मार्च 2019 के अंत में जीडीपी के 68.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। संशोधित एफआरबीएम संरचना के मुताबिक 2024-25 तक जीडीपी की तुलना में केंद्र सरकार के कर्ज के अनुपात को 40

सारणी II.5.2: चुनिन्दा जी-20 देशों में सामान्य सरकार के शेष

(जीडीपी की तुलना में प्रतिशत)

देश	2015	2016	2017
1	2	3	4
अर्जेंटीना	-5.8	-6.4	-6.5
ऑस्ट्रेलिया	-2.8	-2.6	-2.2
ब्राजील	-10.3	-9.0	-7.8
कनाडा	-0.1	-1.1	-1.0
चीन	-2.8	-3.7	-4.0
फ्रान्स	-3.6	-3.4	-2.6
जर्मनी	0.6	0.8	1.1
भारत	-6.9	-7.0	-6.6
इन्डोनेशिया	-2.6	-2.5	-2.5
इटली	-2.6	-2.5	-1.9
जापान	-3.8	-3.7	-4.2
कोरिया	0.6	1.7	1.9
मेक्सिको	-4.0	-2.8	-1.1
रूस	-3.4	-3.7	-1.5
दक्षिण अफ्रीका	-4.8	-4.1	-4.5
तुर्की	-1.3	-2.3	-2.3
यूके	-4.3	-3.0	-2.3
यूएसए	-3.5	-4.2	-4.6

स्रोत : आईएमएफ फिस्कल मॉनिटर, अप्रैल 2018, और संघीय एवं राज्य बजट दस्तावेज।

प्रतिशत और जीडीपी की तुलना में सामान्य सरकार के कर्ज के अनुपात को 60 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार के कर्ज की परिभाषा को भी व्यापक कर दिया गया है ताकि सभी बकाया देयताओं के साथ-साथ सरकारी लेखों की बकाया देयताओं को भी शामिल किया जा सके। साथ ही, अब से बाह्य कर्ज का मूल्यांकन वर्तमान विनिमय दर पर किया जाना है। संशोधन में यह भी उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार किसी वित्तीय वर्ष में किसी ऋण के संबंध में भारत के समेकित निधि के प्रति जीडीपी के एक प्रतिशत के आधे से अधिक की अतिरिक्त गारंटी नहीं देगी। यद्यपि वर्तमान कर्ज का स्तर एफआरबीएम लक्ष्य से अधिक है, सामान्य सरकार की कर्ज चुकता करने की क्षमता पिछले दो वर्षों में बेहतर हुई है क्योंकि राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में ब्याज के भुगतान में गिरावट आई है (चार्ट II.5.3)।

II.5.18 केंद्र सरकार ने 2017-18 हेतु गैर-कर राजस्व, अप्रत्यक्ष करों एवं राजस्व व्यय में विस्तारपरक राजकोषीय संवेग रिपोर्ट किया। राज्यों के स्तर पर, वर्ष 2017-18 (आरई) में जीएफडी, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा के संबंध में ऐसा ही देखने को मिला, साथ ही उनके कर्ज की स्थिति बिगड़ी। भविष्य में, केंद्र और राज्य, दोनों को कृषि ऋण माफी, राज्यों


के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों, ईंधन सब्सिडी में बढ़ोत्तरी की संभावना और बाजार उधारी में वृद्धि एवं अत्यधिक प्रतिफल से जुड़े उच्च ब्याज बोझ के कारण राजस्व व्यय के दबावों का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी, संरचनात्मक सुधार के जरिए कर आधार में विस्तार के साथ-साथ वर्धित जीएसटी अनुपालन एवं ई-वे बिल के सफल कार्यान्वयन द्वारा कर क्षमता में वृद्धि की बंदौलत केंद्र और राज्य दोनों, अपने इन दबावों का सफलतापूर्वक सामना कर सकेंगे और मध्यावधि में राजकोषीय समेकन के मार्ग पर लौट सकेंगे। इससे बाजार मनोभावों में शांति कायम करने में मदद होगी और फलस्वरूप सामान्य सरकार के लिए ब्याज और कर के बोझ को कम करने में योगदान प्राप्त होगा।

II.6 बाह्य क्षेत्र

II.6.1 वर्ष 2017 में वैश्विक संवृद्धि के सापेक्ष वैश्विक व्यापार के तीव्र होने और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में 2013-16 के दौरान हुए पूंजी प्रवाह के बहिर्वाह के दौर के बाद बहाली होने से अंतरराष्ट्रीय माहौल में बेहतरी हो रही थी। किंतु, बहुपक्षीय व्यापार की संस्थागत संरचना से अलग-थलग कर देने वाले संरक्षणवाद में वृद्धि होने और जवाबी कार्य-नीतियों से यह माहौल अस्थिर हुआ। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संवृद्धि के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने वाली उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ई) और ईएमई पर इन गतिविधियों का विपरीत प्रभाव पड़ा। इन अर्थव्यवस्थाओं ने संवृद्धि के सहायक के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सहारा लिया। इसी बीच, वैश्विक वित्तीय बाजारों में, प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति को सामान्य बनाए जाने का पुनर्निर्धारण किया जाता रहा है। इसके परिणामस्वरूप, बॉन्ड और इक्विटी बाजारों में बिकवाली मची हुई है, प्रमुख मुद्राओं की दरें बदल रही हैं और पूंजी प्रवाहों में भी काफी तेजी आई।

II.6.2 इस पृष्ठभूमि के साथ, भारत के बाह्य क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने और घरेलू आपूर्ति बाधाओं के कारण

चार्ट II.5.3: बकाया देयताएं एवं कर्ज संवहनीयता



■ राज्यों की बकाया देयताएं (दायां मान)
 ■ केंद्र की बकाया देयताएं (दायां मान)
 ● सामान्य सरकार के ब्याज भुगतान/ राजस्व प्राप्ति


स्रोत: संघीय और राज्य बजट के दस्तावेज।

व्यापार घाटे के मामले में आघात-सहनीयता देखी गई। घरेलू व्यवधान ने बढ़ते विश्व व्यापार से पनपी अनुकूल परिस्थितियों के लिए अड़चन पैदा कर दिया, तथापि 2017-18 में निर्यात में सुधार हुआ है, जिसे अनुगामी दो उप-खंडों में दर्शाया गया है। हालांकि, कीमत के प्रभावों के कारण आंशिक रूप से आयात में हुई तेज वृद्धि ने व्यापार घाटे को पांच साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। उप-खंड 3 में दर्शाई गई निवल अदृश्य प्रामियों के बावजूद, वर्ष 2017-18 के दौरान चालू खाता घाटा (सीएडी) बढ़ा, जिसे उप-खंड 4 में दर्शाया गया है, लेकिन यह धारणीय मानदंडों के भीतर रहा और इसका वित्तपोषण निवल पूंजी अंतर्वाह से सहजता पूर्वक हो गया, जिसे उप-खंड 5 में रेखांकित किया गया है। भारत की निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) में प्रत्यक्ष और संविभाग निवेश के रूप में देनदारियों में वृद्धि के साथ मामूली गिरावट आई, जिसे उप-खंड 6 में दर्शाया गया है। बड़ी मात्रा में अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधियों में अभिवृद्धि होने के बावजूद अन्य बाह्य संवेदनशीलता संकेतकों का प्रदर्शन साल भर मिला-जुला रहा।

1. वाणिज्य वस्तुओं का निर्यात

II.6.3 2017 के दौरान, वैश्विक व्यापार के परिमाण में वृद्धि हुई और मार्च 2017 में इसके 6.1 प्रतिशत के शीर्ष स्तर पर पहुंच जाने से इसमें तेजी आई। यह तेजी, 20-महीने के खंड स्वरूप 3-प्रतिशत की वर्ष-दर-वृद्धि के रूप में 2016 की समाप्ति के करीब उत्पन्न हुई (चार्ट II.6.1)। पूरे वर्ष के लिए समग्ररूप से देखा जाए तो, विश्व व्यापार की मात्रा पिछले वर्ष के 1.5 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 4.6 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई। इस बहाली प्रक्रिया की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि 5 वर्षों के बाद, 2017 में पहली बार विश्व व्यापार की आय लोच¹⁸ बढ़कर 1.5 प्रतिशत हो गई। 5 वर्ष पूर्व यह लोच गिरावट के साथ 0.6 प्रतिशत के स्तर पर रह गई थी। 2017 में विश्व व्यापार में हुई बहाली का नेतृत्व उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और ईएमई ने समान रूप से किया।

II.6.4 वर्ष 2017-18 में, भारत के वाणिज्य वस्तुओं के निर्यात में तेजी आई। अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित निर्यात में



10.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परिमाण की दृष्टि से इसमें 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, जीएसटी लागू किए जाने के बाद चलनिधि, दस्तावेजीकरण और धन-वापसी में होने वाले विलंब से संबंधित आपूर्ति बाधाओं के कारण विश्व व्यापार में बढ़ती हलचल को मिलने वाला पूर्ण प्रभाव बाधित रहा (बॉक्स II.6.1)। रत्न और आभूषण, सिले-सिलाए वस्त्र, कालीन और हस्तशिल्प जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के निर्यात में गिरावट का असर सबसे अधिक देखा गया। इसके विपरीत, अन्य प्रमुख घटकों जैसे – अभियांत्रिकी के सामानों, रसायनों और समुद्री उत्पादों की दुलाई में मजबूती देखी गई, जो व्यापार वस्तुओं के कुल निर्यात (19.4 प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि) के 30 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है, और 2017-18 के दौरान इसमें 17.1 प्रतिशत से 29.2 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

II.6.5 भारत के निर्यात प्रोफाइल में संरचनात्मक बदलाव 2012-13 से जारी है। पहला बदलाव यह रहा कि जीडीपी की तुलना में निर्यात द्वारा मापी जाने वाली भारत के उत्पादों की व्यापार-योग्यता लगातार घट रही है, जो घरेलू वृद्धि के निर्यात पर आश्रित होने की तीव्रता में कमी का संकेत है। दूसरा बदलाव

¹⁸ वैश्विक व्यापार की सकल आय लोच को औसत जीडीपी वृद्धि की तुलना में वस्तुओं के आयात की औसत वृद्धि दर के अनुपात के रूप में मापा जाता है।

बॉक्स II.6.1 कार्यशील पूंजी का अवरोध और निर्यात

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की नई कर व्यवस्था का लागू करने और धन-वापसी (रिफंड) में होने वाली देर के कारण फर्मों के लिए कार्यशील पूंजी का अवरोध उत्पन्न होने की रिपोर्ट की गई है। उच्च बारंबारता डाटा के अभाव में, सामान्य आर्थिक गतिविधि संकेतकों का उपयोग करके इस अवधारणा का परीक्षण करना मुश्किल है। इस अड़चन को दूर करने के लिए, हमने निर्यात डेटा की ओर रुख किया क्योंकि यह मासिक आधार पर उपलब्ध है। हम परीक्षण करेंगे कि क्या जीएसटी के अंतर्गत धन-वापसी में देरी के कारण कार्यशील पूंजी की कम आवश्यकताओं वाले क्षेत्रों की तुलना में कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकताओं वाले क्षेत्रों का निर्यात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। यदि कर वापसी में देरी के चलते जीएसटी के कारण निधियन में कमी हुई, तो कार्यशील पूंजी पर अत्यधिक निर्भरता वाले क्षेत्रों के निर्यात प्रदर्शन पर इसका प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए।


शुरुआत में, जीएसटी लागू किए जाने में इन्फ्रास्ट्रक्चर की बाधाओं और कार्यान्वयन संबंधी विलंब का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण जुलाई में कर विवरणियाँ दाखिल करने की तारीख को कई बार बदला गया। अंततः, नवीनतम संशोधन के तहत कंपनियों से यह अपेक्षा की गई कि 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न दाखिल करें। कर व्यवस्था के कार्यान्वयन के अनुसार, निर्यातकों को इनपुट टैक्स रिफंड का 90 प्रतिशत हिस्सा उनके रिटर्न दाखिल करने के सात दिनों के भीतर प्राप्त हो जाना था। हालांकि, विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त होने में काफी विलंब हुआ था, जिसका प्रतिकूल असर फर्मों की कार्यशील पूंजी पर पड़ा हो सकता है।

विश्लेषण

अपनी केंद्रीय अवधारणा का परीक्षण करने के लिए, हम अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अक्टूबर और मार्च 2017 के बीच निर्यात वृद्धि में अंतर पर गौर करेंगे तथा यह पता लगाएंगे कि क्या इसका बिक्री अनुपात में क्षेत्र-स्तर की कार्यशील पूंजी से कोई सहसंबंध है। हम अधिक बारीकी से जांच करेंगे कि क्या सेक्टर i से संबंधित (कार्यशील पूंजी/बिक्री) अनुपात निम्नलिखित दोहरे अंतर से क्षेत्रवार भिन्नता को समझने में मदद मिलती है :

$$[\ln X_{Oct17} - \ln X_{Mar17}]_i - [\ln X_{Oct16} - \ln X_{Mar16}]_i, \dots (1)$$

उपरोक्त समीकरण का लक्ष्य भिन्नता चर में अंतर का पता लगाना है, जहां पर पहला अंतर अक्टूबर और मार्च 2017 के बीच निर्यात में परिवर्तन यानी जीएसटी के प्रभाव को समाहित करता है, जबकि दूसरा अंतर मौसमी कारक में सुधार को दर्शाता है। यदि जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण अक्टूबर 2017 में उपर्युक्त क्रिया-विधि की वजह से निर्यात में गिरावट आई, तो हमें उक्त दोहरे अंतर और बिक्री अनुपात की तुलना में कार्यशील पूंजी के बीच ऋणात्मक सहसंबंध होने की उम्मीद करनी चाहिए। हमें यथार्थ में ज्ञात हुआ कि निर्यात वृद्धि और बिक्री अनुपात की तुलना में कार्यशील पूंजी में अंतर के बीच संबंध ऋणात्मक है और उसमें अक्टूबर में -0.18 का ढलान गुणांक है (चार्ट 1)। मोटे तौर पर इसका तात्पर्य यह है कि कार्यशील पूंजी/बिक्री अनुपात में 10 प्रतिशत




की वृद्धि से निर्यात वृद्धि में 1.8 प्रतिशत की कमी आई है। प्रायोगिक परीक्षण से यह भी पता चलता है कि सितंबर और मार्च के बीच निर्यात वृद्धि के अंतर में कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है, जो इस संबंध को स्थापित करता है और यह हमारी केंद्रीय अवधारणा का समर्थन करता है (चार्ट 2)।

इसके अलावा, हम फर्म के बर्ताव पर जीएसटी के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए प्रॉक्स के फर्म-स्तरीय डेटा का उपयोग करते हैं। यदि जीएसटी के कारण ऋणात्मक चलनिधि आघात पड़े, तो हमें फर्मों से यह उम्मीद करनी चाहिए कि वे अपनी अल्पकालिक उधारियां बढ़ाएंगी, अपनी नकदी और बैंक में जमा शेष राशि में कमी करेंगी और अपने पूंजीगत व्यय को घटाएंगी। इन अवधारणाओं की वैधता का परीक्षण करने के लिए हम निम्नलिखित समाश्रयण का प्रयोग करते हैं :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 * D(Sep '17) + \beta_2 * D(Sep '17) * (Working Capital / Sales) + \beta_3 * X_{it} + \delta_i + e_{it}, \dots (2)$$

जहां, Y_{it} , t समय पर i फर्म के लिए महत्व का विषय है और ऊपर वर्णित तीन परिणामी चरों में से एक है। वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही पर डमी D (सितंबर 17) है, जबकि D (सितंबर 17) * (कार्यशील पूंजी/विक्रय) बिक्री अनुपात की तुलना में कार्यशील पूंजी के साथ इस डमी की अन्योनक्रिया है। β_1 और β_2



(जारी...)

समीकरण (2) में प्राथमिक महत्व के दो गुणांक हैं। β_1 , Y_{it} पर 2017 की तीसरी तिमाही (D {सितंबर 17}) के सामान्य प्रभाव को दर्शाता है, और β_2 , 2017 की तीसरी तिमाही में बिक्री अनुपात (क्षेत्र स्तर पर) की तुलना में उच्च कार्यशील पूंजी वाली फर्मों के लिए 2017 की तीसरी तिमाही के प्रभाव को दर्शाता है।

सारणी 1 में कॉलम (1) और (2) फर्मों की अल्पकालिक उधारियों पर जीएसटी के प्रभाव को दर्शाते हैं। डमी (सितंबर17) से संबंधित गुणांक नगण्य है, जो जीएसटी के पड़ने वाले किसी प्रत्यक्ष प्रभाव को नहीं दर्शाता है। हालांकि, कॉलम 2 में β_2 महत्वपूर्ण है और अल्पकालिक उधारियों पर अल्प किंतु धनात्मक प्रभाव को दर्शाता है, अर्थात् यह दर्शाता है कि कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकताओं वाले क्षेत्र में फर्मों ने सितंबर 2017 में अपने अल्पकालिक उधार को बढ़ा दिया। यहां, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यह समाश्रयण, फर्मों द्वारा अल्पकालिक उधारियों की रिपोर्ट किए जाने की शर्त

सारणी 1: अनुभवजन्य परिणाम

	लॉग (अल्पावधि उधार)		लॉग (नगदी एवं बैंक शेष)		Δ (लॉग पूंजी)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
β_1	0.00421 (0.115)	-0.0386 (0.124)	-0.171*** (0.065)	-0.193*** (0.0702)	-1.392 (0.739)	-1.388 (0.738)
β_2		0.00312** (0.001)		0.00177 (0.0006)		0.000239 (0.0002)
स्थिर एफई	हां	हां	हां	हां	हां	हां
तिमाही एफई	हां	हां	हां	हां	हां	हां
निष्कर्ष	16,436	14,171	23,332	20,213	19,292	17,934

टिप्पणी: ***: 1 प्रतिशत पर उल्लेखनीय

** : 5 प्रतिशत पर उल्लेखनीय

स्रोत: तोमर एवं अन्य। (2018)

यह था कि वैश्विक गतिविधियों के विपरीत, 2017-18 में भारत के निर्यात से होने वाली आय की लोच आमतौर पर ठहरी रही। इससे पता चलता है कि वैश्विक संवृद्धि की तुलना में भारत के निर्यात का प्रतिसाद सीमित रहा है। तीसरा बदलाव यह रहा कि कुछ समकक्ष अर्थव्यवस्थाएं भारत के निर्यात समूह की प्रमुख मर्दों में अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाने में कामयाब रही हैं, वहीं बाजार में उपलब्ध होने के मामले में भारत के निर्यात में कमी हुई। परिणामस्वरूप, पिछले पांच वर्षों में वैश्विक निर्यात में भारत के निर्यात की हिस्सेदारी 1.7 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर रही है, जो संभवतः प्रतिस्पर्धात्मकता में एक दीर्घावधि स्थिरता का संकेत है। इस संदर्भ में, हाल के वर्षों में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के विभिन्न पहलुओं का आकलन बॉक्स II.6.2 में किया गया है। समग्र निर्यात वृद्धि में पेट्रोलियम उत्पादों

पर है। इसलिए, उन फर्मों से संबंधित अल्पकालिक उधारियाँ बढ़ीं जिन्होंने वास्तव में इस अवधि दौरान उधार लेने के साथ ही अतीत में भी उधार लिया हो। हमने यह भी पाया कि 2017 की तीसरी तिमाही में, फर्मों ने इस अवधि के दौरान अपनी 'नकदी और बैंक में जमा शेष राशि' को कम कर दिया, जैसा कि कॉलम 4 में गुणांक β_1 दर्शाता है। अंत में, डमी तिमाहियों के परिणाम ऋणात्मक हैं, हालांकि पूंजीगत व्यय के मामले में यह नगण्य हैं, जिसे कॉलम 5 और 6 में दर्शाया गया है। इससे यह पता चलता है कि इस अवधि में पूंजीगत व्यय प्रभावित नहीं हुआ। इन परिणामों के मद्देनजर, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फर्मों ने अपने अल्पकालिक निधीयन के लिए जीएसटी के आघात की प्रतिक्रिया स्वरूप, मुख्य रूप से 2017 की तीसरी तिमाही के दौरान, अपने नकदी और बैंक में जमा शेष राशि कम कर दिया।

निष्कर्ष रूप में, हम जीएसटी-आघात का उपयोग करते हुए यह जांच कर रहे हैं कि निर्यात क्षेत्र में फर्मों पर अल्पकालिक चलनिधि आघात का असर किस प्रकार पड़ सकता था। हमें ज्ञात हुआ कि चलनिधि बाधाओं के कारण जीएसटी के बाद उच्च कार्यशील पूंजी/बिक्री अनुपात वाले क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए। सरकार द्वारा निर्यातकों की चिंताओं को दूर करने के लिए नवंबर के दौरान अपनाए गए विभिन्न उपायों से भी इसकी पुष्टि होती है। अंततः, नवंबर 2017 में निर्यात बहाली (जैसा कि तोमर एवं अन्य (2018) में रिपोर्ट किया गया है) से पता चलता है कि इन त्वरित उपायों ने अस्थायी ऋण/क्रेडिट की उन बाधाओं को आंशिक रूप से दूर किया जिनका सामना अक्टूबर 2017 के दौरान निर्यातकों को करना पड़ा।

संदर्भ :

1. तोमर एस., माथुर एस. और घोष एस.(2018), "वर्किंग कैपिटल कन्स्ट्रेंट्स एंड एक्सपोर्ट्स : इविडेंस फ्रॉम जीएसटी रोलआउट," आरबीआई मिंट स्ट्रीट मेमो, संख्या 10, 12 फरवरी, 2018.

का प्रमुख योगदान रहा, जिसकी कुल निर्यात में हिस्सेदारी वर्ष के दौरान मजबूती के साथ 12.3 प्रतिशत बढ़ी। यह वृद्धि मुख्य रूप से तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण हुई। 2017-18 के दौरान, एकक मूल्य प्राप्तियों में 18.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो परिमाण की दृष्टि से हुई 1.5 प्रतिशत वृद्धि से काफी अधिक थी।

II.6.6 तेल से इतर निर्यात के अंतर्गत अभियांत्रिकी सामानों, जिसमें मुख्य रूप से लोहा एवं इस्पात, अलौह धातुएं और ऑटोमोबाइल शामिल थे, के निर्यात में निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में विस्तार हुआ - यूरोपीय संघ (ईयू), उत्तरी अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान), मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका। स्टील की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि और चीन से

बॉक्स II.6.2

भारत की बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता का मापन

निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता की बहु-आयामी प्रकृति इसके मापन और इसकी व्याख्या को चुनौतीपूर्ण बनाती है। उदाहरण के लिए, निर्यात वृद्धि में अपने पिछले प्रदर्शन के सापेक्ष बढ़ोत्तरी या प्रतिद्वंद्वी अर्थव्यवस्था के सापेक्ष बढ़ोत्तरी सिर्फ प्रतिस्पर्धात्मकता (कीमत/लागत प्रतिस्पर्धात्मकता) में सुधार की वजह से ही नहीं बल्कि निर्यात बाजारों और निर्यात उत्पादों के लाभपूर्ण-मिश्रण के कारण भी दृष्टिगोचर हो सकती है। इसलिए, देश के निर्यात के क्षेत्र में निष्पादन का आकलन करने के लिए बहुत से संकेतकों का उपयोग करना अपेक्षित हो सकता है। इस पृष्ठभूमि के साथ, इस बॉक्स में समय के दौरान भारत से संबंधित निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के उपायों की पहचान की गई है और उपायों की गणना भी की गई है।


रिपोर्ट में तुलनात्मक लाभ और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता के मापन हेतु बहुत से सूचकों को चिह्नित किया गया है। इन सूचकों के अंतर्गत अन्य के साथ ही निम्नलिखित सूचक भी शामिल हैं - वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीर); उत्पादकता; बाजार भागीदारी; ज्ञात तुलनात्मक लाभ (आरसीए); श्रम लागत; लाफा इंडेक्स (आरसीए का माप), हरफिडल-हर्शमैन सूचकांक (एकात्मकता को मापता है)। समय के साथ विश्व निर्यात में देश की हिस्सेदारी का पता लगाना निर्यात प्रदर्शन की एक बुनियादी माप है। इस पैमाने पर, विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी, जो 2000 में 0.7 प्रतिशत से नीचे थी, में 2017 तक 2.5 गुना वृद्धि हुई। हालांकि, इस समग्र माप में वृद्धि के स्रोत के बारे में कुछ भी नहीं दर्शाया जाता है।

आरसीए पैमाने में विशेष वस्तुओं में विशिष्ट देशों के तुलनात्मक व्यापार प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाता है। आरसीए की गणना कुल विश्व निर्यात (समीकरण 1) में वस्तु की हिस्सेदारी की तुलना में देश के निर्यात में किसी वस्तु की हिस्सेदारी के अनुपात के रूप में की जाती है। किसी पण्य के व्यापार पैटर्न की कल्पना की जाती है ताकि सापेक्ष लागतों के साथ-साथ गैर-मूल्य कारकों में विभिन्न देशों के बीच भिन्नता को दर्शाया जा सके। इससे व्यापार करने वाले देशों की तुलनात्मक लाभपूर्ण स्थिति को "प्रकट" किया जाता है।

$$RCA = \left(\frac{X_{ij}}{X_{wj}} \right) \left(\frac{X_i}{X_w} \right) \dots (\text{समी.1})$$

जहाँ, X_{ij} , $i^{\text{वाँ}}$ देश से पण्य- j का निर्यात है,
 X_{wj} पण्य- j का वैश्विक निर्यात है,
 X_i देश i का कुल निर्यात है, और
 X_w कुल वैश्विक निर्यात है।

किसी देश का विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित आरसीए 1 से अधिक होने उसे तुलनात्मक लाभ की स्थिति में माना जाता है। भारत के शीर्ष पांच निर्यातों के आरसीए का एक विश्लेषण मिश्रित प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2006-2017 के दौरान, मोतियों और जवाहरात के संबंध में भारत के आरसीए में काफी




गिरावट आई, जबकि 2017 में कपड़ा के संबंध में भारत के आरसीए में वृद्धि हुई है (चार्ट 1)। फिर भी, भारत के शीर्ष पांच निर्यात क्षेत्रों (खनिज उत्पाद, कपड़ा, रसायन, मूल धातुओं और मोती तथा जवाहरात) अपने सापेक्ष लाभ की रक्षा करने में सक्षम रहे हैं। यद्यपि, तुलनात्मक लाभ का मूल्यांकन करने के लिए आरसीए व्यापक रूप से स्वीकार्य दृष्टिकोण है, लेकिन इसमें आयात व्यापार प्रवाह, वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों, आपूर्ति एवं मांग के आघात को शामिल नहीं किया जाता और यह तुलनात्मक लाभ के कारकों के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करता।

जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, किसी देश की बाजार में हिस्सेदारी में परिवर्तन का नेतृत्व प्रेरक कारकों (देश-विशेष से संबंधित कारकों) या उत्पादों के मिश्रण में परिवर्तन करके अथवा निर्यात बाजार द्वारा किया जा सकता था। इस प्रकार से, अंतर्निहित गतिशीलता को पूरी तरह से समझने के लिए देश की बाजार में हिस्सेदारी से संबंधित बदलावों को अलग-अलग हिस्सों में विघटित करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, निर्यात वृद्धि को पृथक द्विपक्षीय व्यापार डाटा का उपयोग करते हुए भारत भिन्नता विश्लेषण (एनोवा) फ्रेमवर्क में विघटित किया जा सकता है (गॉलियर एवं अन्य, 2013)। इस पद्धति से उत्पादों और भौगोलिक विशेषज्ञता को अलग करते हुए निर्यात प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। इस विश्लेषण से पता चलता है कि 2006 और 2016 के बीच भारत अपने कई समकक्षों के सापेक्ष बाजार हिस्सेदारी प्राप्त करने में सफल रहा है (चार्ट 2 ए)। प्रेरक कारकों के रूप में, चार्ट में दिखाए गए प्रेरक कारकों का निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में 2006 से 2010 के दौरान अपेक्षाकृत मजबूत योगदान था, हालांकि 2010 से यह आमतौर पर ऋणात्मक या बेअसर रहा है (चार्ट 2बी)। इसी तरह, उत्पादों के मिश्रण में बदलावों का 2010 से निर्यात बाजार की हिस्सेदारी में आमतौर पर ऋणात्मक योगदान रहा।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता का एक और मापक वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीर) है। संरचना के अनुसार, रीर सूचकांक में वृद्धि का संबंध (जारी...)


चार्ट 2: भारत के निर्यात बाजार की हिस्सेदारी में परिवर्तन



टिप्पणी: चार्ट बी में डेटा ति4 से संबंधित है। उसी चार्ट में 2016 का डेटा ति2 के लिए है।
 स्रोत: मेशजसिंग एक्सपोर्ट कंपीटिटिवनेस डेटाबेस, विश्व बैंक

बाहरी (कीमत/लागत) प्रतिस्पर्धात्मकता के कम होने से होता है। भारत के संदर्भ में, रीर में हुई वृद्धि कई समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले कम है (चार्ट 3)।

चार्ट 3: 2006 और 2017 के बीच रीर में परिवर्तन



सारांश रूप में, बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता के संबंध में भारत के द्वारा किए गए उपायों की मिलीजुली तस्वीर उभर कर आती है। अपने शीर्ष 5 निर्यात क्षेत्रों में भारत के लाभपूर्ण स्थिति को बनाए रखने में सक्षम होने के साथ ही समय के दौरान, वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, किंतु कुछ उत्पादों/क्षेत्रों से संबंधित आरसीए में गिरावट तुलनात्मक लाभ में कमी होने का संकेत देती है। इसी तरह, निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी में बदलावों के विश्लेषण से पता चलता है कि परिवर्तन लाने में प्रेरक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही, किंतु उत्पाद और भौगोलिक मिश्रण में बदलाव का भी इन परिवर्तनों पर असर रहा।

संदर्भ :

- गॉलियर, जी., जी. सेंटोनी., डी. टैगलिओनी, एवं एस जिग्नागो (2013), "इन द वेक ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस : एविडेंस फ्रॉम ए न्यू क्वार्टरली डेटाबेस ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस", *पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर 6733*, विश्व बैंक, वाशिंगटन, दिसंबर।


आपूर्ति में कमी से मिली मदद की बदौलत भारत लगातार दूसरे वर्ष स्टील का निवल निर्यातक बना रहा। इस श्रेणी में भारत के निर्यात का हिस्सा वैश्विक निर्यात का लगभग 2 प्रतिशत रहा। फ़ोजन समुद्री केकड़े की बढ़ती मांग और भारत में गुणवत्ता सुधार के उपायों के परिणामस्वरूप यूरोपीय संघ के देशों द्वारा इनके निर्यात की अस्वीकृति दरों में भारी कमी से समुद्री उत्पाद के निर्यात में वृद्धि हुई। चीन के पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संबंधी कठोर कानूनों के क्रियान्वयन के कारण चीन द्वारा बाजार हिस्सेदारी छोड़ दिये जाने से बाजार की हिस्सेदारी के रूप में रसायन निर्यात को इसका लाभ हुआ। वर्ष 2017-18 में रसायनों का निर्यात बढ़ने से कार्बनिक रसायनों के निर्यात में वृद्धि हुई।

11.6.7 वर्ष 2017-18 में भारत की निर्यात वृद्धि के आधे हिस्से को समाहित करने वाले शीर्ष बाजारों में यूएसए, चीन, हाँगकाँग, जर्मनी, बांग्लादेश और वियतनाम शामिल थे। इसके विपरीत, रत्नों एवं आभूषणों तथा सिले-सिलाए कपड़े कम भेजे जाने के कारण तीसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य संयुक्त अरब अमीरात को होने वाले निर्यात में कमी आ गई, जिससे एक साल पहले के द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष कमी आई (चार्ट 11.6.2)।

2. वाणिज्य वस्तुओं का आयात

11.6.8 दिसंबर 2014 में प्रारंभ होने वाली दीर्घकालीन तीव्र गिरावट के बाद अक्टूबर 2016 में, वाणिज्य वस्तुओं का आयात बहाल हुआ, और 2017-18 में, आगामी महीनों में थोड़ी गिरावट होने से पहले, इसमें तीव्र वृद्धि हुई। अप्रैल 2017 में यह आयात


चार्ट II.6.2: शीर्ष 10 व्यापार साझेदारों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार संतुलन



स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

अपने सर्वोच्च स्तर पर रहा। वृद्धि की अवस्था (अक्टूबर 2016 से मार्च 2018 तक) के इन पैटर्नों का विश्लेषण दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि के साथ-साथ नवंबर 2016 से मार्च 2017 के दौरान आयात के परिमाण पर कीमत का असर हावी रहा। अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 के दौरान आयात के परिमाण ने कीमत के असर में कमी लाई। कच्चे पेट्रोलियम और उसके उत्पादों के संबंध में आयात बिलों में हो रही तीव्र वृद्धि से कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अपेक्षाकृत अधिक रहने का पता चलता है, क्योंकि आयात का परिमाण आमतौर पर स्थिर रहा है। पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन (ओपेक) और रूस द्वारा उत्पादन में की गई कटौती और वेनेजुएला द्वारा आपूर्ति में कमी किए जाने से उत्पन्न होने वाले आघात, जिसने 2017 में वैश्विक उत्पादन में प्रतिदिन लगभग 0.7 मिलियन बैरल की कमी कर दी गई थी, की प्रतिक्रिया स्वरूप कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें और बढ़ीं। यह कमी दिसंबर 2018 तक बनी रहने वाली है। इस बीच, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि ने अमेरिका में शेल उत्पादन की वृद्धि को प्रोत्साहित किया, जो 2017 में अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इस वृद्धि के कारण वैश्विक आपूर्ति में प्रतिदिन 0.7 मिलियन बैरल की वृद्धि हुई। इस घटनाक्रम के बावजूद, वैश्विक मांग में प्रतिदिन 1.7 मिलियन बैरल की तेजी आने से 2017 में

चार्ट II.6.3: व्यापारिक माल के आयात वृद्धि में सापेक्ष योगदान




स्रोत: डीजीसीआई एंड एस।

ओईसीडी देशों द्वारा माल-सूची में प्रतिदिन 0.5 मिलियन बैरल की कमी करना अनिवार्य हो गया, जिसके कारण कच्चे तेल की कीमतें एक निर्धारित स्तर पर थम गईं।

II.6.9 955.2 टन स्वर्ण आयात होने का कारण पूर्ववर्ती वर्ष में विमुद्रीकरण के बाद खुदरा मांग में उलटफेर के बीच, जौहरियों द्वारा माल-सूची में वृद्धि किए जाने का कारण कीमती धातुओं की घरेलू मांग बढ़ना रहा। वर्ष 2017-18 में हुई आयात वृद्धि, में समग्र रूप से, पेट्रोलियम और स्वर्ण का योगदान एक तिहाई से अधिक रहा (चार्ट II.6.3)।

II.6.10 आयात में बढ़ी हुई घरेलू मांग के हिस्से के रूप में भारत योगदान आधार पर कुल आयात वृद्धि में गैर-तेल गैर-स्वर्ण आयात का हिस्सा 65.1 प्रतिशत रहा (बॉक्स II.6.3)। इस क्षेत्र में आधी से अधिक वृद्धि में, एक साथ मिलाए जाने पर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोती एवं जवाहरात, कोयला, रसायनों, मशीनरी और लौह एवं इस्पात का योगदान रहा (चार्ट II.6.4)। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के असामान्य रूप से अधिक आयात पर हुई प्रतिक्रिया स्वरूप, सरकार ने मोबाइल फोन एवं इसके पुर्जों और सहायक उपकरण, स्मार्ट घड़ियों और टेलीविजन के पुर्जों जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर मूलभूत सीमा शुल्क को बढ़ाया। कटे और तराशे गए रत्नों, हीरे, और नकली आभूषणों पर भी

चार्ट II.6.4: गैर-तेल गैर-स्वर्ण आयात में वृद्धि – चुनिंदा क्षेत्रों के सापेक्ष योगदान



आयात शुल्क बढ़ा दिया गया। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम उत्पादन किए जाने के कारण कोयले की घरेलू कमी को पूरा करने के लिए अधिक आयात किया गया। हाल के वर्षों में किए गए प्रतिबंधक उपायों के असर में अंततः कमी होने के कारण लौह व इस्पात का आयात अधिक हुआ। इस असर में कमी का आंशिक कारण रुपये का अधिमूल्यन रहा। कोरिया, चीन और जापान लौह व इस्पात आयात के महत्वपूर्ण स्रोत स्रोत रहे। वर्ष भर निर्यात वृद्धि की तुलना में आयात वृद्धि के काफी अधिक होने के कारण वाणिज्य वस्तुओं का व्यापार घाटा पांच साल के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। वर्ष 2011-12 से, व्यापार घाटे का औसत जीडीपी का 7.3 प्रतिशत रहा है, जो समग्र भुगतान संतुलन में इसकी केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है।


बॉक्स II.6.3

आयात के प्रतिगामी प्रतिस्थापन का कौतूहलपूर्ण मामला : भारतीय अनुभव

वर्ष 2017-18 के दौरान, आयात में तीव्र वृद्धि हुई। यह वृद्धि विशेषरूप से गैर-तेल गैर-स्वर्ण मर्दों की श्रेणी में हुई, जो निर्यात संबंधी व्यवहार के पारंपरिक सह-संचलन से उत्पन्न हुई। विनिर्माण गतिविधियों में मंदी होना इस वृद्धि का दूसरा पहलू यह था। इसके कारण चिंताएं उभरी हैं कि घरेलू आपूर्ति बाधाओं से उबरने के लिए विमुद्रीकरण के दौरान उत्पादन/आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का प्रभाव-प्रसार आयात पर हुआ। आयात के प्रतिगामी प्रतिस्थापन की इस घटना से घरेलू मांग के बाह्य (विदेशी) बाजारों में चले जाने के कारण घरेलू मांग में क्षरण होने से भारत के जीडीपी में कमी हो सकती है।

उपर्युक्त घटना की जांच करने और इसके अंतर्निहित वाहकों की पहचान करने के लिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) और वाणिज्य वस्तुओं के आयात के बीच उभयनिष्ठ मर्दों की पहचान राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी), 2008 के 4-अंकों के स्तर पर की गई थी। पहले चरण के रूप में, इन उभयनिष्ठ मर्दों से संबंधित वृद्धि दर की तुलना की गई, और यह देखा गया कि वर्ष 2014 के मध्य से 2015 के अंत तक, और फिर 2016 के मध्य तक के दौरान आयात में वृद्धि¹⁹, आईआईपी में हुई वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक थी (चार्ट 1ए और 1बी)।

चार्ट 1: आईआईपी की तुलना में आयातित मर्दों का संचलन (आईआईपी मर्द समूह के समान)



(जारी...)

¹⁹ जनवरी 2013 से मई 2018 तक कम्पोजिटी स्तर के आयात और आईआईपी में खंड-वार औद्योगिक उत्पादन से संबंधित मासिक आंकड़ों की मैपिंग सामान्य मर्दों की गणना के लिए किया गया था। आयात डाटा में संबंधित थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा कमी हुई। वास्तविक आयातों और आईआईपी घटकों -दोनों को सूचीबद्ध किया गया था (जनवरी 2013 में 100 के स्तर पर)।

दूसरे चरण में, 2012-13 के लिए सीएसओ के आपूर्ति अनुप्रयोग सारणी (एसयूटी) का प्रयोग करते हुए विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला चिह्नित की गई। आयात के प्रतिगामी प्रतिस्थापन की अवधारणा की औद्योगिक कच्चे माल के बारे में अनुभव-आश्रित जांच की गई, जिसके अंतर्गत सभी प्रमुख उद्योग-खंडों से संबंधित डायनेमिक पैनल डेटा फ्रेमवर्क का प्रयोग किया गया। आयात तीव्रता और इनपुट के घरेलू उत्पादन के समग्र सूचकांक के अनुपात के रूप में परिभाषित आश्रित चर ($I_{it} = \frac{Import_{it}}{Prod_{it}}$), की गणना प्रत्येक उद्योग खंड के लिए की गई, जहां $Import_{it}$ औद्योगिक इनपुट की आयात तीव्रता का समग्र सूचकांक है और $Prod_{it}$ उसी इनपुट के घरेलू उत्पादन का समग्र सूचकांक है। यदि I_{it} बढ़ता है, तो यह इंगित करता है कि घरेलू उत्पादन के लिए आयात प्रतिस्थापन हो रहा है।

डायनेमिक पैनल को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है -

$$I_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 + \beta_t + \gamma X_{it} + \theta Y_t + \epsilon_{it}$$

जहां, X_{it} उद्योग-विशिष्ट प्रभावों को समाहित करता है और Y_t समष्टिगत आर्थिक स्थितियों का निरूपण करने वाले बहिर्जात चरों का सदिश (वेक्टर) है। α_i उद्योग के उन निश्चित प्रभावों को समाहित करता है जो X_{it} में शामिल नहीं है जबकि β_t समय का निरूपण करता है।

यहाँ, $X_{it} = (I_{it-1}, I_{it-2}, \Delta P_{it})$

$Y_t = (\Delta IIP_{t-1}, \Delta USD_t, Dummy_t^D, Dummy_t^{Post}, \pi_t^w)$.

ΔIIP_{t-1} अंतिम उत्पादन के लिए कच्चे माल के इनपुट जुटाने हेतु एक-अवधि के अंतराल के साथ आईआईपी के विनिर्माण घटक में हुई वृद्धि है; ΔUSD_t आयात इनपुट में सन्निहित विनिमय दर प्रभावों में कारक की तुलना में भारतीय रुपया-अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर में माह-दर-माह (माह-दर-माह वार्षिकीकृत) होने वाला मामूली परिवर्तन है ($\Delta USD_t > 0$ मूल्यहास को दर्शाता है और $\Delta USD_t < 0$ मूल्य वृद्धि को निरूपित करता है)। एक डमी चर $Dummy_t^D$ का उपयोग विमुद्रीकरण के बाद संभावित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को समाहित करने के लिए किया जाता है और जीएसटी कार्यान्वयन के पूर्व इसका मूल्य नवंबर 2016 से सितंबर 2017 तक 1 और अन्यथा²⁰ 0 होता है। दूसरा डमी चर $Dummy_t^{Post}$ है, अक्टूबर 2017 से मई 2018 तक इसका मूल्य 1 होता है, जो जीएसटी के बाद की अवधि में आपूर्ति श्रृंखला की संभावित स्थिति को दृढ़ करता है। π_{t-1}^w घरेलू कीमत परिस्थितियों के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) नियंत्रणों का गैर-खाद्य विनिर्माण घटक है - यदि घरेलू कीमतें कम हैं, तो वे आयात को हतोत्साहित करेंगी। ΔP_{it} में लक्ष्य उद्योग द्वारा उत्पादित अंतिम माल की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि है। अनुमान के लिए एरेलानो-बॉन्ड दृष्टिकोण के बाद जेनरलाइज्ड मेथड ऑफ मोमेंट्स (जीएमएम) द्वारा डायनेमिक पैनल समाश्रयण से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं :

सारणी 1: डाइनेमिक पैनल रिग्रेशन का पैरामीटर अनुमान

	गुणांक	एसई
1	2	3
(आयात तीव्रता _{t-1} (I_{it-1}))	***0.412	0.040
(आयात तीव्रता _{t-2} (I_{it-2}))	***0.322	0.024
(डमी-डी ($Dummy_t^D$))	***0.181	0.090
(डमी-पोस्ट ($Dummy_t^{Post}$))	** -0.060	0.024
(औद्योगिक विकास (ΔP_{it}))	*0.004	0.002
(आईआईपी विनिर्माण वृद्धि _{t-1} (ΔIIP_{t-1}))	***0.038	0.021
(आईएनआर-यूएसडी ($\Delta यूएसडी_t$))	** -0.002	0.001
(डबल्यूपीआई-एनएफएमपी (π_{t-1}^w))	*0.008	0.003

.ओवर-आइडेंटिफाइंग रेस्ट्रिक्शंस का सरगन टेस्ट : (Prob > chi²) = 0.19

टिप्पणी: ***, **, एवं *: महत्व के क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, और 10 प्रतिशत के स्तर पर उल्लेखनीय।

स्रोत: भा.रि.बैंक स्टाफ अनुमान।

इन परिणामों से पता चलता है कि अनुकूलन प्रक्रिया चल रही है क्योंकि आयातित सामग्री घरेलू विस्थापन की प्रक्रिया में शामिल हो जाती है, जैसा कि अतीत की आश्रित टर्म के महत्वपूर्ण होने से स्पष्ट होता है। $Dummy_t^D$ का महत्व इंगित करता है कि विमुद्रीकरण के बाद की अवधि के दौरान आयात किए जाने में ऊर्ध्वमुखी संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है, जो एक दौर परिवर्तन को इंगित करता है जिसमें आयातित सामग्री पर निर्भरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, जीएसटी के बाद की अवधि से संबंधित डमी से महत्वपूर्ण ऋणात्मक गुणांक प्राप्त होता है, जो आयात के क्रमिक रूप से सामान्य होने को दर्शाता है। आयात की मांग मूल रूप से घरेलू मांग से प्रेरित है, जिसे वित्तीय उत्पादों में हुई वृद्धि से दर्शाया गया है। मांग की प्रतिक्रिया स्वरूप घरेलू उत्पादन में वृद्धि होती है, वैसे ही कच्चे माल की घरेलू उपलब्धता में बाधाओं के चलते विदेशों से कच्चा माल मंगाए जाने में वृद्धि होती है। यथा अपेक्षित, विनिमय दर में परिवर्तन आयात की तीव्रता को कम करता है, लेकिन यह बात सिर्फ सीमांत स्थितियों पर लागू होती है। विनिमय दर के रूप में गुणांक के अपेक्षाकृत छोटे होने से भी यह बात स्पष्ट होती है। घरेलू मुद्रास्फीति, विनिमय दर अग्रानुक्रम में कार्यशील होती है - अगर भारत में मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, तो इसके कारण अपेक्षाकृत सस्ते आयात किए जाने को प्रोत्साहन मिलता है।

सारांश रूप में, विनिर्माण में उपयोग की जाने वाली औद्योगिक कच्चे माल की आयात तीव्रता घरेलू मांग और लागत की स्थिति से प्रभावित हुई, जबकि विनिमय दर में कमी का आयात पर मंदक के रूप में प्रभाव पड़ता है। हालांकि, यह तथ्य कि नवंबर 2016 से सितंबर 2017 तक डमी महत्वपूर्ण है, और इसके बाद बाद की अवधि में डमी के संकेत के उलट हो जाने से पता चलता है कि आयात में प्रतिगामी प्रतिस्थापन प्रभाव बहुत क्षणिक था, और भारत में औद्योगिक गतिविधि के मंदी के दौर से उबर जाने तथा तीव्रता बहाल होने से इसमें धीरे-धीरे गिरावट आई।

²⁰ परिणामों की सुदृढ़ता को प्रामाणिक बनाने के लिए जून से सितंबर 2017 के बीच शुरुआत वाले विभिन्न समाप्ति बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए डमी चरों में बदलाव किया गया है।

3. अदृश्य मदें

II.6.11 वर्ष 2017-18 में, निवल अदृश्य मदों – जिनमें सेवाओं के निर्यात, विप्रेषण और आय भुगतान (लाभ, लाभांश और ब्याज भुगतान) के निवल बहिर्वाह से होने वाली निवल आमदनी शामिल है – में द्विअंकीय वृद्धि हुई। हालांकि, वाणिज्य वस्तुओं के व्यापार अंतराल में बड़े पैमाने पर विस्तार होने से निवल अदृश्य मदों द्वारा वाणिज्य वस्तुओं के व्यापार घाटे के सिर्फ 70 प्रतिशत हिस्से का ही वित्तपोषण किया जा सका, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में इसका हिस्सा 87 प्रतिशत था।


II.6.12 सेवाओं की प्रमुख श्रेणी के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान पर्यटकों के आगमन में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी होने और एक वर्ष पहले की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ निर्यात और यात्रा सेवाओं में वृद्धि हुई। आने वाले कुल पर्यटकों में बांग्लादेश, अमेरिका और ब्रिटेन के पर्यटकों की हिस्सेदारी लगभग 45 प्रतिशत रही। संघीय बजट में राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और विस्तार योजना (हृदय) के तहत इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी सुविधाओं में सुधार किए जाने और धरोहर के रूप में चिह्नित शहरों के पुनरुज्जीवन के लिए नीतिगत उपाय लागू किए जाने से यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को काफी फायदा हुआ। इस बीच, देश के बाहर जाने वाले भारतीय पर्यटकों द्वारा यात्रा के बदले किए जाने वाले अपेक्षाकृत अधिक भुगतान में भी वर्ष के दौरान काफी वृद्धि हुई। फिर भी, यात्रा सेवाओं द्वारा उत्पन्न होने वाली निवल प्राप्तियाँ पिछले वर्ष के स्तर से लगभग 30 प्रतिशत अधिक रहीं।



II.6.13 सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वैश्विक कारोबारी माहौल के चुनौतीपूर्ण होने बावजूद, भारत से होने वाले सॉफ्टवेयर निर्यात में थोड़ा सुधार हुआ। इसमें सभी उद्योगों से उत्पन्न व्यापक आधार वाली मांग से सहारा मिला। उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में क्रमिक विविधता और सूचना प्रौद्योगिकी की शृंखला में बेहतर स्थान प्राप्त होने के कारण प्रमुख कंपनियों की बहाली प्रक्रिया में मदद मिली।

II.6.14 वर्ष 2017-18 में, विदेशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा आवक विप्रेषण – जिसे पूर्ववर्ती वर्ष में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कम कीमतों ने अवरुद्ध कर दिया था – में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) और खाड़ी क्षेत्र -दोनों की आय में सुधार होने से तेजी से सुधार हुआ। विश्व बैंक के अनुसार (2018), ईयू, रूसी संघ और अमेरिका में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होने से वैश्विक विप्रेषण के निर्धारित होने की संभावना है। हालांकि, खाड़ी देशों में श्रम बाजार के समायोजन और कई गंतव्य देशों में अप्रवास विरोधी भावना जैसे संरचनात्मक कारकों के कारण आगे चलकर अधोगामी जोखिम उत्पन्न हो सकता है। आय के रूप में भुगतान के थोड़े अधिक बहिर्वाह होने से विदेशी लिखतों के संबंध में अपेक्षाकृत अधिक भुगतान और लाभ परिलक्षित हुआ।

4. चालू खाता घाटा

II.6.15 वर्ष के दौरान, सेवाओं के निर्यात और विप्रेषण से निवल प्राप्तियों में भारी वृद्धि के बावजूद, सीएडी एक वर्ष पहले के अपने स्तर से तीन गुना बढ़ गया। इस घाटे का तत्त्वतः कारण वाणिज्य वस्तुओं के अपेक्षाकृत अधिक व्यापार घाटे में तीव्र वृद्धि, तथा सकल और निवल – दोनों ही रूप में व्यापार में कमी होना रहा (चार्ट II.6.5)। वर्ष 2017-18 के दौरान, व्यापारिक वस्तुओं,





खास तौर पर कच्चे तेल, सोने और कोयले की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि होने के कारण व्यापार घाटे में हुई निवल कमी के व्यापार घाटे में जीडीपी के लगभग 1.2 प्रतिशत अंकों के तुल्य वृद्धि होने की संभावना है। वर्ष 2017-18 के दौरान, सीएडी एक वर्ष पहले के जीडीपी के 0.6 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर 1.9 प्रतिशत हो गया, जो 2012-13 में रहे 4.8 प्रतिशत के शीर्ष स्तर के मुकाबले काफी कम रहा। इसके अलावा, सीएडी सहज रूप में व्यवहार्यता के मानदंड के भीतर बना रहा (चार्ट II.6.6)।

5. बाह्य वित्तपोषण

II.6.16 वर्ष 2016-17 से बदलाव को चिह्नित करते हुए, सीएडी का निधीयन मिश्रण 2017-18 में अधिक विविधतापूर्ण रहा। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के निवल निवेश अंतर्वाह ने बाह्य वित्तपोषण में प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया। दोनों मिलाकर इनका योगदान 52.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो निवल पूंजी अंतर्वाह का 57 प्रतिशत था (चार्ट II.6.7)।

II.6.17 वर्ष के दौरान, भारत में एफडीआई का सकल अंतर्वाह बढ़ा। इस वृद्धि का मुख्य कारण संचार सेवाओं, खुदरा एवं थोक व्यापार, वित्तीय सेवाओं तथा कंप्यूटर सेवाओं में अपेक्षाकृत

अधिक प्रवाह होना रहा। स्रोतों के संदर्भ में, ज्यादातर एफडीआई अंतर्वाह मॉरीशस और सिंगापुर में केंद्रित रहा, जो कि कुल इक्विटी निवेश का लगभग 61 प्रतिशत था। आय और पूंजीगत लाभ पर करों की चोरी को रोकने के लिए इन देशों के साथ संशोधित दोहरे कराधान से बचाव संबंधी करार, अप्रैल 2017 से प्रभावी, के चरणबद्ध कार्यान्वयन के बावजूद ऐसा हुआ। एकल ब्रांड खुदरा व्यापार, नागर विमानन से लेकर स्थावर संपदा आढ़तिया सेवा और विधिक एवं विनियामक प्रणाली के सरलीकरण के क्षेत्रों में चल रहे नीतिगत सुधारों के चलते भारत विश्व बैंक की व्यापार करने की सुगमता संबंधी वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 100 देशों में शामिल हो गया। यूएनसीटीएडी के निवेश रुझान माप (इनवेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर) (2018) के मुताबिक, वर्ष 2017 में भारत वैश्विक एफडीआई का 10वां सबसे बड़ा निवेश प्राप्तकर्ता था और सर्वथा नए निवेश के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य रहा। मंजूरी के आधार पर देखा जाए तो भारत, चीन और अमेरिका से भी आगे है (एफडीआई बाजार आसूचना 2017)।

II.6.18 2017-18 में, एफपीआई के प्रवाह में पिछले वर्ष की तुलना में काफी वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से कर्ज क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक प्रवाह होने के कारण हुई। 2017-18 में, कर्ज क्षेत्र में एफपीआई अंतर्वाह फेडरल रिजर्व द्वारा निधि दरों में तीन बार

वृद्धि किए जाने के जोखिम से इतर प्रभावों के प्रति व्यापक रूप से आघात-सह रहा। अमेरिकी मौद्रिक नीति को सामान्य बनाए जाने की गति के बारे में बाजारों की संभावनाओं के पुनः सावधानी पूर्वक निर्धारण किए जाने के कारण फरवरी और मार्च 2018 में दुनिया भर में और भारत में बिकवाली का दौर रहा। दूसरी तरफ, अर्जन वृद्धि, बढ़ते मूल्यन एवं प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति के प्रभाव-प्रसार की चिंता के बीच पिछले साल की तुलना में इक्विटी क्षेत्र में एफपीआई लगभग आधा हो गया। इक्विटी निवेश में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर लगाने संबंधी 01 फरवरी, 2018 को संघीय बजट में की गई घोषणा ने चिंता बढ़ा दी, जिससे फरवरी एवं मार्च 2018 के पूर्वार्द्ध में बिकवाली हुई और एफपीआई अंतर्वाह की गति धीमी हो गई। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रत्येक लिखत के निर्गम पर शुल्क लगाने, और कुछ व्युत्पन्नी उत्पादों में एफपीआई से संबंधित विनियम जैसे विनियमों को कड़ा किए जाने से सहभागी नोट्स (पी-नोट्स) के निवेश में गिरावट आई। हालांकि, मार्च 2018 में सेबी के पास एफपीआई पंजीकरण की बढ़ती संख्या और इक्विटी बाजार में निवल क्रय से भारतीय पूंजी बाजारों में विदेशी निवेशकों की निरंतर रुचि का पता चलता है। हालांकि, विदेशी संविभाग निवेशकों ने 2018-19 में (29 जून तक) घरेलू पूंजी बाजार से निवल आधार पर 9.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निकाल लिए जो वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता को दर्शाता है।

II.6.19 अल्पावधिक व्यापारिक उधार के निवल अंतर्वाह में तीव्र वृद्धि ने बढ़ते आयात को वित्त पोषित किया। वर्ष 2017-18 में, व्यापारिक ऋण के रूप में निवल अंतर्वाह 13.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा, जबकि 2016-17 में यह 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। वर्ष के दौरान व्यापारिक उधार के सहारे होने वाले प्रमुख आयातों में तेल, सोना और कोयला शामिल थे, जो कुल व्यापारिक उधार का लगभग एक-तिहाई था।

II.6.20 घरेलू संस्थाओं द्वारा जुटाए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) में तीव्र वृद्धि हुई, किंतु पुनर्भुगतान के अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण निवल बहिर्वाह हुआ। 50 मिलियन

अमेरिकी डॉलर तक या उससे अधिक के निर्गमन के लिए पांच साल तक और 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से कम के निर्गमन के लिए तीन साल तक न्यूनतम परिपक्वता अवधि को बढ़ाते हुए रिजर्व बैंक ने *मसाला बॉण्ड* (विदेश में जारी किए गए रुपया में मूल्यवर्गित बॉण्ड) जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया। समग्र लागत सीमा को भी एक उच्चतर स्तर पर निर्धारित किया गया। मसाला बॉण्ड निर्गमन को ईसीबी की मंजूरी प्रक्रिया के दायरे में भी लाया गया था, जिससे एफपीआई द्वारा निवेश के लिए और अधिक गुंजाइश उत्पन्न हुई। वर्ष 2017-18 में, रुपया में मूल्यवर्गित बॉण्ड/ऋण के रूप में ईसीबी में गिरावट आई। इस अवधि के दौरान कुल ईसीबी करार की राशि के 33 प्रतिशत (रुपए मूल्यवर्गित बॉण्ड/ऋण के अलावा) हिस्से की हैजिंग की गई, जबकि एक वर्ष पूर्व 41 प्रतिशत हिस्से की हैजिंग की गई थी।

II.6.21 अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) खाते और अनिवासी साधारण (एनआरओ) खाते के तहत जमाराशियों में तेज गिरावट के बावजूद अनिवासी जमा खाता के अंतर्गत निवल प्रवाह में उलट-फेर हुआ। तत्त्वतः ऐसा पिछले वर्ष में हुए निवल बहिर्वाह के मुकाबले विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) (बी) खातों में धनात्मक अभिवृद्धि की वजह से हुआ। एनआरई और एनआरओ के अंतर्गत जमाराशियों में गिरावट वर्ष के दौरान रुपया के मजबूत होने के कारण हुई हो सकती है।

6. कमजोरी के संकेतक

II.6.22 मार्च 2018 की समाप्ति में, भारत का बाह्य कर्ज मार्च 2017 के अंत में रहे अपने स्तर से 58.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से वाणिज्यिक उधारियों में सन्निहित कर्ज प्रतिभूतियों में संविभाग निवेश, एनआरआई जमाराशियों और अल्पकालिक कर्ज में बढ़ोत्तरी के कारण हुई। कुल बाह्य कर्ज में से 49.5 प्रतिशत को अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित किया गया, इसके बाद भारतीय रुपया (35.8 प्रतिशत), एसडीआर (5.5 प्रतिशत), जापानी येन (4.8 प्रतिशत), यूरो (3.4 प्रतिशत) और अन्य (1.0 प्रतिशत) का स्थान रहा।

II.6.23 विशेष रूप से, बाह्य कर्ज स्टॉक के रूप में जमाराशि में वृद्धि मामूली थी और बाह्य कर्ज के सापेक्ष औसत ब्याज भुगतान एक समान स्तर पर बना बना रहा। यदि 2016 की बाह्य कर्ज स्थिति के स्तर से तुलना करें, तो जीडीपी की तुलना में बाह्य कर्ज अनुपात प्रमुख ईएमई के बीच दूसरा सबसे कम अनुपात रहा।

II.6.24 मार्च 2017 की समाप्ति और मार्च 2018 की समाप्ति के बीच भारत के बाह्य कमजोरी संकेतकों की घट-बढ़ मिश्रित प्रकार की रही (सारणी II.6.1)। बाह्य कर्ज परिपक्वता प्रोफाइल के मूल और अवशिष्ट परिपक्वता -दोनों आधार पर अपेक्षाकृत अल्पावधिक होने सहित जीडीपी की तुलना में बाह्य कर्ज अनुपात में मामूली वृद्धि हुई। मार्च 2018 की समाप्ति में, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अल्पकालिक कर्ज देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त था; फिर भी, मार्च 2017 की समाप्ति की तुलना में मार्च 2018 की समाप्ति में ये देनदारियां विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा निर्मित करती हैं। मार्च 2017 और मार्च 2018 के बीच आयात के विदेशी आरक्षित मुद्रा भंडार में गिरावट आई।

II.6.25 पूंजीगत अंतर्वाह के अधिक होने के कारण विदेशी देनदारियों के स्टॉक में वृद्धि हुई, किंतु विदेशी आस्तियों के भंडार

में वृद्धि होने के कारण इसमें से (देनदारियों) अधिकांश वृद्धि निरस्त हो गई। इससे आरक्षित विदेशी मुद्रा निधि में आमतौर पर वृद्धि होने का पता चलता है। परिणामस्वरूप, भारत की निवल विदेशी देनदारियों (अर्थात्, निवल आईआईपी) में मामूली वृद्धि हुई और जीडीपी के अनुपात के रूप में, इसमें मार्च 2017 की समाप्ति की तुलना में मार्च 2018 की समाप्ति पर मामूली गिरावट आई। निवल बाह्य देनदारियों में मामूली वृद्धि तत्त्वतः सीएडी के मामूली और टिकाऊ होने को दर्शाती है।

II.6.26 निष्कर्षतः, भारत के बाह्य क्षेत्र ने प्रमुख आयात वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण सीएडी का विस्तार होने के बावजूद आघात सहनीयता का प्रदर्शन किया। हालांकि, विदेशी पूंजी का निवल अंतर्वाह सीएडी की निधीयन आवश्यकता से ज्यादा हो गया, जिससे आरक्षित निधि उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। बाह्य क्षेत्र परिदृश्य का निर्धारण अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति की दिशा तथा परिणामी सीमा-पार प्रभाव-प्रसार (स्पिलओवर), और संरक्षणवाद की बढ़ती घटनाओं के द्वारा होगा। वर्ष 2017-18 में सॉफ्टवेयर निर्यात आईटी क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण वैश्विक कारोबारी माहौल का सफलतापूर्वक सामना कर पाया, किंतु अमेरिका में वीजा प्रक्रिया को अधिक सख्त बनाए जाने, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता

सारणी II.6.1: बाह्य क्षेत्र के असुरक्षितता संकेतक

(प्रतिशत, जब तक अन्यथा इंगित नहीं किया गया हो)

संकेतक	समाप्त मार्च 2014	समाप्त मार्च 2015	समाप्त मार्च 2016	समाप्त मार्च 2017	समाप्त मार्च 2018
1	2	3	4	5	6
1. जीडीपी की तुलना में बाह्य कर्ज	23.9	23.9	23.4	20.0	20.5
2. कुल कर्ज (मूल परिपक्वता) की तुलना में अल्पावधि कर्ज का अनुपात	20.5	18.0	17.2	18.7	19.3
3. कुल कर्ज (अवशिष्ट परिपक्वता) की तुलना में अल्पावधि कर्ज का अनुपात	39.7	38.5	42.7	41.6	42.0
4. कुल कर्ज की तुलना में रियायती कर्ज का अनुपात	10.4	8.8	9.0	9.4	9.1
5. कुल कर्ज की तुलना में भंडार का अनुपात	68.2	72.0	74.3	78.5	80.2
6. आरक्षितों की तुलना में अल्पावधि कर्ज का अनुपात	30.1	25.0	23.2	23.8	24.1
7. अरक्षितों की तुलना में अल्पावधि कर्ज (अवशिष्ट परिपक्वता) का अनुपात	58.2	53.5	57.5	53.0	52.3
8. आयात की आरक्षित पूंजी (महीनों में)	7.8	8.9	10.9	11.3	10.9
9. कर्ज सेवा अनुपात (चालू प्राप्तियों की तुलना में कर्ज सेवा भुगतान)	5.9	7.6	8.8	8.3	7.5
10. बाह्य कर्ज(यूएस \$ अरब)	446.2	474.7	484.8	471.3	529.7
11. निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) (यूएस \$ बिलियन)	-340.8	-364.3	-358.9	-388.5	-420.3
12. आईआईपी/जीडीपी अनुपात	-18.2	-18.3	-17.4	-16.5	-16.3
13. सीएडी/जीडीपी अनुपात	1.7	1.3	1.1	0.6	1.9

स्रोत: आरबीआई

(आटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के अभ्युदय, और चीन सहित अन्य बाजारों से प्रतिस्पर्धा होने का निर्यात से होने वाली आय पर सशक्त रूप से असर पड़ सकता है। इस संदर्भ

में, बाह्य क्षेत्र का व्यवहार्य और वैश्विक आघातों के प्रति समुचित रूप से प्रतिरोधी होना सुनिश्चित करने के लिए घरेलू समष्टिगत आर्थिक मौलिक सिद्धांतों को सुदृढ़ बनाया जाना मुख्य बात है।

III

मौद्रिक नीति परिचालन

अगस्त 2017 में नीतिगत दर में 25 आधार अंक (बीपीएस) की कटौती किए जाने के बाद, नीतिगत दर को जून 2018 तक उसी स्थिति में बनाए रखा गया जब उसमें 25 आधार अंक बढ़ोतरी की गई। फरवरी 2017 के बाद से नीति का रुझान तटस्थ बना रहा। विमुद्रीकरण के चलते प्रणाली में अतिरिक्त चलनिधि को रिज़र्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन परिचालनों के माध्यम से धीरे-धीरे बाहर निकाल लिया गया। वर्ष के दौरान जमा और उधार दरों में नीति-संवेगों के संचरण में और सुधार हुआ, हालांकि विभिन्न क्षेत्रों और बैंक समूहों में इसमें काफी अंतर बना रहा।

III.1 वर्ष 2017-18 में मौद्रिक नीति के संचालन का उद्देश्य संवृद्धि का समर्थन करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत मध्यावधि लक्ष्य को +/- 2 प्रतिशत के सहनीय दायरे के भीतर प्राप्त करना था। यद्यपि खाद्यान्न की कीमतों में आए उतार-चढ़ाव ने वर्ष के भीतर हेडलाइन मुद्रास्फीति में काफी अस्थिरता पैदा की थी, फिर भी वह लक्ष्य के भीतर बनी रही, जो वर्ष में कुल मिलाकर औसतन 3.6 प्रतिशत थी। संवृद्धि-मुद्रास्फीति के बीच वर्ष के दौरान सामंजस्य अधिक स्पष्ट रहा, जो मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सदस्यों के मतदान के स्वरूप से दिखाई देता है। रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति के रुझान के अनुरूप चलनिधि का नियंत्रण करना जारी रखा है और विभिन्न अवधियों के लिए परिवर्तनीय दर रिवर्स रिपो नीलामियों का संचालन किया है, ताकि विमुद्रीकरण की वजह से उत्पन्न बहुत अधिक चलनिधि को अवशोषित कर लिया जाए। नीतिगत दरों का बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण वर्ष 2017-18 के दौरान और बेहतर हुआ है, हालांकि यह प्रसार समस्त क्षेत्रों/बैंक समूहों में असमान रहा है।

वर्ष 2017-18 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन स्थिति

मौद्रिक नीति

III.2 वर्ष 2017-18 के पहले द्विमासिक नीतिगत वक्तव्य (6 अप्रैल, 2017) में एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रिपो दर

को 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनाए रखने के लिए मतदान किया था। यह अनुमान किया गया था कि 2017-18 की पहली छमाही में मुद्रास्फीति औसतन 4.5 प्रतिशत और दूसरी छमाही में 5 प्रतिशत पर बनी रहेगी जिसमें जोखिम की स्थिति इसी बेसलाइन मार्ग के आसपास समान रूप से संतुलित रहेगी। वर्ष 2017-18 में संवृद्धि दर में सुदृढ़ता आने का अनुमान लगाया गया था क्योंकि पुनर्मुद्रीकरण की गति काफी तेज थी, संघीय बजट में पूंजीगत व्यय, प्रोत्साहन प्रस्तावों के अनुकूल किए गए थे तथा प्राथमिक पूंजी बाजार में गतिविधियां बढ़ गई थीं। लेकिन, अंतर्निहित मुद्रास्फीति का दबाव बने रहने और उत्पादन संबंधी अंतराल धीरे-धीरे कम होते जाने से एमपीसी ने इस बात पर जोर दिया कि सकल मांग संबंधी दबाव बढ़ सकता है जो मुद्रास्फीति के मार्ग को प्रभावित कर सकता है।

III.3 दिनांक 7 जून 2017 को एमपीसी के दूसरे द्विमासिक वक्तव्य तक मुद्रास्फीति के अचानक और सार्थक वापसी के कारण मुद्रास्फीति के प्रक्षेप-पथ में काफी अनिश्चितता आ गई। एमपीसी ने यह पाया कि फल और सब्जियों, दालों तथा अनाजों की अतिरिक्त आपूर्ति स्थितियों के साथ ही प्रमुख खाद्य वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण पर विमुद्रीकरण का अस्थायी का प्रभाव अब भी बना हुआ था। उसी समय, वृहत्तर अर्थव्यवस्था पर विमुद्रीकरण का प्रभाव क्षेत्र-विशिष्ट एवं अस्थायी पाया गया। एमपीसी ने इस बात को नोट किया कि इस प्रकार के अनिश्चित वातावरण

में यदि समय से पहले कार्रवाई की गई, तो बाद में हानिकारक नीतिगत बदलाव करने और विश्वसनीयता खोने का जोखिम रहता है। तदनुसार, एमपीसी ने यह निर्णय लिया कि नीतिगत रिपो दर को अपरिवर्तित बनाए रखा जाए और तटस्थ रुझान को जारी रखा जाए। एमपीसी के पांच सदस्य मौद्रिक नीति निर्णय के पक्ष में थे जबकि एक सदस्य नीतिगत रिपो दर में 50 आधार अंक कटौती किए जाने के पक्ष में थे।

III.4 दिनांक 2 अगस्त 2017 के तीसरे द्विमासिक वक्तव्य के दौरान यह पाया गया कि सीपीआई मुद्रास्फीति (2012 के आधार की शृंखला में) जून 2017 के मुद्रण में न्यूनतमस्तर तक गिरावट दर्ज की गई। एमपीसी ने पाया कि मुद्रास्फीति की ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम स्तर तक गिरावट के बावजूद, अपस्फीतिकारी स्थिति को चालित करने वाले अस्थायी और संरचनात्मक कारक अलग करके निष्कर्ष नहीं निकाले जा सके हैं। वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में खाद्यान्न और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति में हुई भारी गिरावट को ध्यान में रखते हुए और अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों में पर्याप्त स्थिरता के परिदृश्य को देखते हुए एमपीसी ने नोट किया कि मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाले कुछ जोखिम या तो कम हो गए हैं या उनका प्रभाव नहीं पड़ा है: (i) हेडलाइन मुद्रास्फीति का आधार-पथ जून की नीति की तुलना में निम्न बने रहने तथा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अंतर्गत मकान किराया भत्ता (एचआरए) में की गई वृद्धि के प्रभाव के बिना चौथी तिमाही तक 4 प्रतिशत से ऊपर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था; (ii) खाद्यान्न और ईंधन को छोड़कर पिछले तीन महीने में मुद्रास्फीति काफी कम हो गई; तथा (iii) मानसून सामान्य था। उत्पादन-अंतर गतिकी को देखते हुए एमपीसी ने यह नोट किया कि मौद्रिक नीति के समायोजन के लिए कुछ गुंजाइश है। तदनुसार, एमपीसी ने रिपो दर को 25 आधार अंक घटाने का फैसला किया, जिसके लिए चार सदस्यों ने मौद्रिक नीति संकल्प के पक्ष में मत दिया, एक सदस्य ने नीतिगत दर में 50 आधार अंक की कटौती के लिए वोट किया और एक सदस्य ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए वोट किया था। तथापि, एमपीसी ने नीति का रुझान तटस्थ रखने तथा आवक डेटा पर निगाह रखने का निर्णय लिया, क्योंकि यह

उम्मीद की जा रही थी कि मुद्रास्फीति का अनुमानित प्रक्षेप-पथ उस समय के निम्न स्तर से ऊपर उठेगा।

III.5 जब अक्तूबर के प्रारंभ में एमपीसी की चौथी द्विमासिक नीति संबंधी बैठक हुई, तब तक मुद्रास्फीति एमपीसी की अगस्त बैठक के दौरान बने रहे स्तर से लगभग दो प्रतिशतता बिंदु बढ़ चुकी थी तथा यह वृद्धि सभी स्तरों पर हुई थी। कीमतों का दबाव बढ़ने के साथ ही विश्व में भू-राजनैतिक तनाव भी बढ़ गए थे और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता पैदा हो गई थी। जहां खाद्य कीमतों का परिदृश्य काफी हद तक स्थिर बना हुआ था वहीं खाद्य को छोड़कर अन्य चीजों की कीमतें बढ़ने की गति सामान्यतः जोर पकड़ रही थी। राजकोषीय स्थिति में गिरावट की संभावना के साथ-साथ इन घटनाओं के कारण मुद्रास्फीति संबंधी जोखिमों का प्रबंधन सावधानीपूर्वक किया जाना जरूरी हो गया। एमपीसी ने यह स्वीकार किया कि उत्पादन-अंतराल और अधिक बढ़ने की संभावना है, लेकिन यह भी बताया कि संवृद्धि पथ में आने वाली अस्थायी और दीर्घकालिक बाधाओं का बेहतर आकलन करने के लिए उन्हें और अधिक डेटा की आवश्यकता होगी। तदनुसार, एमपीसी ने 5 मतों के बहुमत से यह निर्णय लिया कि नीति का रुझान तटस्थ तथा नीति-दर को अपरिवर्तित रखा जाए; एक सदस्य नीति-दर में कम से कम 25 आधार अंक की कटौती किए जाने के लिए मत दिया था।

III.6 खुदरा मुद्रास्फीति की गति में तीव्र उछाल आने के कारण इसमें अक्तूबर में सात महीने में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, मुद्रास्फीति संबंधी ये परिणाम काफी हद तक किए गए अनुमानों के अनुसार ही थे। एमपीसी ने 6 दिसंबर 2017 को पांचवी द्विमासिक नीति समीक्षा के लिए इसके संकल्प में यह नोट किया है कि खाद्य एवं ईंधन की तीव्र महंगाई, इनपुट की बढ़ती लागतों, राजकोषीय चूक संबंधी जोखिम [चुनिंदा राज्यों द्वारा कृषि ऋण माफ करने की योजना को लागू करने, उत्पाद-शुल्क को आंशिक रूप से वापिस लेने तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में मूल्यवर्धित कर (वैट), तथा अनेक वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) में कटौती किए जाने के कारण] के साथ ही मुद्रास्फीति संबंधी प्रभाव को ध्यान

में रखते हुए मुद्रास्फीति के उभरते हुए प्रक्षेप-पथ पर सावधानी-पूर्वक निगरानी रखनी होगी। उम्मीद के अनुसार सब्जियों और फलों की कीमतों में आई मौसमी कमी तथा जीएसटी परिषद द्वारा कर-दरों को कम किया जाना, मुद्रास्फीति को कम करने के कारक बने। तदनुसार, एमपीसी ने दिसंबर में आयोजित पांचवीं द्विमासिक बैठक में 5 वोटों के बहुमत से नीति-दर को बनाए रखने का निर्णय लिया; एक सदस्य ने नीतिगत रिपो-दर को 25 आधार अंक से घटाने के लिए वोट किया था। तथापि उत्पादन-अंतराल गतिकी को ध्यान में रखते हुए एमपीसी ने नीति का तटस्थ रुझान जारी रखने का निर्णय लिया। एमपीसी ने हेडलाइन मुद्रास्फीति को स्थायी (टिकाऊ) आधार पर लक्ष्य के निकट बनाए रखने की अपनी वचनबद्धता को दोहराया।

III.7 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता में की गई वृद्धि के कारण दिसंबर में हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़ गई। खाद्य कीमतों एवं ईंधन की महंगाई भी नवंबर में अचानक बढ़ गई थी, जो दिसंबर में कुछ कम हुई। महंगाई के प्रति हाउसहोल्ड की उम्मीदें दिसंबर में बढ़ गई थीं, जो आगे भी बनी रहीं, जबकि फर्मों ने इनपुट की कीमतों पर दबाव बने रहने एवं बिक्री मूल्यों के बढ़ जाने की रिपोर्ट की। इस पृष्ठभूमि में, 7 फरवरी 2018 की छठी द्विमासिक नीति में यह पूर्वानुमान लगाया गया था कि 2018-19 की दूसरी छमाही में सामान्य मानसून एवं प्रभावी खाद्य आपूर्ति प्रबंधन की मान्यता के चलते मुद्रास्फीति नरम होगी, उससे पहले 2018-19 की पहली छमाही में यह बढ़ी हुई रहेगी। एमपीसी ने पाया कि स्फीतिकारी जोखिम बढ़ाने वाले और उन्हें कम करने वाले, दोनों कारक सक्रिय रह सकते हैं। एक ओर कई प्रकार के कारक मुद्रास्फीति के परिदृश्य में तेजी ला सकते हैं, जैसे - राज्य सरकारों द्वारा बढ़ाए गए एचआरए का अलग-अलग समय पर प्रभाव पड़ना, विश्व की संवृद्धि-दर में तेजी आने से कच्चे तेल की कीमतें एवं अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, तथा खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देश, अनेक मदों पर सीमा-शुल्क का बढ़ाया जाना, और राजकोषीय चूक, जैसाकि संघीय बजट में उल्लेख किया गया है। दूसरी ओर, क्षमता का कम उपयोग, उत्पादन स्तर पर आधारित तेल की कीमतों का मौजूदा स्तर से भी कम होने की संभावना, तथा ग्रामीण क्षेत्र में

वास्तविक मजदूरी में संयत वृद्धि ने मुद्रास्फीति के परिदृश्य को कुछ राहत दी। एमपीसी ने नोट किया कि मुद्रास्फीति के उभरते हुए परिदृश्य के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है, और नीतिगत रिपो दर को अपरिवर्तित रखते हुए तटस्थ रुझान जारी रखने के लिए मतदान किया। हालांकि एमपीसी के एक सदस्य ने नीतिगत रिपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करने के लिए वोट किया था।

III.8 दिनांक 5 अप्रैल, 2018 को वर्ष 2018-19 के लिए आयोजित प्रथम द्विमासिक बैठक के मौद्रिक नीतिगत वक्तव्य में एमपीसी ने नीतिगत दर को अपरिवर्तित बनाए रखा। इस निर्णय के पक्ष में पांच सदस्यों ने वोट किया था, और एक सदस्य ने 25 आधार अंक बढ़ाने के लिए वोट किया था। एमपीसी ने फरवरी के अपने संकल्प में मुद्रास्फीति के जो अनुमान दिए थे, जनवरी-फरवरी में वास्तविक परिणाम उससे कहीं कम निकले। यद्यपि 2018-19 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान संशोधित करके कम किया गया था, किंतु एमपीसी ने नोट किया कि बेसलाइन मुद्रास्फीति के पथ में अनिश्चितताएं थीं, जैसे संघीय बजट 2018-19 में घोषित संशोधित फार्मूला पर आधारित खरीफ फसल के लिए एमएसपी में वृद्धि किया जाना, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, तथा राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय स्तरों पर राजकोषीय चूक का जोखिम। मानसून की स्थिति तथा खाद्य कीमतों में घट-बढ़ ने भी मुद्रास्फीति परिदृश्य में अनिश्चितता पैदा कर दी। हालांकि राज्य सरकारों द्वारा एचआरए में किए गए संशोधनों के विचलनकारी प्रभावों को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाले माना गया, एमपीसी ने यह संकेत दिया कि वह एचआरए में वृद्धि के प्रत्यक्ष सांख्यिकीय प्रभाव को देखते हुए दूसरे चक्र के प्रभाव पर निगाह रखेगी। इन हालात के मद्देनजर एमपीसी ने नीतिगत रिपो दर को रोके रखने तथा नीति में तटस्थ रुझान जारी रखने का निर्णय लिया।

III.9 दिनांक 6 जून, 2018 को आयोजित एमपीसी की बैठक के समय हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़ी हुई थी जो मुख्यतया खाद्य और ईंधन को छोड़कर अन्य मुद्रास्फीति द्वारा चालित थी, जिससे मुद्रास्फीति के अंतर्निहित दबाव कठोर होने के संकेत मिलते हैं। मुद्रास्फीति के अनुमान में अप्रैल के वक्तव्य में 4.4 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 की दूसरी छमाही में इसमें ऊर्ध्वगामी संशोधन करके 4.7 प्रतिशत कर दिया गया।

एमपीसी ने यह नोट किया कि बेसलाइन मुद्रास्फीति पथ में स्फीतिकारी जोखिम था, वह कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि के रूप में घटित हो चुका और वह लंबे समय तक बना रहेगा। एमपीसी ने इस बात को भी चिह्नित किया कि वैश्विक वित्तीय बाजारों की गतिविधियों, हाउसहोल्ड की महंगाई-अपेक्षाओं में काफी बढ़ोतरी, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा एचआरए में किए गए संशोधन की वजह से पड़ने वाले सान्तर प्रभाव तथा खरीफ फसल के लिए एमएसपी फार्मूला में किए गए संशोधन से मुद्रास्फीति का जोखिम है; सामान्य मानसून के पूर्वानुमान के कारण खाद्य स्फीति सौम्य रहने की आशा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एमपीसी ने नीति का रुझान तटस्थ रखते हुए यह निर्णय लिया था की नीतिगत रिपो दर को 25 आधार अंक बढ़ा दिया जाए, और इस वचनबद्धता को दोहराया कि मध्यावधि में हेडलाइन मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के लक्ष्य को टिकाऊ आधार पर प्राप्त किया जाएगा।

परिचालनात्मक ढांचा : चलनिधि प्रबंधन

III.10 मौद्रिक नीति के परिचालनात्मक ढाँचे का उद्देश्य परिचालनात्मक लक्ष्य-भारित औसत मांग दर (डबल्यूसीआर) - को मौद्रिक नीति के रुझान के अनुरूप अग्रसक्रिय चलनिधि प्रबंधन के माध्यम से नीतिगत रिपो दर के अनुरूप बनाए रखना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तथा उभरती हुई चलनिधि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने 2017-18 के दौरान दुतरफा दृष्टिकोण अपनाया था: (i) वर्ष के दौरान संचालित किए जाने वाले चलनिधि प्रबंधन के कार्यों के पैमाने और दायरे के बारे में पहले से मार्गदर्शन प्रदान करना तथा (ii) परिचालनात्मक ढांचे में सूक्ष्म परिवर्तन करना ताकि अंतर-बैंक बाजार की अस्थिरता को न्यूनतम रखा जा सके।


III.11 प्रथम, विमुद्रीकरण के परिणामस्वरूप भारी मात्रा में उपलब्ध अतिरिक्त चलनिधि के कारण वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए चलनिधि प्रबंधन परिचालनों का मुख्य उद्देश्य प्रणाली में अधिशेष चलनिधि को निष्प्रभावी किया जाना था, जो मौद्रिक नीति के रुझान के अनुरूप हो। इस बात का अंदाजा लगाते हुए कि वर्ष 2017-18 के दौरान चलनिधि के अतिरिक्त बोझ तथा पूंजी का अधिक प्रवाह आने, दोनों की वजह से अतिरिक्त

चलनिधि की स्थिति बनी रहेगी, रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2017 में ही अग्रिम रूप से मार्गदर्शन प्रदान कर दिया था जब यह कहा गया था कि वह: (i) विमुद्रीकरण के बाद शेष अतिरिक्त चलनिधि को अवशोषित करने के लिए अस्थिर दर पर रिवर्स रिपो नीलामियां करेगा, जिसमें दीर्घावधि टेनर को वरीयता दी जाएगी; (ii) अन्य स्रोतों से चलनिधि व्यवस्थित करने हेतु बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत खजाना बिल (टीबी) तथा दिनांकित प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी, (iii) सरकारी परिचालनों के कारण बनने वाले अधिशेषों का प्रबंध करने के लिए भारत सरकार के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार उपयुक्त अवधि के नकदी प्रबंधन बिल (सीएमबी) जारी करना (iv) खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) करना ताकि प्रणाली स्तर की चलनिधि को न्यूट्रल स्तर तक लाया जा सके तथा (v) दिन-प्रतिदिन की चलनिधि को व्यवस्थित करने के लिए अस्थिर दर वाले रिवर्स रिपो/रिपो परिचालनों को ठीक करना।

III.12 द्वितीय, मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित एवं सुदृढ़ बनाने के संबंध में विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: डॉ. ऊर्जित आर. पटेल) की सिफारिशों के अनुरूप नीतिगत दर के कॉरिडोर के दायरे को अप्रैल 2016 के 100 आधार अंक से सममितीय तरीके से कम करके अप्रैल 2017 में 50 आधार अंक कर दिया गया। तदनुसार, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिवर्स रिपो दर को नीतिगत रिपो दर से 25 आधार अंक नीचे रखा गया, जबकि मार्जिनल स्थायी सुविधा(एमएसएफ) को नीतिगत रिपो दर से 25 आधार अंक ऊपर रखा गया। मांग मुद्रा बाजार का परिमाण कुल ओवरनाइट बाजार के 10 प्रतिशत से कम पर अपरिवर्तित बने रहने के बावजूद एलएएफ कॉरिडोर के संकुचन के साथ ही मांग मुद्रा बाजार में अस्थिरता कम हो गई। इसके अतिरिक्त, परिचालनगत लचीलापन बनाए रखने तथा संपार्श्विक की चलनिधि को बढ़ाने के लिए एलएएफ के अंतर्गत 17 अप्रैल 2017 से मीयादी रिपो में बाजार सहभागियों को संपार्श्विक की स्थानापन्नता की अनुमति प्रदान की गई है।

III.13 सरकार द्वारा प्रारंभ में ही किए गए अधिक खर्चों, अग्रिम कर बहिर्प्रवाह, रिजर्व बैंक द्वारा किये गये विदेशी मुद्रा परिचालन तथा पुनर्मुद्रीकरण के प्रभाव से विमुद्रीकरण के कारण संपूर्ण

चार्ट III.1: नीतिगत दर कॉरीडोर और भारत औसत काल रेट




स्रोत: सीसीआईएल और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ आकलन।

प्रणाली में व्यास चलनिधि 2017-18 के दौरान क्रमिक रूप से कम हुई, जो कि संचलन में बहुत ज्यादा करंसी में प्रतिबिंबित हुई। चलनिधि की अधिशेष स्थिति क्रमिक रूप से कम हुई तथा फरवरी और मार्च में इसमें न्यूनता की स्थिति बन गई। जो भी हो, डबल्यूएसीआर में चलनिधि की सुगम स्थिति दिखाई दी जो वर्ष के अंत को छोड़कर, पूरे वर्ष के दौरान नीतिगत रिपो दर से नीचे बनी रही (चार्ट III.1)। यह प्रवृत्ति 2018-19 की पहली तिमाही में 6 जून 2018 को नीतिगत दर में वृद्धि किए जाने तक बनी रही, उसके बाद डबल्यूएसीआर, रिपो दर के प्रति स्थिर हो गई।

III.14 वर्ष के दौरान एलएएफ के अंतर्गत ज्यों ही निवल चलनिधि में कमी पैदा हुई, डब्ल्यूएसीआर तथा नीतिगत रिपो-दर के बीच स्प्रेड अप्रैल 2017 में (-) 32 आधार अंक से कम होकर मार्च 2018 तक मात्र (-5) आधार अंक ही रह गया (चार्ट III.2)। लेकिन, जून 2018 के अंत में स्प्रेड (-) 12 आधार अंक फैल गया, जिसका आशय यह था कि अप्रैल से चलनिधि की स्थितियां सहज हो गईं।

III.15 वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में तेजी से पुनर्मुद्रीकरण के कारण संचलन में करंसी का विस्तार होने से लगभग ₹2 ट्रिलियन की अतिरिक्त चलनिधि प्रणाली से बाहर निकल


चार्ट III.2: नीति रिपो दर की तुलना में डब्ल्यूएसीआर का औसत स्प्रेड



स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक और स्टाफ आकलन।

गई, किंतु यह सरकार द्वारा पहले से किए गए खर्च एवं सरकारी प्रतिभूतियों के भारी मात्रा में मोचन द्वारा किए गए समंजन से कहीं अधिक थी। रिज़र्व बैंक ने परिणामी अतिरिक्त चलनिधि को निकालने तथा चलनिधि को तटस्थता की ओर ले जाने के उसके उद्देश्य के अनुरूप अप्रैल और मई 2017 में एमएसएएस के अंतर्गत कुल ₹1 ट्रिलियन के खज़ाना बिलों (312 दिनों से लेकर 329 दिन की अवधि वाले) की नीलामी की। चलनिधि का दैनिक औसत अवशोषण मार्च 2017 के अंत में ₹3.1 ट्रिलियन से बढ़कर 2017-18 की पहली तिमाही के दौरान ₹4.6 ट्रिलियन (रिवर्स रिपो, एमएसएएस तथा सीएमबी सहित) हो गया (चार्ट III.3)।

III.16 वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही के दौरान सरकार द्वारा बार-बार अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) और ओवरड्राफ्ट (ओडी) का इस्तेमाल करने से बाजार में चलनिधि बढ़ गई, जबकि प्रणाली के संचलन में से ₹571 बिलियन की करंसी अवशोषित कर ली गई थी। अगस्त के दौरान सरकार के नकदी शेष की स्थिति में सुधार आ जाने से चलनिधि का औसत दैनिक निवल अवशोषण अगस्त के प्रथम सप्ताह के ₹5.1 ट्रिलियन (एलएएफ, एमएसएएस और सीएमबी सहित) से घटकर अगस्त 2017 के अंत में ₹4.4 ट्रिलियन रह गया। सितंबर के मध्य में



अग्रिम कर बहिर्प्रवाहों के कारण सितंबर के अंत तक अतिरिक्त चलनिधि घट कर ₹2.8 ट्रिलियन रह गई। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने विभिन्न अवधियों के भिन्न दर रिवर्स रिपो नीलामियों के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप खरीद के फलस्वरूप ₹600 बिलियन की टिकाऊ चलनिधि (जुलाई, अगस्त और सितंबर प्रत्येक में ₹200 बिलियन) को अवशोषित करने के लिए खुला बाज़ार बिक्री की।

III.17 वर्ष की तीसरी तिमाही में, एलएएफ के अंतर्गत अवशोषित औसत दैनिक निवल चलनिधि (मुख्यतः एक दिवसीय से 28 दिवसीय तक की अवधि की भिन्न दर वाली रिवर्स रिपो नीलामियों के माध्यम से) अक्टूबर 2017 के ₹1.4 ट्रिलियन से घटकर नवंबर में ₹718 बिलियन हो गई, जिसे संचालन में करेंसी में वृद्धि और क्रेडिट-वृद्धि में तेजी से सहायता मिली। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक ने तिमाही के दौरान विदेशी मुद्रा की खरीद से चलनिधि पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए टिकाऊ आधार पर ₹300 बिलियन अवशोषित करने के लिए तीन अवसरों पर खुला बाज़ार परिचालन का संचालन किया (अक्टूबर में ₹200 बिलियन और नवंबर में ₹100 बिलियन)। दिसंबर के उत्तरार्ध में चलनिधि की स्थिति में अस्थायी रूप से कमी आ गई थी, साथ ही सरकारी खर्चों में धीमेपन के कारण सामान्य अग्रिम-कर बहिर्वाह द्वारा उत्पन्न चलनिधि की कमी देर

तक बनी रही। तदनुसार, रिजर्व बैंक द्वारा 14-दिवसीय नियमित मीयादी रिपो के अलावा विभिन्न अवधियों की भिन्न दर रिपो के माध्यम से ₹1.3 ट्रिलियन की चलनिधि प्रणाली में डाली गई।

III.18 चौथी तिमाही के दौरान, अतिरिक्त चलनिधि में गिरावट आई और वर्ष के अंत तक कमी में बदल गई। जनवरी में एलएएफ के अंतर्गत (एमएसएफ सहित) ₹353 बिलियन की औसत दैनिक निवल चलनिधि अवशोषित की गई। लेकिन, फरवरी-मार्च में सरकारी खर्च में भारी कमी तथा भारी मात्रा में कर की वसूली के कारण चलनिधि में कमी की स्थिति हो गई, जिसके कारण रिजर्व बैंक द्वारा ₹140 बिलियन की औसत दैनिक निवल चलनिधि डालना आवश्यक हो गया।

III.19 मार्च में चलनिधि की कठोर स्थिति का अनुमान लगाते हुए तथा बैंकिंग प्रणाली को वर्ष के अंत में चलनिधि की सामान्य विसंगति को सुलझाने हेतु अधिक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से, लंबी अवधि (24 से 31 दिवसीय) के 4 अतिरिक्त भिन्न दर रिपो परिचालन (प्रत्येक ₹250 बिलियन) किए गए तथा स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारियों को सामान्य अधिसूचित राशि के भीतर 28 मार्च, 2018 को संचालित नियमित मीयादी रिपो नीलामी में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। इसके अलावा, अप्रैल और मई 2017 में एमएसएफ के अंतर्गत जारी खज़ाना बिलों के मोचन के माध्यम से मार्च में चलनिधि की मात्रा को बढ़ाया गया। कुल मिलाकर एलएएफ (एमएसएफ सहित) के अंतर्गत अवशोषित औसत दैनिक निवल चलनिधि तीसरी तिमाही के ₹812 बिलियन से घटकर चौथी तिमाही में ₹30 बिलियन रह गई।

III.20 वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही के दौरान चलनिधि की स्थिति आमतौर पर अधिशेष स्थिति में थी, हालांकि अप्रैल से जून तिमाही के दौरान औसत दैनिक अधिशेष (एलएएफ के अंतर्गत) अप्रैल में ₹496 बिलियन से कम होकर जून में ₹140 बिलियन रह गया। चलनिधि की अधिशेष स्थिति में मुख्यतः अप्रैल में राज्य सरकारों को जीएसटी आगम अंतरित करने के लिए सरकारी शेष में से काफी राशि का आहरण तथा सरकार द्वारा विशेषतः जून 2018 में उच्चतर बजटीय व्यय किया जाना परिलक्षित हुआ। चलनिधि अधिशेष को नियंत्रित करने के लिए

रिज़र्व बैंक ने विभिन्न अवधि की भिन्न दर वाले रिवर्स रिपो की नीलामियां आयोजित कीं, जबकि जून में सीएमबी को पुनः जारी किया गया ताकि सरकारी शेषों के अस्थायी असंतुलन को दूर किया जा सके। दूसरी ओर, रिज़र्व बैंक ने जून में 14-दिवसीय नियमित मीयादी रिपो के साथ-साथ अन्य अवधियों के भिन्न दर रिपो भी संचालित किए ताकि अग्रिम कर बहिर्वाह के कारण प्रणाली में उत्पन्न चलनिधि की अस्थायी तंगी को नियंत्रित किया जा सके। तिमाही के दौरान, रिज़र्व बैंक ने क्रमशः मई और जून महीने में प्रतिमाह ₹100 बिलियन की ओएमओ खरीद

के माध्यम से ₹200 बिलियन प्रणाली में डाले। कुल मिलाकर तिमाही के दौरान एलएएफ के अंतर्गत औसत दैनिक निवल चलनिधि अवशोषण की राशि ₹258 बिलियन थी।

III.21 रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा संबंधी हस्तक्षेपों के कारण पड़ने वाले चलनिधि के स्थायी प्रभावों का प्रबंध करने के लिए ओएमओ का संचालन करता रहा है। हालांकि, अर्थव्यवस्था और बाजारों के अन्य पहलुओं पर इस प्रकार के निष्प्रभावीकरण परिचालनों के पारस्परिक प्रभाव हो सकते हैं (बॉक्स III.1)।

बॉक्स III.1 पूँजी प्रवाहों का निष्प्रभावीकरण


केंद्रीय बैंक के तुलनपत्र के नज़रिये से देखें तो घरेलू स्तर पर चलनिधि की स्थितियां मुख्यतया स्वायत्त कारकों द्वारा संचालित होती हैं, जैसे - संचलन में करेंसी, सरकारी नकदी शेष और विदेशी मुद्रा का प्रभाव। जहां संचलन में करेंसी और सरकारी नकदी शेष का प्रभाव अधिकांशतः घरेलू चलनिधि की स्थिति (ब्याज दरों) पर पड़ता है, वहीं विदेशी मुद्रा के प्रवाह का प्रभाव विनिमय दर और वास्तविक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इस सार्वभौमिक संसार में अस्थिर पूँजी प्रवाहों ने चलनिधि प्रबंधन और मौद्रिक नीति के संचालन के समक्ष अत्यधिक चुनौती पैदा कर दी है। यही कारण है कि केंद्रीय बैंक मौद्रिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए इन प्रवाहों को निष्प्रभावी करते रहते हैं।

विभिन्न देशों के साक्ष्यों से पता चलता है कि उभरते बाज़ार की अर्थव्यवस्थाओं द्वारा किए जाने वाले निष्प्रभावीकरण कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जो इस प्रकार के प्रवाहों की मांगों के अनुरूप रहा है (आइजमेन और ग्लिक, 2008)।

दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र की तरह भारत में भी विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा है (चार्ट I.ए)। हालांकि, इसके बावजूद, प्राथमिक चलनिधि (आरक्षित मुद्रा) में हुई वृद्धि को काफी हद तक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप निष्प्रभावीकरण हस्तक्षेप के माध्यम से बनाए रखा गया है (चार्ट I.बी)।

यदि निष्प्रभावीकरण कार्य घरेलू प्रतिभूतियों को बेचकर किया जाता है तो इसका घरेलू ब्याज दरों को ऊपर ले जाने का प्रभाव पड़ सकता है, जो फलस्वरूप ब्याज-दरों के बीच के अंतर को बड़ा कर सकता है। ऐसी स्थिति में निष्प्रभावीकरण कार्य से पूँजी का देश में अधिक प्रवाह आ सकता है। इस प्रकार निवल घरेलू आस्तियों (एनडीए) में होने वाले परिवर्तन को, निवल विदेशी आस्तियों (एनएफए) में होने वाले परिवर्तन से पूरी तरह बेअसर किया जा सकता है। अनुभव बताता है कि केंद्रीय बैंक द्वारा किया गया निष्प्रभावीकरण कार्य किस हद तक और कितना प्रभावी रहा, इसकी माप क्रमशः निष्प्रभावीकरण

चार्ट 1 : आरक्षित संचय एवं आरक्षित मुद्रा



स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटा बेस, भा. रि. बैंक।

(जारी...)

एवं समंजन गुणांक की गणना करके की जा सकती है, दोनों 0 और -1 के बीच भिन्न पाई जाएंगी। निष्प्रभावीकरण गुणांक इस बात की माप करता है कि केंद्रीय बैंक की निवल घरेलू आस्तियों में निवल विदेशी आस्तियों में हुए परिवर्तन की वजह से किस हद तक परिवर्तन हुआ है, जबकि समंजन गुणांक इस बात की माप करता है कि निवल घरेलू आस्तियों में हुई कमी/वृद्धि की वजह से निवल विदेशी आस्तियों में किस हद तक कमी/वृद्धि हुई है। निष्प्रभावीकरण गुणांक का मूल्य -1 होने का अर्थ है पूरी तरह से निष्प्रभावीकरण होना अर्थात् पूंजी प्रवाहों का मौद्रिक आधार पर कोई प्रभाव न पड़ना, मूल्य 0 हो तो इसका अर्थ है कि केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में हस्तक्षेप के प्रभाव को निष्प्रभावी नहीं बनाया गया है। समंजन गुणांक का मूल्य -1 यह दर्शाता है कि केंद्रीय बैंक पूंजी प्रवाहों को निष्प्रभावी बनाने में पूरी तरह अप्रभावी रहा है, अर्थात् मौद्रिक नियंत्रण पूरी तरह से कमजोर रहा। समंजन गुणांक का मूल्य -1 होने का यह भी संकेत हो सकता है कि पूंजी की पूर्ण आवाजाही, जबकि 0 मूल्य का आशय होगा कि पूंजी की कोई आवाजाही नहीं।

भारतीय संदर्भ में निष्प्रभावीकरण कार्यों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए निष्प्रभावीकरण गुणांक का आकलन संशोधित मांग प्रणाली के माध्यम से किया गया है, जबकि समंजन गुणांक का आकलन पूंजी प्रवाहों से संबंधित संशोधित समीकरण की सहायता से जुलाई 1997 से लेकर अक्टूबर 2017

$$\begin{aligned} \text{NDA} = & 86.02 - 1.03 \text{NFA} + 58.25 \text{GDP} - 239.52 \text{Mul} + 0.31 \text{DS} + 0.66 \text{AR}(1) + 0.14 \text{AR}(3) & \dots (1) \\ & (0.00) \quad (0.00) \quad (0.73) \quad (0.00) \quad (0.59) \quad (0.00) \quad (0.03) \\ \text{Adj. } R^2 = & 0.94 \quad \text{DW} = 2.00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NFA} = & 67.45 - 0.83 \text{NDA} + 133.59 \text{GDP} - 0.10 \text{IF} + 294.33 \text{REER} - 200.41 \text{Mul} + 0.68 \text{AR}(1) + 0.15 \text{AR}(2) & \dots (2) \\ & (0.00) \quad (0.00) \quad (0.41) \quad (0.88) \quad (0.00) \quad (0.00) \quad (0.00) \quad (0.03) \\ \text{Adj. } R^2 = & 0.95 \quad \text{DW} = 2.00 \end{aligned}$$

नोट: कोष्ठकों में दिए गए अंक पी-मूल्य हैं।

तक की अवधि के लिए मासिक डेटा का इस्तेमाल करते हुए दो-स्तरीय लिस्ट स्क्वायर (2 एसएलएस) पद्धति से किया गया था (कैवोली और राजन 2013) इसमें प्रयुक्त चर इस प्रकार थे - (i) निवल घरेलू आस्तियां (ii) निवल विदेशी आस्तियां (मूल्यांकन में हुए परिवर्तन हेतु समायोजित); (iii) सांकेतिक जीडीपी (तिमाही डाटा को मासिक में समाविष्ट करना) (जीडीपी); (iv) ब्याज - अंतर की माप प्रभावी फेडरल फंड दर की तुलना में मांग-दर के स्प्रेड के रूप में की जाती है (आईएफ); (v) वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीर); (vi) मनी मल्टीप्लायर (आरक्षित मुद्रा की तुलना में व्यापक मुद्रा का अनुपात) (मल); (vii) नीतिगत दर और भारत औसत मांग दर के बीच का स्प्रेड (डीएस); तथा (viii) सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार की मात्रा (जीएस)। दोनों समीकरणों में एनडीए और एनएफए के बीच अंतर्जात समस्या को पहचानने के लिए आकलन में संगत सहायक परिवर्तियों का उपयोग किया गया, अर्थात्,

एनएफए के लिए प्रथम समीकरण में रीर और आईएफ, एवं एनडीए के लिए द्वितीय समीकरण में डीएस तथा जीएस का उपयोग किया गया। चारों को वर्ष-दर-वर्ष भिन्न रूप में लिया गया है जिसमें चरों में मौसमी भिन्नता एवं स्थिर विशेषताओं दोनों को ध्यान में रखा गया है। जीडीपी, रीर और जीएस को लॉग-रूप में लिया गया है। निवल घरेलू आस्तियों और निवल विदेशी आस्तियों को पिछले वर्ष की आरक्षित मुद्रा के लॉग द्वारा सामान्यीकृत किया जाता है।

निष्प्रभावीकरण गुणांक -1.03 तथा समंजन गुणांक -0.83 आकलित किया गया। निष्प्रभावी गुणांक, समंजन गुणांक से बड़ा होने (निरपेक्ष रूप से) के नाते यह दर्शाता है कि चलनिधि नियंत्रण में निष्प्रभावीकरण कार्यों का कुछ असर है। (राज एवं अन्य, 2018)

भारतीय अनुभवों से ज्ञात होता है कि पूंजी प्रवाहों की व्यवस्था में रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति की स्वतंत्रता कायम रखने में सफल रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि इसके पास मौद्रिक नीति रुझान के अनुरूप घरेलू स्तर पर मौद्रिक और चलनिधि स्थितियों को बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं। संघीय बजट 2018-19 में घोषित तथा अप्रैल 2018 में अधिसूचित स्थायी जमा सुविधा से यह उम्मीद की जाती है कि यह आगे चलकर रिजर्व बैंक के तरकश में उपलब्ध उपकरणों की शृंखला को सुदृढ़ बनाएगी ताकि पूंजी प्रवाहों को और भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके।

संदर्भ:

1. आइज़ेनमैन, जे. और आर. ग्लिक (2008)। "निष्प्रभावीकरण, मौद्रिक नीति और वैश्विक वित्तीय एकीकरण," एनबीईआर वर्किंग पेपर नं.13902, मार्च।
2. कैवोली, टी. और आर. एस. राजन (2013)। "पूंजी अंतर्वाह और ब्याज प्रीमियम समस्या: एशिया में मौद्रिक निष्प्रभावीकरण के प्रभाव पर पुनर्दृष्टि"। यह पेपर पैसिफिक रिम इकानामीज एंड डेवेल्युशन ऑफ द इंटरनेशनल मोनेटरी आर्किटेक्चर पर तैयार किया गया था, दिसंबर।
3. राज. जे., एस. पटनायक, आई. भट्टचार्य और अभिलाषा (2018), "फोरेक्स बाजार परिचालन एवं चलनीधि प्रबंधन," भा.रि.बैंक बुलेटिन, अगस्त।

III.22 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 में किया गया संशोधन, रिजर्व बैंक को यह अनुमति देता है कि “वह चलनिधि प्रबंधन के प्रयोजन से केंद्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित स्थायी जमा सुविधा योजना के अंतर्गत बैंकों या किसी अन्य व्यक्ति से धन को जमा के रूप में, ब्याज सहित वापस अदा करने हेतु” स्वीकार कर सकता है। स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ), जब भी संचालित की जाएगी, चलनिधि को कम करने का एक अतिरिक्त तरीका उपलब्ध कराएगी, खासतौर से जब चलनिधि की असाधारण प्रचुरता की स्थिति वाली अवधियों के दौरान।

मौद्रिक नीति का संचरण

III.23 जनवरी 2015 से मई 2018 की अवधि के बीच नीतिगत दर में 200 आधार अंक की संचयी गिरावट के जवाब में बैंकों ने अपनी जमा तथा उधार दरों को कम किया (सारणी

III.1)। बैंकों ने इस कटौती के बड़े हिस्से को अपनी निधीयन लागत में डाल दिया है क्योंकि उनके नये उधारकर्ताओं के कम लागत वाले चालू खाता तथा बचत खाता (कासा) जमा के हिस्से में वृद्धि हो गई है, साथ ही, बकाया ऋणों की तुलना में नये रुपया ऋणों पर ब्याज दरें तेजी से घट रही हैं। तथापि, 2017-18 के दौरान नीतिगत रिपो दर से जमाओं तथा नये रुपए ऋणों में संचरण पिछले वर्ष की तुलना में धीमा हो गया है, जिसका मुख्य कारण जमाराशि संवृद्धि में गिरावट होना तथा ऋण की मांग में कुछ बहाली आना है। 6 जून 2018 को नीतिगत दर में 25 आधार अंक की वृद्धि के कारण मध्यम अवधि जमा दर तथा 1-वर्षीय निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसी-एलआर) क्रमशः 5 आधार अंक और 3 आधार अंक बढ़ गई हैं। नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) भी जून में 8 आधार अंक बढ़ गई।

सारणी III.1: जमा और उधार दरों में संचरण

(आधार अंक)

अवधि/घट-बढ़	नीतिगत रिपो दर	मीयादी जमा दरें		उधार दरें			
		मीयादी जमा दर की माध्यिका	डब्ल्यूएडी-टीडीआर	आधार दर की माध्यिका	1 वर्ष एमसीएलआर की माध्यिका	डब्ल्यूएलआर - बकाया रुपया ऋण	डब्ल्यूएलआर - नए रुपया ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
जनवरी 2015 से मई 2018	-200	-159	-193	-80	*	-172	-205
जून 2018	25	5	-2	0	3	0	8
अप्रैल 2016 से जून 2018	-50	-84	-104	-20	-93	-108	-99
अप्रैल 2016 से मार्च 2017	-50	-68	-76	-10	-85	-40	-73
अप्रैल 2017 से मार्च 2018	-25	-25	-30	-10	-20	-65	-40
मेमो:							
विमुद्रीकरण पूर्व							
जनवरी 2015 से अक्तूबर 2016	-175	-99	-126	-61	*	-75	-97
अप्रैल 2016 से अक्तूबर 2016	-50	-29	-35	-1	-17	-11	1
विमुद्रीकरण पश्चात							
नवम्बर 2016 से जून 2018	0	-55	-69	-19	-76	-97	-100
2 अगस्त, 2017 को मौद्रिक नीति के बाद							
2 अगस्त, 2017 से जून 2018	0	1	-6	-3	2	-47	-32
2 अगस्त, 2017 से दिसंबर 2017	-25	-15	-22	-3	-20	-32	-39
जनवरी 2018 से जून 2018	25	16	16	0	22	-15	7

डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू मीयादी जमाराशि दर।

डब्ल्यूएलआर: भारित औसत उधार दर। एमसीएलआर: निधियों की सीमांत लागत पर आधारित उधार दर।


*: एमसीएलआर प्रणाली 1 अप्रैल, 2016 को लागू की गयी।

स्रोत: विशेष मासिक विवरणी वीआईएबी, आरबीआई एवं बैंकों की वेबसाइट।

III.24 सरकारी और निजी क्षेत्र, दोनों के अनेक बड़े बैंकों ने 31 जुलाई 2017 से बचत बैंक जमा दरों को कम करना शुरू कर दिया। रिजर्व बैंक द्वारा अक्टूबर 2011 में अविनियमित किए जाने के बाद मध्यम बचत जमा दर में पहली बार कमी की गई। तथापि, मीयादी जमाराशियों में संचयन की गति में कमी आने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान मीयादी जमा दरों में गिरावट की गति धीमी हुई। उल्लेखनीय है कि 2017-18 के दौरान मीयादी जमा दरों की तुलना में नए रुपया ऋण पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) में अपेक्षाकृत अधिक गिरावट दर्ज हुई, जबकि पिछले वर्ष की स्थिति विपरीत थी और उसके पीछे दो कारण हैं। पहला, जैसा कि पहले बताया गया है, बैंकों की बचत खाता जमाओं की ब्याज दरों में गिरावट, जिसका कुल जमाराशियों में 31.3 प्रतिशत का हिस्सा रहा। दूसरा, वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त और भुगतान बैंकों को छोड़कर) की कम लागत वाली कासा जमाराशियों का हिस्सा मार्च 2017 के 40.6 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर मार्च 2018 में 41.1 प्रतिशत हो गया। पिछले वर्ष की स्थिति के विपरीत 2017-18 में बकाया रुपया ऋणों की डब्ल्यूएलआर में 65 आधार अंकों की कमी के साथ तेजी से गिरावट दर्ज हुई, वहीं नए रुपया ऋणों की डब्ल्यूएलआर में 40 आधार अंकों की गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि बैंकों ने पूर्व में संविदा किए गए अस्थिर दर वाले ऋणों पर ब्याज दरों का वर्तमान में लागू निम्न दरों पर पुनर्निर्धारण किया।

III.25 दिनांक 02 अगस्त 2017 को नीतिगत रिपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती किए जाने के बाद दिसंबर 2017 तक सभी परिपक्वता अवधियों और बैंक समूहों से संबंधित मध्यम एमसीएलआर में गिरावट और एक वर्षीय मध्यम एमसीएलआर में 20 आधार अंकों की कमी हुई। तथापि, अतिरिक्त चलनिधि के धीरे-धीरे घटने के कारण तीसरी तिमाही से मुद्रा और बॉण्ड बाजार दरों पर बढ़ोतरी का दबाव बढ़ गया। इसके कारण खुदरा मीयादी जमा दरों में बढ़ोतरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप जनवरी-जून 2018 के दौरान एक वर्षीय मध्यम एमसीएलआर में 22 आधार अंकों की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इसके बावजूद बकाया रुपया ऋणों की डब्ल्यूएलआर में गिरावट का रुख बरकरार रहा, जिससे पुराने ऋणों को निम्नतर दरों पर पुनर्निर्धारित किए जाने के कारण उधार दरों में गिरावट की प्रवृत्ति का पता चलता है, जैसा कि पूर्व में बताया गया है। जनवरी-फरवरी 2018 के दौरान नए रुपया ऋणों की डब्ल्यूएलआर में 14 आधार अंकों की बढ़ोतरी होने के बाद केवल मार्च में ही 21 आधार अंकों की गिरावट आ गई – जो प्रत्येक वर्षात के लिए एक सामान्य सामयिक घटना है, क्योंकि फरवरी की तुलना में बैंकों द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले नए रुपया ऋणों की मात्रा दुगुनी (98 प्रतिशत की बढ़ोतरी) हो जाती है, जो अंशतः ब्याज लगाना और अंशतः विंडो-ड्रेसिंग दर्शाता है। बैंक समूह-वार देखें तो सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा और उधार दोनों दरों में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई (चार्ट III.4)।

चार्ट III.4: सभी अवधियों और बैंक समूहों में संचरण (अगस्त 2017 - जून 2018)



स्रोत: आरबीआई और संबंधित बैंकों के वेबसाइट।

क्षेत्रवार उधार दरें

111.26 क्षेत्र- विशिष्ट कारकों के कारण मौद्रिक संचरण का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर एक समान नहीं होता है। वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में बकाया ऋणों की उधार दरों में 24-123 आधार अंकों की व्यापक गिरावट हुई, जिसमें वैयक्तिक क्रेडिट कार्ड खंड में सर्वाधिक गिरावट दर्ज हुई (सारणी 111.2)।

111.27 समग्र स्थिति के अनुरूप, आवास और वाहन ऋण क्षेत्रों के नए रुपया ऋणों की उधार दरों पर नीति दर के संचरण का प्रभाव पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान काफी कम रहा (सारणी 111.3)।

111.28 उधार दरों में पारदर्शिता का स्तर सुधारने की दृष्टि से अप्रैल 2016 में तत्कालीन आधार दर प्रणाली के स्थान पर निधियों की सीमांत लागत पर आधारित उधार दर (एमसीएलआर) प्रणाली शुरू की गई। तथापि, एमसीएलआर व्यवस्था में संचरण पूर्णतः संतोषजनक नहीं रहा। एमसीएलआर के विभिन्न पहलुओं की जांच करने और सुधार हेतु सुझाव देने के लिए

रिजर्व बैंक ने एक आंतरिक अध्ययन दल (अध्यक्ष डॉ. जनक राज) का गठन किया। उपर्युक्त दल की रिपोर्ट अक्टूबर 2017 में फीडबैक हेतु सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराई गई। प्राप्त फीडबैक और सुझावों / टिप्पणियों पर अध्ययन दल की प्रतिक्रिया फरवरी 2018 में रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराई गई। उक्त कार्य दल की सिफारिशें रिजर्व बैंक के विचाराधीन हैं।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

111.29 वर्ष 2017-18 की कार्यसूची के अंतर्गत गैर-रैखिकता, असममिति और पास-श्रू की समय के अनुसार परिवर्तित होने वाली प्रवृत्ति को मापने के लिए विनिमय दर पास-श्रू के आकलन का अध्ययन; मांग की स्थिति और आपूर्ति के आघातों की भूमिका के आकलन हेतु फिलिप्स वक्र में मुद्रास्फीति के निर्धारक तत्व; मौद्रिक नीति के परिचालनगत लक्ष्य पर बासेल-III चलनिधि विनियमों के प्रभाव; केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले मकान किराए भत्ते में बढ़ोतरी के

सारणी 111.2: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का क्षेत्र-वार डब्ल्यूएलआर - बकाया रुपया ऋण (जिस पर 60 प्रतिशत या इससे अधिक कारोबार संकुचन हुआ)

(प्रतिशत)

माह का अंत	कृषि	उद्योग (बड़े)	एमएस-एमई	इन्फ्रा-स्ट्रक्चर	व्यापार	व्यावसायिक सेवाएँ	वैयक्तिक ऋण					रुपया निर्यात ऋण
							आवास	वाहन	शिक्षा	क्रेडिट कार्ड	अन्य \$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दिसं-14	10.93	12.95	13.05	13.05	13.09	12.39	10.76	11.83	12.90	37.86	14.24	12.16
मार्च-16	10.74	12.36	12.25	12.06	12.50	11.81	10.56	11.65	12.48	38.00	13.90	11.46
अक्तू-16	10.88	11.64	12.23	11.89	11.86	11.56	10.00	11.45	12.40	39.01	12.98	10.78
मार्च-17	10.95	11.57	11.88	11.80	11.59	11.21	9.78	11.05	11.70	39.02	12.85	10.98
जून-17	10.78	11.28	11.75	11.59	11.41	10.91	9.59	10.87	11.53	38.88	12.85	9.78
सितं-17	10.82	11.29	11.64	11.55	11.69	10.86	9.55	10.73	11.47	38.28	12.67	10.60
दिसं-17	10.72	11.21	11.45	11.51	10.95	10.93	9.42	10.79	11.28	38.61	12.50	10.12
मार्च-18	10.71	11.03	11.41	11.40	11.08	10.87	9.38	10.74	11.29	37.79	12.48	10.08
जून-18	10.67	11.23	11.30	11.28	11.00	10.73	9.43	10.66	11.29	38.55	12.66	10.07
घट-बढ़ (प्रतिशतता अंक)												
दिसं-14 की तुलना में जून-18	-0.26	-1.72	-1.75	-1.77	-2.09	-1.66	-1.33	-1.17	-1.61	0.69	-1.58	-2.09
मार्च-17 की तुलना में मार्च-18	-0.24	-0.54	-0.47	-0.40	-0.51	-0.34	-0.40	-0.31	-0.41	-1.23	-0.37	-0.90
मार्च-16 की तुलना में मार्च-17	0.21	-0.79	-0.37	-0.26	-0.91	-0.60	-0.78	-0.60	-0.78	1.02	-1.05	-0.48

\$: आवास, वाहन, शिक्षा और क्रेडिट कार्ड ऋणों के अलावा।

एमएसएमई: सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम।

स्रोत: विशेष मासिक विवरणी वीआईएबी, आरबीआई।

सारणी III.3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के चुनिंदा क्षेत्रों का डब्ल्यूएएलआर - स्वीकृत नए रुपया ऋण

(प्रतिशत)

माह का अंत	वैयक्तिक		वाणिज्यिक	
	आवास	वाहन	आवास	वाहन
1	2	3	4	5
दिसं-14	10.53	12.28	11.73	12.53
मार्च-16	9.78	11.98	11.14	11.21
अक्तू-16	9.55	11.50	10.70	11.79
मार्च-17	8.94	10.77	10.03	10.24
सितं-17	8.85	10.51	9.76	10.50
दिसं-17	8.84	10.33	9.96	10.14
मार्च-18	8.80	10.61	9.45	10.05
जून-18	8.77	11.06	9.60	10.75
घट-बढ़ (प्रतिशतता अंक)				
दिसं-14 की तुलना में जून-18	-1.76	-1.22	-2.13	-1.78
मार्च-17 की तुलना में मार्च-18	-0.14	-0.16	-0.58	-0.19
मार्च-16 की तुलना में मार्च-17	-0.84	-1.21	-1.11	-0.97

स्रोत: विशेष मासिक विवरणी वीआईएबी, आरबीआई।

प्रभाव; कृषि ऋण माफी और मुद्रास्फीति पर राजकोषीय ढिलाई के प्रभाव; तथा बैंक उधार दरों पर नीति दर के संचरण में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता की भूमिका के आकलन पर अध्ययन निर्धारित समय पर पूरे किए गए।

III.30 चूंकि मुद्रास्फीति को लक्षित करने वाली लचीली व्यवस्था में मुद्रास्फीति पूर्वानुमान मध्यवर्ती लक्ष्य है, अतः मुद्रास्फीति की संभावनाओं को प्रभावित कर सकने वाले कारकों के व्यापक आकलन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जैसे- (i) राज्य सरकारों द्वारा मकान किराए भत्ते बढ़ाए जाने से पड़ने वाला प्रभाव, क्योंकि उससे मुद्रास्फीति पथ खुल जाता है और प्रभावित होता है, साथ ही, दूसरे दौर के प्रभावों को ट्रैक करने पर जोर देना; (ii) घरेलू स्तर पर संवृद्धि आवेग मजबूत होने के कारण मांग का दबाव बढ़ना, खास तौर से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इनपुट के बढ़ते मूल्य का दबाव है और कंपनियों ने कीमत-निर्धारण की शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है; (iii) कच्चे तेल की कीमतों की गतिशीलता और ऐसे चैनलों का पता लगाना, जिनके माध्यम से यह गतिशीलता वैश्विक संवृद्धि को मजबूत बनाने और बढ़ते भू-राजनैतिक तनावों के मद्देनजर मुख्य

मुद्रास्फीति पर प्रभाव डालती है; तथा (iv) न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में सरकार द्वारा प्रस्तावित बढ़ोतरी के प्रभाव का आकलन।

III.31 संवृद्धि को आगे बढ़ाने वाले कारकों को बेहतर ढंग से समझने हेतु अध्ययन किए जाएंगे, जो मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाने वाले लचीले ढांचे के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। निवेश चक्रों की अवधि और मोड़ बिंदुओं/ संरचनागत विच्छेदों को समझने के लिए निवेश चक्र का व्यापक प्रायोगिक विश्लेषण किया जाएगा। व्यापक अर्थव्यवस्था के साथ रियल एस्टेट क्षेत्र के महत्वपूर्ण पश्चवर्ती व अग्रवर्ती संबंधों को देखते हुए उक्त क्षेत्र की संरचनागत व चक्रीय गतिकी की जांच करना आवश्यक है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में मौद्रिक-राजकोषीय इंटरफेस को बेहतर ढंग से समझने के लिए तिमाही पूर्वानुमान मॉडल¹, जिसका अनुप्रयोग मध्यावधि संवृद्धि और मुद्रास्फीति पूर्वानुमानों हेतु किया जाता है, को राजकोषीय ब्लॉक शामिल करते हुए सुदृढ़ किया जाएगा। मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता के लिए सक्रिय चलनिधि प्रबंधन महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में फोरेक्स परिचालनों के चलनिधिगत प्रभावों का व्यापक विश्लेषण किया जाएगा।

¹ बेनेस, जैरोमिर और अन्य (2016), "भारत के लिए तिमाही अनुमान मॉडल : प्रमुख तत्व और स्वरूप", आरबीआई वर्किंग पेपर शृंखला, सं.08/2016

ऋण सुपुर्दगी तंत्र और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ने साल के दौरान कई नए उपाय किए। इनमें से कुछ उपायों में शामिल हैं- प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए प्रमाणित क्रेडिट परामर्शदाता (सीसीसी) स्कीम की शुरुआत, एमएसएमई क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों के आकलन हेतु सर्वेक्षण करना, संशोधित अग्रणी बैंक योजना लागू करना, वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति की कुछ अहम सिफारिशों का कार्यान्वयन और वित्तीय साक्षरता के लिए भी अभिनव पद्धतियां। वित्तीय समावेशन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार करने का कार्य भी चल रहा है। ऋण सुपुर्दगी तथा वित्तीय समावेशन के तहत कुछ परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान किया जाएगा, ताकि प्रभावोत्पादकता का निर्धारण किया जा सके।

IV.1 रिजर्व बैंक ने पूरे देश में सभी वर्गों तक बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्रों, खासकर कृषि और सूक्ष्म तथा लघु उद्यम क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण सुपुर्दगी प्रणाली को और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे। ऋण सुपुर्दगी को सुधारने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के प्रयोजन से 2017-18 के दौरान कई प्रयास किए गए। इनमें से कुछ प्रयास थे- अधिक रोजगार प्रधान क्षेत्रों को ज्यादा ऋण प्रवाह पर जोर देते हुए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने के बारे में दिशानिर्देशों में संशोधन किया जाए, जिलों के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) का संशोधन किया जाए और वित्तीय समावेशन के दायरे में अधिकाधिक लोगों को लाने के लिए वित्तीय साक्षरता हेतु अभिनव पद्धतियों को अपनाया जाए। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, वित्तीय समावेशन संबंधी मध्यम-अवधि पथ विषयक समिति (2015) की कुछ अहम सिफारिशों का कार्यान्वयन किया गया, जिसमें लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के सहयोग से एमएसएमई हेतु सीसीसी योजना की शुरुआत, कारोबारी प्रतिनिधि (बीसी) रजिस्ट्री पोर्टल और बीसी प्रमाणन कोर्स शामिल हैं। वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए गए, यथा- वित्तीय साक्षरता केंद्रों (सीएफएल) संबंधित पायलट परियोजना की शुरुआत और वित्तीय जागरूकता-संदेशों के प्रसार हेतु विभिन्न माध्यमों का प्रयोग। वित्तीय समावेशन और

विकास विभाग (एफआईडीडी) रिजर्व बैंक की वित्तीय समावेशन कार्ययोजना के सुचारु कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग है और इस विभाग द्वारा वित्तीय समावेशन पर व्यापक प्रगतिशील कार्यनीतिक दस्तावेज़ को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

वर्ष 2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

IV.2 चूंकि नीति निर्माण और कार्यनीति डिजाइन करने के लिए डेटा की सत्यता और सुसंगति बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों से डेटा प्राप्त करने के लिए आरंभ किए गए ऑटोमेटेड डेटा एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट (एडीईपीटी) के कार्यान्वयन को अंतिम चरण तक पहुंचा दिया गया है। इसी प्रकार वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति (एफआईएसी) के तत्वाधान में वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीतिक दस्तावेज़ को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

IV.3 वर्ष 2018-19 हेतु प्रथम द्विमासिक मौद्रिक नीति के अंतर्गत विकासात्मक और विनियामकीय नीति विषयक वक्तव्य में कहा गया था कि 'सभी के लिए एक ही शिक्षा' वाला रुख अख्तियार करके विभिन्न प्रकार के लक्ष्य-समूहों को वित्तीय शिक्षा प्रदान करने से इष्टतम परिणाम नहीं मिल रहे हैं, अतः वित्तीय शिक्षण का कार्य भिन्न-भिन्न समूहों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करके किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से एफआईडीडी ने पांच लक्ष्य समूहों (यथा-कृषकों, लघु उद्यमियों, स्कूली बच्चों, स्वयं सहायता समूहों और वरिष्ठ नागरिकों) के

लिए वित्तीय साक्षरता हेतु विशेष सामग्री तैयार की गयी है, जिसका प्रयोग प्रशिक्षकों द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों में किया जा सकता है। इन पांचों बुकलेट की सामग्री को रिज़र्व बैंक के वित्तीय शिक्षण वेबपेज से डाउनलोड किया जा सकता है। बैंकों के वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) से कहा गया है कि वे अनिवार्य रूप से लक्ष्यानुरूप वित्तीय साक्षरता कैंप लगाते हुए इन बुकलेटों की सहायता से शिक्षण संरचना बनाएं।

ऋण सुपुर्दगी

प्राथमिकता- प्राप्त क्षेत्र

IV.4 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण (पीएसएल) प्रदान करने की व्यवस्था का उद्देश्य ऋण सुविधा को समाज के उन कमजोर वर्गों की पहुंच तक ले जाना है, जो उनकी ऋण पात्रता में कल्पित कमी के कारण ऋण से वंचित रह जाते हैं। कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलापों के लिए कृषकों को, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उद्यमों का आवासन के लिए गरीबों को, शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को, निम्न आय वर्ग के अन्य समूहों और कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले छोटे ऋणों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण में शामिल किया गया है। सामाजिक अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को भी इसी प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में शामिल किया गया है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण (पीएसएल) देने से संबंधित उपलब्धियों की दृष्टि से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) का लक्ष्य कार्यनिष्पादन सारणी IV.1 में दिया गया है।

सारणी IV.1: प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण वितरण के लक्ष्यों की प्राप्ति संबंधी कार्यनिष्पादन

मार्च के अंत में	(₹ बिलियन)		
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
2017	19,889 (39.5)	7,110 (42.5)	1,238 (36.4)
2018	20,723 (39.9)	8,046 (40.8)	1,402 (38.3)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) की तुलना में प्रतिशत अथवा तुलन-पत्रेतर एक्सपोजर (ओबीई) ऋण के समान, संबंधित समूहों में जो कोई भी अधिक हो।

स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र विवरणी।

IV.5 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में उन बैंकों को प्रोत्साहित करने वाली व्यवस्था के रूप में की गई थी जो प्राथमिकता क्षेत्र के तहत विभिन्न वर्गों को उधार देने के अपने लक्ष्यों से आगे निकल चुके हैं। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के समान ही पीएसएलसी भी बाजार तंत्र को यह अनुमति प्रदान करता है कि वह विभिन्न बैंकों की तुलनात्मक मजबूती का लाभ लेते हुए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले उधार को संचालित करे। उदाहरण के लिए, एक बैंक जो छोटे और सीमांत किसानों को उधार देने में विशेषज्ञता रखता है वह अपने लक्ष्य से आगे जा सकता है तथा पीएसएलसी के माध्यम से निर्धारित लक्ष्य से अधिक क्रेडिट देने की अपनी उपलब्धि की बिक्री करते हुए लाभ कमा सकता है। एक अन्य बैंक जो लघु उद्यमों को उधार देने में अच्छा है वह माइक्रो-उद्यमों के ऋण के लिए पीएसएलसी की बिक्री करते हुए इन प्रमाणपत्रों को खरीद सकता है। रिज़र्व बैंक ने अपने कोर-बैंकिंग सॉल्यूशन पोर्टल (ई-कुबेर) के माध्यम से बैंकों को इन प्रमाणपत्रों का व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है।

IV.6 वर्ष 2017-18 के दौरान शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) और लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) सहित समस्त पात्र संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता पीएसएलसी प्लेटफॉर्म पर पायी गयी है। मार्च 2017 के अंत में पीएसएलसी व्यापार की कुल मात्रा ₹498 बिलियन थी जिसकी तुलना में मार्च 2018 के अंत में इसके व्यापार की कुल मात्रा ₹1843.3 बिलियन हो गयी। पीएसएलसी की 4 श्रेणियों में से सर्वाधिक व्यापार पीएसएलसी-सामान्य तथा पीएसएलसी-लघु एवं सीमांत कृषक में पाया गया जिस का लेनदेन की मात्रा क्रमशः ₹796.72 बिलियन और ₹696.22 बिलियन थी।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा

IV.7 विदेशी बैंक, जिनकी 20 और उससे अधिक शाखाएं थीं, उन्हें पंचवर्षीय (2013-18) रोडमैप पर रखा गया था, जिसके उपरांत 2017 में उनकी समीक्षा करते हुए छोटे और सीमांत किसानों तथा सूक्ष्म उद्योगों को उधार देने के संबंध में उपलक्ष्य लागू किए जाने थे। तदनुसार, समीक्षा के बाद यह निर्णय

सारणी IV.2: कृषि ऋण के लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(₹ बिलियन)

वर्ष	वाणिज्यिक बैंक		सहकारी बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016-17	6,250	7,998	1,500	1,428	1,250	1,232	9,000	10,658
2017-18 *	7,040	8,772	1,560	1,504	1,400	1,410	10,000	11,685

*: अनंतिम।

टिप्पणी: संख्याओं को पूर्णांकित किए जाने के कारण यह संभव है कि आकड़ों का योग कुल योग के बराबर न हो।

स्रोत: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)।

लिया गया कि उनके प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र लक्ष्यों को घरेलू बैंकों के समरूप बनाया जाए तथा समायोजित निवल बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) का 8 प्रतिशत अथवा तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की राशि के बराबर क्रेडिट (सीईओबीई), जो भी अधिक हो, छोटे और सीमांत किसानों को उधार देने का उप-लक्ष्य निर्धारित किया जाए; और सूक्ष्म उद्यमों को उधार देने के लिए एएनबीसी का 7.5 प्रतिशत अथवा सीईओबीई, जो भी अधिक हो, का उप-लक्ष्य लागू किया जाए जो वर्ष 2018-19 से प्रभावी होगा।

IV.8 हितधारकों से प्राप्त प्रतिसाद और अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि सूक्ष्म/लघु और मध्यम उद्यम (सेवा क्षेत्र) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत वर्गीकृत प्रति उधारकर्ता के लिए क्रमशः मौजूदा ₹50 मिलियन और ₹100 मिलियन की ऋण सीमा समाप्त कर दी जाए। तदनुसार, एमएसएमई विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के तहत उपकरण निवेश के रूप में पारिभाषित सेवाओं में व्यवसायगत सभी एमएसएमई को बैंक ऋण, बिना किसी ऋण सीमा के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत मान्य होंगे।

IV.9 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत परिभाषित किफायती आवासन योजना हेतु दिए जाने वाले आवास ऋणों के संबंध में पीएसएल दिशानिर्देशों का अधिकाधिक संकेंद्रण करने के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व निम्न आय वर्ग के लिए कम लागत वाला घर देने को प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि पीएसएल पात्रता हेतु आवास ऋण सीमाओं को संशोधित किया जाए और महानगर के केंद्रों (दस लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले) में इसकी वर्तमान सीमा ₹2.8 मिलियन से बढ़ाकर ₹3.5 मिलियन तथा अन्य केंद्रों पर मौजूदा सीमा को ₹2.0 मिलियन से बढ़ाकर ₹2.5 मिलियन

किया गया बशर्ते महानगर केंद्रों में तथा अन्य केंद्रों पर आवासीय इकाई की सकल लागत क्रमशः ₹4.5 मिलियन और ₹3.0 मिलियन से अधिक न हो।

कृषि क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता

IV.10 भारत सरकार प्रतिवर्ष कृषि ऋण के लिए लक्ष्य तय करती रही है। 2017-18 के दौरान सरकार ने कृषि ऋण के लिए ₹10,000 बिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया था। 31 मार्च, 2018 तक वाणिज्यिक बैंकों ने अपने लक्ष्य का 124.6 प्रतिशत हासिल किया जबकि सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) ने क्रमशः 96.4 प्रतिशत और 100.7 प्रतिशत हासिल किया (सारणी IV.2)। सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य ₹11,000 बिलियन रखा है।

IV.11 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का लक्ष्य सरलीकृत और लचीली प्रक्रियाओं के साथ किसानों को पर्याप्त और समय पर संस्थागत ऋण प्रदान करना है। यह योजना एससीबी, आरआरबी और सहकारी बैंकों द्वारा लागू की गई है। इसमें दोनों ऋणों -अल्पकालिक फसल ऋण और मीयादी ऋण- के घटक शामिल हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान इस योजना के तहत हुई प्रगति को सारणी IV.3 में दर्शाया गया है।

सारणी IV.3: किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

(संख्या मिलियन में, राशि ₹ बिलियन में)

वर्ष	क्रियाशील केसीसी की संख्या	बकाया कृषि ऋण	बकाया मीयादी ऋण
1	2	3	4
2016-17	23.37	3,851.89	498.13
2017-18*	23.53	3,911.34	419.80

*: अनंतिम।

स्रोत: सरकारी क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक।

सारणी IV.4: प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत उपाय

(संख्या मिलियन में, राशि ₹ बिलियन में)

वर्ष	ऋण पुनर्चना/ पुनर्निर्धारण		नए वित्त/ प्रदत्त पुनर्वित्त	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
2017-18*	0.10	11.88	0.48	13.68

*: अनंतिम
स्रोत: राज्य स्तरीय बैंकर्स कमिटी (एसएलबीसी)।

प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत उपाय

IV.12 समय-समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं देश के कुछ हिस्सों में मानव जीवन और संपत्ति एवं खड़ी फसलों को व्यापक क्षति पहुंचाने का कारण बनती हैं। ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले विनाश से निपटने में सभी एजेंसियों (बैंकों सहित) द्वारा बड़े पैमाने पर पुनर्वास प्रयासों की आवश्यकता होती है। 2017-18 के दौरान, पांच राज्यों, यथा- आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात ने प्राकृतिक आपदा की घोषणा की। बैंकों द्वारा दिए गए राहत उपायों के संबंध में डेटा रखने के लिए अलग से एक पोर्टल विकसित किया गया था (सारणी IV.4)।

सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) में ऋण उपलब्धता

IV.13 एमएसएमई को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपाय और पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों के परिणामस्वरूप एमएसई को उपलब्ध कराए गए ऋण में वृद्धि हुई है (सारणी IV.5)।

प्रमाणित ऋण परामर्शदाता (सीसीसी) योजना

IV.14 वर्ष 2016-17 के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में 05 अप्रैल 2016 को की गयी घोषणा के अनुसरण में

सारणी IV.5: एमएसई को क्रेडिट प्रवाह

वर्ष	खातों की संख्या (मिलियन)	बकाया राशि (₹ बिलियन)	एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में एमएसई क्रेडिट
1	2	3	4
2016-17	23.2	10,701.3	14.3
2017-18	25.9	11,493.5	14.6

स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र विवरणी।

ऋण परामर्शदाताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा एक फ्रेमवर्क तैयार करके सिडबी को दिया गया था, जिसके बाद सिडबी ने जुलाई 2017 में प्रमाणित ऋण परामर्शदाता (सीसीसी) योजना की शुरुआत की। सीसीसी के पंजीयक प्राधिकरण की भूमिका निभाते हुए सिडबी ने इस योजना के परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए (विवरण <https://udyamimitra.in/Home/CCC> पर उपलब्ध है)। सीसीसी से यह अपेक्षित है कि कारोबार-प्रस्ताव और वित्तीय दस्तावेज/विवरणियाँ तैयार करने में एमएसएमई को सलाह दे। सीसीसी बाजार में उपलब्ध उचित क्रेडिट माध्यमों/उत्पादों की भी जानकारी एमएसएमई को साझा करेंगे। जागरूकता और अधिक बढ़ाने के लिए, रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सलाह दी है कि वे अपने क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारियों/इससे जुड़े अधिकारियों को इस योजना का जानकार बनाएँ। 30 जून 2018 तक, सिडबी में 512 क्रेडिट परामर्शदात्री संस्थाएं और 13 प्रमाणित क्रेडिट परामर्शदाता पंजीकृत हुए हैं।

IV.15 पिछले पाँच दशकों में कई चुनौतियों का सामना करते हुए एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। इस क्षेत्र ने रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने और निर्यात को बढ़ाने में ही नहीं बल्कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है जिससे क्षेत्रीय स्तर पर सामाजिक-आर्थिक असंतुलन घटा है। एमएसएमई को सहायक इकाई के रूप में, बड़े उद्योगों का पूरक माना गया है। एमएसएमई क्षेत्र में हो रही कठिनाइयों का मूल्यांकन करने के लिए उपलब्ध सीमित आंकड़ों को देखते हुए रिजर्व बैंक द्वारा एक व्यापक सर्वेक्षण कराया गया और जनवरी-फरवरी 2018 के दौरान विभिन्न राज्यों से 2355 एमएसएमई तथा बैंकों की 1790 शाखाओं से फीडबैक यह परीक्षण करने के लिए लिया गया कि (क) क्या एमएसएमई को क्रेडिट की उपलब्धता आपूर्ति पक्ष के मुकाबले मांग पक्ष के प्रति अनुकूलित थी, तथा (ख) एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में विभिन्न सरकारी योजनाएँ कितनी प्रभावी रहीं। बॉक्स IV.1 में सर्वेक्षण के आंकड़ों का अनुभवजन्य विश्लेषण उपलब्ध है ताकि औपचारिक वित्त तक एमएसएमई

बॉक्स IV.1

एमएसएमई की औपचारिक वित्त तक पहुँच: कतिपय मूल्यांकन

विश्वभर में छोटी राशि के ऋणों पर आ रही उच्च लेन-देन लागत और जानकारी की असमानता के कारण सूक्ष्म और छोटी फ़र्मों औपचारिक वित्त प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करती हैं। महत्वपूर्ण विषय होने के बावजूद, भारत के संदर्भ में छोटी फ़र्मों की औपचारिक वित्त तक पहुँच को निर्धारित करने वाले कारकों को समझने के बहुत कम प्रयास (यथा, ईस्टवूड और कोहली 1999, कोहली 1997 तथा नीकाइडो और अन्य, 2015) हुए हैं। रिजर्व बैंक द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के डेटा के आधार पर, लॉजिट मॉडल की मदद से एमएसएमई फ़र्म की औपचारिक वित्त के स्रोत तक पहुँच की संभाव्यता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। एमएसएमई द्वारा औपचारिक क्षेत्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत बताने पर निर्भर चर का मान 1 लिया गया है, अन्यथा इसे 0 लिया गया है। स्वतंत्र चर के दो समुच्चयों - फ़र्म विशिष्ट और स्वामित्व विशिष्ट - का उपयोग किया गया है। स्वामित्व विशिष्ट चर आयु प्रोफ़ाइल, सामाजिक समूह, धर्म, लिंग और शिक्षा हैं। फ़र्म विशिष्ट कारक फ़र्म की आयु, क्रियाकलाप, कार्मिकों की संख्या, वार्षिक टर्नओवर, तथा फ़र्म का आकार हैं। लॉजिट विश्लेषण के परिणाम नीचे (सारणी 1) में दिए गए हैं।

इस प्रकार यदि एक फ़र्म 5 वर्षों से अधिक परिचालन में है तो वित्त पोषण के मुख्य स्रोत के रूप में इसके पास औपचारिक वित्त होने की संभावना काफी कम है। यह एमएसएमई फ़र्म के जीवनचक्र के कारण भी हो सकता है क्योंकि प्रारंभिक वर्षों में पूंजी लागत की आवश्यकता काफी अधिक होती है। यह एमएसएमई फ़र्मों का परिचालन आरंभ होने के बाद उसे और बढ़ाने के अभाव को भी दर्शाता है। इसके अलावा, विनिर्माण की तुलना में सेवा क्षेत्र एमएसएमई की फ़र्मों के पास मुख्य स्रोत के रूप में औपचारिक निधीयन होने की अधिक संभावना है। लघु एमएसएमई, जिनका टर्नओवर 10 लाख से कम है, की तुलना में बड़े आकार की फ़र्मों के पास सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में औपचारिक निधीयन होने की अधिक संभावना पाई गई। सूक्ष्म और लघु फ़र्मों की अपेक्षा मध्यम आकार की फ़र्मों के पास वित्तपोषण तक औपचारिक पहुँच होने की ज्यादा संभावना है।

स्वामित्व-विशिष्ट चरों के संबंध में यह पाया गया है कि कम उम्र के मालिकों की अपेक्षा अधिक उम्र वाले मालिकों में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में औपचारिक निधीयन तक पहुँच ज्यादा होती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में औपचारिक स्रोत तक पहुँचने की संभावना के प्रति ज्यादा पढ़ा-लिखा होना बहुत मायने नहीं रखता। इसके बजाय यह पाया

संदर्भ:

1. ईस्टवुड, आर. एंड कोहली, आर. (1999), 'डाइरेक्टेड क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट इन स्माल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया: एविडेंस फ़्रॉम फ़र्म लेवल डाटा 1965-78', द जर्नल ऑफ़ डेवलपमेंट स्टडीज, 35 (4), 42-63
2. कोहली, आर. (1997), 'क्रेडिट अवेलिबिलिटी एंड स्माल फ़र्म: ए प्राबिट एनालिसिस ऑफ़ पेनल डाटा', रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ओकेजनल पेपर्स 18, नं. 1। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया, मुंबई
3. नीकाइडो, वाई., पायस, जे., एंड शर्मा, एम. (2015) 'वाट हिंडर्स एंड वाट एनहेंसेज स्माल इंटरप्राइजेसेस एक्सेस टू फ़ार्मल क्रेडिट इन इंडिया?', रिव्यू ऑफ़ डेवलपमेंट फाइनेंस, 5 (1), 43-52

गया है कि प्रशिक्षण में भाग लेने से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में औपचारिक स्रोत तक पहुँचने के अवसर महत्वपूर्ण रूप से बढ़ जाते हैं। इससे इस विचार को सहयोग मिलता है कि एमएसएमई क्षेत्र में क्रेडिट प्रवाह बढ़ाने के लिए उद्यमियों के शिक्षा स्तर की तुलना में प्रशिक्षण देना एक महत्वपूर्ण उपाय है।

सारणी 1: अनुभवाश्रित परिणाम

चर /श्रेणी		बाधा अनुपात
फ़र्म की उम्र (आधार ≤ 5 वर्ष)	5-10 वर्ष	0.587***
	>10 वर्ष	0.775*
फ़र्म का क्रियाकलाप (आधार-विनिर्माण)	सेवा	1.444**
	दोनों	4.056**
कार्मिकों की संख्या (आधार <10)	10-20	1.191
	20-50	1.431*
	51-100	1.791
	>100	0.938
वार्षिक टर्नओवर (आधार<10 लाख)	10-50 लाख	4.369***
	50-100 लाख	6.737***
	100-500 लाख	8.467***
	500-1000 लाख	11.808***
	1000-5000 लाख	15.376***
	>5000 लाख	15.577***
प्रशिक्षण सहभागिता (आधार-नहीं) आकार (आधार -सूक्ष्म)	हाँ	3.131***
	छोटा	1.264
	मध्यम	1.708*
उम्र (आधार 18-25 वर्ष)	26-49	2.402**
	50-65	3.624***
	>66	2.493**
सामाजिक समूह (आधार -सामान्य)	अजा	0.969
	अजजा	0.474**
	अन्य पिछड़ा वर्ग	1.391**
धर्म (आधार-हिंदू)	ईसाई	0.780
	मुस्लिम	1.957**
	अन्य	2.147***
लिंग (आधार-पुरुष)	महिला	1.086
	प्राथमिक	0.466
शिक्षा (आधार-अनपढ़)	माध्यमिक	1.232*
	हाई स्कूल और	1.329
	जूनियर कॉलेज	
	स्नातक और आगे	1.415
एलआर कार्ड ² (31) = 705.03	आभासी आर ² = 0.2508	

***: 1% होने पर महत्वपूर्ण; **: 5% होने पर महत्वपूर्ण;

*: 10% होने पर महत्वपूर्ण।

स्रोत: भा.रि.बैं. स्टाफ अनुमान

की पहुँच में विभिन्न फ़र्म और स्वामित्व विशिष्ट विशेषताओं के प्रभाव का विश्लेषण हो।

वित्तीय समावेशन

IV.16 रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान वित्तीय समावेशन कार्ययोजना को पूरा करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा। इस उद्देश्य से वर्ष 2017-18 के दौरान कई नए प्रयास किए गए।

अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) को नया रूप देना

IV.17 जिलों/राज्यों का आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एलबीएस आरंभ की गई थी। वित्तीय क्षेत्र में विगत वर्षों में आए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने इस योजना की प्रभावोत्पादकता का अध्ययन करने और इसमें सुधार लाने के लिए उपाय सुझाने हेतु बैंक के कार्यपालक निदेशकों की एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों पर विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया और उनके फीडबैक के आधार पर निर्णय लिया गया कि इस योजना में बदलाव किए जाएं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ये बातें भी शामिल होंगी: नीतिगत और परिचालनगत मुद्दों को अलग-अलग करके राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) की कार्यप्रणाली को सरल और कारगर बनाना जिसमें परिचालनगत मुद्दों को विशिष्ट उप समितियां देखेंगी और एक संचालन उप-समिति एसएलबीसी के लिए प्राथमिक कार्ययोजना मर्दों पर निर्णय लेगी; सभी सहभागी बैंकों के संबंधित सीबीएस के माध्यम से डाटा का सीधे संग्रहण सहित एसएलबीसी की वेबसाइटों के प्रबंधन के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण और एसएलबीसी बैठकों के लिए संशोधित कार्ययोजना जिसमें बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों (यूआरसी) में सीबीएस युक्त बैंकिंग आउटलेट की स्थापना करने पर अधिक ध्यान देते हुए समीक्षाएं की जाएं; बीसी के परिचालन; कनेक्टिविटी सहित भुगतान के डिजिटल माध्यम; प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी); वित्तीय साक्षरता की दिशा में पहल; भू-अभिलेखों का डिजिटल इजेशन; और ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर/क्रेडिट अवशोषण क्षमता को सुधारने पर चर्चा।

अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत लघु वित्त बैंक (एसएफबी)

IV.18 वित्तीय वर्ष 2018-19 से अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत एसएफबी से अपेक्षित है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में एलबीएस के तहत विभिन्न फोरमों में नियमित सदस्यों के रूप में सहभागिता करें यथा- एसएलबीसी, जिला परामर्श समिति (डीसीसी)/ जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) व ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति (बीएलबीसी) और वे क्रेडिट आयोजना गतिविधियों का एक हिस्सा भी बनें।

अग्रणी बैंकों को दायित्व सौंपना

IV.19 एलबीएस के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक बैंक को अग्रणी बैंक का दायित्व दिया जाता है और वह उस जिले के बैंकों के प्रयासों का समन्वयन करने के लिए कन्सोर्शियम के नेता की भूमिका निभाता है, विशेषरूप से शाखाओं का विस्तार करने और जिले की क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रेडिट आयोजना तैयार करने के मामलों में। प्रत्येक जिले में नामित बैंक को अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपने का कार्य रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है। जून 2018 की स्थिति के अनुसार संपूर्ण देश में 714 जिलों में 20 सरकारी क्षेत्र के बैंकों और 1 निजी क्षेत्र के बैंक को अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपा गया है।

वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति

IV.20 वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति 2015 (अध्यक्ष: श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक) का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मध्यम अवधि में सुस्थिर समावेशी मार्ग पर आगे बढ़ाना था। समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को प्रभावी क्रेडिट वितरण संबंधी प्रणाली के सुदृढीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। 2017-18 में क्रियान्वित समिति की कुछ मुख्य सिफारिशें हैं: (क) बीसी रजिस्ट्री पोर्टल आरंभ किया गया ताकि घरेलू एससीबी, आरआरबी को छोड़कर, उनके द्वारा नियुक्त किए गए बीसी से संबंधित डाटा को अपलोड कर सकें। इसके

बाद, डाटाबेस सुस्थापित करने के पश्चात जनता को बीसी ट्रेकर उपयोग करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी; (ख) बीसी के लिए एक बुनियादी प्रमाणन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। पाठ्यक्रम का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कार्य भी कराया जा रहा है; और (ग) एमएसएमई के लिए 2017-18 के दौरान आरंभ की गई प्रमाणित ऋण परामर्शदाता योजना, सूचना के अंतराल को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकती है और इसलिए इसकी मदद से बैंक बेहतर क्रेडिट निर्णय ले सकेंगे।

वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी)

IV.21 वित्तीय समावेशन के लिए सुनियोजित और संरचनाबद्ध दृष्टिकोण रखने के लिए बैंकों को सलाह दी गई है कि वे बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजनाएं (एफआईपी) तैयार करें। ये एफआईपी बैंक की उपलब्धियों को कुछ मानदंडों पर प्रदर्शित करती हैं जिनमें शामिल हैं, आउटलेट की संख्या (शाखाएं और बीसी), बेसिक बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए), इन खातों में

ली गई ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, किसान क्रेडिट कार्ड और जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) खातों के माध्यम से लेनदेन और बीसी-आईसीटी चैनल के माध्यम से लेनदेन। मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार इन मानदंडों पर हुई प्रगति बैंकों द्वारा यथासूचित की रिपोर्ट सारणी IV.6 में दी गई है।

बैंकिंग सेवाओं की परिव्याप्ति

IV.22 देश के बैंकिंग सुविधा रहित गांवों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के प्रयोग और मध्यस्थों के कारण ही किफायती कीमतों पर बैंकिंग सेवाओं की व्यापक स्तर पर पहुंच संभव हो पाई है। 18 मई 2017 को शाखा प्राधिकरण नीति पर संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर 'बैंकिंग आउटलेट' पर स्पष्टीकरण देते हुए एसएलबीसी आयोजक बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऐसे गांवों में, जिनकी जनसंख्या 2000 से कम

सारणी IV.6: वित्तीय समावेशन योजना: (एफआईपी) प्रगति रिपोर्ट

विवरण	अंत-मार्च 2010	अंत-मार्च 2017	अंत-मार्च 2018**
1	2	3	4
गांवों में बैंकिंग आउटलेट - शाखाएँ	33,378	50,860	50,805
गांवों में बैंकिंग आउटलेट >2000 - बैंक मित्र	8,390	1,05,402	1,00,802
गांवों में बैंकिंग आउटलेट <2000 - बैंक मित्र	25,784	4,38,070	4,14,515
गांवों में कुल बैंकिंग आउटलेट - बैंक मित्र	34,174	5,43,472	5,15,317
गांवों में बैंकिंग आउटलेट - अन्य माध्यम	142	3,761	3,425
गांवों में बैंकिंग आउटलेट - कुल	67,694	5,98,093	5,69,547
बैंक मित्र द्वारा कवर किया गया शहरी स्थान	447	1,02,865	1,42,959
बीएसबीडीए - शाखाओं द्वारा (संख्या मिलियन में)	60	254	247
बीएसबीडीए - शाखाओं द्वारा (राशि ₹ बिलियन में)	44	691	731
बीएसबीडीए - बैंक मित्र द्वारा (संख्या मिलियन में)	13	280	289
बीएसबीडीए - बैंक मित्र द्वारा (राशि ₹ बिलियन में)	11	285	391
बीएसबीडीए - कुल (संख्या मिलियन में)	73	533	536
बीएसबीडीए - कुल (राशि बिलियन में)	55	977	1,121
बीएसबीडीए में लिया गया ओवरड्राफ्ट सुविधा (संख्या मिलियन में)	0.2	9	6
बीएसबीडीए में लिया गया ओवरड्राफ्ट सुविधा (राशि ₹ बिलियन में)	0.1	17	4
केसीसी - कुल (संख्या मिलियन में)	24	46	46
केसीसी - कुल (राशि ₹ बिलियन में)	1,240	5,805	6,096
जीसीसी - कुल (संख्या मिलियन में)	1	13	12
जीसीसी - कुल (राशि ₹ बिलियन में)	35	2,117	1,498
आईटीसी - खाता - बैंक मित्र - अंतरण की कुल संख्या (संख्या मिलियन में)	27	1,159	1,489
आईटीसी - खाता - बैंक मित्र - अंतरण की कुल संख्या (राशि ₹ बिलियन में)	7	2,652	4,292

**: अंतिम।

स्रोत: बैंकों की रिपोर्ट के अनुसार।

हैं और जो अभी तक बैंक सुविधा रहित हैं, सीबीएस सुविधायुक्त बैंकिंग आउटलेट या अंशकालिक बैंकिंग आउटलेट खोलें।

IV.23 शाखा प्राधिकरण नीति पर दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान खोले गए बैंकिंग आउटलेट में से न्यूनतम 25 प्रतिशत आउटलेट्स बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों (यूआरसी) (अर्थात् टियर 5 और 6 केंद्र) में खोलना अनिवार्य है। एसएलबीसी आयोजक बैंकों को सूचित किया गया था कि यूआरसी में नए बैंकिंग आउटलेट खोलते समय बैंक ऐसे यूआरसी को प्राथमिकता दें जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक हो (अर्थात् टियर 5 केंद्र)। ऐसा करने के लिए बैंकों की सुविधा हेतु एसएलबीसी को यह भी सूचित किया गया है कि राज्य के सभी यूआरसी की समेकित और अद्यतन की गई सूची बनाकर रखें और एसएलबीसी बैठकों में इस संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा करें।

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति

IV.24 देश में धारणीय वित्तीय समावेशन को व्यवस्थित तरीके से बढ़ाने के लिए एफआईएसी के तत्वावधान में वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि रिजर्व बैंक की वित्तीय समावेशन नीतियों, सरकार के जन-धन कार्यक्रम और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही प्रगति को और गति मिल सके।

IV.25 जनसंख्या के अल्पसेवा प्राप्त और सेवारहित वर्गों तक वित्तीय समावेशन पहुंचाने में अब तक हुई प्रगति का विहंगावलोकन करवाने के अलावा यह दस्तावेज उन प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों की भी विवेचना करेगा जो देश में वित्तीय समावेशन के लिए बाधक हैं। विभिन्न देशों के विश्लेषण के आधार पर यह दस्तावेज समस्त जनता के लिए उपयोग में आसान, किफायती और उचित वित्तीय सेवाओं के प्रावधान द्वारा देश में सतत वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान और मिशन प्रदान करेगा।

IV.26 वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण फ्रेमवर्क के बीच अंतर-संबद्धता की बढ़ती समझ के साथ

दस्तावेज में निम्न कार्यनीतिक स्तंभों का अभिनिर्धारण किया गया है: (क) आवश्यक एक्सेस प्वाइंट और कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देश में समुचित भौतिक और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करना; (ख) उपयुक्त विनियामकीय फ्रेमवर्क डिजाइन करना जो वित्तीय क्षेत्र में नवोन्मेष और जोखिमों को संतुलित करके वित्तीय सेवा प्रदाताओं को सक्षम बनाए ताकि वे नवोन्मेषी तरीकों से वित्तीय सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करें; (ग) विभिन्न लक्ष्य समूहों के बीच बढ़ती वित्तीय जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करना ताकि संभावित ग्राहकों और नए ग्राहकों को उपयुक्त विकल्प चुनने में सक्षम बनाया जा सके; (घ) ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सशक्त शिकायत निवारण तंत्र और समय पर उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए उचित व्यवस्था करना (ङ) वित्तीय समावेशन की सीमा और मुद्दों का बारीकी से आंकलन करने के लिए उपयुक्त वैज्ञानिक मूल्यांकन उपकरण डिजाइन करना; और (च) समस्त संबंधित हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय तंत्र को बढ़ावा देना।

वित्तीय साक्षरता

IV.27 रिजर्व बैंक की वित्तीय समावेशन पहल को प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है। 2017-18 के दौरान इस दिशा में कई नई पहलें की गयीं।

वित्तीय साक्षरता के लिए अभिनव दृष्टिकोण

IV.28 वित्तीय साक्षरता के लिए अभिनव और सहभागितापूर्ण दृष्टिकोणों का विकास करने के लिए, रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2017 में 9 राज्यों के 80 ब्लॉकों में ब्लॉक स्तरीय वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना को वर्तमान में 10 प्रायोजक बैंकों के समन्वय में 6 गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना के निष्पादन में एनजीओ द्वारा अपनाई गई कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं और अभिनव तरीकों को बॉक्स IV.2 में दर्शाया गया है।

IV.29 वित्तीय साक्षरता शिविरों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, एफएलसी और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को यह सुझाव दिया गया है कि वे वित्तीय जागरूकता संदेशों पर ऑडियो-

बॉक्स IV.2

वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) पर प्रायोगिक परियोजना

समुदायों की वित्तीय क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए हब-एंड-स्पोक दृष्टिकोण अपनाया गया है जहां सीएफएल सीखने और प्रशिक्षण केंद्र के लिए हब का काम करते हैं, जिससे ब्लॉक के समुदायों में से प्रशिक्षित मानव संसाधन सृजित होते हैं। तदुपरांत ये प्रशिक्षित मानव संसाधन अपने समुदायों के बीच स्पोक के रूप में काम करते हैं।

एनजीओ कम आय वाले लोगों के बीच उनकी वित्तीय क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। प्रशिक्षक और सामुदायिक वित्तीय स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा समुदाय के लोगों से जुड़कर वित्तीय शिक्षा दी जाती है। उक्त समुदाय में से ही अच्छे संप्रेषण कौशल वाले लोगों में से *आंगनवाड़ी शिक्षिकाओं, आशा कर्मचारी* और स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधियों को भर्ती किया जाता है। प्रशिक्षण के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उनमें पीयर लर्निंग तथा सहभागिता से अध्ययन विधियां प्रमुख हैं।

पहले जन जागरूकता अभियान के तहत एक गांव से 100 लोगों को जागरूक बनाने का लक्ष्य रखा जाता है। इसके बाद, इच्छुक प्रतिभागियों को 25-25 के समूह में बांट कर उनके लिए 3 दिवसीय संकेन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

किए जाते हैं जिसकी अवधि लगभग 3-4 घंटे प्रतिदिन होती है। इस सुदृढ़ीकरण के माध्यम से प्रतिभागियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है जिससे उनको उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का चयन करने में मदद मिलती है।

पहले चरण में, प्रभाव डालने वाले जैसे स्वयं सहायता समूह के सदस्य, किसान संघ, पंचायती राज संस्थाएं और स्वास्थ्य कर्मियों की पहचान की गई है और उन्हें "चेंज एजेंट्स - सीए" के रूप में नामित किया गया है। फिर इनको ज्ञान और व्यवहार में वांछित परिवर्तनों से युक्त बनाने के लिए कई और बार-बार दोहराए गए साक्षरता सत्रों की श्रृंखला से पोषित किया जाता है।

विधिवत डिजाइन किए गए डिजिटल रूप से सुसज्जित वाहन का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि अशिक्षित लोग और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोग, दोनों समूहों तक पहुंचा जा सके। इस डिजिटल वित्तीय साक्षरता वाहन में वित्तीय साक्षरता सामग्री, ऑडियो / वीडियो (पावर प्वाइंट, डेमो उपकरण इत्यादि) को रखा जाता है और इसका प्रबंधन ब्लॉक सलाहकार द्वारा किया जाता है।

विजुअल और पोस्टर दिखाने के लिए हैंड-हेल्ड प्रोजेक्टरों का उपयोग करें। हैंड-हेल्ड प्रोजेक्टर और स्पीकर के लिए प्रतिपूर्ति वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) से कुल लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक प्रदान की जाती है, जिसकी राशि प्रति ग्रामीण शाखा / एफएलसी के लिए अधिकतम ₹5,000/- हो सकती है।

IV.30 वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा समर्थित राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) ने रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय जागरूकता संदेशों पर ऑडियो विजुअल तैयार किए हैं जैसे कि (क) केवाईसी मानदंडों के तहत पता प्रमाण घोषणा, (ख) बीसी का उपयोग (ग) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली (एनईएफटी / आरटीजीएस) (घ) फर्जी ईमेल / कॉल और पॉजी योजनाओं का शिकार होने से बचाव (ड.) 'भीम' के माध्यम से एकीकृत भुगतान इंटरफेस का उपयोग करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी, और (च) डिजिटल और नकद रहित लेनदेन के विभिन्न तरीकों के बारे में जानकारी। वित्तीय साक्षरता हेतु आयोजित शिविरों में ऑडियो-विजुअल का उपयोग करने के लिए एफएलसी और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को सलाह दी गई थी।

वित्तीय शिक्षा पर आरबीआई-ओईसीडी का विश्वस्तरीय सिंपोजियम

IV.31 नई दिल्ली में दिनांक 8-9 नवंबर, 2017 के दौरान वित्तीय शिक्षा पर आरबीआई-ओईसीडी उच्च स्तरीय वैश्विक सिंपोजियम का आयोजन रिजर्व बैंक और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के परस्पर सहयोग से किया गया। सिंपोजियम में, बदलते वित्तीय परिदृश्य में प्रभावी वित्तीय साक्षरता नीतियों को लागू करने पर विचारोत्तेजक चर्चाएं हुईं और समाधान सुझाए गए और डिजिटल युग में वित्तीय साक्षरता पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इस दो दिवसीय आयोजन में 40 देशों के दो सौ चालीस उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें वित्तीय शिक्षा पर ओईसीडी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क (ओईसीडी / आईएनएफई), वित्त और शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय बैंक, विनियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय संगठन, अकादमिक, निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों से अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल थे। सम्मेलन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित रहे - (क) देशों ने इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन अपनी राष्ट्रीय नीतियों और उनके परिणामों में करना शुरू कर दिया है; (ख) उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल वित्तीय सेवाओं

के माध्यम से ऋण तक पहुंच आसान हुई है लेकिन वे अपनी वित्तीय स्थिति पर पुनर्भुगतान के प्रभाव को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हैं; (ग) वित्तीय सेवाओं की डिजिटल सुपुर्दगी से वृद्धि और डिजिटल जानकारी न रखने वाले व्यक्तियों जैसे वित्तीय और सामाजिक गैर समावेशन के कई समूह उत्पन्न हो रहे हैं। (घ) डिजिटल उपाय विशेष रूप से युवा श्रोताओं के लिए अधिक आकर्षक वित्तीय शिक्षा विकसित करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं; (ङ) प्रभावी और उपयुक्त नीतियां और प्रथाएं विकसित करने के लिए जनता की वित्तीय साक्षरता के स्तर का प्रमाण होना अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है; और (च) देश नए और मौजूदा निवेशकों की सहायता के लिए व्यावसायिक परामर्श और कार्यस्थल पर पहल को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को पहचान रहे हैं।

वित्तीय साक्षरता सप्ताह: 2018

IV.32 भारतीय रिजर्व बैंक ने 2017 से प्रमुख विषयों पर प्रत्येक वर्ष बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष में एक सप्ताह 'वित्तीय साक्षरता सप्ताह' के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस साल, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 4-8 जून 2018 के दौरान 'ग्राहक संरक्षण' विषय पर मनाया गया। उक्त सप्ताह, चार उपभोक्ता संरक्षण संदेशों पर केंद्रित था, यथा, "अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में अपनी जिम्मेदारी पहचानें", "बैंकिंग लोकपाल", "सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग अनुभव के लिए

अच्छी प्रथाएं" और "जोखिम बनाम प्रतिलाभ"। सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियों में बैंक शाखाओं, एटीएम, बैंक वेबसाइटों पर वित्तीय साक्षरता सामग्री का प्रदर्शन करना और एफएलसी द्वारा शिविरों का आयोजन शामिल था।

IV.33 मार्च 2018 के अंत तक देश में 1,395 एफएलसी परिचालनरत थे। पिछले वर्ष के दौरान चलायी गयी 96,315 गतिविधियों की तुलना में, मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान एफएलसी द्वारा 1,29,280 वित्तीय साक्षरता संबंधी गतिविधियां चलाई गयीं।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

IV.34 इसके अतिरिक्त, प्रभावोत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक ऋण-वितरण और वित्तीय समावेशन के लिए निम्नलिखित कदम उठाएगा : (क) काश्तकारों के लिए ऋण वितरण ढांचा तैयार करना; (ख) बैंकों के सीबीएस से स्वचालित और समय पर प्राप्त करने के लिए एडीईपीटी के साथ वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) डेटा का एकीकरण करना; (ग) एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा प्रायोगिक सीएफएल परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन करना और (घ) "प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करें" कार्यक्रम के माध्यम से कारोबार प्रतिनिधि की क्षमताओं में विकास कर बीसी मॉडल को मजबूत करना।

वर्ष 2017-18 के दौरान रिज़र्व बैंक ने वित्तीय बाजारों के विभिन्न खंडों को मजबूत बनाने के लिए सम्मिलित प्रयास किए हैं। रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति के माध्यम से दिए गए संकेत को अधिक कारगर रूप से अमल में लाने के उद्देश्य से नीतिगत दरों के मुताबिक मुद्रा बाजार की दरों में बेहतर समरूपता सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में निरंतर बनी रही अतिरिक्त चलनिधि के अवशोषण हेतु विविध प्रकार की लिखतों का उपयोग किया है। रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में सुव्यवस्थित स्थिति बनाए रखने के लिए ओवर द काउंटर (ओटीसी) तथा एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी), दोनों पर अपना नियंत्रण रखा है। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा लेनदेनों की प्रभावी निगरानी के लिए व्यवस्था करते हुए विनियमों को और तर्कसंगत बनाया गया ताकि निधियों के सीमा पार प्रवाह में सुविधा हो सके।

V.1 रिज़र्व बैंक ने तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था की बढ़ती वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय बाजारों के विकास के लिए हमेशा प्रयास किया है। बैंक ने बाजार के प्रतिभागियों के परिचालनात्मक लचीलेपन को बढ़ाने के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान कई निर्देश/ परिपत्र जारी किए हैं। साथ ही, बैंक ने वित्तीय प्रणाली में निरंतर बनी रही अतिरिक्त चलनिधि की स्थिति को संभालने के लिए चलनिधि प्रबंधन के कई साधन प्रयोग में लाए। बैंक ने अत्यधिक उतार-चढ़ाव को संभालने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार के ओटीसी तथा ईटीसीडी, दोनों खंडों में हस्तक्षेप किया। सीमा-पार के निधि प्रवाहों को सहज बनाने की दृष्टि से इन लेनदेनों की निगरानी के लिए एक मजबूत रिपोर्टिंग ढांचा बनाए रखते हुए वर्ष के दौरान विनियमों, विशेष रूप से विदेशी निवेश, सीमा-पार के विलयन और अधिग्रहण, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), भारत में अचल संपत्ति के अधिग्रहण और अंतरण को तर्कसंगत बनाया गया।

वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी)

V.2 वित्तीय बाजार विनियमन विभाग को मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक), विदेशी मुद्रा और संबंधित डेरिवेटिव बाजारों के विकास, विनियमन एवं निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। विभाग ने 2017-18 के दौरान वित्तीय बाजार, घरेलू और विदेशी, दोनों में सहभागिता को बढ़ाने, प्रतिभागियों के लिए पहुँच एवं लेनदेन संबंधी मानदंडों को आसान करने, उत्पादों के

प्रकारों को बढ़ाने, वित्तीय बाजार के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने तथा बाजार अनुशासन को बनाए रखने के उद्देश्य से कई उपाय शुरू किए।

2017-18 के लिए कार्य योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

V.3 व्यापारिक लेनदेनों के इन्वॉइस भारतीय रुपयों (आईएनआर) में बनाने को बढ़ावा देने के साथ ही अनिवासियों को ऑनशोर भारतीय रुपया जोखिमों को हेज करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मार्च 2017 में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनिवासी केंद्रीकृत कोषागारों को उनकी भारतीय सहयोगी कंपनियों के लेनदेनों पर भारतीय रुपया जोखिम को हेज करने की अनुमति दी गयी थी। अक्टूबर 2017 में इस सुविधा के दायरे को बढ़ाया गया जिसके लिए निवासियों के साथ भारतीय रुपये में इन्वॉइस किए गए व्यापारिक लेनदेन करने वाले अनिवासी आयातकों एवं निर्यातकों (एनआरआई) को अपने भारतीय रुपये के एक्सपोजर को उनके केंद्रीकृत कोषागारों / सामूहिक संस्थाओं के माध्यम से हेज करने की अनुमति दी गयी।

V.4 मुद्रा हेजिंग कार्यकलाप की परिचालनगत जटिलता को नवंबर 2017 में शुरू की गई एक नई सरलीकृत हेजिंग सुविधा के माध्यम से सुलझाने के प्रयास भी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत निवासी और अनिवासी, दोनों, किसी चालू एवं पूंजी खाता लेनदेन को लेकर विनिमय दर जोखिम को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, (फेमा) 1999 के तहत अनुमेय किसी भी उत्पाद के साथ हेज कर सकते हैं। साथ ही, एक्सपोजर सिद्ध करने को

लेकर दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करने की आवश्यकता को हटा दिया गया। इसके अलावा, हेज संविदाओं को रद्द करने एवं पुनः दर्ज करने को लेकर अधिकांश प्रतिबंधों को हटाने के फलस्वरूप संस्थाएं मुक्त रूप से डाइनेमिक हेजिंग का सहारा ले सकीं।

V.5 फरवरी 2018 में, भारत में निवासी व्यक्तियों तथा विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) को अंतर्निहित एक्सपोजर के अस्तित्व को सिद्ध किए बिना सभी करेन्सी पेयर्स, जिनमें भारतीय रुपए शामिल हैं, को जोड़कर और सभी एक्सचेंजों में संयुक्त रूप से मिलाकर 100 मिलियन अमेरिकी डालर के समतुल्य एकल सीमा तक पोज़ीशन (लॉन्ग तथा शॉर्ट) लेने की अनुमति दी गयी। इसके पूर्व यह सीमा अमेरिकी डालर-आईएनआर में पोज़ीशन के लिए प्रति एक्सचेंज 15 मिलियन अमेरिकी डालर और ईयूआर (अर्थात्, यूरो)-आईएनआर, जीबीपी (अर्थात्, ग्रेट ब्रिटन पाउंड)-आईएनआर तथा जेपीवाई (अर्थात्, जापानी येन)-आईएनआर के पेयर्स में पोज़ीशन के लिए, सभी को मिलाकर, प्रति एक्सचेंज 5 मिलियन अमेरिकी डालर के समतुल्य थी।

V.6 रिजर्व बैंक ने एफपीआई को 16 नवंबर 2017 को ओटीसी जी-सेक लेनदेन या तो टी+1 अथवा टी+2 आधार पर पूरा करने की अनुमति दी। इस उपाय से शॉर्ट स्क्वीज़ के दिनों में बाजार के दबाव को कम किया जा सकेगा।

V.7 जी-सेक बाजार में चलनिधि में सुधार लाने तथा शॉर्ट स्क्वीज़ का समाधान करने की दृष्टि से नवंबर 2017 में अनुमानित अधिविक्रय के लिए अनुमति दी गयी, परिणामस्वरूप बाजार प्रतिभागियों के लिए रिपो बाजार में प्रतिभूतियां उधार लेना अनिवार्य नहीं रहा। बाजार दबाव की अपवादात्मक परिस्थितियों में अनुमानित अधिविक्रय करने वाली संस्थाओं को अपने परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)/ बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)/व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) संविभागों से प्रतिभूतियां सुपुर्द करने की अनुमति दी गयी।

V.8 ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) के विकास को और सुविधाजनक बनाने के लिए मार्च 2018 में एफपीआई को आईआरएफ में लॉन्ग पोज़ीशन लेने के लिए ₹50 बिलियन की

अलग सीमा प्रारंभ की गयी। एफपीआई द्वारा जी-सेक में निवेश के लिए निर्धारित की गयी वर्तमान सीमाएं (वर्तमान में ₹2,860 बिलियन) पूर्ण रूप से जी-सेक में निवेश के लिए उपलब्ध होंगी।

V.9 फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) एक स्वतंत्र फाइनेंशियल बेंचमार्क ऐडमिनिस्ट्रेटर है जिसके द्वारा रिजर्व बैंक के अनुमोदन से वर्ष के दौरान पांच नए बेंचमार्क लागू किए गए, अर्थात्, खजाना बिल (टी-बिल) दर, जमा प्रमाणपत्र (सीडी) कर्व, बाजार रिपो एकदिवसीय दर (एमआरओआर), मुंबई अंतर-बैंक वायदा प्रस्ताव दर (एमआईएफओआर) तथा मुंबई अंतर-बैंक एक दिवसीय सूचीबद्ध स्वैप (एमआईओआईएस) दर। रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए अनुसार एफबीआईएल ने 31 मार्च 2018 से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों तथा राज्य विकास ऋणों (एसडीएल), दोनों के मूल्यांकन बेंचमार्क का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया है।

V.10 मौजूदा रिपो दिशा-निर्देशों को सरल, सुसंगत एवं कारगर बनाने के लिए मार्च 2018 में रिपो को लेकर व्यापक निर्देशों का प्रारूप जारी किया गया। बाजार प्रतिभागियों और अन्य हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद इस संबंध में अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

V.11 दिसम्बर 2016 में रुपया ब्याज दर ऑप्शन्स (आईआरओ) प्रारंभ किए गए। शुरुआती तौर पर बिलकुल सादे आईआरओ को ही अनुमति प्राप्त थी लेकिन जून 2018 में रुपया ब्याज दर ऑप्शन से संबंधित निर्देशों की समीक्षा की गई जिसके परिणामस्वरूप रुपया ब्याज दर स्वैपशन का प्रारंभ हुआ।

V.12 रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय लिखतों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म फ्रेमवर्क के संबंध में प्रारूप दिशा-निर्देश सार्वजनिक टिप्पणियों/ सुझावों के लिए अक्टूबर 2017 में जारी किए गए। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों की पारदर्शिता में सुधार लाना, लेनदेन की अवधि तथा लागत को कम करना, प्रभावी लेखापरीक्षा सत्यापन को

सुलभ बनाना, जोखिम नियंत्रणों को बेहतर करना तथा बाजार निगरानी को बढ़ाना है। बाजार प्रतिभागियों ने अपनी राय तथा टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं, जिनकी रिज़र्व बैंक द्वारा जांच की जा रही है। प्रतिसूचना के मूल्यांकन के आधार पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

V.13 जी-सेक बाजार में सहभागिता को बढ़ाने के लिए 6 जून 2018 के विकासात्मक एवं विनियामकीय नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार पात्र प्रतिभागियों की संख्या को बढ़ाने तथा जी-सेक बाजार की अधिविक्रय तथा 'जब जारी' खंड में पोजीशन सीमाओं को शिथिल करने पर विचार किया गया है।

V.14 वर्ष के दौरान एफपीआई के कर्ज निवेशों के लिए विनियामक व्यवस्था की समीक्षा की गयी ताकि एफपीआई को निवेश की सीमाओं में वृद्धि, पात्र लिखतों, परिपक्वता काल एवं अवधि प्रबंधन इत्यादि के लिहाज से अपने संविभागों को संभालने के लिए अधिक छूट मिल सके। कर्जों में एफपीआई निवेशों की सीमाओं को बकाया स्टॉक से जोड़ दिया गया है - जो 2018-19 के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए 5.5 प्रतिशत, एसडीएल के लिए 2 प्रतिशत तथा कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए 9 प्रतिशत है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश को तर्कसंगत बनाया गया है जिसके लिए विभिन्न उप-श्रेणियों को बंद किया गया और सभी प्रकार के कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई निवेश के लिए एक एकल सीमा निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार की किसी प्रतिभूति में एफपीआई के कुल निवेशों की उच्चतम सीमा में संशोधन करते हुए उसे उक्त प्रतिभूति के बकाया स्टॉक के 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। कर्ज में निवेश को लेकर तीन वर्ष की न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता की आवश्यकता को कतिपय शर्तों के अधीन समाप्त कर दिया गया है। जिन अन्य समष्टि-विवेकपूर्ण उपायों को स्थापित किया गया है, वे हैं - प्रत्येक कर्ज श्रेणी में समग्र निवेश सीमा के प्रतिशत के रूप में एफपीआई निवेश के लिए संकेन्द्रण सीमाएं, अल्पावधि निवेश सीमाएं तथा कॉर्पोरेट ब्रॉन्ड में एकल के साथ-साथ सामूहिक निवेशक-वार सीमा।

2018-19 के लिए कार्य योजना

V.15 बैंकों एवं बाजार के अन्य बड़े प्रतिभागियों द्वारा बेहतर जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग द्वारा डेरिवेटिव्स बाजार को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। विभाग विदेशी मुद्रा में हेज करने वाली लिखतों तक पहुँच को तर्कसंगत बनाने तथा ऐसी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कदम उठाएगा। वित्तीय बाजारों की अखंडता को सुनिश्चित करना तथा बाजार के दुरुपयोग को समाप्त करना विभाग की कार्य योजना में उच्च स्थान पर जारी रहेगा। विभाग की योजना है कि वह विश्व की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के अनुरूप दिनांक 06 जून 2018 के विकासात्मक एवं विनियामकीय नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों के लिए बाजार दुरुपयोग के संबंध में विनियम बनाएं।

वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी)

V.16 वित्तीय बाजार परिचालन विभाग को मौद्रिक नीति के संचरण हेतु वित्तीय प्रणाली में चलनिधि का उपयुक्त स्तर बनाए रखने के लिए चलनिधि प्रबंधन परिचालन को संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग स्पॉट, वायदा और फ्यूचर्स खंडों में परिचालनों के जरिए विदेशी मुद्रा बाजार में सुव्यवस्थित स्थिति बनाए रखना सुनिश्चित करने की दिशा में भी कार्य करता है।

2017-18 के लिए कार्य योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

मुद्रा बाजार और चलनिधि प्रबंधन

V.17 नवंबर 2016 में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) को वापस लेने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त चलनिधि की स्थिति बनी रही। विभाग ने मौद्रिक नीति के संकेत को अधिक कारगर रूप से अमल में लाने के उद्देश्य से मुद्रा बाजार की दरों को नीतिगत दरों के अनुरूप बनाने के लिए अतिरिक्त चलनिधि को अवशोषित करने के अपने प्रयास जारी रखे। अतिरिक्त चलनिधि को अवशोषित करने के लिए चलनिधि प्रबंधन के विभिन्न साधनों जैसे - चलनिधि समायोजन

सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नियत/परिवर्ती दर रिवर्स रिपो तथा प्रत्यक्ष खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) का उपयोग किया गया है। साथ ही, अप्रैल-मई 2017 में बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत जारी टी-बिल, जो मार्च 2018 में परिपक्व हो गए थे, चलनिधि के अतिरिक्त को संभालने के लिए एक अतिरिक्त साधन के रूप में काम आया।

V.18 कर भुगतानों सहित बैंकों की वर्ष के अंत की सामान्य निधि आवश्यकताओं के कारण अतिरिक्त चलनिधि में एसबीएन की वजह से मार्च 2018 के अंत तक कमी आई। इसे 14 दिन के परिवर्ती दर रिपो परिचालनों के अतिरिक्त ₹1.7 ट्रिलियन के बहु-परिपक्वता काल के परिवर्ती दर रिपो परिचालनों के जरिए संभाला गया।

V.19 वर्ष के दौरान, अतिरिक्त चलनिधि की स्थितियों से निपटने के लिए विभाग ने नए साधन भी अपनाए। प्रणाली की अतिरिक्त चलनिधि को अवशोषित करने के लिए बैंक के पास प्रतिभूतियों की कमी (संपार्श्विक के रूप में उपयोग के लिए) होने की स्थिति में एक प्रतिभूति उधार तथा ऋण व्यवस्था (एसबीएलए) योजना लागू की गयी जिसे अपवादात्मक परिस्थितियों में उपयोग में लाया जाएगा। एसबीएलए योजना के अंतर्गत, रिजर्व बैंक रिवर्स रिपो परिचालन करने के लिए बड़ी संस्थाओं से प्रतिभूतियाँ उधार ले सकता है। वित्तीय बिल, 2018 के माध्यम से आरबीआई अधिनियम, 1934 में हाल ही में हुए संशोधन से स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) उपलब्ध कराई गयी है ताकि इसे अपनाया जा सके। एसडीएफ एक असीमित, असंपार्श्विक जमा सुविधा है, जिसे एक बार जब काम में लाया जाएगा तो इसकी मदद से रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों को लेकर किसी बाध्यता के बिना असीमित चलनिधि को अवशोषित कर सकता है।

V.20 एलएएफ/ एमएसएफ (अर्थात, सीमांत स्थायी सुविधा) के लिए मार्जिन प्रणाली प्रतिभूतियों के बीच अवधि के आधार पर अंतर नहीं करती है क्योंकि इसी प्रकार की मार्जिन आवश्यकता प्रतिभूतियों के लिए उनकी अवशिष्ट परिपक्वताओं पर ध्यान दिए बिना निर्धारित की गई है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि एलएएफ/एमएसएफ के लिए मार्जिन आवश्यकताओं को

01 अगस्त, 2018 से प्रतिभूतियों की अवशिष्ट परिपक्वताओं के अनुरूप बनाया जाए। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए प्रारंभिक मार्जिन आवश्यकता अवशिष्ट परिपक्वता की पांच भिन्न बकेट के लिए 0.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत के दायरे में होगी। एसडीएल के मामले में प्रारंभिक मार्जिन आवश्यकता एक ही परिपक्वता बकेट के लिए 2.5 प्रतिशत से 6.0 प्रतिशत के दायरे में होगी। साथ ही, राज्य सरकारों को उनके निर्गमों के लिए आम जनता से रेटिंग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह भी निर्णय लिया गया है कि रेट की गई एसडीएल के लिए मार्जिन आवश्यकता एक ही परिपक्वता बकेट की रेट नहीं की गई एसडीएल से 1 प्रतिशत कम होगी।

विदेशी मुद्रा बाजार

V.21 वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा बाजार में ओटीसी तथा ईटीसीडी क्षेत्रों में परिचालन के जरिए विदेशी मुद्रा बाजार में सुव्यवस्थित स्थिति बनाई रखी गयी। चलनिधि प्रभाव को भी उचित समय पर ओएमओ परिचालनों के जरिए संभाला गया।

V.22 वैश्विक विदेशी मुद्रा (एफएक्स) बाजार में मानकों तथा प्रथाओं को मजबूत बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) ने एक नया एफएक्स वैश्विक कोड तैयार किया है। इस कोड को 25 मई 2017 को लंदन में शुरू किया गया तथा इसे वैश्विक एफएक्स समिति (जीएफएक्ससी) द्वारा प्रत्येक अधिकार-क्षेत्र की स्थानीय एफएक्स समिति (एलएफएक्ससी) के साथ समन्वयन में वैश्विक तौर पर कार्यान्वित किया जा रहा है। रिजर्व बैंक जीएफएक्ससी का संस्थापक सदस्य है तथा भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के साथ समन्वय करके भारत में एलएफएक्ससी स्थापित की जा रही है, जो एफएक्स वैश्विक कोड के कार्यान्वयन तथा उसके अनुपालन का कार्य करेगी।

V.23 वर्ष 2017-18 के लिए छठे द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार स्पॉट यूएसडी/आईएनआर तथा आईएनआर के समक्ष अन्य प्रमुख मुद्राओं के लिए दैनिक संदर्भ दर के अभिकलन और प्रसार का कार्य, जो रिजर्व बैंक द्वारा किया जा रहा था, अब फाइनेंशियल बेंचमाक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाने लगा है।

V.24 विभाग ने साल भर में बाज़ार के उतार-चढ़ाव/प्रवृत्ति पर कई अनुसंधान अध्ययन किए जिससे नीति तथा परिचालनगत फ्रेमवर्क, दोनों को आकार देने में सहायता मिली है।

2018-19 के लिए कार्य योजना

V.25 विभाग मौद्रिक नीति के रुझान के अनुरूप वर्ष के दौरान अतिरिक्त चलनिधि को अवशोषित एवं स्थायी/अस्थायी चलनिधि की आपूर्ति कर के प्रभावी रूप से चलनिधि प्रबंधन परिचालन करेगा। उभरने वाली चलनिधि स्थितियों की विभाग बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगा तथा भारित औसत कॉल दर को नीतिगत दर के अनुरूप बनाना सुनिश्चित करने के लिए परिचालनों में यथोचित संशोधन करेगा। यह विदेशी मुद्रा दर में अनावश्यक अस्थिरता को कम करने के लिए हस्तक्षेप सहित विदेशी मुद्रा परिचालनों का प्रभावी ढंग से संचालन करना जारी रखेगा। विभाग वित्तीय बाज़ारों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान जारी रखने पर भी विचार कर रहा है।

विदेशी मुद्रा विभाग (एफ़ईडी)

V.26 एफ़ईडी कारोबार में सुगमता को बढ़ावा देते हुए व्यापार और भुगतान को आसान बनाने के लिए प्रयत्नशील है। सभी सीमा-पार के लेनदेनों की प्रभावी निगरानी के लिए बुनियादी सिद्धांतों को जारी रखते हुए नई प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया। फेमा को वर्तमान व्यापार और आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप सुव्यवस्थित बनाने के अभियान को जारी रखते हुए वर्ष के दौरान कुछ और फेमा विनियमों को तर्कसंगत बनाया गया है। इस प्रक्रिया में, विनियमों में अधिक स्पष्टता आयी है और उनका समेकन हुआ है।

वर्ष 2017-18 की कार्य योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

विदेशी निवेश व्यवस्था को सरल बनाना

V.27 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) के संबंध में दिनांक 7 नवंबर 2017 को एक अधिसूचना (सं.फेमा 20(आर)) जारी की गई, जिसके माध्यम से - विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर

के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017 जारी की गई थी, जिसमें निर्देशों को यथासंभव सिद्धांत-आधारित रखते हुए 2 मूल विनियमावलियों और 91 संशोधन अधिसूचनाओं को सम्मिलित किया गया है। इस अधिसूचना (तत्पश्चात के संशोधनों सहित) की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- (i) अनुदेशों को सरल बनाते समय, विदेशी निवेश पर बनाई गई नीति विदेशी निवेश की दृष्टि से देश को एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए आवक पूंजी प्रवाह को सुविधाजनक बनाने की ओर उन्मुख थी।
- (ii) अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा, घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन और क्षेत्रीय हवाई परिवहन सेवा के लिए विदेशी निवेश की मौजूदा सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ा कर 100 प्रतिशत किया गया, जिसमें 49 प्रतिशत से अधिक के निवेश हेतु सरकार के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता है। इसके अलावा, मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड में 49 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति इस शर्त के साथ दी गई है कि मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण भारतीय नागरिकों के पास बना रहेगा। एकल ब्रांड उत्पाद के खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि हुई है।
- (iii) विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली कंपनी को सीमित देयता भागीदारी फ़र्मों के रूप में अथवा इसके विपरीत परिवर्तन को कुछ शर्तों के अधीन स्वचालित मार्ग के तहत अनुमति दी गई है।
- (iv) एफडीआई एवं एफआईआई की परिभाषा को तर्कसंगत बनाने हेतु गठित समिति (अध्यक्ष : डॉ अरविंद मायाराम) की सिफारिशों के अनुरूप एफडीआई/एफपीआई को परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत लिखतों को जारी करने की अवधि को 180 दिनों से घटा कर कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप 60 दिन किया गया है।

- (v) रिपोर्टिंग संबंधी विलंब के संबंध में रिपोर्ट देरी से प्रस्तुत करने पर विलंब-शुल्क की एक अवधारणा पेश की गई है।
- (vi) अनिवासी भारतीयों (एनआरआई)/प्रवासी भारतीय नागरिकों (ओसीआई) से भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को शेयरों का अंतरण स्वचालित मार्ग के तहत लाया गया।
- (vii) सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश संबंधी विभिन्न सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के परामर्श से विदेशी निवेश सीमाओं की निगरानी हेतु एक नई प्रणाली स्थापित की है। निगरानी तंत्र को परिचालित करने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचे और प्रणालियां निक्षेपागारों द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा, उक्त निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन के पश्चात, सभी प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंकों को अपने संबंधित एनआरआई ग्राहकों द्वारा किए गए निवेश का विवरण निक्षेपागारों को प्रदान करना होगा। मौजूदा प्रणाली में स्टॉक एक्सचेंज के लेनदेनों पर एफपीआई द्वारा रिजर्व बैंक को की जाने वाली रिपोर्टिंग पूर्ववत् जारी रहेगी।

सीमा-पारीय विलयन और अधिग्रहण

V.28 कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने की दृष्टि से सीमा-पारीय विलयन हेतु एक स्पष्ट और पारदर्शी ढांचा तैयार करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जिसमें भारतीय कंपनियों और विदेशी कंपनियों के बीच सीमा-पारीय विलयन, समामेलन तथा कंपनियों के बीच अन्य कोई व्यवस्था शामिल हैं। तदनुसार, फेमा सहित अन्य दृष्टिकोणों से सभी सीमा-पारीय विलयन प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी देने के लिए विनियम बनाए गए हैं। यह विनियम सीमा-पारीय विलयन के पश्चात फेमा, 1999 के तहत जिन लेनदेनों का पालन करना है, उन विनियमों को भी निर्धारित करते हैं।

भारत में अचल संपत्ति का अधिग्रहण एवं अंतरण

V.29 विनियमों में अचल संपत्ति के अधिग्रहण एवं अंतरण के संबंध में एनआरआई तथा ओसीआई की स्थिति को पुनः परिभाषित किया गया है। साथ ही एनआरआई अथवा ओसीआई के पति/पत्नी द्वारा अचल संपत्ति के संयुक्त अधिग्रहण की अनुमति दी गई है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान के नागरिक जो वहाँ के अल्पसंख्यक समुदायों में शामिल हैं, जैसे: हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, जो भारत में रह रहे हैं और उन्हें सरकार द्वारा दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) दिया गया है, को विशिष्ट शर्तों के अधीन भारत में स्वयं रहने हेतु आवासीय इकाई के रूप में केवल एक आवासीय अचल संपत्ति खरीदने और अपने स्व-रोज़गार के लिए केवल एक अचल संपत्ति खरीदने की अनुमति दी गई है। अचल संपत्तियों के अधिग्रहण, अंतरण तथा बिक्रीगत राशियों के प्रत्यावर्तन संबंधी अन्य शर्तों को भी तदनुसार संशोधित किया गया है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के लिए फ्रेमवर्क में संशोधन

V.30 भारतीय संस्थाओं द्वारा समुद्रपार जारी किए गए रुपये में अंकित बॉन्ड (आरडीबी) को कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई की निवेश सीमा से बाहर कर दिया गया था।

ईसीबी का पुनर्वित्तपोषण

V.31 रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए जारी पांचवे द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी किए गए विकासात्मक और विनियामक नीतियों के अनुसार, भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं / सहायक कंपनियों को उच्च श्रेणी निर्धारित (एएए) कॉर्पोरेट्स के साथ-साथ नवरत्न तथा महारत्न श्रेणी के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) को पुनर्वित्तपोषित करने की अनुमति दी गई है, हालांकि इसमें ईसीबी नीति के अन्य सभी पहलुओं को अपरिवर्तित रखा गया है, जैसे : (i) मूल उधार की बकाया परिपक्वता राशि कम नहीं हुई है; और (ii) नए ईसीबी की समग्र लागत मौजूदा ईसीबी से कम है। मौजूदा ईसीबी के आंशिक पुनर्वित्तपोषण की भी अनुमति दी गई है, यह भी उपर्युक्त शर्तों के अधीन ही है।

व्यापार ऋणों हेतु जारी वचन-पत्रों (एलओयू) तथा चुकौती आश्वासन-पत्रों (एलओसी) को समाप्त करना।

V.32 भारत में गैर-पूंजीगत वस्तुओं के आयात के मामले में एक वर्ष तक की अधिकतम अवधि हेतु 20 मिलियन अमेरिकी डालर प्रति आयात लेनदेन तक तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात के मामले में तीन वर्ष की अधिकतम अवधि हेतु प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों द्वारा किसी समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता, बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के पक्ष में वचन-पत्र (एलओयू) तथा चुकौती आश्वासन-पत्र (एलओसी) जारी करने की प्रथा को दिनांक 13 मार्च 2018 से समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, भारत में आयात पर दिये जाने वाले व्यापार ऋणों हेतु साख-पत्र (एलसी) तथा बैंक गारंटियाँ जारी करना निर्धारित शर्तों के अधीन जारी रहेगा।

ईसीबी नीति को तर्कसंगत बनाना एवं उसका उदारीकरण

V.33 ईसीबी दिशा-निर्देशों को और अधिक तर्कसंगत एवं उदार बनाते हुए, बेंचमार्क दर पर 450 बेसिस पॉइंट्स की एक समान समग्र लागत सीमा निर्धारित की गई है। ट्रेक-I और ट्रेक-II के लिए बेंचमार्क दर को 6 महीने की अवधि के अमेरिकी डालर लाईबोर (या संबंधित मुद्रा के लिए लागू बेंचमार्क) के रूप में परिभाषित किया गया, और ट्रेक-III (रुपया ईसीबी) और रुपये में अंकित बॉन्ड (आरडीबी) के लिए भारत सरकार की प्रतिभूतियों की तदनुसूची परिपक्वता पर अर्जित प्रचलित प्रतिफल राशि को परिभाषित किया गया है। प्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी धारक से स्वचालित मार्ग के तहत जुटाई गई ईसीबी के लिए ईसीबी देयता 5 मिलियन अमेरिकी डालर से अधिक अथवा उसकी समतुल्य राशि तक के लिए किसी एंटीटी द्वारा जुटाई गई समग्र ईसीबी हेतु इक्विटी अनुपात को 7:1 तक बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियमित आवास वित्त कंपनियों, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 अथवा भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत गठित पोर्ट ट्रस्ट्स तथा रखरखाव, मरम्मत, ओवरहौल तथा माल भेजने का कारोबार करने वाली कंपनियों को भी ईसीबी जुटाने हेतु पात्र बनाया गया है। उधारकर्ताओं के आधार पर (ट्रेक-I, II और III) अंतिम उपयोग सूचियों को सकारात्मक अंतिम - उपयोग सूची और नकारात्मक अंतिम-उपयोग सूची के रूप में अलग-अलग बनाए रखने की पद्धति को समाप्त कर दिया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि सभी ट्रेक्स के लिए केवल एक नकारात्मक सूची ही बनाए रखी जाए।

जावक विप्रेषण सेवा प्रदान करने के लिए गैर-बैंकिंग इकाइयों को सुविधा उपलब्ध कराना

V.34 ग्राहकों को दी जा रही जावक विप्रेषण सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से, जावक विप्रेषण सेवा प्रणाली को उदार बनाते हुए इसके परिचालन ढांचे को विस्तारित कर के इसे गैर-बैंकिंग इकाइयों तक विस्तार दिया गया है, बशर्ते ऐसे विप्रेषण प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों के माध्यम से भेजे गए हों, और एडी श्रेणी-1 बैंक इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित केवाईसी / एएमएल (अर्थात्, अपने ग्राहक को जानिए/ धन शोधन निवारण) मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के संबंध में आंकड़ों का संग्रह

V.35 उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत किए गए लेनदेनों को एडी बैंक मौजूदा पद्धति में विप्रेषक द्वारा की गई घोषणा के आधार पर अनुमति देते थे। एलआरएस सीमाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने एवं निगरानी प्रणाली को अधिक कारगर बनाने के उद्देश्य से एलआरएस के तहत व्यक्तियों द्वारा किए गए लेनदेनों के संबंध में एडी बैंकों को दैनिक आधार पर रिपोर्टिंग करने हेतु एक नई प्रणाली स्थापित की गई है, लेनदेनों का सत्यापन सुनिश्चित करने हेतु यह प्रणाली सभी एडी बैंकों को उपलब्ध होगी।

इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिअलाइजेशन प्रमाणपत्र (ईबीआरसी) जारी करना

V.36 निर्यात संबंधी डेटा में एकरूपता लाने और उसकी स्थिरता बनाए रखने की दृष्टि से डेटा के अखंडित प्रवाह को जारी रखने तथा इस संबंध में कागज़ी दस्तावेज़ीकरण को कम करने के लिए, एडी श्रेणी-1 बैंकों को निर्यात डेटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) में निर्यातगत प्राप्तियों संबंधी विवरण को "जैसे भी, जब भी वसूली आधार पर" अद्यतन करने और ईडीपीएमएस में उपलब्ध विवरण के आधार पर ही ईबीआरसी जनरेट करने हेतु निदेशित किया गया है। ई-बीआरसी के साथ ईडीपीएमएस का एकीकरण करने से निर्यात विनियमन सरल हो जाएगा और शुल्क-वापसी एवं प्रोत्साहन राशियों का संवितरण ऑनलाइन हो जाएगा।

निर्यात घोषणा फॉर्म से छूट

V.37 विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में किए गए संशोधन के अनुरूप निर्यातकों को निर्यात वस्तुओं (रत्न और आभूषण, सोने तथा अन्य मूल्यवान धातु की वस्तुओं को छोड़कर) के निःशुल्क निर्यात के लिए निर्यात घोषणा फॉर्म (ईडीएफ) के प्रस्तुतीकरण से छूट देने संबंधी निर्धारित वार्षिक सीमा के अनुरूप मौजूदा मास्टर निदेश को संशोधित किया गया है एवं उपर्युक्त परिवर्तनों को उसमें दर्शाया गया है। इस प्रकार की निःशुल्क आपूर्ति किसी भी निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत किसी प्रोत्साहन राशि अथवा शुल्क-वापसी के लिए पात्र नहीं होगी। इसके अलावा, माल के ऐसे निर्यात, जिनमें प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में किसी प्रकार के विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन शामिल नहीं हैं, के मामले में उन्हें रिजर्व बैंक से ईडीएफ प्रक्रिया से छूट प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) को शक्तियों का प्रत्यायोजन

V.38 कुछ नेमी प्रकार के समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) संबंधी लेनदेनों की विलंब से की गई रिपोर्टिंग संबंधी मामलों के विशोधन हेतु एडी बैंकों को दी गई परिचालनगत शक्तियां वर्ष के दौरान बढ़ा दी गई हैं।

2018-19 के लिए कार्य योजना

शेष विनियमों को तर्कसंगत बनाना

V.39 विभाग ने अब तक सरकार के परामर्श से 18 मूल अधिसूचनाओं और उनके 193 संशोधनों को तर्कसंगत बनाया और उन्हें समेकित किया है। भारत में विदेशी निवेश पर विनियमों से संबंधित अधिसूचनाओं तथा भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में अचल संपत्ति के अधिग्रहण और हस्तांतरण संबंधी अधिसूचनाओं को तर्कसंगत बनाने का कार्य वर्ष 2017-18 का मुख्य कार्य था। निवासियों और गैर-निवासियों के बीच उधार लेने और उधार देने तथा ओडीआई से संबंधित शेष अधिसूचनाओं को केंद्र सरकार के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

बेहतर नीति-निर्माण हेतु डेटा का लाभ उठाते हुए कारोबार की सुगम्यता में वृद्धि करना

V.40 वर्ष 2017-18 के दौरान, विभाग सूचना के संग्रह के लिए प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भरता के साथ एक प्रौद्योगिकी आधारित संकलन के चरण में पहुँच गया है। डेटा की लगभग निकटतम उपलब्धता और पहुंच की बढ़ती विभाग की परिचालनगत दक्षता और समग्र कामकाज की प्रभावशीलता बढ़ेगी।

वर्ष 2017-18 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र आस्तियों की घटती गुणवत्ता तथा लाभप्रदता में गिरावट की समस्याओं से जूझता रहा। दबावग्रस्त आस्तियों से संबंधित विभिन्न समाधान योजनाओं को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए ढांचे को संशोधित किया गया और पूर्ववर्ती योजनाओं को बंद कर दिया गया। अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करते हुए उनके अधिकारों को मजबूत बनाया गया। साथ ही, डिजिटल भुगतान के माध्यमों की बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए डेटा संरक्षण तथा साइबर सुरक्षा मानदंडों को सुदृढ़ बनाया गया। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के ग्राहकों की शिकायतों का प्रभावी ढंग से तथा समय पर निराकरण करने के लिए जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए लोकपाल योजना का प्रारंभ की गई। सहकारी बैंकों के लिए विनियामक नीतियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की विनियामक नीतियों को और अधिक सुसंगत बनाया गया। विनियमों को स्वामित्व निरपेक्ष बनाने के लिए सरकार के स्वामित्व वाली एनबीएफसी से यह अपेक्षा होगी कि वे बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों का चरणबद्ध ढंग से अनुपालन करें।

VI.1 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में आस्तियों की गुणवत्ता में गिरावट महसूस की गई, जिसका उनकी लाभप्रदता तथा ऋण संवृद्धि को सहारा प्रदान करने की क्षमता पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। बैंकों के बढ़ते हुए बकाया ऋणों पर प्रतिक्रिया तथा दबावग्रस्त आस्तियों से संबंधित विभिन्न समाधान योजनाओं को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए पूर्व योजनाओं को हटाया गया और उनके समाधान के लिए सिद्धांत-आधारित एवं परिणामोन्मुख संशोधित फ्रेमवर्क तैयार किया गया। इसके अलावा, इस ढांचे ने पुनर्चना के लिए पूर्व की विनियामक योजनाओं में सन्निहित विभिन्न प्रक्रियाओं तथा निविष्टि संबंधी बाध्यताओं को दूर किया। वित्तीय स्थिरता जोखिमों पर कड़ी निगरानी रखने हेतु इन संस्थाओं के प्रणालीगत जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय संगुटों के नेटवर्क का विश्लेषण किए जाने का प्रस्ताव है। डिजिटल भुगतान की बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए डेटा संरक्षण तथा साइबर सुरक्षा मानदंडों को सुदृढ़ बनाया गया। अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी) संबंधी मानदंडों में और अधिक परिवर्तन किए गए, ताकि उनका दक्षतासंवर्द्धन किया जा सके।

VI.2 इसके अलावा, एनबीएफसी के ग्राहकों की शिकायतों के प्रभावी तथा समय पर निराकरण के लिए जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी के संबंध में लोकपाल योजना प्रारंभ की गई।

आवश्यक वैधानिक संशोधनों के अभाव में एससीबी के मामले में भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एस) के कार्यान्वयन को एक वर्ष के लिए स्थगित किया गया है, फिर भी ₹5 बिलियन तथा उससे अधिक निवल मालियत वाली एनबीएफसी को 1 अप्रैल 2018 से इंड-एस कार्यान्वित करना है। स्वामित्व-निरपेक्ष विनियम बनाने के लिए सरकार के स्वामित्व वाली एनबीएफसी से अब यह अपेक्षा होगी कि वे बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों का चरणबद्ध ढंग से अनुपालन करें। सहकारी बैंकों से संबंधित विनियामक नीतियों को और अधिक सुसंगत बनाने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक में इन बैंकों के चालू खाता खोलने की विनियामक प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। विनियामक तथा पर्यवेक्षी नीतियों को परिष्कृत करने से बैंकिंग प्रणाली की आघात-सहनीयता तथा सुदृढ़ता में वृद्धि होने की संभावना है।

वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू)

VI.3 वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से स्थिरता से संबंधित मामलों की निगरानी करना एफएसयू का दायित्व है। एफएसयू वित्तीय स्थिरता के प्रति जोखिमों की जांच कर के, प्रणालीगत दबाव परीक्षण और अन्य उपायों के माध्यम से समष्टिगत-विवेकसम्मत निगरानी रख कर और अर्द्ध-वार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के माध्यम से वित्तीय स्थिरता की अवस्थिति और चुनौतियों से सम्बन्धित जानकारी का प्रसार कर के इस दायित्व का निर्वहन करता है। देश में वित्तीय स्थिरता कायम रखने और समष्टिगत-विवेकसम्मत

विनियमन हेतु विनियमनकर्ताओं की समन्वय परिषद, अर्थात् वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सचिवालय के रूप में कार्य भी एफएसयू द्वारा किया जाता है।

2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

VI.4 निर्धारित योजना के अनुसार, एफएसआर का प्रकाशन जून 2017 तथा दिसंबर 2017 में किया गया। दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में हुई चूकों की क्षेत्रकीय संभाव्यता का आकलन करने की कार्यप्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाया गया और जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात (सीआरएआर) का अनुमान लगाने की कार्यप्रणाली को आंतरिक रेटिंग आधारित फॉर्मूला का उपयोग करके, जोखिम भारित आस्तियों का गतिक रूप से अनुमान लगाकर संशोधन किया गया। इन कार्यप्रणालियों के आधार पर पाए गए निष्कर्षों को एफएसआर में प्रकाशित किया गया। साथ ही संक्रामकता (नेटवर्क) विश्लेषण को शहरी सहकारी बैंकों तक भी विस्तृत किया गया।

VI.5 एफएसडीसी की उप-समिति ने 2017-18 में दो बैठकों का आयोजन किया और विभिन्न मामलों की समीक्षा की, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) की स्थापना, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा रजिस्टर किए गए सूचना साधनों को शुरू करना, विनियामकों के बीच सूचना का आदान-प्रदान, विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) के कार्यान्वयन की अवस्थिति, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था (एसआईएफआई) के लिए फ्रेमवर्क, भारतीय वित्तीय क्षेत्र के लिए सामान्य प्रबंधन संहिता का कार्यान्वयन, बहुविध कार्यकलाप करने वाली एकल संस्था तथा केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) की समीक्षा शामिल हैं। उप-समिति ने कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया की अवस्थिति, उसके विभिन्न तकनीकी दलों की गतिविधियों तथा विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय समन्वयन समितियों (एसएलसीसी) के कामकाज की भी समीक्षा की। उक्त बैठकों में जिन अन्य मामलों पर चर्चा की गई वे थे - फिनटेक तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यदल की सिफरिशें, आभासी (शैडो) बैंकिंग कार्यान्वयन समूह, ऋण

चक्र तथा वित्तीय स्थिरता, निवेशक शिक्षण तथा संरक्षा निधि (आईईपीएफ), मुखौटा (शेल) कंपनियों पर की गई कार्रवाई, सीमा-पार दिवालियापन के लिए विधिक फ्रेमवर्क तथा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जमा-राशियों की स्वीकृति से संबंधित मामले।

VI.6 वर्ष के दौरान अंतर-विनियामक तकनीकी दल (आईआरटीजी), जो एफएसडीसी उप-समिति का उप-दल है, की दो बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएल) नियमावली में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप केवाईसी प्रक्रिया से संबंधित मामलों, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की संरचना में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के कार्यान्वयन, एलईआई के कार्यान्वयन की स्थिति, विनियामकों के बीच सूचना को साझा करने तथा खाता समूहकों के लिए प्रौद्योगिकी विनिर्देश से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई।

वर्ष 2018-19 के लिए कार्ययोजना

VI.7 आगामी वर्ष में, एफएसयू द्वारा समष्टिगत-विवेकसम्मत निगरानी, एफएसआर के प्रकाशन और एफएसडीसी उप-समिति तथा आईआरटीजी की बैठकों के आयोजन का कार्य किया जाता रहेगा। इसके अलावा, वर्तमान दबाव परीक्षण ढांचे/कार्यप्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा ताकि बैंकों के लिए, दबावग्रस्त परिदृश्य आधारित पर्यवेक्षी पूंजी अपेक्षाओं को अंततोगत्वा अपनाया जा सके। इसके अलावा, संक्रामकता (नेटवर्क) विश्लेषण का विस्तार करते हुए एनबीएफसी को इसके अंतर्गत लाया जाएगा।

वित्तीय मध्यस्थों का विनियमन

वाणिज्यिक बैंक : बैंकिंग विनियमन विभाग (डीबीआर)

VI.8 डीबीआर, वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन से संबंधित नोडल विभाग है। यह विभाग वित्तीय स्थिरता के अलावा उचित विनियामक उपायों के माध्यम से समावेशी तथा प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिंग प्रणाली विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। विनियामक ढांचे को भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजित किया जाता है, यद्यपि इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को समुचित रूप से अंगीकार किया गया है।

2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) की शुरुआत

VI.9 बैंकों को निदेशित किया गया कि वे अपने मौजूदा बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं (अर्थात्, जिनके पास ₹500 मिलियन और उससे अधिक का एक्सपोजर है) को सूचित करें कि वे 31 मार्च 2018 से 31 दिसंबर 2019 के बीच एलईआई प्राप्त करें। इस श्रेणी के जो उधारकर्ताओं ने एलईआई प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें ऋण सुविधाओं का नवीकरण/उसमें वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी। बैंकों को चाहिए कि वे अपने बड़े उधारकर्ताओं को उनकी मूल तथा सभी अनुषंगियों तथा सहयोगी संस्थाओं के लिए एलईआई प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें।

दबाव ग्रस्त आस्तियों के समाधान से संबंधित पिछली योजनाओं को बंद करना

VI.10 दबावग्रस्त आस्तियों के संरचित समाधान के उद्देश्य से रिजर्व बैंक को विभिन्न योजनाएं, जैसे- कार्यनीतिक ऋण

पुनर्रचना (एसडीआर) योजना, दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय संरचना (एस4ए) योजना, कॉर्पोरेट कर्ज पुनर्रचना (सीडीआर) योजना तथा संयुक्त उधारदाता मंच (जेएलएफ) शुरू करनी पड़ीं, क्योंकि तब देश में कोई व्यापक दिवाला और शोधन अक्षमता कानून विद्यमान नहीं था। ये योजनाएं, संबंधित साहित्य सामग्री में यथा निर्धारित, किसी शोधन अक्षमता कानून के वांछनीय गुणों का अनुकरण करने के लिए बनाई गईं। इन योजनाओं में उधारदाताओं द्वारा उन्हें अपनाए जाने तथा परिणामी समाधान प्राप्त करने के संबंध में प्रोत्साहन अंतर्निहित थे। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के अधिनियमित हो जाने के कारण इस तरह की विशिष्ट योजनाओं/दिशा-निर्देशों की आवश्यकता समाप्त हो गई, और इसके परिणामस्वरूप 12 फरवरी 2018 को एसडीआर, एस4ए, सीडीआर तथा जेएलएफ जैसी पूर्व योजनाएं/दिशा-निर्देश हटा दिए गए। इन योजनाओं को अब दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए सुसंगत तथा सरलीकृत ढांचे से प्रतिस्थापित किया गया है (बॉक्स VI.1)

बॉक्स VI.1

दबाव-ग्रस्त आस्तियों का समाधान – संशोधित फ्रेमवर्क

अध्ययनों में यह पाया गया कि अनर्जक ऋणों के स्तर को कम करने से किसी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला मध्यावधिक प्रभाव सकारात्मक होता है। दूसरी ओर, इस समस्या को नजरअंदाज करने से आर्थिक कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विशेष रूप से यह अनुमान लगाया गया है कि किसी अनर्जक ऋण के लंबे समय तक लंबित रहने के कारण वृद्धि में होने वाली गिरावट, समस्या के समाधान किए जाने तक वार्षिक रूप से 2 प्रतिशत अंकों से अधिक होगी (बलोवा एवं अन्य, 2016)। वर्ष 1990 के शुरुआती दौर में जापान के अनुभव से यह पता चला कि आर्थिक अवरोध के कारण नए अनर्जक ऋण तेजी से उभर आते हैं और इनके कारण बैंकों की पूंजी में गिरावट आती है। इसके विपरीत, बैंकिंग संकट का तीव्र तथा प्रभावी समाधान प्रबल नकारात्मक आर्थिक प्रभावों की संभावना को रोकता है और संबंधित नीतिगत सुधारों के परिणामस्वरूप कभी-कभी अनुकूल आर्थिक प्रभाव भी पड़ सकता है। इस बात की पुष्टि नॉर्डिक अनुभव (स्टेईगम 2010) में की गई है। खराब ऋणों के समाधान के लिए बहुत सारी रणनीतियां तैयार की गई हैं, किंतु इनके समाधान के लिए अदालत के बाहर की गई पुनर्रचना तथा न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत औपचारिक ऋण शोधन क्षमता प्रक्रिया को समाहित करते हुए अपनाए जाने वाले नए उपागम की संस्तुति की जाती है (बीआईएस 2017)।

लंबे समय तक भारत में धनशोधन अक्षमता से संबंधित कोई कानून नहीं था और इसीलिए रिजर्व बैंक को पुनर्रचना के विभिन्न ढांचे लागू करने पड़े, जिन्हें धनशोधन अक्षमता कानून की वांछित विशेषताओं का अनुकरण करने के लिए बनाया गया था। इन योजनाओं में कुछ प्रेरक शामिल किए गए थे, ताकि उधारदाता इन योजनाओं को अपनाएं और शीघ्र समाधान प्राप्त हो सके। हालांकि, इन योजनाओं को बैंकों द्वारा सामान्यतः आस्तित्व-वर्गीकरण लाभों का फायदा उठाने के लिए लागू किया गया, इसके तहत अंतर्निहित दबाव के समाधान के लिए बैंकों द्वारा बहुत कम प्रयास किए गए।

वर्ष 1990 के दशक में जापान के तथा 2000 के दशक में ओईसीडी देशों (मैक गोवन एवं अन्य, 2017) के अनुभवों के संबंध में यह दलील दी जाती है कि उधार दिए जाने में मनाही के कारण अक्षम फर्मों का उद्भव होता है और उन्हें सुधारात्मक प्रयास न करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप किसी अर्थव्यवस्था में जॉबी फर्मों का अस्तित्व बना रहता है। उक्त में से बाद वाले अध्ययन ने जॉबी फर्मों का अस्तित्व बने रहने के कारण निवेश तथा रोजगार में होने वाली वृद्धि पर पड़ सकने वाले प्रतिकूल प्रभावों तथा नई फर्म की बाजार में प्रविष्टि की सुगमता तथा उनकी उन्नति करने की क्षमता को भी दर्ज किया गया है। आचार्य एवं अन्य (2016)

(जारी...)

ने यूरोप के संदर्भ में, गैर-जॉबी फर्मों के निवेश और रोजगार में होने वाली वृद्धि पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रत्यक्ष मौद्रिक लेनदेन (ओएमटी) कार्यक्रम के तहत कमजोर पूंजी वाले बैंकों को हुए अप्रत्याशित लाभों के कारण ऋण के त्रुटिपूर्ण आबंटन से जॉबी कंपनियों की अधिकता के प्रभावों को दर्ज किया है। उधार देने में बाधाओं और समाधान योजनाओं, जो एक दूसरे का समर्थन करती हैं, को विकृत रूप में अपनाए जाने के दुष्प्रक्र को तोड़ने के लिए देश में धनशोधन अक्षमता के मजबूत कानून की अपेक्षा है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) को अधिनियमित किए जाने तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन किए जाने से रिजर्व बैंक को विशिष्ट दबावग्रस्त खातों के समाधान के लिए आईबीसी तंत्र को लीवरेज करने के अधिकार प्राप्त हुए और उपर्युक्त चुनौतियों से निपटने का वास्तविक अवसर प्राप्त हुआ। रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ महीनों में बड़े मूल्य के दबावग्रस्त खातों पर अपना ध्यान केंद्रित कर इस दिशा में कदम उठाया है। रिजर्व बैंक द्वारा 12 फरवरी 2018 को जारी किए गए "दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए संशोधित फ्रेमवर्क" को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से दबावग्रस्त आस्तियों के शीघ्र समाधान को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम समझा जाना चाहिए, ताकि उधारदाताओं द्वारा अधिकतम राशि की वसूली हो सके। संशोधित ढांचे में अनर्जक आस्ति की परिभाषा को अपरिवर्तित रखा गया है, किंतु विश्वसनीय परिणाम सुनिश्चित करने के लिए ब्राइट लाइन टेस्ट सहित, उन व्यापक सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है, जिनका दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान करते समय पालन किया जाना चाहिए।

संशोधित ढांचे की अंतर्निहित थीम उधारदाताओं तथा उधारकर्ताओं को यथा संभव लचीलापन प्रदान करना रही है, लेकिन इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि समाधान योजना का कार्यान्वयन समय-सीमा के भीतर किया जाए और समाधान-योजना विश्वसनीय हो। यदि उधारदाता तथा बड़े दबावग्रस्त उधारकर्ता समय-सीमा के भीतर विश्वसनीय समाधान योजना नहीं स्थापित कर पाते हैं, तो उन्हें आईबीसी के तहत संरचित धनशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया का पालन करना होगा।

संशोधित ढांचे के अंतर्गत बैंक ऋणों के संदर्भ में एक दिन की चूक के लिए भी उसी तरह की अपेक्षित अनुशासनात्मक प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया गया है, जो कर्ज बाजार से पैसे की उगाही करने वाले उधारकर्ताओं पर लागू होती है। चूक की रिपोर्टिंग केंद्रीय डेटाबेस, जो सभी बैंकों के देखने के लिए उपलब्ध है, में होने के कारण यह अपेक्षा की जाती है कि ऋण अनुशासन में उल्लेखनीय सुधार होगा। हालांकि, भुगतान में हुई चूक उधारकर्ता पर वित्तीय दबाव का पश्चता संकेतक है, और इसलिए उधारदाताओं द्वारा

उधारकर्ताओं के चूक किए जाने तक रुकने की बजाय शुरुआती दौर में वित्तीय दबाव को पहचानने के लिए अग्रसक्रिय रूप से ऋण निगरानी करना आवश्यक है। दबाव को पहले ही पहचान लेने से उधारदाताओं को अपेक्षित समाधान योजना लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।

प्रारंभ किया गया एक अन्य प्रमुख परिवर्तन यह है कि समाधान योजनाओं को अब उधारदाताओं द्वारा एकल अथवा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा सकेगा। जिन उधारकर्ताओं का एकसपोजर एक से अधिक बैंकों में है, उन पर कार्रवाई करते समय बैंकों को अपने स्वयं के मूल सिद्धांत तैयार करने का पूर्ण विवेक तथा लचीलापन उपलब्ध कराया गया है। संशोधित ढांचे में उधारदाता आंतरिक नीतियों तथा जोखिम वहन क्षमता के अनुरूप बनाई गई भेदकारी समाधान योजनाएँ कार्यान्वित कर सकते हैं। सिर्फ विश्वसनीय समाधान योजनाओं का ही कार्यान्वयन किया किया जाना सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र स्वीकृति ढांचे की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत प्रस्तावित योजना के संदर्भ में ऋण के बारे में स्वतंत्र राय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से ली जाती है।

समग्र रूप से देखा जाए तो संशोधित ढांचे में देश की ऋण संस्कृति में सुधार लाने तथा लेनदेन में प्रतिपक्षों के बीच भरोसे में सुधार करने का प्रयास किया गया है। ऋणों के प्रत्यायोजित निगरानीकर्ता की भूमिका को प्रभावी रूप से निभाने के संबंध में बैंकों के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण होगा।

संदर्भ :

1. आचार्य, वी.वी., टी. आइसर्ट, सी. यूफिंगर, और सी.डब्ल्यू. हिर्श (2016), 'वाटएवर इट टेक्स : द रियल इफैक्ट्स ऑफ अनकन्वेंशनल मोनेटरी पॉलिसी', वर्किंग पेपर, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस।
2. बलोवा, एम., नीस, एम., और प्लेखानोव, ए. (2016), "द इकॉनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ रिड्यूसिंग नॉन-परफॉर्मिंग लोन्स", यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्किंग पेपर सं.193.
3. बीआईएस (2017), "रेसोल्यूशन ऑफ नॉन-परफॉर्मिंग लोन्स-पॉलिसी ऑप्शन", एफएसआई इनसाइट्स ऑन पॉलिसी इंप्लिमेंट्स, संख्या 3.
4. मैकगोवन, एम.ए., एंड्रयूज, डी., मिलॉट्ट, वी. (2017), द वाकिंग डेड? जॉबी फर्म्स एंड प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस इन ओईसीडी कंट्रीज, ओईसीडी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वर्किंग पेपर सं.1372.
5. स्टीगम, ई. (2010), "नॉर्वेजियन बैंकिंग क्राइसिस इन द 1990 : इफेक्ट्स एंड लेसनस", नॉर्वेजियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, नॉर्वे।

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की कार्यप्रणाली

VI.11 नवंबर 2017 में, बैंकों को सूचित किया गया कि वे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए उचित कार्यप्रणाली स्थापित करें।

अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करना

VI.12 बैंकिंग लोकपाल के वार्षिक सम्मेलन, 2014 में यह सुझाव दिया गया था कि बैंकों और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को उन मामलों में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की शून्य देयता संबंधी नीति तैयार करनी चाहिए जहां बैंक ग्राहक के स्तर पर लापरवाही स्थापित करने में असमर्थ रहा। बैंक और जनता से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात दिनांक 6 जुलाई 2017 को परिपत्र जारी किया गया, जो अनधिकृत/धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में ग्राहक की देयता को सीमित करने के लिए फ्रेमवर्क निर्धारित करने वाला अंतिम परिपत्र था (बॉक्स VI.2)।

चलनिधि मानकों के संबंध में बासेल-III फ्रेमवर्क

VI.13 चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन के बाद भारत में निगमित बैंकों को अब ऐसे मामलों में, जिनमें किसी विदेशी सरकार के लिए अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी द्वारा शून्य प्रतिशत जोखिम भार निर्धारित किया गया हो, आरक्षित निधि अपेक्षाओं के अतिरिक्त, विदेशी केंद्रीय बैंकों में धारित नकदी आरक्षित निधियों को स्तर-1 की उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियों (एचक्यूएलए) के रूप में स्वीकार करने की अनुमति दी गई है। ऐसे मामलों में जहां किसी विदेशी सरकार के लिए अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी द्वारा शून्य से इतर प्रतिशत जोखिम भार निर्धारित किया गया है, लेकिन बासेल-II ढांचे के अंतर्गत राष्ट्रीय-विवेक के आधार पर शून्य प्रतिशत जोखिम भार निर्धारित किया गया है, वहां ऐसे विदेशी केंद्रीय बैंकों में आरक्षित निधि अपेक्षा के अतिरिक्त धारित आरक्षित निधियों को बैंको के दबावपूर्ण निवल नकदी बहिर्वाह के उस विशिष्ट मुद्रा में जमा शेष के तुल्य होने तक स्तर-1 की एचक्यूएलए माना जाएगा। मौजूदा रूपरेखा के अनुसार, 1 जनवरी 2019 तक एससीबी का एलसीआर न्यूनतम 100 प्रतिशत होना चाहिए।

बॉक्स VI.2

अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करने संबंधी फ्रेमवर्क

अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता सीमित करने संबंधी फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

शून्य देयता : बैंक की ओर से चूक होने की स्थिति में तथा ऐसे मामलों में जहां गलती न तो ग्राहक की है और न ही बैंक की है, किंतु प्रणाली में कहीं और गलती पाई जाती है, ग्राहक बैंक से सूचना प्राप्त होने के तीन कार्य-दिवसों के भीतर अनधिकृत लेनदेन संबंधी जानकारी बैंक को देता है तो ग्राहक को कोई नुकसान वहन नहीं करना पड़ेगा।

सीमित देयता : ग्राहक की लापरवाही के कारण नुकसान होने पर संपूर्ण नुकसान ग्राहक को तब तक वहन करना पड़ेगा जब तक ऐसे अनधिकृत लेनदेन के बारे में बैंक को रिपोर्ट न की गई हो। ऐसे मामलों में जहां गलती न तो ग्राहक की है और न ही बैंक की है, किंतु प्रणाली में कहीं और गलती पाई जाती है, और ग्राहक बैंक से लेनदेन संबंधी सूचना प्राप्त होने के चार से सात कार्य-दिवसों के विलंब से अनधिकृत लेनदेन संबंधी जानकारी बैंक देता है तो

ग्राहक की अधिकतम देयता ₹5,000 से ₹25,000 के बीच होगी, जो खाते/लिखत के प्रकार के आधार पर निर्धारित होगी।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार देयता : अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट यदि सात कार्य-दिवसों के बाद की जाती है, तो ग्राहक की देयता बैंक के बोर्ड द्वारा इस संबंध में अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

बैंक को अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में शामिल राशि ग्राहक द्वारा अधिसूचित किए जाने की तारीख से 10 कार्य-दिवसों के भीतर ग्राहक के खाते में जमा (शैडो रिवर्सल) करना होगा। बैंक को शिकायत प्राप्त करने के 90 दिनों के भीतर शिकायत का निवारण करना है और ग्राहक की देयता, यदि हो, निर्धारित करना होगा। इसके अलावा, बैंकों को यह भी अधिदेश है कि वे एसएमएस चेतावनी तथा इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के लिए ग्राहकों द्वारा उनके मोबाइल नंबर रजिस्टर करना अनिवार्य करें।

बैंकों के एलसीआर की गणना करने के लिए स्तर-1 एचक्यूएलए के रूप में अनुमेय आस्तियों में, *अन्य के साथ*, निम्नलिखित को शामिल किया जाता है - न्यूनतम एसएलआर अपेक्षा के अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ, और सरकारी प्रतिभूतियाँ जो अनिवार्य एसएलआर अपेक्षाओं के भीतर सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) {वर्तमान में बैंक की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 2 प्रतिशत} तथा चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एफएएलएलसीआर) के लिए चलनिधि की सुविधा के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमेय सीमा (इसे बैंक की एनडीटीएल के 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 11 प्रतिशत किया गया है) के भीतर हों। अतः, बैंकों के लिए एसएलआर के हिस्से के रूप में उपलब्ध कुल राशि उनके एनडीटीएल के 13 प्रतिशत के तुल्य होगी। एलसीआर के संबंध में अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।

VI.14 निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) संबंधी अंतिम दिशा-निर्देश मई 2018 में जारी किए गए।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को औपचारिक बनाए जाने को प्रोत्साहन देना

VI.15 फरवरी 2018 में, बैंकों और एनबीएफ़सी द्वारा जीएसटी के लिए पंजीकृत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में किए गए एक्सपोजर को 180-दिवसीय से बकाया की शर्त के अनुसार मानक आस्तिक के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति प्रदान की गई। यह अनुमति समग्र एक्सपोजर पर ₹250 मिलियन की सीमा सहित विशिष्ट शर्तों के अधीन है। इसकी समीक्षा करने बाद यह सुविधा उन सभी एमएसएमई तक विस्तारित की गई है, जो अभी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए पंजीकृत नहीं हैं। इसके अंतर्गत उन्हें उपर्युक्त सीमा तक ऋण सुविधा प्रदान की गई है। तदनुसार, इस तरह के एमएसएमई खातों को बैंकों तथा एनबीएफ़सी द्वारा मानक आस्तिक के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा, यदि - 1 सितंबर 2017 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि तथा 1 सितंबर 2017 और 31 दिसंबर 2018 के बीच बकाया भुगतान की अदायगी मूल निर्धारित तारीख से 180 दिनों के बाद नहीं की गई हो। वित्तीय स्थिरता के लिए अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाए जाने में बढ़ोतरी होने से होने

वाले फायदों के मद्देनजर, जीएसटी के लिए पंजीकृत एमएसएमई के मामले में, 1 जनवरी 2019 से बकाया राशि के भुगतान को चरणबद्ध ढंग से 90 दिवसीय एनपीए मानक की सीमा के अनुरूप बनाया जाएगा। जो एमएसएमई, 31 दिसंबर 2018 की स्थिति के अनुसार जीएसटी के लिए पंजीकृत नहीं हैं, उन पर 90-दिवसीय एनपीए मानक 1 जनवरी 2019 से तत्काल प्रभाव से पुनः लागू हो जाएंगे।

साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) समग्र रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी

VI.16 कुछ साख सूचना कंपनियां वाणिज्यिक डेटा, उपभोक्ता डेटा अथवा सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफ़आई) डेटा जैसे विशिष्ट मॉड्यूल में उपलब्ध साख सूचना के आधार पर ऋण संस्थाओं (सीआई) को साख सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) सीमित रूप में उपलब्ध कराने की प्रथा जारी रखे हुए थीं। इसके परिणामस्वरूप, उधारदाता, विभिन्न मॉड्यूल में उपलब्ध उधारकर्ता के पूर्ण ऋण-इतिहास के बारे में अनभिज्ञ बने रहे, जिससे उनके ऋण संबंधी निर्णयों की गुणवत्ता पर असर पड़ा। इसके अलावा, सीआईसी इस प्रकार की विशिष्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए अलग-अलग प्रभार लगा रही थीं। इसलिए सीआईसी को निदेशित किया गया कि वे किसी उधारकर्ता के संबंध में ऋण संस्था को प्रस्तुत किए जाने वाले सीआईआर में उधारकर्ता से संबंधित सभी मॉड्यूल में उपलब्ध साख सूचना सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करें।

विवरणियों में सुसंगत परिभाषाओं को जारी किया गया

VI.17 दिसंबर 2014 में गठित अंतर विभागीय कार्य-दल की सिफ़ारिशों के आधार पर विभिन्न प्रकार की सभी बैंकिंग तथा विनियामक विवरणियों के संबंध में रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए जाने वाले 189 प्रकार के डेटा-घटकों की परिभाषा को सुसंगत बनाया गया।

श्रेणी I तथा II की वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ़)¹ के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को सुसंगत बनाया जाना

VI.18 बैंकों को किसी एआईएफ़-1 की एकक पूंजी के 10 प्रतिशत तक निवेश करने की सामान्य अनुमति थी। इसके

¹ श्रेणी I के अंतर्गत आने वाली एआईएफ़ स्टार्टअप या प्रारंभिक अवस्था वाले उद्यमों/सामाजिक उद्यमों/एसएमई/इन्फ्रास्ट्रक्चर या उन अन्य क्षेत्रों में निवेश करती हैं, जिन्हें सरकार या विनियामक सामाजिक अथवा आर्थिक रूप से अभीष्ट मानती है। श्रेणी II के अंतर्गत आने वाली एआईएफ़ अधिकांशतः स्थावर संपदा निधि या पीई निधि होती हैं, जो गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। श्रेणी III के अंतर्गत आने वाली एआईएफ़ (मुख्य रूप से हेज फंड) सूचीबद्ध/गैर-सूचीबद्ध व्युत्पन्नियों में लीवरेज-युक्त तथा विविधता-युक्त/जोखिमपूर्ण कार्यनीतियों का प्रयोग करते हैं।

आगे निवेश के लिए बैंकों को रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन लेना आवश्यक था। एआईएफ-1 तथा एआईएफ-2 के तहत दैनिक परिचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से इतर किसी कार्य के लिए लीवरेज अथवा उधार नहीं लिया जाता। अतः एआईएफ-2 में निवेश का अनुमोदन विशिष्ट मामले के आधार पर दिया जाता था। सितंबर 2017 में यह निर्णय लिया गया कि एआईएफ-1 तथा एआईएफ-2 में बैंक के निवेश से संबंधित मानदंडों को सुसंगत बनाया जाए। इसके अंतर्गत बैंकों को एआईएफ-1 तथा एआईएफ-2 में एकक पूंजी के 10 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति दी गई तथा उसके पश्चात उन्हें रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन लेना आवश्यक होगा।

श्रेणी-III एआईएफ में निवेश को प्रतिबंधित करना

VI.19 श्रेणी-III एआईएफ में बैंकों द्वारा निवेश पर विशेष रूप से रोक लगाई गई है। इसके अलावा, बैंकों के अप्रत्यक्ष एक्सपोजर पर प्रतिबंध लगाने की दृष्टि से, बैंक की अनुषंगी संस्थाओं द्वारा एआईएफ-III में निवेश की अधिकतम सीमा, अर्थात् प्रायोजक/प्रबंधक प्रतिबद्धता (मूल निधि का 5 प्रतिशत अथवा ₹100 मिलियन, जो भी कम हो) पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक मानदंडों की सीमा तक, निर्धारित की गई है।

प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम के लिए पूंजी

VI.20 सितंबर 2017 में बैंकों को सूचित किया गया कि वे आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) ढांचे के अंतर्गत वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ)/इन्फ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड (आईडीएफ) के साथ बैंक का नाम जुड़ने के कारण प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम का पता लगाएं और अतिरिक्त पूंजी अपेक्षा का निर्धारण करें, जो पर्यवेक्षी जांच और मूल्यांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पर्यवेक्षी जांच के अधीन होगी।

बासेल-III पूंजीगत अपेक्षाओं को सुसंगत बनाया जाना

VI.21 सितंबर 2017 में, बैंकों द्वारा वित्तीय सेवा कंपनियों तथा अन्य विनिर्दिष्ट निवेशों/कार्य-कलापों में निवेश के लिए पूंजीगत अपेक्षा को सीआरएआर के 10 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर न्यूनतम सीआरएआर और पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के जोड़ के स्तर तक निर्धारित किया गया। इस प्रकार से, बासेल-III ढांचे के अंतर्गत न्यूनतम सीआरएआर अपेक्षा को सीसीबी अपेक्षा के सुसंगत बनाया गया।

बैंक, पण्य व्युत्पन्नी बाज़ार (कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट) के व्यावसायिक समाशोधन सदस्य के रूप में कार्य करेंगे

VI.22 सितंबर 2017 में, बैंकों को सेबी में पंजीकृत पण्य व्युत्पन्नियों के खंड में व्यावसायिक समाशोधन सदस्य बनने की अनुमति प्रदान की गई। यह अनुमति शेयर बाजार की सदस्यता के लिए वर्तमान विवेकपूर्ण मानदंडों {₹5 बिलियन की न्यूनतम निवल मालियत होने, न्यूनतम निर्धारित पूंजी स्तर बनाए रखने (पूंजी संरक्षण बफर सहित), निवल एनपीए अनुपात के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होने तथा पिछले तीन वर्ष में लाभप्रद स्थिति में होने} की शर्त का अनुपालन किए जाने के अधीन दी गई। हालांकि, वे पण्य व्युत्पन्नियों में मालिकाना स्थान (प्रोप्राइटरी पोजीशन) नहीं ले सकते हैं।

बैंक की अनुषंगी कंपनियाँ पण्य डेरिवेटिव बाज़ार में आढ़तिया का कार्य करेंगी

VI.23 चूंकि, आढ़तिया सेवा प्रदान करने वाली बैंकों की अनुषंगी संस्थाएं शेयर बाजार में अपने परिचालनों, विशेष रूप से पूंजी बाजारों में खुदरा सहभागिता को संभव बना कर, के माध्यम से बहुत अधिक महत्व पाती हैं; इसलिए आढ़तिया सेवा प्रदान करने वाली बैंकों की अनुषंगी संस्थाओं को पण्य व्युत्पन्नी खंड में अनुमति दिए जाने से उनकी पहुंच खुदरा भागीदारों और अभी तक संपर्क में नहीं आए ग्राहक समूह तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। तदनुसार, बैंकों की अनुषंगी संस्थाओं को बाजार के पण्य व्युत्पन्नी खंड में आढ़तिया सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति इस शर्त पर दी गई कि वे इस खंड में मालिकाना स्थान नहीं ग्रहण करें।

फिनटेक तथा विनियामक पहल

VI.24 रिज़र्व बैंक ने फिनटेक के सूक्ष्म पहलुओं और इसके प्रभावों का पता लगाने के लिए फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग के विषय पर अंतर-विनियामकीय कार्य-समूह का गठन किया है, ताकि विनियामकीय ढांचे की जांच की जा सके तथा इसका समुचित पुनर्निर्धारण किया जा सके और तेजी से उभर रहे फिनटेक परिदृश्य की गतिशील गतिविधियों (डायनेमिक्स) पर जवाबी कार्रवाई की जा सके। 8 फरवरी 2018 को कार्य-दल की रिपोर्ट जनता की राय जानने के लिए जारी की गई। सुपरिभाषित क्षेत्र और अवधि के अंतर्गत "रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स/नवोन्मेष

बॉक्स VI.3

फिनटेक रेग्युलेटरी सैंड बॉक्स – उद्देश्य, सिद्धान्त, लाभ और जोखिम

फिनटेक रेग्युलेटरी सैंड बॉक्स की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

i. रेग्युलेटरी सैंड बॉक्स - आवश्यकता तथा प्रयोजन

रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स से तात्पर्य नियंत्रित/परीक्षात्मक विनियामक परिवेश में नए उत्पादों अथवा सेवाओं के सीधे परीक्षण किए जाने से होता है। सैंडबॉक्स व्यवस्था में विनियामक तथा पर्यवेक्षी प्राधिकारियों की सक्रिय भूमिका हो सकती है, क्योंकि वे सैंड बॉक्स के अंतर्गत अपने उत्पादों की जांच करने वाली संस्थाओं को कतिपय विनियामक/पर्यवेक्षी छूट दे सकते हैं।

ii. रेग्युलेटरी सैंड बॉक्स के लाभ

सैंड बॉक्स के उपयोगकर्ता उत्पाद की व्यवहार्यता की जांच उन्हें बाजार में लाए बिना, जो अपेक्षाकृत बड़े पैमाने और महंगे होते हैं, कर सकते हैं। सैंड बॉक्स के कारण उत्पादों तथा सेवाओं के प्रकारों में वृद्धि होने, लागत में कमी आने तथा वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच होने से यह उपभोक्ताओं के लिए बेहतर परिणाम दे सकता है।

iii. जोखिम तथा सीमाएं

उपभोक्ता तथा डेटा सुरक्षा से संबंधित मामले विनियामक सैंडबॉक्स के समक्ष मुख्य चुनौतियां हैं।

रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स रूपरेखा से संबंधित पहलू

सैंडबॉक्स स्थापित करते समय विनियामकों को उसकी रूपरेखा से संबंधित निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए

1. किसी समूह के हिस्से के रूप में फिनटेक संस्थाओं की संख्या : सैंड बॉक्स कुछ समूहों का संचालन कर सकते हैं (संपूर्ण सैंडबॉक्सिंग

प्रक्रिया), जिनमें से प्रत्येक समूह किसी विशिष्ट अवधि के दौरान सीमित संख्या में संस्थाओं के उत्पादों की जांच करना स्वीकार कर सकेगा।

2. सैंडबॉक्स के लिए पात्रता की शर्तें : सैंड बॉक्स के लिए आवेदन-कर्ताओं में मौजूदा वित्तीय संस्थाएं एवं फिनटेक फर्म शामिल हो सकती हैं।
3. सीमा संबंधी शर्तें : सैंड बॉक्स के लिए सीमा संबंधी शर्तों के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तें हो सकती हैं - सैंड बॉक्स के प्रारंभ तथा समाप्ति की तारीख; लक्षित ग्राहक का प्रकार; समाहित उपभोक्ताओं की संख्या पर प्रतिबंध; अन्य गणना योग्य सीमाएं जैसे- लेनदेन संबंधी सीमा अथवा नकदी धारण करने की सीमाएं, यथा प्रयोज्य; तथा कारोबार की मात्रा।
4. निकासी (एक्जिट) योजना : प्रस्तावित वित्तीय सेवा के समाप्त होने की स्थिति में एक स्वीकार्य निकासी तथा संक्रमण कार्यनीति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए अथवा सैंड बॉक्स से निकालने के उपरांत उसे अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर उस सेवा को लागू करने हेतु प्रयोग किया जा सकता है।
5. सैंड बॉक्स में शामिल होने के लिए मानदंड : सैंड बॉक्स में शामिल होने के लिए मुख्य मानदंड वित्तीय सेवाओं में किए गए प्रौद्योगिकी संबंधी ऐसे नवोन्मेषी प्रयास हैं जिनसे उपभोक्ताओं को लाभ हो।
6. मूल्यांकन के मानदंड : प्रस्तावित वित्तीय सेवा नवोन्मेषी होनी चाहिए तथा प्रस्तावित सेवा को भारत में लागू करने का इरादा तथा क्षमता होनी चाहिए।
7. उपभोक्ता संरक्षण : सैंड बॉक्स संस्था को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके उपभोक्ताओं के प्रति उसके किसी वर्तमान दायित्व (डेटा की निजता सहित) को सैंड बॉक्स छोड़ने से पहले पूर्ण किया जाए।

केंद्र” से संबंधित ढांचे की स्थापना किया जाना कार्यदल की मुख्य सिफारिशों में से एक थी। इसके अंतर्गत, वित्तीय क्षेत्र का विनियामक अपेक्षित विनियामकीय मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा, ताकि अन्य विनियामकीय क्षेत्राधिकारों की भांति भारतीय संदर्भ में उपभोक्ताओं के लिए दक्षता में वृद्धि की जा सके, जोखिमों का प्रबंधन किया जा सके और नए अवसर पैदा किए जा सकें (बॉक्स VI.3)।

इन्फर्मेशन यूटिलिटीज (आईयू) को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करना

VI.25 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 की धारा 215 के अनुसार कोई भी वित्तीय ऋणदाता किसी इन्फर्मेशन यूटिलिटीज (आईयू) को वित्तीय जानकारी तथा उन सभी आस्तियों से संबंधित जानकारी, जिनके संबंध में किसी प्रतिभूति हित का सृजन हुआ हो, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) (इन्फर्मेशन यूटिलिटीज)

विनियमावली, 2017 के अध्याय V में निर्दिष्ट स्वरूप तथा पद्धति के अनुसार प्रस्तुत करेंगे। दिसंबर 2017 में, आरबीआई द्वारा विनियमित सभी वित्तीय ऋणदाताओं को सूचित किया गया कि वे आईबीसी, 2016 तथा आईबीबीआई (आईयू) विनियमावली, 2017 के संबंधित प्रावधानों का पालन करें और इन प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तथा प्रक्रियाएं तत्काल स्थापित करें।

आभासी मुद्राओं (वर्चुअल करेंसी) में लेनदेन पर रोक

VI.26 रिज़र्व बैंक ने अपनी सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से बिटकॉइन सहित अन्य सभी आभासी मुद्राओं (वीसी) के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को ऐसी मुद्राओं का प्रयोग करने के जोखिम के बारे में कई बार सतर्क किया। सन्निहित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, अप्रैल 2018 में

रिज़र्व बैंक ने यह अनिवार्य किया कि उसके द्वारा विनियमित संस्थाएं आभासी मुद्राओं में लेनदेन नहीं करेंगी अथवा किसी भी व्यक्ति या संस्था को आभासी मुद्राओं में लेनदेन करने या आभासी मुद्रा का निपटान करने के संबंध में सेवा प्रदान नहीं करेंगी। इसके अलावा, पहले से इस प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रही विनियमित संस्थाओं को तीन महीने के भीतर इस प्रकार के संबंध समाप्त कर देना चाहिए।

केवाईसी निदेश, 2016 के संबंध में अद्यतन सूचना

VI.27 सरकार द्वारा धन शोधन निवारण (पीएमएल) नियमावली में किए गए संशोधनों के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने केवाईसी के संबंध में जारी अपने मास्टर निदेश में तदनुसूच संशोधन जारी किए हैं। सभी बैंकों को अपने खाता-आधारित कारोबारी संबंध के लिए पैन/फॉर्म-60 के साथ आधार संख्या (उन व्यक्तियों के लिए जो आधार के लिए नामांकित होने हेतु पात्र हैं) को भी अनिवार्य कर दिया गया। यदि खाता 6 महीने से अधिक पुराना नहीं है, तो आधार नामांकन संख्या स्वीकार्य होगी; तथापि, ऐसे मामलों में 6 महीनों की अवधि के भीतर आधार संख्या उपलब्ध कराना आवश्यक है। आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेजों (ओवीडी) की परिभाषा में भी तदनुसार संशोधन किया गया है। आधार संख्या और पैन संख्या को अनिवार्य दस्तावेजों के रूप में निर्दिष्ट करते हुए अब आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेजों (ओवीडी) में इन्हें शामिल किया गया है - (i) पासपोर्ट, (ii) ड्राइविंग लाइसेंस, (iii) मतदाता पहचान-पत्र, (iv) राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित नरेगा जॉब कार्ड, और (v) राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीयक (रजिस्टर) द्वारा जारी पत्र, जिसमें नाम और पते का विवरण दर्ज हो। रिपोर्टिंग एककों द्वारा आधार संख्या को ई-केवाईसी प्रमाणीकरण {बायोमीट्रिक या एक बारगी पासवर्ड (ओटीपी) आधारित} अथवा हां/नहीं प्रमाणीकरण का उपयोग करते हुए प्रमाणन करना होगा। उपर्युक्त अनुदेश, न्यायमूर्ति श्री के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य (एनआर) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मुकदमे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिक सं. डब्ल्यू.पी. (सिविल) 494/2012 (आधार के मामले) पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले अंतिम फ़ैसले के अधीन हैं।

VI.28 जहां, खाता-धारक का वर्तमान पता आधार कार्ड में उपलब्ध नहीं है, वहाँ खाता-धारक को अपने वर्तमान पते के साक्ष्य के रूप में आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेजों (ओवीडी)

में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। खाता-धारकों के वर्तमान पते संबंधी तत्काल स्वरूप के मामलों के निपटान हेतु 3-महीने की विशेष समयावधि प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत वैकल्पिक दस्तावेज अस्थायी रूप से वर्तमान पते के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं, यथा - यूटिलिटी बिल जो 2 महीनों से अधिक पुराने न हों। इसके अलावा, प्रमाणीकरण प्रक्रिया को कूटबद्ध किया गया है, जिसमें ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज (ओवीडी) की प्रतिलिपि को रिपोर्टिंग संस्था के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दस्तावेज की मूल प्रतिलिपि के साथ मिलान कर उसे प्रमाणित किया जाता है एवं उस प्रतिलिपि पर यह प्रमाणन दर्ज करा लिया जाता है।

वर्ष 2018-19 के लिए कार्ययोजना

VI.29 रिज़र्व बैंक वर्ष 2017-18 से संबंधित उन कार्रवाई बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा, जिन पर कार्य अभी प्रगति पर है, *नामत*: - इंड-एएस का कार्यान्वयन, लचीली मार्जिन आवश्यकताओं पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी करना, प्रतिभूतिकरण हेतु संशोधित ढांचे तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित बासेल समिति (बीसीबीएस) के मानकों के अनुरूप कॉर्पोरेट अभिशासन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करना। बीसीबीएस समिति ने संशोधित बाजार ढांचे के कार्यान्वयन को 1 जनवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया है। तदनुसार, 2018-19 के दौरान बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर कार्य आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

VI.30 रिज़र्व बैंक संशोधित विवेकपूर्ण विनियम जारी करेगा, जिसमें इन्हें शामिल किया जाएगा – एक्सपोजर मानदंडों के संबंध में निदेश, निवेश मानदंड, जोखिम प्रबंधन से संबंधित फ्रेमवर्क और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) पर लागू होने वाले बासेल III के अंतर्गत पूंजी फ्रेमवर्क के चुनिंदा कारक।

VI.31 बैंकों द्वारा वित्तीय सेवा संस्थाओं को लाइसेंस प्रदान करने के समय के आधार पर स्थापना करने के अनुमत कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण संरचनागत अंतर विद्यमान हैं। इसलिए, सामान्य दिशा-निर्देशों के माध्यम से इन अंतरों को सुसंगत बनाए जाने का प्रस्ताव है।

VI.32 वित्तीय सेवाओं में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इस क्षेत्र में मौजूद अन्य प्रमुख विनियामकों के साथ सहयोगी व्यवस्था स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

VI.33 भारत में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बैंकिंग संरचना का पुनर्विन्यास करने के उद्देश्य से, विदेशी बैंकों के अनुषंगीकरण की नीति तथा सीमांत निधि लागत आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा की जाएगी।

VI.34 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से संबंधित विनियामक दिशा-निर्देशों की तुलना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए दिशा-निर्देशों की समीक्षा की जाएगी।

**सहकारी बैंक : सहकारी बैंक विनियमन विभाग
(डीसीबीआर)**

VI.35 भारतीय वित्तीय प्रणाली में सहकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर, रिज़र्व बैंक ने उनसे संबंधित विनियामकीय और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए हमेशा प्रयास किया है, ताकि वे वित्तीय रूप से सुदृढ़ हों और उनका अभिशासन सक्षम हो सके। इस संदर्भ में, 2017-18 में सहकारी बैंकों के विवेकपूर्ण विनियमन के लिए जिम्मेदार, डीसीबीआर ने निम्नसूचित कदम उठाए।

वर्ष 2017-18 के संबंध में कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति
विनियामकीय नीतियों को सुसंगत बनाया जाना

VI.36 सभी सहकारी बैंकों के लिए विनियामकीय नीतियों को सुसंगत बनाया जाना एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर, सभी सहकारी बैंकों [शहरी सरकारी बैंक/यूसीबी, राज्य सहकारी बैंक/एसटीसीबी और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/डीसीसीबी] के लिए रिज़र्व बैंक के पास चालू खाते खोलने संबंधी विनियामकीय प्रक्रिया सरल की गई है। अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के कारण ग्राहकों की देयता को सीमित करने संबंधी दिशा-निर्देश सभी सहकारी बैंकों पर भी लागू किए गए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी दिशा-निर्देशों को एससीबी के लिए लागू दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाया गया है।

लायसेंस रहित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) का पुनरुज्जीवन और लायसेंस प्रदान किया जाना

VI.37 जम्मू-कश्मीर राज्य में तीन लाइसेंस रहित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के मामले में संबंधित राज्य

सरकार, भारत सरकार और नाबार्ड के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। तदनुसार, राज्य सरकार ने मार्च 2018 में ₹2.56 बिलियन का अपना हिस्सा निर्गमित कर दिया है, जो जम्मू-कश्मीर सरकार के सहकारी विभाग के पास रखा हुआ है। यह राशि उक्त तीन डीसीसीबी को भेजी जानी है। राज्य सरकार द्वारा धन अंतरित किए जाने के पश्चात उक्त तीन डीसीसीबी बैंकों को लाइसेंस जारी करने पर विचार किया जाएगा।

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) से संबंधित पर्यवेक्षी कार्रवाई-फ्रेमवर्क की समीक्षा

VI.38 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई के फ्रेमवर्क की समीक्षा अभी प्रक्रियाधीन है। सुधारात्मक कार्रवाई की शुरुआत किए जाने के लिए यूसीबी की समीक्षा की जा रही है, ताकि कमजोर यूसीबी की स्थिति को समय रहते सुधारा जा सके। यह कार्य योजना वर्ष 2018-19 तक आगे बढ़ाई गई है।

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को दी जाने वाली वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस)

VI.39 कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) लागू करने के लिए यूसीबी को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) तथा भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएँ (आईएफटीएस) (आईडीआरबीटी की अनुषंगी संस्था) के परामर्श से दिनांक 13 अप्रैल 2016 को एक योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत, रिज़र्व बैंक द्वारा आईएफटीएस को इस प्रणाली की स्थापना संबंधी प्रारम्भिक लागत राशि ₹0.4 मिलियन का भुगतान किया गया है। वर्ष के दौरान, इस योजना के तहत 3 और यूसीबी ने भी सीबीएस को लागू किया है, जिससे सीबीएस का अनुपालन करने वाले यूसीबी की संख्या 1,453 हो गई।

यूसीबी में सीबीएस के लिए मानक और बेंचमार्क का निरूपण

VI.40 यूसीबी में सीबीएस से संबंधित क्रियात्मक और तकनीकी आवश्यकताओं के संबंध में रिज़र्व बैंक के परामर्श से आईडीआरबीटी ने एक दस्तावेज बनाया गया, जिसे जुलाई 2017 में जारी किया गया।

अनुसूचीकरण (शेड्यूलिंग), लायसेंस दिया जाना (लायसेंसिंग), विलय और स्वैच्छिक रूपांतरण

VI.41 विलय से संबंधित कुल छह प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से पांच प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें अपेक्षाकृत अधिक मजबूत यूसीबी के साथ ऋणात्मक निवल मालियत वाले बैंकों के विलय के दो मामले भी शामिल थे। जून 2018 में प्राप्त हुए शेष प्रस्ताव अभी प्रक्रियाधीन हैं। वर्ष के दौरान दो विलय फलीभूत हुए। इसके अलावा, एक यूसीबी ने स्वेच्छा से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 ए (2) के तहत स्वयं को सहकारी क्रेडिट सोसाइटी (गैर-बैंकिंग) में रूपांतरित कर लिया है।

वर्ष 2018-19 के लिए कार्ययोजना

VI.42 वर्ष 2018-19 की कार्य-योजना में, जम्मू-कश्मीर में तीन लाइसेंस रहित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को लायसेंस जारी करना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल लायसेंस प्राप्त ग्रामीण सहकारी बैंक ही बैंकिंग क्षेत्र में परिचालन कर सकें। ग्रामीण सहकारी बैंकों को पर्याप्त रूप से पूंजीकृत किया जाना सुनिश्चित करने के लिए डीसीबीआर अपने एजेडे को मजबूत बनाएगा ताकि वे किसी भी प्रकार की चुनौतियों से निपट सकें और बैंकिंग क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के कारण उभरने वाले संभावित जोखिमों को कम कर सकें। वर्ष 2014 में बनाए गए यूसीबी से संबंधित पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे की समीक्षा की जाएगी ताकि शुरुआती चरण में ही संबंधित बैंकों को सुधारात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। सीबीएस के कार्यान्वयन हेतु यूसीबी को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजना इस वर्ष के दौरान भी जारी रहेगी। यूसीबी के संबंध में उच्च अधिकार प्राप्त समिति (अध्यक्ष: श्री आर. गांधी) की कुछ सिफारिशों को वर्ष के दौरान क्रियान्वित करने की भी योजना है। समिति द्वारा दी गई सिफारिश के अनुसार यूसीबी अभिशासन को बेहतर बनाने हेतु, यूसीबी उनके निर्वाचित बोर्ड के अलावा एक प्रबंधन बोर्ड का भी गठन करेंगे। इस संबंध में दिशा निदेशों का मसौदा जनता की टिप्पणियों/प्रतिक्रियाओं के लिए जारी किया गया। वर्ष 2018-19 के लिए जारी दूसरे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार पात्र यूसीबी को स्वैच्छिक आधार पर लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) में परिवर्तित करने संबंधी एक योजना भी इस वर्ष के दौरान जारी की जाएगी।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) : गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग (डीएनबीआर)

VI.43 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था में ऋण के महत्वपूर्ण वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित हो रही हैं। गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग (डीएनबीआर) को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वर्ष 2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

समकक्षीय उधार (पीयर-टू-पीयर लेंडिंग) का प्लेटफॉर्म (एनबीएफसी - पी2पी)

VI.44 अक्तूबर 2017 में, रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी - पी2पी दिशा-निर्देश जारी किया। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वयं किसी वित्तीय गतिविधि को परिचालित नहीं करता है, किंतु यह एक तरह का ऋण-मध्यस्थता मंच उपलब्ध कराता है, जो उधारकर्ताओं और उधारदाताओं को एक स्थान पर लाता है। ग्राहक सुरक्षा, डेटा की सुरक्षा और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए विनियम बनाए गए।

एनबीएफसी के लिए आउटसोर्सिंग संबंधी दिशा-निर्देश

VI.45 एनबीएफसी की आउटसोर्स की गई गतिविधियों को विनियामकीय दायरे में शामिल करने सहित एनबीएफसी द्वारा इस संबंध में कारगर और उत्तरदायी जोखिम प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक ने, एनबीएफसी को उनकी वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के प्रबंधन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए।

आस्ति पुनर्चना कंपनियों (एआरसी)

VI.46 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों का पालन कर रही आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को, उधारकर्ता कंपनी की परिवर्तन के पश्चात रूपांतरित इक्विटी के 26 प्रतिशत की शेयरधारिता की सीमा में छूट दी गई। यह छूट इस शर्त के अधीन होगी कि ऋण के इक्विटी में परिवर्तित किए जाने के पश्चात उसकी शेयरधारिता किसी क्षेत्र-विशेष के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हेतु अनुमत सीमा से अधिक न हो। रिजर्व बैंक ने, निवेशक आधार को विस्तृत करने और प्रतिभूति प्राप्ति (एसआर) बाजार की गहनता में और अधिक वृद्धि करने के लिए वैकल्पिक निवेश फंड श्रेणी-II और III के संबंध में अधिसूचना जारी किया। ये फंड सेबी में गैर-संस्थागत निवेशकों के रूप में पंजीकृत हैं।

सरकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का विवेकपूर्ण विनियमन

VI.47 सरकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) विभिन्न सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करती हैं और इस प्रक्रिया में, उनके परिचालन के पैमाने के आधार पर कुछ क्षेत्रों में उनके अधिक एक्सपोजर होने के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव हो सकते हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक निधियाँ जुटाने वाली संस्थाओं के रूप में ये कंपनियाँ औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में एक-दूसरे से बहुत अधिक जुड़ी होती हैं। विनियमों को मजबूती प्रदान करने और उन्हें स्वामित्व-निरपेक्ष बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए, अब सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को चरणबद्ध तरीके से बैंक के विवेकपूर्ण विनियमों का पालन करना होगा (बॉक्स VI.4)।

अन्य पहल

VI.48 जमाराशियाँ स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए कुछ शर्तों के अधीन उपस्थिति बिंदु (पीओपी) सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

VI.49 इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण मूलभूत निवेश कंपनियों (सीआईसी-एनडी-एसआई) द्वारा निवेश को

बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सीआईसी-एनडी-एसआई को केवल प्रायोजकों के रूप में इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश निधि (इनविट) एकक धारित करने की अनुमति है, बशर्ते कि इस प्रकार के एक्सपोजर सेबी द्वारा प्रायोजकों के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम धारिता और अवधि की सीमा के अंतर्गत हों। सीआईसी-एनडी-एसआई पर लागू समूह कंपनियों में निवेश के मानदंडों के अनुपालन के उद्देश्य से इस प्रकार की धारिता की गणना समूह कंपनियों में इक्विटी शेयरों में निवेश के रूप में की जाएगी।

वर्ष 2017-18 के लिए कार्ययोजना

VI.50 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ₹ 5 बिलियन और उससे अधिक की निवल मालियत वाली एनबीएफसी/आस्ति पुनर्चना कंपनियों (एआरसी) से 1 अप्रैल, 2018 से इंड-एस को लागू किए जाने की अपेक्षा की गई है।

VI.51 रिज़र्व बैंक, एआरसी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एआरसी के प्रायोजकों के लिए 'उपयुक्त एवं यथोचित मानदंड' के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेगा।

VI.52 रिज़र्व बैंक, बैंकों के लिए स्थापित दबावपूर्ण आस्तियों के समाधान किए जाने के संबंध में सुसंगत और सरलीकृत सामान्य फ्रेमवर्क को एनबीएफसी तक भी विस्तारित करने की योजना बना रहा है।

बॉक्स VI.4

सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी के संबंध में विनियामक फ्रेमवर्क

रिज़र्व बैंक में सरकारी स्वामित्व वाली कुल 42 एनबीएफसी पंजीकृत हैं। इनमें से 16 केंद्र सरकार के और 26 राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली हैं। इन सरकारी एनबीएफसी में से, 23 को जमाराशियाँ स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के रूप में, 12 को जमाराशियाँ स्वीकार नहीं करने वाली अर्थात् जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) के रूप में और 7 को जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी अब तक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के विभिन्न प्रावधानों के साथ-साथ विवेकपूर्ण मानदंडों से भी मुक्त हैं, क्योंकि वे विभिन्न सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करती हैं। हालांकि, यह माना जाता है कि कुछ क्षेत्रों में उनके उच्च जोखिम का वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, विशेष रूप से जहां उनके परिचालन का दायरा विस्तृत हो। इसके अलावा, चूंकि वे सार्वजनिक निधियाँ जुटाने वाली संस्थाएं हैं, अतः वे

औपचारिक वित्तीय क्षेत्र के साथ आपस में बहुत अधिक जुड़ी हुई हैं। तदनुसार, जमा स्वीकार करने वाली तथा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वर्ष 2006 में अन्य एनबीएफसी पर लागू विवेकपूर्ण नियमों का अनुपालन करने के लिए रोडमैप प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। हालांकि, केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली सभी एनबीएफसी और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली 12 एनबीएफसी ने इस संबंध में अपना रोडमैप प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन उनके कार्यान्वयन में भिन्नता है। इसलिए, 31 मई 2018 की अधिसूचना के तहत सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी के लिए रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण विनियमों का पालन करने और सार्वजनिक निधियों, कॉर्पोरेट अभिशासन, कारोबार के परिचालन संबंधी विनियमों और सांविधिक प्रावधानों का चरणबद्ध तरीके से अनुपालन किया जाना आवश्यक बनाया गया। उक्त को लागू करने हेतु वर्ष 2022 तक की चरणबद्ध अवधि निर्धारित की गई है, ताकि छूट वापस लेने संबंधी कार्य बिना किसी रुकावट के पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके।

VI.53 सरकारी एनबीएफसी को विवेकपूर्ण विनियमनों के अधीन लाए जाने के संक्रमण की बारीकी से निगरानी की जाएगी।

VI.54 रिज़र्व बैंक अपनी नीतियों को फिनटेक सेक्टर में बदलती गतिशील परिस्थितियों (डायनेमिक्स) के अनुरूप बना रहा है, और आईटी आधारित दो नई प्रकार की एनबीएफसी, नामतः - एनबीएफसी-एकाउंट एग्रेगेटर (एनबीएफसी-ए) और एनबीएफसी पीयर-टू-पीयर (एनबीएफसी-पी 2 पी), को बैंक इस संबंध में पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। बैंक, वर्ष के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी संबंधी कारोबार को इमारती शाखाओं (ब्रिक एंड मोर्टार प्रेजेंस) के बिना, आभासी माध्यम (वर्चुअल मोड) से संचालित करने का प्रस्ताव करने वाली कंपनियों से प्राप्त आवेदनों की जांच करेगा।

वित्तीय मध्यस्थता करने वाली संस्थाओं का पर्यवेक्षण

बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस)

VI.55 भारत की बैंकों के वर्चस्व वाली वित्तीय प्रणाली में रिज़र्व बैंक का बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस), को एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह विभाग प्रणालीगत स्थिरता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीबीएस एससीबी के अलावा स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी), भुगतान बैंकों (पीबी), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) का भी पर्यवेक्षण करता है। ये पर्यवेक्षण मौजूदा सांविधिक तथा विनियामक ढांचे के अंतर्गत किए जाते हैं।

2017-18 के लिए कार्ययोजना - कार्यान्वयन की स्थिति

VI.56 भारत में परिचालित बैंकों के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) के तहत जोखिम और पूंजी के मूल्यांकन के संबंध में पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी) को पांच पर्यवेक्षी चक्रों के दौरान सफल रूप से कार्यान्वित किया गया। वर्तमान में, एसएफबी तथा भुगतान बैंकों से संबंधित पर्यवेक्षी ढांचे को विकसित करने का कार्य चल रहा है। वर्ष के दौरान, आरबीएस मॉडल की जांच बाहरी प्रमाणीकरण के माध्यम से कराई गई। वर्ष के दौरान, बैंकों के शीर्ष प्रबंध तंत्र को जोखिम और पूंजी के मूल्यांकन के संबंध में पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी) के संबंध में संवेदनशील बनाने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बहुत से बैंकों के बोर्ड के सदस्यों

तथा शीर्ष प्रबंध-तंत्र के लिए चर्चा-सत्रों का आयोजन किया गया। इन बैंकों की परिचालनात्मक कौशल वृद्धि के साथ ही साथ वरिष्ठ/मध्यम-स्तरीय प्रबंध तंत्र की कौशल वृद्धि करने के लिए विशेष कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।


VI.57 वर्ष 2017-18 के दौरान, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) के समक्ष 76 एससीबी, 1 एलएबी, तथा 2 सीआईसी के पर्यवेक्षी मूल्यांकन प्रस्तुत किए गए।

VI.58 वर्ष के दौरान, बैंकिंग क्षेत्र की साइबर सुरक्षा के संबंध में तत्परता का मूल्यांकन करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित पैंतीस जांच की गईं। इन जांचों के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक क्षेत्र और विशिष्ट ध्यान दिए जाने योग्य क्षेत्रों की विषय-क्षेत्र-संबंधी जांच की गई। साइबर सुरक्षा की घटना पर प्रतिक्रिया करने के संबंध में बैंकों की तत्परता का मूल्यांकन करने के लिए परिकल्पित परिदृश्यों को शामिल करते हुए मॉक साइबर-ड्रिल आयोजित की गईं। इस अभ्यास से बैंकों को अपनी घटना (इन्सिडेंट) प्रबंध क्षमताओं में खामियों की पहचान करने उनमें सुधार करने में मदद मिली। रिज़र्व बैंक ने, समझौता-पत्र (एलओयू) से जुड़ी बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के क्रम में विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (स्विफ्ट) के लेनदेन के परिचालनात्मक नियंत्रणों का मूल्यांकन किया और बैंकों को उन नियंत्रणों को मजबूत बनाने को कहा गया। यह पाया गया कि बैंकों द्वारा प्रणालियों को सुरक्षित रखने के संबंध में की गई कार्रवाई पर्याप्त नहीं थी और इसलिए रिज़र्व बैंक ने अपने अनुदेशों को दोहराया और बैंकों द्वारा उनके कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई।

धोखाधड़ी की प्रवृत्ति का विश्लेषण

VI.59 वर्ष 2017-18 में, बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों से संबंधित मामलों की संख्या बढ़कर 5835 हो जाने के पूर्व, पिछले 10 वर्षों के दौरान आमतौर पर यह 4500 के करीब रहती थी (चार्ट VI.1ए)। उसी प्रकार, धोखाधड़ियों में शामिल राशि भी धीरे-धीरे बढ़ती रही, और 2017-18 में इसमें ₹410 मिलियन की उल्लेखनीय वृद्धि हुई (चार्ट VI.1बी)। वर्ष 2017-18 के दौरान धोखाधड़ियों में शामिल राशि की मात्रा में हुई भारी वृद्धि का कारण रत्न और आभूषण क्षेत्र में हुई उच्च मूल्य की धोखाधड़ी रही, जिसका असर मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र के एक बैंक (पीएसबी) पर पड़ा।

चार्ट VI.1: बैंकों द्वारा वर्ष 2008-2018 के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामले एवं उनमें शामिल राशि (₹1 लाख एवं उससे अधिक)




स्रोत: भारिबैं पर्यवेक्षीय विवरणियां।

VI.60 वर्ष 2017-18 के दौरान रिजर्व बैंक को प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार ₹0.1 मिलियन से अधिक मूल्य की धोखाधड़ियों में 92.9 प्रतिशत हिस्सा पीएसबी का रहा, और निजी क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा 6 प्रतिशत रहा। दिनांक 31 मार्च 2018 तक, धोखाधड़ियों में शामिल कुल संचयी राशि में से पीएसबी का हिस्सा 85 प्रतिशत रहा और निजी क्षेत्र का हिस्सा 10 प्रतिशत से थोड़ा अधिक रहा। प्रणालीगत स्तर पर, सभी धोखाधड़ियों में ऋणों से संबंधित धोखाधड़ियों का राशि के अनुसार हिस्सा 75 प्रतिशत से अधिक था, जिसमें 0.1 मिलियन और उससे अधिक की राशि समाहित थी, जबकि जमा खातों में धोखाधड़ियां मात्र 3 प्रतिशत से थोड़ी अधिक की थीं (चार्ट VI.2)। धोखाधड़ियों की ऋण श्रेणी के अंतर्गत पहला बड़ा हिस्सा (87 प्रतिशत) पीएसबी का था, उसके बाद निजी क्षेत्र के बैंकों का स्थान रहा (11 प्रतिशत)। साख-पत्र (एलसी), समझौता-पत्र (एलओयू) तथा स्वीकृति-पत्र जैसी “तुलन-पत्र से इतर मदों” से संबंधित धोखाधड़ियों में पीएसबी का हिस्सा इससे भी अधिक, 96 प्रतिशत के स्तर पर रहा। “नकदी/चेक/समाशोधन” तथा “विदेशी मुद्रा लेनदेन” से संबंधित धोखाधड़ियों में निजी क्षेत्र के नए बैंकों का हिस्सा 20 प्रतिशत से अधिक रहा। अन्य के साथ, डेबिट, क्रेडिट तथा एटीएम कार्डों के संबंध में रिपोर्ट की गई साइबर संबंधी सभी धोखाधड़ियों में निजी क्षेत्र के नए तथा विदेशी बैंकों –दोनों का हिस्सा 36-36 प्रतिशत रहा। भारतीय दंड संहिता के अनुरूप धोखाधड़ियों के किए गए सात वर्गीकरण में से “धोखाधड़ी और जालसाजी” की श्रेणी की हिस्सेदारी

सर्वाधिक रही तथा उसके बाद “दुर्विनियोजन तथा भरोसे के आपराधिक उल्लंघन” का स्थान रहा। “धोखाधड़ी और जालसाजी” के मामलों में समान्यतः एकाधिक बंधक तथा जाली दस्तावेज का प्रयोग किया गया। “धोखाधड़ी और जालसाजी” के माध्यम से की गई बैंक धोखाधड़ियों को रिपोर्ट करने में मुंबई (बृहन्मुंबई), कोलकाता तथा दिल्ली शहरों का नाम सबसे पहले आता है। धोखाधड़ी किए जाने में स्टाफ के लिप्त होने के संबंध में बैंकों ने यह रिपोर्ट किया कि ऐसा प्रमुख रूप से ‘नकद’ तथा ‘जमाराशियों’ के अंतर्गत हुई धोखाधड़ी के मामलों में हुआ, जिनका धोखाधड़ी की घटनाओं की समग्र संख्या तथा राशि

चार्ट VI.2: बैंकिंग धोखाधड़ी के लंबित मामलों का संघटन



स्रोत: भारिबैं पर्यवेक्षीय विवरणियां।

में हिस्सा काफी कम था। सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री (सीएफआर) धोखाधड़ियों को कम करने के लिए हाल ही में की गई महत्वपूर्ण पहल थी, जो रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों के मामलों में बैंकों के उपयोग हेतु खोज करने की क्षमता वाला वेब आधारित डेटा बेस है।

वर्ष 2018-19 के लिए कार्ययोजना

VI.61 बैंकों के ऋण संविभाग में अस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण में पाई गई अत्यधिक भिन्नता के साथ ही भारतीय बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर, भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के पूर्व सदस्य, श्री वाई.एच. मालेगाम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जो निम्नलिखित कार्य करेगी - रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन की तुलना में बैंकों द्वारा अस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण में अत्यधिक भिन्नता के कारणों तथा उन्हें रोकने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों का पता लगाएगी, बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाओं में हुई वृद्धि के कारक तथा उनके निवारण के उपायों (आईटी हस्तक्षेप सहित) का पता लगाएगी, तथा ऐसी विभिन्नता और धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए बैंकों में संचालित की गई विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षाओं की भूमिका तथा कारगरता की जांच करेगी। समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाते हुए उन्हें कार्यान्वित किया जाएगा।

VI.62 यह प्रस्ताव रखा गया कि वित्तीय संगुट (एफसी) समूहों के कारण होने वाले प्रणालीगत जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए उनके संबंध में नेटवर्क विश्लेषण प्रारम्भ किया जाए। विश्लेषण में प्रत्येक वित्तीय बाज़ार खंड में किसी एफसी समूह की मुख्य संस्थाओं को कवर किया जाएगा और समूह के भीतर के एक्सपोजर पर भी विचार किया जाएगा। विश्लेषण निष्कर्षों को विनियामकों के साथ साझा किया जाएगा तथा महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों और/अथवा चिंताओं पर अंतर-विनियामकीय फ़ोरम (आईआरएफ) की बैठकों में चर्चा की जाएगी।

VI.63 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस)/इंड-एस को लागू किए जाने के संबंध

में विनियामकीय दिशा-निर्देशों के उद्भव के क्रम में बैंकों द्वारा गुणात्मक तथा मात्रात्मक रिपोर्टिंग पर प्रभाव की समीक्षा की जाएगी, और उन्हें सुसंगत बना कर पर्यवेक्षी ढांचे में समेकित किया जाएगा। लघु वित्त बैंक (एसएफबी) तथा भुगतान बैंकों के पर्यवेक्षी ढांचे के संबंध में इन बैंकों के शीर्ष-प्रबंधन के लिए विशिष्ट संवेदीकरण सत्रों का आयोजन किए जाने को वर्ष 2018-19 की कार्यसूची में शामिल किया गया।

VI.64 वर्ष 2018-19 के दौरान, भारतीय बैंकों की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत बनाने के प्रयास में संकेंद्रित तथा विषय-आधारित आईटी जांच की योजना बनाई गई। समुचित नीतिगत तथा पर्यवेक्षी हस्तक्षेप के संबंध में, यथा वांछित, लक्षित छानबीन भी की जाएगी।

VI.65 ऑफ साइट निगरानी तंत्र की निरंतरता सुनिश्चित करने तथा उसकी दक्षता में सुधार करने के लिए साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी परीक्षण (सीएसआईटीई) कक्ष के विभिन्न पर्यवेक्षी कार्यों को आसान बनाने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा प्रबंध आवेदन पोर्टल तैयार करने एवं विवरणियों की पूरी तरह से स्वचालित निगरानी करने की परिकल्पना की गई, जिसे मार्च 2019 तक कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अलावा, बैंकों की मौजूदा लेखापरीक्षा प्रणाली को मजबूत करने और उसे विद्यमान वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने की तत्काल आवश्यकता है (बॉक्स VI.5)।

सहकारी बैंक : सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस)

VI.66 डीसीबीएस का प्राथमिक उत्तरदायित्व प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) का पर्यवेक्षण करना और उसके साथ ही सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित सहकारी बैंकिंग क्षेत्र का निर्माण सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए डीसीबीएस यूसीबी की आवधिक ऑन-साइट निगरानी एवं सतत ऑफ-साइट निगरानी करता है। जून 2018 के अंत की स्थिति के अनुसार, देश में 1,550 यूसीबी परिचालनरत थे, जिनमें से 39 यूसीबी की निवल मालियत ऋणात्मक रही और 20 यूसीबी रिज़र्व बैंक के निदेशों के अंतर्गत रहे।

बॉक्स VI.5

बैंकों में लेखापरीक्षा प्रणालियों को बेहतर बनाना

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में सांविधिक लेखापरीक्षा, जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए), समवर्ती लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा, तथा विशेष लेखापरीक्षा जैसी विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा की जाती हैं। हाल ही में, बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की बड़ी घटनाओं ने लेखापरीक्षा कार्य तथा उसके अभिशासन में सुधार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसके अलावा, रिजर्व बैंक द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार आर्स्टि वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण में एससीबी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की तुलना में पाई गई भिन्नताओं को चिंता का विषय माना जा रहा है।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की भूमिका (एससीबी) : एससीबी को यह अधिदेश है कि एससीबी का मार्गदर्शन करें तथा एससीबी की लेखापरीक्षा के समग्र परिचालन का निरीक्षण करें। एससीबी को नेमी प्रकार की महत्वपूर्ण मदों की समीक्षा करने के अलावा, बैंक की प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं के लिए मानक निर्धारित करने के कार्य का निरंतर निरीक्षण करना होता है, ताकि आंतरिक दिशानिर्देशों एवं विभिन्न विनियामक मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

समवर्ती लेखा परीक्षा : समवर्ती लेखापरीक्षा वास्तविक-समय अथवा लगभग वास्तविक-समय पर की जानी होती है, और इससे यह अपेक्षा की जाती है कि कुछ समायावधि के बाद की जाने वाली अनुवर्ती आंतरिक लेखापरीक्षा की दिशा तय करे। अपवाद स्वरूप की रिपोर्टों, चाहे वे नेमी प्रकार की ही क्यों न हों, की भी निरंतर और विस्तृत जांच की जानी होती है। राउंड ट्रिपिंग तथा अन्य माध्यमों से निधियों के विपथन के संबंध में लेखा सत्यापन की जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा, लेखापरीक्षक से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है कि फेमा के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा हो तथा केवाईसी/एएमएल दिशा-निर्देशों को उचित ढंग से लागू किया जा रहा हो।

आंतरिक लेखापरीक्षा : मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, जिसमें स्वतंत्र तथा प्रभावी लेखापरीक्षा कार्य शामिल हों, का होना मजबूत कॉर्पोरेट अभिशासन का अंग होता है। अपर्याप्त मानव संसाधन, वांछित कौशल (विशेष रूप से, विशेषीकृत शाखाओं के लिए) का अभाव, लेखा परीक्षा के निष्कर्षों के अनुपालन के लिए निर्धारित समय-सीमाओं का पालन नहीं करना, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल नहीं करना, इत्यादि के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इससे यह संकेत मिलता है कि पहले की रिपोर्टों के निष्कर्षों के दीर्घकालिक अनुपालन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा के एक समान निष्कर्ष होने तथा उनके दोहराव के

बहुत से उदाहरण पाए गए। इसके अलावा, आंतरिक लेखापरीक्षा धोखाधड़ी के बहुत से मामलों का पता नहीं लगाया जा सका, जो खातों के एनपीए बन जाने के बाद उजागर हुए। धोखाधड़ी का पता लगाने और उन्हें रिपोर्ट करने के साथ ही साथ उनके निवारण के लिए उठाए जाने वाले कदमों को और अधिक जोखिम-केंद्रित बनाए जाने की जरूरत है, ताकि आरंभिक स्तर पर ही खतरे के निशानों का पता लगाया जा सके।

बैंकों द्वारा आय निर्धारण और आर्स्टि वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों का पालन नहीं किया जाना बड़ी चिंता का विषय है। इस संबंध में, रिजर्व बैंक सहित सभी भागीदारों को लेखापरीक्षा की गतिविधियों द्वारा समुचित भरोसा दिलाया जाना अभी शेष है। पर्यवेक्षक तथा अन्य भागीदारों के बीच सूचना की भिन्नता की घटनाएं संभव हैं, लेकिन विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुपालन के अभाव के कारण एनपीए में विचलन नहीं होना चाहिए।

सांविधिक लेखापरीक्षा : सांविधिक लेखापरीक्षकों को धोखाधड़ियों और आर्स्टि वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण में विचलन की घटनाओं से उजागर हुई त्रुटियों की पहचान करने के लिए मूल कारण का विश्लेषण करना चाहिए। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा, एनपीए के प्रणाली-आधारित निर्धारण के कार्यान्वयन में बैंकों के समक्ष आने वाले मामलों के साथ ही साथ उनके नियत कार्यों के लिए सेंट्रल डेटाबेस का और प्रभावी उपयोग कर पाने के संबंध में उत्पन्न अड़चनों की पहचान की जा सकती थी। इसके अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लॉन्ग-फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से दी गई सूचनाओं में सुधार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि वे बैंकों के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षकों (एसए) के लिए प्रवर्तन कार्रवाई का फ्रेमवर्क : लेखापरीक्षा की गुणवत्ता को सुधारने तथा सुसंगत तरीके से सांविधिक लेखापरीक्षकों की जवाबदेही की जांच करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्रमिक प्रवर्तन कार्रवाई फ्रेमवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके स्थापित होने से, बैंकों के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा बैंक की सांविधिक लेखापरीक्षा में पाई जाने वाली चूक के संबंध में रिजर्व बैंक को समुचित कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त होगी। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, 18 अप्रैल 2018 को जारी रिजर्व बैंक के परिपत्र में बैंकों के लिए निर्दिष्ट प्रारंभिक सीमा से अधिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की तुलना में रिजर्व बैंक के निरीक्षण के दौरान पाई गई आर्स्टि वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण संबंधी भिन्नता की घटनाओं को समाहित किया जाएगा।

2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

क्षमता निर्माण पर अधिक ध्यान दिया जाना

VI.67 वर्ष के दौरान, यूसीबी में जनबल की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों पर अतिरिक्त जोर दिया गया। यहां जनबल से तात्पर्य कर्मचारी, प्रबंध-तंत्र एवं लेखापरीक्षक से है। यूसीबी पूरे देश में

दूर-दूर तक फैले हुए हैं, इसलिए रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके साथ करीबी से जुड़ने एवं उन्हें बढ़ावा देने की अहम भूमिका सौंपी गई। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विशेष रूप से यूसीबी के स्टॉफ हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया। साथ ही, कॉर्पोरेट अभिशासन की महत्ता एवं कुशल प्रबंधन की भूमिका के मद्देनजर यूसीबी के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) एवं

बोर्ड के सदस्यों के लिए अलग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेखापरीक्षक पर्यवेक्षक का ही विस्तारित रूप होते हैं, इसलिए विशेष प्रशिक्षण सत्रों के जरिए समय-समय पर उन्हें भी प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त, ऑन-साइट निरीक्षण या ऑफ-साइट निगरानी के नतीजों के आधार पर कमजोर बैंकों की पहचान की गई और विशिष्ट सरपरस्ती कार्यक्रम आयोजित किए गए, ताकि संबंधित बैंकों में सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

एक्सबीआरएल प्लैटफॉर्म का स्थिरीकरण

VI.68 एक्सबीआरएल प्लैटफॉर्म, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक संचार में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम मौजूदा कार्यप्रणालियों का प्रयोग करते हुए बैंकों द्वारा भेजी गई विभिन्न विवरणियों के घटकों को मानक एवं युक्तिसंगत बनाने में मदद करता है। प्रस्तुत विवरणियों को युक्तिसंगत बनाने के बाद, यूसीबी द्वारा अब मात्र 22 विवरणियां प्रस्तुत की जाती हैं, जिसमें सांविधिक, विनियामकीय एवं पर्यवेक्षी आंकड़े व सूचना शामिल होते हैं। धोखाधड़ी के आंकड़े की रिपोर्ट किए जाने संबंधी विवरणी एक्सबीआरएल प्लैटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाने के अंतिम चरण पर है।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

यथासमय निरीक्षण पूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने सहित निरीक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करना

VI.69 यूसीबी की बड़ी संख्या के साथ ही, इस क्षेत्र में विविधता के कारण पर्यवेक्षी संसाधनों के इष्टतम आबंटन में चुनौती उत्पन्न होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए, नवोन्मेषी कार्य-प्रणाली अपनाई गई, ताकि प्रयुक्त संसाधनों और पर्यवेक्षी निष्कर्ष के बीच उचित संतुलन बनाया जा सके। इस प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने एवं रिपोर्टों में सतत गुणत्मकता सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षी प्रक्रिया को और अधिक दुरुस्त किया जाएगा, ताकि उसकी क्षमता और प्रभावोत्पादकता में वृद्धि की जा सके।

एनबीएफसी : गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस)

VI.70 डीएनबीएस द्वारा 11,174 एनबीएफसी का पर्यवेक्षण किया जाता है, जिनमें से 249 जमा स्वीकार नहीं करने वाली

प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी हैं। वर्ष के दौरान, एनबीएफसी क्षेत्र की आस्तियों में उच्च वृद्धि हुई। दो नए-प्रकार की एनबीएफसी, नामतः - लेखा समेकक (अकाउन्ट एग्रीगेटर्स) एवं पी2पी लेंडिंग प्लैटफॉर्म को परिचालन की अनुमति दी गई, जिससे इस क्षेत्र की विविधता में वृद्धि हुई।

2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

VI.71 एनबीएफसी से संबंधित 'सचेत' पोर्टल में नवीनता लाई गई ताकि उपभोक्ता इंटरफेस एवं कार्यात्मकता को बेहतर किया जा सके। क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद पूरा होते ही इसे नए रूप में शुरू कर दिया जाएगा। एआरसी के लिए पर्यवेक्षी रेटिंग फ्रेमवर्क ईजाद किया गया है और 2018-19 के निरीक्षण चक्र से इसे क्रियान्वित कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ने, अनुपालन नहीं करने वाले, निष्क्रिय और न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) के मानदंड पूरा नहीं करने वाली एनबीएफसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू किया। परिणामस्वरूप, पर्यवेक्षी व्यवस्था में सख्ती बरती गई। निरीक्षण के अंतिम दौर में, जोखिम-केंद्रित मॉडल का प्रयोग मौजूदा निरीक्षण रिपोर्ट फॉर्मेट के साथ-साथ किया गया और इसे अंतिम रूप दिया गया, जिसे 2018-19 के वर्तमान निरीक्षण चक्र से लागू किया जा रहा है। एक्सबीआरएल फॉर्मेट के अंतर्गत पर्यवेक्षी विवरणियों की संख्या को युक्तिसंगत बनाया गया ताकि आंकड़ों के दोहराव से बचा जा सके और साथ ही, इस क्षेत्र के ऋण संबंधी छोटे से छोटे आंकड़े और अंतःसंबद्धता के वित्तीय पहलुओं की जानकारी प्राप्त की जा सके। एक्सबीआरएल में तैयार की जा रही संशोधित विवरणियां अभी प्रायोगिक अवस्था में हैं। सरकार की स्वाधिकृत एनबीएफसी को ऑन-साइट निरीक्षण और ऑफ-साइट निगरानी फ्रेमवर्क के दायरे में लाया गया। दिसंबर 2017 को समाप्त तिमाही से इनसे पर्यवेक्षी विवरणियां मंगाई जा रही हैं।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

VI.72 वर्ष 2018-19 के निरीक्षण चक्र के साथ सरकार के स्वामित्व वाली एनबीएफसी का ऑन-साइट निरीक्षण किया जाएगा। एनबीएफसी-लेखा समेककों एवं एनबीएफसी- पी2पी लेंडिंग प्लैटफॉर्म से संबंधित पर्यवेक्षी विवरणियां तैयार की

जाएगी। एनबीएफसी के मामले में साइबर सुरक्षा की घटनाओं को रिपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना की जाएगी।

प्रवर्तन विभाग (ईएफडी)

VI.73 ईएफडी ने अपना कामकाज अप्रैल 2017 से शुरू किया। विभाग का मूल कार्य विनियम लागू करना है, जिनका उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में स्थिरता, सार्वजनिक हितों में बेहतरी एवं उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

VI.74 वर्ष के दौरान, प्रवर्तन योजना एवं फ्रेमवर्क लागू किए गए ताकि प्रवर्तन कार्रवाई एक निष्पक्ष, एक समान एवं पक्षपात-रहित ढंग से की जा सके। ईएफडी ने बैंक में जानकारी साझा करने के लिए एक प्रोटोकॉल भी विकसित किया, और वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में प्रवर्तन कार्रवाई भी शुरू की।

VI.75 जुलाई 2017 से जून 2018 के दौरान, ईएफडी ने 14 बैंकों (भुगतान बैंक एवं लघु वित्त बैंक सहित) के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए समग्र रूप से ₹1,024 मिलियन का दंड आरोपित किया, जिसके कारण निम्नलिखित थे - ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में विनियामक प्रतिबंधों का गैर-अनुपालन/ उल्लंघन करना, एसएफबी एवं भुगतान बैंकों के लिए लाइसेंसिंग शर्तों व परिचालन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करना, केवाईसी मानदंडों का उल्लंघन करना, आय निर्धारण और आरिस्त वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों का उल्लंघन करना, सूचना सुरक्षा संबंधी घटनाओं की रिपोर्टिंग में विलंब करना, और साथ ही हुंडी दलाली (बिल डिस्काउंटिंग) एवं गैर-निधि आधारित सुविधाएं प्रदान करने के मानदंडों का अनुपालन नहीं करना, जाली नोटों का पता लगाने और उसे जब्त करने के मानदंडों का अनुपालन नहीं करना तथा निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बोनस शेयरों के निर्गमन के संबंध में मानदंडों का अनुपालन नहीं करना एवं परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) संविभाग से प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष बिक्री के संबंध में जारी विशिष्ट निर्देशों का पालन नहीं करना।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

VI.76 आगे चलकर, यूसीबी और एनबीएफसी से जुड़े प्रवर्तन कार्य को चरणबद्ध रूप से ईएफडी के अंतर्गत लाया जा रहा है।

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी)

VI.77 सीईपीडी का काम विनियमित संस्थाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की निगरानी सुनिश्चित करना एवं बैंकिंग लोकपाल (बीओ) योजना के प्रशासन और कार्य-पद्धति की जांच करना।

2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

VI.78 23 फरवरी 2018 से, रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना शुरू की, जिसमें आरंभिक तौर पर जमा स्वीकार करने वाले सभी एनबीएफसी शामिल हैं। एनबीएफसी लोकपाल के कार्यालयों ने चार मेट्रो केंद्रों – चेन्नै, कोलकाता, मुंबई एवं नई दिल्ली में कार्य प्रारंभ कर दिया है और प्रत्येक कार्यालय द्वारा संबंधित अंचल के अंतर्गत आने वाली एनबीएफसी के ग्राहकों की शिकायतों का निपटान किया जाता है।

VI.79 बैंकिंग लोकपाल (बीओ) योजना में इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग से संबंधित कपटपूर्ण बिक्री और शिकायतों को शिकायत करने का वैध कारण माने जाने की बात को शामिल करने के लिए इस योजना की समीक्षा की गई और इस संशोधन को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। बीओ योजना में किए गए संशोधन 1 जुलाई 2018 से प्रभावी हुए। लोकपाल के आर्थिक अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत निर्णय करने की बंदिशों को समाप्त किया गया और बीओ द्वारा क्षेतिपूर्ति के रूप में स्वीकृत की जाने वाली राशि दोगुनी वृद्धि के साथ ₹2 मिलियन कर दिया गया। बैंकों की जवाबदेही को बढ़ाने के उपाय के रूप में, शोषण किए जाने/मानसिक यंत्रणा दिए जाने के संबंध में ₹0.1 मिलियन तक की अतिरिक्त क्षेतिपूर्ति का विस्तार इस योजना के अंतर्गत आने वाली सभी प्रकार की शिकायतों तक किया गया, जो पहले सिर्फ क्रेडिट/ डेबिट कार्ड संबंधी शिकायतों पर ही लागू थीं।

VI.80 कपटपूर्ण बिक्री की प्रकृति एवं बुनियादी बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंकों द्वारा लगाए गए प्रभारों का आकलन करने के लिए एक अध्ययन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, बैंकों द्वारा केवाईसी के अनुपालन का अध्ययन किया गया, ताकि सभी वास्तविक ग्राहकों की सुरक्षा में वृद्धि की जा सके।

VI.81 रिजर्व बैंक उपभोक्ता शिक्षण के लिए सतत प्रयासरत है। वर्ष 2017-18 के दौरान, रिजर्व बैंक का एसएमएस हैंडल, नामतः - आरबीआई कहता है का प्रयोग फर्जी पेशकशों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सुविधाओं का सावधानीपूर्वक उपयोग करने के लिए किया गया। इसके अलावा, वर्ष के दौरान सभी बीओ कार्यालयों ने, मुख्य रूप से टिआर II शहरों में, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

VI.82 शिकायतों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर, शिकायत निवारण तंत्र की क्षमता को बेहतर करने की बैंक की पहल के तौर पर ऑनलाइन शिकायत प्रबंध प्रणाली (सीएमएस) महत्वपूर्ण हो गई है। तदनुसार, बैंकों और पात्र एनबीएफसी के ग्राहकों के

लिए ऑनलाइन विवाद निपटान तंत्र विकसित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसे 2018-19 में पूरा कर लिया जाएगा।

VI.83 बीओ के कार्यालयों में प्राप्त हो रही शिकायतों, जिसमें डिजिटल भुगतान शामिल हैं, और बैंक तथा गैर-बैंक जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) की बढ़ती संख्या की वजह से डिजिटल लेनदेन के लिए एक अलग लोकपाल की स्थापना को अनिवार्य बना दिया है। रिजर्व बैंक डिजिटल लेनदेन के संबंध में लोकपाल योजना बनाएगा और चुनिंदा केंद्रों पर डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल कार्यालय की स्थापना करेगा। रिजर्व बैंक एनबीएफसी से संबंधित लोकपाल योजना की समीक्षा भी करेगा जिससे वर्ष के दौरान अन्य पात्र एनबीएफसी को उसके दायरे में लाया जा सके (बॉक्स VI.6)।

बॉक्स VI.6

बैंक के ग्राहकों के लिए लोकपाल योजना – एक दृष्टिकोण

विवाद समाधान की वैकल्पिक प्रक्रिया के रूप में लोकपाल

लोकपाल योजनाओं को वित्तीय क्षेत्र, विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र, में ग्राहकों की शिकायतों के निवारण का मुख्य आधार माना जाता है। विवाद समाधान के इस वैकल्पिक मंच के गठन एवं वित्तपोषण के संबंध में सभी अधिकार-क्षेत्रों में भिन्नता पाई जाती है। यूके की तरह ऑस्ट्रेलिया की वित्तीय लोकपाल योजना, न्यूजीलैंड की बैंकिंग लोकपाल (बीओ) योजना एवं कनाडा की बैंकिंग सेवाओं और निवेश से संबंधित लोकपाल (ओबीएसआई) का वित्तपोषण उद्योग द्वारा किया जाता है, जबकि सिंगापुर का वित्त जगत विवाद निवारण केंद्र (एफआईडीआरसी) वित्तपोषण के लिए विवाद में शामिल दोनों पक्षों, अर्थात् - शिकायतकर्ता और संबंधित वित्तीय संस्था -दोनों से शुल्क लेता है। अमेरिका के उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो (सीएफपीबी) को फेडरल रिजर्व प्रणाली से सहयोग मिलता है।

बैंकिंग लोकपाल योजना की खास विशेषताएं

भारत में, बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस) उपभोक्ता सुरक्षा के संबंध में की गई प्रमुख पहल है। यह योजना रिजर्व बैंक के तत्वाधान में कार्य करती है और इसलिए अपने परिचालनों के लिए यह ग्राहक या बैंक जगत के किसी निकाय पर निर्भर नहीं है। केंद्रीय बैंक के जुड़े होने के कारण, बीओएस बैंकों के ग्राहकों को निःशुल्क एवं शीघ्र शिकायत निवारण प्रक्रिया उपलब्ध कराती है। बैंकिंग लोकपाल (बीओ), वित्तीय लेनदेन के साथ-साथ शिकायत

निवारण के लिए उपलब्ध तौर-तरीकों के बारे में जागरूकता लाने एवं उनके शिक्षण में भी सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। वित्तीय लेनदेन के बदलते परिदृश्य के साथ कदम बढ़ाने के लिए, 1995 में बीओएस की स्थापना होने से लेकर अब तक पाँच बार संशोधन किए गए हैं। रिजर्व बैंक ने 2018 में, बैंकों के ग्राहकों के लिए इस योजना को चलाने से मिले अनुभव के मद्देनजर, एनबीएफसी के लिए भी लोकपाल योजना लागू किया।

आगे की राह

वर्ष 2016-17 के दौरान वित्तीय लेनदेन के डिजिटल मोड से संबंधित शिकायतों की कुल शिकायतों में 19 प्रतिशत की हिस्सेदारी रही। जून 2018 के अंत तक बढ़कर यह 28 प्रतिशत हो गई। यह वृद्धि, विशेष रूप से, 1 जुलाई 2017 से इस योजना के अंतर्गत मोबाइल बैंकिंग सेवा में खामियों को शिकायत के कारण के रूप में मान्य किए जाने की वजह से हुई। अन्य प्रमुख क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत डिजिटल वित्तीय लेनदेन से जुड़ी शिकायतों के लिए अलग से लोकपाल योजना नहीं है, किंतु डिजिटल भुगतान जगत में गैर-बैंक सेवा प्रदाताओं की संख्या बढ़ने के साथ ऐसी शिकायतों की बढ़ती प्रवृत्ति एवं जटिलता इस प्रकार की शिकायतों के निवारण के लिए एक समर्पित लोकपाल योजना तैयार करने की जरूरत को रेखांकित करती है।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)

VI.84 वित्तीय सुरक्षा के सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भों में से एक स्तम्भ के रूप में निक्षेप बीमा प्रणाली जमाकर्ताओं के विश्वास को बनाए रखती है और फलस्वरूप वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। डीआईसीजीसी के निक्षेप बीमा के दायरे में सभी वाणिज्यिक बैंक आते हैं, जिसके अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी), भुगतान बैंक (पीबी), लघु वित्त बैंक (एसएफबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) एवं सहकारी बैंक भी आते हैं। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार, पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या 2,109 थी, जिसमें 160 वाणिज्यिक बैंक (इनमें 56 आरआरबी, 3 एलएबी, 5 पीबी एवं 10 एसएफबी शामिल हैं) एवं 1,949 सहकारी बैंक (33 राज्य सहकारी बैंक, 364 डसीसीबी और 1,552 यूसीबी) शामिल हैं। भारत में निक्षेप बीमा की वर्तमान सीमा ₹0.1 मिलियन होने के साथ, मार्च 2018 के अंत की स्थिति के अनुसार पूर्णतः संरक्षित खातों की संख्या (1,898 मिलियन) खातों की कुल संख्या (2,063 मिलियन) का 92 प्रतिशत रही, जबकि इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय मानक² 80 प्रतिशत था। राशि के रूप में देखा जाए तो, मार्च 2018 के अंत की स्थिति के अनुसार, कुल बीमाकृत जमाराशि 33,135 बिलियन थी, जो मूल्यांकन-योग्य 118,279 बिलियन की जमाराशि के 28 प्रतिशत के तुल्य रही, जबकि अंतरराष्ट्रीय मानक 20 से 30 प्रतिशत का है। 2017-18 के लिए वर्तमान स्थिति में बीमा सुरक्षा के संबंध में की गई गणना प्रति व्यक्ति आय की 0.9 गुना है।

VI.85 डीआईसीजीसी अपने अधिशेष के अंतरण के जरिए निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष लगने वाले निवल कर को घटाकर व्यय (जमाकर्ताओं के दावों का भुगतान एवं संबंधित व्यय) की तुलना में अधिशेष आय (मुख्य रूप से बीमाकृत बैंकों से प्राप्त प्रीमियम, निवेशों से प्राप्त ब्याज आय और असफल बैंकों की आस्तियों से वसूल की गई नकदी) का अंतरण किया जाता है। यह निधि उन बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए उपलब्ध होती

है जिनका परिसमापन/समामेलन हुआ हो। 2017-18 के दौरान, निगम द्वारा ₹0.4 बिलियन के कुल दावे मंजूर किए गए जबकि विगत वर्ष ₹0.6 बिलियन की राशि मंजूर की गई थी। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार, डीआईएफ का आकार ₹814.3 बिलियन रहा, जिसके कारण रिजर्व अनुपात (डीआईएफ/बीमाकृत जमाराशियां) 2.5 प्रतिशत हो गया।

VI.86 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) द्वारा वित्तीय संस्थाओं के लिए जारी की गई प्रभावी समाधान व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं के मुताबिक, प्रभावी समाधान व्यवस्था का उद्देश्य गंभीर प्रणालीगत बाधाओं के बगैर एवं कर दाताओं को हानि पहुंचाए बिना वित्तीय संस्थाओं के समाधान को व्यवहार्य बनाना है। समाधान व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वह प्रमुख आर्थिक कार्यों की भी सुरक्षा करे। यह सुरक्षा ऐसी प्रक्रियाओं के जरिए की जानी चाहिए जो शेयरधारकों और प्रतिभूतिरहित एवं गैर-बीमाकृत ऋणदाताओं को हानि वहन करने में मदद करे, जिसके अंतर्गत परिसमापन में दावों के पदानुक्रम का ध्यान रखा जाता हो। उबरने (बेल-इन) को वित्तीय संस्थाओं के समाधान के एक साधन के रूप में विकसित किया गया है (बॉक्स VI.7)।

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)

VI.87 राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना, आवास वित्त की एक शीर्ष संस्था के रूप में, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत 9 जुलाई 1988 को की गई थी। एनएचबी का प्राथमिक कार्य आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) का पंजीकरण, विनियमन एवं पर्यवेक्षण करना है। एनएचबी की ₹14.5 बिलियन की समग्र पूंजी का अभिदान रिजर्व बैंक ने किया। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार, एनएचबी में 96 एचएफसी पंजीकृत थीं, जिनमें से 18 एचएफसी जनता की जमाराशियां स्वीकार करने की पात्र थीं।

VI.88 एनएचबी द्वारा एचएफसी, एससीबी, आरआरबी और सहकारी ऋण संस्थाओं को आवास ऋणों के लिए पुनर्वित्त भी प्रदान करता है, और साथ ही सरकारी एवं निजी क्षेत्र में उधारकर्ताओं को सीधे उधार (परियोजना वित्तपोषण) भी देता है। वर्षों से एनएचबी का ध्यान सेवा से वंचित आबादी एवं अल्प

² अंतरराष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ (2013), "इन्हांस्टड गाइडेंस फॉर इफेक्टिव डिपॉजिट इश्योरेंस सिस्टम्स : डिपॉजिट इश्योरेंस कवरेज", गाइडेंस पेपर, मार्च। यह पेपर www.iadi.org पर उपलब्ध है।

बॉक्स VI.7

वित्तीय संस्थाओं के समाधान के उपाय के रूप में उन्हें उबारा जाना (बेल-इन) : सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाएं

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, अमेरिका एवं यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा कमजोर वित्तीय संस्थाओं के समाधान के लिए व्यापक उपाय किए गए। 2010 में, अमेरिका ने डॉड-फ्रैन्क अधिनियम के तहत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के लिए समाधान फ्रेमवर्क (रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क) की स्थापना की। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य राज्यों के लिए जनवरी 2015 से उनके राष्ट्रीय कानून में बैंक बहाली एवं समाधान दिशा-निर्देश (बीआरआरडी) को स्थान दिया जाना अनिवार्य किया गया। इस नई प्रक्रिया का मुख्य घटक संस्थानों के उबरने (बेल-इन) का उपाय है, जिसके अनुसार बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपना पुनर्पूजीकरण करें और नुकसान की भरपाई आंतरिक संसाधनों से करें। यह उपाय 1 जनवरी 2016 से अनिवार्य किया गया।

विफल होने वाली वित्तीय संस्थाओं के समाधान के उपाय के रूप में उबरने (बेल-इन) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शेरधारक और ऋणदाता नुकसान की भरपाई कर दाताओं के धन या सरकारी निधि का सहारा लिए बगैर करें। एफएसबी की प्रमुख विशेषताओं (एफएसबी 2014, 2017) के अनुसार उबरने (बेल-इन) से तात्पर्य समाधान प्राधिकारियों की शक्तियों से है, जो इस प्रकार हैं : (i) बड़े खाते डालने का कार्य इस ढंग से किया जाए, जो परिसमापन के दावों के पदानुक्रम के अनुसार हो। इक्विटी या फर्म के मालिकाना हक से संबंधित लिखतों, गैर-प्रतिभूतिकृत एवं गैर-बीमाकृत ऋणदाताओं को उसी हद तक बड़े खाते डाला जाए, जितना नुकसान की भरपाई करने के लिए जरूरी हो; (ii) समाधान के अंतर्गत गैर-प्रतिभूतिकृत एवं गैर-बीमाकृत ऋणदाताओं के सभी या कुछ दावों को फर्म के स्वामित्व वाली इक्विटी या अन्य लिखतों में इस प्रकार से परिवर्तित करना जो परिसमापन में दावों के पदानुक्रम का ध्यान रखता हो; (iii) ऐसी किसी भी आकस्मिक परिवर्तन-योग्य अथवा संविदाकृत उबारे जाने संबंधी (बेल-इन) लिखत, जिसकी मीयाद समाधान प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले पूरी नहीं हुई हो, को परिवर्तित करना या बड़े खाते डालाना, और परिणामी लिखत के संबंध में उक्त (i) और (ii) के अनुरूप कार्रवाई करना।

यूरोपीय बीआरआरडी 2014 के अनुसार, उबरने (बेल-इन) का मुख्य लक्ष्य कमजोर बैंकों को मजबूती प्रदान करना है, ताकि उसकी आवश्यक सेवाओं को सरकारी निधियों से उबारे जाने (बेल-आउट) के बगैर जारी रखा जा सके। इस साधन के प्रयोग से प्राधिकारियों को देयताओं को बड़े खाते डालने एवं/या उनको इक्विटी में बदलने के जरिए कमजोर बैंकों के पुनर्पूजीकरण में मदद मिलती है, जिससे बैंक लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के रूप में कार्य जारी रख सकें। इससे वित्तीय प्रणाली पर बाधा को टाला जा सकेगा, और प्राधिकारियों को बैंकों के पुनर्निर्माण के लिए समय मिल जाता या उसके कारोबार के कुछ हिस्सों को व्यवस्थित ढंग से बंद करना पड़ता, अन्यथा बैंक की महत्वपूर्ण सेवाओं में रुकावट या विघ्न पड़ने से बाधा उत्पन्न हो सकती थी; इसे 'खुले बैंक समाधान' के रूप में जाना जाता है। 'बंद बैंक समाधान' में बैंक के दो हिस्से, एक हिस्सा अच्छा बैंक या सेतु बैंक और दूसरा हिस्सा बुरा बैंक, कर दिए जाते हैं। अच्छे या सेतु बैंक को नई विधिमान्य संस्थान का दर्जा दिया जाता है, जो परिचालन जारी रखता है, और बुरे बैंक का परिसमापन कर दिया जाता है।

एकल समाधान प्रक्रिया विनियमन (एसआरएमआर) एवं बीआरआरडी के अनुसार, उन सभी देयताओं को उबरने (बेल-इन) के दायरे में लाया जा सकता है जिन्हें स्पष्ट रूप से उबरने (बेल-इन) के दायरे से बाहर नहीं किया गया हो। रक्षित जमा राशियों को इस प्रक्रिया के बाहर रखा जाना प्रमुख अपवाद है। समाधान प्राधिकरण (आरए) कतिपय देयताओं को पूर्णतः या आंशिक रूप से उबरने (बेल-इन) से बाहर रख सकते हैं ताकि उन व्यापक संक्रामकताओं से

बचा जा सके जो वित्तीय बाजारों, विशेष रूप से, व्यक्तियों एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों; के कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। समाधान के साधनों का प्रयोग करते समय आरए को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई ऋणदाता की स्थिति परिसमापन के अंतर्गत होने वाली उसकी स्थिति से बदतर न होने पाए। अंतरराष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ (आईएडीआई) (2016) के अनुसार, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण संस्थाओं को बहाल करने का लक्ष्य रखने वाले उबरने (बेल-इन) जैसे विशेष साधनों का प्रयोग लघु और मध्यम आकार वाली संस्थाओं पर नहीं किया जाना चाहिए।

नवंबर 2011 में, वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रभावी समाधान व्यवस्थाओं की प्रमुख विशेषताओं (केए) को अपनाए जाने के बाद से एफएसबी द्वारा गठित संकट प्रबंध समूहों के प्राधिकारी फर्म-विशिष्ट के समाधान की कार्यनीति विकसित करने और विश्व में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (जी-एसआईबी) के लिए योजना बनाने में लगे हुए हैं। प्रभावी ढंग से उबरने (बेल-इन) में होने वाले लेनदेन को क्रियान्वित करने से जुड़ी विधिक एवं परिचालनात्मक जटिलताएं उभरकर आने वाली प्रमुख चुनौती रही है। प्रमुख विशेषताओं ने उन सामान्य शक्तियों का निर्धारण किया कि प्राधिकारियों के पास रेजल्यूशन के अंतर्गत उबरने (बेल-इन) के प्रयोजनार्थ होनी चाहिए। गौरतलब है कि उनमें परिचालनात्मक पहलुओं पर विचार नहीं किया गया। एफएसबी के परामर्शी दस्तावेज में प्राधिकारियों के कार्य में सहयोग करने के संबंध में उबरने (बेल-इन) को लागू करने संबंधी कुछ सिद्धांत विचार करने हेतु प्रस्तुत किए गए हैं। इन सिद्धान्तों में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, उबरने (बेल-इन) के दायरे के अंतर्गत आने वाले लिखतों और देयताओं की पहचान करने की कार्रवाइयों और प्रक्रियाओं के प्रकार को समाहित किया गया है।

शोध में इस बात पर जोर दिया गया है कि उबरने (बेल-इन) का फ्रेमवर्क अभी भी विकसित हो रहा है, और अब तक के अनुभव सीमित होने के बावजूद यह महसूस किया गया है कि उबरने (बेल-इन) के साधन का प्रयोग किए जाने से निक्षेप बीमा ऐजेंसियों (डीआईए) (आईएडीआई 2015) को थोड़ा जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। उबरने (बेल-इन) के लिए डीआईए निधियों के उपयोग से जुड़े जोखिम का उद्भव होने के कारण निम्नलिखित हैं – उबरने (बेल-इन) के बाद बैंकों के स्वामित्व के स्वरूप में होने वाले परिवर्तन, निधियों का अनुचित प्रयोग, डीआईए के परिप्रेक्ष्य में महंगी समाधान कार्यनीति। इनके चलते, समाधान के अंतर्गत निधीयन किए जाने और उसके बाद बहाल की गई संस्था के विफल हो जाने की स्थिति में निक्षेप बीमा निधि समाप्त हो जाने से डीआईए की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न लग सकता है।

संदर्भ :

1. यूरोपीय आयोग (2014), "ईयू बैंक रिकवरी एंड रिजॉल्यूशन डायरेक्टिव : फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स", अप्रैल।
2. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड (2014), "की एट्रीब्यूट्स ऑफ इफेक्टिव रेजल्यूशन रिजीम फॉर फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन्स"।
3. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड (2017), "प्रिसिपल्स ऑन बेल-इन एक्जीक्यूशन", कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट।
4. इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपाजिट इन्श्युरर्स (आईएडीआई) (2015), "डिपाजिट इश्योरेंस एंड बेल-इन : इश्यू एंड चैलेंजेज"।
5. आईएडीआई (2016), "ए हैंडबुक फॉर दी एससेमेन्ट ऑफ कम्प्लायन्स विद दि कोर प्रिसिपल्स फॉर इफेक्टिव डिपाजिट इश्योरेंस सिस्टम्स, मार्च।

सेवा-प्राप्त समूहों के आवास कार्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता देने पर केंद्रित था। वर्ष 2017-18 (1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक) में पुनर्वित्त के अंतर्गत किए गए ₹249.20 बिलियन के कुल संवितरण में से 8.08 प्रतिशत (18.28 बिलियन) हिस्सा ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ) को दिया गया। एनएचबी ने सरकार के “2022 तक सब के लिए आवास” संबंधी मिशन के अंतर्गत ऋण सहबद्ध छूट योजना (सीएलएसएस) लागू करने के लिए एक नोडल ऐजन्सी के रूप में एनएचबी ने 30 जून 2018 तक (स्थापना होने के समय से) 138 प्राथमिक उधारदाता संस्थानों (पीएलआई) को ₹42.85 बिलियन के सब्सिडी दावों का भुगतान किया, जिससे 1,96,543 हाउसहोल्ड लाभान्वित हुए।

VI.89 एनएचबी द्वारा निम्न-आय वर्ग के लोगों के लिए आवास ऋणों के संबंध में गारंटी देने के उद्देश्य से निम्न-आय वर्ग के लोगों के लिए आवास हेतु प्रत्यय जोखिम गारंटी निधि न्यास की देख-रेख की जाती है। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत 80 पीएलआई ने न्यास के साथ समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किया। 30 जून 2018 तक न्यास द्वारा 14 उधारदाता संस्थानों (एमएलआई), जो न्यास के सदस्य हैं, के 1977 ऋण खातों को सुरक्षा गारंटी प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय समूह वाले हाउसहोल्ड के लिए ₹562.40 मिलियन की कुल ऋण राशि शामिल है।

रिज़र्व बैंक ने यह सुनिश्चित करके कि सरकार की वित्तपोषण जरूरतें और इसके भुगतान दायित्व सबसे न्यूनतम संभव लागत पर पूरे हों, सफलतापूर्वक ऋण प्रबंधन के उद्देश्य को पूरा किया। रिज़र्व बैंक द्वारा घरेलू और वैश्विक आर्थिक तथा वित्तीय स्थितियों के बीच कम लागत, जोखिम न्यूनीकरण और बाजार विकास को रेखांकित करती हुई ऋण प्रबंधन की रणनीति के समग्र ढांचे के भीतर 2017-18 के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों की उधार जरूरतों को पूरा किया गया, बावजूद इसके कि बैंकों के निवेश संविभागके परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) वर्ग और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) अपेक्षा में कमी के लिए ग्लाइड पथ के रूप में अनेक चुनौतियाँ थीं। समष्टि आर्थिक मोर्चे पर, मुद्रास्फीति के टिल्टिंग जोखिम, राजकोषीय चूकों से उत्पन्न हुए दबाव, घटना विशेष घोषणाएं, उदाहरण के लिए कृषि ऋण माफी के साथ-साथ वैश्विक कारकों जैसे कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीतिगत नरमी प्रमुख कारक रहे जिसने प्रतिफल को प्रभावित किया।

VII.1 रिज़र्व बैंक का आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 तथा 21 के अनुसार केंद्र सरकार के घरेलू ऋण और द्विपक्षीय समझौते के अनुरूप, जैसाकि इस अधिनियम की धारा 21ए में प्रावधान किया गया है, 29 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के घरेलू ऋण का प्रबंधन करता है। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को तीन महीने तक की अवधि के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) के रूप में अल्पावधि ऋण प्रदान करता है ताकि वे अपने नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को पूरा कर सकें।

2017-18 की कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

VII.2 घरेलू तथा वैश्विक आर्थिक स्थितियों को ध्यान रखते हुए कम लागत, जोखिम न्यूनीकरण और बाजार विकास को रेखांकित करती हुई ऋण प्रबंधन रणनीति के समग्र ढांचे के भीतर उधार कार्यक्रम संपन्न हुआ। रिज़र्व बैंक द्वारा 2017-18 में केंद्र एवं राज्य सरकारों की उधार जरूरतों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया, बावजूद इसके कि बैंकों के एचटीएम वर्ग में धारित प्रतिभूतियों और एसएलआर अपेक्षा में कमी के लिए

ग्लाइड पथ के रूप में अनेक चुनौतियाँ थीं। समष्टि-आर्थिक मोर्चे पर, मुद्रास्फीति के टिल्टिंग जोखिम, राजकोषीय चूकों से उत्पन्न हुए दबाव, घटना विशेष घोषणाएं, उदाहरण के लिए कृषि ऋण माफी के साथ-साथ वैश्विक कारकों जैसे कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीतिगत नरमी प्रमुख कारक रहे जिसने प्रतिफल को प्रभावित किया। 2017-18 के दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की समग्र बाजार उधारियों में पिछले वर्ष की तुलना में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और ये बढ़कर ₹10,071 बिलियन हो गयीं।

VII.3 2017-18 दौरान, प्रतिभूति के निर्गमन की सीमा में समेकन एवं वृद्धि की रणनीति के अनुसरण में, भारत सरकार की प्रतिभूतियों के कुल 159 निर्गमों में से, 156 पुनः निर्गमित हुए, जबकि 2016-17 के दौरान, कुल 164 निर्गमों में से 156 पुनः निर्गमित हुए थे। पूर्ववर्ती उद्देश्य के अनुक्रम में, निर्गमों¹ की फ्रंट-लोडिंग रणनीति को 2017-18 में अपनाया जाना जारी रखा गया, ताकि पूरे वर्ष उधार दबावों को बराबर किया जा सके। वर्ष 2017-18 की समूची अवधि के दौरान वापसी खरीद/स्विचेज (₹415.55 बिलियन/ ₹580.75 बिलियन) के रूप में ऋण का सक्रिय समेकन किया गया, जो कुल ₹996.30

¹ पहली छमाही के दौरान धीमे राजस्व अंतर्वाह के साथ ही बड़ी मात्रा में की गयी चुनौतियाँ निर्गमों की फ्रंट-लोडिंग की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

बिलियन था, जबकि पिछले वर्ष यह ₹1046.43 बिलियन था। इसके अलावा, उधार में लचीलेपन में सुधार लाने के प्रयोजन से, भारत सरकार ने सितंबर 2017 में प्रत्येक परिपक्वता बकेट के अंतर्गत इस प्रकार से ₹10 बिलियन तक ग्रीन शू ऑप्शन शुरू किया कि नीलामी में स्वीकृत कुल राशि अधिसूचित राशि से अधिक न हो। 2017-18 के दौरान कुल निर्गमों में अस्थायी दर बॉण्डों (एफआरबी) का हिस्सा 10.2 प्रतिशत रहा।

VII.4 परिपक्वता वृद्धि रणनीति को प्रदर्शित करते हुए, 2017-18 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों(जी-सेक) के प्राथमिक निर्गम का भारत औसत परिपक्वता(डब्ल्यूएएम) 14.13 वर्ष था। यद्यपि यह पिछले वर्ष के 14.76 वर्ष से कम था, क्योंकि सरकार ने अस्थिर बाजार स्थितियों में उधार की लागत को नियंत्रित करने के लिए 15 वर्ष वाली परिपक्वता बकेट से अधिक उधार लेने का निर्णय लिया। भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में रोलओवर जोखिम लगातार कम बना रहा क्योंकि 2017-18 में बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों का भारत औसत परिपक्वता 10.62 वर्ष पर बना रहा, जो कि पिछले वर्ष दर्ज किए गए 10.65 वर्ष से थोड़ा ही कम था, जो यह दर्शाता है कि विशेषकर 2017-18 की अंतिम तिमाही में निम्न परिपक्वता बकेट में अधिक निर्गम हुए थे। सरकारी प्रतिभूतियों के लिए निवेशक आधार को विविधता प्रदान करने की रणनीति और 4 अक्तूबर 2017 की चौथी त्रैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसरण में, निर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों को एग्रीगेटर/समन्वयक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गयी ताकि सरकारी प्रतिभूति और खजाना बिल की प्राथमिक नीलामी के गैर-प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में खुदरा निवेशक बोलियां प्रस्तुत कर पाएं। सरकारी स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना को आगे और आकर्षक बनाने के लिए 6 अक्तूबर 2017 को साप्ताहिक निर्गमन के एक नए स्वरूप की शुरुआत की गई। निर्गमों के कैलेंडर के साथ ही, यह योजना 27 दिसंबर 2017 तक साप्ताहिक अभिदान हेतु उपलब्ध थी। राज्यों की बाजार उधारियों की योजना बनाते

समय नकद प्रवाह का प्रभावी प्रबंधन महत्वपूर्ण है। इस मामले में राज्यों की मदद करने के लिए, 30वें राज्य वित्त सचिव (एसएफएस) सम्मेलन में सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक अध्ययन प्रस्तुत किया गया। एसएफएस सम्मेलन में रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों की आकस्मिक देयताओं (सीएल) की निगरानी तथा रिपोर्टिंग पर गठित कार्यदल की सिफारिशों के मसौदे पर भी चर्चा हुई, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा आकस्मिक देयताओं के बेहतर प्रबंधन, निगरानी और रिपोर्टिंग से जुड़े पहलू शामिल थे। इसके अलावा, 2017-18 के दौरान नकद और ऋण प्रबंधन पर राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाने के प्रयास तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन जारी रहा और ये कार्यक्रम पाँच राज्य सरकारों के लिए आयोजित किए गए थे।

केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन

VII.5 केंद्रीय बजट 2017-18 में दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए सकल बाजार उधारियां ₹5,800 बिलियन रहने का आकलन किया गया था। 2017-18 की तीसरी तिमाही में भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त बाजार उधारियों के चलते दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए वास्तविक सकल बाजार उधारियां ₹5,880 बिलियन रही। दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से निवल उधारियां ₹4,484 बिलियन रही, जो सकल राजकोषीय घाटे के 75.3 प्रतिशत का वित्तपोषण करता है, जबकि पिछले वर्ष इसने 76.2 प्रतिशत का वित्तपोषण किया था। 2017-18 के दौरान भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल बाजार उधारियों में 1.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष के दौरान (2016-17 में ₹1,738.02 बिलियन की तुलना में 2017-18 में ₹1,395.90 बिलियन) निम्न चुकौती के चलते इसी अवधि में निवल बाजार उधारियों में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2017-18 में केंद्र सरकार की निवल बाजार उधारियों में दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों के जरिए ₹1206 बिलियन की वृद्धि हुई और ये बढ़कर ₹4,989 बिलियन हो गयीं (सारणी VII.1)।

सारणी VII.1 : केंद्र सरकार की निवल बाजार उधारियां

(₹ बिलियन)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*
1	2	3	4	5
निवल उधारियां	4,559	3,783	4,989	1620
i. दिनांकित प्रतिभूतियां	4,406	4,082	4,484	606
ii. 91-दिवसीय-खजाना बिल	39	-260	319	377
iii. 182-दिवसीय-खजाना बिल	5	76	14	455
iv. 364-दिवसीय-खजाना बिल	109	-115	172	183

*: 30 जून 2018 तक।

स्रोत: भारिबैं।

ऋण प्रबंधन परिचालन

VII.6 बॉन्ड बाजार की स्थितियों में अस्थिरता के बावजूद, 2017-18 में निर्गमित भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के भारित औसत प्रतिफल (डब्ल्यूएवाई) में 19 आधार अंकों की गिरावट आई और यह 2016-17 के 7.16 प्रतिशत से कम होकर 6.97 प्रतिशत हो गया (चार्ट VII.1)। इसके चलते बकाया ऋण स्टॉक की उधारियों के भारित औसत लागत को 23 आधार अंक कम करने में मदद मिली और 2017-18 में यह कम होकर 7.76 प्रतिशत हो गया। भारत सरकार के इस निर्णय के कारण कि वर्ष की आखिरी तिमाही में 15 वर्ष से अधिक अवधि वाले बकेट में उधार न लिया जाए, 2017-18 के दौरान निर्गमों की भारित औसत परिपक्वता कम होकर 14.13 वर्ष (2016-17 में 14.76 वर्ष) रह गई। इसके परिणामस्वरूप, बकाया ऋण पर भारित औसत परिपक्वता 2016-17 के 10.65 वर्ष से महज थोड़ा ही कम होते हुए 2017-18 में

10.62 वर्ष रही (सारणी VII.2)।

VII.7 2017-18 में सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल को प्रभावित करने वाले कारकों में से घरेलू कारक वैश्विक कारकों पर अधिक भारी पड़े। पहली छमाही के अधिकांश भाग के दौरान, मुख्य रूप से निम्न मुद्रास्फीति, विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) की ओर निरंतर बनी हुई मांग और अगस्त 2017 में नीतिगत रिपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती के कारण सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में एक नरम पथ देखा गया। हालांकि, तीसरी तिमाही में मुख्य रूप से घरेलू कारकों जैसे आशा से अधिक उच्चतर मुद्रास्फीति, सरकार द्वारा उच्चतर जीएफडी बने रहने के संबंध में अनौपचारिक सूचना, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा मुद्रास्फीति पूर्वानुमान में वृद्धि और बैंक पुनर्पूजीकरण बॉण्डों के रूप में सरकारी पेपर की आपूर्ति में वृद्धि की चिंताओं के कारण सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफलों में तेजी आई। इसके अलावा, सरकारी प्रतिभूतियों में तेजी, 27 दिसंबर 2017 की उस घोषणा से भी हुई, जिसमें कहा गया कि राजकोषीय गिरावट की निधि पूर्ति अतिरिक्त बाजार उधारियों से की जाएगी। वैश्विक कारकों में, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी फेड फंड दर में वृद्धि से भी सरकारी प्रतिफल आगे प्रभावित हुआ। चौथी तिमाही में, भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त उधारियों में कटौती की घोषणा के बावजूद, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और वैश्विक बॉण्डों को आने-पौने दामों पर बेचने के प्रभाव से प्रतिफल पर उर्ध्वमुखी दबाव फिर से शुरू हो गया, जिससे घरेलू सरकारी पेपर की अधिक आपूर्ति की चिंता बलवती हुई। तथापि, फरवरी 2018 में मुद्रास्फीति के

सारणी VII.2: केंद्र सरकार का बाजार ऋण – एक प्रोफाइल*

(प्रतिफल प्रतिशत में/परिपक्वता वर्ष में)


वर्ष	प्राथमिक निर्गमों में परिपक्वता पर प्रतिफल का दायरा			वर्ष के दौरान निर्गत			बकाया स्टॉक	
	5 वर्ष से कम	5-10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	भारित औसत प्रतिफल	परिपक्वता की रेंज@	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत कूपन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013-14	7.22-9.00	7.16-9.40	7.36-9.40	8.41	6-30	14.23	10.00	7.98
2014-15	-	7.66-9.28	7.65-9.42	8.51	6-30	14.66	10.23	8.08
2015-16	-	7.54-8.10	7.59-8.27	7.89	6-40	16.03	10.50	8.08
2016-17	6.85-7.46	6.13-7.61	6.46-7.87	7.16	5-38	14.76	10.65	7.99
2017-18	7.23-7.27	6.42-7.48	6.68-7.67	6.97	5-38	14.13	10.62	7.76
2018-19**	6.65-8.01	6.84-8.14	7.33-8.15	7.76	2-37	15.04	10.64	7.74

*: भारत सरकार की प्रतिभूतियों और विशेष प्रतिभूतियों में वापसी खरीद/स्विच को छोड़कर। **: 30 जून 2018 तक। @: अवशिष्ट परिपक्वता वाले निर्गम।

टिप्पणी: वाईटीएम: परिपक्वता पर प्रतिफल;

स्रोत: भारिबैं।

चार्ट VII.1 भारत सरकार की प्रतिभूतियों का भारत औसत प्रतिफल



निम्न रहने और 2018-19 की पहली छमाही में भारत सरकार द्वारा अपनी उधारियों को फ्रंट लोड न करने के निर्णय के कारण मार्च 2018 के अंत तक प्रतिफल उल्लेखनीय रूप से कम हो गया।

VII.8 2017-18 के दौरान, बाजार उधारियों का 53.6 प्रतिशत 10 वर्ष से अधिक अवधिपरिपक्वता वाले दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए जुटाए गए थे, जबकि पिछले वर्ष यह प्रतिशत 58.8 था, जिससे 10 वर्ष की परिपक्वता

वाले प्रतिभूतियों के हिस्से में मामूली वृद्धि हुई। लंबी अवधि के निवेशकों जैसे बीमा कंपनियों और पेंशन निधियों की मांग को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान 29 वर्ष और 33 वर्ष अवधि वाले बॉन्ड फिर से निर्गमित किए गए (सारणी VII.3)।

भारत सरकारी की विशेष प्रतिभूतियों का निर्गमन

VII.9 पुनर्पूजीकरण की दिशा में चिह्नित, 20 सरकारी बैंकों (पीएसबी) को 27 मार्च 2018 को कुल ₹800 बिलियन राशि की भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां (अहस्तांतरणीय) निर्गमित की गयीं। यह लेनदेन नकदी न्यूट्रल था जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूजीकरण और साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा उनको निर्गमित विशेष प्रतिभूतियों में उनके द्वारा किए गए निवेश को दर्शाता है।

प्रतिभूतियों का स्वामित्व

VII.10 वाणिज्यिक बैंक दिनांकित प्रतिभूतियों के सबसे बड़े धारक बने रहे, जून 2018 के अंत तक उनकी धारिता 41.4 प्रतिशत थी, इसके बाद बीमा कंपनियों और भविष्य निधियों की धारिता आती है जो क्रमशः 24.2 प्रतिशत और 5.8 प्रतिशत रही। रिजर्व बैंक के धारिता की हिस्सेदारी 11.6 प्रतिशत रही जबकि एफपीआई की धारिता 3.8 प्रतिशत रही। अन्य धारकों

सारणी VII.3: भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम – परिपक्वता स्वरूप

(राशि ₹ बिलियन में)

अवधिपरिपक्वता	2016-17		2017-18		2018-19*	
	जुलाई गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुलाई गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुलाई गई राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
5 वर्ष से कम	180	3.1	90	1.5	230	17.4
5 -9.99 वर्ष	2,220	38.1	2,640	44.9	400	30.3
10-15.99 वर्ष	1,710	29.4	1,600	27.2	280	21.2
16 -19.99 वर्ष	820	14.1	690	11.7	90	6.8
20 वर्ष और अधिक	890	15.3	860	14.6	320	24.2
कुल	5,820	100	5,880	100	1,320	100

*: 30 जून 2018 तक।

टिप्पणी: संख्याओं को पूर्णांकित किए जाने के कारण कॉलमों में दी गयी संख्याओं का योग कुल योग से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: भारिबैं।

में सहकारी बैंक, म्यूचुअल फंड, वित्तीय संस्थाएं और कॉर्पोरेट शामिल हैं।

प्राथमिक व्यापारी और न्यागमन

VII.11 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामी के अभिदान में प्राथमिक व्यापारियों की हिस्सेदारी 2017-18 में 53.7 प्रतिशत रही, जबकि 2016-17 में यह 47.6 प्रतिशत थी। बॉन्ड बाजार में अस्थिर स्थितियां बने रहने के कारण प्राथमिक व्यापारियों को अदा किए जाने वाले हामीदारी कमीशन में पिछले वर्ष ₹0.36 बिलियन की तुलना में 2017-18 में ₹0.61 बिलियन की वृद्धि हुई। प्राथमिक व्यापारियों पर केंद्र सरकार की चार प्रतिभूतियों के न्यागमन के ₹102.97 बिलियन राशि के तीन मामले हुए, जबकि 2016-17 में ₹53 बिलियन राशि के चार मामले हुए थे। सभी प्राथमिक व्यापारियों ने जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) को 15 प्रतिशत की न्यूनतम अपेक्षा से ऊपर बनाए रखा। स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को उनके एफपीआई ग्राहकों तक व्यापक सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन से, 2018-19 के लिए दूसरी त्रैमासिक मौद्रिक नीति में यह निर्णय लिया गया कि स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारियों को एक सीमित विदेशी मुद्रा लाइसेंस मुहैया कराया जाए।

सरकारी स्वर्ण बॉन्ड योजना

VII.12 एसजेबी योजना जो भारत सरकार द्वारा नवंबर 2015 में शुरू की गई थी, उसे आगे 2017-18 में बेहतर किया गया ताकि निवेश तक पहुंच को सुगम बनाया जा सके और निवेशक बेस को विस्तृत किया जा सके। एजीबी के साप्ताहिक निर्गम की एक ऋंखला 6 अक्तूबर 2017 को शुरू की गई और व्यक्तियों तथा एचयूएफ के लिए प्रति राजकोषीय वर्ष अधिकतम सब्सक्रिप्शन सीमा 4 किलोग्राम तक और ट्रस्ट के लिए 20 किलोग्राम तक बढ़ा दी गई। ऑनलाइन आवेदन करने वाले और डिजिटल तरीके से भुगतान करने वाले निवेशकों को एसजीबी सांकेतिक मूल्य से प्रति ग्राम ₹50 कम पर जारी किए

गए। रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से 2017-18 के दौरान कुल ₹18.95 बिलियन (6.52 टन) राशि की सरकारी स्वर्ण बॉन्ड 14 हिस्सों में जारी किए, जबकि 2016-17 में ₹34.69 बिलियन (11.44 टन) जारी हुए थे, जो यह दर्शाता है कि इसमें निवेशकों की अभिरुचि कम रही। इस योजना की शुरुआत से 30 जून 2018 तक कुल ₹68.96 बिलियन (23.53 टन) राशि जुटायी गई है।

ऋण प्रबंधन रणनीति

VII.13 ऋण प्रबंधन रणनीति (डीएमएस) के अनुसार सरकार के उधार कार्यक्रम की योजना तैयार की गई और इसे कार्यान्वित किया गया। डीएमएस का उद्देश्य यह है कि मध्यम और दीर्घ अवधि में सभी समय अत्यधिक जोखिम को टालते हुए कम लागत पर सरकारी की निधीयन को सुरक्षित किया जा सके। डीएमएस में मध्यम अवधि तीन वर्ष के लिए व्यक्त किया गया है, जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी और अगले तीन वर्ष के लिए रॉलओवर की जा सकती है। सरकार ने 31 दिसंबर 2015 और इसके बाद मार्च 2018 में अपना पहला डीएमएस प्रकाशित किया। डीएमएस² (2017-20) के तहत मध्यम अवधि ऋण रणनीति (एमटीडीएस) के मौजूदा दायरे को विस्तृत किया गया है ताकि इसमें अन्य घटकों जैसे आंतरिक विक्रेय ऋण के अलावा बाह्य ऋण और लघु बचत योजनाओं को शामिल किया जा सके। वर्तमान ऋण प्रोफाइल का विश्लेषण लागत, परिपक्वता और संभावित जोखिम कारकों के संबंध में किया जाता है। डीएमएस व्यापक रूप से तीन स्तंभों के इर्द-गिर्द घूमता है, उदाहरण के लिए निम्न लागत, जोखिम न्यूनीकरण और बाजार विकास। निम्न लागत उद्देश्य की पूर्ति योजनाबद्ध निर्गमों और मध्यम से दीर्घ अवधि में उपयुक्त लिखत प्रस्तुत करके की जाती है, इसमें बाजार के हालातों और विभिन्न निवेशक क्षेत्रों की प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखा जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों और खजाना बिलों के संबंध में एक विस्तृत निर्गमन कैलेंडर के जरिए भी उन्नत पारदर्शिता द्वारा निम्न लागत की संकल्पना को पूरा किया जाता है। एमटीडीएस के तहत परिदृश्य विश्लेषण ने भविष्य

² सरकारी कर्ज पर स्टेटस पेपर, मार्च 2018।

के ब्याज एवं विनिमय दर और भविष्य की उधार जरूरतों के आकलन के आधार पर ऋण की प्रत्याशित लागत का अनुमान किया है। ऋण वहनीयता विश्लेषण से जीडीपी की तुलना में ऋण, परिपक्वता की तुलना में औसत समय और जीडीपी की तुलना में ब्याज व्यय जैसे संकेतकों पर ध्यान दिया गया है। ऋण वहनीयता का पता लगाने के लिए ऋण को आर्थिक और वित्तीय आघातों के तहत लाया गया जो यह दर्शाता है कि दबाव का स्तर बहुत ही कम है। यह विश्लेषण पुष्टि करता है कि ऋण मध्यम से लंबी अवधि में स्थिर और वहनीय है।


खजाना बिल

VII.14 सरकार की अल्पावधि नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान खजाना बिल जारी किए गए। 2017-18 की पहली छमाही के दौरान अधिक निर्गमों के कारण, 2016-17 में ₹298.92 बिलियन की चुकौती के बावजूद, 2017-18 में खजाना बिलों के जरिए सरकार की निवल अल्पावधि बाजार उधारियां बढ़कर ₹504.81 बिलियन हो गयीं, जिससे इस अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा महसूस किया गया दबाव परिलक्षित होता है। प्राथमिक व्यापारियों ने वैयक्तिक रूप से खजाना बिलों की बोली में 40 प्रतिशत का निर्धारित सफलता अनुपात प्राप्त कर लिया। वर्ष के दौरान, खजाना बिलों की नीलामी में प्राथमिक व्यापारियों की हिस्सेदारी 2016-17 के 74.4 प्रतिशत की तुलना में कम होकर 66.5 प्रतिशत रह गई, जिससे यह परिलक्षित होता है कि बाजार के अन्य भागों से खजाना बिलों की मांग अधिक थी।

केंद्र सरकार का नकदी प्रबंधन

VII.15 सरकार द्वारा राजकोषीय वर्ष 2017-18 की शुरुआत ₹1,303.50 बिलियन के साथ की गई। 2017-18 की पहली तथा दूसरी तिमाही और दूसरी छमाही के लिए डब्ल्यूएमए सीमा क्रमशः ₹600 बिलियन, ₹700 बिलियन और ₹250 बिलियन निर्धारित की गई। मुख्य रूप से केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के आगे बढ़ने की प्रक्रिया और व्यय की फ्रंट-लोडिंग के कारण 2017-18 की पहली छमाही के दौरान सरकार की नकदी स्थिति दबाव में बनी रही। परिणामस्वरूप, 2017-18 में डब्ल्यूएमए सहायता पिछले वर्ष के 25 दिनों की तुलना में

चार्ट VII.2 केंद्र सरकार का नकदी शेष



बढ़कर 106 दिनों की हो गई और साथ ही साथ 2017-18 में ओवरड्राफ्ट (ओडी) 6 दिनों के लिए हुआ, जबकि पिछले वर्ष यह 1 दिन के लिए था। उच्चतम डब्ल्यूएमए/ओडी 3 जून 2017 को ₹980.04 बिलियन दर्ज किया गया। पहली छमाही के दौरान वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत होने के कारण निम्न एवं अनिश्चित कर राजस्व स्थिति के बीच निरंतर दबाव का प्रबंधन करने के प्रयोजन से, सरकार ने ₹1,500 बिलियन राशि का नकद प्रबंधन बिल (सीबीएम) भी जारी किया, जो 15 से 80 दिनों के बीच की अवधि के थे। इसके बाद नकदी की स्थिति में सुधार हुआ, क्योंकि कर प्रवाह स्थिर हुआ और विनिवेश प्रक्रिया तेज हुई। राजकोषीय वर्ष 2017-18 में सरकार की नकदी शेष की स्थिति ₹1,675.55 बिलियन के साथ समाप्त हुई (चार्ट VII.2)। 2018-19 की पहली छमाही में डब्ल्यूएमए सीमा ₹600 बिलियन निर्धारित की गई।

राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन

VII.16 कुछ वर्षों में बाजार उधार कार्यक्रम पर राज्यों की निर्भरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 14वें वित्त आयोग (एफसी) की सिफारिशों के अनुसार, राज्य (दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर) राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) की वित्तपोषण सुविधा से 2016-17 से बाहर निकल गए। परिणामस्वरूप, राज्यों की बाजार उधारियां बढ़

सारणी VII.4: राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से राज्यों की बाजार उधारियां

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*
1	2	3	4	5
वर्ष के दौरान परिपक्वताएं	352	393	788	105
अनुच्छेद 293 (3) के अंतर्गत सकल स्वीकृति	3,060	4,000	4,824	3,554 [§]
वर्ष के दौरान जुटाई गई सकल राशि	2,946	3,820	4,191	766
वर्ष के दौरान जुटाई गई निवल राशि	2,594	3,427	3,403	661
कुल स्वीकृति की तुलना में वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि (प्रतिशत)	96	96	87	22
बकाया देयताएं (अवधि के अंत में) [#]	16,389	20,896	24,298	24,959

[§]: अप्रैल-दिसंबर 2018 ।
[#]: उदय और अन्य विशेष प्रतिभूतियों सहित; *: 30 जून 2018 तक।
 स्रोत: भारिबैं।

गई और 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद पहले की उधारियों के मोचन से उत्पन्न दबाव से यह और भी बढ़ गया। सकल राजकोषीय घाटा के वित्तपोषण में बाजार उधारियों की हिस्सेदारी 2016-17 (आरई) के 64.1 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 (बीई) में 66.1 प्रतिशत हो गई और ऐसा मुख्य रूप से एनएसएसएफ वित्तपोषण सुविधा के समाप्त हो जाने के कारण हुआ। इससे सरकारी प्रतिभूति की अधिक आपूर्ति को लेकर बाजार की इन चिंताओं से बॉन्ड प्रतिफलों पर प्रभाव और भी बढ़ गया।

VII.17 राज्य सरकारों ने 2017-18 में सकल तथा निवल रूप में क्रमशः ₹4,191 बिलियन और ₹3,403 बिलियन राशि की बाजार उधारियां जुटायीं, जबकि पिछले वर्ष क्रमशः ₹3,820 बिलियन और ₹3,427 बिलियन राशि की उधारियां जुटायी गई थीं। 2017-18 में राज्य सरकारों की सकल बाजार उधारियों में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि उच्च चुकौती के कारण निवल उधारियों में 0.7 प्रतिशत की गिरावट हुई। 2017-18 में 411 सफल निर्गम हुए थे जिसमें से 43 पुनः निर्गमित किए गए, जो राज्यों द्वारा ऋण के समेकन की दिशा में किए गए संगठित प्रयास को दर्शाता है (सारणी VII.4)।

VII.18 2017-18 के दौरान जारी राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) का भारित औसत प्रतिफल (डब्ल्यूएवाई) पिछले वर्ष के 7.48 प्रतिशत की तुलना में 7.67 प्रतिशत के साथ उच्च बना रहा। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की तुलना में एसडीएल निर्गमों का भारित औसत स्प्रेड (डब्ल्यूएवाई) 2016-17 के 60

आधार अंकों के मुकाबले 59 आधार अंक रहा, बावजूद इसके कि प्रतिभूतियों के प्रतिफल में तेजी बन हुई थी। 2017-18 में, 9 राज्यों और पुदुचेरी संघ क्षेत्र ने 3 से 25 वर्ष तक की अवधि की गैर-मानक प्रतिभूतियां जारी कीं। उच्चतर स्प्रेड स्थिति से रणनीतिक रूप से निपटने के लिए, दस राज्यों ने संपादित की गई कुछ नीलामियों में प्राप्त सभी बोलियों को अस्वीकृत कर दिया। निष्क्रिय समेकन की नीति को अपनाते हुए महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने 2017-18 के दौरान ₹472.62 बिलियन राशि का पुनः निर्गमन किया, जिससे द्वितीयक बाजार में उनकी प्रतिभूतियों की तरलता सुधरने में मदद मिली। तथापि, 2017-18 में अंतर-राज्य स्प्रेड 6 आधार अंक रहा जो 2016-17 के 7 आधार अंक से थोड़ा ही कम है, जिससे यह परिलक्षित होता है कि 2017-18 में भी प्रत्येक राज्यों के एसडीएल और राजकोषीय स्थिति के स्प्रेड के बीच संबंध कमजोर रहे। इस संदर्भ में, एसडीएल की उपयुक्त कीमत निर्धारण की दिशा में बढ़ते हुए उपलब्ध विभिन्न विकल्प तलाशने के प्रयोजन से एक अंतर विभागीय समूह का गठन किया गया। तदनुसार, अक्तूबर 2017 में जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य में कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गई: (i) एसडीएल में तरलता में सुधार लाने के लिए पुनः निर्गमन और वापसी खरीद के जरिए राज्य सरकार ऋणों का समेकन; (ii) एसडीएल की साप्ताहिक नीलामी करना; और (iii) रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध राज्य सरकारों के वित्त से संबंधित अधिक बारंबारता वाले आंकड़ों का प्रकाशना

तदनुसार, अक्तूबर 2017 से राज्यों द्वारा धारित समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ), मध्यवर्ती खजाना बिलों (आईटीबी) एवं नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) में निवेश और साथ ही साथ डब्ल्यूएमए/ओडी के रूप में वित्तीय सहायता से संबंधित आंकड़े आरबीआई बुलेटिन में प्रकाशित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, अक्तूबर 2017 से एसडीएल की साप्ताहिक नीलामी शुरू की गई है।

VII.19 राज्य सरकारों को इसके लिए प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से ताकि वे एसडीएल के लिए पब्लिक रेटिंग प्राप्त करें, 2018-19 की दूसरी त्रैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में यह निर्णय लिया गया कि एलएएफ रिपो/एमएसएफ विंडो में संपार्श्विक के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले रेटिंग प्राप्त एसडीएल की आरंभिक मार्जिन अपेक्षा, उसी परिपक्वता बकेट, अर्थात् 1.5 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत की रेंज, बिना रेटिंग वाले एसडीएल से 1.0 प्रतिशत कम पर निर्धारित की जाए। इसके अलावा, एसडीएल के मूल्य को प्रचलित बाजार कीमत के समरूप लाने के प्रयोजन से, बैंकों द्वारा अपने निवेश संविभाग में धारित राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का आगे से मूल्यांकन संप्रेक्षित मूल्य पर किया जाएगा, अर्थात् वह मूल्य जिस पर बाजार में प्रतिभूतियों का लेनदेन किया गया है। राज्य सरकार की ऐसी प्रतिभूतियों के मामले में, जिनका लेनदेन नहीं होता है, उनका मूल्यांकन समतुल्य परिपक्वता वाले, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल पर राज्य-विशिष्ट भारित औसत स्प्रेड के आधार पर किया जाएगा, जैसा कि प्राथमिक नीलामी के समय अवलोकन किया गया हो।

राज्य सरकारों का नकदी प्रबंधन

VII.20 जैसा कि राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम योजना, 2016 (अध्यक्ष: श्री सुमित बोस) पर गठित सलाहकार समिति द्वारा परिकल्पित किया गया, 2017-18 के दौरान मौजूदा डब्ल्यूएमए सीमा की समीक्षा की गई। डब्ल्यूएमए सुविधा के उपयोग किए जाने के रुझान के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि डब्ल्यूएमए की मौजूदा सीमा (एकसाथ सभी राज्यों के लिए ₹322.25 बिलियन) को तब तक कायम

रखा जाए जब तक कि अगली समिति (2020-21 से प्रभावी) द्वारा इसकी समीक्षा न कर ली जाए। वर्ष 2017-18 में तेरह राज्यों ने डब्ल्यूएमए का सहारा लिया, जबकि सात राज्यों ने ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया।

VII.21 राज्यों द्वारा हाल के वर्षों में मध्यवर्ती खजाना बिलों (आईटीबी) और नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) के रूप में काफी अधिक नकदी अधिशेष जमा की जाती रही है। परिणामस्वरूप, 2017-18 में चलनिधि दबाव केवल कुछ ही राज्यों तक सीमित था। यद्यपि धनात्मक नकद शेष निम्न अंतर्वर्षीय राजकोषीय दबाव को दर्शाता है, तथापि इसमें राज्यों के लिए ऋणात्मक धारण ब्याज दर शामिल है, जो यह अपेक्षा करता है कि राज्यों द्वारा उनके नकद प्रबंधन प्रथाओं में सुधार किया जाए (बॉक्स VII.1)। मार्च 2018 के अंत में आईटीबी में राज्यों का बकाया निवेश पिछले वर्ष के ₹1,560.58 बिलियन की तुलना में ₹1,508.71 बिलियन रहा, जबकि एटीबी में राज्यों का बकाया निवेश मार्च 2017 के ₹366.03 बिलियन की तुलना में ₹621.08 बिलियन रहा (सारणी VII.5)। एटीबी में 69.7 प्रतिशत की छलांग से राज्यों द्वारा ऋणात्मक धारण-प्रतिफल को कम किए जाने का प्रयास परिलक्षित होता है।

समेकित ऋण-शोधन निधि/गारंटी उन्मोचन निधि में निवेश

VII.22 राज्यों द्वारा समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) में निवेश आकर्षक पाया गया क्योंकि इन योजनाओं में किए गए वार्षिक वृद्धिशील निवेश का उपयोग रियायती दर पर विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) का लाभ लेने में संपार्श्विक के रूप में किया जाता

सारणी VII.5: राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों द्वारा आईटीबी और एटीबी में निवेश

(₹ बिलियन)

मद	31 मार्च तक का बकाया				
	2015	2016	2017	2018	2018*
1	2	3	4	5	6
14-दिवसीय आईटीबी	842	1,206	1,561	1,509	1162
नीलामी खजाना बिल एटीबी	394	383	366	621	1220
कुल	1,236	1,589	1,927	2,130	2382

*: 30 जून 2018 तक।

स्रोत: भारिबैं।

बॉक्स VII.1

राज्य सरकार की बाजार उधारियां और बढ़ा हुआ नकदी अधिशेष

राज्यों में यह प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है कि अधिकांश राज्य तेजी से बढ़ते हुए अपने सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) और अन्य स्रोत जो अक्सर परियोजना-संबद्ध होते हैं, के बजाय बाजार उधारियों पर भरोसा करते हैं। मजे की बात यह है कि, सकल उधारियों में तेज वृद्धि के साथ ही नकदी वृद्धि में भी तेजी आई है, जिसके चलते राज्यों के पास मार्च अंत में काफी बड़ी मात्रा में नकदी अधिशेष रह गया। हालांकि, यह अधिशेष, सामान्यतया कुछ राज्यों तक संकेंद्रित था।

नकदी अधिशेष तब सामने आया जब राज्य अपने राजकोषीय घाटे आवश्यकता से अधिक संसाधन जुटा लेते हैं। इसके साथ ही, यदि निम्नतर पैरेंटल/एजेंसी/योजनाओं को चिह्नित उद्देश्य के लिए निश्चित किया गया या आबंटित की गई निधि का व्यय नहीं होता है या उपयोग में नहीं लाया जाता है, तब अप्रयुक्त निधि राज्यों के अधिशेष में और बढ़ोतरी कर देगी।

जहां एक ओर केंद्र सरकार अपनी वित्तपोषण जरूरतों के लिए खजाना बिल और दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों जारी करते हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारें केवल दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं, जिसके चलते वित्तीय दबाव के समय वे अधिक असुरक्षित होते हैं। कार्यक्षम नकद प्रबंधन के लिए, यह विवेकपूर्ण है कि खर्च को सुगम बनाने/किसी अचानक अप्रत्याशित बहिर्वाह की पूर्ति करने के लिए एक नकद बफर/प्रवाह बनाया रखा जाए। तथापि, इस प्रारंभिक नकदी बफर की गणना कुछ निश्चित मानदंड/ऐतिहासिक रुझान जैसे कि एक महीने का व्यय, के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है। लंबी अवधि तक ऊपर दिए गए कारकों के चलते बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त नकदी शेष के साथ वर्ष के समाप्त होने से ब्याज पर अनावश्यक और परिहार्य बोझ पड़ा और इसकी परिणति ऋणात्मक धारण प्रतिफल के रूप में होती यदि ऐसे अधिशेष उधार लिए गए स्रोतों से लिए गए हों और मध्यवर्ती/नीलामी खजाना बिलों में निम्नतर दर पर निवेश किए गए हों (चार्ट 1)।

हालांकि हाल के समय में, केंद्र द्वारा बाजार उधारियां मोटे तौर पर रुक गई हैं, तथापि राज्यों द्वारा बढ़े हुए राजकोषीय अंतर के मद्देनजर सीमित संसाधन बेस और नियंत्रित आंतरिक निधि उगाही के आलोक में बाजार उधारियों पर उनके बढ़ते हुए भरोसे के चलते सरकारी प्रतिभूति बाजार में सरकारी पेपर की अधिक आपूर्ति की स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे प्रतिफल में और तेजी आई है। विशेष रूप से, राज्यों द्वारा बड़ी मात्रा में ऐसी बाजार उधारियां, जिनकी उनको तुरंत आवश्यकता नहीं है, के चलते 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिभूति के प्रतिफल में वृद्धि हुई, क्योंकि हाल के समय तक राज्यों की उधारियां 10-वर्षीय परिपक्वता बकेट में रही हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार के लिए उधार

की लागत पर इसका प्रभाव और समेकित कर्ज में ऐसी वृद्धि का बाजार ब्याज और अर्थव्यवस्था पर समग्र रूप से प्रभाव पड़ा। महत्वपूर्ण रूप से, समेकित जीएफडी के वित्तपोषण के लिए केंद्र सरकार के दिनांकित बॉण्डों की तुलना में एसडीएल की अधिक आपूर्ति से समेकित सरकारी उधार लागत में वृद्धि होगी, जिसकी वजह है केंद्र सरकार की प्रतिभूति के मुकाबले एसडीएल की अतरलता और प्रीमियम। ऐसी परिस्थिति में, जब राज्य केंद्र द्वारा खाली की गई जगह का उपयोग कर रहे हैं, इस संबंध में प्रोत्साहनों को फिर से दुरुस्त करने की आवश्यकता है ताकि राज्य आवश्यकता-आधारित बाजार उधारियों का सहारा ले सकें।


सबसे पहले, राज्यों से अपेक्षित है कि वे प्रभावी नकद प्रबंधन के लिए बेहतर व्यय प्रबंधन और नकद पूर्वानुमान की दिशा में प्रयास करें। बजट निधि आबंटन के बाद व्यय का प्रभावी प्रबंधन वह केंद्रबिन्दु होता है, जो बढ़ते हुए घाटे और लागत से निपटने हेतु खर्च को नियंत्रित करने की सरकार की योग्यता दर्शाता है। इससे विवेकपूर्ण नकदी अधिशेष से अधिक रखने की आवश्यकता दूर हो जाएगी, जिसमें ऋणात्मक धारण प्रतिफल शामिल होता है। दूसरा, राज्यों द्वारा बाजार उधारियों पर भरोसा भी कम हो जाएगा, यदि राज्यों को आंतरिक रूप से संसाधन जुटाने के अधिक तरीके मिल जाते हैं, जैसे कि उनके द्वारा/ उनके उपक्रम द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के लिए उपयुक्त प्रयोक्ता शुल्क वसूलना।

भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के तहत मंजूरी उपलब्ध कराए जाने के अलावा, वर्ष के प्रारंभ में 9 महीने की अवधि के लिए पाक्षिक निर्गमन से साप्ताहिक एसडीएल नीलामी व्यवस्था में शिफ्ट किए जाने से राज्यों को यह अवसर मिला है कि वे बाजार में उपयुक्त समय पर और जब आवश्यक हो, तब प्रवेश कर सकें। इस संबंध में, 13वें वित्त आयोग (एफसी) ने सिफारिश की कि “ऐसे राज्य जिनके पास बड़ी मात्रा में नकदी है, उनके द्वारा नई उधारियों का सहारा लेने से पहले अपने मौजूदा नकदी शेष का उपयोग करने की दिशा में निर्देशित प्रयास होने चाहिए”। दूसरे शब्दों में, नई उधारियां पिछले निर्गमों के उपयोग से संबद्ध होनी चाहिए। 15वें वित्त आयोग में आबंटित लेकिन अप्रयुक्त निधि पर भी चर्चा हुई, जो शायद क्षमता संबंधी बाधाओं के कारण लंबी अवधि तक राज्यों के पास अधिशेष के रूप में रहता है, और किस प्रकार इनका उपयोग लाभप्रद रूप से अन्यत्र किया जा सकता है और इसके फलस्वरूप नई उधारियों की आवश्यकता कम हो सकती है।

यद्यपि अधिकांश राज्य समेकित ऋण-शोधन निधि(सीएसएफ)/गारंटी उन्मोचन निधि(जीआरएफ) बनाते हुए दीर्घावधि लिखतों में निवेश कर रहे हैं, तथापि परिसमापन केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए है। गैर-बिक्री योग्य 14-दिवसीय खजाना बिल, जो कम प्रतिलाभ देते हैं, और खजाना बिल जो लंबी अवधि के लिए निधि को अवरुद्ध कर देते हैं की नीलामी, के अलावा राज्यों द्वारा अल्पावधि परिपक्वताओं में अपने अधिशेष के निवेश करने के अवसर सीमित हैं। 15वें वित्त आयोग में राज्यों द्वारा उनकी निधियों को बेहतर प्रतिलाभ पर नियोजित करने के लिए वैकल्पिक अल्पावधि निवेश की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं और तदनुसार इससे उनका ऋणात्मक धारण-प्रतिफल भी कम होगा।

रिजर्व बैंक भी पुनः निर्गमन के जरिए राज्य कर्ज के समेकन की दिशा में कदम उठा रहा है। राज्य वित्त पर उच्च बारंबारता डेटा की उपलब्धता में सुधार बाजार अनुशासन की दिशा में आगे का एक ऐसा ही कदम है जो राज्यों को उच्चतर लागत पर अधिक उधार लेने से रोकेगी।

चार्ट 1: राज्य सरकारों का ऋणात्मक धारण प्रतिफल



है। राज्य सरकारों को आगे इसके लिए और प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से कि वे सीएसएफ और जीआरएफ में पर्याप्त निधि बनाए रखें और उन्हें बढ़ावा देने के लिए कि वे इन निधियों में आधारभूत निधि (कॉर्पस) को बढ़ाएं, 2018-19 की दूसरी त्रैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में एसडीएफ पर ब्याज दर को रिपो दर से 200 आधार अंक (पहले 100 आधार अंक था) नीचे किया गया। मार्च 2018 के अंत में राज्यों द्वारा सीएसएफ और जीआरएफ में बकाया निवेश क्रमशः ₹992.71 बिलियन और ₹54.38 बिलियन रहा। वर्ष 2017-18 में सीएसएफ/जीआरएफ में कुल निवेश ₹194.42 बिलियन रहा और निधियों से होने वाला कुल विनिवेश ₹4.27 बिलियन रहा।

2018-19 की कार्ययोजना

VII.23 केंद्रीय बजट 2018-19 में दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए ₹6,055 बिलियन की सकल बाजार उधारियां का आकलन किया गया जो 2017-18 में किए गए ₹5,880 बिलियन के आकलन की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत अधिक था। इसी अवधि में ₹4,621 बिलियन की निवल बाजार उधारियां करने की परिकल्पना की गई ताकि इसे 3 प्रतिशत बढ़ाया जा सके। केंद्रीय बजट 2018-19 में ₹170 बिलियन की निवल अल्पावधि उधारियां भी उपलब्ध कराया गया है। 2018-19 (बीई) में दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए निवल उधारियों से जीएफडी के लगभग 74 प्रतिशत तक निधीयन करने का अनुमान है।

VII.24 केंद्र और राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम निम्नलिखित रणनीतिक उपायों से निर्देशित होते रहेंगे जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों और साथ ही एसडीएल के लिए एक गहन एवं लिक्विड बाजार विकसित करने का उद्देश्य समाहित है:

i. सक्रिय स्विचेज तथा वापसी खरीद परिचालन और पुनः निर्गमन की निष्क्रिय रणनीति के जरिए कर्ज का समेकन करके सरकारी प्रतिभूति बाजार में समग्र तरलता बढ़ाई जाएगी।

- ii. सरकारी प्रतिभूति की द्वितीयक बाजार तरलता को हितधारकों के परामर्श से पीडी नेटवर्क के जरिए बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है और प्राथमिक व्यापारियों के मौजूदा द्वितीयक बाजार टर्नओवर लक्ष्य की समीक्षा की जाएगी।
- iii. बाजार में अनुकूल स्थितियों के अनुसार सरकारी ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल में वृद्धि की जाएगी। विविध निवेश बेस को सुविधा देने के लिए सीपीआई लिंक मुद्रास्फीति इंडेक्स बॉन्ड (आईआईबी) के विशेषताओं की समीक्षा की जाएगी
- iv. निर्गम कैलेंडर के जरिए एसजीबी के निर्गम अधिक नियमितता के साथ किए जाएंगे।
- v. प्राथमिक व्यापारियों के नेटवर्क को मजबूती प्रदान करने के लिए उनके कार्यकलापों पर गठित अंतर-विभागीय ग्रुप की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।
- vi. राज्य सरकारों की उधारियों की लागत में जोखिम असममिति को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जाएगा जो राजकोषीय और आर्थिक मानदंडों पर आधारित होगी; राज्य सरकारों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जाएंगे और निवेशकों तथा राज्य सरकारों के बीच बैठक की जाएगी।
- vii. राज्य सरकारों के साथ मिलकर निवेशक बेस को और विस्तृत किया जाएगा ताकि उनकी आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ) का प्रबंधन हो पाए और ऐसा सरकारी प्रतिभूतियों तथा खजाना बिलों में निवेश और साथ ही सरकारी प्रतिभूति बाजार में विदेशी केंद्रीय बैंकों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करके किया जाएगा।
- viii. सरकारी प्रतिभूति बाजार के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक डैशबोर्ड निर्मित की जाएगी जिसमें महत्वपूर्ण चर वस्तुएं जैसे केंद्र और राज्य सरकारों की सकल एवं निवल उधारियां शामिल होंगी।

वर्ष 2017-18 के दौरान मुद्रा प्रबंधन के अंतर्गत प्रमुख रूप से पुनर्मुद्राकरण की प्रक्रिया और विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) की प्रोसेसिंग तथा मिलान का प्रबंधन करने पर बल दिया गया। इस वर्ष की खास बात ₹10 और ₹50 की नई शृंखला के बैंक नोटों का निर्गम और एक नए मूल्य वर्ग ₹200 के नोट की शुरुआत रही। महात्मा गांधी (नवीन) शृंखला में देश की सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों को दर्शाते हुए नए बैंक नोटों का निर्गम किया गया। सुरक्षा के उत्कृष्ट विशेषताओं वाले बैंक नोटों के उत्पादन को स्वदेशीकरण की दिशा में अनवरत प्रयास किए गए।

VIII.1 वर्ष 2017-18 के दौरान मुद्रा प्रबंधन का फोकस व्यापक तौर पर संचलन के माध्यम से रिजर्व बैंक को प्राप्त एसबीएन के पुनर्मुद्राकरण की प्रोसेसिंग और समायोजन पर रहा। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग के कार्य-बल द्वारा किए गए समन्वित प्रयासों से एसबीएन की प्रोसेसिंग और सत्यापन जैसे बड़े कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस प्रक्रिया में मुद्रा प्रबंधन से जुड़े अन्य कार्यों के साथ समझौता किए बिना अत्यधिक कठिन स्थितियों में दो-दो शिफ्टों में काम करना, विस्तृत रिकार्डों का रखरखाव करना और कारगर योजनाएं बनाना भी शामिल था। वर्ष के दौरान पुनर्मुद्राकरण के निरंतर प्रयास किए जाते रहे और इसी वर्ष नई शृंखला वाले ₹10 और ₹50 के बैंक नोटों का निर्गम और ₹200 के नए मूल्यवर्ग के नोट की शुरुआत हुई।

मुद्रा की प्रवृत्तियां

संचलनगत बैंकनोट

VII.2 विगत वर्ष की तुलना में मार्च 2018 के अंत में संचलनगत बैंक नोटों का मूल्य 37.7 प्रतिशत बढ़कर ₹18,037 बिलियन हो गया। यद्यपि बैंक नोटों की मात्रा में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मूल्य की दृष्टि से देखें तो ₹500 और ₹2000 के बैंक नोटों का सम्मिलित हिस्सा मार्च 2017 के अंत में संचलनगत बैंक नोटों के कुल मूल्य का 72.7 प्रतिशत था, जो मार्च 2018 के अंत में बढ़कर 80.2 प्रतिशत हो गया। मार्च 2018 के अंत तक शुरू हुए नए ₹200 के बैंक नोटों का हिस्सा संचलनगत बैंक नोटों के कुल मूल्य का 2.1 प्रतिशत

था। हिस्सेदारी की दृष्टि से देखें तो संचलनगत कुल बैंक नोटों में ₹10 और ₹100 के बैंक नोटों का हिस्सा मार्च 2017 के अंत में 62.0 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2018 के अंत में 51.6 प्रतिशत हो गया (सारणी VIII.1)।

सारणी VIII.1: संचलनगत बैंक नोट

मूल्यवर्ग (₹)	संख्या (मिलियन नग)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	मार्च 2016	मार्च 2017	मार्च 2018	मार्च 2016	मार्च 2017	मार्च 2018
1	2	3	4	5	6	7
2 और 5	11,626 (12.9)	11,557 (11.5)	11,425 (11.2)	45 (0.3)	45 (0.3)	44 (0.2)
10	32,015 (35.5)	36,929 (36.8)	30,645 (29.9)	320 (1.9)	369 (2.8)	307 (1.7)
20	4,924 (5.4)	10,158 (10.2)	10,016 (9.8)	98 (0.6)	203 (1.5)	200 (1.1)
50	3,890 (4.3)	7,113 (7.1)	7,343 (7.2)	194 (1.2)	356 (2.7)	367 (2.0)
100	15,778 (17.5)	25,280 (25.2)	22,215 (21.7)	1,578 (9.6)	2,528 (19.3)	2,222 (12.3)
200	-	-	1,853 (1.8)	-	-	371 (2.1)
500	15,707 (17.4)	5,882 (5.9)	15,469 (15.1)	7,854 (47.8)	2,941 (22.5)	7,734 (42.9)
1000	6,326 (7.0)	89 (...)	66 (...)	6,326 (38.6)	89 (0.7)	66 (0.4)
2000	-	3,285 (3.3)	3,363 (3.3)	-	6,571 (50.2)	6726 (37.3)
कुल	90,266	100,293	102,395	16,415	13,102	18,037

∴ लागू नहीं। ...: नगण्य।

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल संख्या/मूल्य में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत: भारिबैं।

संचलनगत सिक्के

VIII.3 वर्ष के दौरान संचलनगत सिक्कों में मार्च 2017 के अंत की स्थिति की तुलना में थोड़ी वृद्धि हुई। पिछले साल के 14.7 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 के दौरान संचलनगत सिक्कों के कुल मूल्य में 2.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि संचलनगत सिक्कों की कुल हिस्सेदारी में विगत वर्ष के 8.5 प्रतिशत की तुलना में 2.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार संचलनगत कुल सिक्कों में ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्कों का सम्मिलित हिस्सा 83.3 प्रतिशत रहा, जबकि मूल्य की दृष्टि से इनका हिस्सा 77.7 प्रतिशत रहा (सारणी VIII.2)।

मुद्रा प्रबंधन के लिए आधारभूत ढांचा

VIII.4 मुद्रा प्रबंधन संबंधी आधारभूत ढांचे के तहत रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों का नेटवर्क, 3,975 करेंसी चेस्ट (उप-ट्रेजरी कार्यालय और कोच्ची स्थित रिज़र्व बैंक के करेंसी चेस्ट सहित), देश भर में फैले वाणिज्यिक, सहकारी और

सारणी VIII.2: संचलनगत सिक्के

मूल्यवर्ग (₹)	संख्या (मिलियन नग)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	मार्च 2016	मार्च 2017	मार्च 2018	मार्च 2016	मार्च 2017	मार्च 2018
1	2	3	4	5	6	7
छोटे सिक्के	14,788 (13.8)	14,788 (12.7)	14,788 (12.4)	7 (3.2)	7 (2.8)	7 (2.7)
1	44,876 (41.9)	48,347 (41.6)	49,636 (41.7)	45 (20.6)	48 (19.2)	50 (19.5)
2	29,632 (27.7)	32,059 (27.6)	32,855 (27.6)	59 (27.1)	64 (25.6)	66 (25.8)
5	14,089 (13.2)	15,783 (13.6)	16,650 (14.0)	70 (32.1)	79 (31.6)	83 (32.4)
10	3,703 (3.4)	5,205 (4.5)	5,049 (4.2)	37 (17.0)	52 (20.8)	50 (19.5)
कुल	107,088	116,182	118,978	218	250	256

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल संख्या/मूल्य में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण यह संभव है कि कोष्ठकों में दी गयी संख्याओं का योग 100 न हो।

स्रोत: भारिबैं।

सारणी VIII.3: मार्च 2018 के अंत तक की स्थिति के अनुसार करेंसी चेस्ट और छोटे सिक्कों के डिपो

श्रेणी	करेंसी चेस्टों की संख्या	छोटे सिक्कों के डिपो की संख्या
1	2	3
भारतीय स्टेट बैंक	2,575	2,447
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,206	1,022
निजी क्षेत्र के बैंक	172	168
सहकारी बैंक	5	5
विदेशी बैंक	4	4
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	7	7
उप कोष कार्यालय (एसटीओ)	5	0
भारतीय रिज़र्व बैंक	1	1
कुल	3,975	3,654
स्रोत: भारिबैं।		

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के छोटे सिक्कों के 3,654 डिपो शामिल हैं (सारणी VIII.3)।

मुद्रा की मांग और आपूर्ति

VIII.5 विमुद्रीकरण के कारण वर्ष 2016-17 विशेष रहा और इसका असर 2017-18 में भी बना रहा। इसी के चलते वर्ष 2017-18 में मुद्रा की मांग पिछले वर्ष की तुलना में 9.1 प्रतिशत अधिक रही। यद्यपि बैंक नोटों की आपूर्ति पिछले वर्ष की तुलना में कम रही फिर भी वह विमुद्रीकरण से पूर्व के वर्ष से काफी अधिक थी (सारणी VIII.4)।

VIII.6 वर्ष के दौरान सिक्कों की मांग और आपूर्ति काफी कम रही। वर्ष 2017-18 में केवल 5,852 मिलियन सिक्कों की आपूर्ति की गयी जबकि मांग 7,712 मिलियन सिक्कों की थी। तुलनात्मक रूप से देखें तो वर्ष 2016-17 में 9,691 मिलियन सिक्कों की आपूर्ति की गयी जबकि मांग 15,000 मिलियन सिक्कों की थी (सारणी VIII.5)।

VIII.7 नवंबर 2016 से देश की सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों को दर्शाने वाले महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोटों का निर्गम प्रारंभ हुआ। वर्ष के दौरान ₹2000 और ₹500 मूल्यवर्ग के पिछले वर्ष जारी किए गए

मुद्रा प्रबंध

सारणी VIII.4: बीआरबीएनएमपीएल और एसपीएमसीआईएल द्वारा बैंक नोट की मांग और आपूर्ति (अप्रैल-मार्च)

(मिलियन नग)

मूल्यवर्ग (₹)	2015-16		2016-17		2017-18	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
5	0	0	0	0	0	0
10	4,000	5,857	3,000	2,785	4,237	4,313
20	5,000	3,252	6,000	4,118	2,458	2,051
50	2,050	1,908	2,125	2,700	3,784	2,793
100	5,350	4,910	5,500	5,738	8,068	3,170
200	-	-	-	-	2,694	2,832
500 (एमजी शृंखला)	5,600	4,291	5,725	2,013	-	-
500 (नया डिजाइन)	-	-	-	7,260	9,213	9,693
1000	1,900	977	2,200	925	-	-
2000	-	-	3,500	3,504	151	151
कुल @	23,900	21,195	28,050	29,043	30,605	25,003

-: लागू नहीं। @: कुल जोड़ में ₹1 शामिल नहीं है।

टिप्पणी: बीआरबीएनएमपीएल: भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड।

एसपीएमसीआईएल: भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड।

स्रोत: भारिबैं।

बैंक नोटों के क्रम में उसी शृंखला के ₹200, ₹50 और ₹10 मूल्यवर्ग के बैंकनोट भी जारी किए गए (सारणी VIII.6)।

गंदे नोटों का निपटान

VIII.8 वर्ष के दौरान 27.7 बिलियन बैंक नोटों का निपटान किया गया जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 12.5 बिलियन थी। इसका मुख्य कारण यह रहा कि ₹500 और

₹1000 मूल्यवर्ग के एसबीएन नोटों की प्रोसेसिंग तेजी से हुई (सारणी VIII.7)।

बैंकिंग प्रणाली में जाली नोट पाए जाने की प्रवृत्ति

VIII.9 वर्ष 2017-18 के दौरान बैंकिंग प्रणाली में पाए गए जाली नोटों की संख्या 522,783 थी जिसमें से 63.9 प्रतिशत नोटों का पता रिज़र्व बैंक से भिन्न बैंकों ने लगाया (सारणी

सारणी VIII.5: टकसालों द्वारा सिक्कों की मांग और आपूर्ति (अप्रैल-मार्च)

(मिलियन नग)

मूल्यवर्ग	2015-16		2016-17		2017-18	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
50 पैसे	40	30	30	30	-	-
₹1	6,100	3,753	6,300	3,548	1,830	2,008
₹2	4,000	2,899	4,200	2,461	1,184	1,539
₹5	2,100	1,492	2,270	2,429	1,698	1,545
₹10	2,000	1,084	2,200	1,223	3,000	760
कुल	14,240	9,258	15,000	9,691	7,712	5,852

-: लागू नहीं।

स्रोत: भारिबैं।

सारणी VIII.6: महात्मा गांधी (नई) शृंखला के अंतर्गत बैंक नोट प्रारंभ करना

मूल्यवर्ग (₹)	पृष्ठभाग-थीम	आधार रंग	आकार
1	2	3	4
200	साँची स्तूप	चमकीला पीला	66 मिमी x 146 मिमी
50	रथ के साथ हम्पी	फ्लोरोसेंट नीला	66 मिमी x 135 मिमी
10	सूर्य मंदिर, कोणार्क	चॉकलेट भूरा	63 मिमी x 123 मिमी

स्रोत: भारिबैं।

VIII.8) पिछले वर्ष की तुलना में जाली नोटों की संख्या 31.4 प्रतिशत कम रही। एसबीएन में पाए गए जाली नोटों की संख्या में गिरावट देखी गयी जो ₹500 मूल्यवर्ग और ₹1000 मूल्यवर्ग के नोटों में 59.7 और 59.6 प्रतिशत रही। इसका कारण यह था कि ये नोट 30 दिसंबर 2016 तक बैंकों को प्राप्त एसबीएन जमाराशियों के बचे हुए हिस्से वाले थे जिन पर 2017-18 के दौरान कार्रवाई हुई। पिछले वर्ष के साथ तुलना करें तो ₹100 मूल्यवर्ग में पाए गए जाली नोटों की संख्या में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि ₹50 मूल्यवर्ग में पाए गए जाली नोटों की संख्या में 154.3 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। महात्मा गांधी (नई) शृंखला के ₹500 और ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों में वर्ष 2017-18 के दौरान क्रमशः 9,892 और

सारणी VIII.7: गंदे बैंक नोटों का निपटान (अप्रैल – मार्च)

मूल्यवर्ग (₹)	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4
1,000	625	1,514	6,847
500	2,800	3,506	20,024
100	5,169	2,586	105
50	1,349	778	83
20	849	546	114
10	5,530	3,540	497
5 तक	46	34	8
कुल	16,368	12,503	27,678

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल संख्या/मूल्य में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
स्रोत: भारिबैं।

सारणी VIII.8 : पकड़े गए जाली नोटों की संख्या (अप्रैल-मार्च)

वर्ष	रिजर्व बैंक में पकड़े गए	रिजर्व बैंक के अलावा अन्य बैंक	कुल
1	2	3	4
2015-16	31,765 (5.0)	601,161 (95.0)	632,926 (100.0)
2016-17	32,432 (4.3)	729,640 (95.7)	762,072 (100.0)
2017-18	188,693 (36.1)	334,090 (63.9)	522,783 (100.0)

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
2. इसमें पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पकड़े गए जाली नोट शामिल नहीं हैं।
स्रोत: भारिबैं।

17,929 जाली नोट पाए गए जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या क्रमशः 199 और 638 थी (सारणी VIII.9)। पाए गए कुल भारतीय मुद्रा जाली नोटों (एफआईसीएन) में से रिजर्व बैंक द्वारा पता लगाए गए जाली नोटों की संख्या अधिक, अर्थात् 36.1 प्रतिशत थी जबकि पिछले साल यह संख्या 4.3 प्रतिशत थी। इसका कारण यह था कि संचलन में से हटाए गए एसबीएन की बड़ी मात्रा में प्रोसेसिंग की गयी।

सारणी VIII.9: बैंकिंग प्रणाली में पकड़े गए जाली नोट मूल्य वर्ग के अनुसार (अप्रैल-मार्च)

मूल्यवर्ग (₹)	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4
2 और 5	2	80	1
10	134	523	287
20	96	324	437
50	6,453	9,222	23,447
100	221,447	177,195	239,182
200	-	-	79
500 (एमजी शृंखला)	261,695	317,567	127,918
500 (नए डिजाइन)	-	199	9,892
1000	143,099	256,324	103,611
2000	-	638	17,929
कुल	632,926	762,072	522,783

स्रोत: भारिबैं।

प्रतिभूति मुद्रण पर व्यय

VIII.10 इस वर्ष (जुलाई 2017-जून 2018) के दौरान प्रतिभूति मुद्रण पर कुल व्यय वर्ष 2016-17 के ₹79.65 बिलियन की तुलना में ₹49.12 बिलियन हुआ।

2017-18 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

नई सुरक्षा विशेषताओं का समावेश

VIII.11 रिजर्व बैंक द्वारा 19 जून 2015 को अधिसूचित वैश्विक अर्हता-पूर्व बोली की सूचना (पीक्यूबीएन) को वर्ष के दौरान रद्द कर दिया गया एवं 17 जुलाई 2017 को एक नया पीक्यूबीएन अधिसूचित किया गया। महात्मा गांधी (नई) शृंखला के छोटे आकार वाले बैंकनोटों को चलन में लाने एवं भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता देते हुए) आदेश, 2017 के अनुसार 'मेक इन इंडिया' के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए किया गया। खरीद के लिए अधिसूचित की गयी सुरक्षा विशेषताओं में बदलते रंग एवं घूमती तस्वीरों के साथ सुरक्षा धागा, रंग बदलने वाली स्याही, फॉयल पैच, सुरक्षा फाइबर, स्याही एवं पेपर आधारित टैगेंट, उन्नत वाटरमार्क एवं माइक्रो-पर्फोरेशन शामिल हैं।

मुद्रा वितरण एवं विनिमय योजना (सीडीईएस) की समीक्षा

VIII.12 भारतीय रिजर्व बैंक ने बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए मुद्रा परिचालन में तकनीक के उपयोग हेतु बैंकों को प्रेरित करने के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की मशीनें लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देने की शुरुआत की है। मशीनों को लगाने के लिए प्रोत्साहन योजना को मई 2016 में तर्कसंगत बनाया गया जिसके तहत केवल नकदी रिसाइकलर एवं कम मूल्य के नोटों का वितरण करने वाले एटीएम को लगाने के लिए प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया। यह देखते हुए कि इन मशीनों को लगाने का उद्देश्य व्यापक रूप से पूरा हो चुका है, इस योजना की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया जिसके तहत 02 मार्च 2018 से उक्त प्रोत्साहनों को बंद कर दिया गया।

मुद्रा सत्यापन एवं प्रसंस्करण प्रणाली (सीवीपीएस) की खरीद

VIII.13 बैंकनोट प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 50 सीवीपीएस मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगाने के लिए निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की गयी।

नोट वापसी नियमावली में संशोधन

VIII.14 पहले के नोटों की शृंखला की तुलना में नई शृंखला के भिन्न आकार वाले बैंकनोटों के आ जाने तथा ₹2000 एवं ₹200 के नए मूल्यवर्ग वाले बैंकनोटों की शुरुआत हो जाने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 में संशोधन करना अनिवार्य हो गया। आवश्यक बदलावों को गजट अधिसूचना के माध्यम से अतिशीघ्र अधिसूचित किए जाने की संभावना है।

वार्निश किए गए बैंकनोटों की शुरुआत करना – फील्ड परीक्षण

VIII.15 भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार से परामर्श करते हुए भारतीय बैंकनोटों को अधिक टिकाऊ बनाने की संभावनाएं तलाश रहा है। अंतरराष्ट्रीय अनुभव यह सुझाता है कि बैंकनोट को वार्निश करके उसे टिकाऊ एवं दीर्घजीवी बनाया जा सकता है और इससे बैंकनोटों को बदलने की आवश्यकता में कमी आएगी एवं इस तरह प्रतिभूति मुद्रण पर होने वाले समग्र व्यय को कम किया जा सकेगा। वार्निश किए गए बैंकनोटों की शुरुआत फील्ड परीक्षण के आधार पर करने का प्रस्ताव किया गया है।

उच्च स्तरीय समितियों का गठन

VIII.16 दिनांक 04 अक्तूबर 2016 को चौथे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार मार्गस्थ खजाने की संपूर्ण सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों की समीक्षा दो समितियों यथा- मुद्रा भंडारण एवं आवाजाही पर बनी उच्च स्तरीय समिति (एचएलसीसीएसएम) (अध्यक्ष : श्री एन. एस. विश्वनाथन, उप गवर्नर) एवं मुद्रा आवाजाही पर बनी समिति (सीसीएम)

(अध्यक्ष : श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक) द्वारा की गयी। बैंकनोट के निर्माण में अपनायी जा रही गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं की जांच के लिए एक विशेषज्ञ दल (अध्यक्ष : श्री सी. कृष्णन, पूर्व कार्यपालक निदेशक) का गठन भी किया गया था (बॉक्स VIII.1)। सीसीएम और विशेषज्ञ दल की सिफारिशों पर कार्यान्वयन विभिन्न स्तरों पर जारी है।

विनिर्दिष्ट बैंकनोट (एसबीएन)

VIII.17 विनिर्दिष्ट बैंकनोट (देयताओं की समाप्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार ऐसे भारतीय नागरिकों को, जो 9 नवंबर एवं 30 दिसंबर 2016 के बीच की अवधि में भारत से बाहर थे, कुछ शर्तों के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के पांच कार्यालयों (मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नै, कोलकाता और नागपुर) में से किसी भी कार्यालय में विनिर्दिष्ट बैंकनोट जमा करने हेतु अतिरिक्त अवधि प्रदान की गई थी। भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, यह रियायत अवधि निवासी भारतीयों के लिए 31 मार्च 2017

तक और अनिवासी भारतीय नागरिकों के लिए 30 जून 2017 तक थी। इस योजना के अंतर्गत लगभग 77,000 टैंडर्स प्राप्त हुए जिनमें से 68 प्रतिशत भुगतान के लिए उपयुक्त पाए गए।

VIII.18 वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने 12 मई 2017 को विनिर्दिष्ट बैंकनोट (जब्त नोटों को जमा करना) नियमावली, 2017 अधिसूचित की जिसके तहत 30 दिसंबर 2016 को या उसके पूर्व विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अधिगृहीत या जब्त अथवा कोर्ट को सौंपे गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को बैंक खातों में जमा करने हेतु या उसके मूल्य को वैध मुद्रा में बदलकर बैंक के किसी भी कार्यालय में, इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार, जमा किया जा सकता है। ये नियम 30 दिसंबर 2016 के बाद जब्त या अधिगृहीत विनिर्दिष्ट बैंक नोटों पर लागू नहीं हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक में ऐसे विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को जमा करने के लिए इस नियम में कोई अंतिम तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है।

बॉक्स VIII.1

मुद्रा आवाजाही पर समितियां

वर्ष 2016-17 के लिए 04 अक्टूबर 2016 को जारी चौथे द्विमासिक नीति वक्तव्य के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने दो समितियों, यथा- मुद्रा भंडारण एवं आवाजाही पर उच्च स्तरीय समिति (एचएलसीसीएसएम) एवं मुद्रा आवाजाही पर समिति (सीसीएम) - का गठन किया ताकि क्रमशः करेंसी चेस्ट स्तर तक एवं उससे आगे नए नोटों की आवाजाही की समीक्षा की जा सके। एचएलसीसीएसएम ने एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस बीच समिति को सहयोग प्रदान करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ की नियुक्ति भी की गई है। सीसीएम ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें इसने भारत में खुदरा मुद्रा संचालन प्रणाली को अधिक सक्षम और सुरक्षित बनाने के उपाय सुझाए हैं। समिति ने करेंसी चेस्टों के उन्नयन और नकदी आवाजाही के लिए सुरक्षात्मक उपायों के संबंध में भी सिफारिशें की हैं। समिति की सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों का एक दल

मुद्रा प्रबंधन केंद्रीय बैंक के रूप में रिज़र्व बैंक के मुख्य कार्यों में से एक है। बैंक की जिम्मेदारी है कि वह बैंकनोटों की गुणवत्ता एवं उनकी

विश्वसनीयता तथा बैंक के प्रति जनता में विश्वास को बनाए रखे। बैंकनोटों के जारीकर्ता के रूप में रिज़र्व बैंक को यह सुनिश्चित करना है कि गुणवत्ता नियंत्रण, प्रिंटिंग प्रेसों - बीआरबीएनएमपीएल (बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी) एवं एसपीएमसीआईएल (भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी) दोनों - में मुद्रण के संबंध में अपनायी जा रही प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं तथा प्रयोग में लायी जा रही तकनीक मानकीकृत हैं एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं।

नोट मुद्रण प्रेसों एवं पेपर मिलों में अपनाई जा रही गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ दल (अध्यक्ष: श्री सी. कृष्णन, पूर्व कार्यपालक निदेशक) का गठन किया गया था जिसका उद्देश्य नोट मुद्रण एवं इससे जुड़ी सभी प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं की लेखापरीक्षा करना था। विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें सभी प्रेसों एवं पेपर मिलों, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, के लिए कच्चे माल की खरीद, गुणवत्ता की गारंटी, नोट मुद्रण प्रक्रियाओं, सुरक्षा विशेषताओं आदि के संबंध में नये सिरे से मानकीकरण के लिए सिफारिशें की गयी हैं।

VIII.19 भारत सरकार द्वारा 20 जून 2017 को विनिर्दिष्ट बैंकनोट (बैंकों, डाकघरों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा जमा किया जाना) नियमावली, 2017 को भी अधिसूचित किया गया। इस संबंध में बैंक को अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर निर्धारित नियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट बैंकनोट जमा करने की अनुमति दी गई थी जिसमें (i) कोई भी बैंक या डाकघर जिसने अपने ग्राहकों से 30 दिसंबर 2016 तक या उससे पहले विनिर्दिष्ट बैंकनोट प्राप्त किया हो तथा (ii) जिला सहकारी बैंक जिन्होंने अपने ग्राहकों से 10-14 नवंबर 2016 के बीच विनिर्दिष्ट बैंकनोट प्राप्त किया हो, शामिल थे। इन नियमों के तहत पात्र एसबीएन को स्वीकार करने की यह सुविधा रिजर्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में 19 जुलाई 2017 तक उपलब्ध थी।

VIII.20 प्राप्त विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का सत्यापन, उनकी गणना और प्रोसेसिंग अत्याधुनिक हाई स्पीड मुद्रा सत्यापन और प्रॉसेसिंग प्रणाली (सीवीपीएस) के जरिए की गयी ताकि उनकी संख्या और उनके असली होने का सत्यापन किया जा सके और श्रेडिंग और ब्रिकेटिंग प्रणाली द्वारा इन नोटों को कतरने और ब्रिकेटिंग का कार्य भी किया गया। रात्रिकालीन पारी (दिन की पारी सहित) में कार्य करके, सप्ताह में 6 दिन काम करते हुए और वाणिज्यिक बैंकों के पास उपलब्ध 8 अतिरिक्त मशीनों को उपयोग में लेते हुए तथा 7 अन्य मशीनें वेंडरों से किराए पर लेते हुए प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाया गया। अधिशेष विनिर्दिष्ट बैंकनोट रखने वाले निर्गम सर्कलों से एसबीएन को हटाकर अधिशेष नोटों की प्रोसेसिंग करने में सक्षम निर्गम सर्कलों में भेजा गया ताकि बैंक के सभी निर्गम कार्यालयों में प्रोसेसिंग का काम लगभग एक साथ पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके। अब तक भारतीय रिजर्व बैंक के सभी केंद्रों में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है। कुल मिलाकर ₹15,310.73 बिलियन मूल्य के विनिर्दिष्ट बैंकनोट संचलन से वापस आए।

जन जागरूकता अभियान

VIII.21 सिक्कों के संबंध में जनता के मन में भ्रम और डर दूर करने के लिए और जागरूकता पैदा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान एसएमएस जागरूकता अभियान

चलाया। रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ₹10 के विभिन्न डिजाइन वाले सिक्कों की वैधता संबंधी विशेषता को भी बार-बार बताया गया।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

ई-कुबेर का कार्यान्वयन

VIII.22 भारतीय रिजर्व बैंक और करेंसी चेस्टों में वर्तमान में मुद्रा परिचालनों से संबंधित इन्वेंटरी के प्रबंधन, मुद्रा तिजोरी लेन-देन की रिपोर्टिंग और उसका लेखा-जोखा रखना, एमआईएस रिपोर्टें जनरेट करना इत्यादि कार्य एकीकृत कंप्यूटरीकृत मुद्रा परिचालन एवं प्रबंधन प्रणाली (आइकॉम्स) के माध्यम से किए जा रहे हैं। आइकॉम्स के स्थान पर अब बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) के अंतर्गत बनाए गए मुद्रा प्रबंधन मॉड्यूल को लाया जा रहा है जिससे इन्वेंटरी प्रबंधन बेहतर तरीके से हो सकेगा, करेंसी चेस्ट लेने-देनों का सुविधाजनक एवं लगभग वास्तविक लेखांकन किया जा सकेगा, संचलनरत मुद्रा का बेहतर आकलन हो सकेगा और मुद्रा तिजोरियों, रिजर्व बैंक के लिंक कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी संबंधित क्रियाकलापों को कवर किया जा सकेगा।

बैंकनोट गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशाला

VIII.23 बैंकनोट के उत्पादन से संबंधित प्रणाली और प्रक्रिया की समीक्षा के लिए बने विशेषज्ञ दल (अध्यक्ष: श्री सी. कृष्णन) की सिफारिशों के आधार पर, मुद्रा प्रबंध विभाग ने बैंक नोटों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मुंबई में एक प्रयोगशाला स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है।

बैंकनोटों के हैंडलिंग की प्रक्रिया को स्वचालित बनाना

VIII.24 बैंक नोटों की भारी मात्रा की वर्तमान में हैंडलिंग / भविष्य में की जाने वाली हैंडलिंग को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और स्वचालित प्रणालियों का समावेश करते हुए देश में मुद्रा प्रबंधन के इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रक्रियाओं को अद्यतन किया जाए। रिजर्व बैंक उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए प्रक्रियाओं को मशीनीकृत करने की संभावनाएं तलाशेगा।

**भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड
(बीआरबीएनएमपीएल)**

VIII.25 देश में बैंक नोटों के मुद्रण की क्षमता को बढ़ाने के लिए 1995 में स्थापित रिज़र्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बीआरबीएनएमपीएल ने मुद्रा प्रबंधन के कार्यनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने में अत्यधिक योगदान दिया है। वर्ष के दौरान कंपनी की उपलब्धियों में महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंकनोट की देश के भीतर डिजाइनिंग, लगातार व्यापक स्वचालन और इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग

के साथ रिज़र्व बैंक को प्राप्त कुल बैंक नोटों की लगभग दो तिहाई की आपूर्ति करना शामिल है। भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) के साथ बीआरबीएनएमपीएल ने बैंकनोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की है जो बैंकनोट की छपाई के लिए आवश्यक सिलेंडर वॉटरमार्क बैंकनोट (सीडब्ल्यूबीएन) पेपर बनाने वाली एक इकाई है। बीआरबीएनएमपीएल ने मैसूर में एक स्याही कारखाना स्थापित किया है जो बहुत जल्द बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ करेगा।

रिजर्व बैंक एक ऐसे समाज की व्यवस्था करने की दिशा में लगातार प्रयत्नशील रहा है जिसमें नकदी का लेनदेन कम से कम किया जाए और इसके लिए देश में भुगतान के डिजिटल तरीकों को बड़े पैमाने पर अपनाया गया। आज जबकि कई प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां प्रचलन में आ रही हैं, बैंक ने अपने प्रयासों को भुगतान प्रणाली को निरापद और सुरक्षित बनाने पर फोकस किया है। तदनुसार, बैंक ने एक मजबूत और आघातसहनीय प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में काम किया, जिसने देश में अत्यावश्यक और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान और निपटान प्रणाली के सुचारु कामकाज को सुनिश्चित किया।

भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस)

IX.1 भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) ने भारत में 'भुगतान और निपटान प्रणाली : विजन 2018' दस्तावेज में निर्धारित कार्यनीति में शामिल नवोन्मेषी उपायों पर कार्य करना जारी रखा। इसके फलस्वरूप, विजन में निर्धारित अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति निम्नलिखित के माध्यम से हुई: (i) कागज आधारित समाशोधन लिखतों की हिस्सेदारी कम करना; (ii) खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली यथा, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), त्वरित भुगतान सेवा (आईएमपीएस), कार्ड लेनदेन और मोबाइल बैंकिंग के अपने-अपने खंडों में लगातार वृद्धि; (iii) मोबाइल बैंकिंग के लिए पंजीकृत ग्राहक आधार में वृद्धि; और (iv) डिजिटल भुगतान के लिए स्वीकृति इन्फ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन। इसके अलावा भुगतान क्षेत्र में नवोन्मेषी उत्पादों की शुरुआत के कारण देश भर में डिजिटल भुगतान तेजी से अपनाए गए और इसीलिए बैंक ने डिजिटल लेनदेन के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और उसे निरापद एवं सुरक्षित बनाने पर ध्यान केंद्रित किया।

भुगतान प्रणालियों में वृद्धि

IX.2 भुगतान और निपटान प्रणालियों में 2017-18 के दौरान अच्छी-खासी वृद्धि हुई, जो 2016-17 में मात्रात्मक और मूल्यानुसार हुई क्रमशः 56.0 प्रतिशत और 24.8 प्रतिशत की वृद्धि से बढ़कर क्रमशः 44.6 प्रतिशत और 11.9

प्रतिशत हो गयी। खुदरा भुगतान की कुल मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन का हिस्सा 2017-18 में बढ़कर 92.6 प्रतिशत हो गया, जो पिछले वर्ष 88.9 प्रतिशत था, और कागज-आधारित समाशोधन लिखतों की हिस्सेदारी इसी के अनुरूप 2016-17 के 11.1 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 7.4 प्रतिशत हो गयी (सारणी IX.1)।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान

IX.3 भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों में, तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली द्वारा 2017-18 में ₹1,167 ट्रिलियन मूल्य के 124 मिलियन लेनदेन किए गए, जो पिछले वर्ष के ₹982 ट्रिलियन मूल्य के 108 मिलियन लेनदेन से अधिक थे। मार्च 2018 के अंत तक, आरटीजीएस सुविधा 194 बैंकों की 1,37,924 शाखाओं के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती थी। एनईएफटी प्रणाली द्वारा 2017-18 में लगभग ₹172 ट्रिलियन मूल्य के 1.9 बिलियन लेनदेन किए गए, जो पिछले वर्ष के ₹120 ट्रिलियन मूल्य के 1.6 बिलियन लेनदेन की तुलना में मात्रात्मक रूप से 20 प्रतिशत तथा मूल्यानुसार 43.5 प्रतिशत अधिक थे। मार्च 2018 के अंत में एनईएफटी सुविधा कारोबारी प्रतिनिधियों (बीसी) के आउटलेट्स की बड़ी संख्या के अलावा, 192 बैंकों की 1,40,339 शाखाओं के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही थी।

IX.4 वर्ष 2017-18 के दौरान, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड द्वारा किए गए लेनदेन की संख्या क्रमशः 1.4 बिलियन और 3.3 बिलियन थी। प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई)

सारणी IX.1 भुगतान प्रणाली संकेतक – वार्षिक कारोबार

मद	मात्रा (मिलियन)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5	6	7
प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर (एसआईएफएमआई)						
1. आरटीजीएस	98.3	107.8	124.4	8,24,578	9,81,904	11,67,125
कुल वित्तीय बाजार समाशोधन (2+3+4)	3.1	3.7	3.5	8,07,370	10,56,173	10,74,802
2. सीबीएलओ	0.2	0.2	0.2	1,78,335	2,29,528	2,83,308
3. सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	1.0	1.5	1.1	2,69,778	4,04,389	3,70,364
4. विदेशी मुद्रा समाशोधन	1.9	1.9	2.2	3,59,257	4,22,256	4,21,131
कुल एसआईएफएमआई (1 से 4)	101.4	111.5	127.9	16,31,948	20,38,077	22,41,927
खुदरा भुगतान						
कुल कागजी समाशोधन (5+6)	1,096.4	1,206.7	1,170.6	81,861	80,958	81,893
5. सीटीएस	958.4	1,111.9	1,138.0	69,889	74,035	79,451
6. गैर-एमआईसीआर समाशोधन	138.0	94.8	32.6	11,972	6,923	2,442
कुल खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन (7+8+9+10+11+12)	3,141.5	4,222.9	6,382.4	91,408	1,32,324	1,93,112
7. ईसीएस डेबिट	224.8	8.8	1.5	1,652	39	10
8. ईसीएस क्रेडिट	39.0	10.1	6.1	1,059	144	115
9. एनईएफटी	1,252.9	1,622.1	1,946.4	83,273	1,20,040	1,72,229
10. आईएमपीएस	220.8	506.7	1,009.8	1,622	4,116	8,925
11. यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस	-	17.9	915.2	-	69	1,098
12. राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच)	1,404.1	2,057.3	2,503.3	3,802	7,916	10,736
कुल कार्ड भुगतान (13+14+15)	2,707.3	5,450.1	8,207.6	4,483	7,421	10,607
13. क्रेडिट कार्ड	785.7	1,087.1	1,405.2	2,407	3,284	4,590
14. डेबिट कार्ड	1,173.6	2,399.3	3,343.4	1,589	3,299	4,601
15. प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई)	748.0	1,963.7	3,459.0	488	838	1,416
कुल खुदरा भुगतान (5 से 15)	6,945.2	10,879.7	15,760.6	1,77,752	2,20,703	2,85,612
कुल योग (1 से 15)	7,046.6	10,991.2	15,888.5	18,09,701	22,58,780	25,27,539

टिप्पणी: 1. तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली में केवल ग्राहक और अंतर-बैंक लेनदेन शामिल हैं।
 2. संपार्श्विकीकृत उधार लेन-देन संबंधी दायित्व (सीबीएलओ), सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन और विदेशी मुद्रा लेनदेन का निपटान भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के माध्यम से होता है। सरकारी प्रतिभूतियों में आउटराइट ट्रेड और रिपो लेनदेन के दोनों चरण शामिल हैं।
 3. कार्डों के आंकड़े केवल बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल के लेनदेन के लिए हैं, जिसमें ऑनलाइन लेनदेन शामिल हैं।
 4. कॉलमों में दिये गए आंकड़े का जोड़ पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ से भिन्न हो सकता है।
 5. ईसीएस डेबिट : इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली डेबिट। ईसीएस क्रेडिट : इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली क्रेडिट।

स्रोत: भारिबैंक।

द्वारा लेनदेन लगभग 3.5 बिलियन दर्ज किए गए, जिनका मूल्य ₹1,416 बिलियन था। मोबाइल बैंकिंग सेवाओं में मात्रा और मूल्य के अनुसार क्रमशः 92 प्रतिशत और 13 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जबकि मार्च 2018 के अंत में पंजीकृत ग्राहकों की संख्या 54 प्रतिशत बढ़कर 251 मिलियन हो गई जो मार्च 2017 के अंत में 163 मिलियन थी।

IX.5 स्वीकृति इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी पर्याप्त वृद्धि देखी गई और 2017-18 में प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों की

संख्या 2016-17 के 2.53 मिलियन से 24 प्रतिशत बढ़कर 3.14 मिलियन हो गयी। हालांकि इसी अवधि के दौरान लगाए गए एटीएम की संख्या में 2, 22,475 से 2, 22,247 की मामूली गिरावट देखी गयी।

भुगतान प्रणालियों को प्राधिकृत करना

IX.6 भुगतान के डिजिटल माध्यमों के तहत 84 प्राधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के माध्यम से सुविधा प्रदान की जा रही थी जबकि जून 2017 में यह संख्या 87 थी

और इसमें भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के अलावा पीपीआई जारीकर्ता, सीमा-पार धन अंतरण सेवा प्रदाता-इन बाउन्ड, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर (डब्ल्यूएलए), व्यापार प्राप्ति और बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस) ऑपरेटर, एटीएम नेटवर्क, तत्काल धन अंतरण सेवा प्रदाता, कार्ड भुगतान नेटवर्क और भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई (बीबीपीओयू) शामिल थे। पीपीआई परिचालन के लिए प्राधिकृत गैर-बैंक संस्थाओं की संख्या पिछले वर्ष के 55 से घटकर 49 हो गयी क्योंकि कुछ संस्थाओं के विलय / रूपांतरण भुगतान बैंकों के रूप में हो गए और कुछ ने स्वैच्छिक रूप से लाइसेंस वापस कर दिए। जून 2018 के अंत तक 58 बैंकों को पीपीआई जारी करने का अधिकार दिया गया, वहीं 430 बैंकों को मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई।

वर्ष 2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

IX.7 'भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली: विजन 2018' के अंतर्गत विभाग ने अपने विजन को प्राप्त करने के लिए चार कार्यनीतिक स्तंभों की पहचान की थी। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र की गतिविधियों को विस्तार से नीचे दिया गया है।

प्रतिसाद संवेदी विनियमन

सीसीपी के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क

IX.8 केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर (एफएमआई) के महत्वपूर्ण घटक हैं। सीसीपी बाजार में प्रतिभागियों को गारंटीशुदा निपटान सेवाएं देकर प्रतिपक्ष द्वारा की जाने वाली चूक, प्रतिस्थापन-लागत जोखिम और मूलधन जोखिम से होने वाली हानि से बचाते हैं। सीसीपी का प्रभावी ढंग से परिचालन सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक ने इनसे जुड़े (i) गवर्नेन्स, (ii) निवल मालियत आवश्यकताओं और (iii) विदेशी सीसीपी के विनियमन पर दिशानिर्देश जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

डब्ल्यूएलए दिशानिर्देशों की समीक्षा

IX.9 भारत में व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश पहली बार जून 2012 में जारी किए गये थे। अब तक के अनुभव और बैंकिंग

उद्योग से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर, समय-समय पर दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है। डब्ल्यूएलए के उपयोग को और सुविधाजनक बनाने के लिए, डब्ल्यूएलए परिचालकों को खुदरा आउटलेट से नकद जुटाने की अनुमति दी गई है। इसके बावजूद, डब्ल्यूएलए परिचालक संबंधित योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं रहे हैं। इसे देखते हुए, 2018-19 में डब्ल्यूएलए लगाने के लक्ष्यों/नए भागीदारों आदि के शामिल होने को लेकर प्रवेश बिंदु मानदंडों की दृष्टि से डब्ल्यूएलए दिशानिर्देशों की पूर्ण समीक्षा की जाएगी।

पीपीआई दिशानिर्देशों की समीक्षा

IX.10 रिजर्व बैंक ने 11 अक्टूबर 2017 को 'प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निदेश' जारी किए। मास्टर निदेश में किए गए प्रमुख संशोधनों का संबंध प्रवेश बिंदु मानदंडों, केवाईसी आवश्यकताओं, पीपीआई की विभिन्न श्रेणियों के समेकन, लेनदेनों और प्रणालियों को निरापद और सुरक्षित बनाने, ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण तंत्र, धोखाधड़ी की रोकथाम और जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क से है। इसके अलावा, मास्टर निदेश बैंकों द्वारा जारी और प्राधिकृत गैर-बैंकों द्वारा जारी पीपीआई के बीच अंतरपरिचालन को लागू करने के लिए मार्ग निर्धारित करते हैं।

सुदृढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर

डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए एमडीआर को तर्कसंगत बनाना

IX.11 व्यापारियों (विशेष रूप से छोटे व्यापारियों) के एक बड़े वर्ग द्वारा डेबिट कार्ड की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने और इसमें शामिल कारोबारी इकाइयों के व्यापार को बनाए रखने के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, व्यापारी बट्टा दर (एमडीआर) फ्रेमवर्क को तर्कसंगत बनाया गया, जो 1 जनवरी 2018 से प्रभावी हुआ। संशोधित फ्रेमवर्क में व्यापारियों को टर्नओवर के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यह त्वरित प्रतिसाद देने वाले (क्यूआर)-कोड आधारित लेनदेन के लिए एक विभेदित एमडीआर अपनाता है और 'कार्ड सहित' और 'कार्ड रहित' दोनों लेनदेन के लिए अधिकतम स्वीकार्य एमडीआर की उच्चतम सीमा निर्दिष्ट करता है।

सीटीएस-2010 मानक की ओर बढ़ना

IX.12 बैंकों से अपेक्षा की गयी है कि ग्राहकों के बीच जागरूकता उत्पन्न कर परिचालनगत गैर-चेक ट्रंक्शन प्रणाली (सीटीएस) - 2010 वाले मानक चेकों को वापस लिया जाए। कुल चेकों में से गैर-सीटीएस-2010 चेकों की हिस्सेदारी को 2014 के 4 प्रतिशत से घटाकर 2018 में 0.25 प्रतिशत तक कर लिया गया है। इस प्रकार की लिखतों को समाशोधन हेतु प्रस्तुत करने की घटती प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, तीनों सीटीएस ग्रिड केंद्रों में गैर-सीटीएस-2010 चेकों के समाशोधन के लिए अलग से निर्धारित सत्रों की आवृत्ति को 1 जुलाई 2018 से घटाकर पखवाड़े में एक बार कर दिया गया है (4 जुलाई 2018 से शुरू कर प्रत्येक दूसरे बुधवार को)। बैंकों को सूचित किया गया कि वे और अधिक उत्तर-दिनांकित चेक (नामे आदेश) स्वीकार न करें और मौजूदा उत्तर-दिनांकित चेकों को राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) से परिवर्तित करा लें।

प्रभावी पर्यवेक्षण

प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों के लिए निगरानी फ्रेमवर्क

IX.13 देश में बदलते भुगतान तंत्र के तहत 'भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली: विजन 2018' दस्तावेज में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भुगतान प्रणाली की निगरानी हेतु बने नीतिगत फ्रेमवर्क की समीक्षा की गई। मौजूदा और नई भुगतान प्रणालियों के लिए भुगतान प्रणाली के भागीदारों द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले प्रणालीगत जोखिमों अथवा प्रणाली-व्यापी जोखिमों के समानरूप प्रभावी निगरानी तंत्र का प्रस्ताव करने वाले निगरानी फ्रेमवर्क के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है।

पीएसओ द्वारा एक्सबीआरएल फॉर्मेट में डेटा रिपोर्टिंग

IX.14 परोक्ष निगरानी प्रक्रिया के ही एक हिस्से के रूप में, पीएसओ आवधिक रूप से उनके द्वारा जारी की गई भुगतान लिखतों के निर्गमन और उपयोग संबंधी विवरणी प्रस्तुत करते हैं। आवधिक विवरणियों को एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्रणाली में माइग्रेट किया जा रहा है

ताकि संस्थाओं से ऑटोमेटेड रिपोर्ट सुविधाजनक तरीके से प्राप्त की जा सके और निर्णय लेने के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली सूचना उपलब्ध हो सके।

ऑनसाइट निरीक्षण

IX.15 वर्ष 2017-18 के दौरान, रिज़र्व बैंक द्वारा 21 संस्थाओं यथा, सीसीआईएल, एनपीसीआई, 18 पीपीआई जारीकर्ता संस्थाओं और 1 डब्ल्यूएलए परिचालक का ऑनसाइट निरीक्षण किया गया। एनपीसीआई के निरीक्षण में विभिन्न जोखिमों (अर्थात, विधिक, परिचालन, निपटान और प्रतिष्ठा जोखिम) का मूल्यांकन करने पर विशेष जोर दिया गया और एनपीसीआई द्वारा इन्हें कम करने के उपाय किए / कदम उठाए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान गवर्नेन्स और मानव संसाधन से संबंधित मुद्दे भी शामिल किए गए थे।

IX.16 सीसीआईएल का निरीक्षण सितंबर 2017 में किया गया था। एक केंद्रीय प्रतिपक्षकार और व्यापार रिपोजिटरी के रूप में सीसीआईएल के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन 'भुगतान और बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर समिति - अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (सीपीएमआई-आईओएससीओ) - मूल्यांकन पद्धति' का उपयोग करते हुए वित्तीय बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर (पीएफएमआई) के 24 सिद्धांतों के आधार पर किया गया था। पारदर्शिता को बढ़ाने के एक उपाय के तौर पर, सीसीआईएल ने पीएफएमआई के अनुपालन में पीएफएमआई में निर्धारित 'प्रकटीकरण फ्रेमवर्क और मूल्यांकन पद्धति' के अनुसार वार्षिक आधार पर अपने स्व-मूल्यांकन का प्रकटीकरण जारी रखा। सीसीआईएल ने सीसीपी के लिए निर्धारित सार्वजनिक प्रकटीकरण मानकों के अनुसार तिमाही आधार पर अपने मात्रात्मक प्रकटीकरण भी प्रकाशित किए।

IX.17 थोक भुगतानों में हो रही धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे को देखते हुए, सीपीएमआई ने एक कार्यदल गठित किया है जो थोक भुगतानों की सुरक्षा पर ध्यान देगा और ऐसी कार्यनीति तैयार करेगा जिससे उद्योग जगत थोक भुगतानों में होने वाली धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने की दिशा में अपने प्रयासों को संकेंद्रित करने हेतु प्रोत्साहित हो और वित्तीय स्थिरता को बल मिल सके। थोक भुगतान में एंडपॉइंट सुरक्षा से संबंधित जोखिमों को कम करने की कार्यनीति के तत्वों का सार बॉक्स IX.1 में दिया गया है।

बॉक्स IX.1 आरटीजीएस में एंड पॉइंट सुरक्षा

थोक भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में एंड पॉइंट स्थान और समय का वह बिंदु माना जाता है, जहां पर इस तंत्र में दो पक्षों के बीच भुगतान निर्देश सूचना का आदान-प्रदान किया जाता है। एंड पॉइंट सुरक्षा का उद्देश्य नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक एंड पॉइंट को समुचित रूप से सुरक्षित बनाना होता है ताकि प्रवेश बिंदु पर प्रणाली तक पहुंच के प्रयासों को और किसी भी अन्य जोखिमपूर्ण गतिविधि को ब्लॉक किया जा सके। सीपीएमआई ने 'एंड पॉइंट सुरक्षा से संबंधित थोक भुगतान धोखाधड़ी के जोखिम को कम करना' शीर्षक के नाम से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने धोखाधड़ी के जोखिम से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। रिपोर्ट में थोक भुगतानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वित प्रयास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है क्योंकि वित्तीय नेटवर्कों की अंतर-संबद्धता के कारण यह आवश्यक है।

थोक भुगतान धोखाधड़ी में एंड पॉइंट सुरक्षा से संबंधित जोखिमों को कम करने की कार्यनीति के तत्वों की पहचान निम्नानुसार की गई थी :-

- तत्व 1: एंड पॉइंट सुरक्षा से संबंधित ऐसे जोखिमों को चिह्नित करना और उन्हें समझना जिनका भागीदारों को अलग-अलग और सामूहिक रूप से भी सामना करना पड़ता है।

- तत्व 2: प्रणाली के भागीदारों के हित में धोखाधड़ी की पहचान, रोकथाम और उस पर अनुक्रिया के लिए अपेक्षित एंड पॉइंट सुरक्षा व्यवस्था करना।
- तत्व 3: संबंधित एंड पॉइंट सुरक्षा अपेक्षाओं के अनुपालन को बढ़ावा देना।
- तत्व 4: धोखाधड़ी की पहचान और रोकथाम में सुधार के लिए सूचना और साधन उपलब्ध कराना और उनका इस्तेमाल करना।
- तत्व 5: वास्तविक धोखाधड़ी या धोखाधड़ी के संदेह पर समय रहते कार्रवाई करने के लिए प्रक्रियाएं और प्रथाएं लागू की जानी चाहिए।
- तत्व 6: इस संबंध में वर्तमान में जारी शिक्षण, जागरूकता और सूचना के आदान-प्रदान में सहयोग करना।
- तत्व 7: एंड पॉइंट सुरक्षा जोखिमों की निगरानी और जोखिम नियंत्रण विकसित करना, एंड पॉइंट सुरक्षा अपेक्षाओं, प्रक्रियाओं, प्रथाओं और संसाधनों की समीक्षा करना और उन्हें अद्यतन करना।

ग्राहक केंद्रित

ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र (सीजीआरएम) को सुसंगत बनाना

IX.18 रिज़र्व बैंक ने विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए सीजीआरएम को सुसंगत बनाने हेतु भुगतान क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की। प्रस्तावित सुसंगतीकरण से विभिन्न पहलुओं, जैसे विवाद-निवारण तंत्र, लागत संरचना, ग्राहक शिकायतों के निवारण के लिए टर्न-अराउंड समय और असफल / अस्वीकृत लेनदेन के लिए धन-वापसी प्रक्रिया में समानता आएगी। प्राप्त इनपुट को जांचा और समेकित किया जा रहा है। इस बीच, पीपीआई जारीकर्ताओं के लिए एक सुदृढ़ सीजीआरएम शुरू कर दिया गया है।

पीएसओ के लिए प्रकटीकरण फ्रेमवर्क

X.19 ग्राहकों पर लगाए जाने वाले प्रभारों में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बैंक ने उपाय किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीएसओ संस्थाएँ अपने ग्राहकों को अपनी

सेवाओं पर देय शुल्क और उससे संबंधित नियम एवं शर्तों का स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण कर सके।

एनईएफटी में भुगतान की पुष्टि

IX.20 एनईएफटी प्रणाली में निधि-अंतरण पूरा होने की पुष्टि सूचना धन-प्रेषकों को भेजने की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है और लगभग सभी बैंक अब प्रेषक को धन अंतरण संबंधी पुष्टि संदेश भेज रहे हैं। जैसा कि 'भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली: सिस्टम विजन 2018' दस्तावेज में परिकल्पना की गई है, भेजे गए सफल पुष्टि संदेश के बैंक-वार प्रतिशत की निरंतर निगरानी करके इस सुविधा को और मजबूत किया जा रहा है। कम प्रतिशत वाले बैंकों के साथ इस मुद्दे को उठाया भी जा रहा है।

डेटा भंडारण

IX.21 जैसा कि 2018-19 के पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित किया गया था, देश में परिचालित सभी भुगतान प्रणालियों के डेटा की अप्रतिबंधित पर्यवेक्षी पहुंच सुनिश्चित

करने के लिए, सभी प्रणाली प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों का पूरा डेटा केवल भारत में ही किसी प्रणाली में स्टोर किया जाए। हालांकि, भुगतान लेनदेन के विदेशी चरण से संबंधित डेटा विदेश में भी स्टोर किया जा सकता है।

अन्य गतिविधियां

एफएसएपी मूल्यांकन

IX.22 द्वितीय वित्तीय क्षेत्र व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी), जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) का संयुक्त कार्यक्रम है, 2017 में भारत के लिए आयोजित किया गया था। एफएमआई के लिए, एफएसएपी टीम ने बैंक द्वारा नामित पात्र केंद्रीय प्रतिपक्षकार सीसीआईएल का मूल्यांकन किया, जो मुद्रा, जी-सेक, विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव बाजार लेनदेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीएफएमआई सिद्धांतों के आधार पर किए गए मूल्यांकन से यह निष्कर्ष निकाला गया कि सीसीआईएल प्रणालियां 24 सिद्धांतों में से 21 का पूरी तरह या मोटे तौर पर अनुसरण करती हैं, साथ ही, शेष तीनों सिद्धांत इन पर लागू नहीं होते। रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है।

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई)- अतिरिक्त विशेषताएं

IX.23 डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और इसके दायरे को और अधिक विस्तृत करने के लिए, यूपीआई में विभिन्न नई विशेषताओं को शामिल करने की मंजूरी दी गई है। प्रमुख अतिरिक्त सुविधाओं में शामिल हैं - यूपीआई लेनदेन की प्रति लेनदेन की मौजूदा सीमा को ₹1.0 लाख से बढ़ाकर ₹2.0 लाख कर देना, निधि को ब्लॉक करने के मैन्डेट की मंजूरी देना, ओवरड्राफ्ट खाते की सुविधा अंतर्निहित खाते के रूप में देना, विदेशी आवक विप्रेषण के देशी भाग का संसाधन शामिल हैं और राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को उप सदस्याता रूट के माध्यम से जारीकर्ता के रूप में शामिल करना।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

प्रतिसाद-संवेदी विनियमन

भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं और भुगतान संकलनकर्ताओं का विनियमन

IX.24 ऑनलाइन लेनदेन के जरिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की वृद्धि ने भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं की भूमिका को बढ़ा दिया है। भुगतान गेटवे परिचालन (जिनकी निगरानी बैंकों के माध्यम से की जाती है) पर वर्तमान दिशानिर्देश अप्रत्यक्ष हैं और उनके कामकाज के केवल कुछ विशिष्ट पहलुओं से ही संबंध रखते हैं। भुगतान गेटवे की बढ़ती भूमिका को देखते हुए, इन संस्थाओं की भुगतान संबंधी गतिविधियों पर जारी दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाएगी।

सुदृढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर

एनईएफटी में मैसेजिंग के लिए आईएसओ को अपनाना

IX.25 बैंक एनईएफटी में मैसेजिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) मानकों के कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्यता और समयसीमा की जांच करेगा।

प्रभावी पर्यवेक्षण

आघातसहनीयता परीक्षण के लिए फ्रेमवर्क

IX.26 वित्तीय बाजारों के साथ-साथ व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के वैकल्पिक तरीकों के आ जाने से, भुगतान प्रणालियों की आघातसहनीयता का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। यहां, आघातसहनीयता से तात्पर्य किसी प्रणाली के अपनी गतिविधि को एक अलग प्रणाली या प्रक्रिया में बदलकर या दोनों के मिश्रित रूप से उस स्थिति में भी चलायमान बनाए रखने की क्षमता से है जब कोई प्रणाली पूरी तरह काम करना बंद कर दे। देश में खुदरा और बड़े मूल्य की प्रणालियों की आघातसहनीयता का परीक्षण करने के लिए एक ढांचा तैयार किया जाएगा।

भुगतान प्रणाली में हो रही धोखाधड़ी पर आंकड़े जुटाना

IX.27 रिज़र्व बैंक वर्तमान में पीएसओ से धोखाधड़ी पर आंकड़े जुटाता है। भुगतान प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने और धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए विभिन्न

भुगतान प्रणालियों में होने वाली धोखाधड़ी के प्रकारों की निगरानी करने की आवश्यकता है। तदनुसार, भुगतान प्रणाली में धोखाधड़ी पर डेटा एकत्र करने के लिए बैंकिंग उद्योग से परामर्श लेकर एक व्यापक ढांचा तैयार किया जाएगा।

ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण

ग्राहक सर्वेक्षण

IX.28 भुगतान विकल्पों के संबंध में ग्राहकों की आदतों का पता लगाने के लिए रिजर्व बैंक अन्य हितधारकों के साथ मिलकर भुगतान प्रणाली के विशिष्ट पहलुओं पर ग्राहक सर्वेक्षण कराने की दिशा में कार्य करेगा। इससे उपयोगकर्ताओं में जागरूकता बढ़ाते हुए उन्हें सशक्त बनाने के अलावा विनियामकीय ढांचे और नीतियों को तैयार करने में मदद मिलेगी।

गैर बैंक प्राधिकृत पीपीआई जारीकर्ताओं हेतु ग्राहक उत्तरदायित्व सीमित करने के लिए फ्रेमवर्क

IX.29 बैंकों द्वारा जारी पीपीआई में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन में ग्राहकों की देयता सीमित करने के लिए फ्रेमवर्क पहले से मौजूद है। बैंक और गैर बैंक पीपीआई में अंतर-परिचालन प्रारंभ करने पर विचार गया है जिससे गैर-बैंक पीपीआई के लिए भी समान अनुदेश के मामले को मजबूती मिलेगी। गैर-बैंकों द्वारा जारी पीपीआई हेतु इसे लागू करने संबंधी दिशानिर्देश वर्ष के दौरान जारी होंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

(डीआईटी)

IX.30 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) ने देश में अत्यावश्यक और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान और निपटान प्रणालियों के सुचारु रूप से कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रावधान के माध्यम से 'सुरक्षा के साथ सेवा' की दिशा में कार्य करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। उभरते जोखिम भरे परिदृश्य के साथ, जहां सुनियोजित साइबर अपराध और साइबर युद्ध बढ़ते जा रहे हैं, यह विभाग साइबर सुरक्षा खतरे के निरंतर

बदलते रूपों के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयत्नशील है।

वर्ष 2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

जीएसटी के लिए ई-कुबेर

IX.31 वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के अंतर्गत किए जाने वाले अखिल भारतीय संग्रह के कार्य में 'समूहक' की भूमिका के निर्वहन का उत्तरदायित्व रिजर्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली को सौंपा गया है। इसे डेटा रिपोर्टिंग के एकल स्रोत के रूप में विकसित करने के लिए, केंद्र सरकार, सभी 36 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों, 25 एजेंसी बैंकों और जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के साथ सर्वर-से-सर्वर एकीकरण स्थापित किया गया है (बॉक्स IX.2)।

सरकारी ई-प्राप्तियों और ई-भुगतान के लिए ई-कुबेर


IX.32 विभिन्न राज्यों और सरकारी विभागों के लिए मानकीकृत ई-प्राप्ति और ई-भुगतान मॉडल तैयार किए गए थे। आईएसओ 20022 मैसेजिंग प्रारूपों पर आधारित मानकीकृत ई-भुगतान मॉडल, ई-कुबेर से इंटरफेस के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अनुदेशों की सीधी प्रोसेसिंग (एसटीपी) की परिकल्पना करता है। मार्च 2018 के अंत तक, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे 11 राज्य सरकारों ने ई-कुबेर का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतानों का वितरण करने के लिए इस मॉडल को अपनाया है। वर्ष 2016-17 के दौरान 74.3 मिलियन लाभार्थियों को वितरित किए गए ₹3.2 ट्रिलियन की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान ई-कुबेर के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा 88.6 मिलियन लाभार्थियों को ₹3.9 ट्रिलियन का वितरण किया गया। मार्च 2018 के अंत तक, कुल 14 राज्य सरकारों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने ई-प्राप्ति मॉडल अपनाया है।

बॉक्स IX.2

जीएसटी भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका

जीएसटी भुगतान प्रक्रिया पर राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा स्थापित उप समिति ने अप्रैल 2015 में सिफारिश की थी कि रिजर्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली को जीएसटी संग्रह के लिए अखिल भारतीय समूहक के रूप में नामित किया जाए। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने 01 जुलाई 2017 से आईएसओ 20022 संदेश प्रारूपों का उपयोग करते हुए करआधान डेटा, भुगतान और रिपोर्टिंग के प्रवाह के लिए शुरु से अंत तक स्वचालित प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी), भारत सरकार; सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, 25 एजेंसी बैंक और जीएसटीएन जैसे हितधारकों के बीच सूचना के सुरक्षित आदान-प्रदान के लिए उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ एक सेवा गेटवे को भी बनाया गया है। जीएसटी लेनदेन को संभालने के लिए ई-कुबेर इन्फ्रास्ट्रक्चर को काफी संवर्धित भी किया गया है।

फलस्वरूप, अब जीएसटी भुगतानकर्ता एनईएफटी और आरटीजीएस का उपयोग करते हुए अपने बैंकों के माध्यम से रिजर्व बैंक में खोले गए सरकारी खाते / खातों में कर का विप्रेषण सीधे कर सकते हैं। एनईएफटी / आरटीजीएस मोड के अंतर्गत, सरकारी खाते में कर उसी दिन सीधे जमा हो जाता है, जबकि जीएसटी भुगतानों के अन्य तरीकों में, सरकारी खाते में टी+1 आधार पर जमा किया जाता है। इसके अलावा, पूर्व की कर संग्रह प्रणाली के अंतर्गत, केवल एजेंसी बैंकों को सरकारों की ओर से कर एकत्र करने के लिए प्राधिकृत किया गया था, जबकि नई प्रणाली के अंतर्गत जीएसटी भुगतानकर्ता किसी भी बैंक के अपने खाते से सरकारी खाते में कर सीधे भेज सकते हैं (प्राधिकृत एजेंसी बैंकों से भिन्न बैंकों सहित)। आशा है कि नई प्रक्रिया से करदाताओं



और सरकार दोनों के लिए बेहतर परिचालनगत दक्षता वाली सुविधा मिल सकेगी।

औसतन, जीएसटी संग्रह का लगभग 18-19 प्रतिशत, मूल्य और मात्रा दोनों दृष्टियों से, एनईएफटी / आरटीजीएस भुगतान मोड के माध्यम से सीधे सरकारी खाते में प्राप्त हुए हैं जिससे सरकारों को नकद प्रबंधन की बेहतर सुविधा प्राप्त हुई है (चार्ट 1)।

जीएसटी लेनदेन के लिए एक ऑनलाइन मिलान तंत्र, जिसे त्रुटि-ज्ञापन (एमओई) कहा जाता है, को भारत सरकार के सीबीईसी के समन्वय से डिजाइन किया गया है। रिजर्व बैंक, जीएसटीएन, एजेंसी बैंक और सीबीईसी सहित सभी हितधारकों के बीच इस प्रक्रिया का परीक्षण चल रहा है। रिजर्व बैंक ई-कुबेर प्रणाली का सहारा लेते हुए एमओई प्रक्रिया हितधारकों के बीच उत्पन्न समाधान / निपटान से जुड़े मुद्दों की कागज रहित प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएगा।

आरटीजीएस प्रणाली में बहुपक्षीय निवल निपटान बैंच (एमएनएसबी) मॉड्यूल

IX.33 महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली आरटीजीएस से संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर को वर्ष के दौरान संवर्धित करते हुए गैर-आरटीजीएस सदस्यों को आरटीजीएस में प्रोसेसिंग और निपटान करने की अनुमति दी गयी।

भुगतान और निपटान प्रणाली एप्लिकेशन्स

IX.34 ग्राहकों की सुविधा में सुधार करने और एनईएफटी प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए, आधे घंटे के अंतराल पर अतिरिक्त निपटान का प्रारम्भ किया गया, जिससे प्रत्येक आधे घंटे के निपटान बैंचों की कुल संख्या 23 हो गई। निपटान हर आधे घंटे पर होने के कारण निधि अंतरण प्रक्रिया में तेजी

आई और लक्षित खातों में तेजी से जमाएं प्राप्त हुईं। अतिरिक्त निपटानों को शामिल करने के लिए एनईएफटी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में परिवर्तन, परिचालन में बाधा डाले बिना सभी बैंकों में एक साथ किया गया था।

IX.35 वर्ष 2017-18 के दौरान, डेटा सेन्टर में किए गए आरटीजीएस एवं एनईएफटी, दोनों बिना रूकावट के संपन्न हुए जो प्रति-दिन किए गए संव्यवहार की मात्राओं में अभूतपूर्व था। आरटीजीएस ने पिछले वर्ष के 0.74 मिलियन की तुलना में 31 मार्च 2018 को 0.91 मिलियन लेनदेन की उच्चतम सीमा दर्ज की। एनईएफटी ने पिछले वर्ष के 12.5 मिलियन लेनदेन की तुलना में 31 मार्च 2018 को 15.4 मिलियन लेनदेन दर्ज किए थे, इसके बाद

3 अप्रैल 2018 को अब तक 18.8 मिलियन के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है। ये प्रणालियां माप करने योग्य सिद्ध हुई हैं और बढ़ती मात्राओं को संभालने की क्षमता दिखायी है।

डेटा सेंटरों में बढ़ाई गई सुरक्षा

IX.36 बढ़ते साइबर खतरों के विरुद्ध बैंक के आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं और साइबर सुरक्षा जोखिमों की निगरानी करने, पता लगाने, रोकने और कम करने के लिए सूचना सुरक्षा संचालन केंद्र (आईएसओसी) को परिचालित किया गया था। आईएसओसी की स्थापना और इसकी 24x7 सतर्कता और निगरानी के परिणामस्वरूप अनधिकृत लॉगिन, सेवाओं की वितरित अनुपलब्धता (डीडीओएस), और दुर्भावनापूर्ण कमांड और कंट्रोल साइटों से प्राप्त / को भेजे गए ट्रेफिक जैसे साइबर हमलों के प्रयासों के संबंध में पता लगता है। विभिन्न एजेंसियों से संवेदनशीलता को लेकर प्राप्त चेतावनी पर उचित रूप से कार्रवाई की गई है।

आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर का संवर्धन

IX.37 बैंक के डेटा सेंटर में निरापद और सुरक्षित वातावरण में ई-कुबेर, एनईएफटी और सरकारी लेनदेन की बढ़ती मात्रा को संभालने के लिए आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को संवर्धित किया गया था। आईटी परिचालनों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दोनों सिस्टम को अपग्रेड किया गया था।

सुरक्षा जागरूकता और साइबर ड्रिल

IX.38 विभाग जागरूकता सत्र, परिपत्र / सलाहकार और साइबर सुरक्षा अभ्यास के माध्यम से कार्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

मुद्रा प्रबंधन प्रणाली में सुधार

IX.39 वर्तमान में मुद्रा प्रबंधन के लिए उपयोग में लायी जा रही एकीकृत कम्प्यूटरीकृत मुद्रा परिचालन प्रबंधन प्रणाली

(आईसीसीओएमएस) ई-कुबेर के मुद्रा मॉड्यूल में परिवर्तित की जाएगी। वर्तमान में, बैंक के कार्यालयों में मुद्रा मॉड्यूल का पायलट रन चल रहा है। ई-कुबेर की ओर बढ़ने से बैंक को मुद्रा तिजोरी में शेष की लगभग वास्तविक स्थिति पता चलेगी और प्रक्रियाओं के स्वचालन से मुद्रा के कुशल प्रबंधन की सुविधा प्रदान करने में सहायक होगा। नोट मुद्रणालय से भी इस प्रणाली का लिंकेज होगा और मार्गस्थ मुद्रा का पता लगाने का प्रावधान होगा।

IX.40 अगली पीढ़ी का मुद्रा प्रबंधन पोर्टल का संस्करण 2.0 विकासाधीन है और मुद्रा प्रबंधन कार्यक्षमताओं से युक्त इस पोर्टल का शुभारंभ वर्ष 2018-19 के दौरान हो जाने की उम्मीद है। मौजूदा पोर्टल पर चल रही मुद्रा प्रबंधन और अन्य सेवाएं नए पोर्टल पर चरणबद्ध रूप से अंतरित की जाएंगी।

जीएसटी लेनदेनों में मिलान से जुड़े मामलों का निराकरण

IX.41 जीएसटी लेनदेनों के लिए एक स्वचालित मिलान-तंत्र का विकास किया जा रहा है ताकि मिलान संबंधी मामलों को कम किया जा सके और मिलान रहित युग का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। वर्तमान में त्रुटि-ज्ञापन (एमओई) प्रक्रिया को लागू किए जाने से पूर्व परीक्षण किया जा रहा है।

एक्सेस नियंत्रण प्रबंध प्रणाली (एसीएमएस)

IX.42 उपस्थिति के लिए एक्टिव डिरेक्ट्री और समाधान को एकीकृत करते हुए बैंक के सभी कार्यालयों में आगंतुक और विक्रेता प्रबंधन सहित एक नवीन और बेहतर एसीएमएस लागू किया जाएगा।

बेहतर सुरक्षा संस्कृति के लिए प्रयास

IX.43 रिज़र्व बैंक साइबर सुरक्षा संस्कृति विकसित करने की प्रक्रिया सक्रियता से शुरू करने एवं साइबर सुरक्षा को ज़िम्मेदारी बनाने और सूचना प्रणाली और संसाधनों की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेगा।

X

संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अनुसंधान एवं सांख्यिकी

रिज़र्व बैंक ने विभिन्न उपाय अपनाते हुए इस वर्ष के दौरान अपने संचार प्रयासों को और भी सुदृढ़ किया है, इस वर्ष में वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (एफएसएपी) भी सफलता के साथ पूरा हुआ। रिज़र्व बैंक के अंदर और बाहर दोनों तरफ अनुसंधान और सांख्यिकी में सुधार करने और सरकारों को बेहतर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास जारी रहे। सुरक्षा, चलनिधि तथा प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा भंडारों को व्यवस्थित और मार्गदर्शित किया गया। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए मजबूत कानूनी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष के दौरान अनेक वित्तीय कानून/बिल प्रस्तुत/संशोधित किए गए।

X.1 इस अध्याय में वर्ष 2017-18 के दौरान संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंधों, अनुसंधान, सांख्यिकी, विदेशी मुद्रा रिज़र्व प्रबंधन, बैंकों और सरकारों के लिए बैंकिंग सेवाओं तथा वित्तीय कानूनों के क्षेत्रों में वार्षिक कार्ययोजना की गतिविधियों और कार्यान्वयन की स्थिति तथा वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित संबंधित कार्ययोजना पर चर्चा की गई है। वर्ष के दौरान संचार चैनलों को “मिंट स्ट्रीट मेमो” (एमएसएम), अर्थात् समकालीन आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर अनुसंधान आधारित ऑनलाइन प्रकाशन तथा लघु संदेश सेवा (एसएमएस) के माध्यम से सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम और उसके उपरांत 360 डिग्री अभियान चला कर सुदृढ़ किया गया। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में, एफएसएपी का सफल समन्वयन इस वर्ष की प्रमुख विशेषता रही।

X.2 वर्ष के दौरान, ई-प्राप्तियों और ई-भुगतानों के लिए ई-कुबेर के साथ राज्य सरकारों को एकीकृत करने के अतिरिक्त बैंक के सात क्षेत्रीय कार्यालयों में सरकारी बैंकिंग प्रभाग खोले गए। वर्ष के दौरान, विभिन्न सांविधिक और महत्वपूर्ण प्रकाशन जारी करने के अतिरिक्त मौद्रिक नीति अंतरण, फौरी पूर्वानुमान (नाउकास्टिंग), कृषि में क्रेडिट और कुशलता, ग्रामीण मजदूरी गतिकी, विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक व्यय के समष्टि-आर्थिक प्रभावों के क्षेत्र में अध्ययन करके अनुसंधान कार्यकलापों को जारी रखा गया। जहां तक सांख्यिकी और

सूचना प्रबंध का संबंध है, विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के समष्टि-आर्थिक और वित्तीय सांख्यिकी के संग्रह, प्रसंस्करण और प्रसार के अलावा स्रोत पर काटे गए कर (टीडीएस) पर आधारित रोजगार सूचकांक तथा वेतन खाते से संबंधित आंकड़ों के विकास और मौद्रिक नीति से संबंधित सर्वेक्षण कराने में सुधार किए जा रहे हैं। इस वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, बैंककारी विनियमन अधिनियम तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता से संबंधित अनेक कानून/बिलों में बहुत से संशोधन हुए/शुरुआत की गई।

संचार प्रक्रियाएं

X.3 रिज़र्व बैंक ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों की समयबद्ध प्रतिक्रिया के लिए गतिशील संचार नीति रखने के अपने लक्ष्य को बनाए रखा है। संचार विभाग (डीओसी) जनता के साथ बैंक के दोतरफे संप्रेषण के लिए नोडल विभाग है, यह संप्रेषण अधिकतर रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर की जाने वाली घोषणाओं, ई-मेल, भाषणों, लोक जागरूकता संदेशों तथा महत्वपूर्ण प्रेस प्रकाशनियों तथा परिपत्रों को ट्वीट करके किया जाता है। यह न केवल पारदर्शी, समयबद्ध और विश्वसनीय तरीके से विभिन्न हितधारकों को नीतिगत गतिविधियां और इनका औचित्य प्रसारित करता है, बल्कि नीतियों पर निरंतर फीडबैक प्राप्त करने के लिए भी प्रयास करता है।

2017-18 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वेबसाइट

X.4 अपनी वेबसाइट (<https://www.rbi.org.in>) को अधिक उपयोगकर्ता सुगम बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने पिछले वर्ष बुनियादी विशेषताओं के साथ बैंक की वेबसाइट के मोबाइल एप्लिकेशन (एप) वर्शन की शुरुआत की थी। इसके बाद एप में संशोधन किया गया है और “अधिसूचनाओं”, चयनित अलर्ट और सार्वजनिक जागरूकता संदेश जैसी और विशेषताएं जोड़ी गई हैं। यह एप जो प्ले स्टोर/एप स्टोर से एंड्रॉइड तथा आईओएस प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, जून 2018 तक प्ले स्टोर से 1,54,423 बार डाउनलोड किया गया और एप स्टोर से 13,135 बार डाउनलोड किया गया। रिज़र्व बैंक के ट्विटर खाते का विश्वभर में केंद्रीय बैंकों के फालोवर्स (3,47,000 फालोवर्स से अधिक) में 5वां स्थान है और इसके यूट्यूब चैनल के 30 जून 2018 तक 18,409 सब्सक्राइबर्स रहे हैं।

मौद्रिक नीति संप्रेषण

X.5 रिज़र्व बैंक अक्तूबर 2016 में शुरू किए गए नए मौद्रिक नीति ढांचे के अंतर्गत, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के संकल्पों को प्रेस प्रकाशनी और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संप्रेषित कर रहा है। मौद्रिक नीति पर द्वैमासिक वक्तव्य पर नीति के बाद गवर्नर की कॉन्फ्रेंस को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और बिजनेस टेलीविज़न चैनलों पर लाइव स्ट्रीमिंग के साथ यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अतिरिक्त, अनुसंधानकर्ताओं और विश्लेषकों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस भी की जाती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसों की ऑडियो और प्रतिलेखन (ट्रांसक्रिप्ट्स) को बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। एमपीसी बैठक के कार्यवृत्त भी एमपीसी की प्रत्येक बैठक के बाद 14वें दिन बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं, जैसाकि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल में प्रावधान किया गया है।

मिंट स्ट्रीट मेमो

X.6 रिज़र्व बैंक ने 11 अगस्त 2017 से अपनी वेबसाइट पर “मिंट स्ट्रीट मेमोज़” (एमएसएम) के नाम से समकालीन आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर ऑनलाइन प्रकाशनों की नई श्रृंखला शुरू की है। एमएसएम में वे दस्तावेज होते हैं जो संक्षिप्त रिपोर्टों और विश्लेषण के रूप में होते हैं तथा जिन्हें रिज़र्व बैंक के स्टाफ तथा उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र (कैफरल) द्वारा तैयार किया जाता है, या बैंक के किसी हाल के प्रकाशन में से लिया जाता है। एमएसएम में मुख्य तथ्यों, आंकड़ों और सारणियों के साथ श्रेय और पहचान सहित प्रासंगिक उद्धरण आते हैं। प्रयास यह रहता है कि केंद्रीय बैंकिंग से संबंधित समकालीन विषय पर विश्लेषणात्मक अनुसंधान ऐसे स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया जाए जिसे आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों द्वारा समझना आसान हो। एमएसएम के प्रत्येक अंक को प्रेस प्रकाशनी के साथ एकल प्रकाशन के रूप में प्रकाशित किया जाता है। शुरुआत से लेकर जून 2018 तक रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 12 एमएसएम प्रकाशित किए गए हैं (बॉक्स X.1)।

क्षेत्रीय मीडिया के लिए कार्यशाला

X.7 वर्ष के दौरान, संचार विभाग ने कोच्ची, गुवाहाटी, लखनऊ और चंडीगढ़ में क्षेत्रीय मीडिया कर्मियों के लिए चार कार्यशालाएं आयोजित की, इस प्रकार देश के विभिन्न भागों के मीडिया कर्मियों को कवर किया गया। इन कार्यशालाओं को मीडिया के महत्व वाले केंद्रीय बैंकिंग कार्यों पर चर्चापरक सत्रों के रूप में संरचित किया गया जिसका लक्ष्य यह था कि वे भविष्य में इन विषयों पर रिपोर्टिंग करते समय कार्यात्मक क्षेत्रों और आंकड़ों के संदर्भ को समझने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो सकें। कार्यशाला में कवर किए गए विषयों के दायरे में मौद्रिक नीति, बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण, ग्राहक शिक्षण और संरक्षण, मुद्रा प्रबंधन, भुगतान और निपटान प्रणालियां, रिज़र्व बैंक की वेबसाइट की संरचना, भारतीय

बॉक्स X.1

मिंट स्ट्रीट मेमो (एमएसएम)

रिज़र्व बैंक ने 11 अगस्त 2017 से मिंट स्ट्रीट मेमो (एमएसएम) नाम से एक नई संचार विंडो शुरू की है। एमएसएम के लिए लिंक रिज़र्व बैंक की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध है तथा एमएसएम के लैंडिंग पेज पर नेविगेट करके दर्शक को दस्तावेज पर ले जाया जाता है, जो केंद्रीय बैंकिंग से संबंधित समकालीन विषयों पर संक्षिप्त रिपोर्टों के रूप में होते हैं। एमएसएम में सामान्यतः अनुसंधान किए गए, समकालीन विषय पर संक्षिप्त लेख (राइट-अप) होता है जिसका योगदान रिज़र्व बैंक और कैफरल के स्टाफ द्वारा किया जाता है। एमएसएम में प्रस्तुत मुद्दे से संबंधित मुख्य तथ्यों, सारणियों और आंकड़ों के साथ प्रासंगिक उद्धरण दिए जाते हैं जो अध्ययन के महत्व को उजागर करते हैं। एकतरफा संप्रेषण होते हुए भी एमएसएम लेख प्रस्तुत विषय और इसके प्रासंगिक निष्कर्षों पर स्टाफ के विचारों की अधिक संरचित और व्यापक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं। एमएसएम का रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर विभिन्न प्रकार के आगंतुकों और मीडिया द्वारा सही ढंग से स्वागत किया गया है। एमएसएम प्रकाशन निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है https://rbi.org.in/scripts/MSM_MintStreetMemos.aspx

अगस्त 2017 से जून 2018 तक प्रकाशित एमएसएम

- एमएसएम सं.1: विमुद्रीकरण और बैंक जमा वृद्धि
 एमएसएम सं.2: बचतों का गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं में वित्तीयकरण

- एमएसएम सं.3: बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 पर बाजार की प्रतिक्रिया
 एमएसएम सं.4: कृषि ऋण बैंक खाते – ऋण माफी परिदृश्य का विश्लेषण
 एमएसएम सं.5: कृषि ऋण माफी, राजकोषीय घाटा एवं मुद्रास्फीति
 एमएसएम सं.6: बैंक से इतर निधीयन के स्रोत और भारतीय कंपनियां
 एमएसएम सं.7: नकदी से नकदी रहित तथा चेक से डिजिटल: भारतीय भुगतान प्रणालियों में उभरती क्रांति
 एमएसएम सं.8: राज्य सरकार के प्रतिफल में स्प्रेड – क्या राजकोषीय मैट्रिक्स असर डालते हैं?
 एमएसएम सं.9: बैंकों की क्रेडिट गैर-मध्यस्थता – क्या कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार परिपक्व हो गया है?
 एमएसएम सं.10: कार्यशील पूंजी की चुनौतियां और निर्यात: जीएसटी रोलआउट से साक्ष्य
 एमएसएम सं.11: सीपीआई मुद्रास्फीति पर आवास किराया भत्ता में वृद्धि का प्रभाव
 एमएसएम सं.12: भारत में सकल घरेलू उत्पाद आंकड़ों में संशोधनों की जांच करना

अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआई), विदेशी मुद्रा प्रबंधन, प्रेस प्रकाशनी और मीडिया संबंध तथा क्षेत्रीय मीडिया के लिए महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दे शामिल थे। रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों/विषय के विशेषज्ञों द्वारा सत्रों का संचालन किया गया।

सार्वजनिक जागरूकता अभियान

X.8 वर्ष के दौरान संचार विभाग ने सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू किया। यह अभियान नवंबर 2017 में एसएमएस के माध्यम से शुरू हुआ जिसमें आम जनता को जान-बूझकर रिज़र्व बैंक के नाम से भेजे जाने वाले फर्जी प्रस्तावों के बारे में सावधान किया गया। एसएमएस अभियान में मिस्ड कॉल घटक भी है, जिसके परिणामस्वरूप सेवा प्रदाता वापस कॉल करके पूर्व-रिकार्ड की गयी संवादात्मक आवाज पहचान प्रणाली (आईवीआरएस) के जरिए एसएमएस के विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करवाता है। संदेशों को अच्छे ढंग से लिया गया

है, जैसाकि सचेत वेबसाइट पर प्राप्त शिकायतों की संख्या में हुई बड़ी वृद्धि से अनुमान लगाया गया (बॉक्स X.2)।

X.9 अभियान के दूसरे खंड में अप्रैल 2018 में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन के दौरान टेलीविज़न कमर्शियल का प्रसारण किया गया। टेलीविज़न कमर्शियल में बुनियादी बचत बैंक जमाखाता (बीएसबीडीए) खोलने के बारे में बताया गया, जो बैंक खाते में न्यूनतम शेषराशि रखने की आवश्यकता को समाप्त करता है बशर्ते कि खाते के परिचालन पर कतिपय सीमाएं ग्राहकों को स्वीकार्य हों। रिज़र्व बैंक के छह क्रिकेटर कर्मचारियों को लेकर बनाया गया यह टेलीविज़न कमर्शियल, काफी देखा गया। मई-जून 2018 के दौरान बीएसबीडीए खातों संबंधी यह संदेश अन्य मीडिया अर्थात् प्रिंट, अन्य टेलीविज़न चैनलों, रेडियो, डिजिटल और होर्डिंग्स पर भी जारी किया गया। किसी व्यक्ति के बैंक खाते में धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन होने की स्थिति में ग्राहक की

बॉक्स X.2

एसएमएस के माध्यम से आम जनता तक पहुंचना

रिजर्व बैंक का एसएमएस के माध्यम से सार्वजनिक जागरूकता अभियान 10 नवंबर 2017 को शुरू किया गया। फर्जी प्रस्तावों के संबंध में पहला एसएमएस 12 दिनों की अवधि में लगभग 550 मिलियन मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को भेजा गया (सारणी 1)। एसएमएस अभियान में मिस्ड कॉल घटक भी है जहां उपभोक्ता एसएमएस के विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक के लघु कोड नंबर 14440 पर मिस्ड कॉल कर सकता है। दूसरे एसएमएस में सचेत वेबसाइट का लिंक था जिससे कि धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जा सके और यह एसएमएस 22 नवंबर 2017 से शुरू करके 12 दिनों की अवधि में 590 मिलियन मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को भेजा गया। धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने के बारे में एसएमएस भेजे जाने के बाद, रिजर्व बैंक की सचेत वेबसाइट पर हिट्स की संख्या एक ही दिन (26 नवंबर 2017) में 4,31,508 तक पहुंच गई, जब कि अभियान से पहले नियमित दिन का मासिक औसत लगभग 1,000 हिट्स था (चार्ट 1)।

अगले तीन संदेश ₹10 के सिक्के के बारे में फेली अफवाहों को दूर करने के लिए भेजे गए। ये सभी एसएमएस हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त आठ क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किए गए।

नवंबर 2017 से जून 2018 तक एसएमएस प्रसारण

एसएमएस 1: प्रतिफल के रूप में बड़ी धनराशि प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के शुल्क या प्रभार का भुगतान न करें। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर/आरबीआई/सरकार कभी भी ऐसे ई-मेल/एसएमएस/कॉल नहीं करती है। अधिक जानकारी के लिए, 8691960000 पर मिस्ड कॉल करें।

एसएमएस 2: यदि आपको लॉटरी जीतने या रिजर्व बैंक/सरकारी निकाय से सस्ती निधि पाने का प्रस्ताव मिलता है तो <https://sachet.rbi.org.in/Complaints/Add> पर शिकायत दर्ज करें।



एसएमएस 3: सिक्के अपने लंबे जीवनकाल के कारण विभिन्न डिज़ाइनों में उपलब्ध रहते हैं। इन्हें बिना किसी डर के स्वीकार करें। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल करें।

एसएमएस 4: ₹10 के सिक्के रुपया प्रतीक के साथ और इसके बिना जारी किए गए हैं। दोनों वैध हैं। इन्हें बिना किसी डर के स्वीकार करें। अधिक जानकारी के लिए, रिजर्व बैंक को 14440 पर मिस्ड कॉल करें।

एसएमएस 5: ₹10 के सिक्के 10 और 15 दोनों रेखाओं के साथ जारी किए गए हैं। दोनों वैध हैं। इन्हें बिना किसी डर के स्वीकार करें। अधिक जानकारी के लिए, रिजर्व बैंक को 14440 पर मिस्ड कॉल करें।

एसएमएस 6: अपने खाते में न्यूनतम शेषराशि नहीं रखना चाहते हैं और महीने में चार से अधिक डेबिट लेनदेन नहीं करेंगे? बीएसबीडी खाता खोलें। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल करें।

एसएमएस 7: क्या आपके बैंक खाते में फर्जी लेनदेन हुए हैं? अपनी हानि को सीमित करें। तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल करें।

सारणी 1: एसएमएस अभियान – पहुंच

(मिलियन में)

विवरण	एसएमएस 1 (10 नवंबर 2017 से 21 नवंबर 2017 तक)	एसएमएस 2 (22 नवंबर 2017 से 3 दिसंबर 2017 तक)	एसएमएस 3 (23 जनवरी 2018 से 24 जनवरी 2018 तक)	एसएमएस 4 (31 जनवरी 2018 से 13 फरवरी 2018 तक)	एसएमएस 5 (14 फरवरी 2018 से 27 फरवरी 2018 तक)	एसएमएस 6 (21 मई 2018 से 4 जून 2018 तक)	एसएमएस 7 (14 जून 2018 से 30 जून 2018 तक)	कुल
कुल भेजे गए संदेश	834.26	849.55	66.37	825.13	799.54	813.43	363.05	4551.33
कुल डिलीवर किए गए संदेश	552.74	592.44	54.43	558.56	544.63	542.82	281.80	3127.42
कुल प्राप्त की गई मिस्ड कॉल	8.53	1.74	0.76	4.62	3.18	5.04	3.70	27.57
आईवीआरएस के माध्यम से वापस की गई कुल सफल कॉल	6.43	1.39	0.57	3.29	2.24	3.81	2.70	20.43

स्रोत: भारिबे।

जिम्मेदारी पर संदेश वाला विज्ञापन फीफा वर्ल्ड कप मैचों के दौरान प्रसारित किया गया। विज्ञापन प्रिंट मीडिया में जारी किए गए और इन्हें अन्य मीडिया जैसे कि अन्य टेलीविज़न

चैनलों, रेडियो, डिजिटल और होर्डिंग्स पर भी जारी किया जा रहा है। आरबीआई वेबसाइट पर आरबीआई कहता है, शीर्षक से उन लोगों के लिए एक अलग से लिंक बनाया गया है

जो विभिन्न मीडिया में प्रसारित किए जा रहे संदेशों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

X.10 संचार विभाग महत्वपूर्ण विनियामकीय और बैंकिंग संबंधित मुद्दों पर क्षेत्रीय मीडिया के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना जारी रखेगा। आगामी वर्ष में, ऐसी मीडिया कार्यशालाएं कुछ अन्य क्षेत्रीय केंद्रों में आयोजित की जाएंगी जिन्हें वर्तमान वर्ष में कवर नहीं किया गया है।

X.11 इस वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक की वेबसाइट की कतिपय विशेषताओं को पुनः बनाया जायेगा/संशोधित किया जायेगा तथा कुछ नई विशेषताएं जोड़ी जाएंगी जिससे कि वेबसाइट को नेविगेशन के लिए अधिक अच्छा और आसान बनाया जा सके।

X.12 आरबीआई संग्रहालय को 8, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता में स्थापित किया जा रहा है, यह वही भवन है जहां से भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपनी यात्रा शुरू की थी। संग्रहालय का पहला चरण 2018-19 में पूरा होने की आशा है जिसमें भू-तल और मध्यतल (मेजनीन) शामिल है। संग्रहालय में आगंतुकों को मुद्रा, स्वर्ण, भारतीय वित्तीय प्रणाली और इसकी उत्पत्ति तथा भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका और कार्यों की रोचक कहानी जानने का अवसर प्रदान किया जाएगा, इसका वर्णन कलाकृतियों और इंटरैक्टिव प्रदर्शनियों के जरिए किया जाएगा।

X.13 वर्ष 2018-19 के दौरान सार्वजनिक जागरूकता अभियान के अधिक सक्रिय होने की अपेक्षा है, जिसमें लगभग सात संदेश पहले से ही जारी होने के लिए तैयार हैं। सार्वजनिक जागरूकता अभियान के भाग के रूप में एक अलग वेबलिनक की योजना बनाई गई है जिसमें आम जनता के लिए उपयोगी रिजर्व बैंक विनियमों पर बुनियादी सूचना होगी।

कार्यनीतिक अनुसंधान इकाई

X.14 फरवरी 2016 में स्थापित कार्यनीतिक अनुसंधान इकाई (एसआरयू) नोडल बिंदु है जिसे उन समकालीन मुद्दों पर अनुसंधान तथा विश्लेषण का अधिदेश दिया गया है, जो रिजर्व

बैंक के भीतर विभिन्न वर्टिकलों के लिए प्रासंगिक हैं। व्यापक रूप से, प्रदेय (डिलिवरेबल्स) के अनुसार, इकाई के कार्य में अल्पकालिक नीति और परिचालन, प्रासंगिक अनुसंधान तथा मध्यावधि से दीर्घावधि अग्रणी अनुसंधान परियोजनाएं शामिल हैं, जिन्हें शीर्ष पत्रिकाओं में प्रकाशित कराए जाने का लक्ष्य है।

वर्ष 2017-18 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

X.15 अल्पकालिक नीति संबंधी कार्य में मुख्य रूप से एमपीसी की बैठकों के लिए इनपुट उपलब्ध कराना शामिल है। एसआरयू अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों – भूसंपदा और वित्तीय, दोनों क्षेत्रों की निकटता से निगरानी करती है। इस संबंध में, इसने विभिन्न क्षेत्रों जैसे रियल क्षेत्र, वित्तीय बाजार, पूंजी निर्माण, राजकोषीय स्थिति और बाह्य क्षेत्र में अनेक अध्ययन शुरू किए हैं, जिन्हें नियमित रूप से एमपीसी की बैठकों में प्रस्तुत किया गया है।

X.16 मध्यम अवधि अनुसंधान में अनुसंधान आधारित नीति टिप्पणियां और संक्षिप्त जानकारी तैयार करना शामिल है। नियमित निगरानी और बाजार आसूचना संबंधी कार्य के अतिरिक्त, एसआरयू ने बहुत से अनुसंधान अध्ययन भी किए जिनमें केंद्रीय बजट, केंद्रीय और राज्य सरकारों की व्यय गुणवत्ता, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) अपेक्षाओं, भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश के एक्सपोजर को सीमित करना, फर्मों की कार्यशील पूंजी बाधाओं पर वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) का प्रभाव, बाह्य भेद्यता, स्वर्ण में निवेश, न्यूनतम समर्थन मूल्य, स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) और बिक्री स्थल (पीओएस) लेनदेनों से संबंधित मुद्दों की जांच की गई। इन अनुसंधान अध्ययनों को शीर्ष प्रबंध-तंत्र को प्रस्तुत किया गया।

X.17 इसके अतिरिक्त, एसआरयू परिवारों पर विमुद्रीकरण के मिश्रित प्रभावों, कौशल विकास और रोजगार, राजकोषीय मितव्ययिता, गतिशील स्टॉकेस्टिक सामान्य संतुलन (डीएसजीई) ढांचे में बैंकों के पुनः पूंजीकरण, ट्रेड और नेटवर्क तथा मुद्रास्फीति गतिकी से संबंधित दीर्घावधिक अनुसंधान करती है। इनमें से कुछ अध्ययनों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय

संस्थाओं द्वारा आयोजित अनुसंधान कॉन्फ्रेंसों में प्रस्तुत किया गया है तथा अकादमिक जर्नलों में प्रकाशित किया गया है। कार्यनीतिक अनुसंधान इकाई (एसआरयू) वर्तमान में भारत के लिए आवश्यकता आधारित (कस्टमाइज्ड) डीएसजीई मॉडल बनाने के लिए कैफरल और कुछ बाह्य अकादमिक विशेषज्ञों से सहयोग ले रही है।

X.18 भावी क्षमता निर्माण कार्य में, एसआरयू अनेक अनुसंधान परियोजनाओं, अंतर-विभागीय अनुसंधान समूहों के लिए अन्य विभागों और कैफरल के साथ सहयोग करती है, इन परियोजनाओं में से कुछ को एमपीसी की बैठकों में भी पेश किया जाता है। इकाई नियमित रूप से कैफरल के साथ संयुक्त रूप से सेमिनार भी आयोजित करती है जहां प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों, प्रोफेसरों और वित्त तथा अर्थशास्त्र क्षेत्र के विशेषज्ञों को अपने अनुसंधान प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एसआरयू और कैफरल अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अनौपचारिक (ब्राउन बैग) सेमिनार और वक्तव्य श्रृंखला भी आयोजित करते हैं।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

X.19 अनुसंधान पर बढ़ते जोर के साथ, यह इकाई विशेषीकृत अर्थशास्त्र और वित्त के व्यावसायिकों के साथ अपने कार्य के क्षेत्र का विस्तार कर रही है तथा इसका लक्ष्य पीएचडी वाले सुप्रशिक्षित कर्मचारियों की इकाई का सृजन करना है। यह उन क्षेत्रों में अनुसंधान की सुविधा और प्रोत्साहन देगी जो अब अर्थशास्त्र और वित्त में फ्रंटियर्स को परिभाषित कर रहे हैं जिसका व्यापक उद्देश्य मुख्य अकादमिक और नीति अनुसंधान के बीच अंतराल को पाटना है। यह इकाई व्यापक रूप से अनुसंधान और ज्ञान प्रसार पर जोर देते हुए मौजूदा संरचना को जारी रखेगी।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

X.20 वर्ष 2017-18 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों और वित्तीय कूटनीति को मजबूत किया। यह अनेक

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संवादों में भी शामिल रहा है जिसमें केंद्रीय बैंक से केंद्रीय बैंक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बैंक के अंतरराष्ट्रीय विभाग ने इन गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसमें पांच वर्षों में एक बार होने वाला वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (एफएसएपी) का समन्वय और समापन शामिल है।

2017-18 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

जी 20 और इसके कार्यदल

X.21 विभाग ने सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर जी20 के विभिन्न कार्यदलों जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना (आईएफए), फ्रेमवर्क कार्यदल (एफडब्ल्यूजी) तथा इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यदल (आईडब्ल्यूजी) की बैठकों में भागीदारी की। इसने जी20 के प्रतिनिधियों और वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठकों (एफएमसीबीजी) से पहले कार्ययोजना पर दृष्टिकोण तय करने के लिए इनपुट भी उपलब्ध कराए। इन बैठकों का समापन जर्मन प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जी20 हैमबर्ग कार्ययोजना (एचएपी) में हुआ, जिसमें सशक्त, संधारणीय, संतुलित और समावेशी विकास हासिल करने के लिए सभी प्रकार के नीतिगत उपकरणों-मौद्रिक, राजकोषीय और संरचनागत का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत की समग्र संवृद्धि कार्यनीति, जिसे सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक के सहयोग से अंतिम रूप दिया गया, को अक्टूबर 2017 में जी20 के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की मजबूत संधारणीय और संतुलित वृद्धि (एसएसबीजी) पर पहली प्रायोगिक रिपोर्ट में व्यापक रूप से मान्यता दी गई। जी20 प्रतिनिधियों और एफएमसीबीजी बैठकों में, रिज़र्व बैंक बासेल III के शेष तत्वों को पूरा किए जाने, वित्तीय क्षेत्र सुधारों के गैर-इरादतन परिणामों, साइबर सुरक्षा और वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) जैसे मुद्दों को सामने लाया।

X.22 दूसरी उल्लेखनीय उपलब्धि यह थी कि एचएपी को पूंजीगत गतिविधियों के उदारीकरण के ओईसीडी कोड के

अनिवार्य अनुपालन से बिल्कुल अलग रखा गया। आईएमएफ के 'संस्थागत दृष्टिकोण' में भी लाभदायक संदर्भ दिया गया जो ईएमई द्वारा पूंजी खाता प्रबंध में लचीलेपन की अनुमति देता है। 1 दिसंबर 2017 को अर्जेटीना द्वारा जी20 की प्रेसिडेंसी ग्रहण करने के साथ ही, विभाग ने जी20 एजेंडा और इसकी कार्य प्रक्रियाओं को आकार देने में सरकार के साथ निकट सहयोग से कार्य जारी रखा। इसने अर्जेटीना प्रेसिडेंसी द्वारा की गई सर्वेक्षण आधारित जी20 सुधार पहल में भी योगदान दिया। जी20 आईएफए वर्तमान में पूंजी प्रवाह, निम्न आय वाले देशों (एलआईसी) की कर्ज संधारणीयता, बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबीएस) के तुलनपत्रों को इष्टतम बनाना, वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट (जीएफएसएन) पर कार्य कर रहा है। भारत ने यद्यपि अपने हस्तक्षेपों के द्वारा आईएमएफ की 15वीं सामान्य कोटा समीक्षा (जीआरक्यू) को भी अपने एजेंडा में रखा है। उल्लेखनीय है कि भारत ने अन्य उभरते बाजारों के साथ ओईसीडी संहिताओं में अधिक लचीलेपन की बात कही है, जिनमें वर्तमान में ओईसीडी परामर्शदात्री कार्य दल (एटीएफसी) और आईएफए बैठकों में संशोधन किया जा रहा है। जी20 एफडब्ल्यूजी जिसका भारत सह-अध्यक्ष है, ने नई पहल के रूप में 'कार्य के भविष्य' पर ध्यान केंद्रित किया है तथा नई प्रौद्योगिकियों से अवसरों का लाभ प्राप्त करने और उनकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीतिगत विकल्पों का मेन्यू विकसित किया है। जी 20 आईडब्ल्यूजी आस्तित्व के रूप में इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए परियोजना औचित्य, मूल्यांकन, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, वहनीयता तथा प्रदेयता की बहुराष्ट्रीय सूचना उपलब्धता और आकलन द्वारा एक बहु-वर्षीय रोडमैप पर कार्य कर रहा है। वह इन्फ्रास्ट्रक्चर आस्तियों के लिए पूल बनाने हेतु वित्तीय संविदाओं और उत्पादों के अधिक मानकीकरण पर भी बल दे रहा है।

X.23 रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी के अंतर्गत संधारणीय वित्त अध्ययन समूह तथा दो उप-समूहों विनियमन और मानक निर्धारण निकाय, तथा उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण में भाग लिया।

15वीं सामान्य कोटा समीक्षा (जीआरक्यू) तथा वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट (जीएफएसएन)

X.24 हाल की अवधि में आईएमएफ के 15वें जीआरक्यू के लिए कोटा फार्मूला समीक्षा पर पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। तथापि, भारत ने 15वें जीआरक्यू की प्रगति तथा सहमत समयसीमा के अंदर इसे पूर्ण करने, जिसमें 2019 की बसंत बैठकों तक तथा अधिकाधिक वर्ष 2019 की वार्षिक बैठकों तक नया कोटा फार्मूला शामिल है, पर आवाज उठाना जारी रखा। इसे अप्रैल 2018 में अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति (आईएमएफसी) की बैठक में गवर्नर के वक्तव्य में मजबूती से कहा गया। जीएफएसएन की पर्याप्त उपलब्धता के लिए अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए, रिजर्व बैंक ने 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए आईएमएफ के साथ नोट खरीद करार (एनपीए) पर हस्ताक्षर किए जो आईएमएफ के 40 सदस्यों से लगभग 316 बिलियन एसडीआर राशि (450 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के 2016 के उधार करारों के भाग के रूप में थे। यह व्यवस्था 2019-20 के अंत तक द्विपक्षीय रूप से उधार लिए गए संसाधनों तक आईएमएफ की पहुंच का प्रभावी रूप से विस्तार करती है।

आईएमएफ-विश्व बैंक का वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (एफएसएपी)

X.25 भारत के लिए आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एफएसएपी दिसंबर 2016 में स्कोपिंग मिशन के साथ शुरू हुआ जिसमें मार्च 2017 और जून-जुलाई 2017 में दो मिशन दौरे शामिल थे। तत्पश्चात, विभाग ने प्रारूप और अंतिम रिपोर्टों के लिए प्राधिकारियों की प्रतिक्रियाओं को समन्वित किया। एफएसएपी के अंतर्गत भारत के लिए रिपोर्ट का सकारात्मक स्वरूप वर्ष की मुख्य विशेषता रही (बॉक्स X.3)। मुख्य रिपोर्ट जिसमें मुख्य निष्कर्षों को सारांश में दिया गया है, को आईएमएफ द्वारा वित्तीय प्रणाली स्थिरता आकलन (एफएसएएसए) और विश्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्र आकलन (एफएसए) के रूप में दिसंबर 2017 में जारी किया गया। दो व्यापक आकलन रिपोर्टें (डीएआर) जो (i) प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए बासेल मूल सिद्धांत (बीसीपी) और (ii) वित्तीय

बॉक्स X.3

भारतीय वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (एफएसएपी), 2017

एफएसएपी भारत सहित 29 देशों के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में आयोजित की जाने वाली अनिवार्य प्रक्रिया है, इन देशों को दो पैरामीटरों अर्थात् (i) वित्तीय क्षेत्र का आकार और (ii) शेष विश्व से वित्तीय क्षेत्र की परस्पर-संबद्धता के आधार पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्र रखने के लिए चिह्नित किया जाता है। वर्ष 2017 का एफएसएपी, जो भारत के लिए किया गया दूसरा ऐसा आकलन है, में पाया गया कि भारत ने एफएसएपी 2011 की लगभग सभी सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया है जिसमें भारतीय बैंक के समुद्रपारीय परिचालन और बड़ी एक्सपोजर सीमाओं की निगरानी करना भी शामिल है। तथापि, संकट से निपटने के लिए समाधान उपायों और व्यवस्थाओं पर और कार्य किए जाने की जरूरत है।

वर्ष 2017 के एफएसएपी में परस्पर-संबद्धता पर जोर दिया गया, कवरेज का दायरा बढ़ाया गया और वित्तीय क्षेत्रों के बीच मूल्य फैलाव (कंटेजियन) की संभावना को देखा गया। बासल मुख्य सिद्धांतों बीसीपी का आकलन संशोधित बीसीपी के अनुसार किया गया, जिससे अनुपालन के लिए स्तर कई प्रकार से बढ़ गया। इसके बावजूद, 2017 के एफएसएपी में भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानकों के उच्च अनुपालन की पुनः पुष्टि की गई जो भारत में सुदृढ़ और गतिशील वित्तीय प्रणाली को प्रमाणित करता है। बीसीपी के दो सिद्धांतों को छोड़कर भारत में बाकी सभी सिद्धांतों को पूरी तरह से या काफी हद तक अनुपालित माना गया है। स्वतंत्रता, जवाबदेही, संसाधन और पर्यवेक्षकों के लिए कानूनी संरक्षण तथा बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन के क्षेत्र में काफी गैर-अनुपालन आंका गया। पहला मुख्य रूप से इस कारण था कि विनियामक के पास सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के मामले में पर्यवेक्षी कार्रवाई करने का पूरा विवेकाधिकार नहीं है, दूसरा इस कारण से था कि रिजर्व बैंक के पास पीएसबी बोर्ड को जवाबदेह ठहराने और कमजोर तथा अनर्जक वरिष्ठ प्रबंधन और सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड सदस्यों को बदलने के लिए बहुत कम अधिकार हैं।

कमजोरियों का समाधान करने के लिए नीतियां

एफएसएएसए रिपोर्ट ने बैंक तुलन-पत्रों को सुदृढ़ करने, प्रावधानीकरण कवरेज बढ़ाने, वर्तमान कमजोरियों का समाधान करने और अंततः बैंकिंग सृष्टृढ़ता में सुधार करने के लिए रिजर्व बैंक के गहन प्रयासों को मान्यता दी जिसमें (i) बृहद ऋणों पर केंद्रीय सूचना निधान (रिपोजिटरी) की स्थापना करना, जो न केवल एनपीए को ट्रैक करने बल्कि आरंभिक तनाव और अशोध्य ऋणों की अपर्याप्त पहचान को ट्रैक करने में सहायता करता है, (ii) संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) के अंतर्गत बड़े कंसोर्शियम खातों में समन्वय संबंधी समस्याओं का समाधान करने पर विशिष्ट बल के साथ अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए ढांचा; और (iii) कमजोर बैंकों में आवश्यक सुधार करने के लिए कार्य के संबंध में संशोधित शीघ्र सुधारात्मक ढांचे का उपयोग करना शामिल है।

सरकार ने तेज सुधार करने और दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान करने के लिए अनेक विधायी उपाय किए जिनमें अन्य के साथ-साथ दिवाला

और शोधन अक्षमता संहिता, 2016; वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 में संशोधन और बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम शामिल हैं।

रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण और पुनर्संरचना, समेकन, विनिवेश और निजीकरण तथा उनके अभिशासन तथा वित्तीय परिचालनों में सुधार करने की आवश्यकता की सिफारिश की गई। एफएसएपी के दबाव परीक्षण दर्शाते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी आवश्यकताओं को व्यवस्थित किया जा सकता है जो समग्र रूप से बेसलाइन जीडीपी के 0.75 प्रतिशत और गंभीर प्रतिकूल परिदृश्य में 1.5 प्रतिशत के बीच हैं। रिजर्व बैंक के स्वयं के दबाव परीक्षणों के निष्कर्ष एफएसएपी के अनुरूप हैं। प्राधिकारी न केवल पूंजीगत आवश्यकताओं का बारंबार आकलन कर रहे हैं बल्कि पुनर्पूजीकरण की योजनाओं का स्पष्ट खाका बनाया है जो सुधारों के लिए प्रोत्साहन से संगत हैं। अगले दो वर्षों में कार्यान्वित किए जाने के लिए सरकार द्वारा 24 अक्टूबर 2017 को घोषित की गई ₹2.11 ट्रिलियन (लगभग 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की पीएसबी पुनर्पूजीकरण योजना में ₹181.39 बिलियन का बजटीय प्रावधान, ₹1,350 बिलियन के पुनर्पूजीकरण बॉन्ड तथा सरकारी इक्विटी को डायल्यूट करते हुए बाजार से बैंकों द्वारा पूंजी जुटाकर प्राप्त की गई शेषराशि शामिल है। इससे एफएसएपी कार्रवाई में आकलित पूंजी अंतराल का प्रभावशाली ढंग से समाधान हो जाएगा। पहले से ही, ₹800 बिलियन के पुनर्पूजीकरण बॉन्ड जारी किए जा चुके हैं। तथापि पहले अभिशासन में सुधार करने के साथ साथ पुनर्पूजीकरण को जोड़ना अत्यावश्यक है, विशेषतः शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के अधीन बैंकों के मामले में।

वित्तीय क्षेत्र निगरानी ढांचा

प्रणाली व्यापक निगरानी और समष्टि-विवेकपूर्ण नीतियों; बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र और प्रतिभूति बाजारों के पर्यवेक्षण और विनियमन; बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर निगरानी; संकट प्रबंधन ढांचा; और बाजार एकीकरण के मामले में वित्तीय क्षेत्र निगरानी ढांचे का आकलन किया गया।

जैसाकि एफएसएएसए द्वारा देखा गया है, वर्ष 2010 में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की स्थापना और 2013 में विनियामकीय प्राधिकरणों के बीच अंतर-एजेसी समझौता ज्ञापन अपनाए जाने के बाद से वित्तीय स्थिरता मामलों पर अंतर-एजेसी सहयोग और सूचना शेयरिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। रिजर्व बैंक ने विशेषकर जोखिम और पूंजी आकलन के लिए व्यापक और पूर्वानुमान पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी) के माध्यम से 2013 के जोखिम आधारित आकलन की शुरुआत के साथ बैंकिंग पर्यवेक्षण को सृष्टृढ़ बनाने में काफी प्रगति की है। अप्रैल 2017 में, रिजर्व बैंक ने विनियामकीय अनुपालन की प्रक्रिया को तेज करने की दृष्टि से नया प्रवर्तन विभाग स्थापित किया और अधिक विवेकपूर्ण जोखिम-
(जारी...)

सहनीयता सीमाओं को शामिल करने के लिए अपनी शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई को संशोधित किया।

बैंकिंग क्षेत्र पर, एफएसएपी ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) और विशेष ऋण श्रेणियों के संदर्भ में ऋण वर्गीकरण और प्रावधानीकरण नियमों की समीक्षा करने की सिफारिश की। रिजर्व बैंक आईएफआरएस-9 के साथ इस समीक्षा की प्रक्रिया में है, जिसमें प्रत्याशित हानि फ्रेमवर्क प्रावधानों के लिए आधार बनाता है और सभी प्रकार के ऋण प्रावधानीकरण द्वारा कवर किए जाते हैं। इस फ्रेमवर्क में पूर्व में हुई हानि संबंधी आंकड़ों और अनर्जक ऋण की वसूली को संग्रहित किया जाएगा। इसी समय, यह पहचानने की भी जरूरत है कि भारतीय संदर्भ में, विशेष श्रेणी के ऋण जिसमें मुख्य रूप से कृषि ऋण है, द्वारा विवेकपूर्ण सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाना आवश्यक नहीं है, बल्कि ये समावेशन मानदंडों को प्रतिबिंबित करते हैं। इसके अलावा, समस्याग्रस्त आस्तियों के विवेकपूर्ण निपटान पर बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बीसीबीएस) द्वारा 2016 में जारी दिशानिर्देश 90 दिवसीय मानदंड से पर्यवेक्षी विचलन का प्रावधान करते हैं और खुदरा और सार्वजनिक क्षेत्र संस्थाओं के एक्सपोजर के मामले में 180 दिन तक का मानदंड निर्धारित करते हैं यदि इसे स्थानीय स्थितियों के लिए उचित समझा जाए।

रिजर्व बैंक को अपने पर्यवेक्षी अधिदेश का प्रयोग करने में पूरी तरह से प्रभावशाली बनाने के लिए, एफएसएपी में सुझाव दिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर रिजर्व बैंक की शक्तियों को सुदृढ़ करने और इसकी कानूनी स्वतंत्रता के लिए कानूनी ढांचे में बदलाव किया जाना चाहिए। शीर्ष पदाधिकारियों के कार्यकाल को समाप्त करने या बैंक के निर्णयों का अधिक्रमण करने के लिए कानूनी प्रावधान केवल असाधारण स्थितियों के लिए समर्थकारी प्रावधान हैं। रिजर्व बैंक और समाधान निगम (आरसी) के बीच पर्यवेक्षी शक्तियों के दोहरेपन से बचने संबंधी सिफारिशों के संबंध में, मामले की छानबीन की जा रही है ताकि सक्षमता के साथ वित्तीय सेवा प्रदाता का समाधान करने के लिए आरसी के पर्याप्त रूप से तैयार होने की योग्यता पर प्रभाव डाले बिना आरसी की निरीक्षण/पर्यवेक्षी शक्तियों की पर्याप्तता को विनियामक की पर्यवेक्षी शक्तियों से उचित रूप से संतुलित किया जा सके और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विनियामक के पास संबंधित संस्थाओं के लिए यथोचित पर्यवेक्षी शक्तियां हैं, जिससे वह शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ इसमें बदलाव करने में समर्थ बन सके।

एफएसएपी ने आपातकालीन चलनिधि सहायता (ईएलए), जमा बीमा और संकट के प्रति तत्परता संबंधी ढांचों में सुधार करने की मांग की है। जबकि ईएलए प्रदान करने में किसी प्रकार की कोई तकनीकी बाधा नहीं है, रिजर्व बैंक में ईएलए पर ध्यानपूर्वक तैयारी की गई बोर्ड अनुमोदित नीति है जिसमें रचनात्मक अस्पष्टता और लचीलेपन को शामिल किया गया है और इस प्रकार, आवश्यकता से अधिक स्पष्टता नहीं चाहता है क्योंकि इससे नैतिक जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

एफएसएपी के अनुसार, प्रतिभूति और डेरिवेटिव समाशोधन और निपटान प्रणालियों के लिए रिजर्व बैंक का विनियमन और निगरानी व्यापक रूप से

प्रभावशाली है जिसमें भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) सभी मुद्रा बाजार खंडों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और सरकारी प्रतिभूतियों, रेपो और द्वितीयक बाजारों के लिए केंद्रीय काउंटरपार्टी (सीसीपी) के रूप में कार्य कर रहा है। जहां तक व्यापार कोष (ट्रेड रिपोजिटरी) का संबंध है, व्यापार कोष सेवाओं के लिए परिचालन विनियमों को बैंक का विनियामकीय अनुमोदन मिल गया है और सीसीआईएल ने सिद्धांत का अनुपालन करते हुए विनियमों को अधिसूचित कर दिया है।

जहां तक राष्ट्रीय आवास बैंक के स्वामित्व को सरकार को अंतरित करने तथा आवास वित्त कंपनियों के विनियमन को रिजर्व बैंक को अंतरित करने पर एफएसएपी के विचार का संबंध है, यह पहले से ही सरकार के विचाराधीन है।

बाजार विकास

एफएसएए रिपोर्ट में सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को धीरे-धीरे कम करने की मांग की गई है जिससे कि बाजारों में मजबूती लायी जा सके और उधार देने को बढ़ावा दिया जा सके। जनवरी 2014 में मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित और सुदृढ़ करने संबंधी समिति की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई थी कि बासल III ढांचे के अंतर्गत चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की अपेक्षाओं के अनुरूप एसएलआर को कम किया जाए। तदनुसार, एसएलआर को निरंतर किंतु धीरे-धीरे कम किया गया है और अब यह जनवरी 2014 के 23 प्रतिशत से घटकर 19.5 प्रतिशत हो गई है। इसके अतिरिक्त, बैंकों के एनडीटीएल के 13 प्रतिशत के एसएलआर से अलग की गई कुल राशि (कार्व-आउट) बैंकों के पास उपलब्ध है। तथापि, प्राधिकारियों का विचार है कि कटौती के पूर्व-घोषित कैलेंडर से बाजार स्थितियों के प्रतिफल में रुकावट आएगी, जिस मुद्दे को वर्तमान में उठाया जा रहा है।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार (पीएसएल) मानदंडों पर, एफएसएपी ने लागत-लाभकारी और अंतराल निदान की सिफारिश की है, जिसमें इसके दायरे को कम करने और कम सेवा प्राप्त खंडों के लिए इसके लक्ष्य सुनिश्चित करने की योजना शामिल है। यह दोहराया जाता है कि पीएसएल कार्यक्रम उन क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिनकी औपचारिक वित्त तक पहुंच आसान नहीं होती है, और इस प्रकार समावेशन, रोजगार और संवृद्धि को सुगम बनाता है।

संदर्भ:

1. आईएमएफ (2017), "इंडियाज 2017 फाइनेंशियल सिस्टम स्टैबिलिटी असेसमेंट", आईएमएफ कंट्री रिपोर्ट नं. 17/390, दिसंबर।
2. आईएमएफ (2017), "डिटेल्ड असेसमेंट ऑब्जर्वेंस ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) एंड ट्रेड रिपोजिटरी (टीआर)", अक्टूबर।
3. आईएमएफ (2018), "डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ दि बासल कोर प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव बैंकिंग सुपरविजन", आईएमएफ कंट्री रिपोर्ट नं. 18/4, जनवरी।

बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीपीएमआई-आईओएससीओ¹ सिद्धांतों से संबंधित हैं, को भी क्रमशः आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा जनवरी 2018 में जारी किया गया। विश्व बैंक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) और व्यापार कोष (टीआर) के रूप में भारतीय राष्ट्रीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) का आकलन उपलब्ध कराती है।

काउंटर पर लेनदेन किए जाने वाले (ओटीसी) व्युत्पन्नियों के संबंध में सुधार

X.26 वर्ष 2007-08 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, ओटीसी व्युत्पन्नी बाजार में सुधार किया जाना वैश्विक नीतिगत कार्य-सूची का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है जिसकी अगुवाई जी-20 ने की। इस कार्य में वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) का व्यापक सहयोग रहा, जो सभी देशों में इस तरह के सुधार लागू किए जाने में हुई प्रगति का आकलन करता है। इस संबंध में, विभाग ने भारत में ओटीसी व्युत्पन्नी बाजार में सुधारों के क्रियान्वयन और उनके प्रभाव से संबंधित कार्य का समन्वय किया और अनुवर्ती कार्रवाई की।

वित्तीय स्थिरता से संबंधित मुद्दे

X.27 विभाग ने, वित्तीय स्थिरता बोर्ड की बैठकों और कॉन्फ्रेंस कॉल्स में चर्चा किए गए मुद्दों के संबंध में भारत का रवैया निर्धारित करने के बारे में निविष्टियां तैयार कीं, जिसमें समष्टिगत वित्तीय कमजोरियों, विशेष रूप से कमजोर घरेलू निवेश मांग, छाया बैंकिंग, साइबर जोखिमों और फिन-टेक से उत्पन्न होने वाली कमजोरियों को शामिल किया गया। विभाग ने, बैंक के कारोबारी मॉडलों और पर्यवेक्षकों की भूमिका के दृष्टिकोण से वित्तीय प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों के संबंध में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) के कार्य दल में भी अपना योगदान किया। विभाग ने, वित्तीय स्थिरता बोर्ड के बहुत से सर्वेक्षणों में निविष्टियां उपलब्ध करायीं, जिनके अंतर्गत क्रिप्टो आस्तियों और वित्तीय स्थिरता पर उनके प्रभाव, साइबर सुरक्षा से संबंधित विनियामकीय और पर्यवेक्षीय प्रथाओं तथा वित्तीय क्षेत्र में कदाचार को कम करने के बारे में वित्तीय स्थिरता बोर्ड के जारी काम से संबंधित निविष्टियां शामिल रहीं।

X.28 धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने (एएमएल/सीएफटी) से संबंधित विनियामकीय अपेक्षाओं को स्पष्ट करने वाले वित्तीय कार्रवाई कार्य-दल (एफएटीएफ) और बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित बासेल समिति के दिशानिर्देशों के अनुपालन के क्रम में यह सूचित किया गया कि रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश कॉर्रेस्पॉन्डिंग बैंकिंग के संबंध में एफएटीएफ की अनुशंसाओं के अनुरूप थे। इसके अतिरिक्त, कॉर्रेस्पॉन्डेंट बैंकिंग संबंधों (सीबीआर) के विश्व भर में दबावपूर्ण रहने के संदर्भ में सूचित किया गया कि भारत में कॉर्रेस्पॉन्डेंट बैंकिंग संबंध सेवाओं में कमी की ओर अग्रसर होने वाले जोखिम कम करने संबंधी मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण नहीं पाये गए।

X.29 रिजर्व बैंक ने, अन्य विनियामकों से समन्वय करते हुए वित्तीय स्थिरता बोर्ड की वार्षिक शैडो बैंकिंग निगरानी गतिविधि में योगदान किया और बोर्ड की 2017 की रिपोर्ट के लिए आंकड़े/ निविष्टियां उपलब्ध करायीं। इस गतिविधि से पता चला कि 2016 में गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता निगरानी क्षेत्र (एमयूएनएफआई) में 2015 की तुलना में थोड़ी तेज दर से वृद्धि हुई जो समग्र रूप से (अर्थात्, 21 क्षेत्राधिकारों और यूरो क्षेत्र में समग्र रूप से) 160 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रही। वित्तीय आस्तियों में गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता निगरानी क्षेत्र (एमयूएनएफआई) का हिस्सा लगातार पांचवें वर्ष बढ़कर 48 प्रतिशत हो गया।

X.30 रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंकों (बीआईएस) के कार्यदलों के साथ अपना काम जारी रखा और यहां पर वैश्वीकरण, बिग डेटा, केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी, फैंडरल बैंक के तुलन पत्र प्रकाशन के तत्काल प्रभावों और सरकारी आस्तियों पर जोखिम भार जैसे विविध सामयिक मुद्दों पर विचार-विमर्श किए गए। भारत में, बासेल III के विभिन्न मानकों को बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा सहमत समय-सीमाओं के भीतर अपनाया गया।

X.31 रिजर्व बैंक, वैश्विक वित्तीय प्रणालियों पर समिति (सीजीएफएस) में भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस समिति ने

¹ भुगतान और बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर पर समिति (सीपीएमआई) और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति कमीशन संगठन बोर्ड (आईओएससीओ)।

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बैंकिंग क्षेत्र में संरचनागत परिवर्तन, ब्याज दरों के लंबी अवधि तक निम्न स्तर पर रहने के प्रभावों और अर्थक्षम पूंजी बाजार की स्थापना करने जैसे संरचनागत परिवर्तनों से जुड़े मुद्दों के संबंध में विभिन्न कार्य-दल गठित किये हैं। इन कार्यदलों में रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व है।

ब्रिक्स

X.32 जून 2017 में शंघाई में ब्रिक्स (एफएमसीबीजी) की बैठक तथा सितंबर 2017 में ज़ियामेन शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स बॉन्ड फंड (बीबीएफ) स्थापित किए जाने के बारे में सहमति बनी। जिसका मुख्य उद्देश्य बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने, बॉन्ड निवेश की बाधाओं को कम करने, निवेशकों के लिए कम लागत वाला बॉन्ड पोर्टफोलियो उपलब्ध कराने और ब्रिक्स की स्थानीय मुद्राओं वाले बॉन्ड बाजार में अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए ब्रिक्स देशों में स्थानीय मुद्रा बॉन्ड बाजारों को बढ़ावा देना है। विभाग, ब्रिक्स बॉन्ड फंड (बीबीएफ) की स्थापना की प्रारंभिक तैयारियों की निगरानी कर रहा है। इसके अलावा, विभाग ब्रिक्स आकस्मिक आरक्षित निधि व्यवस्था (सीआरए) को परिचालनात्मक तत्पर अवस्था में रखने और सीआरए के सदस्य देशों के बीच समष्टिगत आर्थिक सूचना विनिमय की व्यवस्था तैयार करने के संबंध में भी कार्य करता रहा है, जिसके अंतर्गत 60 आर्थिक और वित्तीय संकेतक शामिल हैं, जिन्हें रिजर्व बैंक ने ब्रिक्स सीआरए के अधीन निगरानी व्यवस्था के हिस्से के रूप में विकसित किया है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क)

X.33 सार्कफाइनेंस डेटाबेस से संबंधित चौथी संगोष्ठी और सार्कफाइनेंस डेटाबेस के संबंध में कार्य-दल की दूसरी बैठक का आयोजन 22-23 मार्च 2018 के दौरान रिजर्व बैंक के जयपुर कार्यालय में किया गया, जिनका उद्देश्य रिजर्व बैंक द्वारा संधारित सार्कफाइनेंस डेटाबेस में आंकड़ों का मानकीकरण करना और उनके कवरेज को बढ़ाना था। सार्कफाइनेंस सहयोग के रोडमैप के तहत पर्यवेक्षण, मौद्रिक नीति, मुद्रा प्रबंध, बैंकिंग विनियमन, वित्तीय बाजारों, वित्तीय समावेशन

और पुस्तकालय प्रबंधन के संबंध में सदस्य केंद्रीय बैंकों को तकनीकी सहयोग और एक्सपोजर प्रदान किया गया। इनके अतिरिक्त, सार्क स्वैप व्यवस्था के तहत कुछ केंद्रीय बैंकों को चलनिधि सहायता भी उपलब्ध कराई गई। वर्ष के दौरान सार्क देशों के लिए स्वैप व्यवस्था को विस्तार देने के ढांचे को भी कतिपय सुधारों के साथ अंतिम रूप दिया गया, ताकि पार्श्व में रखी गई चलनिधि सहायता की भावना के अनुरूप भुगतान संतुलन की अस्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बार-बार स्वैप से बचा जा सके। इस योजना को अब 16 मार्च 2019 तक दो वर्षों के लिए बढ़ाया गया है।

X.34 संयुक्त तकनीकी समन्वय समिति (जेटीसीसी) रिजर्व बैंक और नेपाल राष्ट्र बैंक के बीच आपसी सरोकारों को निपटाने के लिए एक मंच है। वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के कारण, उन चुनिंदा सरकारी बैंकों से परामर्श करते हुए, जिनकी अनुषंगियां नेपाल में विद्यमान हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सहमति से, नेपाल में रह रहे नेपाली पेंशनरों को पेंशन विप्रेषित करने का निर्णय एक बड़ी उपलब्धि रही।

अन्य गतिविधियां

X.35 विभिन्न वैश्विक मंचों पर चर्चाधीन विनियामकीय मुद्दों से निपटने के लिए अगस्त 2017 में छह अंतर्विभागीय कार्य-दलों (आईडीडब्लूजी) का गठन किया गया था, जिनका समन्वय इस विभाग ने किया। ये कार्य-दल निम्नलिखित मुद्दों पर काम कर रहे थे - (i) भारत में बासेल III का क्रियान्वयन और उसके शेष मूल तत्वों को अंतिम रूप दिया जाना; (ii) विशेष रूप से भारत के संदर्भ में फिनटेक और डिजिटल नवोन्मेष तथा वित्तीय स्थिरता पर उनके प्रभाव (आभासी मुद्राओं सहित); (iii) वित्तीय स्थिरता बोर्ड की प्रमुख विशेषताओं के स्थान पर, प्रभावी समाधान व्यवस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं निर्धारित करने के उद्देश्य से, भारत में वित्तीय फर्मों के समाधान और जमा बीमा ढांचे (वित्तीय समाधान और जमा बीमा बिल में यथा परिकल्पित) का निर्धारण; (iv) संकट के बाद के वैश्विक वित्तीय विनियामकीय सुधारों (वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा

अधिक लचीली वित्तीय प्रणाली के संबंध में यथा लागू) और भारत पर उनके अभिप्रेत और अनभिप्रेत प्रभाव; (v) वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से वैश्विक ओटीसी व्युत्पन्नी सुधारों के तत्व, भारत में डेटा रिपोर्टिंग और एक्सेसिंग में विधिक बाधाएं, मार्जिनिंग अपेक्षाएं आदि जैसे मापदंडों के अनुसार विनियामक अनुपालन और ओटीसी व्युत्पन्नी बाजार पर उनके व्यापक प्रभाव तथा (vi) भारत में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समष्टिगत-विवेकपूर्ण ढांचे को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना। अंतरराष्ट्रीय संगठनों की कार्ययोजना के संदर्भ में इन मुद्दों पर भारत द्वारा लिए जाने वाले दृष्टिकोणों (पोजीशन्स) पर इन समूहों ने कार्य किया है।

X.36 सार्क के अंतर्गत आने वाले विभिन्न केंद्रीय बैंकों के लिए अनेक क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों तथा स्टाफ की अदला-बदली करते हुए दौरा कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनके अलावा, विभाग ने 2017-18 के दौरान विदेशी केंद्रीय बैंकों/विनियामकीय प्राधिकारियों/मंत्रालयों और प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए क्षमता निर्माण से संबंधित एक्सपोजर अटैचमेंट सहित 41 एक्सपोजर दौरे आयोजित किये। विभाग के विचार-विमर्श से संबंधित मंच - मीमांसा के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यानो का भी आयोजन किया गया। रिजर्व बैंक ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र और जी 24 और जी 30 जैसे अंतरराष्ट्रीय समूहों को समर्थन देना भी जारी रखा।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

X.37 विभाग, सरकार के साथ समन्वय करते हुए अंतरराष्ट्रीय मामलों पर भारत के रवैये का अनुसरण करते हुए उसे बरकरार रखेगा। विभाग, 15 वें जीआरक्यू को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने की मांग जारी रखेगा, जिसमें उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, जिनके पहले से ही कम प्रतिनिधित्व में और कमी आ रही है, के आरक्षित शेयरों को पुनर्निर्धारित किया जाना भी शामिल है। विभाग, अंतरराष्ट्रीय

मुद्रा कोष के आर्टिकल IV, 2018 मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने के लिए भी कार्य करेगा, जिसने 2018 में भारत का निरीक्षण किया था।

X.38 सार्कफाइनेंस डेटाबेस से संबंधित कार्य-दल के अगले सम्मेलन और बैठक की मेजबानी करते हुए सार्कफाइनेंस डेटाबेस की पहल की स्थिरता का और विस्तार करने का कार्य किया जाएगा। सार्कफाइनेंस रोडमैप के अंतर्गत कार्य-सूची को क्षमता निर्माण, तकनीकी सहयोग, साझा अध्ययनों और डेटाबेस संबंधी पहलों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।

X.39 विभाग, वर्ष के दौरान ब्रिक्स बॉन्ड फंड (बीबीएफ) की स्थापना किए जाने के लिए कार्य करेगा, जिसके 2019 तक क्रियाशील होने की संभावना है। विभाग, ब्रिक्स सीआरए की निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए समष्टिगत आर्थिक सूचनाओं के आदान-प्रदान को और मजबूत करने के लिए भी कार्य करेगा। साथ ही, ब्रिक्स सीआरए व्यवस्था की परिचालनात्मक तैयारी के परीक्षण के लिए टेस्ट रन भी किया जाएगा। विभाग, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विचार किए जाने वाले मुद्दों पर विश्वसनीय, पूर्ण और अनुसंधान-परक नीतिगत संक्षिप्त वृत्तान्त उपलब्ध कराना, टिप्पणियां और हस्तक्षेप जारी रखेगा।

सरकारी एवं बैंक लेखा

X.40 सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) रिजर्व बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा की नीतियां तैयार करने के साथ ही बैंकों के बैंकर एवं सरकार के बैंकर के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज की निगरानी करता है।

2017-18 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

X.41 विभाग ने, जीएसटी फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन की निगरानी की, जिसे वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक मजबूत किया गया। जीएसटी से संबंधित मामलों के कार्य हेतु मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय को नोडल कार्यालय बनाया गया। रिजर्व बैंक के ई-कुबेर से राज्य सरकारों के एकीकरण के संबंध में, अब तक ई-प्राप्तियों के लिए 14 राज्य सरकारों को और ई-भुगतानों

के लिए 11 राज्य सरकारों को ई-कुबेर से एकीकृत किया जा चुका है। इसके अलावा, सात क्षेत्रीय कार्यालयों में सरकारी बैंकिंग प्रभाग खोले जा चुके हैं, जो राज्य सरकारों की निर्दिष्ट जरूरतों को पूरा करने के साथ ही ई-प्राप्तियों और ई-भुगतान के मामलों में रिजर्व बैंक के ई-कुबेर से राज्य सरकार की ट्रेजरी प्रणाली को एकीकृत करने में मदद करेंगे (बॉक्स X.4)। इसके साथ ही, अन्य विभिन्न राज्य सरकारें प्रौद्योगिकीय तत्परता के अलग-अलग स्तरों पर हैं। बैंक, आवश्यक तकनीकी और गैर-तकनीकी सहयोग प्रदान करते हुए बैठकों, सम्मेलनों इत्यादि के माध्यम से अन्य शेष राज्य सरकारों का ई-कुबेर से एकीकरण किए जाने हेतु उनका अनुसरण कर रहा है। चेक ट्रंक्शन प्रणाली (सीटीएस) के प्रारंभ होने से प्रस्तुतकर्ता बैंक से भुगतानकर्ता बैंक तक चेक को भौतिक रूप से ले जाने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि चेकों का भुगतान चेक की इमेज के आधार पर किया जाता है। हालांकि, बैंकों से अभी भी यह अपेक्षित है कि राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाने वाले चेकों को प्रस्तुतकर्ता बैंक से भौतिक रूप में प्राप्त करें और उसे संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों को प्रस्तुत करें। भौतिक चेकों के इस प्रकार के हस्तांतरण के लिए विद्यमान प्रक्रिया को पी2एफ (पेपर बाद में) कहा जाता है। केंद्र सरकार के चेकों के

मामले में, फरवरी 2016 से पी2एफ प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। चूंकि चेक समाशोधन में पेपर बाद में (पी2एफ) व्यवस्था को बंद किए जाने के बारे में सभी राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त नहीं हुई है, अतः विनिर्दिष्ट राज्यों से पी2एफ व्यवस्था को हटाए जाने के संबंध में तकनीकी समाधान ढूंढने के प्रयास अभी जारी हैं।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

X.42 वर्ष 2018-19 के दौरान, रिजर्व बैंक के ई-कुबेर से एकीकरण के लिए शेष राज्य सरकारों को इसके अंतर्गत लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे, ताकि सरकारी कारोबार बेहतर ढंग से किए जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। राज्य सरकारों के संबंध में चेक समाशोधन के लिए पी2एफ व्यवस्था चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने हेतु प्रौद्योगिकीय सुविधाओं के माध्यम से कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। विभाग, सरकारी बैंकिंग की लागत से संबंधित समिति, 2018 (अध्यक्ष : श्री एस. गणेश कुमार) और सरकारी बैंकिंग की कारोबारी प्रक्रिया के पुनर्निर्धारण (बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग) से संबंधित कार्य-दल, 2017 (अध्यक्ष : श्री जी. श्रीकुमार) की अनुशंसाओं को लागू करने की व्यवहार्यता की जांच करेगा।

बॉक्स X.4

सात क्षेत्रीय कार्यालयों में सरकारी बैंकिंग प्रभागों का खोला जाना

रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21ए के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों के प्रधान बैंकर के रूप में कार्य कर रहा है। तदनुसार, रिजर्व बैंक के 18 कार्यालयों में सरकारी बैंकिंग प्रभाग (जीबीडी) राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करते आए हैं। इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों की जरूरतों के मुताबिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए उन राज्यों की राजधानियों में स्थित रिजर्व बैंक के कार्यालयों में भी सरकारी बैंकिंग प्रभाग की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया, जहां पर ये प्रभाग नहीं थे। ये सरकारी बैंकिंग प्रभाग राज्यों की राजधानियों में होने के कारण नजदीकी के चलते राज्य सरकारों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा, ये सरकारी बैंकिंग प्रभाग ई-प्राप्तियों और ई-भुगतान के संबंध में रिजर्व बैंक के ई-कुबेर से राज्य सरकार की ट्रेजरी प्रणाली को एकीकृत करने में भी महत्वपूर्ण

भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार, वर्तमान में 25 सरकारी बैंकिंग प्रभाग कार्यरत हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान परिचालन प्रारंभ करने वाले नए सरकारी बैंकिंग प्रभागों का ब्यौरा निम्नानुसार है –

क्र. सं.	नए सरकारी बैंकिंग प्रभाग	परिचालन प्रारंभ करने की तिथि	सरकारी बैंकिंग प्रभाग के क्षेत्राधिकार
1	रांची	1 अगस्त, 2017	झारखंड
2	शिमला	15 सितंबर, 2017	हिमाचल प्रदेश
3	देहरादून	3 अक्टूबर, 2017	उत्तराखंड
4	रायपुर	13 नवंबर, 2017	छत्तीसगढ़
5	पणजी	5 दिसंबर, 2017	गोवा
6	शिलांग	2 फरवरी, 2018	मेघालय
7	अगरतला	5 मार्च, 2018	त्रिपुरा

स्रोत: भारिबैं।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का प्रबंधन

X.43 देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि (एफईआर) का प्रबंधन बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) करता है, जिसमें सुरक्षा, तरलता और प्रतिफलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, जून 2018 तक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में जून 2017 की तुलना में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि विगत वर्ष की समरूप अवधि में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

2017-18 के लिये कार्ययोजना: अनुपालन की स्थिति

X.44 वर्ष के दौरान, भारत की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) में विविधीकरण जारी रहा, इसके अंतर्गत साइबर सुरक्षा जोखिम सहित जोखिम प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। स्वर्ण पोर्टफोलियो भी सक्रिय कर दिया गया है। वर्ष के दौरान ऋण जोखिम नीति की विस्तृत समीक्षा की गई और ऋण जोखिम निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाया गया। नई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों को मजबूत बनाया गया है। वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा प्रणाली की प्रभावोत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए बहुत से अग्रसक्रिय और निरोधक उपाय किए गए। बैंकअप प्रणाली का आवधिक परीक्षण किया गया और पाई गई कमियों को दूर किया गया।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

X.45 2018-19 के लिए कार्ययोजना के अंतर्गत साइबर जोखिम से सुरक्षा के स्तर को और अधिक मजबूत बनाने, ब्याज दर फ्यूचर्स लेनदेन के लिए प्रणाली विकसित करने और प्रतिफलों में वृद्धि करने के लिए रिपो लेनदेन करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाना शामिल हैं।

आर्थिक और नीति अनुसंधान

X.46 समष्टि आर्थिक नीति उन्मुख अनुसंधान के लिए ज्ञान केंद्र के रूप में विख्यात आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग को नीति संबंधी निर्णय लेने हेतु अनुसंधान इनपुट और प्रबंध सूचना प्रणाली सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया है। इस विभाग का योगदान बहु-आयामी रहा है। आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण प्राथमिक

आंकड़ों का स्रोत होने के अलावा, रिजर्व बैंक की सांविधिक रिपोर्टों और प्रमुख अनुसंधान प्रकाशनों के साथ ही बैंक द्वारा बाहरी विशेषज्ञों के साथ नीति-अभिमुख अनुसंधान कार्य के लिए भी जिम्मेदार है।

2017-18 के लिए कार्ययोजना: अनुपालन की स्थिति

X.47 वर्ष के दौरान, विभाग ने रिजर्व बैंक के प्रमुख प्रकाशनों, नामतः - वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिनों, तथा भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी की हैंडबुक के तीसरे संस्करण के प्रकाशन का कार्य किया। विभाग ने, आरबीआई सामयिक प्रकाशन, जो एक तकनीकी जर्नल है, का और 4 वर्किंग पेपर का भी प्रकाशन किया। विभाग ने, मौद्रिक समुच्चयों, भुगतान संतुलन, विदेशी कर्ज, समेकित सरकारी वित्त, हाउसहोल्डों की वित्तीय बचत तथा निधि प्रवाह से संबंधित प्राथमिक आंकड़ों का समेकन और प्रसार किया।

X.48 2017-18 के दौरान, इकतीस अनुसंधान पत्रों/ लेखों का कार्य पूर्ण किया गया, जिनमें से 12 का प्रकाशन बैंक से बाहर देशी और विदेशी जर्नलों में किया गया। निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य किया गया : मौद्रिक नीति का संचरण और वैश्विक स्पिलओवर का असर, मौद्रिक नीति और आस्ति गुणवत्ता, मणिपुर में ऋण संभाव्यता, भारत के वित्तीय परिदृश्य में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), भारतीय कृषि में ऋण और दक्षता, तथा ग्रामीण मजदूरी के परिवर्तनशील निर्धारक गतिकी (डायनेमिक्स) और मुद्रास्फीति। वर्ष के दौरान, विकास अनुसंधान समूह (डीआरजी) अध्ययन के तहत निम्नलिखित दो अध्ययन कार्य पूर्ण किए गए : भारत में विभिन्न प्रकार के सरकारी खर्च के कुछ समष्टिगत आर्थिक प्रभाव - गणना योग्य सामान्य साम्य मॉडल का प्रयोग करते हुए विश्लेषण; और भारत में मौद्रिक नीति संचरण में वित्तीय टकरावों की भूमिका।

X.49 वर्ष के दौरान, विभाग ने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। 15वीं एल. के. झा स्मृति व्याख्यानमाला के अंतर्गत, 11 दिसंबर 2017 को प्रोफेसर विजय जोशी, इमेरिटस फेलो, मर्टन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड ने व्याख्यान दिया। वर्ष के दौरान, प्रख्यात वक्ताओं ने व्याख्यान दिये, जिनमें निम्नलिखित

शामिल रहे - 'समष्टिगत वित्तीय आघात और दुविधा' विषय पर प्रोफेसर मॉरिस ऑब्सट्फील्ड, आर्थिक सलाहकार और अनुसंधान निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का भाषण; 'तरलता और मौद्रिक नीति के वैश्विक स्पिलओवर' के विषय पर डॉ. ह्यून सांग शिन, आर्थिक सलाहकार और अनुसंधान प्रमुख, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) का भाषण; 'भारत में आंतरिक और विदेशी व्यापार प्रवाह पर जीएसटी का प्रभाव' विषय पर जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय, वॉशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और कारोबार के प्रसिद्ध प्रोफेसर डॉ. प्रवीण कृष्ण, श्री चुंग जू युंग के भाषण।

X.50 डीईपीआर अध्ययन वृत्त, जो विभाग का अपना मंच है, ने विविध थीमों पर आधारित 40 विभिन्न संगोष्ठियां और प्रस्तुतीकरण आयोजित किये। इसके अलावा, प्रस्तुतीकरण के लिए बाहरी विशेषज्ञों, नामतः - कॉक विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर एवं सीईपीआर में अनुसंधान फेलो प्रोफेसर सुमू अल्टुग को तथा विश्व बैंक के अर्थशास्त्री डॉ. रॉबर्ट बेयर को आमंत्रित किया गया। मई 2018 के दौरान विभाग के वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में किया गया। सम्मेलन में, संगठन के उभरते मुद्दों पर स्टाफ द्वारा विचार विमर्श के अलावा ' भारतीय राजकोषीय नियमों की राजनैतिक अर्थव्यवस्था' विषय पर डॉ. रथिन रॉय, निदेशक, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान का मुख्य भाषण और राजकोषीय जोखिम तथा मौद्रिक नीति विषय पर शैक्षणिक जगत और नीतिगत विशेषज्ञों (मौद्रिक नीति समिति के सदस्य डॉ. रविंद्र ढोलकिया, भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता में प्रोफेसर डॉ. पार्थ रे, एनआईपीएफपी में प्रोफेसर डॉ. पिनाकी चक्रवर्ती और सिटीग्रुप के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य अर्थशास्त्री डॉ. समिरन चक्रवर्ती) की पैनल चर्चा का आयोजन भी किया गया। सम्मेलन में, भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी की हैंडबुक के तीसरे संस्करण का विमोचन भी किया गया, जिसमें क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़ों की संपदा उपलब्ध कराई गई है।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

X.51 आगे चलते हुए, विभाग द्वारा सामान्य सांविधिक और गैर-सांविधिक प्रकाशनों, तथा आंकड़ों के समेकन एवं प्रसार के अलावा, 2018-19 के दौरान फोकस के साथ विश्लेषण और

अनुसंधान करने हेतु कुछ नीति-अभिमुख समष्टि आर्थिक और मौद्रिक नीतिगत मुद्दों की पहचान की गई है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं - मौद्रिक नीति का संचरण, ऋण वृद्धि तथा बैंकिंग क्षेत्र के हालात, बैंक ऋण हानि प्रावधानों का बैंक ऋणों पर प्रभाव, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय निष्पादन, मौद्रिक समुच्चयों की परिवर्तनशील गतिकी, राजकोषीय नीति और वित्तीय बाजार, अंतर्निहित उतार-चढ़ाव सूचियों (VIX) और शेयर मूल्य सूचियों के बीच संबंध, वैश्विक तरलता तथा विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) प्रवाह, निवेश पर कृषि ऋण के प्रभाव और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों का कार्य-निष्पादन, भारत में आर्थिक गतिविधियों की पूरक माप के रूप में नाइट- टाइम लुमिनोसिटी पर आधारित बिग-डेटा का अध्ययन, न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य स्फीति, भारत के समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य पर जनांकिकीय परिवर्तनों का प्रभाव तथा क्रिप्टोकॉरेंसी और केंद्रीय बैंक के लिए इसकी चुनौतियां। इसके अतिरिक्त, अन्य अनेक समष्टिगत आर्थिक सांख्यिकी जारी किए जाने की बारंबारता के साथ ही उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की प्रथाओं के अनुरूप हाउहोल्ड वित्तीय बचत एवं निधियों के प्रवाह के संबंध में तिमाही अनुमान जेनरेट करने के प्रयास किए जाएंगे। वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग अनेक संगोष्ठियों और व्याख्यानों का आयोजन करना जारी रखेगा। रिज़र्व बैंक का इतिहास, खंड-V, जिसमें 1997 से 2008 तक की अवधि में विविध क्षेत्रों पर 15 अध्याय शामिल किए जाएंगे, का कार्य इतिहास कक्ष द्वारा दिसंबर 2018 तक पूरा किया जाएगा।

सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन

X.52 सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) दो अति महत्वपूर्ण लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। पहला लक्ष्य है - बैंकिंग, मौद्रिक, कॉर्पोरेट तथा बाहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली राष्ट्रीय स्तर की समष्टिगत आर्थिक और वित्तीय सांख्यिकी का एकत्रीकरण, प्रक्रमण और प्रसार करना; और दूसरा लक्ष्य है - रिज़र्व बैंक के सभी कार्यों में प्रगतिशील सर्वेक्षणों, डेटा प्रबंधन एवं व्यावहारिक सांख्यिकीय अनुसंधान के माध्यम से सांख्यिकीय और विश्लेषणात्मक सहयोग प्रदान करना। इन

लक्ष्यों की प्राप्ति के क्रम में, रिजर्व बैंक के लिए डीएसआईएम केंद्रीकृत डेटाबेस बनाए रखता है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) के माध्यम से विवरणियों को केंद्रीकृत ढंग से प्रस्तुत किए जाने का प्रबंध करता है और सूचना प्रबंध से संबंधित विभिन्न प्रकार की सहयोगी सेवाएं उपलब्ध कराता है।

2017-18 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

X.53 वर्ष के दौरान, विभाग ने अपने निम्नलिखित नियमित प्रकाशनों का कार्य पूर्ण किया - भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकी की हैंडबुक, 2016-17; भारत में बैंकिंग से संबंधित सांख्यिकीय सारणियां: 2016-17; भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां: मार्च 2017; जमाराशियों की संरचना और स्वामित्व का पैटर्न: मार्च 2017; तिमाही बीएसआर-1: दिसंबर 2017 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋण और मार्च 2018 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों और ऋण (बीएसआर-7) से संबंधित तिमाही सांख्यिकी। भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के साप्ताहिक सांख्यिकीय संपूरक (डब्लूएसएस) और 'वर्तमान सांख्यिकी' के हिस्सों को भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित डेटाबेस (डीबीआईई) से, निर्धारित आवधिकता के अनुसार, जेनेरेट किया गया। सर्वेक्षणों से संबंधित तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसीएस) के मार्गदर्शन में, मौद्रिक नीति से संबंधित सर्वेक्षणों के आयोजन में अनेक सुधारों पर विचार किया गया। इनमें महत्वपूर्ण सुधार हैं - उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) के कवरेज को सात और शहरों तक विस्तारित करना, महंगाई की संभावना पर हाउसहोल्ड सर्वेक्षण के लिए प्रायिकता आधारित प्रतिदर्शों (आईईएसएच) को अंतिम रूप देना और आदेश बही, माल-सूची तथा क्षमता प्रयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) डेटा के आधार पर विनिर्माण क्षेत्र के लिए क्षमता प्रयोग (सीयू) के अनुमान लगाने के तरीकों में संशोधन करना। अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आईईएसएच और सीसीएस के इकाई स्तरीय आंकड़े पब्लिक डोमेन में रखे। नियोक्ता सूचकांक का विकास करने के क्रम में भुगतान प्रणालियों के आंकड़ों के अतिरिक्त,

नियोक्ताओं द्वारा आय कर प्राधिकारियों को प्रस्तुत की गई विवरणियों पर आधारित स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के आंकड़े और बैंकों के वेतन खातों के आंकड़ों की भी छानबीन की गई। वर्ष के दौरान, सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों की जोखिम प्रोफाइलों का उपयुक्त ढंग से चयनित दबाव परिदृश्यों के आधार पर विश्लेषण किया गया।

X.54 डेटा वेयरहाउस प्रणाली का पुनर्निर्माण करने संबंधी परियोजना प्रारंभ करने के लिए विशेषज्ञ दल (अध्यक्ष: प्रोफेसर जी.शिवकुमार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई) गठित किया गया। इस समूह ने प्रस्तावित केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) के संबंध में रूपरेखा उपलब्ध कराई है। उक्त के आधार पर, परियोजना की तैयारी करने के लिए तकनीकी परामर्श समूह (टीएजी) बनाया गया है, जिसके तीन उप-समूह बनाए गए हैं, जिनके नाम हैं - (i) डेटा अभिशासन उप-समूह (डीजीएस); (ii) विषय वस्तु विशेषज्ञ (एसएमई) उप-समूह; एवं (iii) डेटा विश्लेषण उप-समूह (डीएस)। सीआईएमएस के अंतर्गत बिग डेटा प्लेटफॉर्म, मेटाडेटा रिपॉजिटरी सहित केंद्रीकृत विश्लेषण और अत्याधुनिक डेटा विजुअलाइजेशन टूल शामिल हैं।

X.55 वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) पर होने वाले लेन-देन स्तरीय भुगतान प्रणाली के डेटा का उत्प्रेषण करने के लिए हडूप प्रणाली का अतिसंवेदनशीलता आकलन और भेद्यता परीक्षण (वीए-पीटी) किया गया। बैंक की शाखाओं में सूचना एकत्र करने और उनका संधारण करने के लिए वेब-आधारित स्व-प्रमाणन प्रणाली विकसित की गई, जिसमें जिले की सीमा सहित उनकी भौगोलिक स्थिति को प्रमाणित करने की सुविधा उपलब्ध है। वेब-आधारित बैंकिंग आस्तियों और देयताओं (नोस्त्रो/वोस्त्रो) की रिपोर्टिंग प्रणाली को अगस्त 2017 के पहले पखवाड़े से चालू किया गया। एक्सबीआरएल प्रणाली के अंतर्गत डीपीएसएस, एफएमआरडी, एमपीडी, डीएनबीएस एवं एफईडी सहित विभिन्न विभागों से संबंधित इकत्तीस विवरणियां विकसित की गई हैं और इनके शीघ्र ही शुरू होने की अपेक्षा है। एक्सबीआरएल प्रणाली के

वेब एवं एप्लिकेशन सर्वर का वर्चुअल एनवायर्नमेंट में माइग्रेशन जनवरी 2018 में पूर्ण किया गया। प्रतिलाभ अभिशासन समूह (आरजीजी) के मार्गदर्शन में मांगी गई तदर्थ/ गोपनीय पर्यवेक्षी सूचना को छोड़कर बैंक द्वारा निर्धारित सभी विवरणियों की अद्यतन सूची परिपत्रों और फॉर्मेटों सहित, बैंक की वेबसाइट में फरवरी 2018 में रखी गई है।

X.56 विभिन्न बैंकिंग विवरणियों में दिए जाने वाले प्रमुख 189 डेटा घटकों की परिभाषाओं को सुसंगत बनाया गया और डीबीआर को उपलब्ध कराया गया। डीबीआर ने इनको 30 मार्च 2017 और 4 जनवरी 2018 को दो चरणों में पब्लिक डोमेन में जारी किया। सुसंगत परिभाषाओं के कारण सभी विवरणियों में आंकड़ों की विसंगति के मामलों में कमी आने की आशा है।

X.57 विभाग ने, अक्टूबर 2017 में रिजर्व बैंक द्वारा गठित, भारत के लिए सरकारी ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) से संबंधित उच्च स्तरीय कार्य-दल/टास्कफोर्स (एचटीएफ) को सचिवालय की सुविधा उपलब्ध कराई। एचटीएफ भारत में ऋण सूचना रिपोर्टिंग प्रणाली की अवस्था को समझने, उसमें कमियों की पहचान करने के लिए सभी प्रमुख हितधारकों के साथ सक्रियता से कार्य कर रहा है। एचटीएफ ने अपनी रिपोर्ट बैंक को 04 अप्रैल 2018 को प्रस्तुत की। रिपोर्ट में संरचना, अभिशासन और प्रौद्योगिकीय फ्रेमवर्क के संबंध में प्रस्तावित पीसीआर की रूपरेखा दी गई है। रिजर्व बैंक ने एचटीएफ की अनुशंसाओं पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि बैंक प्रमाणीय (मॉड्यूलर) और चरणबद्ध रूप से पीसीआर की स्थापना की जाए। एचटीएफ की रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट पर 6 जून 2018 को जनता को उपलब्ध करायी गयी। पीसीआर स्थापना करने के अगले चरण के रूप में डिजाइन तैयार करने और संचालन तथा क्रियान्वयन में सहायता हेतु अनुपालन कार्य-दल (आईटीएफ) की स्थापना की है।

X.58 विभाग ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा गठित वित्तीय क्षेत्र की सांख्यिकी के संबंध में समिति (अध्यक्ष : प्रो. रविंद्र एच. ढोलकिया) को सचिवालय सुविधा उपलब्ध कराई।

यह समिति निम्नलिखित के लिए गठित की गई है : निधि के प्रवाह (एफओएफ) का संग्रहण और प्रक्रमण करने की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करना; इस तरह के अनुमानों को राज्य स्तर पर उपलब्ध कराए जाने की संभावना तलाशना; समय-सीमा सुधारने के लिए समुचित उपायों की अनुशंसा करना; और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आंकड़ों का प्रसार करने के उद्देश्य से प्रक्रमण प्रक्रिया और आवधिक लेखापरीक्षा प्रणाली में संशोधन करना। समिति ने मई 2018 को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में जी20 डेटा अंतराल पहल में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप भारत में निधि प्रवाह की समेकन प्रणाली में सुधार लाने के संबंध में विस्तृत अनुशंसाएं की हैं।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

X.59 आगे चलकर, पीसीआर की स्थापना और परिचालन आईटीएफ के मार्गदर्शन में चरणबद्ध रूप से किया जाएगा। सीआईएमएस से संबंधित कार्य को प्रस्ताव के लिए अनुरोध के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। सभी बैंकिंग इकाइयों की, उनकी भौगोलिक स्थिति सहित, सूचना को अद्यतन रखने के लिए बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई) को लागू किया जाएगा। भारत के मानचित्र में बैंकिंग इकाइयों को दर्शाने वाली भौगोलिक सूचना प्रणाली की प्रतिकृति को आंतरिक उपयोग हेतु विकसित किया जाएगा। आवास और वैयक्तिक ऋणों की तिमाही आधार पर गहन निगरानी करने के लिए प्रणाली विकसित की जाएगी, ताकि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होने वाले ऋण-प्रवाह के विभिन्न पहलुओं का नियमित रूप से गहन आंतरिक विश्लेषण किया जा सके। मजबूत डेटा के आधार पर अन्वेषणात्मक रोजगार सूचकांक का निर्माण किया जाएगा। 2018-19 के दौरान उत्तरदाताओं की पहचान छुपाते हुए अन्य गुणात्मक सर्वेक्षणों से इकाई स्तरीय डेटा के प्रसार का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा, स्टार्ट-अप कंपनियों तथा व्यक्तियों की भुगतान संबंधी आदतों के बारे में सर्वेक्षण कार्य शुरू किया जाएगा। सार्कफाइनेंस डेटाबेस इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इसके दायरे का विस्तार किया जाएगा और स्वतः डेटा प्रस्तुतिकरण के लिए वेब-पोर्टल विकसित किया जाएगा। साथ ही, कॉर्पोरेट

मामले मंत्रालय से बैंक को प्राप्त होने वाले कंपनियों के वार्षिक वित्तीय विवरणों से संबंधित डेटा फ़्लो को स्वचालित करने का कार्य शुरू किया गया है, ताकि समय-पालन में सुधार किया जा सके, कवरेज को बेहतर बनाया जा सके और कॉर्पोरेट क्षेत्र विश्लेषण की गुणवत्ता सुधारी जा सके। 2018-19 के दौरान, प्रतिरूपण और पूर्वानुमान (मॉडलिंग एंड फोरकास्टिंग), बैंकिंग और जोखिम प्रतिरूपण, कॉर्पोरेट तथा बाहरी क्षेत्र के आकलन और बिग डेटा विश्लेषण के क्षेत्र में अनुसंधान और नीतिगत विश्लेषण का कार्य किया जाएगा। अप्रैल 2018 में घोषित विकास और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य में प्रस्तावित आंकड़ा विज्ञान प्रयोगशाला (डेटा साइंसेज लैब) के साथ जरूरत के अनुसार समन्वय किया जाएगा।

विधिक मुद्दे

X.60 विधि विभाग परामर्शी विभाग है, जिसकी स्थापना विधिक मामलों की जांच करने और परामर्श देने तथा रिज़र्व बैंक की ओर से मुकदमों के प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गई है। विधि विभाग रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों से संबंधित परिपत्रों, विनियमों और करार-नामों की भली प्रकार जांच करता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि रिज़र्व बैंक के निर्णय विधिक दृष्टि से सुदृढ़ हों। यह विभाग निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) तथा रिज़र्व बैंक के स्वामित्व वाले अन्य संस्थाओं को भी विधिक मुद्दों, मुकदमों तथा अदालती मामलों में सहायता और सलाह प्रदान करता है।

2017-18 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

X.61 वर्ष के दौरान वित्तीय क्षेत्र से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण विधानों/विनियमों को लागू किया गया/उनमें संशोधन किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में धारा 17(1-ए) को शामिल किया गया है, जो रिज़र्व बैंक को चलनिधि प्रबंध के लिए स्थायी जमाराशि सुविधा योजना के तहत बैंकों या किसी अन्य व्यक्ति से ब्याज सहित प्रतिदेय जमाराशि के रूप में मुद्रा स्वीकार करने को प्राधिकृत करती है। मौद्रिक नीति प्रक्रिया

के लिए क्रियाविधि और व्यवहार तथा एमपीसी के सदस्यों के लिए आचार संहिता उपलब्ध कराने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समिति और मौद्रिक प्रक्रिया नियमावली, 2016 तैयार की गई।

X.62 दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु निदेश जारी करने तथा दबावपूर्ण आस्तियों के बारे में निदेश जारी करने के लिए रिज़र्व बैंक को प्राधिकृत करने हेतु बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में दो नई धाराएं जोड़ी गई हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35एबी की उप-धारा 2 के तहत रिज़र्व बैंक को दबावपूर्ण आस्तियों के समाधान के संबंध में बैंको को सूचित करने हेतु प्राधिकारियों या समितियों को विनिर्दिष्ट करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये प्रावधान सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर भी लागू किए गए हैं।

X.63 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में "समाधान आवेदक होने के लिए पात्र नहीं व्यक्तियों" के लिए संहिता के अंतर्गत प्रावधान बनाने हेतु संशोधन किया गया। समाधान प्रक्रिया में सहभागिता के लिए अपात्र व्यक्तियों या संस्थाओं में अनुन्मोचित दिवालिया, इरादतन चूककर्ता, वे जिनके खातों को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और इन फर्मों से संबंधित सभी संस्थाएं शामिल होंगे। 2018 के संशोधन अध्यादेश का उद्देश्य, ऋणदाताओं की समिति में मतदान की सीमा को कम करके समाधान प्रक्रिया में सहभागिता के लिए अपात्रता की शर्तों को युक्ति-संगत बनाने के माध्यम से परिसमापन के स्थान पर समाधान को बढ़ावा देना था।

X.64 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण सूचना कंपनियों विनियमावली में संशोधन करते हुए ऋण सूचना कंपनी (संशोधन) विनियमावली, 2017 बनाई है, जिसमें दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अंतर्गत नियुक्त 'सूचना यूटिलिटी' तथा 'समाधान पेशेवरों' को 'विनिर्दिष्ट उपयोगकर्ता' के रूप में शामिल करने हेतु संशोधन किया गया है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल के अंतर्गत एनबीएफसी के ग्राहकों के लिए 23 फरवरी 2018 से

‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना’ 2018 की शुरुआत की है।

X.65 परक्राम्य लिखत (संशोधन) बिल, 2017 जो न्यायालय को कतिपय शर्तों के अधीन शिकायतकर्ता को अन्तरिम क्षतिपूर्ति का भुगतान करने हेतु चेक काटने वाले को निदेश देने की शक्ति प्रदान करता है, संसद में रखा गया है।

X.66 दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को निदेश जारी किए जाने के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किए जाने को उच्च न्यायालय, गुजरात ने बरकरार रखा है।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

X.67 वर्ष 2018-19 में, विभाग रिज़र्व बैंक के अन्य विभिन्न विभागों को विधिक मामलों में सलाह देना और मांगे जाने पर विशिष्ट विधिक राय उपलब्ध कराना जारी रखेगा। विभाग, रिज़र्व बैंक की ओर से मुकदमों के प्रबंध के प्रयास भी जारी रखेगा और सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक के प्रभाव में विभिन्न अधिनियमों में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और मानकों के अनुरूप तथा संगत प्रावधानों को स्पष्ट करने का काम किया जाएगा।

वर्ष 2017-18 में अन्य बातों के साथ-साथ, मानव संसाधन विकास, उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम), लेखापरीक्षा प्रबंधन और राजभाषा के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न उपाय किए गए। स्टाफ के बीच ज्ञान प्रसार की मुहिम के एक भाग के रूप में संरचित ई-अध्ययन पाठ्यक्रम लागू किए गए। आरबीआई नीति चुनौती जो एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्द्धा है और जिसका लक्ष्य स्नातक/परा-स्नातक विद्यार्थी होते हैं, के तीसरे संस्करण को वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। भारत सरकार को अंतरित किए जाने वाले अधिशेष के संबंध में बैंक के आर्थिक पूंजी स्तरों में चक्रीयता के प्रभाव को कम करने के लिए एक नियम आधारित सान्तर अधिशेष वितरण नीति (एसएसडीपी) को लागू किया गया। वेब-आधारित लेखापरीक्षा प्रबंधन, जोखिम मूल्यांकन और विश्लेषण प्लेटफार्म नामतः लेखापरीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस) विकसित की जा रही है जो बैंक के भीतर जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में निष्पक्षता और निरंतरता सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही, क्षेत्रीय कार्यालय नीतियों को लागू करने के लिए उद्यम कर रहे हैं ताकि रिजर्व बैंक के स्थापित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

XI.1 यह अध्याय 2017-18 के दौरान विभिन्न विभागों की उपलब्धियों का सारांश प्रस्तुत करता है और 2018-19 के लिए प्राथमिकताओं/कार्ययोजना निर्धारित करता है। यह गवर्नेंस गतिविधियों और नवीन भर्तियों के संदर्भ में मानव संसाधनों को सुदृढ़ बनाने एवं मौजूदा स्टाफ-सदस्यों की कुशलता और ज्ञान को विभिन्न नवोन्मेषी माध्यमों से अद्यतन करने के लिए बाह्य संस्थाओं में प्रशिक्षण सहित रिजर्व बैंक के संस्थानों में प्रशिक्षण देने, अध्ययन छुट्टी और संरचित ई-अध्ययन पाठ्यक्रमों के संबंध में चर्चा करता है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण की रोकथाम के लिए शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाने और बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पोर्टल निर्माण जैसी व्यवस्थाओं से इन उपायों को और अधिक मजबूती प्राप्त हुई।

XI.2 जोखिम के एकीकृत मूल्यांकन और प्रबंधन को विकसित करने के दृष्टिकोण से उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) फ्रेमवर्क को तीन चरणों में लागू करने का कार्य 2017-18 में किया गया। बैंक के प्रत्येक कारोबारी क्षेत्र के लिए जोखिम रजिस्ट्रों को बनाने का कार्य जारी है और इसके पूरा होने पर बैंक की संपूर्ण जोखिम प्रोफाइल उपलब्ध हो जाएगी। यह बैंक में जोखिम सहनशीलता फ्रेमवर्क लागू करने का आधार बनेगा। जुलाई 2017 में लेखापरीक्षा प्रबंधन एवं जोखिम

निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस) में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) मॉड्यूल को प्रारंभ करने के साथ ही लेखापरीक्षा प्रक्रिया का स्वचालन आरंभ हो गया है। सभी लेखापरीक्षाधीन कार्यालयों के लिए आरबीआईए अनुपालन मॉड्यूल अगस्त 2017 में सफलतापूर्वक प्रारंभ (लाइव) हो गया।

XI.3 व्यवधानों के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक आघात सहनीय फ्रेमवर्क के रूप में मजबूत कारोबारी निरंतरता योजना (बीसीपी) स्थापित की गई है। आरबीआईए और नियंत्रित स्व-मूल्यांकन लेखापरीक्षा के जरिए निगरानी करते हुए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (ईडीएमएस) को लागू करने के लिए आवश्यक आधारभूत कार्य किया गया है। राजभाषा अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के अलावा राजभाषा विभाग ने भी विभिन्न प्रशिक्षणों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों का आयोजन किया जबकि परिसर विभाग ने रिजर्व बैंक के इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, रख-रखाव और उन्नयन के लिए अपने प्रयास जारी रखे। संचलनगत मुद्रा की उपलब्धता, आरबीआई द्वारा विनियमित निकायों के पर्यवेक्षण एवं वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय साक्षरता सुनिश्चित करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) केन्द्रीय कार्यालय में निर्मित नीतियों के क्रियान्वयन हेतु प्रयासरत रहे।

गवर्नेन्स ढांचा

XI.4 गवर्नर के साथ केन्द्रीय निदेशक मंडल रिज़र्व बैंक के गवर्नेन्स ढांचे का सर्वोच्च निकाय है। इसमें रिज़र्व बैंक के गवर्नर और उप गवर्नर, सरकारी अधिकारी और केन्द्र सरकार द्वारा नामित अन्य निदेशक आते हैं। देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए चार स्थानीय बोर्ड हैं, जो स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में भारत सरकार (जीओआई) केन्द्रीय बोर्ड और स्थानीय बोर्डों में निदेशकों को नामित/ नियुक्त करती है।

XI.5 केन्द्रीय बोर्ड की सहायता के लिए तीन समितियां होती हैं: केन्द्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी), वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) तथा भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस)। इन समितियों के अध्यक्ष गवर्नर होते हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय बोर्ड में भी चार उप-समितियां होती हैं: लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस), मानव संसाधन प्रबंधन उप-समिति (एचआरएम-एससी), भवन उप-समिति (बीएससी) और सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी)। इन उप-समितियों की अध्यक्षता मुख्यतः बाह्य निदेशक करते हैं।

केन्द्रीय बोर्ड और सीसीबी की बैठकें

XI.6 जुलाई-जून 2017-18 के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की छह बैठकें कोच्चि, मुंबई (तीन बैठकें), गिफ्ट सिटी (गांधीनगर) और नई दिल्ली में सम्पन्न हुईं। भारत के वित्त मंत्री ने 10 फरवरी 2018 को नई दिल्ली में आयोजित बजट-पश्चात बैठक को संबोधित किया।

XI.7 वर्ष के दौरान सीसीबी की 46 बैठकें हुईं जिसमें से 32 बैठकें इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित की गईं। सीसीबी में रिज़र्व बैंक के साप्ताहिक मामलों की विवरणियों को अनुमोदित करने के साथ ही इसके मौजूदा कारोबार पर चर्चा

की गई। सीसीबी बैठकों में बाह्य निदेशकों को बारी-बारी से आमंत्रित किया गया।

XI.8 नए सदस्यों के नामांकन के बाद, पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड और पश्चिमी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड ने वर्ष के दौरान क्रमशः चार और तीन बैठकें आयोजित की। तथापि, विनिदृष्ट संख्या पूरी न होने के कारण उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड और दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड की कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

XI.9 जिन क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड सक्रिय नहीं हैं उनमें शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), मुद्रा प्रबंधन आदि से संबंधित महत्वपूर्ण चिंताओं का हल निकालने के लिए केन्द्रीय बोर्ड की स्थायी समिति 2014-15 में गठित की गई थी। वर्ष के दौरान उत्तरी क्षेत्र की स्थायी समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

निदेशकों की उपस्थिति

XI.10 केन्द्रीय बोर्ड, इसकी समितियों और उप-समितियों की बैठकों में उपस्थित निदेशकों/सदस्यों की प्रतिभागिता संबंधी विवरण अनुबंध में दिए गए हैं।

केन्द्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड : परिवर्तन

XI.11 अपना कार्यकाल समाप्त होने पर श्री एस. एस. मूंदड़ा ने 31 जुलाई 2017 के पूर्वाह्न उप गवर्नर के रूप में अपना प्रभार त्याग दिया। श्री एम. के. जैन ने 22 जून 2018 को उप गवर्नर के रूप में कार्यभार सँभाला। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने पर डॉ. राजीव कुमार, जिन्हें भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(सी) के तहत नामित किया गया था, ने 4 सितंबर 2017 से भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में त्यागपत्र दे दिया।

XI.12 डॉ. नचिकेत एम. मोर को बैंक के पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड में पुनः नियुक्त किया गया और भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 9(1) और 8(1)(बी) के तहत 24 अगस्त

2017 से चार वर्षों के लिए केन्द्रीय बोर्ड में पुनः नामित किया गया।

XI.13 श्री सुभाष चंद्र गर्ग, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(डी) के तहत निदेशक के रूप में 12 जुलाई 2017 से श्री शशिकांत दास के स्थान पर नामित किया गया। श्री राजीव कुमार, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भी भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(डी) के तहत निदेशक के रूप में 12 सितंबर 2017 से श्रीमती अंजली छिब दुग्गल के स्थान पर नामित किया गया।

XI.14 डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती और श्री दिलीप एस. संघवी जो क्रमशः दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र स्थानीय बोर्डों के सदस्य हैं, उन्हें भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(बी) के तहत 01 फरवरी 2018 से केन्द्रीय निदेशक मंडल में निदेशकों के रूप में नामित किया गया। उनके संबंधित कार्यकाल 8 फरवरी 2021 और 10 मार्च 2021 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक विस्तारित रहेंगे। श्री सतीश काशीनाथ मराठे और श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(सी) के तहत 07 अगस्त 2018 से रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशकों के रूप में चार वर्षों की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नामित किया गया है।

कार्यपालक निदेशक – परिवर्तन

XI.15 श्रीमती मीना हेमचंद्रा और श्रीमती दीपाली पंत जोशी, कार्यपालक निदेशक क्रमशः नवंबर 2017 और दिसंबर 2017 के अंत में सेवानिवृत्त हो गए। श्रीमती उमा शंकर और श्री ए.के. मिश्रा क्रमशः 04 दिसंबर 2017 और 01 जनवरी 2018 से परिणामी रिक्तियों के प्रति कार्यपालक निदेशकों के रूप में प्रोन्नत किए गए। श्रीमती सुधा बालाकृष्णन को 17 मई 2018 को बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया

गया। श्री के. के. वोहरा, और श्री ए. के. मिश्रा, कार्यपालक निदेशक क्रमशः 31 मई 2018 और 31 जुलाई 2018 को सेवानिवृत्त हो गए। श्रीमती रोजमैरी सेबैस्टियन और श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम 14 अगस्त 2018 से कार्यपालक निदेशकों के रूप में प्रोन्नत की गईं।

मानव संसाधन संबंधी पहलें

XI.16 मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) एक समर्थक और सुविधा प्रदाता की भूमिका का निर्वाह करता है। यह प्रयास करता है कि रिजर्व बैंक की नीतियों की प्रभावकारिता और साथ ही कार्यदल की कुशलता को ऐसे वातावरण में बढ़ाया जाए जो वैयक्तिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करे और आपसी टीमवर्क से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का लाभ उठाया जा सके।

प्रमुख गतिविधियां

आंतरिक प्रशिक्षण

XI.17 रिजर्व बैंक अपने मानव संसाधन की तकनीकी और व्यावहारिक कुशलताओं को विकसित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कुशलता प्रोन्नयन प्रदान करने का प्रयास करता है। यह कर्मचारियों को वैयक्तिक प्रगति प्रदान करने और कार्यस्थल पर उनकी प्रभावकारिता में सुधार लाने में भी मदद करता है। बैंक के प्रशिक्षण संस्थान, यथा: रिजर्व बैंक स्टाफ-कॉलेज (आरबीएससी), चेन्नई; कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे; और मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नई में चार आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र इसकी प्रशिक्षण संबंधी अपेक्षाएं पूरा करते हैं (सारणी XI.1)।

बाह्य संस्थाओं में प्रशिक्षण

XI.18 वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने भारत में बाह्य संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों में 1041 अधिकारियों को नामित किया। वर्ष के दौरान भारत में बाह्य संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए

सारणी XI.1: रिज़र्व बैंक प्रशिक्षण संस्थान – आयोजित कार्यक्रम

प्रशिक्षण संस्थान	2015-16 (जुलाई-जून)		2016-17 (जुलाई-जून)		2017-18 (जुलाई-जून)	
	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आरबीआई एकेडमी	---	---	9	317 (2)*(18)*	18	620 (24)*
आरबीएससी, चेन्नई	125	2,741 (50)*	129	3,346 (172)*	147	3,583 (281)*
सीएबी, पुणे	198	7,580 (69)*	173	5,788 (56)*	184	6,448 (42)*
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी I)	97	2,055	101	1,934	115	2,271
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी III)	102	2,247	104	2,130	100	2,109
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी IV)	38	807	33	758	36	802

*: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विदेशी प्रतिभागियों के हैं।
#: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कैफरल सहित भारतीय बाह्य संस्थानों से संबंधित प्रतिभागियों के हैं।
---: लागू नहीं।
स्रोत: भारिबैं।

स्टाफ कर्मचारियों को भी नामित किया गया। इसके अलावा, बैंक ने विभिन्न देशों में बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं तथा बहुमुखी संस्थाओं द्वारा आयोजित विविध प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं में 410 अधिकारियों को भाग लेने के लिए नामित किया (सारणी XI.2)।

अध्ययन छुट्टी योजना और स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप

XI.19 वर्ष के दौरान बैंक के चौदह अधिकारियों ने विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए योजनाओं (बैंक की स्वर्ण जयंती योजना के अतिरिक्त) का लाभ लिया। बैंक की प्रोत्साहन योजना के तहत चुनिंदा अंश-कालिक/दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों में कुल 428 कर्मचारियों ने लाभ प्राप्त किया। वर्ष के दौरान बैंक की स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप योजना के तहत आठ अधिकारी

सारणी XI.2: भारत और विदेशों में बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित (बाह्य संस्थान)	विदेशों में प्रशिक्षित
1	2	3
2015 - 16	905	599
2016 - 17	816	506
2017 - 18	1041	410

स्रोत: भारिबैं।

विदेशी ख्याति-प्राप्त विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा का लाभ लेने के लिए चुने गए।

अन्य पहलें

संरचित ई-अध्ययन

XI.20 स्टाफ-सदस्यों के बड़े समूह को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने संरचित ई-अध्ययन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी जिसमें नवीनतर मॉड्यूलों को तैयार किया जाता है और बैंक की अध्ययन प्रबंधन प्रणाली पर होस्ट किया जाता है। बैंक के इंटरनेट पर आरबीएससी, चेन्नई द्वारा 15 ई-अध्ययन मॉड्यूल उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक के अधिकारियों को ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जैसे कि क्षमता विकास के लिए आईएमएफ संस्थान द्वारा पेशकश किया जा रहा पाठ्यक्रम।

XI.21 वर्ष के दौरान बैंक की ग्रीष्मकालीन इंटरनशिप योजना के एक भाग के रूप में 152 विद्यार्थियों को चुना गया और उन्हें बैंक में इंटरनशिप प्रदान की गई।

अनुदान और वृत्तिदान

XI.22 बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक ने इंदिरा गांधी

अनुसंधान विकास संस्थान (आईजीआईडीआर) को ₹320 मिलियन; उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केन्द्र (कैफरल), मुंबई को ₹60 मिलियन; भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी को ₹6.8 मिलियन; राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम), पुणे को ₹15.7 मिलियन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) इंडिया आब्जर्वेटरी और आई. जी. पटेल चेयर को ₹6.95 मिलियन की वित्तीय मदद प्रदान की।

औद्योगिक संबंध

XI.23 वर्ष के दौरान बैंक में मोटे तौर पर औद्योगिक संबंध मधुर बने रहे। रिज़र्व बैंक ने अधिकारियों और कर्मचारियों/स्टाफ-सदस्यों की मान्यता-प्राप्त एसोसिएशनों/फेडरेशनों के साथ सेवा स्थितियों और कर्मचारी कल्याण उपायों के विविध मामलों के संबंध में आवधिक बैठकें करना जारी रखा।

भारतीय रिज़र्व बैंक नीति चुनौती

XI.24 भारतीय रिज़र्व बैंक नीति चुनौती जो एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है, का तीसरा संस्करण अक्टूबर 2017 में प्रारंभ हुआ और इसे तीन चरणों में नामतः क्षेत्रीय, आंचलिक और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में देश भर की शिक्षण संस्थाओं से गुणवत्ता पूर्ण प्रतिभागिता मिली जिससे स्नातक और परा-स्नातक विद्यार्थियों के बीच मौद्रिक नीति निर्माण के संबंध में ज्ञान वृद्धि करने के अपने लक्ष्यपूर्ति में सफलता प्राप्त हुई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (उत्तरी अंचल); भारतीय प्रबंध संस्थान, नागपुर (पश्चिमी अंचल); स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हैदराबाद विश्वविद्यालय (दक्षिणी अंचल) और पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय (पूर्वी अंचल) ने 26 अप्रैल 2018 को केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय निर्णायक मुकाबले हेतु पात्रता हासिल की जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर विजयी हुआ।

सारणी XI.3: 2017* में रिज़र्व बैंक द्वारा की गई भर्ती

भर्ती श्रेणी	श्रेणी-वार संख्या						
	कुल	जिसमें से			कुल का प्रतिशत		
		अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव
1	2	3	4	5	6	7	8
श्रेणी I	212	30	10	62	14.15	4.72	29.25
श्रेणी III	579	107	41	176	18.48	7.08	30.40
श्रेणी IV							
(ए) रखरखाव सहायक	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
(बी) अन्य	10	0	0	2	0.00	0.00	20.00
कुल	801	137	51	240	17.10	6.37	29.96

*: जनवरी से दिसंबर 2017।
स्रोत: भारिबैं।

भर्ती और स्टाफ-संख्या

XI.25 वर्ष 2017 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान रिज़र्व बैंक ने 801 कर्मचारियों की भर्ती की। इनमें से 137 अनुसूचित जातियों (एससी), 51 अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और 240 अन्य पिछड़ा संवर्गों (ओबीसी) से संबंधित है जो कुल मिलाकर कुल की गई भर्तियों का 53.43 प्रतिशत है (सारणी XI.3)।

XI.26 31 दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक की कुल स्टाफ संख्या एक वर्ष पूर्व के 15,461 की तुलना में 14,785 थी। कुल स्टाफ संख्या में से 19.03 प्रतिशत एससी श्रेणी, 6.65 प्रतिशत एसटी श्रेणी और 15.66 प्रतिशत ओबीसी श्रेणी से संबंधित हैं (सारणी XI.4)। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार कुल स्टाफ संख्या 14,184 है।

XI.27 वर्ष 2017 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान प्रबंध-तंत्र और अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बुद्धिस्ट फेडरेशन के बीच चार बैठकें सम्पन्न हुईं ताकि रिज़र्व बैंक की आरक्षण नीति के क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जा सके। ओबीसी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ भी दो बैठकें आयोजित की गईं।

XI.28 रिज़र्व बैंक में दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार भूत-पूर्व सैनिकों की कुल संख्या 900 है। इसमें से श्रेणी I

सारणी XI.4: रिज़र्व बैंक की स्टाफ संख्या*

श्रेणी	कुल संख्या		श्रेणी-वार संख्या						कुल संख्या का प्रतिशत		
	2016	2017	अजा		अजजा		अपिव		अजा	अजजा	अपिव
			2016	2017	2016	2017	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
श्रेणी I	6781	6955	993	1052	408	444	650	850	15.13	6.38	12.22
श्रेणी III	4017	3831	620	572	234	211	848	892	14.93	5.51	23.28
श्रेणी IV	4663	3999	1388	1190	368	328	635	573	29.76	8.20	14.33
कुल	15461	14785	3001	2814	1010	983	2133	2315	19.03	6.65	15.66

*: दिसंबर अंत।

स्रोत: भारिबैं।

में 194, श्रेणी III में 201 और श्रेणी IV में 505 नियुक्त हैं। 31 दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार श्रेणी I, श्रेणी III और श्रेणी IV में दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमशः 182, 74 और 75 है (सारणी XI.5)। वर्ष के दौरान 28 भूत-पूर्व सैनिकों और 14 दिव्यांगों की भर्ती की गई (सारणी XI.6)।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम

XI.29 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए सन् 1998 से एक औपचारिक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गयी है, जिसे 2014-15 में, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निषेध, रोकथाम और निवारण) अधिनियम एवं नियम, 2013 के अनुसरण में नए व्यापक दिशानिर्देश जारी कर उन्हें और मजबूत किया गया

है। इस संबंध में 2017 में एक शिकायत प्राप्त हुई और उसका निराकरण किया गया।

XI.30 वर्ष के दौरान, बैंक में जिन प्रक्रियाओं की व्यवस्था की गई है उनके विषय में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं साथ ही स्टाफ को इन मामलों में संवेदनशील किया गया। नव नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए यौन उत्पीड़न की रोकथाम के विषय में जागरूकता लाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गयीं। इसके अतिरिक्त, बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा नव नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम के दौरान लिंग भेद संवेदनशीलता पर केंद्रित सत्र आयोजित किए गए। आरबीएससी, चेन्नै शिकायत समितियों के सदस्यों के लिए भी लिंग भेद संवेदनशीलता पर कार्यक्रम आयोजित करता

सारणी XI.5: भूत-पूर्व सैनिकों और दिव्यांगों की कुल संख्या*

श्रेणी	कुल संख्या	पीडब्लूडी (दिव्यांग व्यक्ति)					कुल
		भूत-पूर्व सैनिक (ईएसएम)	दृष्टि बाधित (वीआई)	श्रवण बाधित (एचआई)	आर्थोपेडिक दिव्यांग (ओएच)	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	
श्रेणी I	6955	194	28	11	143	182	
श्रेणी III	3831	201	21	5	48	74	
श्रेणी IV	3999	505	4	7	64	75	
Total	14785	900	53	23	255	331	

*: दिसंबर 2017 के अंत की स्थिति।

स्रोत: भारिबैं।

सारणी XI.6: भूत-पूर्व सैनिकों और दिव्यांगों की वर्ष 2017 के दौरान की गई भर्तियां*

श्रेणी	कुल संख्या	भूत-पूर्व सैनिक (ईएसएम)	दिव्यांग (अक्षमता युक्त व्यक्ति)			कुल
			दृष्टि बाधित (वीआई)	श्रवण बाधित (एचआई)	आर्थोपेडिक दिव्यांग (ओएच)	
1	2	3	4	5	6	7
श्रेणी I	13	6	4	1	2	7
श्रेणी III	19	12	4	0	3	7
श्रेणी IV	10	10	0	0	0	0
कुल	42	28	8	1	5	14

स्रोत: भारिबैं।

आया है। आरबीएससी, चेन्नै द्वारा सलाहकारों के लिए भी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

XI.31 वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक को आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना को लेकर 15,425 अनुरोध एवं 1,383 अपील प्राप्त हुईं। वर्ष के दौरान, आरटीआई अधिनियम के विषय में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पोर्टल

XI.32 बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एन्टप्राइज नॉलेज पोर्टल (ईकेपी) के हिस्से के रूप में एक पोर्टल 1 जनवरी 2018 से खोला गया था ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बैंक की उन गतिविधियों के संपर्क में रहने में आसानी हो सके जिसका उन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता हो।

मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति (सीएफओ)

XI.33 बैंक द्वारा एक मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) की नियुक्ति की गई जिनके द्वारा उन विभागों के कार्यों की निगरानी की जाएगी जिनका सरोकार सरकारी लेनदेन एवं राजस्व संग्रहण, बजट निरूपण, सूचना संग्रहण और बजट अनुमान के मुकाबले बैंक के वास्तविक कार्य-निष्पादन की तुलना के साथ ही वित्तीय जोखिमों का सामना/ को कम करने के लिए कार्यनीति बनाने से है। सीएफओ बैंक की सटीक वित्तीय जानकारी एवं नियत समय पर प्रस्तुतिकरण तथा रिपोर्टिंग के लिए भी उत्तरदायी होगा। सीएफओ, निर्धारित लेखांकन नीतियों व पद्धतियों के अतिरिक्त वित्तीय विनियमनों एवं मानकों के अनुपालन की जांच करेगा।

2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

XI.34 सोशल मीडिया द्वारा निभाई जा रही अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए, स्टाफ सदस्यों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर एक उपयुक्त नीति बनाई गई है।

XI.35 खेल को लेकर विज्ञान दस्तावेज लागू करने के लिहाज से शुरू की गई पहल के रूप में उत्कृष्टता के दायरे में

रहने वाले खिलाड़ियों के मार्गदर्शन के लिए मेन्टर्स उपलब्ध कराए गए।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

XI.36 चुनिंदा ग्रेड में अधिकारियों के लिए करियर के दौरान अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने पर विचार किया गया है। उत्तराधिकार योजना के संबंध में सुस्पष्ट योजना भी बनाई जा रही है।

रिज़र्व बैंक में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम)

XI.37 रिज़र्व बैंक को पेश आ रहे जोखिमों के संबंध में उसकी स्पष्ट जोखिम नीतियों के अनुसार एकीकृत आकलन एवं प्रबंधन विकसित करने के लिए फरवरी 2012 में एक उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंध (ईआरएम) फ्रेमवर्क अपनाया गया था, जो यह दर्शाता है कि रिज़र्व बैंक में जोखिम प्रबंधन 'संकेन्द्रित दृष्टिकोण' (साइलो आधार) से हटकर 'समग्र कारोबारी नज़रिया' अपनाने की ओर अग्रसर है।

2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

बैंक की सान्तर अधिशेष वितरण नीति (एसएसडीपी) का विकास

XI.38 रिज़र्व बैंक की आर्थिक पूंजी (ईसी) के स्तरों के ऐतिहासिक विश्लेषण के अनुसार बाज़ार पर असर डालने वाले कारकों में उतार-चढ़ाव की वजह से बैंक के ईसी में साफ़ तौर पर चक्रीय रुझान दिखता है। मूल्यन बफर में उतार-चढ़ाव न केवल बाज़ार के गति सिद्धान्तों बल्कि बैंक की लोक नीति के उद्देश्यों की वजह से भी है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, काफी मात्रा में खुली विदेशी मुद्रा स्थिति बनाए रखने की अनिवार्यता को दर्शाता है। अतः, चक्रीयता (साइक्लिकैलिटी) को कम करने की दृष्टि से, प्रावधानीकरण आवश्यकता और फलस्वरूप भारत सरकार को अंतरण करने योग्य उपलब्ध अधिशेष निर्धारित करने के लिए नियम-आधारित कार्यपद्धति लागू करते हुए एक वैकल्पिक नियम आधारित दृष्टिकोण, अर्थात्, सान्तर अधिशेष वितरण नीति (एसएसडीपी) बनाई गई है (बॉक्स XI.1)।

बॉक्स XI.1

केंद्रीय बैंकों में अधिशेष सवितरण नीति : एक विहंगावलोकन

यह लोक हित में है कि केंद्रीय बैंक अत्यधिक कठिनाइयों के समय में भी अपने लोक हित के कार्यों को प्रभावशाली रूप से जारी रखे। इसलिए, केंद्रीय बैंक को अपनी वित्तीय ताकत को लेकर न्यूनतम स्तर का आत्मविश्वास होना चाहिए और संसाधन अपने अधिकार में होने चाहिए जिससे वह संकट काल में भी अपने कार्यों का निर्वाह प्रभावशाली तरीके से कर सके। केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई गई अधिशेष वितरण नीति महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है जो उसकी वित्तीय ताकत निर्धारित कर सकती है।

अधिशेष वितरण निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक

अधिशेष वितरण को लेकर विभिन्न केंद्रीय बैंकों में समान दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता, वह भी उनके भिन्न-भिन्न राजनीतिक और आर्थिक परिवेश को देखते हुए जिसके अंतर्गत वे कार्य करते हैं। अन्य कारक जो अलग-अलग वितरण नीतियों की आवश्यकता पर जोर देते हैं, वह हैं केंद्रीय बैंकों के जोखिम एक्सपोजर के विभिन्न स्तरों के साथ-साथ केंद्रीय बैंक और उनके हितधारकों के बीच जोखिम अंतरण प्रक्रियाओं की उपलब्धता। संकट के दौरान यदि किसी विशिष्ट हितधारक की आय भी दबावग्रस्त हो जाती है तो जोखिम अंतरण प्रक्रिया इस लिहाज से भी उतनी प्रभावशाली नहीं होगी।

अधिशेष अंतरण को लेकर अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोण

सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध जानकारी की संवीक्षा करने पर केंद्रीय बैंकों की अधिशेष वितरण नीति के बहुराष्ट्रीय विश्लेषण से पता चलता है कि केंद्रीय

बैंकों को अधिशेष वितरण के संबंध में मुख्य रूप से निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

- ए) अधिशेष प्रतिधारण, हासिल किए जाने वाले प्रावधानों के लक्ष्यित स्तर पर आधारित है। कुछ केंद्रीय बैंक लक्ष्य पूरा नहीं होने के स्थिति में प्रावधानों के लक्ष्यित स्तर पर आधारित त्वरित अधिशेष प्रतिधारण का भी अनुसरण करते हैं।
- बी) चालू वर्ष के अधिशेष के साथ जोड़े गए संख्यात्मक नियम पर आधारित अधिशेष का प्रतिधारण।
- सी) अधिशेष को आसान करना जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि नियमित अधिशेष सरकार को अंतरित किए जाएं और केंद्रीय बैंक की प्रावधानित राशियों की चक्रीयता द्वारा का अधिशेष अंतरण पर प्रभावित न हो।

अधिशेष वितरण नीति की वांछित विशेषताएं

केंद्रीय बैंक की प्रावधानीकरण आवश्यकताओं को, हासिल किए जाने वाले/बरकरार रखे जाने वाले वित्तीय लचीलेपन के लक्ष्यित स्तर के साथ जोड़ा जाना चाहिए। केंद्रीय बैंकों के मामले में, प्रावधानित राशियों के समग्र स्तर एवं जोखिम अंतरण व्यवस्थाओं पर विचार किए बगैर वितरण व्यवस्थाओं की वजह से निरंतर भारी अंतरण होते रहने पर केंद्रीय बैंक की वित्तीय ताकत उत्तरोत्तर रूप से कमजोर हो सकती है। इसके साथ ही, यदि कोई केंद्रीय बैंक अपने तुलन-पत्र में अप्राप्त मूल्यांकन अभिलाभ बनाए रखता है, तो इसे मुख्यतः वितरण-योग्य नहीं माना जाता है। वितरण नीति ऐसी होनी चाहिए कि उससे सरकार को अधिशेष अंतरण सुगमता-पूर्वक हो सके।

जोखिम रजिस्ट्रों को पूरा करना

XI.39 जोखिम रजिस्टर (आरआर) किसी कारोबारी क्षेत्र (बीए) के कार्य में अंतर्निहित सभी प्रक्रियाओं/ उप-प्रक्रियाओं के साथ-साथ उसके अभिज्ञेय जोखिमों की व्यापक इन्वेन्टरी है। बैंक के प्रत्येक कारोबारी क्षेत्र के लिए आरआर की तैयारी लगभग हो चुकी है और उसे पूरा करते ही समग्र बैंक के लिए जोखिम प्रोफाइल संयुक्त रूप उपलब्ध करायी जाएगी। इससे बैंक के लिए जोखिम सहनशीलता फ्रेमवर्क लागू किया जा सकेगा। चूंकि आरबीआईए अब लेखापरीक्षा प्रबंधन एवं जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस) के जरिए आरआर का उपयोग करते हुए किये जा रहे हैं, इससे परिचालन जोखिम हेतु इसकी जोखिम आकलन कार्यप्रणाली के माध्यम से आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य और जोखिम निगरानी कार्य के साथ जोखिम आकलन और अधिक समाभिरूप हो गया है।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

जोखिम सहनशीलता फ्रेमवर्क लागू करना

XI.40 जोखिम सहनशीलता फ्रेमवर्क (आरटीएफ) के चार प्रमुख घटक इस प्रकार हैं : ए) जोखिम सहनशीलता विवरण को सुस्पष्ट करना, बी) जोखिम सहनशीलता सीमाओं की समीक्षा करना, सी) एकीकृत जोखिम रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन एवं डी) आरटीएफ के अंतर्गत कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की समीक्षा करना।

XI.41 जोखिम सहनशीलता विवरण के रूप में बैंक के जोखिम सिद्धान्त को सुस्पष्ट किया गया है। अन्य तीन घटकों को एक सतत, व्यापक और एकीकृत जोखिम फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए लागू किया जा रहा है।

बड़े और महत्वपूर्ण जोखिमों को कम करने के लिए कार्य योजना

XI.42 विभाग अन्य कारोबारी क्षेत्रों के साथ मिलकर अपने-अपने जोखिम रजिस्ट्रों में बड़े और महत्वपूर्ण जोखिम को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर कार्य कर रहा है। वर्ष के दौरान कम्प्यूटराइज्ड वेब-आधारित जांच सॉफ्टवेयर के निर्माण का जो कार्य चल रहा है उससे यह प्रक्रिया और मजबूत होगी।

रिज़र्व बैंक में

आंतरिक लेखापरीक्षा/ निरीक्षण

XI.43 रिज़र्व बैंक के निरीक्षण विभाग द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा/ निरीक्षण से शीर्ष प्रबंधन एवं केंद्रीय बोर्ड को जोखिम आश्वासन प्राप्त होता है। ये निरीक्षण जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं जिसमें आंतरिक नियंत्रण एवं गवर्नेन्स प्रक्रियाओं की जांच की जाती है। निरीक्षण विभाग केंद्रीय बोर्ड की लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस) के साथ-साथ आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य का निरीक्षण करने वाली कार्यपालक निदेशकों की समिति (ईडीसी) का सचिवालय भी है।

2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

XI.44 एमआरएमएस में आरबीआईए मॉड्यूल को लागू करने के साथ ही जुलाई 2017 में लेखापरीक्षा प्रक्रिया का स्वचालन प्रारंभ हुआ जो भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी कार्यालयों में सफलतापूर्वक चल रहा है। सभी लेखापरीक्षित कार्यालयों के लिए आरबीआईए अनुपालन मॉड्यूल सफलतापूर्वक लागू किया गया जो अगस्त 2017 में लाइव हुआ। आरबीआईए प्रक्रिया के स्वचालन से जोखिम आकलन कार्यप्रणाली – परिचालन जोखिम (आरएम-ओआर) एवं काफी हद तक निरीक्षण विभाग की कार्यप्रणाली के अनुसार जोखिम की रेटिंग में समाभिरूपता में मदद मिली। वर्ष के दौरान, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिमी क्षेत्र में सभी लेखापरीक्षित कार्यालयों में उपयोगकर्ता प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

XI.45 संवेदनशीलता आकलन एवं भेद्यता परीक्षण (वीए-पीटी) की लेखापरीक्षा रिपोर्ट/ डेटा सेन्टर व सीबीएस एप्लीकेशन (ई-ट्रेजरी मॉड्यूल सहित) की तकनीकी लेखापरीक्षा जो 2016 में सम्पन्न हुई थी वह समाप्त कर दी गई और इसकी अनुपालन लेखापरीक्षा की गई ताकि लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के संबंध में कारोबारी स्वामित्व वाले विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की निरंतरता की जांच की जा सके (बॉक्स XI.2)।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

XI.46 एमआरएमएस एप्लीकेशन के आरबीआईए मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद, समवर्ती लेखापरीक्षा (सीए) एवं स्व-नियंत्रण मूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए) से संबंधित अन्य दो प्रमुख व्यावहारिकताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी कार्यालयों में कार्यान्वित किया जाएगा। चुनिंदा महत्वपूर्ण आईटी एप्लीकेशन्स की वीएपीटी/ तकनीकी लेखापरीक्षा भी आवश्यकतानुसार की जाएगी।

कॉर्पोरेट कार्यनीति और

बजट प्रबंधन

XI.47 कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) बैंक के लिए समन्वयन का कार्य करता है एवं कार्यनीति और वार्षिक कार्य योजना बनाता है। तत्पश्चात, प्रत्येक तिमाही के अंत में कार्य बिन्दुओं की पूर्णता की स्थिति का आकलन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य समयबद्ध रूप से पूरा किया गया। विभाग रिज़र्व बैंक का वार्षिक बजट भी बनाता है जिसके लिए प्राथमिकताओं और समय-सीमाओं के संदर्भ में बिजनेस यूनिट्स की वार्षिक कार्य योजनाओं को ध्यान में रखते हुए गतिविधि के आधार पर बजट निर्धारित किया जाता है। बिजनेस यूनिट्स द्वारा किए गए व्यय की भी प्रत्येक तिमाही में समीक्षा की जाती है ताकि बजट अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके।

XI.48 यह विभाग कारोबारी निरंतरता योजनाओं (बीसीपी) के जरिए कारोबारी व्यवधानों को रोकने की जिम्मेदारी का भी निर्वाह करता है। विभाग ने एक मजबूत बीसीपी का निर्माण कर उसे लागू किया है ताकि व्यवधानों को रोकने के लिए एक लचीला फ्रेमवर्क बनाया जा सके।

बॉक्स XI.2

बैंक में महत्वपूर्ण आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर का संवेदनशीलता आकलन एवं भेद्यता परीक्षण (वीए-पीटी)

आईटी के संबंध में जोखिम आश्वासन देने के लिए निरीक्षण विभाग बैंक में सूचना प्रणाली के क्षेत्र में दो प्रकार की लेखापरीक्षा करता है। पहला, आरबीआईए फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में आंतरिक संसाधनों द्वारा सूचना प्रणालियों (आईएस) की लेखापरीक्षा की जाती है ताकि बैंक की आईएस नीति के अनुसार सूचना प्रणालियों में जोखिम नियंत्रण उपायों का मूल्यांकन किया जा सके। आईएस लेखापरीक्षा का दायरा आईटी प्रणालियों में प्रायः लेखापरीक्षा टिप्पणियों तक सीमित होती है और इसमें नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम्स (ओएस), डेटाबेस या एप्लीकेशन अनुप्रयोगों (फंक्शनैलिटीज़) के संदर्भ में विभिन्न संवेदनशीलताओं की विस्तार से समीक्षा नहीं की जाती है।

दूसरे, बाद वाले मामलों को हल करने के लिए विभाग द्वारा संवेदनशीलता आकलन एवं भेद्यता परीक्षण (वीए-पीटी) और आईटी एप्लीकेशन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेस, नेटवर्क रिसोर्सस आदि की तकनीकी लेखापरीक्षा भी की जाती है ताकि बैंक में चल रही इन प्रणालियों का पूर्ण संवेदनशीलता विश्लेषण किया जा सके। वीए-पीटी उन विद्यमान संवेदनशीलताओं का पता लगाता है जिनका दुरुपयोग करके बाहरी या भीतरी घुसपैठिये(हैकर्स) बैंक की आईटी आस्तियों को क्षति पहुंचा सकते हैं। भेद्यता परीक्षण प्रणाली में संवेदनशीलताओं के दुरुपयोग को अज्ञातता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अप्राधिकृत पहुंच या अन्य दुर्भावनापूर्ण गतिविधि संभव है और ऐसी त्रुटियों का पता लगाता है जिनसे एप्लीकेशन को खतरा हो सकता है। भेद्यता परीक्षण ऐसी त्रुटियों का पता लगाता है जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है और ऐसी त्रुटियों/ अतिक्रमणों की तीव्रता को नापता है।

यह परीक्षण परिचालनों/ प्रणालियों की गंभीरता/ महत्ता पर विचार करते हुए या तो केंद्रीय बोर्ड/ लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस)/ सूचना प्रौद्योगिकी उप समिति (आईटीएससी) / शीर्ष प्रबंध के निर्देशों अथवा कारोबारी स्वामित्व वाले विभाग/उपयोगकर्ता विभाग/ सूचना

प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी), केंद्रीय कार्यालय से प्राप्त अनुरोध या विभाग की आवश्यकता के मुताबिक किया जाता है।

बैंक सामान्यतः वीए-पीटी का कार्य उसकी सूची में शामिल (सूचीबद्ध सीईआरटी-इन) लेखापरीक्षा फर्मों में से किसी बाह्य लेखापरीक्षा फर्म को आउटसोर्स करता है ताकि संवेदनशीलताओं का पता लगाया जा सके और उसका वर्गीकरण किया जा सके। ऐसा करने से बैंक के आईटी सुरक्षा दल को गंभीर संवेदनशीलताओं को कम करने के संबंध में ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है।

नेटवर्क रिसोर्सस, ओएस एवं डेटा सेन्टर के डेटाबेस का वीए-पीटी पहले ही किया जा चुका था। इस प्रयोग के जरिए नेटवर्क सुरक्षा, फिज़िकल व लाजिकल एक्सेस कंट्रोल, सर्वर, ओएस एवं डेटाबेस सुरक्षा के संदर्भ में आरबीआई में आईएस सुरक्षा के संपूर्ण स्वास्थ्य को आंका जाता है। महत्वपूर्ण एप्लीकेशन्स की संवेदनशीलताओं का पता लगाने एवं उसका समाधान करने से बैंक को आईटी के संबंध में जोखिम आश्वासन प्राप्त होता है।

2016-17 के दौरान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एवं एनजी-आरटीजीएस सिस्टम का वीए-पीटी भी किया गया था ताकि इन दोनों सिस्टम्स से जुड़ी संवेदनशीलताओं, यदि कोई हैं, का पता लगाया जा सके एवं उसका समाधान किया जा सके।

वीए-पीटी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट/ डेटा सेन्टर की तकनीकी लेखापरीक्षा के समापन के बाद इसकी अनुपालन लेखापरीक्षा मई 2018 में की गई ताकि अनुपालन की गुणवत्ता, पर्याप्तता एवं उसकी निरंतरता का आकलन किया जा सके तथा आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

2018-19 के दौरान, विभाग द्वारा आवश्यक आईटी आस्तियों का वीए-पीटी जारी रखा जाएगा जिसमें बैंक के महत्वपूर्ण आईटी एप्लीकेशन्स, ओएस, डेटाबेस, नेटवर्क रिसोर्सस, आदि शामिल हैं।

2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

XI.49 विभाग ने सभी लेखा यूनितों के गतिविधि आधारित बजटों के कार्यान्वयन की निष्ठापूर्वक जांच की है। विभाग ने बैंक की कारोबारी निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) नीति तैयार की है, जिसे केंद्रीय बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा प्रत्येक केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी), क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों (टीई) के संबंधित बिजनेस यूनितों के साथ परामर्श करके उनके लिए बीसीपी को अंतिम

रूप दिया जा रहा है। विभाग ने आईजीआईडीआर, कैफरल, एनआईबीएम और आईआईबीएम जैसी बाह्य वित्तपोषित संस्थाओं (ईएफआई) के प्रबंधन मंडलों एवं उनकी उप-समितियों की बैठकें आयोजित करने के अलावा एनआईबीएम के प्रबंधन मंडल के पुनर्गठन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने आईआईबीएम, आईजीआईडीआर एवं कैफरल के लिए समीक्षा समितियों की बैठकों में मदद की एवं रिपोर्ट तैयार की जिसका गठन उनके कार्यनिष्पादन का

आकलन करने एवं भावी योजना बनाने के लिए किया गया था। इन समितियों की रिपोर्टों की जांच की जा रही है। वर्ष के दौरान, गंगटोक, अगरतला एवं शिलांग में स्थित कार्यालयों को अपग्रेड करते हुए अलग लेखा यूनिट बनाए गए।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

XI.50 आगामी वर्ष के लिए विभाग की कार्यसूची में कार्य एवं बजट दोनों के संदर्भ में सीओडी के रणनीतिक कार्य बिंदुओं और उनके बजटों के बीच लिंकेज स्थापित करना, लक्ष्यों और प्राप्त वास्तविक लक्ष्यों के बीच की दूरी को कम करने के लिए नियंत्रण कार्य विकसित करना शामिल हैं। इस दिशा में, वर्ष के दौरान बैंक का मध्यावधि विज्ञान वक्तव्य तैयार किया जाएगा। बैंक में बीसीएम को सुदृढ़ करने के लिए, विभिन्न संकटकालीन स्थितियों से प्राप्त जानकारियों का एक निक्षेपागार तैयार किया जाएगा और उससे मिलने वाली महत्वपूर्ण सीख को सभी जोखिमधारकों में प्रसारित किया जाएगा ताकि बीसीएम को और बेहतर किया जा सके।

कॉर्पोरेट सेवाएं

2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

XI.51 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (ईडीएमएस) परियोजना के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक नींव रखी जा चुकी है ताकि जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा एवं स्व-नियंत्रण मूल्यांकन लेखापरीक्षा के जरिए बेहतर निगरानी करते हुए अभिलेख प्रबंध नीति (आरएमपी) के अनुसार अनुपालन को सुदृढ़ किया/ मजबूत बनाया जा सके। अभिलेखों की परिरक्षण अवधि के संबंध में वर्तमान नियमों के अनुसार पुराने अभिलेखों की छंटनी की जा रही है। अभिलेखों की परिरक्षण अवधियों की भी समीक्षा की जा रही है। विभाग द्वारा आरबीआई पुरालेख के साथ समन्वय किया जा रहा है ताकि अभिलेख प्रबंध नीति की समीक्षा की जा सके।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

XI.52 ईडीएमएस परियोजना के संबंध में, अभिलेखों की परिरक्षण अवधि के साथ-साथ परिरक्षित किए जाने वाले अभिलेखों के बारे में नीतिगत उपाय स्पष्ट किए जाएंगे।

राजभाषा

XI.53 रिजर्व बैंक ने राजभाषा अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा ताकि 2017-18 के दौरान अपने कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जा सके।

2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

XI.54 वर्ष के दौरान 80 स्टाफ-सदस्यों ने प्राज्ञ¹ और 230 ने पारंगत² परीक्षा उत्तीर्ण की। कम्प्यूटरों पर हिंदी कार्य के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए स्टाफ-सदस्यों को कम्प्यूटरों पर हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। टिप्पण और पत्राचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए बैंक में 151 कार्यशालाएं (मार्च 2018 तक) आयोजित की गयीं जिसमें केन्द्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी) और क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर आयोजित की गई वरिष्ठ अधिकारियों हेतु हिंदी कार्यशालाएं शामिल हैं। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों व सीओडी में 'हिंदी पखवाड़ा' मनाया गया और कई हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं।

XI.55 क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी सीखने के लिए गुजराती और मराठी में शिक्षण सामग्री तैयार की गयी। ऐसी सामग्री क्षेत्र 'ग' की आठ अन्य भाषाओं (तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, ओड़िया, बांग्ला, असमी एवं कोंकणी) के लिए पहले ही तैयार की जा चुकी है। इसके अलावा, क्षेत्र 'ग' में स्थानांतरित अधिकारियों के लिए हिंदी माध्यम से क्षेत्रीय भाषा (बांग्ला, कन्नड़, ओड़िया, तमिल, तेलुगु और मलयालम) सीखने के लिए भी शिक्षण सामग्री तैयार की गयी ताकि उन्हें स्थानीय भाषाओं में बात करने में आसानी हो सके। राजभाषा अधिकारियों के लिए 13-15 अप्रैल 2018 के दौरान एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।

¹ यह परीक्षा उनके लिए आयोजित की गई थी जिनको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है।

² हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए उच्चतम परीक्षा।

प्रशिक्षण

XI.56 राजभाषा अधिकारियों को प्रबंधन विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था ताकि वे अपनी दक्षता में वृद्धि कर सकें। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक स्टाफ कॉलेज, चेन्नै में विधिक दस्तावेजों, वित्तीय एवं बैंकिंग शब्दावलिओं के अनुवाद से संबंधित एक अनुवाद कार्यशाला आयोजित की गयी।

XI.57 वर्ष के दौरान, 'बैंकिंग कल, आज और कल' शीर्षक से एक हिंदी पुस्तक प्रकाशित की गयी थी। बैंक की हिंदी पत्रिका *बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन* को एसोसिएशन आफ बिजनेस कम्यूनिकेटर्स आफ इंडिया (एबीसीआई) से रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ। बैंक के सांविधिक प्रकाशनों, अर्थात्, *वार्षिक रिपोर्ट* और *भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति की रिपोर्ट*, *वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट*, *सामाहिक सांख्यिकीय संपूरक* तथा *भारतीय रिज़र्व बैंक के मासिक बुलेटिन* को भी द्विभाषिक रूप में प्रकाशित किया गया और बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया। *राजभाषा समाचार* उसके ई-वर्शन के साथ एवं बैंक में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को दर्शाते हुए *राजभाषा की वार्षिक रिपोर्ट* प्रकाशित की गयी।

प्रोत्साहन

XI.58 अकादमिक क्षेत्र में बैंकिंग विषय पर हिंदी में उत्कृष्ट पुस्तक लेखन हेतु प्रोत्साहन योजना चलन में है ताकि लेखकों का उत्साहवर्द्धन किया जा सके, इसकी पुरस्कार राशि ₹1.25 लाख (एक लाख पच्चीस हजार रुपए मात्र) है। वर्ष के दौरान एक अखिल भारतीय हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता और सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के लिए हिंदी/द्विभाषी गृह पत्रिका प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

संसदीय समिति का दौरा

XI.59 संसदीय राजभाषा समिति (तीसरी उप-समिति) ने 12 फरवरी 2018 को रिज़र्व बैंक के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय

का दौरा किया ताकि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति का निरीक्षण और समीक्षा की जा सके। उप-समिति ने बैंक में हिंदी के प्रयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए सुझाव दिए और यह भी कहा कि बैंक के कामकाज के सभी क्षेत्रों में राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु गहन प्रयास किए जाएं।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

XI.60 भारत सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक कार्यक्रम की अपेक्षाओं और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा उठाए गए मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में 2018-19 के लिए एक वार्षिक कार्य योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, राजभाषा रिपोर्टिंग की नई प्रणाली के सभी मॉड्यूलों को क्रियान्वित करना 2018-19 का एक और मुख्य एजेंडा है।

परिसर विभाग

XI.61 रिज़र्व बैंक के भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, रखरखाव और उन्नयन करना परिसर विभाग के कार्यक्षेत्र में आता है। 2017-18 के दौरान नई गतिविधियों के प्रारंभ होने के साथ ही इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य सम्पन्न हुए।

2017-18 की कार्ययोजना : कार्यान्वयन स्थिति

XI.62 वर्ष के दौरान परिसर विभाग ने दो केन्द्रों पर कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी जहां रिज़र्व बैंक किराए के परिसरों से कार्य कर रहा था। सामान्य सुविधाओं सहित अधिकारियों के क्वार्टर्स का निर्माण कार्य एक केन्द्र पर आंशिक रूप से अधिगृहीत किया गया है और एक अन्य केन्द्र पर पूर्ण हो चुका है। कैफरल (सीएफएआरएएल) के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं और आवासीय क्वार्टर्स का निर्माण कार्य चार केन्द्रों पर प्रारंभ हो गया है।

XI.63 विभाग का एक अन्य प्रमुख कार्यक्षेत्र बैंक के सभी परिसरों में सौर ऊर्जा के रूप में अक्षय ऊर्जा का उपयोग करना है। ग्रिड के साथ जोड़े जाने योग्य सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधाओं को विभिन्न परिसरों में क्षमता वृद्धि के लिए स्थापित किया गया है और कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता 972 केडब्लूपी के स्तर पर पहुंच गई है। जल संरक्षण और इसके प्रभावी उपयोग के लिए बैंक के विविध परिसरों में वर्षा जल संचयन संयंत्र लगाए गए हैं।

XI.64 ई-गवर्नेस को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुरूप ई-टेंडर प्रक्रिया पिछले वर्ष प्रारंभ कर दी गई थी जो वर्ष के दौरान स्थापित हो गई है। वर्ष 2017-18 के दौरान विभाग ने बैंक में परिधिक सुरक्षा को मजबूत किया है और इसके लिए अधुनातन इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित सीसीटीवी (आईपीसीसीटीवी) प्रणाली 20 कार्यालयों में प्रारंभ कर दी है और केन्द्रीय कार्यालय भवन, मुंबई में भी एकीकृत सुरक्षा प्रणाली (आईएसएस) संस्थापित कर दी है। आईएसएस विभिन्न मौजूदा और नयी भौतिक सुरक्षा प्रणालियों जैसे कि अग्नि चेतावनी प्रणाली, एक्स-रे सामान स्कैनर, क्रैश रेटेड बैरियर, लिफ्ट निगरानी प्रणाली और आईपीसीसीटीवी के साथ सीडियों पर दबाव चिह्न प्रणाली को आपस में जोड़ता करता है।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

XI.65 दो केंद्रों पर कार्यालय भवनों के लिए और आवासीय उद्देश्यों के लिए जमीन अधिग्रहण संबंधी औपचारिकताएं चल रही हैं। तीन केंद्रों पर कार्यालय भवनों का निर्माण और एक अन्य केंद्र पर आवासीय कॉलोनी का निर्माण 2018-19 के दौरान प्रारंभ होने की आशा है। चार अन्य केंद्रों पर भी आवासीय कॉलोनियों की योजना बनाई गई है। एक अवकाश गृह तथा आवासीय कॉलोनी का पुनः निर्माण करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान सभी परिसरों में पानी और बिजली के और अधिक संरक्षण के लिए हरित पहल के रूप में योजना बनाई गई है।

क्षेत्रीय कार्यालय

XI.66 रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय अग्रगामी एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं और बैंक के विविध उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। यद्यपि नीति निर्माण की भूमिका मुख्यतया मुंबई स्थित बैंक के केंद्रीय कार्यालय में सीमित है तथापि 31 क्षेत्रीय कार्यालय और उप कार्यालय देश-भर में इन नीतियों को लागू करने में लगे रहते हैं। करेंसी की उपलब्धता और गुणवत्ता और सिक्कों का परिचालन सुनिश्चित करना; निर्धारित वाणिज्यिक बैंकों, यूसीबी और एनबीएफसी जैसी विनियमित संस्थाओं का पर्यवेक्षण करना, वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करना और शिकायत निवारण प्रणाली का प्रबंधन करना बैंक के किसी क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्य दायित्व होता है। ग्रेड 'एफ' रैंक के किसी अधिकारी को सामान्य रूप से क्षेत्रीय कार्यालय में प्रभारी बनाया जाता है और उसे क्षेत्रीय निदेशक के रूप में पद नामित किया जाता है। विभिन्न ग्रेड के स्टाफ सदस्यों की टीम आरडी की मदद के लिए होती है। कुछ छोटे क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्रेड 'ई' अधिकारी को प्रमुख बनाया गया है और उसे प्रभारी अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

XI.67 मई 2015 से रिजर्व बैंक के कार्यालयों को तीन स्तरों में श्रेणीकृत किया गया है (श्रेणी I- मेट्रो शहर, श्रेणी II- गैर मेट्रो शहर और श्रेणी III -छोटे कार्यालय)। श्रेणी I और II कार्यालयों के विभागों को संगठित कर चार क्लस्टरों में बांटा गया है : (i) पर्यवेक्षण, बाजार आसूचना और अनुसंधान; (ii) मुद्रा और बैंकिंग सेवाएं; (iii) वित्तीय समावेशन और ग्राहक सेवा और (iv) एचआरएम और इन्फ्रास्ट्रक्चर जबकि श्रेणी III के कार्यालयों के विभागों को तीन क्लस्टरों में संगठित किया गया है (i) पर्यवेक्षण और बाजार आसूचना; (ii) वित्तीय समावेशन/ वित्तीय साक्षरता, जन जागरूकता, ग्राहक सेवा, अनुसंधान और (iii) मानव संसाधन विकास और इन्फ्रास्ट्रक्चर। कार्यालयों में बाजार आसूचना यूनिटों/ कक्षों को भी स्थापित किया गया है ताकि वित्तीय क्षेत्र में उभरने वाले नए रुझानों की पहचान की जा सके और वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली

कुप्रथाओं के संबंध में पूर्व चेतावनी प्राप्त कर बैंक की मदद की जा सके और इन गतिविधियों से उत्पन्न खतरों को भांपा जा सके जिनसे जनता को नुकसान पहुंचता है।

XI.68 क्षेत्रीय कार्यालयों के कुछ मुख्य कार्य नीचे दिए गए हैं:-

- ए) क्षेत्रीय कार्यालय में बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग राज्य में मौजूद बैंकों के मुख्यालय का ऑन-साइट निरीक्षण करने और बैंक शाखाओं की करने के लिए उत्तरदायी है। विभाग के अधिकारी भी नियमित रूप से बैंक शाखाओं का 'औचक दौरा' करते हैं ताकि सामान्य बैंकिंग सेवाएं, मुद्रा प्रबंधन, फोरेक्स और सरकारी कारोबार के क्षेत्र में बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के स्तर का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सके।
- बी) क्षेत्रीय कार्यालयों में वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआईडीडी) मुख्यतया राज्य में अग्रणी बैंक योजना के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए उत्तरदायी है। यह विभाग एफआईडीडी, केंद्रीय कार्यालय द्वारा बैंकों को जारी किए गए विविध अनुदेशों और दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है।
- सी) क्षेत्रीय कार्यालयों में गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) अपने संबंधित राज्य में अंतर-एजेंसी राज्य स्तरीय समन्वय समिति की तिमाही बैठकें आयोजित करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अतिरिक्त यह विभाग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए निवेशक जागरूकता अभियानों को भी आयोजित करता है और साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भी भाग लेता है। जागरूकता अभियानों का उद्देश्य आम जनता में प्रचलित झूठी ई-मेलों और एसएमएस के विषय में उन्हें शिक्षित करना होता है जो 'अनैतिक निकायों द्वारा राशियों को अवैध रूप से जुटाने', 'विदेशों से सस्ती निधि की आपूर्ति की पेशकश करने' आदि से संबंधित होते हैं। इसके अतिरिक्त, यह

विभाग पुलिस प्राधिकारियों और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लू) को संकाय सहायता भी प्रदान करता है ताकि अनैतिक निकायों द्वारा निधियों को अवैध रूप से जुटाने के संबंध में वित्तीय जागरूकता फैलाई जा सके।

- डी) क्षेत्रीय कार्यालयों में निर्गम विभाग अपने निर्गम क्षेत्र में करेंसी की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता का प्रबंध करने में सहायता देता है। यह विभाग करेंसी की मुख्य विशेषताओं, नोट वापसी नियमावली और जाली भारतीय करेंसी नोट के संबंध में आम जनता, बैंकरों और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सूचना प्रसारण करने के प्रयासों हेतु अग्रसक्रिय उपाय भी करता है और इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है अथवा इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए अन्य संस्थाओं में पेशेवरों को नामित भी करता है।
- ई) क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्राहक शिक्षा और संरक्षण कक्ष (सीईपीसी) रिजर्व बैंक और क्षेत्रीय स्तर पर रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित निकायों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में कमी के संबंध में शिकायत निवारण प्रणाली परिचालित करता है।
- एफ) क्षेत्रीय कार्यालयों में सहकारी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का ऑन-साइट निरीक्षण और ऑफ-साइट पर्यवेक्षण दोनों ही करता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि बैंक सांविधिक प्रावधानों के अनुसार मजबूत आधार पर इस प्रकार कार्य करें जो जमाकर्ताओं के हितों को हानि न पहुंचाए। शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित मुद्दे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के लिए गठित कार्य दल(टैफकब) के समक्ष उठाए जाते हैं।
- जी) क्षेत्रीय कार्यालयों में विदेशी मुद्रा विभाग यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी मुद्रा से संबंधित लेनदेन मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसरण में किए जाएं। यह विदेशी मुद्रा

प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उल्लंघनों का निर्धारण और दंड, यदि कोई हो, को निर्धारित करता है। यह प्राथमिक डीलरों और पूर्ण रूप से मुद्रा परिवर्तकों का निरीक्षण भी करता है।

एच) क्षेत्रीय कार्यालयों में बैंकिंग विभाग बैंकों और संबंधित राज्य सरकार/रों के बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक के दायित्वों को पूरा करता है।

XI.69 रिजर्व बैंक के अधिकतर क्षेत्रीय कार्यालयों में बैंकिंग लोकपाल का कार्यालय भी होता है जो बैंकिंग लोकपाल योजना को क्रियान्वित करता है ताकि बैंक ग्राहकों को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में कमी से संबंधित अपनी शिकायतों के समाधान हेतु एक तेज और किफायती मंच उपलब्ध हो सके।

सारणी 1: 01 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 के दौरान आयोजित
केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
ऊर्जित आर. पटेल	8(1)(ए)	6	6
एस. एस. मूंदड़ा	8(1)(ए)	1	1
एन. एस. विश्वनाथन	8(1)(ए)	6	6
विरल वी. आचार्य	8(1)(ए)	6	6
बी.पी. कानूनगो	8(1)(ए)	6	6
एम. के. जैन	8(1)(ए)	शून्य	शून्य
नचिकेत एम. मोर	8(1)(बी)	4	4
प्रसन्न कुमार मोहंती	8(1)(बी)	2	2
दिलीप एस. संघवी	8(1)(बी)	2	2
नटराजन चन्द्रसेकरन	8(1)(सी)	6	4
भरत एन. दोशी	8(1)(सी)	6	6
सुधीर मांकड	8(1)(सी)	6	6
राजीव कुमार	8(1)(सी)	2	2
अशोक गुलाटी	8(1)(सी)	6	5
मनीष सभरवाल	8(1)(सी)	6	6
शशिकांत दास	8(1)(डी)	1	0
सुभाष चंद्र गर्ग	8(1)(डी)	5	4
अंजली छिब दुग्गल	8(1)(डी)	2	0
राजीव कुमार	8(1)(डी)	4	3

**सारणी 2: 01 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 के दौरान आयोजित
केंद्रीय निदेशक मंडल की समितियों की बैठकों में उपस्थिति**

सदस्य का नाम	भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
I. केंद्रीय बोर्ड की समिति (सीसीबी)			
उर्जित आर. पटेल	8 (1)(ए)	46	37
एस. एस. मूंदड़ा	8 (1)(ए)	3	3
एन. एस. विश्वनाथन	8 (1)(ए)	46	29
विरल वी. आचार्य	8 (1)(ए)	46	42
बी. पी. कानूनगो	8 (1)(ए)	46	40
एम. के.जैन	8 (1)(ए)	1	1
नचिकेत एम. मोर	8(1)(बी)	21	17
नटराजन चन्द्रसेकरन	8(1)(सी)	19	8
भरत एन. दोशी	8(1)(सी)	32	29
सुधीर मांकड	8(1)(सी)	22	18
अशोक गुलाटी	8(1)(सी)	21	12
राजीव कुमार	8(1)(सी)	3	0
मनीष सभरवाल	8(1)(सी)	23	19
प्रसन्न कुमार मोहंती	8(1)(बी)	6	6
दिलीप एस. संघवी	8(1)(बी)	7	7
सुभाष चंद्र गर्ग	8(1)(डी)	2	2
राजीव कुमार	8(1)(डी)	1	1
II. वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस)			
उर्जित आर. पटेल	अध्यक्ष	10	9
एस. एस. मूंदड़ा*	उपाध्यक्ष	शून्य	शून्य
एन. एस. विश्वनाथन^	उपाध्यक्ष	10	10
विरल वी. आचार्य	सदस्य	10	10
बी. पी. कानूनगो	सदस्य	10	8
एम. के.जैन @	सदस्य	1	1
नचिकेत एम. मोर**	सदस्य	9	9
भरत एन. दोशी	सदस्य	10	10
सुधीर मांकड	सदस्य	10	7
अशोक गुलाटी	सदस्य	10	8
<p>* : 31 जुलाई 2017 के पूर्वाह्न से उप गवर्नर के रूप में प्रभार त्याग दिया । ^ : 30 अगस्त 2017 से बीएफएस के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत । ** : 09 सितंबर 2017 से बीएफएस के सदस्य के रूप में नियुक्त । @ : 22 जून 2018 से उप गवर्नर के रूप में प्रभार सँभाला ।</p>			
III. भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण (बीपीएसएस) बोर्ड			
उर्जित आर. पटेल	अध्यक्ष	3	3
बी. पी. कानूनगो	उपाध्यक्ष	3	3
एस. एस. मूंदड़ा*	सदस्य	1	1
एन. एस. विश्वनाथन	सदस्य	3	2
विरल वी. आचार्य	सदस्य	3	2
एम. के.जैन**	सदस्य	शून्य	शून्य
नटराजन चन्द्रसेकरन	सदस्य	3	3
मनीष सभरवाल	सदस्य	3	2
<p>* : 31 जुलाई 2017 के पूर्वाह्न से उप गवर्नर के रूप में प्रभार त्याग दिया । ** : 22 जून 2018 से उप गवर्नर के रूप में प्रभार सँभाला ।</p>			

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी 3: 01 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 के दौरान आयोजित
केंद्रीय निदेशक मंडल की उप-समितियों की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
I. लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस)			
भरत एन. दोशी	अध्यक्ष	8	8
सुधीर मांकड	सदस्य	8	5
नचिकेत एम. मोर*	सदस्य	6	5
एस. एस. मूंदड़ा**	आमंत्रिती	1	0
एन. एस. विश्वनाथन	सदस्य	8	8
विरल वी. आचार्य	आमंत्रिती	8	7
बी. पी. कानूनगो	आमंत्रिती	8	8
एम. के. जैन	आमंत्रिती	1	1
* : 15 मई 2017 को केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में उनकी अवधि समाप्त हो जाने पर सदस्यता समाप्त हुई और 24 अगस्त 2017 को केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त/ पुनः नामित होने पर उन्हें एआरएमएस में पुनः नामित किया गया।			
** : 31 जुलाई 2017 के पूर्वाह्न से उप गवर्नर के रूप में प्रभार त्याग दिया।			
II. भवन उप-समिति (बीएससी)			
दिलीप एस. संघवी	अध्यक्ष	1	1
राजीव कुमार*	अध्यक्ष	शून्य	शून्य
बी. पी. कानूनगो**	सदस्य	1	1
एम. के. जैन@	सदस्य	शून्य	शून्य
* : 3 सितंबर 2017 तक।			
** : 21 जून 2018 तक।			
@ : 22 जून 2018 से।			
III. मानव संसाधन प्रबंधन उप-समिति (एचआरएम-एससी)			
मनीष सभरवाल	अध्यक्ष	5	5
दिलीप एस. संघवी	सदस्य	2	2
एस. एस. मूंदड़ा*	सदस्य	शून्य	शून्य
विरल आचार्य@	सदस्य	5	5
* : 31 जुलाई 2017 के पूर्वाह्न तक।			
@ : 31 जुलाई 2017 से।			
IV. सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटीएससी)			
मनीष सभरवाल@	अध्यक्ष	शून्य	शून्य
नटराजन चन्द्रसेकरन*	अध्यक्ष	शून्य	शून्य
राजीव कुमार**	सदस्य	शून्य	शून्य
बी. पी. कानूनगो	सदस्य	शून्य	शून्य
* : अध्यक्ष 6 जून 2018 तक।			
** : 3 सितंबर 2017 तक।			
@ : 7 जून 2018 से अध्यक्ष।			

सारणी 4: 01 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 के दौरान आयोजित केंद्रीय निदेशक मंडल की स्थायी समिति की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3
बी. पी. कानूनगो, अध्यक्ष	1	1
अशोक गुलाटी*	1	1
प्रसन्न कुमार मोहंती**	शून्य	शून्य
* : उत्तरी स्थानीय क्षेत्र के लिए । ** : दक्षिणी स्थानीय क्षेत्र के लिए ।		

सारणी 5: 01 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 के दौरान आयोजित स्थानीय बोर्डों की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
नचिकेत एम. मोर, ईएएलबी	धारा 9(1)	4	4
सुनील मित्रा, ईएएलबी	धारा 9(1)	4	4
वी. आर. भंसाली, डब्लूएएलबी	धारा 9(1)	3	3
दिलीप एस. संघवी, डब्लूएएलबी	धारा 9(1)	3	3
ईएएलबी: पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड । डब्लूएएलबी: पश्चिमी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड ।			

30 जून 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र के आकार में 9.49 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 2017-18 के दौरान आय में जहां 26.63 प्रतिशत का इजाफा हुआ वहीं व्यय में 9.24 प्रतिशत की कमी आयी। वर्ष की समाप्ति पर समग्र अधिशेष पिछले वर्ष के ₹306.59 बिलियन की तुलना में ₹500 बिलियन रहा जो 63.08 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

XII.1 देश की अर्थव्यवस्था में रिज़र्व बैंक का तुलन-पत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है इससे सामान्यतया उन गतिविधियों की झलक मिलती है जिन्हें मुद्रा निर्गम कार्य के साथ मौद्रिक नीति तथा आरक्षित निधि के प्रबंधन उद्देश्यों के अनुसरण में किया जाता है। वर्ष 2017-18 (जुलाई-जून) के दौरान रिज़र्व बैंक के परिचालनों के मुख्य वित्तीय परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रस्तुत किए गए हैं।

XII.2 वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक के तुलन-पत्र के आकार में वृद्धि हुई। तुलन-पत्र में ₹3,135.00 बिलियन अर्थात् 9.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार इसका आकार ₹33,040.94 बिलियन था जो 30 जून 2018 को बढ़कर ₹36,175.94 बिलियन हो गया। आस्ति पक्ष में बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण विदेशी निवेश और ऋण तथा अग्रिम

रहे इनमें क्रमशः 11.25 प्रतिशत और 849.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जारी किए गए नोटों और अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में हुई वृद्धि के कारण देयता पक्ष में क्रमशः 26.93 प्रतिशत और 16.95 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार कुल आस्तियों में से घरेलू आस्तियां 23.18 प्रतिशत जबकि विदेशी मुद्रा आस्तियां और स्वर्ण (भारत में धारित स्वर्ण सहित) 76.82 प्रतिशत थीं, जबकि इसकी तुलना में 30 जून 2017 को ये क्रमशः 24.32 प्रतिशत और 75.68 प्रतिशत थीं।

XII.3 ₹141.90 बिलियन का प्रावधान किया गया और उसे आकस्मिकता निधि (सीएफ) में अंतरित किया गया। आस्ति विकास निधि (एडीएफ) में कोई अंतरण नहीं किया गया। ₹500 बिलियन का अधिशेष केन्द्र सरकार को

सारणी XII.1 : आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्ति

(₹ बिलियन)

मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5	6
ए) आय	646.17	792.56	808.70	618.18	782.81
बी) कुल व्यय ¹	119.34	133.56 ²	149.90 ³	311.55 ⁴	282.77 ⁵
सी) निवल प्रयोज्य आय (ए-बी)	526.83	659.00	658.80	306.63	500.04
डी) निधियों को अंतरण ⁶	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
ई) सरकार को अंतरित अधिशेष (सी-डी)	526.79	658.96	658.76	306.59	500.00

टिप्पणी: 1. 30 जून, 2015 से सीएफ और एडीएफ में अंतरण को आय विवरण में प्रावधान शीर्ष के जरिए किया जा रहा है।

2. इसमें एनएचबी के लिए अतिरिक्त पूंजी अंशदान हेतु ₹10 बिलियन का प्रावधान शामिल है।

3. इसमें बीआरबीएनएमपीएल के लिए अतिरिक्त पूंजी अंशदान हेतु ₹10 बिलियन का प्रावधान शामिल है।

4. इसमें नवगठित भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुषंगी आरईबीआईटी के लिए पूंजी अंशदान हेतु ₹0.50 बिलियन का प्रावधान और सीएफ में अंशदान हेतु ₹131.40 बिलियन का प्रावधान शामिल है।

5. इसमें सीएफ में अंतरण के लिए अतिरिक्त ₹141.90 बिलियन का प्रावधान शामिल है।

6. पांच वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में हरेक को ₹10 मिलियन की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन निधि), राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि, राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि में अंतरित की गई।

अंतरित किया गया। आय, व्यय, निवल प्रयोज्य आय और सरकार को अंतरित अधिशेष की प्रवृत्ति सारणी XII.1 में दी गयी है।

XII.4 वर्ष 2017-18 के लिए तैयार तुलन-पत्र और आय-विवरण, सभी अनुसूचियों, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा लेखा-समर्थित टिप्पणियों सहित नीचे प्रस्तुत है:

वर्ष 2017-18 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

भारतीय रिज़र्व बैंक
जून 2018 को समाप्त वर्ष का आय विवरण

(राशि ₹ बिलियन में)

आय	अनुसूची	2016-17	2017-18
ब्याज	12	660.51	738.71
अन्य	13	-42.33	44.10
	कुल	618.18	782.81
व्यय			
नोटों का मुद्रण		79.65	49.12
करेंसी विप्रेषण पर व्यय		1.47	1.15
एजेंसी प्रभार	14	40.52	39.03
कर्मचारी लागत		46.21	38.48
ब्याज		0.01	0.01
डाक और संचार प्रभार		1.02	0.87
मुद्रण और लेखन-सामग्री		0.36	0.23
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि		1.23	1.27
मरम्मत और रखरखाव		1.02	1.03
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड सदस्यों के शुल्क और व्यय		0.02	0.02
लेखा-परीक्षकों के शुल्क और व्यय		0.04	0.06
विधिक प्रभार		0.06	0.09
विविध व्यय		6.96	8.08
मूल्यहास		1.08	1.43
प्रावधान		131.90	141.90
	कुल	311.55	282.77
उपलब्ध शेष राशि		306.63	500.04
घटाएं:			
(ए) निम्नलिखित में अंशदान :			
i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		0.01	0.01
ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		0.01	0.01
(बी) नाबार्ड को अंतरित योग्य:			
i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि ¹		0.01	0.01
ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि ¹		0.01	0.01
(सी) अन्य			
वर्ष के दौरान केंद्र सरकार को अंतरित राशि		0.00	100.00
	केंद्र सरकार को देय अधिशेष	306.59	400.00

1. ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं।

निर्मल चंद
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

एम. के. जैन
उप गवर्नर

बी. पी. कानूनगो
उप गवर्नर

विरल वी. आचार्य
उप गवर्नर

एन. एस. विश्वनाथन
उप गवर्नर

ऊर्जित आर. पटेल
गवर्नर

अनुसूचियां जो तुलन-पत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं

(राशि ₹ बिलियन में)

		2016-17	2017-18
अनुसूची 1:	अन्य आरक्षित निधियाँ		
	(i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	0.26	0.27
	(ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	2.00	2.01
	कुल	2.26	2.28
अनुसूची 2:	जमाराशियां		
	(ए) सरकार		
	(i) केंद्र सरकार	947.74	1.01
	(ii) राज्य सरकारें	0.43	0.42
	उप-योग	948.17	1.43
	(बी) बैंक		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	4,729.90	4,744.18
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	36.36	35.20
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	84.08	84.01
	(iv) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	15.30	19.15
	(v) अन्य बैंक	175.86	188.41
	उप-योग	5,041.50	5,070.95
	(सी) भारत से बाहर के वित्तीय संस्थान		
	(i) रिपो उधार – विदेशी	0.00	0.00
	(ii) रिवर्स रिपो मार्जिन – विदेशी	0.00	0.00
	उप-योग	0.00	0.00
	(डी) अन्य		
	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भ.नि. खाता के प्रशासक	50.17	46.81
	(ii) जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि	146.97	195.67
	(iii) विदेशी केंद्रीय बैंकों की शेष राशियां	19.22	18.80
	(iv) भारतीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियां	5.90	2.40
	(v) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियां	3.05	3.20
	(vi) म्यूचुअल फंड	0.01	0.01
(vii) अन्य	2,748.49	1,186.70	
उप-योग	2,973.81	1,453.59	
कुल	8,963.48	6,525.97	
अनुसूची 3:	अन्य देयताएं और प्रावधान		
	(i) आकस्मिकता निधि (सीएफ)	2,282.07	2,321.08
	(ii) आर्स्टि विकास निधि (एडीएफ)	228.11	228.11
	(iii) मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन लेखा (सीजीआरए)	5,299.45	6,916.41
	(iv) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफएस)	0.00	0.00
	(v) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - रुपए प्रतिभूतियां (आईआरए-आरएस)	570.90	132.85
	(vi) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन लेखा (एफसीवीए)	0.00	32.62
	(vii) वायदा संविदा मूल्यन लेखा हेतु प्रावधान (पीएफसीवीए)	29.63	0.00
	(viii) देयराशियों के लिए प्रावधान	39.17	27.88
	(ix) उपदान और अधिवर्षिता निधि	172.06	175.13
	(x) भारत सरकार को अंतरणयोग्य अधिशेष	306.59	500.00
	(xi) देय बिल	0.12	0.05
(xii) विविध	18.74	128.91	
कुल	8,946.84	10,463.04	

वर्ष 2017-18 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

		2016-17	2017-18
अनुसूची 4:	जारी नोट		
	(i) बैंकिंग विभाग में धारित नोट	0.12	0.09
	(ii) संचलन में नोट	15,063.19	19,119.51
	कुल	15,063.31	19,119.60
अनुसूची 5:	नोट, रुपये सिक्के, छोटे सिक्के (भारिबैंक के पास)		
	(i) नोट	0.12	0.09
	(ii) रुपये सिक्के	0.00	0.00
	(iii) छोटे सिक्के	0.00	0.00
	कुल	0.12	0.09
अनुसूची 6:	स्वर्ण सिक्के और बुलियन		
	(ए) बैंकिंग विभाग		
	(i) स्वर्ण सिक्के और बुलियन	627.02	696.74
	(ii) जमा स्वर्ण	0.00	0.00
	उप-योग	627.02	696.74
	(बी) निर्गम विभाग (जारी नोट के समर्थन के रूप में)	690.30	743.49
	कुल	1,317.32	1,440.23
अनुसूची 7:	निवेश-विदेशी		
	(i) निवेश-विदेशी - बीडी	9,319.94	7,983.89
	(ii) निवेश-विदेशी - आईडी	14,366.89	18,366.85
	कुल	23,686.83	26,350.74
अनुसूची 8:	निवेश घरेलू		
	(i) निवेश-घरेलू - बीडी	7,557.50	6,297.45
	(ii) निवेश-घरेलू - आईडी	0.00	0.00
	कुल	7,557.50	6,297.45
अनुसूची 9:	ऋण और अग्रिम		
	(ए) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम :		
	(i) केंद्र सरकार	25.50	554.35
	(ii) राज्य सरकारें	24.18	14.93
	उप-योग	49.68	569.28
	(बी) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम :		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	80.25	1,006.90
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iv) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(v) नाबार्ड	0.00	0.00
	(vi) अन्य	42.63	62.37
	उप-योग	122.88	1,069.27
	(सी) भारत से बाहर वित्तीय संस्थाओं को ऋण और अग्रिम :		
	(i) रिपो उधार- विदेशी	0.00	0.00
	(ii) रिपो मार्जिन - विदेशी	0.00	0.00
	उप-योग	0.00	0.00
	कुल	172.56	1,638.55
अनुसूची 10:	अनुषंगी/सहयोगी संस्थाओं में निवेश		
	(i) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	0.50	0.50
	(ii) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)	14.50	14.50
	(iii) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	0.20	0.20
	(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमि. (बीआरबीएनएमपीएल)	18.00	18.00
	(v) रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (प्रा.) लिमि. (आरईबीआईटी)	0.50	0.50
	कुल	33.70	33.70

वार्षिक रिपोर्ट

		2016-17	2017-18	
अनुसूची 11:	अन्य आस्तियां			
	(i) अचल आस्तियां (कुल मूल्यहास को घटाकर)	4.08	4.41	
	(ii) उपचित आय (ए+बी)	232.46	232.99	
	ए. कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर	3.10	3.16	
	बी. अन्य मदों पर	229.36	229.83	
	(iii) स्वैप परिशोधन लेखा	18.48	23.10	
	(iv) वायदा संविदा लेखा का पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)	0.00	32.62	
(v) विविध	11.77	112.80		
	कुल	266.79	405.92	
अनुसूची 12:	ब्याज			
	(ए) घरेलू स्रोत			
	(i) रुपया प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	542.17	479.68	
	(ii) एलएएफ परिचालन पर निवल ब्याज	-174.26	-95.41	
	(iii) एमएसएफ परिचालन पर ब्याज	0.60	1.25	
	(iv) ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	6.89	7.79	
		उप-योग	375.40	393.31
	(बी) विदेशी स्रोत			
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	192.96	234.28	
	(ii) रिपो/रिवर्स रिपो लेन-देन पर निवल ब्याज	0.00	0.00	
	(iii) जमाराशियों पर ब्याज	92.15	111.12	
		उप-योग	285.11	345.40
		कुल	660.51	738.71
अनुसूची 13:	अन्य आय			
	(ए) घरेलू स्रोत			
	(i) विनिमय	0.00	0.00	
	(ii) डिस्काउंट	0.00	0.00	
	(iii) कमीशन	18.41	20.35	
	(iv) प्राप्त किराया	0.06	0.05	
	(v) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	4.62	60.36	
	(vi) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलिओ अंतरण पर मूल्यहास	0.00	-0.08	
	(vii) रुपया प्रतिभूतियों के प्रीमियम / डिस्काउंट का परिशोधन	35.47	31.13	
	(viii) बैंक की संपत्ति बिक्री से लाभ/हानि	0.03	0.01	
	(ix) प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं और विविध आय	-1.67	3.67	
		उप-योग	56.92	115.49
	(बी) विदेशी स्रोत			
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों के प्रीमियम / डिस्काउंट का परिशोधन	-52.92	-36.08	
	(ii) विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	4.83	5.36	
	(iii) विदेशी मुद्रा कारोबार से प्राप्त विनिमय लाभ / धनि	-51.16	-40.67	
		उप-योग	-99.25	-71.39
	कुल	-42.33	44.10	
अनुसूची 14:	एजेंसी प्रभार			
	(i) सरकारी लेन-देन पर एजेंसी कमीशन	39.68	37.60	
	(ii) प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन	0.53	1.13	
	(iii) विविध (राहत / बचत बांडों के अभिदान; एसबीएलए आदि के लिए बैंकों को अदा किया गया हैंडलिंग प्रभार और टर्नओवर कमीशन)	0.06	0.08	
	(iv) बाहरी आस्त-प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क	0.25	0.22	
	कुल	40.52	39.03	

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखा-परीक्षक इसके द्वारा केंद्र सरकार को 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार बैंक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय विवरण (जिसे आगे 'वित्तीय विवरण' कहा गया है) पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जो कि हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित की गई है।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की जरूरत तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली और बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण और उन्हें तैयार करने के लिए उपयोगी आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो इसके बारे में सच्ची और सही राय देते हैं और ये गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटि से हुई हो, से मुक्त है।

लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अभिमत व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपने लेखापरीक्षा के कार्य की नैतिक अपेक्षाओं और आयोजना ऐसे करें ताकि समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण तथ्यात्मक रूप से गलत बयानी से मुक्त हो।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरण संबंधी राशि और प्रकटन की पुष्टि करने वाले साक्ष्यों की जाँच करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। प्रक्रियाओं का चुनाव लेखा-परीक्षक करते हैं जिसमें तथ्यात्मक रूप से गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटि से हुई हो, से संबंधित जोखिम का मूल्यांकन शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए लेखा-परीक्षक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की डिजाइन के लिए वित्तीय विवरणों का सही प्रस्तुतीकरण और बैंक की तैयारी के लिए उपयोगी आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं, लेकिन इसे बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं किया जाता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि लेखापरीक्षा से संबंधित जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, वे हमारी लेखापरीक्षा में हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार हैं।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

अन्य मामले

हम रिपोर्ट करते हैं कि हमने बैंक से लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा था और वह जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दिये गये हैं और वे संतोषजनक हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि इस वित्तीय विवरण में बैंक के बाइस लेखांकन एककों के लेखा शामिल किये गये हैं जो सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा परीक्षित हैं और हमने इस संबंध में उनकी रिपोर्ट पर विश्वास किया है।

कृते छाजेड एंड दोशी
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजीयन सं. 101794डबल्यू)

कृते जी. पी. कपाडिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजीयन सं. 104768डबल्यू)

नितेश जैन
भागीदार
सदस्यता क्रम सं. 136169

निमेश भिमानी
भागीदार
सदस्यता क्रम सं. 30547

स्थान: मुंबई

दिनांक: 08 अगस्त 2018

30 जून 2018 को समाप्त वर्ष के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण

(ए) सामान्य

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (अधिनियम) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य “बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना है।”

1.2 बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

- ए) बैंक नोटों को जारी करना।
- बी) मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन।
- सी) बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का विनियमन और पर्यवेक्षण।
- डी) अंतिम ऋणदाता की भूमिका का निर्वहन।
- ई) भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण।
- एफ) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुरक्षण और प्रबंधन।
- जी) बैंकों और सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करना।
- एच) सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में कार्य करना।
- आई) विदेशी मुद्रा बाजार का विनियमन और विकास करना।
- जे) ग्रामीण ऋण एवं वित्तीय समावेशन के क्षेत्रों सहित विकासात्मक कार्य करना।

1.3 अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि बैंक नोटों का निर्गमन बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग होगा और इसे बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाना

चाहिए और निर्गम विभाग की आस्तियों में निर्गम विभाग की देयताओं को छोड़कर अन्य कोई देयताएं शामिल नहीं होंगी। अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के, स्वर्ण बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्के और रुपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए। अधिनियम की अपेक्षा है कि निर्गम विभाग की देयताएं यथा समय संचलनगत भारत सरकार के करेंसी नोटों और बैंक नोटों की कुल राशि के बराबर होंगी।

(बी) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 परंपरा

वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित फार्म में तैयार किये गये हैं। पुनर्मूल्यन को दर्शाने हेतु किए गए संशोधनों को छोड़कर, ये विवरण पारंपरिक लागत पर आधारित हैं। विवरणों को तैयार करने में अपनायी गयी लेखांकन-नीतियां, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, गत वर्ष के लिए अपनायी गई नीतियों के अनुरूप हैं।

2.2 राजस्व निर्धारण

(ए) बैंक से प्राप्त दंडात्मक ब्याज जिसकी गणना प्राप्ति सुनिश्चित होने पर ही की जाती है, को छोड़कर, आय और व्यय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है। प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो जाने के बाद उपचित आधार पर शेयरों पर लाभांश आय को निर्धारित किया जाता है।

(बी) देय ड्राफ्ट लेखा, भुगतान आदेश लेखा, विधिक/ मुकदमे बाजी संबंधी मामलों को छोड़कर फुटकर जमा लेखा, विप्रेषण समाशोधन खाता तथा बयाना जमाराशि खाता सहित कतिपय अस्थायी लेखों में लगातार तीन वर्ष से

अधिक अवधि के लिए गैर-दावाकृत और बकाया शेष का पुनरीक्षण किया जाता है और उसे आय में शामिल किया जाता है। यदि कोई दावा होता है, तो उस पर विचार किया जाता है और भुगतान के वर्ष में इसे आय में से घटा दिया जाता है।

(सी) विदेशी मुद्रा में आय और व्यय को यथा प्रयोज्य सप्ताह/माह/वर्ष के अंतिम कारोबारी दिवस को लागू विनिमय दरों के आधार पर दर्शाया जाता है।

2.3 स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा देयताओं के लेनदेन को निपटान तिथि के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ए) स्वर्ण

विदेशों में रखे गए स्वर्ण सहित स्वर्ण का पुनर्मूल्यन निर्धारण माह के अंत में, उस माह के लिए लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन द्वारा कोट किए गए औसत दैनिक मूल्य के 90 प्रतिशत मूल्य पर किया जाता है। उसके समकक्ष रुपये का निर्धारण उक्त माह के अंतिम कारोबार के दिन लागू विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। अप्राप्त लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में जमा/नामे किया जाता है।

बी) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं (स्वैप के तहत रिपो के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा और उन संविदाओं जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित होती हैं, को छोड़कर) कारोबार के अंतिम सप्ताह/माह/वर्ष के आखिरी कारोबारी दिवस में प्रचलित विनिमय दरों पर दर्शायी जाती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं के इस प्रकार के अंतरण से उत्पन्न होने वाले लाभों/हानियों को सीजीआरए में डाला जाता है।

विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण खजाना बिलों, कमर्शियल पेपर और कतिपय "परिपक्वता तक

धारित" प्रतिभूतियों (जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नोटों तथा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईआईएफसी), यू.के. द्वारा जारी बांड जिनका मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है, में निवेश) को छोड़कर, प्रत्येक माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित बाजार-मूल्य (एमटीएम) पर किया जाता है। पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अप्राप्त लाभ/हानि को निवेश पुनर्मूल्यन खाता- विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफएस) में दर्ज किया जाता है। आईआरए-एफएस के जमा शेष को बाद के वर्ष में ले जाया जाता है। वर्ष के अंत में आईआरए-एफएस के नामे शेष, यदि कोई हो, को आकस्मिक निधि से लिया जाता है और इसे अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के पहले कारोबारी दिवस को आकस्मिकता निधि में वापस जमा कर दिया जाता है।

विदेशी ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पेपर्स को डिस्काउंट का परिशोधन करके यथा समायोजित लागत पर रखा जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम अथवा डिस्काउंट का परिशोधन प्रतिदिन किया जाता है। विदेशी मुद्रा आस्तियों की बिक्री से हुए लाभ/हुई हानि को बही मूल्य के संदर्भ में मान्य किया जाता है। विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों, आईआरए-एफएस में रखी प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यन से हुए लाभ/हानि को आय-खाते में अंतरित किया जाता है।

सी) वायदा / स्वैप संविदाएं

रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेपी परिचालनों के हिस्से के रूप में की गई वायदा संविदाओं का पुनर्मूल्यन वार्षिक आधार पर 30 जून को किया जाता है। जिसमें, बाजार मूल्य पर लाभ को 'विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता' (एफसीवीए) में जमा किया जाता है और इसे 'वायदा संविदाओं के पुनर्मूल्यन खाता' (आरएफसीए) में प्रति-प्रविष्टि के रूप में नामे किया जाता है। बाजार मूल्य पर हानि को एफसीवीए

में नामे डाला जाता है इसका प्रति-प्रविष्टि क्रेडिट 'वायदा संविदा मूल्यन खाता' (पीएफसीवीए) में जमा किया जाता है। 30 जून की स्थिति के अनुसार एफसीवीए में नामे शेष, यदि कोई हो, का प्रभार आकस्मिक निधि के तहत रखा जाना और अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाना अपेक्षित होता है। संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वास्तविक लाभ या हानि को आय विवरण खाते में दर्शाया जाना अपेक्षित होता है तथा एफसीवीए, आरएफसीए एवं पीएफसीवीए में पहले दर्ज किए गए अप्राप्त लाभ/हानि को वापस किया जाएगा। आरएफसीए और पीएफसीवीए में शेष राशि क्रमशः इस प्रकार की वायदा संविदाओं के मूल्यांकन से अप्राप्त निवल लाभ और हानि दर्शाती है।

बाजार से भिन्न दरों पर, जो रिपो के रूप में होती हैं, स्वैप किए जाने की स्थिति में भावी निविदा दर तथा निविदा किए जाने की तय दर में अंतर का परिशोधन संविदा की अवधि के दौरान किया जाता है और उसे आय विवरण में दर्ज किया जाता है जिसकी प्रतिपक्षी प्रविष्टियां स्वैप परिशोधन खाते (एसएए) में की जाती हैं। एसएए में दर्ज राशि को अंतर्निहित संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वापस कर दिया जाता है। इसके अलावा, इस तरह के स्वैप के माध्यम से प्राप्त राशि का आवधिक मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

एफसीवीए एवं पीएफसीवीए 'अन्य देयताओं' का हिस्सा होते हैं, किंतु आरएफसीए और एसएए 'अन्य आस्तियों' का हिस्सा होते हैं।

2.4 शेयर बाजार में व्यापार किए जाने वाले मुद्रा व्युत्पन्नियों का लेन-देन (ईटीसीडी)

ईटीसीडी लेन-देन का कार्य बैंक द्वारा इसके हस्तक्षेपी कार्य के रूप में किया जाता है जो दैनिक आधार पर बाजार मूल्य पर तय किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को आय खाते में दर्ज किया जाता है।

2.5 घरेलू निवेश

(ए) रुपया प्रतिभूतियों और तेल बांडों, नीचे (डी) में दर्शाई गई प्रतिभूतियों को छोड़कर, का मूल्य माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। पुनर्मूल्यन पर हुए लाभ/हानि को निवेश पुनर्मूल्यन खाता-रुपया प्रतिभूति (आईआरए-आरएस) में दर्ज किया जाता है। आईआरए-आरएस में जमा शेष को आगामी वित्तीय वर्ष में आगे लिए ले जाया जाता है। वर्ष के अंत में आईआरए-आरएस में नामे शेष, यदि कोई हो, का प्रभार आकस्मिकता निधि पर डाला जाता है और आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम कार्य दिवस को यह राशि वापस कर दी जाती है। रुपया प्रतिभूतियों और तेल बांडों की बिक्री/मोचन करने पर बेची गई/मोचित रुपया प्रतिभूति/तेल बांडों संबंधी मूल्यन लाभ/हानि जो आईआरए-आरएस में दर्ज है, को आय खाते में अंतरित किया जाता है। रुपया प्रतिभूतियों और तेल बांडों का परिशोधन दैनिक आधार पर किया जाता है।

(बी) खजाना बिलों का मूल्य-निर्धारण लागत मूल्य पर किया जाता है।

(सी) अनुषंगियों के शेयरों में किए गए निवेश का मूल्य-निर्धारण लागत मूल्य पर किया जाता है।

(डी) तेल बांडों और रुपया प्रतिभूतियां जिन्हें विभिन्न प्रकार की स्टाफ निधियों यथा अभिदान एवं अधिवर्षिता, भविष्य निधि, छुट्टी का नकदीकरण, चिकित्सा सहायता निधि और जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईए फंड) के लिए चिह्नित किया गया है उन्हें 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है और इन्हें परिशोधित लागत पर धारित किया जाता है।

(ई) घरेलू निवेश के तहत किए गए लेन-देन का लेखांकन निपटान तारीख के आधार पर किया जाता है।

2.6 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), रिपो/रिवर्स रिपो और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रिपो लेन-देन को ऋण माना जाता है और तदनुसार, इनको 'ऋण और अग्रिम' के तहत दर्शाया जा रहा है जबकि एलएएफ के तहत रिवर्स रिपो लेन-देनों को जमा राशियां माना जा रहा है और इन्हें 'जमाराशि-अन्य' के तहत दर्शाया गया है।

2.7 अचल आस्तियां

(ए) कला तथा पेंटिंग्स जो कि लागत पर रखी जाती है, के अलावा अचल आस्तियों को उनकी लागत में से मूल्यहास को घटाते हुए दर्शाया जाता है।

(बी) वर्ष (1 जुलाई से 30 जून तक) के दौरान अधिग्रहित तथा पूंजीकृत भूमि तथा भवन के अलावा अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यहास पूंजीकरण महीने से आनुपातिक रूप से मासिक आधार पर माना जाएगा और प्रयुक्त आस्तिके उपयोगी जीवन के आधार पर निर्धारित दरों के साथ वार्षिक आधार पर प्रभावी होगा।

(सी) नीचे दी हुई अचल आस्तियों (₹0.10 मिलियन से अधिक की लागत वाले) पर मूल्यहास निम्न तरीके से आस्तिके उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी कटौती द्वारा किया जाता है:

आस्ति श्रेणी	उपयोगी जीवन (मूल्यहास की दर)
बिजली के उपकरण, यूपीएस, मोटर वाहन, फर्नीचर, जुड़नार, सीवीपीएस/एसबीएस मशीनें इत्यादि	5 वर्ष (20 प्रतिशत)
कम्प्यूटर, सर्वर, माइक्रो-प्रोसेसर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, ई-बुक रीडर/आई-पैड इत्यादि.	3 वर्ष (33.33 प्रतिशत)

(डी) अचल आस्तियां जिनकी लागत ₹0.10 मिलियन तक है (आसानी से कहीं ले जाने योग्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों जैसे लैपटॉप / ई-बुक रीडर को छोड़कर) के अधिग्रहण के वर्ष में आय पर प्रभारित की जाती हैं। लैपटॉप इत्यादि जैसी आसानी से कहीं ले जाने योग्य ₹10,000 से

अधिक लागत वाली इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों को पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यहास की गणना लागू दरों पर आनुपातिक रूप से मासिक आधार पर की जाती है।

(ई) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वैयक्तिक मदों, जिनकी लागत ₹0.10 मिलियन या उससे अधिक हो, को पूंजीकृत किया जाता है और उनके मूल्यहास की गणना लागू दरों पर आनुपातिक रूप से मासिक आधार पर की जाती है।

(एफ) मूल्यहास का प्रावधान, वर्ष के अंत में अचल आस्तियों की शेष राशि पर आनुपातिक आधार पर प्रति माह किया जाता है। भूमि और भवन को छोड़कर अन्य आस्तियों के बढ़ने या घटने की स्थिति में मूल्यहास मासिक आनुपातिक आधार पर किया जाता है जिसमें इस प्रकार की आस्ति के बढ़ने या कम होने का माह भी शामिल किया जाता है।

(जी) अनुवर्ती व्यय के संबंध में मूल्यहास:

(i) वर्तमान अचल आस्ति के संबंध में किए जाने वाले उस अनुवर्ती व्यय, जिसका मूल्यहास पूर्णरूप से लेखा बहियों में नहीं दर्शाया गया हो, के मूल्यहास की गणना मूल आस्ति के शेष उपयोगी जीवन-अवधि के आधार पर की जाती है;

(ii) वर्तमान अचल आस्तियों के आधुनिकीकरण/जोड़े किए जाने/मरम्मत करने पर होने वाले अनुवर्ती व्यय, जिनका मूल्यहास पहले ही लेखा बहियों में पूर्ण रूप से दर्शाया जा चुका हो, को पहले पूंजीकृत किया जाता है और उसके बाद उसका मूल्यहास पूर्णरूप से उस वर्ष किया जाता है जिसमें व्यय किया गया हो।

(एच) भूमि एवं भवन: भूमि एवं भवन के संबंध में लेखांकन सुविधा निम्नानुसार है:

भूमि

i. 99 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि के संबंध में यह माना जाता है कि यह सदा के लिए पट्टे के आधार पर ली गई हैं। ऐसे पट्टों को पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्ति माना जाता है और तदनुसार इनका परिशोधन नहीं किया जाता है।

- ii. 99 वर्ष तक के लिए पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन पट्टा की अवधि के दौरान किया जाता है।
- iii. पूर्ण स्वामित्व आधार पर ली गई भूमि का किसी प्रकार का परिशोधन नहीं किया जाता है।

भवन

- (i) सभी भवनों का जीवन-चक्र तीस वर्ष का माना जाता है और इनके मूल्यहास का प्रभार तीस वर्षों के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर लगाया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि (जहां पट्टे की अवधि 30 वर्षों से कम है) पर बनाए गए भवनों के संबंध में मूल्यहास का प्रभार भूमि के पट्टे की अवधि के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर लगाया जाता है।
- (ii) भवनों की क्षति: क्षति के आंकलन के लिए भवनों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
 - ए. ऐसे भवन जो प्रयोग में लाए जा रहे हों किंतु भविष्य में ढहाए जाने के लिए चिह्नित हों अथवा जिनको भविष्य में छोड़ दिया जाएगा : ऐसे भवनों की प्रयोग में लाई जा रही कीमत, उसके छोड़े जाने/ढहाए जाने की संभावित तारीख तक की भावी अवधि के लिए समग्र मूल्यहास होगी। बही में दर्ज मूल्य और उक्त प्रकार से परिकलित मूल्यहास के अंतर को मूल्यहास के रूप में प्रभारित किया जाता है।
 - बी. भवन जिनको हटाया/रिक्त किया गया है: ऐसे भवनों को बेच कर मूल्य (निवल बिक्री मूल्य - यदि भविष्य में आस्ति को बेचे जाने की संभावना है) प्राप्त करने योग्य अथवा ढहाए जाने की कीमत को घटा कर स्क्रेप मूल्य (यदि भवन को ढहाया जाना हो) दर्शाया जाता है। यदि यह परिणामी राशि ऋणात्मक हो, तो इस प्रकार के भवनों का रखाव मूल्य ₹1 दर्शाया जाता है। बही में दर्ज मूल्य और बेचकर प्राप्त होने योग्य मूल्य के बीच अंतर (निवल बिक्री कीमत)/ ढहाए जाने की लागत को स्क्रेप मूल्य से घटाकर शेष राशि को मूल्यहास के रूप में प्रभारित की जाती है।

2.8 कर्मचारी लाभ

दीर्घावधि कर्मचारी लाभों से संबंधित देयता 'अनुमानित इकाई ऋण' प्रणाली के अंतर्गत बीमांकिक मूल्य निर्धारण के आधार पर दी जाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

XII.5 बैंक की देयताएं और आस्तियां

XII.5.1 बैंकिंग विभाग की देयताएं

i) पूंजी

रिजर्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूंजी ₹0.05 बिलियन थी। बैंक को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास बना रहा। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 4 के अनुसार बैंक की चुकता पूंजी ₹0.05 बिलियन बनी हुई है।

ii) आरक्षित निधि

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 के अनुसार ₹0.05 बिलियन की मूल आरक्षित निधि का सृजन रिजर्व बैंक द्वारा अधिग्रहीत तत्कालीन सरकार की मुद्रा देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्तूबर 1990 तक स्वर्ण के आवधिक पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाले ₹64.95 बिलियन की लाभ राशि को इस निधि में जमा किया गया जिससे यह निधि बढ़कर ₹65 बिलियन हो गई। उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है क्योंकि स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाले अप्राप्त लाभ-हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में तब से दर्ज किया जाता रहा है जो कि तुलन-पत्र में 'अन्य देयताओं' की मद का एक हिस्सा है।

iii) अन्य आरक्षित निधियां

इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि शामिल हैं।

ए. राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

इस निधि का सृजन जुलाई 1964 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 46सी के तहत ₹100 मिलियन की प्रारंभिक राशि के साथ किया गया था। इस निधि में रिज़र्व बैंक द्वारा पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है। वर्ष 1992-93 से, बैंक की आय में से प्रतिवर्ष ₹10 मिलियन की सांकेतिक राशि का अंशदान किया जा रहा है। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार इस निधि की शेष राशि ₹0.27 बिलियन थी।

बी. राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

यह निधि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46डी के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 1989 में स्थापित की गई थी। ₹500 मिलियन की आरंभिक पूंजी को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले वार्षिक सहयोग के माध्यम से बाद में बढ़ाया गया। वर्ष 1992-93 से, बैंक की आय में से प्रतिवर्ष सिर्फ ₹10 मिलियन की सांकेतिक राशि का ही अंशदान किया जा रहा है। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार इस निधि में ₹2.01 बिलियन की शेष राशि थी।

टिप्पणी : अन्य निधियों में अंशदान

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46ए के तहत दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की देखरेख में है। इन दोनों निधियों के लिए प्रत्येकी ₹10 मिलियन रुपयों की

टोकन राशि अलग रखी जाती है, जिसे नाबार्ड को अंतरित किया जाता है।

iv) जमाराशियां

इसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक में रखी जाने वाली - बैंकों, केंद्र और राज्य सरकारों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, जैसे, निर्यात-आयात बैंक (एक्विजम बैंक) नाबार्ड इत्यादि, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, कर्मचारी भविष्य निधि की जमा राशि, और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि), रिवर्स रिपो, चिकित्सा सहायता निधि (एमएएफ) आदि के बदले बकाया जमाराशियां शामिल होती हैं।

कुल जमाराशि में 27.19 प्रतिशत की गिरावट हुई, यह 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार ₹8,963.48 बिलियन थी जो 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार घटकर ₹6,525.97 बिलियन रह गई।

ए. जमाराशियां - सरकार

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21 के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21ए के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियां रखती हैं। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों की धारित राशियां क्रमशः ₹947.74 बिलियन और ₹0.43 बिलियन रहीं जो कुल मिलाकर ₹948.17 बिलियन रहीं जबकि 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ये क्रमशः ₹1.01 बिलियन और ₹0.42 बिलियन थी और कुल मिलाकर यह ₹1.43 बिलियन थी। केंद्र सरकार की जमा राशि में हुई कमी का मुख्य कारण बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) का मोचन है।

बी. जमाराशियां - बैंक

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने एवं भुगतान और निपटान संबंधी दायित्वों का निर्वाह हेतु कार्यशील पूंजी बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक में धारित चालू खातों में बैंक राशि जमा रखते हैं। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा धारित जमाराशि ₹5,070.95 बिलियन थी जबकि 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार यह राशि ₹5,041.50 बिलियन थी।

सी. जमाराशियां-अन्य

‘जमाराशियां - अन्य’ में भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की जमाराशियां, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) की जमाराशियां, विदेशी केंद्रीय बैंकों, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, चिकित्सा सहायता निधि, बकाया रिवर्स रिपो की राशियां आदि शामिल होती हैं। डीईए निधि की स्थापना जमाकर्ताओं की रुचि में वृद्धि करने और ऐसे अन्य संबंधित उद्देश्यों के लिए वर्ष 2013-14 में की गई थी। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार डीईए निधि में जमाराशि ₹195.67 बिलियन थी। ‘जमाराशियां-अन्य’ जो कि 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 2,973.81 बिलियन थी, जो 51.12 प्रतिशत घटकर 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹1,453.59 बिलियन हो गई। यह कमी प्राथमिक रूप से रिवर्स रिपो जमाओं में हुई कमी के कारण देखी गई।

v) अन्य देयताएं और प्रावधान

‘अन्य देयताओं और प्रवाधानों’ के प्रमुख घटक प्रावधान और मूल्यांकन शीर्ष हैं। आकस्मिक निधि (सीएफ) और आस्तिक विकास निधि (एडीएफ) क्रमशः अप्रत्याशित आकस्मिकताओं के प्रावधान और सहायक संस्थाओं

में निवेश के लिए अलग से रखी गई राशि एवं आंतरिक पूंजीगत व्यय को दर्शाते हैं, जबकि ‘अन्य देयताओं एवं प्रावधान’ के शेष घटक; जैसे, मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए) और विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए) बाजार मूल्य पर अप्राप्त लाभ/हानि को दर्शाते हैं। ‘अन्य देयताएं और प्रावधान’ की राशि 30 जून 2017 के अनुसार ₹8,946.84 बिलियन थी, जो 16.95 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2018 को ₹10,463.04 बिलियन हो गई, जो कि प्राथमिक रूप से सीजीआरए में आई वृद्धि के कारण हुई।

ए. आकस्मिक निधि (सीएफ)

आकस्मिक निधि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बैंक द्वारा किए गए प्रावधान को दर्शाती है। इस विशिष्ट प्रावधान में अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं से निपटने के साथ प्रतिभूतियों के हुए मूल्यहास, मौद्रिक/विनिमय दर के नीतिगत परिचालनों से उत्पन्न होने वाले जोखिम, प्रणालीगत जोखिम तथा बैंक को दिए गए विशेष उत्तरदायित्वों के कारण पैदा होने वाले जोखिम शामिल हैं। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार आकस्मिक निधि में ₹141.90 बिलियन का प्रावधान किया गया और इसे सीएफ को अंतरित किया गया तथा आईआरए-एफएस के नामे शेष के कारण आकस्मिक निधि से ₹168.74 बिलियन की राशि प्रभारित की गई। आकस्मिक निधि से प्रभारित राशि अगले वर्ष के पहले कार्यदिवस को ही वापस कर दी गई।

उपर्युक्त के आधार पर आकस्मिक निधि में 30 जून 2017 की स्थिति ₹2,282.07 की तुलना में 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹2,321.08 बिलियन शेष थे।

सारणी XII.2 : आकस्मिक निधि (सीएफ) एवं आस्तिक विकास निधि (एडीएफ) में शेष राशियां

(₹ बिलियन)

30 जून की स्थिति के अनुसार	सीएफ में शेष राशि	एडीएफ में शेष राशि	कुल	कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएफ एवं एडीएफ
1	2	3	4=(2+3)	5
2014	2,216.52	207.61	2,424.13	9.2
2015	2,216.14*	217.61	2,433.75	8.4
2016	2,201.83*	227.61	2,429.44	7.5
2017	2,282.07#	228.11	2,510.18	7.6
2018	2,321.08@	228.11	2,549.19	7.05

*: 30 जून 2015 और 2016 की स्थिति के अनुसार वायदा संविदा पर हुई एमटीएम हानि को वायदा संविदा मूल्यन खाते के नाम शेष प्रभारित करने के कारण आकस्मिक निधि में गिरावट हुई।

#: 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार ₹65.85 बिलियन की राशि का आईआरएस और एफसीवीए के नाम शेष प्रभारित करने तथा ₹131.40 बिलियन प्रावधान का निवल प्रभाव से आकस्मिक निधि की राशि में वृद्धि हुई।

@: 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹168.74 की राशि का आईआरएस-एफएस के नाम शेष प्रभारित करने और ₹141.90 बिलियन प्रावधान का निवल प्रभाव से आकस्मिक निधि में वृद्धि हुई।

बी. आस्तिक विकास निधि (एडीएफ)

आस्तिक विकास निधि 1997-98 में बनाई गई। यह विशेषरूप से अनुषंगियों और सहायक संस्थाओं में निवेश करने तथा आंतरिक पूंजीगत खर्च को पूरा करने के लिए बनाए गए प्रावधानों को दर्शाती है। वर्ष 2017-18 में एडीएफ को अंतरित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार एडीएफ में ₹228.11 बिलियन शेष है।

सी. मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)

रिज़र्व बैंक को पेश आ रहे बाजार जोखिम के प्रमुख स्रोत करेंसी जोखिम, ब्याज जोखिम और स्वर्ण कीमतों में उतार-चढ़ाव हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) एवं स्वर्ण के मूल्यन से संबंधित अप्राप्त लाभ/हानि को आय खाते में नहीं लिया जाता बल्कि इनको सीजीआरए में दर्ज किया जाता है। इसलिए सीजीआरए में निवल शेष आस्तिक आधार के आकार इसके मूल्यन और विनिमय

दरों और स्वर्ण मूल्य में घटबढ़ के साथ परिवर्तित होता है। सीजीआरए विनिमय दर/स्वर्ण मूल्य के उतार-चढ़ावों के लिए बफर मुहैया कराता है। यदि अन्य मुद्राओं के बनाम रुपये में मजबूती आती है अथवा स्वर्ण की कीमतों में गिरावट आती है तो इस पर दबाव पड़ सकता है। जब विनिमय हानियों को पूरा करने में सीजीआरए पर्याप्त नहीं होता है तो आकस्मिक निधि से इसकी पुनःपूर्ति की जाती है। 2017-18 के दौरान, सीजीआरए शेष 30 जून 2017 के अनुसार ₹5,299.45 बिलियन था जो 30.51 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2018 के अनुसार ₹6,916.41 बिलियन हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपये में गिरावट और अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई।

डी. निवेश पुनर्मूल्यन खाता- विदेशी प्रतिभूतियां(आईआरए-एफएस)

दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को आईआरए-एफएस में अंतरित किया जाता है। मौजूदा नीति के अनुसार, आईआरए-एफएस में 30 जून 2018 की स्थिति के ₹168.74 बिलियन के नाम शेष को 30 जून 2018 के अनुसार आकस्मिक निधि के प्रति समायोजित किया गया जिसे अगले वर्ष के पहले कार्यकारी दिवस को वापस किया गया। तदनुसार, 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार आईआरए-एफएस का खाता शेष शून्य था।

ई. निवेश पुनर्मूल्यन खाता - रुपया प्रतिभूति (आईआरए-आरएस)

बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में धारित रुपया प्रतिभूतियां और ऑयल बॉन्डों (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के तहत यथा उल्लिखित अपवाद सहित) का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों

सारणी XII.3: मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए), विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाते (एफसीवीए), वायदा संविदा मूल्यांकन खाते का प्रावधान (पीएफसीवीए), निवेश पुनर्मूल्यन खाते - विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफएस) और निवेश पुनर्मूल्यन खाता - रुपया प्रतिभूतियां (आईआरए-आरएस) में शेष राशियां

(₹ बिलियन)

30 जून की स्थिति	सीजी आरए	एफसीवीए	पीएफ सीवीए	आईआरए-एफ एस	आईआरए-आर एस
1	2	3	4	5	6
2014	5,721.63	42.98	0.00	37.91	0.00
2015	5,591.93	0.00	0.39	32.14	0.00
2016	6,374.78	0.00	14.69	132.66	391.46
2017	5,299.45	0.00	29.63	0.00	570.90
2018	6,916.41	32.62	0.00	0.00	132.85

के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को निवेश पुनर्मूल्यन खाता-रुपया प्रतिभूति (आईआरए-आरए) में अंतरित किया जाता है। 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार आईआरए-आरएस में शेष राशि ₹570.90 बिलियन थी जो 76.73 प्रतिशत कम हो कर 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹132.85 बिलियन हो गई। यह कमी वर्ष के दौरान बैंक द्वारा भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रतिफलों में वृद्धि के कारण थी।

एफ. विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए) और वायदा संविदा मूल्यन खाता (पीएफसीवीए) हेतु प्रावधान

30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया वायदा संविदा के बाजार मूल्य (एमटीएम) में ₹32.62 बिलियन का लाभ हुआ, जिसे वायदा संविदा खाते के पुनर्मूल्यन (आरएफसीए) में प्रतिपक्षी नामे के साथ एफसीवीए में जमा किया गया। वर्तमान नीति के अनुसार इन खातों में जमा राशि को संविदा की परिपक्वता तक सुरक्षित रखा जाएगा। 30 जून 2018 के अनुसार एफसीवीए में ₹32.62 बिलियन शेष राशि थी।

पिछले पाँच वर्षों में सीजीआरए, एफसीवीए, पीएफसीवीए, आईआरए-विदेशी प्रतिभूतियां और आईआरए-आरएस में शेष राशि की स्थिति सारणी XII.3 में दी गई है।

जी. देय राशि के लिए प्रावधान

इस मद के तहत किए गए किंतु चुकता न किए गए खर्च और अग्रिम/देय राशि के रूप में प्राप्त आय, यदि कोई हो, के लिए वर्षांत में किए गए प्रावधानों को दर्शाता जाता है। देय राशियों के लिए किए गए प्रावधान 2016-17 के ₹39.17 बिलियन से 28.82 प्रतिशत घटकर 2017-18 में ₹27.88 बिलियन रह गए।

एच. भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य अधिशेष

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अंतर्गत, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, आस्तियों में मूल्यहास, स्टाफ और अधिवर्षिता निधि में अंशदान और उन सभी मामलों के लिए जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अंतर्गत प्रावधान किए जाने हैं या जो बैंकर्स द्वारा प्रायः प्रदान किए जाते हैं, हेतु प्रावधान करने के बाद बैंक के लाभ की शेष राशि को केंद्र सरकार को भुगतान करना अपेक्षित होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 48 के अंतर्गत बैंक को किसी प्रकार के आयकर अथवा अपनी आय, लाभ अथवा अभिलाभ पर किसी प्रकार के अतिकर का भुगतान नहीं करना है। तदनुसार, व्यय, और सीएफ के लिए प्रावधान तथा ₹0.04 बिलियन सांविधिक निधियों के प्रति अंशदान को समायोजित करने के बाद वर्ष 2017-18 के लिए भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य कुल राशि ₹500 बिलियन है (इसमें पिछले वर्ष के ₹9.93 बिलियन की तुलना में ₹8.49 बिलियन शामिल है जो विशेष प्रतिभूतियों को बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने पर सरकार द्वारा वहन ब्याज व्यय-अंतर के रूप

में देय है)। वर्ष के दौरान ₹500 बिलियन में से ₹100 बिलियन की राशि केंद्र सरकार को अंतरित की गई थी।

i. देय बिल

रिज़र्व बैंक अपने ग्राहकों को मांग ड्राफ्टों (डीडी) और भुगतान आदेशों (पीओ) (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के अतिरिक्त) के जरिए विप्रेषण सुविधा उपलब्ध कराता है। इस मद के तहत शेष बिना दावे के डीडी/पीओ दर्शाता है। इस मद के तहत बकाया कुल राशि 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार ₹0.12 बिलियन से घटकर 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹0.05 बिलियन हो गई।

जे. विविध

यह अवशिष्ट मद है जिसमें निश्चित प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज, छुट्टी के नकदीकरण के कारण देय राशियां, कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रावधान, वैश्विक प्रावधान आदि मदें शामिल हैं। इस मद के तहत शेष राशि 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार ₹18.74 बिलियन से 587.89 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹128.91 बिलियन हो गई। यह वृद्धि प्रमुखतः 'अन्य देयताएं तथा प्रावधान' जो भुगतान के लिए शेष एसबीएन के मूल्य को दर्शाता है तथा ये 'जारी किए गए नोट' देयता शीर्ष के भाग थे, को ₹107.20 बिलियन अंतरित करने के कारण हुई।

XII 5.2 निर्गम विभाग की देयताएं - जारी किए गए नोट

i. निर्गम विभाग की देयताओं से परिचालनगत करेंसी नोटों की मात्रा का पता चलता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 34 (1) में अपेक्षा की गई है कि 1 अप्रैल, 1935 से रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी बैंक नोटों तथा रिज़र्व बैंक का संचालन प्रारम्भ होने से

पहले भारत सरकार द्वारा जारी करेंसी नोटों को निर्गम विभाग की देयताओं में शामिल किया जाना चाहिए। जारी किए गए नोट 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार ₹15,063.31 बिलियन से 26.93 प्रतिशत से बढ़कर 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹19,119.60 बिलियन हो गई। यह वृद्धि जनता की संव्यवहार की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक नोटों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति के संबंध में रिज़र्व बैंक के निरंतर प्रयासों के कारण है।

ii. विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) के रूप में संदर्भित ₹500 और ₹1000 मूल्यवर्ग की सीरीज़ के बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को भारत सरकार सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को जारी गज़ट अधिसूचना संख्या 3407(ई) के द्वारा वापस ले लिया गया। विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (देयताओं की समाप्ति) पर एक अध्यादेश 30 दिसंबर 2016 को प्रख्यापित किया गया, तत्पश्चात इसे (देयताओं की समाप्ति) अधिनियम, 2017 से निरस्त किया गया जो 31 दिसंबर 2016 से प्रभावी था, इसमें यह शर्त थी कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 34 के तहत विनिर्दिष्ट बैंक नोट संबंधी देयता समाप्त हो जाएगी तथा अधिनियम की धारा 26 की उप धारा (1) के तहत इस संबंध में केंद्र सरकार की गारंटी भी समाप्त हो जाएगी। वे भारतीय नागरिक जो 9 नवंबर और 30 दिसंबर 2016 के बीच भारत से बाहर थे उन्हें अपने पास रखे हुए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को रिज़र्व बैंक के कार्यालयों (मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता तथा नागपुर) में कुछ शर्तों के तहत बदलने की रियायत अवधि दी गई।

रिज़र्व बैंक ने विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को या तो सीधे या फिर करेंसी चेस्ट प्रक्रिया के द्वारा बैंक शाखाओं / डाकघरों से प्राप्त किया। विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का सत्यापन तथा प्रोसेसिंग कार्य पूरा हो गया है। सत्यापन और मिलान के बाद 8 नवंबर 2016 के अनुसार विनिर्दिष्ट बैंक नोटों

के कुल संचलन का मूल्य ₹15,417.93 बिलियन था। संचलन से वापस प्राप्त विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का कुल मूल्य ₹15,310.73 बिलियन था। तथापि, भारत सरकार द्वारा 12 मई 2017 को जारी गजट अधिसूचना के अनुसार जहां विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का विधि प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा अधिहरण किया गया है या अभिग्रहण किया गया है या 30 दिसंबर, 2016 को या इससे पूर्व किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसे विनिर्दिष्ट नोटों को खाते में जमा करने के लिए या वैध मुद्रा में उनके मूल्य में विनिमय के लिए कोर्ट के आदेशों तथा अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के तहत संतोषप्रद पाए जाने पर रिज़र्व बैंक के किसी भी कार्यालय में जमा किया जा सकेगा। इसके अलावा, कुछ जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा रखे गए एसबीएन के विनिमय से संबंधित मामला जिसे मौजूदा वैध प्रावधानों के तहत आरबीआई द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था वह माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है। इस प्रकार के विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के मूल्य का भुगतान माननीय न्यायालय के आदेशों के अधीन है। इसी बीच में, ₹107.20 बिलियन मूल्य की राशि के एसबीएन जिनका 30 जून 2018 के अनुसार भुगतान नहीं किया गया है तथा देयता शीर्ष 'जारी किए गए नोट' का भाग बने हुए थे, को 'जारी किए गए नोट' के शेष से हटा दिया गया है तथा 'अन्य देयताएँ तथा प्रावधान' के तहत इस उद्देश्य के लिए बनाए गए विशिष्ट शीर्ष को अंतरित कर दिए गए। विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय मूल्य संबंधी भविष्य में किए जाए वाले सभी भुगतान पात्र प्रस्तोताओं को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत विशिष्ट शीर्ष में से किए जायेंगे।

XII. 6 आस्तियां

XII.6.1 बैंकिंग विभाग की आस्तियां

i) नोट, रुपया सिक्के और छोटे सिक्के

इस मद के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग कार्यों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग विभाग के

वाल्ट में रखे बैंक नोटों, एक रुपया के नोटों, 1, 2, 5 और 10 रुपयों के रुपया सिक्कों तथा छोटे सिक्कों की राशि है। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार शेष राशि ₹0.09 बिलियन थी जबकि 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार यह राशि ₹0.12 बिलियन थी।

ii) स्वर्ण सिक्के और बुलियन

रिज़र्व बैंक के पास 30 जून 2017 के 557.77 मीट्रिक टन की तुलना में 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार 566.23 मीट्रिक टन स्वर्ण है। यह वृद्धि वर्ष के दौरान अतिरिक्त 8.46 मीट्रिक टन स्वर्ण शामिल करने के कारण है।

566.23 मीट्रिक टन में से 292.30 मीट्रिक टन (30 जून 2017 के अनुसार 292.28 मीट्रिक टन) स्वर्ण जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए धारित किया जाता है और उसे निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में अलग से दर्शाया जाता है। 30 जून 2018 के अनुसार 265.49 मीट्रिक टन की तुलना में 273.93 मीट्रिक टन स्वर्ण के शेष को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में माना जाता है। बैंकिंग विभाग के पास धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2017 की स्थिति के ₹627.02 बिलियन से 11.12 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2018 को ₹696.74 बिलियन हो गया, इसका प्राथमिक कारण अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपए में गिरावट तथा वर्ष के दौरान अतिरिक्त 8.44 मीट्रिक टन स्वर्ण शामिल करना रहा है (सारणी XII.6)।

iii) खरीदे और भुनाए गए बिल

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बिलों की खरीद तथा उनको भुनाने का कार्य कर सकता है किन्तु 2017-18 में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक की बही में इस प्रकार की कोई भी आस्ति उपलब्ध नहीं है।

iv) निवेश – विदेशी – बैंकिंग विभाग (बीडी)

रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफ़सीए) में (i) अन्य केंद्रीय बैंकों में जमाराशियाँ (ii)

सारणी XII.4: विदेशी मुद्रा आस्तियों का विवरण (एफसीए)

(₹ बिलियन)

विवरण	30 जून की स्थिति	
	2017	2018
1	2	3
I निवेश-विदेश-आईडी	14,366.89	18,366.85
II निवेश- विदेश-बीडी*	9,319.94	7,983.89
कुल	23,686.83	26,350.74

*: इसमें बीआईएस और स्विफ्ट के शेयर और 30 जून 2017 के ₹98.47 बिलियन की तुलना में 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹104.79 बिलियन पर मूल्यांकित भारत सरकार से अंतरित एसडीआर शामिल है।

टिप्पणियां:

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईएमएफ की उधार के लिए नई व्यवस्था (एनएबी) के अंतर्गत संसाधन उपलब्ध कराने पर सहमत दी है। वर्तमान में एनएबी के तहत भारत की प्रतिबद्धता 4.44 बिलियन एसडीआर(₹428.35 बिलियन/यूएस\$ 6.25 बिलियन) बैठती है। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार एनएबी के तहत एसडीआर 0.47 बिलियन (₹45.39 बिलियन/यूएस\$ 0.66 बिलियन) राशि का निवेश किया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड द्वारा जारी बांडों में राशि, जो कुल 5 बिलियन अमरीकी डालर (₹342.88 बिलियन) से अधिक नहीं होगी, के निवेश के लिए सहमत हो गया है। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसे बांडों में यूएस\$ 2.10 बिलियन (₹144.01 बिलियन) का निवेश किया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आईएमएफ के साथ किए गए नोट खरीद करार, 2016 के अनुसार, रिज़र्व बैंक यूएस\$ 10 बिलियन (₹685.75 बिलियन) के समतुल्य राशि हेतु एसडीआर में अंकित आईएमएफ नोट्स की खरीद करेगा।
- वर्ष 2013-14 के दौरान रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हुआ जिसके अनुसार चरणबद्ध तरीके से एसडीआर का अंतरण भारत सरकार से रिज़र्व बैंक में किया जाएगा। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार, बैंक के पास एसडीआर 1.06 बिलियन (₹101.92 बिलियन; यूएस\$ 1.49 बिलियन) की धारिता थी।
- रिज़र्व बैंक ने सार्क स्वैप करार के तहत सार्क सदस्य देशों के क्षेत्रीय आर्थिक तथा वित्तीय सहयोग सुदृढ़ करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा तथा भारतीय रुपये दोनों में मिलाकर यूएस\$ 2 बिलियन की राशि की पेशकश करने पर सहमति दर्शाई है। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार भूटान के साथ यूएस\$ 0.1 बिलियन (₹6.74 बिलियन) बकाया स्वैप है।

अंतराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) में जमाराशियाँ (iii) वाणिज्य बैंकों की विदेशी शाखाओं में शेष (iv) विदेशी खजाना बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश तथा (v) भारत सरकार से प्राप्त विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) शामिल हैं।

एफसीए को तुलन-पत्र में दो शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया गया है: (ए) 'निवेश-विदेश-बीडी' जिसे बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है तथा (बी) 'निवेश-विदेश-आईडी' जिसे निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है।

निवेश-विदेशी-आईडी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 33 (6) के अनुसार पात्र एफसीए है जो संचलन में नोटों को सहारा देने के लिए उपयोग की जाती है। विदेशी मुद्रा आस्तियों के शेष से 'निवेश-विदेशी-बीडी' तैयार होता है।

पिछले दो वर्षों से संबंधित रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों की स्थिति सारणी XII.4 में दी गई है।

v) निवेश- घरेलू - बैंकिंग विभाग (बीडी)

निवेश में दिनांकित सरकारी रुपया प्रतिभूतियाँ, खजाना बिल और विशेष ऑयल बॉन्ड शामिल हैं। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार बैंक के पास कोई घरेलू ट्रेजरी बिल धारित नहीं थे। रिज़र्व बैंक द्वारा धारित घरेलू प्रतिभूतियाँ जो कि 30 जून 2017 को ₹7,557.50 बिलियन थीं वे 16.67 प्रतिशत गिरकर 30 जून 2018 को ₹6,297.45 बिलियन हो गईं। यह गिरावट (ए) ₹681.05 बिलियन (अंकित मूल्य) की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री संबंधी निवल खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) के जरिए किया गया चलनिधि परिचालन प्रबंधन, (बी) सरकारी प्रतिभूतियों के मोचन और (सी) मूल्यांकन प्रभाव के कारण थी।

निवेश-घरेलू-बीडी के एक भाग को पैरा 2.5 (डी) में वर्णित के अनुसार बहुत सी स्टाफ निधियों तथा डीईए निधि के लिए भी रखा गया है। 30 जून 2018 के अनुसार ₹463.83 बिलियन (अंकित मूल्य) को एक साथ लिए गए स्टाफ निधि तथा डीईए निधि के लिए रखा गया है।

vi) ऋण और अग्रिम

ए) केंद्र और राज्य सरकारें

ये ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के अनुसार अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) के रूप में प्रदान किए जाते हैं। केंद्र सरकार के मामले में सीमाएं उनसे विचार-विमर्श करके समय-समय पर तय की जाती हैं और राज्य सरकारों के मामले में सीमाएं, इस प्रयोजन हेतु गठित सलाहकार समिति/ समूह की सिफ़ारिशों के आधार पर तय की जाती हैं। केंद्र सरकार का

बकाया ऋण और अग्रिम 30 जून 2017 की स्थिति के ₹25.50 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹554.35 बिलियन हो गया। वर्ष 2017-18 के अनुसार राज्य सरकारों के ऋण और अग्रिम 30 जून 2017 की स्थिति के ₹24.18 बिलियन की तुलना में 30 जून 2018 को कम हो कर ₹14.93 बिलियन हो गए।

बी) वाणिज्यिक, सहकारी बैंकों, नाबार्ड और अन्य को ऋण और अग्रिम

- वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम इसमें मुख्यतः चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रिपो के प्रति बकाया राशि शामिल हैं। बकाया राशि 30 जून 2017 को ₹80.25 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2018 को ₹1,006.90 बिलियन हो गई, इसका मुख्य कारण बैंकों की रिपो की तुलना में बकाया राशि में वृद्धि होना रहा।
- नाबार्ड को ऋण और अग्रिम: रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(4ई) के तहत नाबार्ड को ऋण प्रदान कर सकता है। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार कोई ऋण बकाया नहीं है।
- अन्य को ऋण और अग्रिम: इस मद के तहत शेष में राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को दिए गए ऋण और अग्रिम, प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को उपलब्ध कराई गई चलनिधि सहायता तथा प्राथमिक व्यापारियों के साथ संचालित बकाया रिपो/ मीयादी रिपो शामिल रहते हैं। इस मद के अंतर्गत शेष राशि 30 जून 2017 की ₹42.63 बिलियन से 46.31 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2018 को ₹62.37 बिलियन हो गई, जिसका प्रमुख कारण प्राथमिक डीलरों को रिपो की तुलना में बकाया राशि में वृद्धि होना था।

सारणी XII.5: सहयोगी संस्थाओं / एसोशिएट में धारिता

(राशि ₹ बिलियन में)

1	2	3
ए) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	0.50	100
बी) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	0.20	0.40
सी) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)	14.50	100
डी) भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रा.लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	18.00	100
ई) भारतीय रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (पी लि. (आरईबीआईटी))	0.50	100
	कुल	33.70

vii) सहयोगी संस्थाओं/ एसोशिएट में निवेश

30 जून 2018 के अनुसार सहयोगी/अनुषंगी संस्थाओं में किए गए निवेश की जानकारी सारणी XII.5 में दी गई है। 30 जून 2018 को कुल धारिता 30 जून 2017 के समान ही ₹33.70 बिलियन थी।

viii) अन्य आस्तियां

‘अन्य आस्तियों’ में अचल आस्तियां (मूल्यहास का निवल), उपचित आय और (i) स्वैप परिशोधन खाता (एसएए), (ii) वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यन (आरएफसीए) धारित शेष तथा विविध आस्तियां होती हैं। विविध आस्तियों में मुख्य रूप से स्टाफ को दिए गए ऋण और अग्रिम, अपूर्ण परियोजनाओं पर किया गया व्यय, अदा की गई प्रतिभूति जमाराशि, केंद्रीय सरकार को अंतरित अन्तरिम राशि आदि होती हैं। ‘अन्य आस्तियों’ के तहत बकाया राशि 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार 52.15 प्रतिशत बढ़कर ₹405.92 बिलियन हो गयी। 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार यह ₹266.79 बिलियन थी; इसका मुख्य कारण वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को अंतरिम अंतरण करना था।

ए. स्वैप परिशोधन खाता (एसएए)

स्वैप के मामले में, जिसकी दरें बाज़ार की दरों से कम हैं और उसका स्वरूप रिपो जैसा है, वायदा संविदा दर को उस दर से, जिसके आधार पर संविदा किया गया है, घटाकर संविदा की संपूर्ण अवधि में परिशोधित किया जाता है और इसे स्वैप परिशोधन खाते (एसएए) में धारण किया गया है। इस खाते में धारित राशियों को बकाया संविदाएं परिपक्व हो जाने पर रिवर्स किया जाना है। एसएए में बकाया राशि 30 जून 2017 की स्थिति ₹18.48 बिलियन की तुलना में 30 जून 2018 को ₹23.10 बिलियन थी।

बी) वायदा संविदा खाता पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)

वायदा संविदा जो हस्तक्षेप कार्यों के हिस्से के रूप में दर्ज किए जाते हैं वे 30 जून को बाज़ार भाव पर दर्शाए जाते हैं। यदि कोई निवल लाभ है तो उसे एफसीवीए में दर्ज करना होता है और उसकी प्रति-प्रविष्टि (कान्ट्रा एंट्री) आरएफसीए में की जाती है। वायदा संविदाओं पर बाज़ार भाव पर लाभ के कारण 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार आरएफसीए में ₹32.62 बिलियन का नामे शेष था।

XII.6.2 निर्गम विभाग की आस्तियां

जारी किए गए नोटों को सहारा प्रदान करने के लिए निर्गम विभाग द्वारा धारित पात्र आस्तियों में स्वर्ण सिक्के और बुलियन, रुपया सिक्का, निवेश - विदेशी आईडी, भारत सरकार की

रुपया प्रतिभूतियां तथा देशी विनिमय पत्र शामिल किए जाते हैं। रिज़र्व बैंक के पास 566.23 मीट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 292.30 मीट्रिक टन भारत में 30 जून 2018 के स्थिति के अनुसार जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए रखा गया है (सारणी XII.6)। जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2017 को ₹690.30 बिलियन था, जो 7.70 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2018 को ₹743.49 बिलियन हो गया, और यह अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट के कारण हुआ है। जारी किए गए नोटों में वृद्धि के परिणामस्वरूप, जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए धारित निवेश-विदेशी-आईडी 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार ₹14,366.89 बिलियन थी, जो 27.84 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2018 को ₹18,366.85 बिलियन हो गई। निर्गम विभाग द्वारा धारित रुपया सिक्कों की शेष राशि 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार ₹6.12 बिलियन थी, जो 51.31 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹9.26 बिलियन हो गई।

विदेशी मुद्रा भंडार

XII.7 विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर) में स्वर्ण के अलावा मुख्य रूप से एफसीए, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) एवं रिज़र्व ट्रान्च स्थिति (आरटीपी) शामिल है। विशेष आहरण अधिकार, (भारत सरकार से प्राप्त राशि के अलावा और निवेश-विदेशी-बीडी में शामिल) रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का हिस्सा नहीं होते हैं। इसी प्रकार, रिज़र्व ट्रान्च स्थिति आईएमएफ में बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में अंशदान के रूप में है और वह बैंक के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं है। 30 जून 2017 एवं 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति भारतीय रुपए और अमरीकी डॉलर, जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के लिए मूल्यमान मुद्रा है, के रूप में निम्नानुसार सारणी XII.7 (ए) एवं (बी) है।

आय और व्यय का विश्लेषण

आय

XII.8 रिज़र्व बैंक की आय के मुख्य घटकों में 'ब्याज से होने वाली प्राप्ति', जो आय का प्रमुख भाग है तथा 'अन्य आय' हैं, जिनमें (i) डिस्काउंट (ii) विनिमय, (iii) कमीशन,

सारणी XII-6: स्वर्ण की वास्तविक धारिता

	30 जून 2017 के अनुसार मात्रा मीट्रिक टन में	30 जून 2018 के अनुसार मात्रा मीट्रिक टन में
1	2	3
जारी किए गए नोटों को सहारा देने हेतु धारित स्वर्ण (भारत में धारित)	292.28	292.30
बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में धारित स्वर्ण (विदेश में धारित)	265.49	273.93
कुल	557.77	566.23

सारणी XII.7 (ए): विदेशी मुद्रा भंडार रूपए में

(₹ बिलियन)

घटक	30 जून के अनुसार		घट-बढ़	
	2017	2018	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	23,455.08 [^]	26,098.07 [#]	2,642.99	11.27
स्वर्ण	1,317.32 [@]	1,440.23 [*]	122.91	9.33
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	95.80	101.92	6.12	6.39
आईएमएफ में रिजर्व की स्थिति	150.30	170.40	20.10	13.37
विदेशी मुद्रा भंडार (एफआईआर)	25,018.50	27,810.62	2,792.12	11.16

[^]: निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिजर्व बैंक के पास की ₹95.80 बिलियन की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, और (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में ₹135.95 बिलियन का निवेश।
[#]: निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिजर्व बैंक के पास की ₹101.92 बिलियन की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में ₹144.01 बिलियन का निवेश, और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराएं गईं करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को दिए गए ₹6.74 बिलियन उधार।
[@]: इसमें से ₹690.30 बिलियन कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आरिस्ट के रूप में और ₹627.02 बिलियन कीमत के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आरिस्ट के रूप में रखा गया है।
^{*}: इसमें से ₹743.49 बिलियन कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आरिस्ट के रूप में और ₹696.74 बिलियन कीमत के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आरिस्ट के रूप में रखा गया है।

(iv) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों से मिलने वाले प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन (v) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री एवं मोचन से हुई लाभ/हानि (vi) रुपया प्रतिभूतियां अंतर पोर्टफोलियों हस्तांतरण पर मूल्यहास (vii) प्राप्त किराया, (viii) बैंक की संपत्ति की बिक्री से हुआ लाभ अथवा हानि, एवं (ix) ऐसे प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय शामिल हैं। आय के कतिपय मद, जैसे, एलएएफ रिपो से प्राप्त ब्याज, विदेशी प्रतिभूति में रिपो और विनिमय लाभ निवल आधार पर रिपोर्ट किए जाते हैं।

सारणी XII.7 (बी): अमरीकी डॉलर में विदेशी मुद्रा भंडार

(अमरीकी डॉलर बिलियन)

घटक	30 जून के अनुसार		घट-बढ़	
	2017	2018	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	362.39 [*]	380.77 ^{**}	18.38	5.07
स्वर्ण	20.35	21.00	0.65	3.19
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	1.48	1.49	0.01	0.68
आईएमएफ में रिजर्व की स्थिति	2.32	2.48	0.16	6.9
विदेशी मुद्रा भंडार (एफआईआर)	386.54	405.74	19.20	4.97

^{*}: निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिजर्व बैंक के पास की 1.48 बिलियन अमरीकी डॉलर की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में 2.10 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश।
^{**}: निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिजर्व बैंक के पास की 1.49 बिलियन अमरीकी डॉलर की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में 2.10 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश, और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराएं गईं करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को रूपए में दी गईं करेंसी के समतुल्य 0.10 बिलियन अमरीकी डॉलर उधार।

चालू वर्ष 2017-18 में 'रुपया प्रतिभूतियां अंतर पोर्टफोलियों हस्तांतरण पर मूल्यहास' शीर्ष को जोड़ा गया है। इस शीर्ष में शेष पैरा 2.5 (डी) में वर्णित के अनुसार डीईए निधि तथा स्टाफ निधियों के प्रयोजन के लिए रुपया प्रतिभूतियों के अलग मूल्यहास को दर्शाता है।

विदेशी स्रोतों से आय

XII.9 विदेशी स्रोतों से होने वाली आय 2016-17 में ₹185.86 बिलियन थी, जो 47.43 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में ₹274.01 बिलियन हो गई, जो मुख्य रूप से सभी मुद्राओं की प्रतिफल / ब्याज दरों में सामान्य वृद्धि से हुआ।

सारणी XII.8: विदेशी स्रोतों से आय

(₹ बिलियन)

मद	30 जून की स्थिति के अनुसार		घट-बढ़	
	2017	2018	Absolute	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	23,686.83	26,350.74	2,663.91	11.25
औसत एफसीए	23,110.09	25,170.70	2,060.61	8.92
एफसीए से अर्जन (ब्याज, डिस्काउंट, विनिमय लाभ/हानि, प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ / हानि)	185.86	274.01	88.15	47.43
औसत एफसीए के प्रतिशत के रूप में एफसीए से अर्जन	0.80	1.09	0.29	36.25

विदेशी मुद्रा आस्तियों से होने वाली आय की दर 2016-17 की 0.80 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में 1.09 प्रतिशत पर उच्च थी [सारणी XII.9]।

घरेलू स्रोतों से आय

XII.10 घरेलू स्रोतों से होने वाली आय 2016-17 में ₹432.32 बिलियन थी, जो 17.69 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में ₹508.80 बिलियन हो गई, जो मुख्य रूप से 2016-17 की तुलना में बैंकिंग प्रणाली में निम्न अधिशेष चलनिधि के कारण एलएएफ / एमएसएफ के अंतर्गत कम निवल ब्याज की वजह से हुआ (सारणी XII.9)।

XII.11 रुपया प्रतिभूतियों और ऑयल बॉन्डों को धारण करने से होने वाला ब्याज 2016-17 में ₹542.17 बिलियन था, जो 11.53 प्रतिशत घटकर 2017-18 में ₹479.68 बिलियन हो गया। 2017-18 में लगभग ₹681.05 बिलियन की ओएमओ बिक्री के परिणामस्वरूप आरबीआई की सरकारी प्रतिभूतियों में धारिता घटने के कारण कूपन आय में गिरावट हुई।

XII.12 एलएएफ / एमएसएफ परिचालनों से होने वाली निवल ब्याज आय 2016-17 में (-) ₹173.66 बिलियन थी, जो ₹79.50 बिलियन बढ़कर 2017-18 में (-) ₹94.16 बिलियन हो गई। एलएएफ/एमएसएफ परिचालनों से होने वाली निवल ब्याज देय आय में वृद्धि का कारण बैंकिंग प्रणाली में निम्न अधिशेष चलनिधि के परिणामस्वरूप 2017-18 में रिवर्स रिपो के तहत निम्न ब्याज देय था।

XII.13 प्रतिभूतियों की बिक्री और शोधन पर होने वाला लाभ 2016-17 के ₹4.62 बिलियन से 1206.49 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में ₹60.36 बिलियन हो गया जो कि 2016-17 में ₹0.30 बिलियन के विक्रय परिचालन की तुलना में 2017-18 में ₹900.00 राशि के विक्रय परिचालन के कारण था।

XII.14 घरेलू प्रतिभूतियों के परिशोधन से प्राप्त होने वाला प्रीमियम/डिस्काउंट: बैंक द्वारा धारित रुपया प्रतिभूतियों और ऑयल बॉन्डों को अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के दौरान दैनिक आधार पर परिशोधित किया जाता है और प्रीमियम/ डिस्काउंट

को आय शीर्ष में जमा किया जाता है। घरेलू प्रतिभूतियों के परिशोधन पर प्रीमियम/डिस्काउंट से होने वाली निवल आय 2016-17 में ₹35.47 बिलियन थी जो 12.24 प्रतिशत गिरकर 2017-18 में ₹31.13 बिलियन हो गई।

XII.15 ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज

ए. केंद्र और राज्य सरकार :

केंद्र और राज्य सरकारों से अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए)/ओवरड्राफ्ट (ओडी) पर ब्याज से प्राप्त होने वाली आय 2016-17 के दौरान ₹5.37 बिलियन थी, जो 2017-18 में 9.12 प्रतिशत बढ़कर ₹5.86 बिलियन हो गई। केंद्र से अर्थोपाय अग्रिमों / ओवरड्राफ्ट पर ब्याज से होने वाली आय 2016-17 के दौरान ₹3.98 बिलियन थी, जो 2017-18 में बढ़कर ₹4.34 बिलियन हो गई और राज्य से अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्ट/विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) पर ब्याज से होने वाली आय 2016-17 के दौरान ₹1.39 बिलियन थी, जो 2017-18 में बढ़कर ₹1.52 बिलियन हो गई। आय में वृद्धि 2017-18 में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अर्थोपाय अग्रिमों /ओवरड्राफ्ट के उच्च उपयोग के कारण हुई।

बी. बैंक और वित्तीय संस्थाएं : बैंक और वित्तीय संस्थाओं को प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों से प्राप्त ब्याज 2016-17 में ₹1.06 बिलियन था, जो 2017-18 में 27.36 प्रतिशत बढ़कर ₹1.35 बिलियन हो गया।

सी. कर्मचारी : कर्मचारियों को प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों से प्राप्त ब्याज 2016-17 में ₹0.46 बिलियन था, जो 2017-18 में बढ़कर 26.09 प्रतिशत बढ़कर ₹0.58 बिलियन हो गया।

XII.16 कमीशन: कमीशन आय 2016-17 में ₹18.41 बिलियन थी, जो 2017-18 में 10.54 प्रतिशत बढ़कर ₹20.35 बिलियन हो गई, जिसकी प्रमुख वजह केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋणों की बकाया राशि से

सारणी XII.9: घरेलू स्रोतों से आय

(₹ बिलियन में)

मद	2016-17	2017-18	घट-बढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अर्जन (I+II+III)	432.32	508.80	76.48	17.69
I. घरेलू प्रतिभूतियों से अर्जन				
i) घरेलू प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	542.17	479.68	-62.49	-11.53
ii) प्रतिभूतियों की बिक्री एवं मोचन पर लाभ	4.62	60.36	55.74	1,206.49
iii) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलियो अंतरण पर मूल्यहास	0.00	-0.08	-0.08	-
iv) घरेलू प्रतिभूतियों के परिशोधन पर प्रीमियम/डिस्काउंट	35.47	31.13	-4.34	-12.24
v) एलएएफ परिचालनों पर निवल ब्याज	-174.26	-95.41	78.85	45.25
vi) एमएसएफ परिचालनों पर ब्याज	0.60	1.25	0.65	108.33
उप जोड़ (i+ii+iii+iv+v+vi)	408.60	476.93	68.33	16.72
II. ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज				
i) सरकार (केन्द्र और राज्य)	5.37	5.86	0.49	9.12
ii) बैंक और वित्तीय संस्थाएं	1.06	1.35	0.29	27.36
iii) कर्मचारी	0.46	0.58	0.12	26.09
उप जोड़ (i+ii+iii)	6.89	7.79	0.90	13.06
III. अन्य अर्जन				
i) बट्टा	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) विनिमय	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) कमीशन	18.41	20.35	1.94	10.54
iv) वसूला गया किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री पर लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध	-1.58	3.73	5.31	336.08
उप जोड़ (i+ii+iii+iv)	16.83	24.08	7.25	43.08

होने वाले प्राप्त प्रबंधन कमीशन में वृद्धि; जिसमें बचत बांड, सरकारी प्रतिभूतियां (जी-सेक), खजाना बिल (टी-बिल) एवं नकद प्रबंधन बिल (सीएमबी) शामिल हैं।

XII.17 प्राप्त किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री से होने वाला लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय: आय की उपर्युक्त मदों से अर्जन 2016-17 में ₹(-) 1.58 बिलियन था, जो 2017-18 में बढ़कर ₹3.73 बिलियन हो गया।

व्यय

XII.18 रिज़र्व बैंक अपने सांविधिक कार्यों को पूरा करने में अनेक प्रकार के व्यय करता है जैसे, एजेंसी प्रभार/कमीशन, नोटों का मुद्रण, खजाना के विप्रेषण पर व्यय और साथ ही स्टाफ संबंधी एवं अन्य व्यय। बैंक का कुल व्यय 2016-17 में ₹311.55 बिलियन के मुकाबले 2017-18 में 9.24 प्रतिशत

की कमी के कारण ₹282.77 बिलियन रहा जो प्रमुख रूप से नोटों के मुद्रण पर आने वाले खर्चों के घटने की वजह से रहा।

i) ब्याज

2017-18 के दौरान ब्याज के रूप में ₹0.01 बिलियन डॉ. बी.आर. अंबेडकर निधि (जिसकी स्थापना स्टाफ के संतानों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए की गई है) एवं कर्मचारी हितकारी निधि में जमा किया गया।

ii) कर्मचारी लागत

कर्मचारी लागत 2016-17 में ₹46.21 बिलियन थी, जो 2017-18 में 16.73 प्रतिशत घटकर ₹38.48 बिलियन हो गई। यह कमी मुख्य रूप से बैंक द्वारा विभिन्न सेवानिवृत्त निधियों में योगदान और मामूली रूप से बढ़े वेतन समझौते के कुल प्रभावों के कारण रही। सेवानिवृत्त

सारणी XII.10: व्यय

(₹ बिलियन में)

मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5	6
i. ब्याज भुगतान	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01
ii. कर्मचारी लागत	43.24	40.58	44.77	46.21	38.48
iii. एजेंसी प्रभार/कमीशन	33.25	30.45	47.56	40.52	39.03
iv. नोटों का मुद्रण	32.14	37.62	34.21	79.65	49.12
v. प्रावधान	0.00	10.00	10.00	131.90	141.90
vi. अन्य	10.67	14.90	13.35	13.26	14.23
कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)	119.34	133.56	149.90	311.55	282.77

निधियों में योगदान इन निधियों के अंतर्गत देयताओं के वास्तविक मूल्य पर निर्भर करता है।

iii) एजेंसी प्रभार/कमीशन

2016-17 तक, आइटम 'टर्नओवर कमीशन राहत बांड / बचत बांड पर बैंकों को भुगतान किया गया' उप-शीर्षक 'सरकारी लेनदेन पर एजेंसी कमीशन' में शामिल किया गया था। इसे अब अनुसूची 14 के 'उप-शीर्षक (iii) - विविध' के साथ फिर से समूहीकृत किया गया है।

ए. सरकारी लेनदेनों पर एजेंसी कमीशन

रिज़र्व बैंक, एजेंसी बैंक शाखाओं के बहुत बड़े नेटवर्क के माध्यम से सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। ये शाखाएं सरकारी लेनदेनों के लिए खुदरा आउटलेट के रूप में कार्य करती हैं। रिज़र्व बैंक एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन अदा करता है जिसे पिछली बार 01 जुलाई 2012 से संशोधित किया गया था। सरकारी कारोबार के लिए इन बैंकों को अदा किया गया एजेंसी प्रभार 2016-17 में ₹39.68 बिलियन था, जो 2017-18 में 5.24 प्रतिशत घटकर ₹37.60

बिलियन रह गया। यह कमी सरकारी लेन-देन में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में स्थानांतरण, विशेष रूप से जुलाई 1, 2017 से लागू जीएसटी फ्रेमवर्क और सरकारी प्रणाली का लेन-देन के लिए आरबीआई के ई-कुबेर के साथ एकीकृत हो जाना हो सकता है।

बी. प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन

रिज़र्व बैंक द्वारा 2017-18 के दौरान कुल हामीदारी कमीशन के रूप में ₹1.13 बिलियन का भुगतान किया गया, जबकि 2016-17 में ₹0.53 बिलियन का भुगतान किया गया था। 2017-18 में हामीदारी कमीशन में हुई 113.21 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिफल में छिटपुट अवधि में अस्थिरता और भारत सरकार के उधारी कैलेंडर में संशोधन के कारण आई अनिश्चितता, बाजार में तरलता में उतार-चढ़ाव, बैंकिंग सेक्टर विकास आदि के कारण हो सकती है।

सी. विविध खर्च

इस व्यय में हैंडलिंग प्रभार, 'टर्नओवर कमीशन राहत/बचत बांड पर बैंकों को भुगतान और प्रतिभूति उधार और उधार प्रबंध (एसबीएलए) शामिल है। इस शीर्षक के अंतर्गत भुगतान किया गया कमीशन 2016-17 के ₹0.06 बिलियन से बढ़कर 2017-18 में ₹0.08 बिलियन हो गया।

डी. बाह्य आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क

2017-18 के दौरान अभिरक्षा सेवाओं के लिए अदा किया गया शुल्क ₹0.22 बिलियन रह गया, जो 2016-17 में ₹0.25 बिलियन था।

iv) नोट मुद्रण

2016-17 में नोटों के मुद्रण पर ₹79.65 बिलियन खर्च हुआ, जो 2017-18 में 38.33 प्रतिशत घटकर ₹49.12 बिलियन रह गया। यह कमी मुख्य रूप से वर्ष 2017-18 में नोटों की आपूर्ति में 25,003 मिलियन पीसेस कमी के कारण थी जो पिछले वर्ष 29,043 मिलियन पीसेस की आपूर्ति के मुकाबले 14 प्रतिशत कम थी।

v) अन्य

अन्य खर्च 2016-17 के ₹13.26 बिलियन से 7.32 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में ₹14.23 बिलियन रह गया, जिनमें खजाना के विप्रेषण, मुद्रण और लेखन-सामग्री, लेखापरीक्षा शुल्क और संबंधित व्यय, विविध व्यय, आदि शामिल हैं। यह मुख्यतः 2017-18 के दौरान अचल संपत्तियों के मूल्यहास में हुई वृद्धि के कारण रहा।

vi) प्रावधान

2017-18 में ₹141.90 बिलियन को आकस्मिकता निधि (सीएफ) में अंतरित करने का प्रावधान किया गया था।

आकस्मिक देयताएं

XII.19 बैंक की कुल आकस्मिक देयताएं ₹743.00 बिलियन हो गईं, जिसके मुख्य घटक हैं - (ए) फार्वर्ड्स और स्वैप्स में बैंक के एक्सपोजर के लिए ₹733.00 बिलियन; एवं (बी) बैंक, एसडीआर मूल्यवर्ग में, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर धारण करता है। बीआईएस के

आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों के संबंध में अनाहूत देयता 30 जून 2018 को ₹8.61 बिलियन थी। शेष देयताएं, बीआईएस के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार तीन माह की सूचना पर मांगी जा सकती हैं।

पूर्व अवधि के लेनदेन

XII.20 पूर्व अवधि के लेनदेनों के प्रकटीकरण के लिए केवल ₹0.01 मिलियन और उससे अधिक के लेनदेनों पर विचार किया गया है। व्यय एवं आय के अंतर्गत पूर्व अवधि के लेनदेन क्रमशः ₹0.90 बिलियन एवं ₹0.15 बिलियन थे।

पिछले वर्ष के आंकड़े

XII.21 पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर मौजूदा वर्ष के साथ उनकी तुलना की जा सके।

लेखा-परीक्षक

XII.22 बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्ष 2017-18 की लेखा-बहियों की लेखा-परीक्षा मेसर्स छाजेड एंड दोशी, मुंबई एवं मेसर्स जी. पी. कपाड़िया एंड कंपनी, मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों के रूप में और मेसर्स एम. सी. भंडारी एंड कंपनी, कोलकाता, मेसर्स पी. बी. विजयराघवन एंड कंपनी, चेन्नै तथा मेसर्स मेहरा गोयल एंड कंपनी, नई दिल्ली द्वारा सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों के रूप में की गई।

अनुबंध

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: जुलाई 2017 से जून 2018*

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
मौद्रिक नीति विभाग	
2 अगस्त 2017	नीतिगत रिपो दर को 25 आधार अंक घटाकर 6.0 प्रतिशत कर दिया गया।
4 अक्टूबर	14 अक्टूबर 2017 से एसएलआर को 50 आधार अंक घटाकर 19.5 प्रतिशत कर दिया गया। 'परिपक्वता तक धारित' के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों की सीमा में भी चरणवार कटौती करके 31 मार्च 2018 तक 19.5 प्रतिशत कर दिया गया।
6 जून 2018	नीतिगत रिपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया गया।
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग	
6 जुलाई 2017	लघु वित्त बैंकों के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गये जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय समावेशन संबंधी उद्देश्य, गतिविधियों का दायरा और मार्गदर्शन को शामिल किया गया।
13 जुलाई	वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और ग्रामीण बैंक शाखाओं को वित्तीय जागरूकता संदेशों पर दृक-श्राव्य (ओडीयो-विजुअल) एवं पोस्टर दिखाने के लिए हस्त-चालित प्रोजेक्टरों का उपयोग करने की सलाह दी गई।
13 जुलाई	बैंकों को उन दस्तावेजों के संबंध में अनुदेश दिए गए, जिन पर उद्यमों को सूक्ष्म, छोटे और मध्यम के रूप में वर्गीकृत करने हेतु संयंत्र और मशीनरी में निवेश को सुनिश्चित करते समय भरोसा किया जाना है।
3 अगस्त	बैंकों को सूचित किया गया कि प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में वास्तविक समय के आधार पर डेटा संग्रह और संकलन के लिए एक समर्पित पोर्टल की स्थापना करें। बैंकों को उनके द्वारा किए गये राहत उपायों से संबंधित डेटा फाइल को अपलोड करना था। एसएलबीसी से अपेक्षित था कि प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राज्यों की अधिसूचनाएं अपलोड करें।
16 अगस्त	बैंकों को 2017-18 के दौरान अल्पकालिक फसल ऋण के लिए ब्याज अनुदान योजना को लागू करने के लिए सरकार के अनुमोदन से अवगत कराया गया।
21 सितंबर	बैंकों को सूचित किया गया कि 2017-18 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र को उधार के अंतर्गत उपलब्धियों की गणना के लिए लागू प्रणालीगत व्यापक औसत संख्या 11.78 प्रतिशत होगी।
18 अक्टूबर	दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डी-एनआरएलएम) तथा ब्याज अनुदान योजना के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गये।
1 मार्च 2018	समायोजित निवल बैंक ऋण के 8 प्रतिशत के उप-लक्ष्य या तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की समतुल्य ऋण राशि, जो भी अधिक हो, 2018-19 से छोटे और सीमांत किसानों को उधार देने के लिए 20 और उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों पर लागू होगी। बैंकों को सूचित किया गया कि सेवाएं उपलब्ध कराने या प्रदान करने में लगे एमएसएमई के सभी ऋण किसी भी अधिकतम ऋण सीमा के बिना प्राथमिकता क्षेत्र के तहत अर्हताप्राप्त होंगे।
6 अप्रैल	एसएलबीसी समन्वयक/अग्रणी बैंकों को अग्रणी बैंक योजना में सुधार के लिए कदम उठाने हेतु सूचित किया गया।
18 अप्रैल	किसानों, छोटे उद्यमियों, स्कूली बच्चों, स्वयं सहायता समूहों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लक्ष्य-समूह विशिष्ट वित्तीय साक्षरता सामग्री जारी की गयी।
19 जून	प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत पात्रता को सस्ती आवास योजना के अनुरूप बनाने के लिए आवास ऋण सीमाओं को संशोधित किया गया।
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	
10 अगस्त 2017	त्रि-पक्षीय रिपो संबंधी निदेश जारी किए गये।
10 अगस्त	सीपी निर्गमन के लिए सालाना ₹10 बिलियन से अधिक के निर्गमन, संबंधित पक्ष निर्गमन पर प्रतिबंध, और पुनर्खरीद समय सीमा के विस्तार के लिए दोहरी रेटिंग आवश्यकताओं जैसे उपाय किए गये।
21 सितंबर	ओटीसी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियों की व्यापार निक्षेपागार के लिए रिपोर्टिंग अपेक्षाएं संशोधित की गईं। इसके अलावा, एडी श्रेणी -1 बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी बही और व्यापार निक्षेपागार के बीच बकाया शेषों का मिलान निरंतर आधार पर करें।

*सांकेतिक स्वरूप के हैं और विस्तृत विवरण रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

वार्षिक रिपोर्ट

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
12 अक्तूबर 2017	भारत से निर्यात और आयात के कारण भारतीय रुपये का एक्सपोज़र रखने वाले अनिवासियों के केंद्रीय कोषागारों को भारत में एडी श्रेणी -1 बैंकों के साथ ऐसे अनिवासियों की ओर से और उनके लिए हेजिंग करने की अनुमति दी गयी।
9 नवंबर	प्रलेखन अपेक्षाओं को कम करके, उत्पादों, उद्देश्य और हेजिंग के लचीलेपन के संबंध में निर्धारक शर्तों से परहेज करते हुए, हेजिंग सुविधा को सरल बनाया गया।
16 नवंबर	एफपीआई को टी-1 या टी+2 आधार पर सरकारी प्रतिभूति में ओटीसी द्वितीयक बाजार सौदों के निपटान करने की अनुमति दी गयी।
16 नवंबर	बाजार प्रतिभागियों को बाजार दबाव की असाधारण स्थिति में अपने स्वयं के एचटीएम/एफएस/एचएफटी पोर्टफोलियो से सरकारी प्रतिभूति सुपुर्द करने के लिए 'नोशनल' शॉर्ट सेल करने की अनुमति दी गयी।
26 फरवरी 2018	भारत में निवासी व्यक्तियों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव मार्केट में अपने मौजूदा अंतर्निहित एक्सपोज़र को स्थापित किए बिना भारतीय रुपये को शामिल करते हुए सभी एक्सचेंजों में किए गए सौदों को एक साथ रखते हुए सभी करेंसी युग्मों के लिए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य मुद्रा की एकल सीमा तक पोज़ीशन (लॉंग या शॉर्ट) लेने की अनुमति दी गई।
1 मार्च	एफपीआई को आईआरएफ में लॉन्ग पोज़ीशन के लिए ₹50 बिलियन की अलग सीमा आबंटित की गई।
12 मार्च	विदेशी बाजारों में कमोडिटी मूल्य जोखिम और माल ढुलाई जोखिम का हेजिंग (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 जारी किए गए।
31 मार्च	फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) को सूचित किया गया कि 31 मार्च, 2018 से सरकारी प्रतिभूति (केंद्र और राज्यों द्वारा जारी) के प्रशासन की जिम्मेदारी वहन करें।
6 अप्रैल 2018	सरकारी प्रतिभूति के बकाया स्टॉक में एफपीआई के निवेश की सीमा को बढ़ा कर वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए क्रमशः 5.5 प्रतिशत और 6 प्रतिशत किया गया। इसके अलावा, कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई निवेश की सीमा बकाया स्टॉक के 9 प्रतिशत पर तय की गयी।
14 जून	रुपये में इन्टरेस्ट रेट स्वेपशन की अनुमति दी गई ताकि अपने ब्याज दर जोखिम का बचाव तलाशने वाले बाजार सहभागियों को समय संबंधी रियायत मिल सके।
15 जून	कॉर्पोरेट बॉन्डों में न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता अपेक्षा, प्रतिभूतिवार सीमा (केंद्र सरकार प्रतिभूति के लिए बकाया स्टॉक के 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 30 प्रतिशत तक), संकेंद्रण सीमा तथा एकल / समूह-वार सीमा के संबंध में ऋण लिखत में एफपीआई निवेश पर परिचालनगत दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया।
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	
6 जून 2018	दिनांक 01 अगस्त 2018 से एलएएफ और एएसएफ के तहत मार्जिन आवश्यकता को संपार्श्विक की अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा, रेटेड एसडीएल के लिए मार्जिन आवश्यकता उसी परिपक्वता समूह के लिए अनरेटेड एसडीएल से 1 प्रतिशत कम होगी।
विदेशी मुद्रा विभाग	
28 जुलाई	भारत में प्राधिकृत व्यापारी (श्रेणी I) बैंकों के माध्यम से गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा जावक विप्रेषण सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए मानक ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क बनाया गया।
13 सितंबर	सम्पूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी), केवाईसी मानदंडों, डेबिट कार्ड में विदेशी मुद्रा के नकदीकरण को लोड करने, मुद्रा बदलने संबंधी अनुज्ञप्ति के अनिवार्य प्रदर्शन, एफएफएमसी के लिए लाइसेंस शुल्क लगाने और एफएफएमसी द्वारा नवीकरण आवेदन जमा करने में देरी के लिए विलंब शुल्क हेतु सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने पर कुछ बदलावों को मुद्रा परिवर्तन गतिविधियों से संबंधित मास्टर दिशा-निर्देश में शामिल किया गया।
15 सितंबर	एडी श्रेणी -1 बैंकों को ईडीपीएमएस और डीजीएफटी में डेटा की समरूपता सुनिश्चित करने के लिए 'ज्यों और जब वसूली होने के आधार' पर ईडीपीएमएस में निर्यात डेटा को अद्यतन करने और 16 अक्तूबर 2017 से सिर्फ ईडीपीएमएस में उपलब्ध आंकड़ों से इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाण-पत्र (ईबीआरसी) जेनेरेट करने का निदेश दिया गया।
22 सितंबर	3 अक्तूबर 2017 से एफपीआई द्वारा कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश के लिए सीमा से आरडीबी के निर्गमन को हटा दिया गया। परिणामस्वरूप, निक्षेपागारों को आगे की रिपोर्टिंग के लिए आरडीबी लेनदेनों की ईमेल रिपोर्टिंग अपेक्षा को खत्म कर दिया गया। हालांकि, मौजूदा ईसीबी मानदंडों के अनुसार आरडीबी की रिपोर्टिंग जारी रहेगी।
7 नवंबर	भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में निवेश को विनियमित करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017 (फेमा 20 आर) स्थापित की गई। यह अधिसूचना, समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की दो अधिसूचनाओं, अधिसूचना सं. फेमा 20/2000 –आरबी तथा अधिसूचना सं. 24/2000-आरबी, का अधिक्रमण करती है।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
14 नवंबर 2017	समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश दिशानिर्देशों में परिवर्तनों से संबंधित अधिसूचना सं. फेमा 369/ 2017-आरबी जारी की गयी।
15 नवंबर	ईडीपीएमएस के साथ एकीकरण के कारण लदान बिल की एक्स्चेंज कंट्रोल प्रति को बंद किया गया।
8 दिसंबर	प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों (एमसी) को सूचित किया गया कि वे एमसी अथवा उसके निदेशकों के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय (डीओई)/ राजस्व आसूचना निदेशालय अथवा किसी अन्य विधि प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा प्रारंभ की गई किसी भी कार्रवाई के बारे में ऐसी कार्रवाई प्रारम्भ होने के एक महीने के भीतर रिपोर्ट करें।
14 दिसंबर	तर्कसंगत बनाई गयी अधिसूचना में निर्धारित रिपोर्ट्स/ फॉर्म/ विवरणियों जैसे विदेशी मुद्रा-शेयरों का अंतरण(एफसी-टीआरएस) तथा विदेशी मुद्रा- सकाल अनंतिम विवरणी (एफसी-जीपीआर) के विलंब से फाइल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए विलंब से प्रस्तुति शुल्क का प्रारंभ किया गया।
22 दिसंबर	ऐसे उल्लंघनों के कंपाउंडिंग के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया जो विभिन्न रिपोर्ट्स/ फॉर्म/ विवरणियों को रिपोर्ट करने में विलंब से संबंधित नहीं हैं।
4 जनवरी 2018	विद्यमान ईसीबी के पुनर्विक्तपोषण को भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं/ सहयोगी संस्थाओं तक विस्तारित किया गया जिसके अंतर्गत उन्हें उच्च रेटिंग प्राप्त (AAA) कंपनियों (कॉर्पोरेट्स) तथा सार्वजनिक स्तर के नवरत्न तथा महारत्न श्रेणी के उपक्रमों के ईसीबी का पुनर्विक्त पोषण करने की अनुमति दी गयी।
4 जनवरी	रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार किसी देश/ क्षेत्राधिकार, जो कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की निगरानी के अंतर्गत है अथवा जिसके संबंध में एफएटीएफ अथवा किसी अन्य देश/क्षेत्राधिकार ने वर्धित उचित सावधानी बरतने की सिफारिश की है, में संयुक्त उद्यम/ पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी (जेवी/डब्ल्यूओएफ) को लेखापरीक्षा नहीं किए गए तुलनपत्र के आधार पर वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) फाइल करने की अनुमति नहीं दी गयी।
4 जनवरी	भारत में विदेशी निवेश तथा फेमा में उससे संबंधित पहलुओं पर अनुदेशों को पहली बार संकलित करके जारी किया गया।
12 जनवरी	एडी श्रेणी-I के बैंकों को सूचित किया गया कि वे निर्यातकों से निर्यात संवर्धन के लिए मुक्त रूप से निर्यात योग्य मर्दों (रत्न तथा आभूषण, स्वर्ण तथा बहुमूल्य धातुओं से बनी वस्तुओं को छोड़कर) के बिना किसी लागत के मुफ्त आधार पर निर्यात के लिए निर्यात घोषणा फॉर्म (ईडीएफ) से छूट प्रदान करने के लिए प्राप्त अनुरोधों पर विचार करें।
24 जनवरी	कंपाउंडिंग हेतु अनुरोध करने वाले आवेदकों से भरवाए जाने वाले प्रवर्तन निदेशालय (डीओई) द्वारा अन्वेषण से संबंधित घोषणापत्र के प्रारूप में परिवर्तन किया गया है।
2 फरवरी	आईडीपीएमएस के स्थिरीकरण के परिणामस्वरूप, दिसंबर 2017 को समाप्त छमाही से एडी श्रेणी -1 बैंक द्वारा बिल ऑफ एन्ट्री फॉलो-अप (बीईएफ) विवरणियों को अलग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता को खत्म किया गया। तथापि, प्राधिकृत व्यापारियों को फॉलो-अप हेतु ई-मेल / एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा तेजी से संचार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों को शामिल करने हेतु अनुदेशों को व्यापक बनाया गया है। प्राधिकृत व्यापारियों से अपेक्षित होगा कि वे कम से कम एक बार पंजीकृत पत्र के माध्यम से फॉलो-अप करें।
13 मार्च	गैर-पूँजीगत वस्तुओं (सोने, पैलेडियम, प्लैटिनम, रोडियम, चांदी, आदि को छोड़कर) के आयात के मामले में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों द्वारा किसी विदेशी आपूर्तिकर्ता, बैंक या वित्तीय संस्थान के पक्ष में एक वर्ष तक की अधिकतम अवधि के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रति आयात लेनदेन तक वचन-पत्र (एलओयू) / चुकौती आश्वासन-पत्र (एलओसी) जारी करने की प्रथा को अनुमति दी गई थी। पूँजीगत वस्तुओं के आयात के मामले में प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा अधिकतम तीन वर्षों की अवधि हेतु गारंटी/ वचन-पत्र (एलओयू) / चुकौती आश्वासन-पत्र (एलओसी) जारी किए जा सकते हैं। भारत में आयात पर व्यापार ऋणों हेतु जारी किए जाने वाले वचन-पत्र (एलओयू) / चुकौती आश्वासन-पत्र (एलओसी) जारी करने की प्रथा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है। रिपोर्टिंग प्रारूप को भी तदनुसार संशोधित किया गया है।
16 मार्च	विलंब से प्रस्तुति हेतु विलंब शुल्क (एलएसएफ) हेतु ₹100 की फ्लोर लिमिट (न्यूनतम लागू राशि) की शुरुआत की गयी।
20 मार्च	विदेशी मुद्रा प्रबंध (सीमापारीय विलयन) विनियमावली, 2018 पर फेमा अधिसूचना सं. फेमा 389/2017-आरबी जारी की गयी।
26 मार्च	अधिसूचना सं. फेमा 21(आर), जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अधिग्रहण और अंतरण) विनियमावली, 2018 से संबंधित है, को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
6 अप्रैल	(i) दिनांक 26 मार्च 2018 को फेमा 20(आर) में संशोधन के प्रकाशन के परिणामस्वरूप, (ii) स्वचालित मार्ग के तहत रियल एस्टेट ब्रोकिंग सेवाओं में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दी गयी। (iii) रिज़र्व बैंक के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत निवेश कंपनियों में 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग के तहत किया जाएगा। (iv) भारतीय कंपनियों को भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को स्वचालित मार्ग के तहत अथवा यदि भारतीय निवेशिती कंपनी सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत क्षेत्र में शामिल है, तो उसे सरकार के पूर्वानुमोदन से पूँजीगत लिखतें जारी करने की अनुमति है।

वार्षिक रिपोर्ट

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
12 अप्रैल 2018	प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) की परिभाषा को भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के रूप में संशोधित किया गया है, जो नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 (ए) के तहत प्रवासी भारतीय नागरिकता कार्ड-धारक के रूप में पंजीकृत है। अनिवासी भारतीय (एनआरआई) / प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) के लिए भारत में अचल संपत्ति के अधिग्रहण एवं अंतरण संबंधी शर्तें निर्धारित की गयी।
12 अप्रैल	उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत व्यक्तियों द्वारा किए गए लेनदेनों की प्राधिकृत व्यापारी बैंकों (एडी बैंकों) द्वारा दैनिक आधार पर रिपोर्टिंग संबंधी नयी प्रणाली शुरू की गयी।
27 अप्रैल	ईसीबी पर दिशा-निर्देशों को अधिक तर्कसंगत और उदार बनाया गया, जिसमें अन्य के साथ-साथ ईसीबी की समग्र लागत की एकसमान अधिकतम सीमा का निर्धारण, प्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी धारक से स्वचालित मार्ग के तहत जुटाई गई ईसीबी हेतु ईसीबी देयता से इक्विटी अनुपात में वृद्धि की गयी है।
3 मई	सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों द्वारा विभिन्न विदेशी निवेश सीमाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सेबी के परामर्श से विदेशी निवेश सीमाओं की निगरानी के लिए एक नई प्रणाली स्थापित की गयी है।
3 मई	राजस्व आसूचना निदेशालय के साथ सूचनाएँ साझा करने संबंधी एक प्रणाली शुरू की गयी, जिसमें सभी प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 108-ए और 108-बी में निहित प्रावधानों और उसके तहत अधिसूचित नियमों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
10 मई	ऐसे क्षेत्र जहां 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति नहीं है, वहाँ विदेशी संस्थाओं द्वारा शाखा कार्यालय / संपर्क कार्यालय / प्रोजेक्ट कार्यालय अथवा भारत में व्यवसाय के किसी अन्य स्थान की स्थापना के संबंध में आरबीआई की पूर्वानुमति की आवश्यकता से संबंधित प्रावधानों को हटा दिया गया।
7 जून	दो अतिरिक्त फॉर्मेट, हेजिंग की रिपोर्टिंग संबंधी जानकारी एवं विदेशी विनिमय अर्जनों के लिए पार्ट ई.1 तथा ईसीबी 2 के फॉर्मेट को सरल करने के लिए व्यय की रिपोर्टिंग के लिए पार्ट ई.2 शुरू किये गये।
7 जून	भारत में विदेशी निवेश के लिए विभिन्न प्रकार की मौजूदा रिपोर्टिंग संरचनाओं को एकीकृत करने के उद्देश्य से ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाने वाला एकल मास्टर फॉर्म (एसएमएफ) शुरू किया गया।
19 जून	उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत सभी विप्रेषणों के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया। इसके अलावा, निकट रिश्तेदारों के निर्वहन के लिए विप्रेषणों के लिए 'रिश्तेदार' की परिभाषा को कंपनी अधिनियम, 1956 की बजाय कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप किया गया।
बैंकिंग विनियमन विभाग	
6 जुलाई 2017	इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के व्यापक उपयोग और शिकायतों में हो रही बढ़ोतरी के परिप्रेक्ष्य में, अनधिकृत / धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों के मामलों में ग्राहक के दायित्वों को सीमित करने के हेतु एक संशोधित फ्रेमवर्क जारी किया गया।
2 अगस्त	क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा क्रेडिट संस्थाओं को प्रस्तुत उधारकर्ता संबंधी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट में उधारकर्ता संबंधी सभी मॉड्यूल, जैसे : उपभोक्ता, वाणिज्यिक और एमएफआई में उपलब्ध क्रेडिट सूचनाएँ शामिल करना आवश्यक है।
2 अगस्त	भारत में निगमित बैंकों को अपनी आरक्षित अपेक्षाओं के अतिरिक्त विदेशी केंद्रीय बैंकों के पास रखे गए रिजर्व को स्तर 1 एचक्यूएलए के रूप में मान्यता देने की अनुमति थी, जहां एक विदेशी संप्रभु को अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी द्वारा शून्य प्रतिशत जोखिम भार दिया गया था। ऐसे मामलों में जहां किसी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी द्वारा किसी विदेशी संप्रभु को गैर शून्य प्रतिशत जोखिम भार दिया गया हो, किंतु बासेल-II संरचना के अंतर्गत राष्ट्रीय विवेक से शून्य प्रतिशत जोखिम भार दिया गया हो, उन मामलों में विदेशी केंद्रीय बैंक में धारित इस प्रकार की अतिरिक्त आरक्षित निधियों को स्तर 1 एचक्यूएलए के रूप में उस सीमा तक अनुमति दी जाएगी, जिस सीमा तक बैंक के दबावग्रस्त निवल नकद बहिर्प्रवाह को उस विशिष्ट करेंसी में कवर किया गया हो।
2 अगस्त 2017	बैंक दर को 25 बीपीएस से घटाकर तत्काल प्रभाव से 6.25 प्रतिशत किया गया।
25 सितंबर	यह निर्णय लिया गया कि वैकल्पिक निवेश निधियों बैंकों के निवेश से संबंधित विनियमों में संशोधन किया जाए तथा वित्तीय सेवाएँ कंपनियों में निवेश के लिए विवेकपूर्ण अपेक्षाओं को बासेल-III के अनुरूप बनाया जाए। बैंकों को व्यावसायिक समाशोधन एजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गयी तथा बैंकों के अनुषंगियों को कमोडिटी डेरिवेटिव खंड में दलाली सेवाओं का प्रस्ताव देने की अनुमति दी गयी।
2 नवंबर	बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने ₹0.50 बिलियन तथा उससे अधिक के कुल एक्सपोजर वाले मौजूदा बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं (उनकी मूल तथा अनुषंगी/ सहयोगी संस्थों सहित) को निर्धारित अनुसूची के अनुसार विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) प्राप्त करने के लिए सूचित करें। जो उधारकर्ता निर्धारित अनुसूची के अनुसार एलईआई प्राप्त नहीं करते हैं उन्हें ऋण सुविधाओं का नवीकरण/ वर्धन नहीं दिया जाएगा।
9 नवंबर	बैंकों को सूचित किया गया कि वे वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित प्रणाली स्थापित करें।
4 जनवरी 2018	रिजर्व बैंक को विभिन्न विवरणियों में रिपोर्ट किए जानेवाले 83 डेटा तत्वों की परिभाषाओं को सुसंगत बनाया गया।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
7 फरवरी 2018	जीएसटी में अंतरण के संबंध में बैंकों तथा एनबीएफसी को जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के प्रति उनके एक्सपोजर को मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखने की अनुमति दी गई यदि उधारकर्ता से दिनांक 1 सितंबर 2017 की स्थिति के अनुसार अतिदेय राशि और 1 सितंबर 2017 और 31 जनवरी 2018 के बीच उधारकर्ता से बकाया भुगतान की चुकौती उनकी संबंधित मूल बकाया तिथि से 180 दिनों के भीतर की जाएगी।
12 फरवरी	दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड, 2016 के अधिनियमन के परिप्रेक्ष्य में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु सीडीआर जैसी पिछली योजनाओं/ दिशानिर्देशों को सुसंगत एवं सरलीकृत ढांचे द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
2 अप्रैल	बैंकों को 31 दिसंबर 2017 तथा 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाहियों के लिए निवेशों पर एमटीएम हानि के लिए प्रावधान को जिस तिमाही में हानि हुई है उस तिमाही से आरंभ करते हुए चार तिमाहियों में समान रूप से स्प्रेड करने की अनुमति दी गई। उनको सूचित किया गया कि वे न्यूनतम 2 प्रतिशत के निवेश अस्थिरता रिजर्व (आईएफआर) का सृजन करें और उसे निरंतर आधार पर बनाए रखें और इसे अधिमानतः वर्ष 2018-19 से तीन वर्ष की अवधि के भीतर प्राप्त किया जाए।
5 अप्रैल	आरआरबी को छोड़ कर, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित था कि वे 01 अप्रैल 2018 से इंड एस लागू करें। तथापि, बैंकों की तैयारी के स्तर को देखते हुए तथा आवश्यक वैधानिक संशोधनों के लंबित रहते हुए यह निर्णय लिया गया कि इंड एस के क्रियान्वयन को एक वर्ष के लिए स्थगित किया जाए।
6 अप्रैल	ग्राहकों द्वारा खरीदी गई एकल बिलकुल सादा (प्लेन वनीला) विदेशी मुद्रा विकल्पों (बिना अटैच स्ट्रक्चर्स के) को उपयोगकर्ताओं की उपयुक्तता और औचित्य मानक से छूट दी जाएगी और इसकी विनियामकीय अपेक्षाएं विदेशी मुद्रा वायदा सविदाओं के समान होंगी।
6 अप्रैल	वर्चुअल करेंसी में सौदों के जोखिमों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं को ऐसी करेंसी लेनदेन में भाग लेने या उनके निपटान अथवा सुविधा प्रदान करने के लिए सेवाएं प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।
20 अप्रैल	धनशोधन निवारण (पीएमएल) नियमावली में सरकार द्वारा 1 जून 2017 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से और इसके बाद किए गए परिवर्तनों के अनुसार केवाईसी निर्देशों को संशोधित किया गया।
17 मई	आईएफएससी बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) द्वारा परिचालन शुरू करने हेतु मूल बैंक द्वारा अपनी आईबीयू को न्यूनतम पूंजी के रूप में 20 मिलियन यूएस डालर अथवा इसकी समतुल्य राशि उपलब्ध कराना और निरंतर आधार पर बनाए रखना अपेक्षित है। आईबीयू के एक्सपोजरों के लिए सहित, न्यूनतम निर्धारित विनियामक पूंजी को मूल बैंक स्तर पर निरंतर आधार पर बनाए रखना आवश्यक होगा; विदेशी बैंकों के लिए, आईबीयू मूल बैंक से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा तथा उसे अर्धवार्षिक आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करेगा।
17 मई	लंबी अवधि के परिप्रेक्ष्य में निधियन जोखिम में कम करने के लिए निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर) पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए गए।
6 जून	बैंक दर में तत्काल प्रभाव से संशोधन करके उसे प्रतिशत 6.25 से 6.50 प्रतिशत किया गया।
6 जून	बैंकों और एनबीएफसी को सभी एमएसएमई (जीएसटी के तहत पंजीकृत न किए गए सहित) के प्रति उनके एक्सपोजर को, देय तिथि के 180 दिन बाद के मापदंड के अनुसार, "मानक आस्ति" के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई। जीएसटी-पंजीकृत एमएसएमई द्वारा 1 जनवरी 2019 से देय बकाया राशि के संबंध में 90 दिन एनपीए मानदंड को, चरणबद्ध तरीके से संरेखित किया जाएगा।
7 जून	स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत जमाराशियां खंडित अवधि के लिए रखी जा सकती हैं। मध्यम और दीर्घावधि सरकारी जमा (एमएलटीजीडी) योजना के अंतर्गत देय ब्याज का भुगतान वार्षिक रूप से किया जाएगा। नामित बैंकों को एमएलटीजीडी योजना के अंतर्गत जुटाए गए स्वर्ण के लिए भारतीय रुपये में समरूप राशि पर क्रमशः 1% और 1.5% की एक समान दर पर हैंडलिंग प्रभार और कमीशन का भुगतान किया जाएगा। एमएलटीजीडी योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अवधिपूर्व मोचन केवल भारतीय रुपये में होगा।
7 जून	जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में अंतरित अदावी जमाराशियों पर बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं/दावेदारों को अदा किए जाने वाले ब्याज की दर पूर्व की 4.00 प्रतिशत के बजाय 01 जुलाई 2018 से प्रति वर्ष 3.5% साधारण ब्याज होगी।
14 जून	बैंकों को सूचित किया गया कि वे 18 मई 2017 को जारी 'शाखा प्रधिकरण नीति को तर्कसंगत बनाना – दिशानिर्देशों में संशोधन' पर बैंक द्वारा जारी परिपत्र के अनुबंध III के संबंध में 11 जून 2018 से सरकार द्वारा यथासंशोधित वाम पंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची का अनुपालन करें।
15 जून	सरकारी प्रतिभूतियों पर बढ़ते हुए प्रतिलाभों तथा अनेक बैंकों के लिए निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) निर्माण के लिए समय की अपर्याप्तता को देखते हुए बैंकों को एफएस तथा एचएफटी संविभागों में एमटीएम हानियों के लिए 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही के लिए प्रावधानीकरण को स्प्रेड करने की अनुमति दी गयी है, बशर्ते कि वे अपने लेखे पर टिप्पणियां/ तिमाही परिणामों में समुचित प्रकटीकरण करें।
15 जून	बैंकों को अपने एलसीआर की गणना के लिए अनिवार्य एसएलआर अपेक्षाओं के भीतर एफएलएलसीआर के अंतर्गत उनके द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों को उनके एनडीटीएल के और दो प्रतिशत तक स्तर 1 एचक्यूएलए के रूप में मान्यता देने की अनुमति दी गयी।

वार्षिक रिपोर्ट

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
सहकारी बैंक विनियमन विभाग	
13 जुलाई 2017	सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे खाते में की जाने वाली प्रविष्टियों में प्रासंगिक विवरण दें तथा बैंक पासबुक में प्रारंभ में ही "जमाराशि बीमा कवर" के बारे में सूचना दें, जिसमें कवरेज की सीमा भी शामिल होगी।
16 अगस्त	शहरी सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग समाधान के लिए कामकाजी और तकनीकी अपेक्षाओं को जारी किया गया।
14 दिसंबर	अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की देयता को सीमित करने संबंधी दिशानिर्देश जारी किये गये।
10 मई 2018	शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने से संबंधित दिशानिर्देशों को मोटे तौर पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाया गया।
गैर बैंकिंग विनियमन विभाग	
6 जुलाई 2017	₹5 बिलियन और उससे अधिक आस्ति आकार वाले एनबीएफसी को, पीएफआरडीए के साथ पंजीकरण के पश्चात एनपीएस के लिए पोइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) सेवा प्रदान करने की अनुमति दी गई।
14 अगस्त	सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं के रूप में अधिसूचित एनबीएफसी को सूचित किया गया कि वे दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नामित वकील को नियुक्त करें।
14 अगस्त	एनबीएफसी को अपने सावधि जमा पोर्टफोलियो की रेटिंग के लिए इंफोमेरिकस वैल्युएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईवीआरपीएल) की रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति दी गयी।
4 अक्तूबर	एनबीएफसी-पीयर टु पीयर लेंडिंग प्लैटफॉर्म के रूप में पी2पी लेंडिंग प्लैटफॉर्म पर विनियम जारी किए गए।
9 नवंबर	एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर दिशानिर्देश जारी किए गए।
23 नवंबर	निर्धारित शर्तों को पूरा करनेवाली एआरसी को उधारकर्ता कंपनी में 26 प्रतिशत की शेयर धारिता की सीमा से छूट दी गई है।
4 जनवरी 2018	एआरसी को सूचित किया गया कि वे इंफोरमेशन यूटिलिटी को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी), 2016 तथा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इंफोरमेशन यूटिलिटी), विनियमावली 2017 के संबंधित प्रावधानों का पालन करें।
23 फरवरी	लोकपाल योजना के अंतर्गत आनेवाली एनबीएफसी को सूचित किया गया कि वे एक प्रधान नोडल अधिकारी(पीएनओ)/ नोडल अधिकारी (एनओ) की नियुक्ति करें तथा अपने सभी कार्यालयों तथा शाखाओं में लोकपाल योजना की प्रमुख विशेषताओं को प्रदर्शित करें।
31 मई	सरकारी एनबीएफसी को कतिपय विनियामक और सांविधिक प्रवधानों से दी गई छूटों को वापिस लिया गया तथा उनसे विवेकपूर्ण विनियमों का चरणबद्ध रूप से पालन करने की अपेक्षा की गयी।
7 जून	प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी - एनडी - एसआई) को केवल प्रायोजकों के रूप में इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (उन्विट) यूनिट धारण करने की अनुमति दी गई, बशर्ते कि ऐसे एक्सपोजर प्रायोजकों के लिए सेबी विनियमों के अंतर्गत यथानिर्धारित न्यूनतम धारित और अवधि सीमाओं के अधिक नहीं हों।
बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग	
13 जुलाई 2017	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष वाले बैंकों के लिये, उन्हें निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति में भी नामित किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
27 जुलाई	सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के लिये विराम और आवर्तन सुनिश्चित करने के लिये, किसी विशिष्ट निजी/विदेशी बैंक में अपने चार साल के कार्यकाल को पूरा करने के बाद कोई लेखापरीक्षा फर्म छह साल की अवधि के लिए लिये नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी।
21 जून 2018	बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों के सूचित किया गया कि वे विंडोज एक्सपी तथा/ अथवा अन्य अनसपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे एटीएम के बारे में चिंता को दूर करने हेतु तत्काल कार्रवाई करें।
29 जून 2018	सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उनकी जवाबदेही की जांच करने के लिए प्रवर्तन कार्रवाई प्रेमवर्क बनाया गया।
गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग	
15 मार्च 2018	सरकार के स्वामित्व वाली एनबीएफसी को आवधिक विवरणी प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	
23 फरवरी 2018	एनबीएफसी की सेवाओं में कमी से संबंधित निःशुल्क और शीघ्र शिकायत निवारण व्यवस्था प्रदान करने के लिये गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 शुरू की गयी।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	
4 अक्टूबर 2017	यह निर्णय लिया गया कि एसडीएल की नीलामी साप्ताहिक (पूर्व में पाक्षिक) की जाए तथा नीलामी के नतीजे उसी दिन 3.00 बजे तक घोषित किए जाए।
23 नवंबर	सरकारी प्रतिभूति और खजाना-बिल प्राथमिक नीलामी में खुदरा निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए निर्दिष्ट शेयर बाजारों को प्राथमिक नीलामी के गैर-प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में निवेशक बोली लगाने के लिए समूहक/सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गयी।
3 मई 2018	निवेशकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग (स्ट्रिप्स) को बाजार की अपेक्षाओं के अधिक अनुरूप करने के दृष्टिकोण से, स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए पात्र प्रतिभूतियों के साथ-साथ प्राथमिक व्यापारियों (पीडीए) द्वारा स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए सभी अनुरोधों को प्राधिकृत करने की अपेक्षाओं पर प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया गया।
6 जून	एकल प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) को अपने एफपीआई ग्राहकों को व्यापक सेवाएं मुहैया कराने के लिए एसपीडी को सीमित विदेशी मुद्रा लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
6 जून	राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) में पर्याप्त निधि बनाये रखने को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आहरण सुविधा पर ब्याज की दर को नीतिगत रिपो दर से 100 आधार अंक से 200 आधार अंक तक कम करने का निर्णय लिया गया।
मुद्रा प्रबंध विभाग	
9 फरवरी 2018	विलंब से रिपोर्टिंग पर रिज़र्व बैंक ने सूचित किया कि उन मामलों के लिये जहां करेंसी चेस्ट ने "निवल जमा" का रिपोर्ट किया था, मौजूदा दर पर दंड ब्याज नहीं लिया जाए। हालांकि, "आहरण" के रूप में दिखाए गए आरबीआई को गंदे नोटों का विप्रेषण/ विपथन की गलत रिपोर्टिंग के मामले में करेंसी चेस्ट पर ₹50,000 का एकसमान जुर्माना लगाया जाना है।
15 फरवरी	बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी सभी शाखाओं को या तो विनिमय या जमा करने के लिए उनके काउंटरों पर दिये गये सभी मूल्यवर्ग के सिक्कों को स्वीकार करने के लिये निर्देशित करें, जिसका उल्लंघन होने पर आरबीआई द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
1 मार्च	नकद रीसाइकिलिंग और केवल कम मूल्यवर्ग के नोट वितरण करने वाले एटीएम की स्थापना हेतु बैंकों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन को वापस लिया गया।
6 अप्रैल	नकदी प्रबंधन प्रचालन-तंत्र (लॉजिस्टिक्स) के लिए बैंकों द्वारा सेवा प्रदाताओं/उप-संविदाकारों को शामिल करने के लिए कुछ न्यूनतम मानक निर्धारित किए गये थे। बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने आउटसोर्सिंग व्यवस्था की समीक्षा करें, उन्हें 90 दिनों के भीतर अनुदेशों के अनुरूप लाएं और कारोबार निरंतरता योजना बनाएं।
12 अप्रैल	जोखिमों को कम करने के लिए बैंकों को निदेश दिया गया कि वे नकदी भरने के लिए अपने एटीएम में लॉक करने योग्य कैसेटों को इस्तेमाल करें और चरणबद्ध तरीके से इसे कार्यान्वित करें जिसमें हर साल कम से कम एक तिहाई एटीएम शामिल हों, ताकि सभी एटीएम में 31 मार्च, 2021 तक कैसेट स्वेप किया जा सके।
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	
11 अक्टूबर 2017	नवाचार एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और संरक्षा, सुरक्षा व उपभोक्ता संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) से संबंधित संशोधित मास्टर निदेश जारी किया गया।
6 दिसंबर	डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए व्यापारी छूट दर को तर्कसंगत बनाया गया।
6 अप्रैल 2018	भारत में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में भाग लेने वाले सभी भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और अन्य संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली से संबंधित संपूर्ण डेटा को केवल भारत में ही सिस्टम में संग्रहीत किया जाए।

परिशिष्ट सारणी 1: समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक

मद	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	औसत 2009-10 से 2013-14 (5 वर्ष)	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5	6
I. वास्तविक अर्थव्यवस्था					
I.1 बाजार मूल्य में वास्तविक जीडीपी (%परिवर्तन)*	8.8	7.4	8.2	7.1	6.7
I.2 बेसिक मूल्य में वास्तविक जीवीए (%परिवर्तन)*	8.7	7.1	8.1	7.1	6.5
I.3 खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	213.6	248.8	251.6	275.1	279.5
I.4 ए) खाद्य स्टॉक (मार्च अंत में मिलियन टन)	18.6	50.0	43.6	38.0	43.3
बी) खरीद	39.4	61.3	65.3	60.2	68.2
सी) उठाव	41.5	56.9	63.7	67.4	59.2
I.5 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (%परिवर्तन)**	10.4	3.5	3.3	4.6	4.3
I.6 आठ मूल उद्योगों का सूचकांक (%परिवर्तन)**	5.9	5.6	3.0	4.8	4.3
I.7 सकल घरेलू बचत दर (वर्तमान मूल्य में जीएनडीआई का%)***	32.5	32.8	30.7	29.6	...
I.8 सकल घरेलू निवेश दर (वर्तमान मूल्य में जीडीपी का %)**	33.6	36.9	32.3	30.6	...
II. मूल्य					
II.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) संयुक्त (औसत % परिवर्तन)	4.9	4.5	3.6
II.2 सीपीआई- औद्योगिक श्रमिक (औसत % परिवर्तन)	5.0	10.3	5.6	4.1	3.1
II.3 थोक मूल्य सूचकांक (औसत % परिवर्तन)#	5.5	7.1	-3.7	1.7	2.9
III. मुद्रा और ऋण					
III.1 आरक्षित मुद्रा (%परिवर्तन)	20.4	12.1	13.1	-12.9	27.3
III.2 व्यापक मुद्रा (एम3) (%परिवर्तन)	18.6	14.7	10.1	6.9	9.2
III.3 ए) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की समग्र जमा राशि (%परिवर्तन)	20.2	15.0	9.3	11.3	6.2
बी) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का बैंक ऋण (%परिवर्तन)	26.7	16.7	10.9	4.5	10.0
IV. वित्तीय बाजार					
IV.1 ब्याज दर (%)					
ए) मांग/सूचना पर देय मुद्रा दर	5.6	7.2	7.0	6.2	5.9
बी) 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल	7.0	8.0	7.8	7.0	7.0
ग) 91-दिवसीय खजाना -बिलों पर प्रतिफल	7.4	6.4	6.2
डी) केंद्र सरकार के उधार पर भारत औसत लागत	7.9	7.2	7.0
ई) वाणिज्यिक पत्र	7.7	8.4	8.1	7.4	7.1
एफ) जमाराशि प्रमाणपत्र ##	8.9	8.2	7.8	6.9	6.7
IV.2 चलनिधि (₹बिलियन)					
ए) बकाया चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)-	-2,995.2	3,140.7	-574.8
बी) बकाया बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस)-	0.0	0.0	0.0
सी) माँग मुद्रा बाजार का औसत दैनिक कारोबार	184.9	255.3	269.5	305.8	282.1
डी) सरकारी प्रतिभूति बाजार का औसत दैनिक कारोबार####	77.1	241.4	474.9	829.9	537.7
ई) परिवर्ती रिपो दर [§]	2,635.7	129.9	2,622.1
एफ) परिवर्ती रिवर्स रिपो दर [§]	2,032.0	153.1
जी) मार्जिनल स्थायी सुविधा [§]	600.5	19.3	525.9
V. सरकारी वित्त					
V.1 केंद्र सरकार के वित्त (जीडीपी का %) &					
ए) राजस्व प्राप्ति	9.8	9.1	8.7	9.0	8.6
बी) पूंजी लागत	1.2	1.5	1.6	1.6	1.5
सी) कुल व्यय	14.4	14.8	13.0	12.9	12.8
डी) सकल राजकोषीय घाटा	3.6	5.3	3.9	3.5	3.5
V.2 राज्य सरकार के वित्त &&					
ए) राजस्व घाटा (जीडीपी का %)	0.4	0.0	0.0	0.3	0.4
बी) सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)	2.7	2.2	3.1	3.5	3.1
सी) प्राथमिक घाटा (जीडीपी का %)	0.3	0.6	1.5	1.9	1.3

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 1: समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक (समाप्त)

मद	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	औसत 2009-10 से 2013-14 (5 वर्ष)	2015-16	2016-17 आ. स.	2017-18 अ
1	2	3	4	5	6
VI. बाह्य क्षेत्र					
VI.1 भुगतान संतुलन					
ए) पण्य निर्यात (% परिवर्तन)	25.3	12.2	-15.9	5.2	10.3
बी) पण्य आयात (% परिवर्तन)	32.3	9.7	-14.1	-1.0	19.5
सी) व्यापार शेष/जीडीपी (%)	-5.4	-9.0	-6.2	-4.9	-6.1
डी) अदृश्य शेष/जीडीपी (%)	5.1	5.7	5.1	4.3	4.3
ई) चालू खाता शेष/जीडीपी (%)	-0.3	-3.3	-1.1	-0.6	-1.9
एफ) निवल पूंजीगत प्रवाह/जीडीपी(%)	4.6	3.7	2.0	1.6	3.5
जी) रिज़र्व परिवर्तन (बीओपी आधार पर) (बिलियन अमरीकी \$) [(वृद्धि(-)/कमी (+))]	-40.3	-6.6	-17.9	-21.6	-43.6
VI.2 बाह्य ऋण सूचकांक					
ए) बाह्य ऋण स्टॉक (बिलियन अमरीकी\$)	156.5	359.0	484.8	471.3	529.7
बी) ऋण- जीडीपी अनुपात (%)	17.7	20.8	23.4	20.0	20.5
सी) रिज़र्व का आयात कवर (महीनों में)	14.0	8.5	10.9	11.3	10.9
डी) कुल ऋण की तुलना में अल्पावधि ऋण (%)	13.6	21.3	17.2	18.7	19.3
ई) ऋण सेवा अनुपात (%)	8.3	5.6	8.8	8.3	7.5
एफ) रिज़र्व की तुलना में ऋण (%)	113.7	84.8	74.3	78.5	80.2
VI.3 उदारता सूचकांक (%)					
ए) वस्तुओं का निर्यात और आयात/जीडीपी	30.4	40.7	31.5	29.6	29.9
बी) वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात/जीडीपी	40.8	52.8	42.9	41.0	41.9
सी) चालू प्रामियाँ और चालू भुगतान/जीडीपी	46.6	59.0	48.8	46.6	47.4
डी) सकल पूंजी अंतर्वाह और बहिर्वाह/जीडीपी	36.8	50.0	46.6	46.8	46.0
ई) चालू प्रामियाँ और भुगतान और पूंजी प्रामियाँ और भुगतान/ जीडीपी	83.5	109.0	95.3	93.4	93.4
VI.4 विनिमय दर सूचकांक					
ए) विनिमय दर (रुपये/ अमरीकी डालर) अवधि के अंत में औसत	43.1 44.1	51.1 51.2	66.3 65.5	64.8 67.1	65.0 64.5
बी) 36-मुद्रा आरईईआर (% परिवर्तन)	3.1^	0.8	2.9	2.2	4.5
सी) 36-मुद्रा एनईईआर (% परिवर्तन)	1.7^	-4.9	0.9	-0.1	3.1
डी) 6- मुद्रा आरईईआर (% परिवर्तन)	4.4^	1.9	2.3	2.0^^	3.8
ई) 6- मुद्रा एनईईआर (% परिवर्तन)	1.6^	-5.4	-1.6	-1.0^^	1.9

- ... : उपलब्ध नहीं। आसं: आंशिक संशोधन अ: अनंतिम
* : 2003-04 से 2011-12 के लिए डाटा 2004-05 के आधार पर है, 2012-13 से आगे के लिए डाटा 2011-12 के आधार पर है।
** : 2003-04 से 2007-08 और 2009-10 से 2013-14 तक औसत डाटा 2004-05 के आधार वर्ष श्रृंखला पर आधारित है। 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए डाटा 2011-12 के आधार वर्ष के नई श्रृंखला पर आधारित है।
*** : 2003-04 से 2010-11 का डाटा 2004-05 पर आधारित है, 2011-12 से आगे का डाटा 2011-12 पर आधारित है।
: थोक मूल्य सूचकांक के वार्षिक डाटा के लिए आधार वर्ष 2011-12=100 है और 5 वर्ष की मुद्रास्फीति की औसत के लिए आधार वर्ष 2004-05= 100
: कालम 2 से संबंधित डाटा 13 अप्रैल 2007 से 28 मार्च 2008 पर आधारित है।
: केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में आउटराइट व्यापार टर्नओवर (कैलेंडर दिनों पर आधारित)
~ : 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बकाया चलनिधि समायोजन सुविधा (ऋणात्मक चिन्ह अन्तर्वेशन दर्शाते है)
~~ : वित्तीय वर्ष के अंतिम शुक्रवार तक का बकाया
\$: 31 मार्च तक का बकाया
& : 2017-18 के लिए आंकड़ें अनंतिम लेखा से संबंधित है।
&& : 2017-18 के लिए के आंकड़ें संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
^ : 2005-06 से 2007-08 की अवधि का औसत।
^^ : डाटा अनंतिम है।
टिप्पणी : वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सीपीआई (संयुक्त) पर आधारित है।
स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी एस ओ), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई), केंद्र और राज्य सरकार के श्रम ब्यूरो और बजट दस्तावेज।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 2: वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें
और संरचना
(2011-12 के मूल्यों पर)

(प्रतिशत)

क्षेत्र	वृद्धि दर				शेयर		
	औसत 2013-14 से 2017-18	2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5	6	7	8
सकल घरेलू उत्पाद के व्यय का हिस्सा							
1. निजी अंतिम खपत व्यय	7.0	7.4	7.3	6.6	55.8	55.9	55.8
2. सरकारी अंतिम खपत व्यय	7.6	6.8	12.2	10.9	9.9	10.3	10.8
3. सकल स्थिर पूंजी निर्माण	5.4	5.2	10.1	7.6	30.3	31.1	31.4
4. स्टॉक में परिवर्तन	0.8	-15.4	-61.2	4.5	2.0	0.7	0.7
5. मूल्यवान वस्तुएं	5.4	-1.4	-13.9	58.8	1.6	1.3	1.9
6. निवल निर्यात	-9.2	10.4	12.0	-150.5	-1.2	-1.0	-2.4
ए) निर्यात	2.9	-5.6	5.0	5.6	20.8	20.4	20.2
बी) कम आयात	0.6	-5.9	4.0	12.4	22.1	21.4	22.6
7. विसंगतियाँ	-206.2	-846.7	7.3	13.9	1.6	1.6	1.7
8. सकल घरेलू उत्पाद	7.1	8.2	7.1	6.7	100.0	100.0	100.0
जीवीए पर बेसिक मूल्य (आपूर्ति का हिस्सा)							
1. कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन	3.1	0.6	6.3	3.4	15.4	15.3	14.8
2. उद्योग	7.7	12.1	8.7	5.5	23.3	23.7	23.5
जिसमें से :							
ए) खनन और उत्खनन	7.9	13.8	13.0	2.9	3.1	3.3	3.2
बी) विनिर्माण	7.9	12.8	7.9	5.7	18.1	18.2	18.1
सी) बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं	6.5	4.7	9.2	7.2	2.1	2.2	2.2
3. सेवाएं	7.8	8.7	6.7	7.6	61.3	61.0	61.7
जिसमें से :							
ए) विनिर्माण	3.6	3.7	1.3	5.7	8.2	7.8	7.8
बी) व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण संबंधी सेवाएं	8.3	10.3	7.2	8.0	19.0	19.0	19.3
सी) वित्तीय, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं	9.2	10.9	6.0	6.6	21.9	21.7	21.7
डी) सरकारी प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	7.8	6.1	10.7	10.0	12.2	12.6	13.0
4. जीवीए पर बेसिक मूल्य	7.0	8.1	7.1	6.5	100.0	100.0	100.0

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 3: सकल बचत

(जीएनडीआई का प्रतिशत)

मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5
I. सकल बचत	31.4	31.6	30.7	29.6
1.1 गैर-वित्तीय निगम	10.5	11.1	12.2	12.1
1.1.1 सरकारी गैर-वित्तीय निगम	1.1	1.0	1.0	1.0
1.1.2 निजी गैर-वित्तीय निगम	9.4	10.1	11.2	11.1
1.2 वित्तीय निगम	2.6	2.7	2.1	2.2
1.2.1 सरकारी वित्तीय निगम	1.4	1.3	1.3	1.3
1.2.2 निजी वित्तीय निगम	1.1	1.3	0.8	0.8
1.3 सामान्य सरकार	-1.5	-1.4	-1.1	-0.7
1.4 गृहस्थ क्षेत्र	19.9	19.2	17.5	16.0
1.4.1 निवल वित्तीय बचत	7.2	6.9	8.1	6.7
मेमो: सकल वित्तीय बचत	10.4	9.9	10.8	9.1
1.4.2 भौतिक आस्तियों में बचत	12.3	11.9	9.1	9.0
1.4.3 मूल्यवान वस्तुओं में बचत	0.3	0.4	0.3	0.3

जीएनडीआई: सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय।

टिप्पणी: हाउस होल्ड क्षेत्र की निवल वित्तीय बचत की गणना वर्ष के दौरान सकल वित्तीय बचत तथा वित्तीय देयताओं के बीच के अंतर से की गई है।

स्रोत: सीएसओ।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 4: मुद्रास्फीति, मुद्रा और ऋण

(प्रतिशत)

मुद्रास्फीति									
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारत)*	ग्रामीण			शहरी			संयुक्त		
	2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	5.6	5.0	3.6	4.1	4.0	3.6	4.9	4.5	3.6
खाद्य और पेय	5.4	4.7	2.4	4.6	3.9	1.8	5.1	4.4	2.2
आवास	4.9	5.2	6.5	4.9	5.2	6.5
ईंधन और बिजली	6.8	4.6	6.5	2.7	1.0	5.6	5.3	3.3	6.2
विविध	4.7	5.1	4.3	2.8	3.7	3.1	3.7	4.5	3.8
खाद्य और ईंधन को छोड़कर	5.5	5.5	4.7	3.9	4.3	4.6	4.6	4.8	4.6
अन्य मूल्य सूचकांक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1. थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)*									
सभी वस्तुएँ	3.8	9.6	8.9	7.4	5.2	1.3	-3.7	1.7	2.9
प्राथमिक वस्तुएं	12.7	17.7	9.8	9.8	9.8	2.2	-0.4	3.4	1.4
जिनमें से : खाद्य वस्तुएं	15.3	15.6	7.3	9.9	12.3	5.6	2.6	4.0	2.1
ईंधन और ऊर्जा	-2.1	12.3	14.0	10.3	7.1	-6.1	-19.7	-0.3	8.2
विनिर्मित उत्पाद	2.2	5.7	7.3	5.4	3.0	2.6	-1.8	1.3	2.7
खाद्यान्न से इतर विनिर्मित उत्पाद	0.2	6.1	7.3	4.9	2.7	2.7	-1.8	-0.1	3.0
2. सीपीआई- औद्योगिक कामगार (आईडब्ल्यू) (2001=100)	12.4	10.4	8.4	10.4	9.7	6.3	5.6	4.1	3.1
जिनमें से : सीपीआई-आईडब्ल्यू खाद्यान्न	15.2	9.9	6.3	11.9	12.3	6.5	6.1	4.4	1.5
3. सीपीआई- कृषि श्रमिक (1986-87=100)	13.9	10.0	8.2	10.0	11.6	6.6	4.4	4.2	2.2
4. सीपीआई- ग्रामीण श्रमिक (1986-87=100)	13.8	10.0	8.3	10.2	11.5	6.9	4.6	4.2	2.3
मुद्रा और ऋण									
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17^	2017-18
आरक्षित मुद्रा (आरएम)	17.0	19.1	3.6	6.2	14.4	11.3	13.1	-12.9	27.3
संचलन में मुद्रा	15.7	18.8	12.4	11.6	9.2	11.3	14.9	-19.7	37.0
आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशियाँ	21.0	20.2	-15.9	-10.0	34.0	8.3	7.8	8.4	3.9
मुद्रा जीडीपी अनुपात [§]	12.3	12.2	12.2	12.0	11.6	11.6	12.1	8.8	10.9
संकीर्ण मुद्रा (एम1)	18.2	10.0	6.0	9.2	8.5	11.3	13.5	-3.9	21.8
व्यापक मुद्रा (एम3)	16.9	16.1	13.5	13.6	13.4	10.9	10.1	6.9	9.2
मुद्रा - जमा अनुपात	15.9	16.3	16.1	15.7	15.1	15.2	16.0	11.0	14.4
मुद्रा गुणक	4.8	4.7	5.2	5.5	5.5	5.5	5.3	6.7	5.8
जीडीपी/एम3 ^{§§}	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक									
कुल जमा राशियाँ	17.2	15.9	13.5	14.2	14.1	10.7	9.3	11.3	6.2
बैंक ऋण	16.9	21.5	17.0	14.1	13.9	9.0	10.9	4.5	10.0
खाद्येतर ऋण	17.1	21.3	16.8	14.0	14.2	9.3	10.9	5.2	10.2
ऋण-जमा अनुपात	72.2	75.7	78.0	77.9	77.8	76.6	77.7	72.9	75.5
ऋण-जीडीपी अनुपात [§]	50.1	50.6	52.8	52.9	53.4	52.4	52.7	51.4	51.4

: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय) के लिए आधार 2012=100 है।

^: 1 अप्रैल 2016 की तुलना में 31 मार्च 2017 की आरक्षित मुद्रा और उसके घटक।

.... आवास के लिए सीपीआई ग्रामीण को समेकित नहीं किया है। ## : प्रतिशत में नहीं दर्शाया गया।

*: थोक मूल्य सूचकांक के लिए 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के लिए आधार 2004-05= 100 और 2013-14 से 2017-18 के लिए आधार 2011-12=100 हैं।

§: 2011-12 से आगे जीडीपी के आंकड़ें नई सिरीज पर आधारित हैं अर्थात्, आधार: 2011-12

टिप्पणी: आंकड़ा अनुपात को छोड़ते हुए वर्ष-दर-वर्ष के प्रतिशत में परिवर्तन दर्शाते हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक, सीएसओ, श्रम ब्यूरो और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 5: पूंजी बाज़ार - प्राथमिक एवं द्वितीयक

(राशि ₹ बिलियन में)

मर्दे	2016-17		2017-18 पी	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5
I. प्राथमिक बाज़ार				
ए. विवरण-पत्र एवं अधिकार-पत्र निर्गम				
1. निजी क्षेत्र (क + ख)	132	599	221	730
क) वित्तीय	26	454	20	361
ख) गैर-वित्तीय	106	145	201	369
2. सार्वजनिक क्षेत्र (क + ख + ग)	2	22	8	372
क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1	10	4	69
ख) सरकारी कंपनियां
ग) बैंक/वित्तीय संस्थाएं	1	11	4	303
3. कुल (1+2, i+ii, क+ख)	134	621	229	1,102
लिखत के प्रकार				
(i) इक्विटी	118	325	222	1,052
(ii) ऋण	16	296	7	50
जारीकर्ता के प्रकार				
(क) आई.पी.ओ.	105	291	200	838
(ख) सूचीबद्ध	29	330	29	264
बी. यूरो निर्गम (ए.डी.आर एवं.जी.डी.आर.)
सी. निजी स्थानन				
1. निजी क्षेत्र (क+ ख)	3,189	4,201	2,366	4,478
क) वित्तीय	2,588	3,083	1,723	3,412
ख) गैर-वित्तीय	601	1,117	643	1,065
2. सार्वजनिक क्षेत्र (क+ ख)	247	2,471	208	2,323
क) वित्तीय	155	1,586	167	1,926
ख) गैर-वित्तीय	92	885	41	396
3. कुल (1+2, i+ii)	3,436	6,672	2,574	6,800
(i) इक्विटी	24	137	56	694
(ii) ऋण	3,412	6,534	2,518	6,107
डी. अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन	20	85	53	673
ई. म्यूच्युअल फंड संग्रहण (निवल)#		3,431		2,718
1. निजी क्षेत्र		2,794		2,285
2. सार्वजनिक क्षेत्र		637		433
II. द्वितीयक बाज़ार				
बीएसई				
बीएसई सूचकांक: समाप्ति-अवधि	29,621		32,969	
अवधि का औसत	27,338		32,397	
कीमत अर्जन अनुपात	23		24	
जीडीपी अनुपात की तुलना में बाज़ार पूंजीकरण(%)	80		85	
नकदी खंड का कुल कारोबार		9,983		10,830
व्युत्पन्नी खंड का कुल कारोबार		69		33
एनएसई				
एस & पी सीएनएक्स निफ्टी: समाप्ति-अवधि	9,174		10,114	
अवधि का औसत	8,421		10,030	
कीमत अर्जन अनुपात	23		25	
जीडीपी अनुपात की तुलना में बाज़ार पूंजीकरण (%)	79		84	
नकदी खंड का कुल कारोबार		50,559		72,348
व्युत्पन्नी खंड का कुल कारोबार		943,703		1,649,849

अ: अनंतिम है। कुछ नहीं। #: निवल मोचन

स्रोत: सेबी, एनएसई, बीएसई, सीएसओ और विभिन्न वाणिज्यिक बैंकर।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 6: मुख्य राजकोषीय संकेतक

(जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार)

वर्ष	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	बकाया देयताएं*	बकाया देयताएं*
1	2	3	4	5	6	7
केंद्र						
1990-91	3.9	3.2	-0.5	7.6	53.7	59.6
1995-96	0.8	2.4	-1.7	4.9	49.4	57.3
2000-01	0.9	3.9	-0.6	5.5	53.9	59.6
2009-10	3.2	5.2	1.9	6.5	54.5	56.3
2010-11	1.8	3.2	0.2	4.8	50.6	52.2
2011-12	2.8	4.5	1.4	5.9	51.7	53.5
2012-13	1.8	3.7	0.5	4.9	51.0	52.5
2013-14	1.1	3.2	-0.2	4.5	50.5	52.2
2014-15	0.9	2.9	-0.3	4.1	50.2	51.5
2015-16	0.7	2.5	-0.7	3.9	50.4	51.9
2016-17	0.4	2.1	-1.1	3.5	48.7	49.9
2017-18 (सं.अ.)	0.4	2.6	-0.5	3.5	49.1	50.1
2017-18 (अ.ले.)	0.4	2.6	-0.5	3.5
2018-19 (ब.अ.)	0.3	2.2	-0.9	3.3	47.8	48.7
राज्य						
1990-91	1.7	0.9	-0.6	3.2	21.9	21.9
1995-96	0.7	0.7	-1.1	2.5	20.3	20.3
2000-01	1.7	2.5	0.2	4.0	27.3	27.3
2009-10	1.2	0.5	-1.3	2.9	25.5	25.5
2010-11	0.5	0.0	-1.6	2.1	23.5	23.5
2011-12	0.4	-0.3	-1.8	1.9	22.8	22.8
2012-13	0.5	-0.2	-1.7	2.0	22.2	22.2
2013-14	0.7	0.1	-1.4	2.2	22.0	22.0
2014-15	1.1	0.4	-1.2	2.6	21.7	21.7
2015-16	1.5	0.0	-1.5	3.1	23.4	23.4
2016-17	1.9	0.3	-1.4	3.5	23.8	23.8
2017-18 (सं.अ.)	1.3	0.4	-1.4	3.1	24.0	24.0
2018-19 (ब.अ.)	0.9	-0.2	-1.8	2.6	24.3	24.3
संयुक्त						
1990-91	4.9	4.1	-0.2	9.1	62.9	68.9
1995-96	1.5	3.1	-1.7	6.3	59.4	67.3
2000-01	3.5	6.4	0.6	9.2	68.3	74.0
2009-10	4.5	5.7	0.9	9.3	68.8	70.6
2010-11	2.4	3.2	-1.3	6.9	64.0	65.6
2011-12	3.3	4.2	-0.3	7.8	65.6	67.4
2012-13	2.3	3.5	-1.1	6.9	65.1	66.7
2013-14	1.9	3.3	-1.5	6.7	65.4	67.1
2014-15	2.0	3.3	-1.4	6.7	65.3	66.7
2015-16	2.2	2.5	-2.2	6.9	67.5	69.0
2016-17	2.2	2.3	-2.4	7.0	67.0	68.1
2017-18 (सं.अ.)	1.7	3.0	-1.9	6.6	67.9	68.9
2018-19 (ब.अ.)	1.1	2.1	-2.7	5.9	67.5	68.3

... : उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान। अ.ले.: अनंतिम लेखा। ब.अ.: बजट अनुमान।

@ : केंद्र की बाह्य देयताएं इसमें शामिल हैं जिसकी गणना परंपरागत विनिमय दर पर की गई है।

\$: केंद्र की बाह्य देयताएं इसमें शामिल हैं जिसकी गणना वर्तमान विनिमय दर पर की गई है।

- नोट:**
- समेकित घाटा/देयता संकेतकों पर आंकड़े केंद्र और राज्य सरकार के बीच अंतर-सरकारी लेनदेन के निवल हैं अर्थात् क) राज्य सरकार के विशेष प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ निवेश ख) केन्द्र से राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण और अग्रिम और ग) केंद्र सरकार के खजाना बिलों में राज्य सरकार के निवेश
 - नकारात्मक चिह्न (-) घाटा सूचकों में अधिशेष का संकेतक है।
 - 2011-12 के बाद जीडीपी आंकड़े 2011-12 के नये आधार पर आधारित हैं।
 - कॉलम 6 और 7 में दर्शाए गए आंकड़े संबंधित वर्ष के मार्च अंत तक के बकाया आंकड़ों को दर्शाते हैं।

स्रोत: केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 7: केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियाँ और संवितरण

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सं.अ)	2018-19 (ब.अ)
1	2	3	4	5	6	7
1 कुल संवितरण	30,003.0	32,852.1	37,606.1	42,659.7	48,579.9	53,611.8
1.1 विकासात्मक	17,142.2	18,720.6	22,012.9	25,379.1	29,324.1	32,025.6
1.1.1 राजस्व	13,944.3	14,830.2	16,682.5	18,784.2	22,525.7	24,390.9
1.1.2 पूंजी	2,785.1	3,322.6	4,120.7	5,012.1	5,857.8	6,745.8
1.1.3 ऋण	412.9	567.8	1,209.7	1,582.8	940.6	889.0
1.2 अविकासात्मक	12,427.8	13,667.7	15,108.1	16,726.5	18,542.5	20,762.8
1.2.1 राजस्व	11,413.7	12,695.2	13,797.3	15,552.4	17,684.4	19,839.3
1.2.1.1 ब्याज का भुगतान	5,342.3	5,845.4	6,480.9	7,244.5	8,166.4	8,851.5
1.2.2 पूंजी	990.4	946.9	1,273.1	1,157.7	844.4	909.1
1.2.3 ऋण	23.8	25.6	37.8	16.3	13.8	14.4
1.3 अन्य	432.9	463.8	485.1	554.2	713.3	823.4
2 कुल प्राप्तियाँ	30,013.7	31,897.4	37,780.5	42,884.3	47,718.6	52,780.4
2.1 राजस्व प्राप्तियाँ	22,114.8	23,876.9	27,483.7	31,322.0	35,923.8	41,185.4
2.1.1 कर प्राप्तियाँ	18,465.5	20,207.3	22,971.0	26,221.5	30,132.2	34,941.0
2.1.1.1 वस्तुओं और सेवाओं पर कर	11,257.8	12,123.5	14,409.5	16,523.8	18,296.6	22,138.8
2.1.1.2 आय और संपत्ती पर कर	7,176.3	8,051.8	8,522.7	9,656.2	11,802.5	12,775.1
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र के कर (बिना विधायन के)	31.3	32.0	38.8	41.5	33.2	27.1
2.1.2 कर से इतर प्राप्तियाँ	3,649.3	3,669.7	4,512.7	5,100.6	5,791.6	6,244.4
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियाँ	401.6	396.2	357.8	332.2	316.1	368.4
2.2 ऋण से इतर पूंजी प्राप्तियाँ	391.1	609.5	598.3	690.6	1,651.8	1,428.4
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	93.8	220.7	165.6	209.4	648.8	616.5
2.2.2 विनिवेश प्राप्तियाँ	297.3	388.8	432.7	481.2	1,003.0	811.9
3 सकल राजकोषीय घाटा [1 - (2.1 + 2.2)]	7,497.1	8,365.6	9,524.1	10,647.0	11,004.3	10,998.0
3ए वित्तपोषण के स्रोत: संस्थावार						
3ए.1 घरेलू वित्तपोषण	7,424.2	8,236.3	9,396.6	10,467.1	10,980.1	11,023.9
3ए.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	3,358.6	-374.8	2,310.9	6,171.2	1,447.9	...
3ए.1.1.1 सरकार को आरबीआई का निवल ऋण	1,081.3	-3,341.9	604.7	1,958.2	-1,448.5	...
3ए.1.2 सरकार को बैंक से इतर ऋण	4,065.6	8,611.1	7,085.7	4,295.8	9,532.2	...
3ए.2 बाह्य वित्त पोषण	72.9	129.3	127.5	180.0	24.2	-25.9
3बी वित्तपोषण के स्रोत: लिखतवार						
3बी.1 घरेलू वित्तपोषण	7,424.2	8,236.3	9,396.6	10,467.1	10,980.1	11,023.9
3 बी.1.1 बाजार से उधार (निवल)	6,392.0	6,640.6	6,733.0	6,898.2	7,952.0	8,398.4
3 बी.1.2 अल्प बचत (निवल)	-142.8	-565.8	-785.1	-1,050.4	-1,653.3	-1,434.6
3 बी.1.3 राज्य भविष्य निधि (निवल)	312.9	343.4	352.6	456.9	406.1	474.2
3 बी.1.4 आरक्षित निधि	34.6	51.1	-33.2	-64.4	6.7	31.1
3 बी.1.5 जमाराशि और अग्रिम	255.4	275.5	134.7	177.9	168.4	159.1
3 बी.1.6 नकदी शेष	-10.7	954.7	-174.4	-224.6	861.3	831.5
3 बी.1.7 अन्य	582.8	536.8	3,169.1	4,273.4	3,238.8	2,564.2
3 बी.2 बाह्य वित्तपोषण	72.9	129.3	127.5	180.0	24.2	-25.9
4 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल संवितरण	26.7	26.3	27.3	28.0	29.0	28.6
5 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल प्राप्तियाँ	26.7	25.6	27.4	28.1	28.4	28.2
6 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ	19.7	19.2	20.0	20.5	21.4	22.0
7 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर प्राप्तियाँ	16.4	16.2	16.7	17.2	18.0	18.7
8 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा	6.7	6.7	6.9	7.0	6.6	5.9

...: उपलब्ध नहीं। सं.अ: संशोधित अनुमान। ब.अ.: बजट अनुमान।

टिप्पणियाँ: 2011-12 से आगे के जीडीपी के आंकड़ें 2011-12 के आधार पर आधारित हैं।

स्रोत: केंद्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 8: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 आ.सं	2017-18 अ
1	2	3	4	5	6
ए. चालू खाता					
1 निर्यात, एफ.ओ.बी.	318,607	316,545	266,365	280,138	308,970
2 आयात, सी.आई.एफ.	466,216	461,484	396,444	392,580	469,006
3 व्यापार शेष	-147,609	-144,940	-130,079	-112,442	-160,036
4 अदृश्य मर्दे, निवल	115,313	118,081	107,928	98,026	111,319
क) 'गैर कारक' सेवाएं जिसमें से:	73,066	76,529	69,676	68,345	77,562
सॉफ्टवेयर सेवाएं	67,002	70,400	71,454	70,763	72,186
ख) आय	-23,028	-24,140	-24,375	-26,302	-28,681
ग) निजी अंतरण	65,481	66,264	63,139	56,573	62,949
5. चालू खाता शेष	-32,296	-26,859	-22,151	-14,417	-48,717
बी) पूंजी खाता					
1. विदेशी निवेश, निवल (क +ख)	26,386	73,456	31,891	43,224	52,401
क) प्रत्यक्ष निवेश	21,564	31,251	36,021	35,612	30,286
ख) संविभाग निवेश	4,822	42,205	-4,130	7,612	22,115
2 बाह्य सहायता, निवल	1,032	1,725	1,505	2,013	2,944
3 वाणिज्यिक उधारियां, निवल	11,777	1,570	-4,529	-6,102	-183
4 अल्पावधि ऋण, निवल	-5,044	-111	-1,610	6,467	13,900
5 बैंकिंग पूंजी जिसमें से:	25,449	11,618	10,630	-16,616	16,190
अनिवासी जमाराशियाँ, निवल	38,892	14,057	16,052	-12,367	9,676
6 रुपया ऋण सेवाएं	-52	-81	-73	-99	-75
7 अन्य पूंजी, निवल @	-10,761	1,109	3,315	7,559	6,213
8 कुल पूंजी खाता	48,787	89,286	41,128	36,447	91,390
सी. भूल-चूक	-983	-1,021	-1,073	-480	902
डी. समग्र शेष [ए(5)+ बी(8)+सी]	15,508	61,406	17,905	21,550	43,574
ई. मौद्रिक गतिविधियाँ (एफ+ जी)	-15,508	-61,406	-17,905	-21,550	-43,574
एफ. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, निवल	0	0	0	0	0
जी. भंडार और मौद्रिक स्वर्ण (वृद्धि-कमी+)	-15,508	-61,406	-17,905	-21,550	-43,574
जिसमें से: एसडीआर आबंटन	0	0	0	0	0
मेमो: जीडीपी अनुपात के अनुसार					
1. व्यापार संतुलन	-7.9	-7.1	-6.2	-4.9	-6.1
2. निवल सेवाएं	3.9	3.8	3.3	3.0	3.0
3. निवल आय	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1
4. चालू खाता शेष	-1.7	-1.3	-1.1	-0.6	-1.9
5. पूंजी निवल (रिजर्व में परिवर्तन को छोड़कर)	2.6	4.4	2.0	1.6	3.5
6. विदेशी निवेश, निवल	1.4	3.6	1.5	1.9	2.0

आ.सं : आंशिक संशोधन अ: अनंतिम एफ.ओ.बी.: फ्री ऑन बोर्ड सी.आई.एफ: कीमत, बीमा और मालभाडा।

@ इसमें देरी से प्राप्त निर्यात रसीदें, आयात के लिए अग्रिम भुगतान, विदेश में धारित निवल निधियां और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत प्राप्त अग्रिम के लंबित मामलों।

टिप्पणी: 1. वापस लौटने वाले भारतीयों द्वारा लाये गये सोना तथा चाँदी को आयात के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसकी प्रति प्रविष्टि निजी अंतरण प्राप्ति में की गई है।

2. निर्यात और आयात के आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय के आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं जिसका कारण कवरेज, मूल्यांकन और समय में अंतर होना है।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 9: भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह : देश-वार और उद्योग-वार

(मिलियन अमरीकी डालर)

स्रोत/उद्योग	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 अ
1	2	3	4	5	6
कुल एफडीआई	16,054	24,748	36,068	36,317	37,366
देश-वार अंतर्वाह					
मॉरीशस	3,695	5,878	7,452	13,383	13,415
सिंगापुर	4,415	5,137	12,479	6,529	9,273
नीदरलैंड्स	1,157	2,154	2,330	3,234	2,677
यू.एस.ए.	617	1,981	4,124	2,138	1,973
जापान	1,795	2,019	1,818	4,237	1,313
कैमन द्वीप	25	72	440	49	1,140
जर्मनी	650	942	927	845	1,095
हाँगकॉंग	85	325	344	134	1,044
यूनाइटेड किंगडम	111	1,891	842	1,301	716
स्विट्ज़रलैंड	356	292	195	502	506
यू.ए.ई.	239	327	961	645	408
फ्रांस	229	347	392	487	403
चीन	121	505	461	198	350
इटली	185	167	279	364	308
दक्षिणी कोरिया	189	138	241	466	293
साइप्रस	546	737	488	282	290
कनाडा	11	153	52	32	274
अन्य	1,626	1,682	2,243	1,490	1,889
क्षेत्र-वार अंतर्वाह					
संचार सेवाएँ	1,256	1,075	2,638	5,876	8,809
विनिर्माण	6,381	9,613	8,439	11,972	7,066
फुटकर व थोक व्यापार	1,139	2,551	3,998	2,771	4,478
वित्तीय सेवाएँ	1,026	3,075	3,547	3,732	4,070
कम्प्यूटर सेवाएँ	934	2,154	4,319	1,937	3,173
व्यापार सेवाएँ	521	680	3,031	2,684	3,005
विद्युत और अन्य ऊर्जा उत्पादन, वितरण एवं प्रेषण	1,284	1,284	1,364	1,722	1,870
निर्माण	1,276	1,640	4,141	1,564	1,281
परिवहन	311	482	1,363	891	1,267
विविध सेवाएँ	941	586	1,022	1,816	835
रेस्तरां व होटल	361	686	889	430	452
स्थावर-संपदा क्रियाएँ	201	202	112	105	405
शिक्षा, अनुसंधान और विकास	107	131	394	205	347
खनन	24	129	596	141	82
व्यापार	0	228	0	0	0
अन्य	293	232	215	470	226

अ: अनंतिम

टिप्पणी: एफ डी आई में केवल एसआईए / एफआईपीबी और आरबीआई के माध्यम से आए हुए शामिल हैं।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।

स्वामित्व: भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई
संजय कुमार हॉसदा, निदेशक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से मुद्रित व प्रकाशित
तथा जयंत प्रिन्टरी एलएलपी, 352/54, गीरगाम रोड, मुरलीधर मंदिर कम्पाउंड, ठाकुरद्वार पोस्ट ऑफिस के पास, मुंबई - 400 002 में मुद्रित.

Owner: Reserve Bank of India, Mumbai

Printed and Published by Sanjay Kumar Hansda, Director on behalf of the Reserve Bank of India, Shahid Bhagat Singh Road,
Fort, Mumbai - 400 001 and Printed at Jayant Printery LLP. 352/54, Girgaum Road, Murlidhar Temple Compound,
Near Thakurdwar Post Office, Mumbai - 400 002.